

वर्ण, जाति और धर्म

•

सिद्धान्ताचार्य पं० फूलचन्द्र शास्त्री



भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन

टाइम्स रिसर्च फाउण्डेशन, बम्बई के सहयोग से प्रकाशित

प्रथम संस्करण १९६३

द्वितीय संस्करण : १९८१

मूलिकेवी जन्ममाला हिन्दी प्रकाशक—९

वर्ण, जाति और धर्म

(पर्यालोचन)

सिद्धान्ताचार्य प० फूलचन्द्र शास्त्री

मूल्य : तीस रुपये

प्रकाशक

भारतीय ज्ञानपीठ,

18, इस्टीट्यूशनल एरिया,

लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003

मुद्रक

अम्बिका कम्पोजिंग एंड सी द्वारा

पारस प्रिंटर्स,

नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032

©

भारतीय ज्ञानपीठ

आवरण-शिल्प : करणानिधान

VARNA, JAATI AUR DHARMA (Critical analysis) by
Siddhantacharya Pt Phool Chandra Shastri. Published by
Bharatiya Jnanpith, 18, Institutional Area, Lodhi Road,
New Delhi-110003. Composed by Ambika Composing
Agency and printed at Paras Printers, Naveen Shahdara,
Delhi-110032

Second Edition : 1989.

Price Rs. 30/-

दो शब्द

भारतवर्ष में जातिप्रथा बहुत पुरानी है। ब्राह्मण धर्म के प्रसार के साथ समग्र देश में इसका प्रचार और प्रसार हुआ। वास्तव में ब्राह्मण धर्म का मूल आधार ही जातिप्रथा है। इस धर्म का साहित्य और ऐतिहासिक तथ्य इसके साक्षी हैं। परं पिछली शताब्दियों के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास को देखने से ज्ञात होता है कि जातिप्रथा देश और मानव-समाज के लिए परिणाम अच्छा नहीं लायी।

यह तो स्पष्ट ही है कि जैनधर्म का जाति-धर्म के साथ थोड़ा भी मम्बन्ध नहीं है। मूल जैन साहित्य इसका साक्षी है। किन्तु मध्यकाल में जातिधर्म का व्यापक प्रचार होने के कारण यह भी उससे अछूता न रह सका। इस काल में और इसके बाद जो जैन साहित्य लिखा गया, उसमें इस की स्पष्ट छाया दृष्टिगोचर होती है। उत्तरकालीन कितने ही आचार्य, जो जैनधर्म के सर्वमान्य आधार-स्तम्भ रहे, उन्हें भी किसी न किसी रूप में इसे प्रथय देना पड़ा। वर्तमान में जैनधर्म के अनुयायियों में जो जाति-प्रथा का प्रचार और उसके प्रति आश्रह दिखाई देता है, यह उसी का फल है।

समय बदला और अब देश यह सोचने लगा है कि जाति-प्रथा का अन्त कैसे किया जाये। यह सत्य है कि वैदिक सम्प्रदाय के भीतर जैसे-जैसे जाति-प्रथा का मूलोच्छेद होता जायेगा वैसे-वैसे जैन समाज भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। किन्तु यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं। यह अनुवर्तीपन जैन समाज को कहीं का भी नहीं रहने देगा। वस्तुतः उसे इसका विचार अपने धर्मशास्त्र के आधार से ही करना चाहिए। धर्म के प्रति उसकी निष्ठा बनी रहे यह सर्वोपरि है।

जिन जैन आचार्योंने जाति, कुल, गोत्र आदि की प्रथा को परिस्थिति-

ब्रह्म धर्म का अग बनाने का उपक्रम किया, उन्होंने भी इसे बीतराग भगवान् की वाणी या आगम कभी नहीं कहा। सोमदेवसूरि ने अपने यशस्तिलक में गृहस्थों के धर्म के लौकिक और पारलौकिक दो भेद बिये हैं तथा लौकिक धर्म में वेदां और मनुस्मृति आदि ग्रन्थों को ही प्रमाण बताया है, जैन आगम को नहीं। इसी प्रकार इन्होंने अपने नीतिवाक्यमृत में वेद आदि को तयी कहकर वर्णों और आश्रमों के धर्म और अधर्म की व्यवस्था तयी के अनुसार बतायी है— खलु बर्णाश्रमाणी धर्माधर्मव्यवस्था ।

यह बात केवल सोमदेवसूरि ने ही नहीं कही, मूलाचार के टीकाकार आचार्य वसुनन्द ने मूलाचार की (अध्याय ५ श्लोक ५६) टीका में लोक का अर्थ ब्राह्मण, धर्मिय, वैद्य और शूद्र किया है और उनके आचार को लौकिक आचार बताया है। स्पष्ट है कि लौकिक आचार से पारलौकिक आचार वे भी भिन्न मानते रहे।

महापुराण के कर्ता आचार्य जिनसेन ने ब्राह्मणवर्ण के साथ जाति-प्रथा की उत्पत्ति भरत चक्रवर्ती के द्वारा बतायी है, केवलज्ञानसम्पन्न परम बीतरागी भगवान् आदिनाथ के मुख से नहीं। इससे भी यही ज्ञात होता है कि वे भी इसे पारलौकिक धर्म से जुदा ही मानते थे।

जैन धर्म में जाति-प्रथा को स्थान क्यों नहीं है, इस प्रेषन का सहज तर्क से समाधान करते हुए आचार्य गुणभद्र ने उत्तरपुराण में कहा है, 'मनुष्यो मे गाय और अश्व के समान बुद्ध भी जातिकृत भेद नहीं है। आकृति भेद होता तो जातिकृत भेद मानना ठीक होता। परन्तु आकृतिभेद नहीं है; इसलिए पृथक् पृथक् जाति की कल्पना करना व्यर्थ है।'

आचार्य रविषेण ने अपने पद्मपुराण में जातिवाद का निषेध करते हुए यहाँ तक लिखा है कि कोई जाति गहित नहीं है, वास्तव में गुण कल्याण के कारण है, बयोंकि भगवान् जिनेन्द्र ने ब्रह्मो में स्थित चाष्डाल को भी ब्राह्मण माना है।

अमितगति श्रावकाचार के कर्ता इससे भी जोरदार शब्दों में जातिवाद का निषेध करते हुए कहते हैं, "वास्तव में यह उच्च और नीचपने का

विकल्प ही सुख और दुःख का करनेवाला है। कोई उच्च और नीच जाति है, और वह सुख और दुःख देनी है, यह कदाचित् भी नहीं है। अपने उच्च पने का निदान करनेवाला कुबुद्धि पुरुष धर्म का नाश करता है और सुख को नहीं प्राप्त होता। जैसे बालू को पेलनेवाला लोकनिन्दा पुरुष कष्ट भोगकर भी कुछ भी फल का भागी नहीं होता, ऐसे ही प्रकृत में जानना चाहिए।”

इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी आचार्य ने पारलौकिक (मोक्ष-मार्गरूप) धर्म में लौकिक धर्म को स्वीकार नहीं किया है और इसीलिए सोमदेवसूरि ने स्पष्ट शब्दों में धर्म के दो भेद करके पारलौकिक धर्म को जिन-आगम के आश्रित और लौकिक धर्म को वेदादि ग्रन्थों के आश्रित बतलाया है।

जैन परम्परा में यह जाति-प्रथा और तदाश्रित धर्म की स्थिति है। ठीक इसी प्रकार गोत्र और कुल के विषयों में भी जानना चाहिए। आचार्य वीरसेन ने गोत्र का विचार करते हुए इक्ष्वाकु आदि कुलों को स्वयं काल्पनिक बतलाया है। कर्मशास्त्र में जिसे गोत्र कहा गया है वह लौकिक गोत्र से तो भिन्न ही है, क्योंकि गोत्र जीवविषयाकी कर्म है। उसके उदय से जीव की नोआगमभाव पर्याय होती है अर्थात् जैसे जीव की मनुष्य पर्याय होती है वैसे ही वह पर्याय हो जाती है। और वह विग्रहगति में शरीर ग्रहण के पूर्व ही उत्पन्न हो जाती है, इसलिए उसका लौकिक गोत्र के साथ सम्बन्ध किमी भी अवस्था में स्थापित नहीं किया जा सकता।

यह तो आगम ही है कि नोआगमभावरूप नीचगोत्र के साथ कोई मनुष्य मुनि नहीं होता। परन्तु जब कोई ऐसा व्यक्ति नोआगमभावरूप वास्तविक मुनिपद अंगीकार करता है तो उसके होने के साथ में ही उसका नीचगोत्र बदलकर नोआगमभावरूप उच्चगोत्र हो जाता है, यह भी आगम से स्पष्ट है।

आगम में नीच गोत्री श्रावक के क्षायिक सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति तो बतलायी ही है; साथ ही यह भी बतलाया है कि क्षायिक सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति केवली और श्रुतकेवली के पादमूल में ही होती है। यदि यह

एकान्त स मान लिया जाये कि शूद्र नियम से नीचगोत्री ही होते हैं और तीन वर्ण के मनुष्य उच्चगोत्री ही होते हैं तो इससे शूद्र का केवली और श्रुतकेवली के पादमूल मे उपस्थित होना सिद्ध होता है और जब ऐसा व्यक्ति केवली और श्रुतकेवली के पादमूल मे पहुँच सकता है तब वह सम-वसरण मे या जिन-मन्दिर मे नहीं जा सकता, यह कैसे माना जा सकता है !

यह कहना कि जो म्लेच्छ देशव्रत के साथ क्षायिक सम्यग्दर्शन को उत्पन्न करते हैं, उनको ध्यान मे रखकर यह कथन किया है, ठीक प्रतीत नहीं होता; क्योंकि जिस प्रकार शूद्र मात्र नीचगोत्री मान लिये गये हैं, उसी प्रकार आचार्य वीरसेन ने अपनी ध्वला टीका मे म्लेच्छों का भी नीचगोत्री होना लिखा है। आजीविका भी शूद्रों के समान म्लेच्छों की हीन ही मानी जायेगी। आचार्य जिनसेन ने महापुराण मे इन्हे धर्म-कर्म से रहित बतलाया ही है। फिर क्या कारण है कि म्लेच्छों के लिए, जो आर्य भी नहीं माने गये हैं, धर्म-पालन की पूरी स्वतन्त्रता दी जाये और शूद्रों को उससे उचित रखा जाये।

शूद्रों मे पर्याय सम्बन्धी अयोग्यता होती है, यह भी नहीं है; क्योंकि आगम साहित्य मे धर्म को धारण करने के लिए जो योग्यता आवश्यक बतलायी है वह म्लेच्छों तथा इतर आर्यों के समान शूद्रों मे भी पायी जाती है। अतएव यही मानना उचित है कि अन्य वर्णवालों के समान शूद्र भी पूरे धर्म को धारण करने के अधिकारी हैं। वे जिनमन्दिर मे जाकर उसी प्रकार जिनदेव का दर्शन-पूजन कर सकते हैं जिस प्रकार अन्य वर्ण के मनुष्य !

मगर-मच्छ जैसे हिंसाकर्म से अपनी आजीविका करनेवाले प्राणी काल-लघ्व आने पर सम्यग्दर्शन के अधिकारी तो हैं ही, विशुद्धि की वृद्धि होने पर शावकधर्म के भी अधिकारी है। यह विचारणीय है कि मगर-मच्छ और शूद्र दोनों मे पर्याय की अपेक्षा भी कितना अन्तर है—एक तिर्यङ्ग और दूसरा मनुष्य, फिर भी शूद्रों के लिए तो धर्म धारण करने का अधिकार न रखा जाये और तिर्यङ्गों को रहे ! स्पष्ट है कि लौकिक

परिस्थितिओं के प्रभाववश ही शूद्रों को धर्म से बचित किया गया है। इसी-लिए स्वामी समन्तभद्र 'रत्नकरण' में सम्प्रदायन से युक्त आण्डाल को देव-पद से विभूषित करने में थोड़ी भी हिचकिचाहट का अनुभव नहीं करते। और यही कारण है कि पण्डितप्रबर आशाघरजी ने हृषि और वाणिज्य आदि से आजीविका करनेवाले गृहस्थ को जिस प्रकार नित्यमह, आष्टाहिंकमह आदि का पूजन करने का अधिकारी माना है, उसी प्रकार सेवा और शिल्प (शूद्रकर्म) से आजीविका करनेवाले को भी उन सबका अधिकारी माना है।

आचार्य जिनसेन ने महापुराण में तीन वर्णों के मनुष्यों के लिए जो षट्कर्म बतलाये थे, उनमें से वार्ता (आजीविका) को हटाकर और उसके स्थान में गुरुपास्ति को रखकर उत्तरकालीन अनेक आचार्यों ने उन्हे आवकमात्र का दैनिक कर्तव्य घोषित किया। इसका भी यही कारण प्रतीत होता है कि किसी भी आचार्य को यह इष्ट नहीं था कि कोई भी मनुष्य शूद्र होने के कारण अपने दैनिक धार्मिक कर्तव्य से भी बच्चित किया जाये। वर्म कोई देने-लेने की वस्तु तो है नहीं, वह तो जीवन का महज परिणाम है जो काल-लक्षित आने पर योग्यतानुसार सहज उद्भूत होता है अर्थात् जीवन का अंग बन जाता है।

इस प्रकार जातिप्रथा के विरोध में जब स्पष्ट रूप से आगम उपलब्ध है तो जातिप्रथा और उसके आधार से बने हुए विधि-विद्यानों का सहारा लिये रहना किसी भी व्यक्ति को किसी भी अवस्था में उचित नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि बहुत-से समाजहितीय बन्धु निर्भय होकर इस जातिप्रथा का न केवल विरोध करते हैं, किन्तु जीवन में प्रश्नय भी नहीं देते, इसके आधार पर चलते भी नहीं।

इस विषय पर शास्त्रीय दृष्टि से अभी तक सामोपाग भीमासा नहीं हो पायी थी। यह एक कमी थी, जो सबको खटकती थी। १९५५-५६ ई० में मान्यवर स्व० साहू शान्तिप्रसादजी का इस बोर विशेष ध्यान गया। फलस्वरूप श्री स्याद्वाद महाविद्यालय की सुवर्ण-जयन्ती के समय मधुबन में उन्होंने मुक्तसे इस विषय की चर्चा तो की ही, साथ ही इस

विषय पर एक स्वनन्त्र पुस्तक लिख देने का आग्रह भी किया था। इसके बाद उनका आग्रहपूर्ण एक पत्र भी मिला था। बन्धुवर बाबू लक्ष्मीचन्द्रजी तथा स्वर्गीय प० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य आदि अन्य महानुभावों का आग्रह तो था ही। 'वर्ण, जाति और धर्म' पुस्तक वस्तुतः इन सब महानुभावों के इसी अनुरोध का फल है।

मान्यवर साहूजी और उनकी धर्मपत्नी सौ० रमारानीजी विचारशील दम्पती रहे हैं। उनकी मान्यता थी कि जैनधर्म ऊँचनीच के भेद को स्वीकार नहीं करता और इसीलिए उनका यह स्पष्ट मत था कि जो धर्म मनुष्य-मनुष्य में भेद करता है, वह धर्म ही नहीं हो सकता। साहूजी ने इस पीढ़ा को उस समय बड़े ही मार्मिक और स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया था जब उन्हे पूरे जैन समाज की ओर से मधुवन में श्रावकशिरोमणि के सम्मानपूर्ण पद से अलकृत किया गया था। उनके वे मर्ममर्शी शब्द आज भी मेरे स्मृतिपटलपर अकित हैं। उन्होंने कहा था, "समाज एक और तो मेरा सत्कार करना चाहती है और दूसरी ओर मेरी उन उचित बातों की ओर जरा भी ड्यान नहीं देना चाहती, जिसके बिना आज हमारा धर्म (जैनधर्म) निष्प्राण बना हुआ है। फिर भला उपस्थित समाज ही बतलाये कि मैं ऐसे सम्मान को लेकर क्या करूँगा। मुझे सम्मान की चाह नहीं है। मैं तो उस धर्म की चाह करता हूँ जो भेदभाव के बिना मानवमात्र को उन्नति के ज़िखर पहुँचाता है।"

वस्तुतः: यह पुस्तक इसके प्रथम सस्करण से, १९६३ से, लगभग पाँच-छह वर्ष पूर्व ही लिखी गयी थी। मुद्रण का कार्य भी तभी सम्पन्न हो गया था। किन्तु इसके बाद कुछ ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई जिसके कारण यह प्रकाश मे आने से रुकी रही। मैंने कुछ परिशिष्ट देने की भी योजना की थी, क्योंकि मैं चाहता था कि बोड़ और श्वेताम्बर परम्परा के साहित्य मे जो जातिविरोधी विपुल सामग्री उपलब्ध होती है वह परिशिष्ट के रूप मे इस पुस्तक मे जोड़ दी जाए। साथ ही वैदिक परम्परा मे भी कुछ ऐसी सामग्री उपलब्ध होती है जिस द्वारा जातिवाद पर तीक्ष्ण प्रहार किया गया है, उसे भी मैं परिशिष्ट के रूप मे इसमें सचित कर

देना चाहता था। दो-तीन माह परिश्रम करके मैंने बहुत कुछ सामग्री का सकलन भी कर लिया था; किन्तु इस पुस्तक को मुद्रित हुए बहुत समय हो गया था, और अधिक समय तक यह प्रकाशित होने से रुकी रहे यह मैं चाहता नहीं था, इसलिए इस योजना को तत्काल छोड़ दिया गया। जिस समय यह पुस्तक लिखी गयी थी, यदि उसी समय प्रकाशित हो जाती तो कई दृष्टियों से लाभप्रद होता।

पुस्तक में जातिवाद की दृष्टि से महापुराण के जातिवादी अश की तथा इसी प्रकार के अन्य साहित्य की सौम्य पर्यालोचना आयी है। इस पर से कोई महानुभाव यह भाव बनाने की कृपा न करे कि मैं महापुराण या उसके रचयिता आचार्य जिनसेन के प्रति या इसी प्रकार अन्य आचार्यों या विद्वानों के प्रति आदर या श्रद्धा नहीं रखता। वस्तुत ये सब आचार्य और विद्वान दि० जैन परम्परा के आधार-स्तम्भ हैं, इसमें सन्देह नहीं। मेरा विश्वास है कि इन आचार्यों या विद्वानों ने जातिवाद को जिस किसी रूप में प्रश्रय दिया है उसमें मूल कारण उस समय की परिस्थिति ही रही है। यह दूसरी बात है कि आज वह परिस्थिति हमारे सामने नहीं है। अतएव इस पुस्तक में जो जातिवादी अश की सप्रमाण पर्यालोचना की गई है, वह जैनधर्म के आचार की नाट्विक भूमिका के आधार पर ही की गयी है। आशा है, इस पर्यालोचना से समाज और दूसरे लोगों के ध्यान में यह बात स्पष्ट रूप से आ जायेगी कि जातिवादी व्यवस्था जैन धर्म का अग नहीं है। यह परिस्थितिवश स्वीकार की गयी व्यवस्था है। अब हमारे विचार में उनमें परिस्थिति बदल गयी है, अतः दि० जैन साहित्य में प्रहृष्ट इस जातिवादी व्यवस्था के त्याग में ही दि० जैन परम्परा का हित है। हमें विश्वास है कि सभी विद्वान् और समाज इसी दृष्टिकोण से इस पुस्तक का अवलोकन करेंगे।

मैं उन सबका आभारी हूँ जिन्होंने इसके निर्माण के लिए मुझे प्रेरणा दी या इसके निर्माण में सहयोग किया। विशेष रूप से भारतीय ज्ञानपीठ की पूर्व अध्यक्षा स्वर्गीया श्रीमती रमारानीजी का मैं इस अवसर पर सामार स्मरण करता हूँ जिन्होंने मुझे वे सब अनुकूलताएँ उपस्थित कर

दी थी जिनके कारण मैं इस पुस्तक का निर्माण कर सका । वे बत्तमान में इस भारतल पर अपने प्रकृत रूप में नहीं हैं । यदि वे होती तो आज मुझे ऐसे अवसर उपस्थित करती रहती जिससे इन तथ्यों को मूर्तरूप देने में विशेष सहयोग मिलता ।

मान्य साहू अशोक कुमार जी कुछ समय पूर्व हस्तिनापुर मेरे निवास स्थान पर पधारे थे । उनसे मैंने इस पुस्तक के पुनः प्रकाशन का निवेदन किया था । उन्होंने उसे नोट भी करा लिया था । प्रस्तुत संस्करण उसी का परिणाम है । इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूँ । मैं चाहता हूँ कि भारतीय ज्ञानपीठ इसका विशेष प्रचार करे ताकि समाज में और बत्तमान त्यागियों में फैली मान्यता के बदलने में सहायता मिले । जैनधर्म पर लगा यह कलक छुलना ही चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ ।

अन्य जिन महानुभावों का विशेष सहयोग मिला है, उनका आदर-पूर्वक नामोल्लेख तो मैं पूर्व में ही कर आया हूँ । विशेष किमधिकम् ।

—फूलचन्द्र शास्त्री

विषयसूची

धर्म

१७-२०

धर्म की महत्ता १७; धर्म की व्याख्या १८; धर्म के अवान्तर भेद और उनका स्वरूप १९;

व्यक्तिधर्म

२०-५०

जैनधर्म की विशेषता २०; जैनधर्म की व्याख्या २४; सम्यग्दर्शन धर्म और उसका अधिकारी २७, धर्म में जाति और कुल को स्थान नहीं २६, गति के अनुसार धर्म धारण करने की योग्यता ३१, सम्यग्दर्शन-की उत्पत्ति के साधन ३४; इन साधनों का अधिकारी मनुष्य मात्र ३७; सम्यक्त्वारित्व धर्म और उसका अधिकारी ४७;

समाजधर्म

५०-६४

व्यक्तिधर्म और समाजधर्म में अन्तर ५०, चार वर्णों का वर्णधर्म ५७, विवाह और वर्णपरिवर्तन के नियम ५८; दानग्रहण वादी की पात्रता ५६; स्सकार और व्रतग्रहण की पात्रता ६०; उपसंहार ६१,

नोआगमभाव मनुष्यों में धर्माधर्ममीमांसा

६४-१०१

आवेशक स्पष्टीकरण ६४; नोआगमभाव मनुष्य की व्याख्या ६७, नोआगमभाव मनुष्यों के अवान्तर भेद ७३; धर्माधर्म विचार ७८; मनुष्यों के क्षेत्र की अपेक्षा से दो भेद ८३; मनुष्यों के अन्य प्रकार से दो भेद ८६; एक महत्त्वपूर्ण उल्लेख ८०; धर्माधर्म-विचार ११;

गोत्रमीमांसा

१०१-१३८

गोत्र शब्द की व्याख्या और लोक में उसके प्रचलन का कारण १०१; जैनधर्म में गोत्र का स्थान १०४; जैनधर्म के अनुसार गोत्र का अर्थ और उसके भेद १०५; गोत्र की विविध व्याख्याएँ १०६; कर्म-

साहित्य के अनुसार गोत्र की व्याख्या १०८, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ११०, यथार्थवादी दृष्टिकोण स्वीकार करने की आवश्यकता ११२, गोत्र की व्याख्याओं की मीमांसा ११४, गोत्र की व्यावहारिक व्याख्या १२१, उच्चगोत्र, तीन वर्ण और घटकर्म १२३, एक भव में गोत्र-परिवर्तन १३०; नीचगोत्रों संयतासम्यत क्षायिक सम्बन्धित मनुष्य १३२, जैनधर्म की दीक्षा के समय गोत्र का विचार नहीं होता १३५;

कुलभीमांसा १३८-१५४

कुल के सामोपायग विचार करने की प्रतिज्ञा १३८; कुल और वश के अर्थ का साधार विचार १४१; जैन परम्परा में कुल या वश को महत्व न मिलने का कारण १४४; कुलशुद्धि और जैनधर्म १५०,

जातिभीमांसा १५५-१७४

मनुस्मृति में जातिव्यवस्था के नियम १५५; महापुराण में जाति-व्यवस्था के नियम १५७; उत्तरकालीन जैन साहित्यपर महापुराण का प्रभाव १५९, जातिवाद के विरोध के चार प्रस्थान १६४; जातिवाद का विरोध और तर्कशास्त्र १६६,

वर्णभीमांसा १७४-१८७

घटकर्म व्यवस्था और तीन वर्ण १७४; सोमदेवसूरि और चार वर्ण १७५, शूद्रवर्ण और उसका कर्म १८२, वर्ण और विवाह १८६; स्पृश्यास्पृश्यविचार १८०;

ब्राह्मणवर्णभीमांसा १८७-२०१

ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति १८७; ब्राह्मणवर्ण और उसका कर्म १८८, एक प्रश्न और उसका समाधान २००;

यज्ञोपवीतभीमांसा २०१-२०८

महापुराण में यज्ञोपवीत २०१; पदम्पुराण और हरिवशपुराण २०४; निष्कर्ष २०६;

जिनदीकाधिकारमीमांसा	२०६-२३७-
आगम साहित्य २०६; आचार्य कुन्दकुन्द और मूलाचार २१३; व्याकरण साहित्य २१६; मध्यकालीन जैन साहित्य २२५, महा- पुराण और उसका अनुवर्ती साहित्य २२६;	
आहारग्रहणमीमांसा	२३८-२५२
दान देने का अधिकारी २३८; देयद्रव्य की शुद्धि २४३; वत्तीस अन्तराय २४४; कुछ अन्तरायों का स्पष्टीकरण २४५; अन्य साहित्य २४८,	
समवसरणप्रवेशमीमांसा	२५२-२५८
समवसरण धर्मसभा है २५२; समवसरण में प्रवेश पाने के अधि- कारी २५३; हरिवशपुराण के एक उल्लेख का अर्थ २५५;	
जिनमन्दिरप्रवेशमीमांसा	२५८-२६६
शूद्र जिनमन्दिर में जाये इसका कही निषेध नहीं २५८, हरिवश- पुराण का उल्लेख २६१, अन्य प्रमाण २६४,	
आवश्यक घट्कर्ममीमांसा	२६६-२८७
महापुराण और अन्य साहित्य २६६; प्राचीन आवश्यक कर्मों का निर्णय २७२; आठ मूलगुण २८२;	
प्रकृत में उपयोगी पौराणिक कथाएँ	२८७-२९७
तपस्वी की सन्तान नौवे नारद का मुनिघर्म स्वीकार और मुक्तिगमन २८७; पूतिगन्धिका धीवरी की श्रावकदीक्षा और तीर्थवन्दन २८८; परस्त्रीसेवी सुमुख राजा का उसके साथ मुनि को आहार-दान २८९; चारुदत्त से विवाही गयी वेश्यापुत्री का श्रावकघर्म स्वीकार २९०; मृगसेन धीवर का जिनालय में धर्मस्वीकार २९०; हिसक मृगध्वज का मुनिघर्म स्वीकार कर मोक्षगमन २९०; राजकुमार का गणिका-पुत्री के साथ विवाह २९१; म्लेष्ठरानी के पुत्र का	

मुनिधर्म स्वीकार २६१; चाण्डाल को धर्म के फलस्वरूप देवत्वपद की प्राप्ति २६१; परस्त्रीसेवी मधुराजा का उसके साथ सकल संयमग्रहण २६२; शूद्र गोपाल द्वारा मनोहारी जिनपूजा २६२, आवक धर्म को स्वीकार करने वाला बकरा २६३; आवक धर्म को स्वीकार करने वाला चण्डकर्मा चाण्डाल २६४; अहिंसाव्रती यमपाश चाण्डाल के साथ राजकन्या का विवाह तथा आधे राज्य की प्राप्ति २६४, अपनी माता के पिता से उत्पन्न स्वामी कातिकेय का मुनिधर्म स्वीकार २६५; चण्ड चाण्डाल का अहिंसाव्रत स्वीकार २६६; नाच-गान से आजीविका करनेवाले गरीब किसान बालको का मुनिधर्म स्वीकार २६६,

मूल व अनुवाद

नोआगमभाव मनुष्यो मे धर्माधर्म-मीमांसा	३०१
क्षेत्र की दृष्टि से दो प्रकार के मनुष्यो मे धर्माधर्म-मीमांसा	३१०
गोत्रमीमांसा	३२४
कुलमीमांसा	३३५
जातिमीमांसा	३४३
वर्णमीमांसा	३६४
व्रात्यर्थग्रहणमीमांसा	३८०
विवाहमीमांसा	४००
चारित्रग्रहणमीमांसा	४०४
आहारग्रहणमीमांसा	४२६
समवसृतिप्रवैशमीमांसा	४३६
शृहस्थो के आवश्यक कर्मों की मीमांसा	४४२
जिनदर्शन-पूजाधिकार-मीमांसा	४४६

• •

वर्ण, जाति और धर्म

धर्म

धर्म की महत्ता—

भारतीय परम्परामें जैनधर्म अपनी उदारता और व्यापकताके कारण महसूलपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ध्यक्ति-स्वातन्त्र्य और स्वावलम्बन के कारण यह अन्य सब धर्मोंमें श्रेष्ठधर्म गिना जाता है। इसी कारण इसके अनुयायी सम्प्रथामें अल्प होने पर भी विश्वके प्रधान धर्मोंमें इसकी धरिणना की जाती है। भारतीय जनजीवन को अर्हिसक बनाने में और धर्मके नाम पर होनेवाली हिंसा का उन्मूलन करनेमें इसका प्रधान हाथ है। प्राणीमात्रकी बुद्धि अन्धविश्वासो और अपने आज्ञानके कारण कुण्ठित हो रही है। इसने उनसे कपर उठकर उसे आगे बढ़ानेमें सदा सहायता की है। विश्वमें जितने धर्म हैं उनकी उत्पत्ति प्रायः अवतारी पुरुषोंके आश्रय से मानी गई है। किन्तु जैन और बौद्ध ये दो धर्म इसके अपवाद हैं। साधारणतः लोकमें जो कार्य होता है उसकी उत्पत्ति अवश्य होती है यह सामान्य सिद्धान्त है। जैनधर्म भी आत्मस्वभावकी दृष्टि से कारण होकर भी एक कार्य है, अतः अनादि-अनन्त होकर भी इस युगमें कल्पकालके अनुसार इसका प्रारम्भ भगवान् ऋषभदेवसे माना जाता है। पर बीत-रागतापूर्वक कैवल्यलाभ करनेके पूर्व वे भी उन कमजोरियों से आविष्ट थे जो साधारणतः अन्य ध्यक्तियोंमें दृष्टिगोचर होती हैं। प्रकृतिका यह नियम है कि सभी प्राणी अपने जन्मक्षणसे लेकर निरन्तर सुखी जीवन जीनेके लिए आगे बढ़नेकी चेष्टा करते रहते हैं। किन्तु जो आगे बढ़नेके समीचीन मार्गका अनुसन्धान कर उसपर चलने लगते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं और ऐसे यो ही कालयापन कर कालके गालमें समा जाते हैं। ऐसी अवस्थामें हम धर्म के महसूल को हृदयगम करे और उसपर आँखङ्ग होकर आत्मसंशोधनमें लगे यह उचित ही है।

साधारणनः हम देखते हैं कि समार के अधिकाश मनुष्य किसी-न-किसी धर्म के अनुयायी है। मारतीय जनजीवन में इसकी प्रतिष्ठा और भी अधिक दृष्टिगोचर होती है। विश्व में जितने नीर्थकर और धर्म-मस्थापक हुए हैं उन मनों अपने जीवन के अनुभव द्वारा इसकी महना स्वीकार की है। व्यक्तिका उत्थान और उसके आधार से समाज का निर्माण इसी पर अबलम्बित है।

यद्यपि लोकमें समाज-व्यवस्थाका प्रधान अग राज्य माना जाता है पर उसकी प्रतिष्ठा भी परम्परासे धर्मतत्त्व के आधार पर ही हुई है। आहार, निद्रा, भय और मैयुन ये चारों सबमें ममान रूपसे पाये जाते हैं किन्तु उनमें विशेषता उत्पन्न करने वाला यदि कोई सारभूत पदार्थ है तो वह धर्म ही है। धर्म ही प्राणीमात्रको अन्धकारसे प्रकाशकी ओर, जड़ता से चेतनताकी ओर और बाह्य जगत् से अन्तर्जगत् की ओर ले जाता है। जहाँ वह अर्थ और काम पुरुषार्थका मूल कहा जाता है, वहाँ निर्वाणकी प्राप्ति भी उसीसे प्राप्त होती है। प्राणीमात्रके जीवनमें जितनी मुकुमार प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं उनका आधार एकमात्र धर्म ही है। दूसरेका स्वत्वापहरण, असत्य समावण, परस्वहरण, स्वैरगमन और मूर्च्छा ये प्राणीमात्रकी अज्ञानजनित कमजोरियाँ हैं। इनपर नियन्त्रण स्थापित कर धर्म ने ही उस मार्गका निर्माण किया है जिसपर चलकर प्राणीमात्र ऐहिक और पारलोकिक मुख्का भागी होता है। धर्मकी महत्ता मर्वोपरि है।

धर्मकी व्याख्या—

इस प्रकार सनातन कालसे प्राणीमात्रके जीवनके साथ जिसका इनना गहरा सम्बन्ध है, प्रसगसे उसकी व्याख्या और अवान्तर भेदोंको ममझ लेना भी आवश्यक है। धर्म शब्द 'धृ' धातु से बना है। इसका अर्थ है धारण करना धरतीति धर्मः। धर्म शब्द की व्युत्पत्तिपरक इस व्याख्याके अनुसार धर्म वह कर्तव्य है जो प्राणीमात्र के ऐहिक और पार-

लौकिक जीवनपर नियन्त्रण स्थापित कर सबको सुपथपर से चलने में महायक होता है। यहाँ मैंने 'मानवमात्र' शब्द का प्रयोग न कर जान-बूझकर 'प्राणीमात्र' शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि धर्म का वास्तव्य केवल मानवको ही प्राप्त न होकर प्राणीमात्रको मिला हुआ है। किसी एक गौ पर हिल पशुका आक्रमण होनेपर अन्य गौ उसकी रक्षाके लिए क्यों दौड़ पड़नी है? इसका कारण क्या है? यही न कि अपनी रक्षामें हेतु अन्यकी रक्षा है इसके महत्वको वे समझती हैं। यह समझदारी मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है किन्तु जितने जीवधारी प्राणी हैं, न्यूनाधिक मात्रामें वह सबमें पाई जाती है। यह वह विवेक है जो प्रत्येक प्राणी को धर्म अर्थात् अपने कर्तव्यकी ओर आकृष्ट करता है।

धर्मके अवान्तर भेद और उनका स्वरूप —

साधारणत: स्थापापको या सम्प्रदायोंकी दृष्टि से धर्मके जैनधर्म, बौद्धधर्म, वैदिकधर्म ईमाईधर्म और मुस्लिमधर्म आदि अनेक भेद हैं। किन्तु समुच्चयरूप से इन्हें हम दो भागोमें विभाजित कर सकते हैं— व्यक्तिधर्म या सामान्यधर्म और सामाजिक धर्म या लौकिक धर्म। व्यक्तिधर्म या सामान्यधर्ममें देश, काल, वर्ण और वर्गविशेषका विचार किए बिना प्राणीमात्रके कल्याणके मार्गका निर्देश किया गया है और सामाजिकधर्म में केवल मनुष्यों के या मनुष्यों को अनेक भागोमें विभक्त कर लौकिक मान्यताओंके आधारपर उनके पृथक्-पृथक् अधिकारों और कर्तव्योंका निर्देश किया गया है। तात्पर्य यह है कि व्यक्तिधर्म सब प्राणियोंकी ऐहिक और पारलौकिक उन्नति और सुख-सुविधाका विचार करता है और सामाजिक धर्म मात्र मनुष्योंमें भेद करके उसके अनुसार ऐहिक हित साधन तक ही सीमित है। वैदिक धर्ममें परलोककी चर्चा मात्र की गई है, है वह ऐहिक जीवन तक ही सीमित। यहाँ हमने जिन धर्मों का नामोल्लेख किया है उनमें जैनधर्म मुख्यरूपसे व्यक्तिवादी धर्म है। इसे आत्मधर्म भी कहते हैं। बौद्धधर्मकी प्रकृति और स्वरूपका विचार

करने पर वह भी व्यक्तिवादी धर्म माना जा सकता है। पर बौद्धधर्म में व्यक्तिवादी होने के सब चिह्न उतने स्पष्ट रूपमें दृष्टिगोचर नहीं होते जिनका सम्बन्ध आत्मधर्म से है। ऐसे वैदिकधर्म, ईसाईधर्म और मुस्लिमधर्म मुख्य रूप से सामाजिक धर्म हैं। इनमें मनुष्य जातिको छोड़कर अन्य जीवधारियोंके हिताहितका तो विचार ही नहीं किया गया है। मनुष्योंके हित का विचार करते हुए भी इनका दृष्टिकोण उतना उदाहरणार्थ वैदिक धर्ममें मनुष्य जातिको भी जन्म से चार भागोंमें विभक्त करके उनके अलग-अलग कर्तव्य और अधिकार निश्चित कर दिए गये हैं। इस धर्म के अनुसार कोई शूद्र अपना कर्म बदलकर उच्चवर्णके कर्तव्योंका अधिकारी नहीं बन सकता। इसमें क्षत्रिय और वैद्यवर्णको भी ब्राह्मणवर्ण से हीन बतलाया गया है। ब्राह्मण सबका गुरु है यह इस धर्मकी मुरुर्य मान्यता है। वर्गप्रभुत्व की स्थापना करने के लिए ही इस धर्म का जन्म हुआ है, इसलिए इसे ब्राह्मणधर्म भी कहते हैं। ईसाईधर्म और मुस्लिमधर्म में यथापि इस प्रकारका श्रेणी-विभाग दृष्टिगोचर नहीं होता और इन धर्मोंमें उच्च-नीचकी मावना को समाजमें मान्यता भी नहीं दी गई है, फिर भी इनका लक्ष्य कुछ निश्चित सिद्धान्तोंके आधार पर मानव-समाज तक ही सीमित है। आत्मीक उन्नति इनका लक्ष्य नहीं है, इसलिए ये तीनों ही धर्म समाजधर्म के अन्तर्गत आते हैं।

व्यक्तिधर्म

जैनधर्मकी विशेषता—

यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि जैनधर्म मुख्यरूपसे व्यक्तिवादी धर्म है। व्यक्ति उस इवाईका नाम है जो जीवधारी प्रत्येक प्राणी में पृथक्-पृथक् दृष्टिगोचर होती है। व्यक्ति के इस व्यक्तित्वको

प्रतिष्ठित करना ही जैनधर्म की मर्वोंदरि विशेषता है। जैनधर्म व्यक्तिभावी है इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वह किसी एक व्यक्तिकी स्वार्थपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों के स्वत्वापहरण को विद्यमानता है। लौकिक स्वार्थपूर्तिको तो वह बाहरतवर्मे स्वार्थ ही नहीं मानता। प्रत्येक व्यक्तिके जीवनमें अनादि कालसे कमजोरी घर किये हुए हैं जिसके कारण वह अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्वको भूला हुआ है। अपनी इस आध्यात्मिक कमजोरीवश उमने ऐहिक उन्नतिको ही अपनी उन्नति मान रखा है। विचारकर देखा जाय तो ऐहिक जीवनकी मर्यादा ही कितनी है। वह भौतिक आवरणोंसे आच्छादित है, इतना ही नहीं, जीवनके अन्तमें इस जीवके उसका त्याग स्वयं ही हो जाता है।

प्रकृतमें विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या वह इन सब भौतिक साधनों का स्वयं स्वामी है? यदि हाँ, तो उनके जीवन काल में ही वे उससे अलग क्यों जाते हैं और यदि नहीं है तो वह उनके पीछे पड़कर अपने स्वत्व को क्यों गैंवा बैठता है? प्रश्न मार्मिक है। तीर्थकरोंने अपने जीवनको आध्यात्मिक उन्नतिकी प्रयोगशाला बनाकर इस तथ्यको हृदयगम किया था। परिणामस्वरूप उन्होंने धर्मका जो स्वरूप स्थिर किया उसपर चलकर प्रत्येक प्राणी ऐहिक उन्नतिके साथ पारलौकिक उन्नति करनेमें सफल हो सकता है।

यहाँ यह स्मरणीय है कि ऐहिक उन्नति भौतिक साधनोंकी विपुलता न होकर सुखी जीवन है और सुखी जीवनका मूल आधार भौतिक न होकर आध्यात्मिक सन्नोष है। प्रायः हम देखते हैं कि इस गुण के अभावमें साधनमध्यन्त और विविध कलाओंमें निमुण व्यक्ति भी दुखी देखे जाते हैं, इसलिए वर्तमान जीवनमें भौतिक साधनोंकी उतनी महत्ता नहीं है जितनी इस प्राणीने समझ रखी है। महत्ता है पारलौकिक उन्नतिकी लक्ष्यमें रखकर सन्तोषपूर्वक सुखी जीवन बनाने की।

तीर्थकरों और सन्तों ने सुखी जीवनको प्राप्त करनेका जो भोग-

बतलाया है उसीको धर्म कहते हैं।^१ स्वामी समन्तभद्र धर्मकथन की प्रतिज्ञा करते हुए उसके दो गुणों का मुख्य रूपसे उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं कि धर्मका प्रमुख गुण राग-द्वेष आदि अन्तर्मलको घोने की क्षमता है और दूसरा गुण प्राणीमात्रको दुःख से छुड़ाकर उत्तम सुख में स्थापित करना है। उनके कथनानुसार जिसमें ये दो विशेषताएँ हो धर्म वही हो सकता है। अन्य सब लौकिक व्यवहार है। इसी अभिप्रायको उन्होंने इन शब्दोंमें व्यक्त किया है—

देशयामि सभीचीनं धर्मं कर्मनिवर्हणम् ।
संसारदुःखत् सत्त्वान् यो वरत्युत्तमे सुखे ॥२॥

साधारणतः लोकमें धर्मके नामपर अनेक प्रकारके व्यवहार प्रचलित हैं और वे धर्म माने जाते हैं। वाराणसी में हमारे मकान के सामने एक नीमका वृक्ष था और वही देवीका मन्दिर था। प्रातःकाल कुछ मनुष्य देवीका दर्शन करने और जल चढ़ानेके लिए आते थे। लौटते समय उनमेंमें कुछ आदमी नीमके ऊपर भी जल छोड़ते जाते थे। एक दिन किसी भाईसे ऐसा करनेका कारण पूछने पर उसने बताया कि हमारे धर्मशास्त्रमें वृक्षकी पूजा करना धर्म बतलाया गया है, इसलिए हम ऐसा करते हैं।

एक दूसरी प्रथा हमें अपने प्रदेश की याद आती है। कहा जाता है कि न्यूनाधिक रूपमें यह प्रथा भारतवर्षके अन्य भागोंमें भी प्रचलित है। हमारे अन्य ये यह प्रथा विशेष रूपसे प्रचलित है। इसे सपटोनी कहते हैं। विवाहके समय वरके घर से विदा होकर कन्याके गाँव जाते समय यह विधि की जाती है। सर्व प्रथम वरके मकानके मुख्य दरवाजेके बाहे बाहर चौक पूरकर उसमें वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित कर और दरवाजेकी ओर मुख कराकर वरको छाड़ा किया जाता है। बादमें चार मनुष्य एक साल वस्त्र लेकर उसके ऊपर चंदोवा तानते हैं। और वरकी माता

१ सब्दे वि अरहता जेण विहानेण लविदकम्भसा ।

किञ्च्चा तहोवएस षिवादा ते यमो तेर्सि ॥—प्रबन्धनसार गा० ८२

देहलीके भीतरसे दूसरी ओर खड़े हुए एक मनुष्यको मूसल और मथानी को सात बार चढ़ोवाके नीचेसे वरके दाहिनी ओरसे देकर चढ़ोवाके ऊपर-से बायी ओरसे लेती जाती है। यह जातिधर्म है। हमारे अन्वयमें विवाहके समय इसका किया जाना वस्त्यन्त आवश्यक माना जाता है। इसके करने में रहस्य क्या है इसपर मैंने बहुत विचार किया। अन्तमें मेरा ध्यान 'मपटोनी' शब्द पर जानेसे इसका रहस्य खुल सका। 'सपटोनी' सात टोना शब्दसे बिगड़कर बना है। मालूम पड़ता है कि जब टोना-टोटकाकी बहुलता थी तब यह प्रथा किसी कारणवश हमारे अन्वय में प्रविष्ट हो गई और आज तक चली आ रही है। वैदिकधर्ममें यगास्नान, पीपल और बरगद आदि वृक्षोकी पूजा, देवी-देवताओंकी मान्यता, मकर-मकालि, चन्द्रघटण और सूर्यघटणके समय नदी-स्नान तथा पितरोका तर्पण आदि अनेक लोकरुद्धियाँ प्रचलित हैं। जैनधर्ममें किसी क्षेत्रमें क्षेत्रपाल, घरणेन्द्र और पद्मावतीकी पूजा की जाती है। तीर्थकरके विग्रहपर औंगूठामें चन्दन लगाया जाता है और सचित् द्रव्य या सिजे हुए अन्नसे पूजाकी जाती है। और भी ऐसी अनेक लोकरुद्धियाँ हैं जिन्होंने धर्म वा रूप ले लिया है। किन्तु ये लोकरुद्धियाँ समीचीन धर्म संज्ञाको नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि न तो इनसे किसी भी जीवधारीका अन्तर्भुल छुलता है और न ही ये उत्तम सुखके प्राप्त करानेमें हेतु हैं। तभी तो इनको जैनधर्ममें लोकमूढ़ता शब्द द्वारा सम्बोधित किया गया है। इसको लक्ष्यकर स्वामी समन्तभद्र रत्नकरण्डश्रावकाचार में कहते हैं—

आपगासागरस्नानमुच्चवयः सिक्तावमनाम् ।

गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते ॥ २२ ॥

अथर्वा नदीमें स्नान करना, समुद्रमें स्नान करना, बालू और पत्थरों का ढेर करना, पहाड़से गिरकर प्राणोत्सर्ग करना और अग्निमें कूदकर प्राण दे देना—ये सब लोकमूढ़ताएँ हैं। इन्हे या इसी प्रकारकी प्रचलित अन्य क्रियाओंको धर्म माननेवाला अज्ञानी है।

यहाँ हमारा किसी एक धर्मकी निःदा करना और दूसरे धर्मकी प्रशंसा करना प्रयोजन नहीं है। इस प्रकरणको इस दृष्टिकोण से देखना भी नहीं चाहिए। धर्मकी मीमांसा करते हुए वह क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, इतना बतलाना मात्र इसका प्रयोजन है। अज्ञान मनुष्यकी दामता है और सम्यग्ज्ञान उसकी स्वतन्त्रता, इस तथ्यको हृदयमध्य करनेके बाद ही यहाँ पर धर्मके सम्बन्धमें जो कुछ कहा जा रहा है उसकी महत्ता समझमें आ सकती है। लोकमें धर्मके नाम पर अज्ञान-भूलक अनेक मान्यताएँ और क्रियाकाण्ड प्रचलित हैं, परन्तु वे सब मनुष्य की परतन्त्रताकी ही निशानी हैं। वास्तवमें उन्हे धर्म भानना धर्मका उपहास करनेके ममान है। धर्म यदि लौकिक दृष्टिसे हित करनेवाला और लोकोत्तर पदार्थ है और प्रत्येक प्राणीका हित करनेवाला है तो वह किसीको अज्ञानी बनाये रखनेमें सहायक नहीं हो सकता।

जैनधर्मकी व्याख्या—

द्रव्य छह हे—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनमें पौच्छ द्रव्य जड़ होकर भी स्वयं अपने-अपने गुण-पर्यायों से सम्पन्न और स्वप्रतिष्ठ हैं। इनका अन्य द्रव्योंके साथ सयोग होनेपर भी वे अपने स्वरूपमें वी निमग्न रहते हैं। किन्तु चेतन होकर भी जीव द्रव्यकी स्थिति इससे कुछ भिन्न है। यद्यपि अन्य द्रव्योंके समान जीव द्रव्य भी स्वयं अपने गुण-पर्यायोंसे सम्पन्न और स्वप्रतिष्ठ है। तथा अन्य द्रव्यका सयोग होने पर वह भी अपने स्वरूपसे च्युत नहीं होता। एक द्रव्य फिर चाहे वह जड़ हो या चेतन अपने स्वरूपको छोड़कर अन्य द्रव्यरूप कभी नहीं होता^१। जीव द्रव्य इसका अपवाद नहीं हो सकता। न्यायका मिद्दान्त है कि मत्का विनाश और असत् का उत्पाद नहीं होता,^२ इस कथनका भी

१. 'भावस्स गतिव वासो गतिव अभावस्स चेव उप्पादो।' पञ्चास्तिकाय गा० १५

२. 'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत।' भगवद्गीता अ० २ इतोक १५

यही आशय है। यदि विविहित द्रव्य अपने स्वरूपको छोड़कर अन्य द्रव्य-रूप परिणामन करने लगे तो वह सत्‌का विनाश और असत्‌का उत्पाद ही माना जायगा। किन्तु ऐसा होना त्रिकालमें सम्भव नहीं है, इसलिए जीवद्रव्य अपने स्वरूपको छोड़कर कभी भी अन्य द्रव्यरूप नहीं होता यह तो स्पष्ट है। तथापि इसका अनादिकालसे पुद्गल द्रव्य (कर्म और नोकर्म) के साथ एक स्वेच्छावयवहृष्ट सयोग होनेसे इसने उस सयुक्त अवस्था को ही अपना स्वरूप मान लिया है। जो इसका ज्ञान और दर्शन स्वरूप आन्तर जीवन है उसको तो यह भूला हूआ है और संसारमें सयुक्त अवस्था होने के कारण अज्ञानवश उनमें ही इसकी स्वरूपबुद्धि हो रही है, उनका ही 'स्व' मान रहा है। इतना ही नहीं, जो मकान, घन-सम्पदा आदि अपने से सबैथा भिन्न पदार्थ है उनमें भी ममकार और बहंकार करता आ रहा है। इस कारण यह लोकमें परस्पर विरुद्धताको लिये हुए अनेक प्रकार की चेष्टाएँ करता रहता है। कभी शरीर और धनादिके हानि-लाभमें अपना हानि-लाभ मानता है। कभी लोकमान्य कुलमें उत्पन्न होने पर अपनेको कुलीन और कभी लोकनिन्दित कुलमें उत्पन्न होकर अपनेको अकुलीन अनुभव करता है। कभी मनुष्यादि पर्यायिका अन्त होनेपर आत्माका भरण मानता है और कभी नूतन पर्याय मिलने पर आत्मा की उत्पत्ति मानता है। तात्पर्य यह है कि कर्मके सयोगसे जितने मी स्तेल होते हैं उन सबको यह अपना स्वरूप ही समझता है। जीव और पुद्गलके सयोगसे उत्पन्न हुई इन विविध अवस्थाओंमें यह इतना भूला हूआ है जिससे अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्वको पहिचान कर उसे प्राप्त करने की ओर इसका एक क्षण के लिए भी ध्यान नहीं जाता। किन्तु जीवकी इस शोचनीय अवस्थासे उसीकी विडम्बना हो रही है। इससे निस्तार पानेका यदि कोई उपाय है तो वह यही हो सकता है कि यह जीव सर्व प्रथम योग्य परीक्षा द्वारा अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्वकी पहिचान करे। इसके बाद बाधक कारणों से दूर होकर उसे प्राप्त करनेके उद्दमें लग जाय।

जीवका यह कर्तव्य ही उसका धर्म है। धर्म और अधर्मकी व्याख्या करते हुए स्वामी समन्तभद्र रत्नकरण्डशावकाचार में लिखते हैं—

सद्दृष्टिः-ज्ञान-हृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु ।

यद्योप्रत्यनीकानि मवन्ति मवपद्धति ॥३॥

अथर्वा धर्मके ईश्वर तीर्थकरोने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको धर्म कहा है। तथा इनके विपरीत मिथ्यादर्शन, मिथ्या-ज्ञान और मिथ्याचारित्र संसार के कारण हैं।

जो श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र जीवकी स्वतन्त्रताकी प्राप्ति में प्रयोजक हैं वे सम्यक् हैं और जो श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र जीवकी परतन्त्रतामें प्रयोजक हैं वे मिथ्या हैं। इनके सम्यक् और मिथ्या होनेका यही विवेक है। तथा इसी आधारपर धर्म और अधर्मकी पहचान की जाती है। धर्मके इस स्वरूपको आचार्य कुन्दकुन्दने प्रबचनसारमें इन शब्दोंमें व्यक्त किया है—

चारित्तं खलु धर्मो धर्मो जो सो समो त्ति णिदिहो ।

मोहक्षोह विहीणो परिणामो अप्पणो हु समो ॥७॥

इस गाथामें मुख्य रूपसे तीन शब्द आये हैं—चारित्र, धर्म और सम। ससारी जीवकी स्वातिरिक्त शरीर आदिमें और शरीर आदिके निमित्त से उत्पन्न होनेवाले मात्रोंमें 'अहम्' दुष्टि हो रही है। इसके क्षुभित होने का यही कारण है। जितनी मात्रामें इसके क्षोभ पाया जाता है यह अपने सम परिणामसे च्युत होकर उतनी मात्रामें दुखी होता है। बाह्य धन-विभवादि और स्त्री, पुत्र, कुटुम्बादि सुख के कारण हैं और इनका अभाव दुखका कारण है ऐसा मानना भ्रम है, क्योंकि अन्तरग में मोह और क्षोभके होने पर ही इनके सद्भावको उपचारसे सुख और दुखका कारण कहा जाता है। वास्तवमें दुखका कारण नो आत्माका मोह और क्षोभरूप आत्मपरिणाम ही है और सुखका कारण इनके अभावरूप सम परिणाम है, इसलिए आत्माका एकमात्र सम परिणाम ही धर्म है और

धर्म होने से वही उपादेय तथा आचरणीय है। यहाँ पर हमने क्षोभका कारण मोहको बतलाया है। पर उसका आशय इतना ही है कि मोह और क्षोभ इन दोनोंमें मोहकी मुस्यता है। मोहका अभाव होने पर क्षोभ का अभाव होनेमें देर नहीं लगती। मोहभावके सद्भावमें अपनेसे सर्वथा जिन्न पदार्थोंमें अभेद—अद्वैत बुद्धि होती है और क्षोभभावके सद्भावमें भगकार बुद्धि होती है। चाहे 'अहम्' बुद्धि हो या ममकार बुद्धि, हैं ये दोनों ससार को बढ़ाने वाली ही। वे महापुरुष धन्य हैं जिन्होंने इनपर विजय प्राप्त कर ससार के सामने धर्मका आदर्श उपस्थित किया है। जैनधर्म एकमात्र इसी धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। उसे आत्मधर्म कहनेका यही कारण है। पर्याय रूप में 'जिन' उस आत्माका नाम है जिसने मोह और क्षोभ पर विजय प्राप्त कर ली है। अतः उनके द्वारा प्रतिपादित धर्मको जैनधर्म या आत्मधर्म कहना उचित ही है। जैनधर्मकी यह सामान्य व्याख्या है। इसके अन्तर्गत वे सब व्याख्याएँ आ जानी हैं जो जैनसाहित्यमें यत्र-तत्र प्रयोजन विशेषको ध्यानमें रखकर की गई हैं।

सम्यग्दर्शन धर्म और उसका अधिकारी—

यहाँ तक हमने जैनधर्मके मूल स्वरूपका विचार किया। यहाँ उसके एक अग सम्यग्दर्शनका विचार करना है और यह देखना है कि जैनधर्म—का यह अवश्य किस गतिमें किस मर्यादा तक हो सकता है। यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि धर्मके अवश्य तीन हैं—सम्यग्दर्शन, सम्यज्ञान और सम्यक्चारित। आत्माकी स्वतन्त्रता और मोक्ष इन दोनोंका अर्थ एक है, इसलिए इन तीनोंको मोक्षमार्ग भी कहते हैं,^१ क्योंकि इन तीनों रूप होनेसे आत्माको पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करनेमें पूरी सहायता मिलती है। यदि कहा जाय कि आत्मस्वरूप इन तीनोंकी प्राप्ति ही परिपूर्ण मोक्ष है तो कोई असुवित न होगी। इनमेंसे सर्व प्रथम सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है। सम्यज्ञान उसका अविनाभावी है। सच्चे देव, गुरु

और शास्त्र तथा जीवादि सात तत्त्वोंकी हड़ श्रद्धा होना यह सम्यग्दर्शन का बाह्य रूप है। तथा स्व और परका भेदविज्ञान होकर मिथ्या श्रद्धा का अभाव होना यह उसका आभ्यन्तर रूप है। वह किसके उत्पन्न होता है इस प्रश्न का उत्तर देते हुए षट्खण्डागममें कहा है कि वह पञ्चेन्द्रिय सज्जी और पर्याप्तिक जीवके ही उत्पन्न हो सकता है, अन्यके नहीं। षट्खण्डागमका वह वचन इस प्रकार है—

सो पुण पर्विदिवो सण्णी मिच्छाइट्टी पञ्चतत्त्वो सञ्चितिसुद्धो^१।

यहाँ पर हमने सूत्रमें आये हुए 'मिच्छाइट्टी' पदका अर्थ छोड़ दिया है, क्योंकि यह प्रकरण प्रथमोपशमसम्यग्दृष्टिका है। इसको उत्पन्न करने वाले जीवका सूक्ष्मोक्त अन्य विशेषताओंके माथ मिथ्यादृष्टि होना आवश्यक है। किन्तु अन्य किमी सम्यग्दर्शनको उत्पन्न करने वाले जीव का मिथ्यादृष्टि होना अनिवार्य नहीं है। इन विशेषताओंसे युक्त किस जीवके यह सम्यग्दर्शन होता है इस प्रश्नका उत्तर देते हुए इमी सूत्रकी टीकामें कहा है कि वह देव, नारकी, तिर्यक्त्र और मनुष्य इनमेंसे किसी भी जीवके हो सकता है। टीका-वचन इस प्रकार है—

सो देवो वा जेरहको वा तिरिक्षो वा मणुसो वा।

इस प्रकार इस कथनमें यह स्पष्ट हो जाता है कि सामान्यसे सम्यग्दर्शन चारों गतियोंमेंसे किसी भी गतिके जीवके उत्पन्न हो सकता है। यह नहीं है कि नरककी अपेक्षा प्रथम नरकका नारकी ही सम्यग्दर्शन उत्पन्न कर सकता है और द्वितीयादि नरकोंका नारकी नहीं उत्पन्न कर सकता। तिर्यक्त्रोंमें भी कोई बन्धन नहीं है। जो गधा अपनी सेवावृत्ति और सहनशीलताके कारण भारतीय समाजमें अछूत माना जाता है वह भी इसे उत्पन्न कर सकता है और जो मिह दूसरे का वध करके अपनी उदरपूर्ति करता है वह भी इसे उत्पन्न कर सकता है। चूहा प्रतिदिन जिनमन्दिरमें बैदीके ऊपर चढ़कर अपने कारनामोंसे बैदी और जिन-

१. जीवट्राण सम्मतपतिष्ठितिका सूत्र ४।

बिस्मिको अपवित्र करता रहता है। तथा बिल्ली उसी मन्दिरमें प्रवेशकर चूहेका वध करनेसे नहीं चूकती। इस प्रकार जो निकृष्ट योनिमें उत्पन्न होकर भी ऐसे जघन्य कर्ममें लगे रहते हैं वे भी सम्यगदर्शनको उत्पन्न कर सकते हैं। धर्मके माहात्म्यको दिखलाते हुए स्वामी समन्तभद्र रत्नकरण्डश्रावकाचारमें कहते हैं—

स्वापि देवोऽपि देवः इवा जापते धर्मकिलिवात् ।

काऽपि नाम भवेदन्या सम्पदमाञ्छरीरिणाम् ॥२६॥

अर्थात् धर्मके माहात्म्यसे कुत्ता भी मरकर देव हो जाता है और पापके कारण देव भी मरकर कुत्ता हो जाता है। धर्मके माहात्म्यसे जीव-ज्ञारियोंको कोई ऐसी अनिवार्यी सम्पत्ति प्राप्त होती है जिसकी कल्पना करना शक्तिके बाहर है।

चारों निकायके देव तो सम्यगदर्शनको उत्पन्न कर ही सकते हैं। किन्तु इस अपेक्षासे मनुष्योंकी स्थिति तियंञ्चोसे मिन्न नहीं है। जिसको मारतवर्षमें उच्चकुली कहते हैं वह तो सम्यगदर्शन प्राप्त करने का अधिकारी है ही। किन्तु जो चाण्डाल-जैसे निकृष्ट कर्मसे अपनी आजीविका कर रहा है वह भी सम्यगदर्शनको उत्पन्न कर सकता है। उसका काल्पनिक अछूतपन इसमें बाधा नहीं ढाल सकता। स्वामी समन्तभद्र रत्नकरण्डश्रावकाचार में कहते हैं—

सम्यगदर्शनसम्पन्नमपि भातंगवेहजम् ।

देवा देवं विद्युर्भस्मगृहांगारान्तरोजसम् ॥२८॥

अर्थात् जो मनुष्य सम्यगदर्शनसे सम्पन्न है वह चाण्डालके कुलमें उत्पन्न होकर भी देव है अर्थात् बाह्यण है या उत्कृष्ट है ऐसा जिनदेव कहते हैं। उसकी दशा उस अगारेके समान है जो भस्मसे आच्छादित होकर भी भीतरी तेज से प्रकाशमान है।

धर्ममें जाति और कुलको स्थान नहीं - -

मनुष्य गतिमें चाण्डालसे निकृष्ट कर्म अन्य किसीका नहीं होता।

इस कर्मको करनेवाला व्यक्ति भी जब सम्यग्दर्शन जैसे लोकोत्तर धर्मका अधिकारी हो सकता है तब अन्यको इसके अधिकारी न माननेकी चर्चा करना कैसे सम्भव हो सकता है। बास्तवमें जैनधर्ममें ज्ञानकी विपुलता, लौकिक पूजा-प्रतिष्ठा, इक्ष्वाकु आदि कुल, ब्राह्मण आदि जाति, शारीरिक बल, धनादि सम्पत्ति, तप और शरीर इनका महत्व नहीं है। इस धर्ममें दीक्षित होनेवाला तो ज्ञानादिजन्य आठ मदोंसे दूर रहकर ही उसका अधिकारी होता है। इतना सब होते हुए भी जो जाति, रूप, कुल, ऐश्वर्य, शील, ज्ञान, तप और बलका अहकार कर दूसरे धर्मात्माओं का अनादर करता है वह अपने धर्मका ही अनादर करता है।^१ उसके नीच गोत्रकर्मका बन्ध होता है।^२ जाति और कुल का तो अहकार इस-लिए भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काल्पनिक हैं।^३ लोक में जन्मके बाद प्रत्येक व्यक्तिके नाम रखने की परिपाटी है। इससे विवक्षित अर्थ का बोध होने में बड़ी सहायता मिलती है। चार निषेपोंमें नामनिषेप माननेका यही कारण है। किन्तु इतने मात्रसे नामको बास्तविक नहीं माना जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार माताके उदरसे शरीरकी उत्पत्ति होती है उस प्रकार उसके उदरसे नामकी उत्पत्ति नहीं होती। यह तो उसके पृथक् अस्तित्वका बोध कराने के लिए माता-पिता आदि बन्धुवर्ग के द्वारा रखा गया सकेतमात्र है। जाति और कुलके अस्तित्वकी लगभग यही स्थिति है। ब्राह्मण आदि जाति और इक्ष्वाकु आदि कुल न तो जीवरूप हैं, न शरीररूप हैं और न दोनों रूप हैं। बास्तवमें ये तो प्रयोजन विशेषसे रखे गये सकेतमात्र हैं, अतः धर्मके धारण करनेमें न तो ये बाधक हैं और न साधक ही। हाँ, यदि इनका अहकार किया जाता है तो अवश्य ही इनका अहकार करनेवाला मनुष्य सम्यग्दर्शनको उत्पन्न करने का पात्र नहीं होता, धर्मधारण करने की बात ही निराली है, क्योंकि जाति

१. रत्नकरण्ड० श्लोक २६।

२. बन्धारधर्माभ्युत अ० ३ श्लोक ८८ की टीका में उद्धृत।

३. घबला टीका, कर्मप्रकृति, अनुशोधद्वार।

का सम्बन्ध आत्मासे न होकर शरीर सम्बन्धी आजीविका से है और शरीर मवका मूल कारण है, इसलिए जो धर्मचिरण करते हुए जातिका आग्रह करते हैं वे सप्तारसे मुक्त नहीं होते^१। धर्म आत्माका स्वभाव है। उमका सम्बन्ध जाति और कुलसे नहीं है। आयं हो या म्लेच्छ, ब्राह्मण हो या शूद्र, भारतवासी हो या भारतवर्षसे बाहरका रहनेवाला, वह हृष्ण, शक और यवन ही क्यों न हो, धर्मको स्वीकार करना और उम पर अमल कर आत्मोन्नति करना उमकी अपनी आन्तरिक तैयारी (योग्यता) और अधिकारकी बात है।^२ स्वयं तीर्थंकर जिन्होने जैनधर्मका उपदेश देकर समय-समयपर मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति चलाई वे भी किसी मनुष्यके इस प्राकृतिक अधिकारको छीनने की सामर्थ्यं नहीं रखते।

गतिके अनुसार धर्मधारण करनेकी योग्यता—

किस गतिका जीव कितनी मात्रामें धर्मको धारण कर सकता है जैनधर्ममें इसका स्पष्ट निर्देश किया है। वह क्षपरसे लादा गया बन्धन नहीं है। वस्तुतः उस गतिमें उत्पन्न हुए जीवोंकी गतिसम्बन्धी योग्यता और प्राकृतिक नियमोंको (मनुष्य निर्मित नियमोंको नहीं) जानकर ही जिस गतिमें जितनी मात्रामें धर्मका प्रकाश सभव है उस गतिमें वह उतनी मात्रा में कहा गया है। उदाहरणार्थ—देवगतिमें सब देवोंमें अपने अपने ऋत्र और आयुके अनुसार भोजन, इवासोच्छ्वास और कामोपभोगका कालनियम है। कोई देव अनाहार त्रतसे प्रतिज्ञात होकर एकादिबारके आहारका त्याग करना चाहे या प्राणायामके नियमानुसार विवक्षित समयमें इवासोच्छ्वास न लेना चाहे या ब्रह्मचर्यव्रतसे प्रतिज्ञात होकर कामोपभोगका वर्जन करना चाहे तो वह ऐसा नहीं कर सकता। अधिक मात्रामें आहार लेकर शरीरको पुष्ट कर ले या कुछ काल तक आहारका त्याग कर उसे कुश कर डाले यह

१. समाजितन्त्र ग्लो० ८८।

२. शूद्रोऽनुपस्कराचारवपुः शुद्ध्याऽस्तु तावृषः ।

जात्या हीनोऽपि कालादिलक्ष्यौ ह्यात्मास्ति धर्मभाष्ट ॥

भी वहाँ पर सम्भव नहीं है। इसी प्रकार भोगोपभोगके जो साधन वहाँ पर उपलब्ध हैं उनमें घटाबढ़ी करना भी उसके बसकी बात नहीं है। वह विक्रिया द्वारा थोटे-बड़े उत्तरशारीरको बना सकता है और आमोद-प्रमोद के या भयोत्पादक नानाप्रकारके साधन भी उत्पन्न कर सकता है पर यह सब खेल विक्रियामें ही होता है। वहाँ प्राप्त हुए मूल शरीर और प्राकृतिक जीवनमें नहीं। वहाँ प्राप्त हुए प्राकृतिक साधनोमें भी घटाबढ़ी नहीं होती। यही कारण है कि देवोमें आन्तरिक आचारधर्मके प्राप्त करनेकी योग्यता न होनेसे वहाँ उसका निषेध किया है। भोगभूमि और नरकगतिकी स्थिति देवगतिके ही समान है।

तिर्यञ्चगतिमें आहार-पानीका यथेच्छ ग्रहण और त्याग दोनों सम्भव है किन्तु वे हिंसादि विकारोंके त्यागकी जीवनमें स्थूल रेखा ही खीच सकते हैं। ध्वलामें एक उदाहरण आया है कि जो तिर्यञ्च देशसंयमके अन्तर्गत शुद्ध मोजनका नियम ले लेते हैं उन्हें दूसरे तिर्यञ्च सूखे पत्ते आदिका मोजन उपलब्ध कराते रहते हैं। तिर्यञ्च पर्यायमें इससे आगे जाना उन्हें भी सम्भव नहीं है, इसलिए उनमें सम्यग्दर्शनके साथ आशिक आचारधर्म के प्राप्त कर सकनेकी योग्यताका विवान किया गया है।

किन्तु मनुष्यगतिमें मनुष्योकी स्थिति अन्य गतियोंसे सर्वथा भिन्न है, क्योंकि न्यूनाधिक मात्रामें अन्यत्र जो बाधा दिखलाई देती है वह इनमें नहीं देखी जाती। मनुष्यका मार्ग चारों ओरसे खुला हुआ है। उसमें खेत, शरीर, जाति और कुल ये बाधक नहीं हो सकते। म्लेच्छक्षेत्र, जाति और कुलका ही मनुष्य क्यों न हो, न तो उसमें किसी प्रकारकी शारीरिक कमी दिखलाई देती है और न आध्यात्मिक कमी ही दिखलाई देती है। वह तीर्थकरोंके द्वारा दिये गये उपदेश को सुनकर सम्यग्दर्शनका अधिकारी हो सकता है, अहिंसादि देशव्रतों और महाव्रतोंको पूर्णरूपसे जीवन में उतार सकता है, वस्त्रादिका त्याग कर नग्न रह सकता है, खड़े होकर दिनमें एक बार लिये हुए मोजन पर निर्वाह कर सकता है, स्वयं अपने हाथसे केशोंका उत्पाटन कर सकता है, बन, नदीतट, इमशान

और गिरिगुफामे निवाम कर सकता है, अन्य प्राणियोंके द्वारा उपसर्ग किये जाने पर उनको सहन कर सकता है तथा ध्यानादि उपायोंद्वारा आत्माकी साधना कर सकता है। इसके लिए न तो कर्मभूमिके किसी विवक्षित क्षेत्रमें उत्पन्न होना आवश्यक है और न किसी विवक्षित जाति और कुलमें ही उत्पन्न होना आवश्यक है। उदाहरणार्थ—किसी तथाकथित शूद्रको सद्गुरुका समागम मिलने पर उपदेश सुनकर उसका भाव यदि बीतराग जिन-मुद्राको धारण करनेका होता है तो उसके पारीर और जीवन में ऐसी कोई प्राकृतिक बाधा दिखलाई नहीं देती जो उसे ऐसा करनेसे रोकती हो। वस्तुतः जैनधर्ममें वही प्राणी धर्म धारण करनेके लिए अपाप्त माना गया है जिसके जीवनमें उसे धारण करनेकी योग्यता नहीं होती। यथा—असज्जी जीव धर्म धारण नहीं कर सकते, क्योंकि मन न होनेसे उनमें आत्मासम्बन्धी हिताहितके विचार करनेकी योग्यता नहीं होती। सज्जियोंमें जो अपयाप्त है, अर्थात् जिनके पारीर, इद्वियाँ और मनके निर्माण करने लायक पूरी योग्यता नहीं आई है वे भी इसी कोटि के माने गये हैं। पर्याप्तकोमें भी पारीर, इद्वियाँ और मनका पूरा विकास होकर जब तक उनमें अपने आत्माके अस्तित्वको स्वतन्त्ररूपसे जानने और समझने की योग्यता नहीं आती तबतक वे भी धर्मको धारण करनेके लिए पाप्त नहीं माने गये हैं। इनके सिवा शेष सब संसारी जीव अपनी-अपनी गति और कालके अनुसार धर्म धारण करनेके लिए पाप्त है यह उक्त कथन का तात्पर्य है। जैनधर्ममें किसीके साथ पक्षपात नहीं किया गया है। यह इसीसे स्पष्ट है कि सम्मूच्छ्लेन तिर्यङ्गचोंमें यह योग्यता जन्मसे अन्तर्मुहूर्त बाद ही^१ और गर्भज तिर्यङ्गचोंमें गर्भके दो महीनोंके बाद ही स्वीकार कर ली गई है^२ जबकि मनुष्योंमें ऐसी योग्यता आनेके लिए लगभग आठ वर्ष स्वीकार किये गये हैं।^३ क्यों? यह इसलिए नहीं कि तिर्यङ्गच मनुष्योंसे बड़े हैं, बल्कि इसलिए कि तिर्यङ्गचको इस प्रकारकी योग्यताको जन्म देने

^१ जीवस्थान कालानुयोगद्वारा सूत्र ५६ घबला दीका। ^२ जीवस्थान कालानुयोग-द्वारा सूत्र ६४ घबला दीका। ^३ जीवस्थान कालानुयोगद्वारा सूत्र ८२ घबला दीका।

के लिए उतना समय नहीं लगता जितना मनुष्यको लगता है।

एक बात और है जिसका सम्बन्ध चारित्रसे है। जैनधर्ममें चारित्र स्वावलम्बनका पर्यायवाची माना गया है। यहाँ स्वावलम्बनसे हमारा तात्पर्य मात्र आत्माके अवलम्बनसे है। इस प्रकारका पूर्ण स्वावलम्बन तो माधु-जीवनमें ध्यान अवस्थाके होनेपर ही होता है। इसके पूर्व वह बुद्धिपूर्वक स्वीकार किये गये सब प्रकारके परिग्रहका त्याग करता है। शरीर भी एक परिग्रह है। इतना ही क्यों? जो कर्म आत्मासे सम्बन्धको प्राप्त हुए हैं और उनके निमित्तसे जो रागादि भाव उत्पन्न होते रहते हैं वे भी परिग्रह हैं। किन्तु ये शरीरगदि परिग्रह ऐसे हैं जिनका त्याग केवल सकल्प करनेसे नहीं हो सकता। साधु-जीवनकी चरितार्थता ही इसीमें है कि वह रागादि भावोंके परवश न होकर उत्तरोत्तर ऐसा अभ्यास करता रहे जिससे उसका अन्तरग परिग्रह भी कम होनेकी दिक्षामें प्रगति करता हुआ अन्तमें निःशेष हो जाय। इसलिए साधु-जीवनकी प्रारम्भिक मर्यादाका निर्देश करते हुए आगममें यह कहा गया है कि जिस परिग्रहको यह जीव बुद्धिपूर्वक त्याग सकता है और जिसका साधुजीवनमें रचमात्र भी उपयोग नहीं है उसका त्याग करनेपर ही साधु-जीवन प्रारम्भ होता है। जो नहीं त्याग सकता वह गृहस्थ अवस्थामें रहता हुआ भी मोक्षमार्गका अभ्यास कर सकता है। किन्तु जबतक यह जीव बुद्धिपूर्वक स्वीकार किये गये परिग्रह का पूर्णरूपसे त्याग नहीं करता तब तक उसके अन्तरंग परिग्रहका वियुक्त होना सम्भव नहीं है, क्योंकि लगोटीके परिग्रहमें ममकार भाव बना रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस गतिमें धर्मकी जो सीमा निश्चित की गई है वह उस गतिकी योग्यता और प्राकृतिक नियमोंके आधार पर ही की गई है, रागी जीवोंके द्वारा बनाये गये कृत्रिम नियमोंके आधार पर नहीं।

सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति के साधन

सम्यग्दर्शनके उत्पन्न होनेके अन्तरग और वहिरण्य साधन क्या हैं

इनका जैन-साहित्यमें विस्तारके साथ विचार किया है। बाहु-साधनोंका निर्देश करते हुए वहाँ पर बतलाया है¹ कि नरकमें सम्यगदर्शनको उत्पन्न करनके मुख्य साधन तीन हैं—जातिस्मरण, धर्मश्रवण और वेदनाभिमव। भवनत्रिक और कल्पोपयन्न देव प्रथमादि तीन नरक तक ही जाते हैं। कोई कृतूहलवश जाते हैं, कोई अपने पूर्व भवके वैरका बदला लेने जाते हैं और कोई अनुरागवश जाते हैं। उनमेंसे बहुतसे देव नारकोंके दारुण दुःखको देख कर दयार्द्र हो उठते हैं और उन्हें धर्मका उपदेश देने लगते हैं। इसलिए तीसरे नरक तक सम्यगदर्शन उत्पन्न करनेके ये तीनों साधन पाये जाते हैं। किन्तु चौथे आदि नरकोंमें देवोंका जाना सम्भव न होनेसे वहाँ जातिस्मरण और वेदनाभिमव मात्र ये दो ही साधन उपलब्ध होते हैं। यहाँ कृत्रिम या अकृत्रिम जिन-चैत्यालय न होनेसे तथा तीर्थकरोंके गम्भीर कल्याणक न होनेसे जिन-विभवदर्शन या जिनमहिमदर्शन नामक साधन नहीं उपलब्ध होता।

तिर्यञ्चोंमें सम्यगदर्शनको उत्पन्न करनेके ये तीन साधन हैं—जाति-स्मरण, धर्मश्रवण और जिनविभवदर्शन। यह तो स्पष्ट है कि सज्जी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यञ्चोंका बास मछलीकोमें है। उनमेंसे जो तिर्यञ्च ढाई द्वीपमें बास करते हैं उनमेंसे किन्हींको साक्षात् तीर्थकरोंके मुख्यार-विन्दसे, किन्हींको गुरुओंके मुखसे और किन्हींको सम्यगदृष्टि अन्य मनुष्यों या देवोंके मुख से धर्मोपदेश मिलना सम्भव है। जैन-साहित्यमें ऐसे अनेक कथानक आये हैं जिनमें अनेक तिर्यञ्चोंके धर्मोपदेश सुनकर सम्यक्त्व-लाभ की घटनाओंका उल्लेख है। ढाई द्वीपके बाहर ऋद्धि-सम्पन्न मनुष्योंका भी गमन नहीं होता, इसलिए वहाँ पर निवास करने-वाले तिर्यञ्चोंको एकमात्र देवोंके निमित्तसे ही धर्मोपदेश मिल सकता है। इस प्रकार इन तिर्यञ्चोंमेंसे किन्हींको जातिस्मरणसे और किन्हींको धर्मश्रवणसे सम्यगदर्शनकी उत्पत्ति होती है। साथ ही ऐसे भी बहुतसे तिर्यञ्च हैं जिन्हें जिनविभवदर्शनसे भी इसकी उत्पत्ति होती हुई देखी

१. चौवस्थान गति-आगतिचूलिका सूक्त ६ से लेकर। सर्वांशिद्धि ग० १ सू० ७।

जाती है, क्योंकि जिन तियंच्रों को पूर्वभवका सम्कार बना हुआ है या वर्तमान समयमें धर्मोपदेशका लाभ हुआ है उनके कृतिम या अकृतिम जिन-चेत्यालयमें प्रदेश कर जिन-प्रतिमाके दर्शन करने से सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति होना सम्भव है, अन्यथा जिनविम्बदर्शन तियंच्रोंमें सम्यग्दर्शन की उत्पत्तिका कारण नहीं बन सकता।

तियंच्रोंके समान मनुष्योंमें भी सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिके ये ही तीन साधन पाये जाते हैं। यद्यपि विद्याधर आदि बहुतसे मनुष्य जिनमहिमा को देखकर भी सम्यग्दर्शन उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनमें सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिके चार कारण कहे जा सकते हैं परन्तु इस साधनका जिनविम्बदर्शनमें अन्तर्भुवि हो जानेसे इसका अलगसे निर्देश नहीं किया है। इसी प्रकार लघुधर्मन ऋषिदर्शन नामक साधनको भी जिनविम्बदर्शनमें ही अन्तर्भूत कर लेना चाहिए।

देवोंमें सम्यग्दर्शन की उत्पत्तिके चार साधन होते हैं—जातिस्मरण, धर्मश्वरण, जिनमहिमदर्शन और देवधिदर्शन। सहकारकल्प तक ये चारों ही साधन होते हैं। किन्तु आगे देवधिदर्शन साधन नहीं होता और नी ग्रीवेयकके देवोंका मध्यलोक आदि में गमन सम्भव न होनेसे जिन-महिमदर्शन नामका साधन भी नहीं होता। शेष दो साधन नीवे ग्रीवेयक तकके देवों में होते हैं। आगे सम्यग्दृष्टि जीव ही जन्मते हैं, इस लिए उनके सम्यग्दर्शन की उत्पत्तिके अनुकूल साधनोंका सवाल ही नहीं उत्पन्न होता।

यह स्मरण रहे कि यहाँ पर चारों गतियोंमें सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति के जो साधन बतलाये गये हैं उनमें जिनविम्बदर्शन भी एक है और इस साधन के आलम्बनमें तियंच्रों तक के सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति होती हुई बतलाई गई है। इससे स्पष्ट है कि यह साधन उन मनुष्यों के लिए भी सुलभ है जिन्हें वैदिक कालसे लेकर अबतक सामाजिक दृष्टिसे हीन माना गया है। फिर भी यह प्रश्न विशेष विचारके योग्य होनेसे अगले प्रकरण में इस पर स्वतन्त्ररूपसे विचार किया जाता है।

इन साधनोंका अधिकारी मनुष्यमात्र

जैनसाहित्यमें बतलाया है कि तीर्थंकर जिनको केवलशान होने पर उनकी धर्मसभा, जिसे समवसरण कहते हैं, बारह भागो (कोष्ठो) में विभाजित की जाती है। उनमें क्रममें मुनि, कल्पवासियोंकी देवागनाएँ, मनुष्य-स्त्रियाँ, ज्योतिषियोंकी देवियाँ, व्यन्तर देव, कल्पवासी देव, मनुष्य और पशु बैठकर धर्मोपदेश सुनते हैं।^१ समवसरणमें कौन जानेका अधिकारी है और कौन जानेका अधिकारी नहीं है इसका विचार योग्यता के आधार पर किया गया है। एकेन्द्रियोंसे लेकर असभी पञ्चेन्द्रिय तक जितने जीवधारी प्राणी हैं वे मन रहित होने में धर्मोपदेश सुननेकी योग्यता ही नहीं रखते, अतएव एक तो ये नहीं जाते। अभव्य सज्जी भी हो तो भी उनमें स्वभावसे धर्मको प्रहृण करनेकी पात्रता नहीं होती, अतएव एक ये नहीं जाते। यद्यपि जैनसाहित्यमें ऐसे अभव्योंका भी उल्लेख है जो मुनिव्रत धारण कर जीवन भर उसका पालन करते हुए भरकर नीत्रैवयक तकके देवोंमें उत्पन्न होते हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि धर्मोपदेश तो अभव्य जीव भी सुनते हैं अतएव उनकी समवसरण में अनुपस्थितिका निर्देश करना ठीक नहीं है। परन्तु जब हम इसके भीतर निहित तत्त्व पर विचार करते हैं तब यह स्पष्ट हो जाता है कि अभव्य जीव भले ही मुनिव्रत अविकार करते हो, परन्तु ऐसा करते हुए उनकी दृष्टिं लौकिक ही रहती है, पारमार्थिक नहीं, जिसकी पुण्डित अन्य साधुओंके बाह्य आचार और लोकमान्यता आदिको देखकर भी हो जाती है। अतएव सारांशरूपमें यही कलित होता है कि असज्जी जीवों के समान अभव्य जीव भी समवसरणमें नहीं जाते। इसी प्रकार जो विपरीतमार्गी हैं, अस्थिरचित्तवाले हैं और लोक तथा परलोकके विषय में सशयालु होनेसे धर्मकी जिजासा रहित हैं एक वे नहीं जाते। इनके

१. महापुराण पर्व, २३ पल्लो ११३।

सिवा मवनश्चिक और कल्पोपयन्न देव तथा जिस प्रदेश मे धर्मसभा हो रही है, मुख्यरूपसे उस प्रदेशके आर्य-अनार्य सभी प्रकारके मनुष्य और पशु धर्मसभामे उपस्थित होकर धर्मोपदेश सुनते हैं।^१ इस धर्मसभामे मनुष्योमे से केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही उपस्थित हो सकते हो अन्य मनुष्य नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि धर्ममे जो योग्यता ब्राह्मणादि वर्ण-बालोकी मानी गई है वही योग्यता अन्य गर्भज मनुष्योमे भी होती है, अन्यथा नीचगोत्री मनुष्य भी केवली और श्रुतकेबलीके पादमूलमे क्षायिकसम्यदर्शनको उत्पन्न करते हैं^२ और वे देशचारित्र तथा सकल-चारित्रको भी धारण करते हैं इस आशयका आगम बचन नहीं बन सकता है। वास्तवमे समवसरण एक धर्मसभा है। वहाँ मात्र मोक्षमार्गका उप-देश दिया जाता है, क्योंकि यह इसीसे स्पष्ट है कि आदिनाय प्रभुने सराग अवस्था मे ही समाजव्यवस्था के साथ आजीविका के उपाय बतलाये थे, केवलज्ञान होने पर नहीं।^३ इस अवस्था मे यही मानना उचित है कि अन्यवर्णबालो और स्लेच्छोके समान शूद्र वर्णके मनुष्य भी समवसरण और जिनमन्दिर मे जाकर धर्मलाभ लेनेके अधिकारी हैं।

बब थोड़ा आचारधर्मकी दृष्टिसे विचार कीजिये। साधारणत, यह नियम है कि मुनिधर्म को वही मनुष्य स्वीकार करता है जिसके चित्तमे ससार, देह और भोगोके प्रति भीतरसे पूर्ण वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति मे वह अपने इस मावको, अन्य कुटुम्बी इष्ट-मित्रोके प्रति व्यक्त कर उनकी अनुज्ञापूर्वक बनका मार्ग स्वीकार करता है और वहाँ दीक्षकाचार्यों की कुलपरम्परासे सम्बन्ध रखनेवाले ज्ञान-विज्ञानसम्पन्न, अनुभवी और प्रशाममति किसी आचार्यके सानिध्यमे अन्तरग परिग्रहके त्यागके लिए उत्तर हो बाह्य परिग्रहके त्यागपूर्वक मुनिधर्मको अग्रीकार करता है। किन्तु इतना सब कुछ करने पर भी उस समय उसके मुनिधर्म के अनुरूप अन्तरग परिणाम हो ही जाते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है। किसीके बाह्य परिग्रहके त्यागके साथ ही मुनियदके योग्य परिणाम हो

१. तिसोयपश्चिति श्लो० १६२। २. जीवस्थान सम्यक्त्वोत्पत्ति चूलिका शू० ११ शोम्पटसार कर्मकाण्ड शा० ३२। ३. महापुराण यज्ञ २४ श्लो० ७९।

जाते हैं, किसीके कालान्तरमें होते हैं और किसीके जीवनपर्यन्त नहीं होते। चरणानुयोगकी पद्धतिसे वह उस समयसे मुनि माना जाता है, क्योंकि चरणानुयोगमें मुख्यतासे बाह्य आचारका विचार किया गया है। पर करणानुयोगकी पद्धतिसे मावमुनि होना केवल दीक्षाके अधीन नहीं है। मुनिपदके योग्य परिणाम बाह्य परिप्रहका त्याग किये बिना नहीं होते यह तो है, पर बाह्य परिप्रहका त्याग करने पर वे हो ही जाते हैं ऐसा नहीं है। मुनिघर्मको अग्रीकार करनेका यह उत्सर्ग मार्ग है।^१ इसके अपवाद अनेक हैं।

किन्तु शृहस्थघर्मको अग्रीकार करनेकी पद्धति इससे कुछ भिन्न है, क्योंकि इसे केवल मनुष्य ही स्वीकार नहीं करते, तिर्यङ्गच मी स्वीकार करते हैं और द्रतोको स्वीकार करनेवाले सब तिर्यङ्गचोंका किसी गुरुके समक्ष उपस्थित होकर दीक्षा लेना सम्भव नहीं। मनुष्योंमें भी देशविरत शृहस्थके जीवनसे अन्य शृहस्थके जीवनमें ऊपरी बहुत ही कम अन्तर होता है। सामारिक प्रपञ्चमें दोनोंही उलझे हुए होते हैं। केवल देशविरत शृहस्थका जीवन सब कायोंमें मर्यादित होने लगता है और अन्य शृहस्थोंका जीवन मर्यादित नहीं होता। ऊपरसे देखनेमें यह अन्तर बहुत ही कम दिखलाई देता है पर आन्तरिक परिणामोंमें इसका प्रभाव सीमातीत होता है। देशविरत शृहस्थकी अन्य प्रणियोंके साथ व्यवहार करनेमें सीमा होती है, वचन बोलनेमें सीमा होती है, द्रव्यके स्वीकार करनेमें सीमा होती है, स्त्रीके स्वीकार करनेमें सीमा होती है और घनादिके सञ्चय करने तथा भोगोभोगमें सीमा होती है। किन्तु अन्य शृहस्थके जीवनमें ऐसी सीमा परिलक्षित नहीं होती। ऐसी सीमा बांधने के लिए उसे अन्य किमीके पास जाकर प्रतिज्ञात होनेकी आवश्यकता नहीं है। मनमें सकल्प करके उसका निर्वाह करते रहनेसे भी काम चल सकता है। यदि कोई शृहस्थ किसी गुरुके पास जाकर प्रतिज्ञात होता है

^१ प्रबन्धनसार, चारित्र विकार, गाथा २०३।

तो भी कोई हानि नहीं है। उससे लाभ ही है। पर एकमात्र वही मार्ग है ऐसा मानना उचित नहीं है, अन्यथा तिर्यङ्गोमे देशविरत का स्वीकार करना नहीं बन सकेगा। यह गृहस्थयमें और मुनिवर्म को स्वीकार करने की व्यवस्था है। इस पर दूषित डालनेसे भी विदित होता है कि इसमें वर्ण-व्यवस्थाके लिए कोई स्थान नहीं है। जिम धर्ममें सासारिक प्रपञ्च मात्र हेय माना गया है उसमें आजीविकाके आधारसे धर्मको स्वीकार करने और न करनेका प्रदन ही नहीं उठता। वर्णव्यवस्था आजीविका का मार्ग है और धर्म भोक्ताका मार्ग है। इन दोनोंका लेत ही जब अलग-अलग है तब एकके आधारसे दूसरेका विचार करना उचित कैसे कहा जा सकता है।

माना कि आचार्य जिनसेनने गर्भान्वय आदि क्रियाओं और दीक्षान्वय आदि क्रियाओंका निर्देश करते हुए उनका उन्देश मुख्यतया आह्वाणोके लिए दिया है। उन्होंने तीर्थंकर, चक्रवर्ती और इन्द्रपद की प्राप्ति भी इन्हीं क्रियाओं द्वारा कराई है। वहीं इन क्रियाओंको एक पर्याय तक सीमित न रखकर तीन पर्यायोंतक इनका सम्बन्ध स्थापित किया गया है। जो साधारण गृहस्थ है उसके योग्य ये सब क्रियाएँ नहीं हैं। किन्तु जिसमें सब गृहस्थोंके स्वामी होनेकी क्षमता है, जो जिनदीक्षाके बाद मुनिपदमें प्रविष्टित होकर तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध करनेका अधिकारी है, जो मर कर नियम से देव होता है और वहाँ भी जो इन्द्रपदका भोक्ता होता है और जो पुनः मनुष्य होने पर चक्रवर्तीके पदके साथ तीर्थंकर होकर निबिण प्राप्त करता है उसके लिए ये सब क्रियाएँ कहीं गई हैं। इनमें एक लिपिसंक्षान किया है। इस द्वारा तीन वर्णके मनुष्योंको ही लिपिज्ञानका अधिकार दिया गया है। शूद्र क्रियामन्त्र विद्विसे अक्षरज्ञान का अधिकारी नहीं है। वह स्वयं किसी प्रकार अक्षरज्ञान कर ले यह बात अलग है। एक उपनीत किया है। इस द्वारा भी तीन वर्णके मनुष्योंको उपनयन दीक्षा का अधिकारी माना गया है। इसी प्रकार आगे व्रतचर्या आदि जितनी भी क्रियाएँ हैं वे सब द्विजोंके लिए ही कहीं गई हैं।

तात्पर्य यह है कि इन क्रियाओं द्वारा यह दिखलाया गया है कि क्रियामन्त्रोका आश्रय लेकर उत्तरधारण करना, जिनदीका लेना, तीर्थकरपद के योग्य सोलह कारण मावनाओं का विन्तवन कर तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध करना आदि सब कार्य द्विजोंके लिए ही सुरक्षित हैं। यदि शूद्रवर्णके मनुष्योंके लिए वहाँ कोई बात कही गई है तो वह केवल इतनी ही कि ओं दीक्षाके योग्य कुल (तीन वर्ण) में उत्तम्न नहीं हुए हैं और जो विद्या और शिल्पकर्मसे अपनी आजीविका करते हैं उनके उपनयन आदि स्वस्कार करना सम्मत नहीं है। वे यदि उचित उत्तरोंको धारण करते हैं तो उन्हें उचित है कि वे सन्यासपूर्वक मरणके समय तक एक शाटकवनको धारण करके रहे। यह महापुराणके क्रियामन्त्रगर्भ^१ उपदेशका सार है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि महापुराणके उक्त उपदेशके अनुसार शूद्रवर्ण के मनुष्य पूजा आदि सब धार्मिक कर्तव्योंसे वञ्चित हो जाते हैं। वे न तो यज्ञोपवीत पहिन सकते हैं, न गुरुके पास जाकर लिपिज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, न जिनमन्दिरमें जाकर या बाहरसे ही जिनदेवकी अर्चा बन्दना कर सकते हैं और न अतिथि-सत्कारपूर्वक दान ही दे सकते हैं।

किन्तु शूद्रोंके सम्बन्धमें इन तथ्योंको स्वीकार करनेके पहले हमें महापुराणके क्रियामन्त्रगर्भ में इस उपदेशकी समीक्षा करनी होगी। हमें देखना होगा कि आचार्य जिनसेनने इस उपदेशके भीतर जिन तथ्योंका निर्देश किया है वे बीतराग सर्वज्ञदेवकी वाणीके कहीं तक अनुरूप हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हम श्रावकारचारको ही लेते हैं। आचार्य कुन्दकुन्द और स्वामी समन्तभद्रने बतलाया है कि जो अहिंसादि पौर्व अणुद्रतो और सात शीलव्रतोंको धारण करता है वह श्रावक होता है। श्रावकका यह धर्म दाशनिक आदि प्रतिमाओंके भेदसे ग्यारह मायोमें बटा हुआ है जो उक्त बारह व्रतोंको विस्तारमात्र है। इस श्रावकघर्मको धारण करनेका अधिकारी कौन है इसका निर्देश करते हुए वहाँ पर जो बतलाया है उसका

१. देखो, महापुराण पर्व ३८-३९।

सार यह है कि जिसे सम्यगदर्शन और सम्यगज्ञानकी प्राप्ति हो गई है और जो संसार, देह और भोगोको नि सारताको जानकर भी वर्तमानमें मुनि धर्मको स्वीकार करनेमें असमर्थ है वह शावकधर्मके धारण करनेका अधिकारी है। जैसा कि हम पहले बतला आये हैं कि शावकके इस धर्म को मनुष्योकी तो बात छोड़िए स्त्रीया और तिर्यक्ष तक धारण कर सकते हैं और इसे धारण करनेके लिए उन्हें न तो यज्ञोपवीत लेनेकी आवश्यकता है और न अन्य कोई मन्त्रगर्भ किया करनेकी। स्पष्ट है कि मुनि और शावकाचारका उपदेश और क्रियामन्त्रगर्भ धर्मका उपदेश इन दोनोंका परस्परमें कोई मेल नहीं है।

आगमकी अन्य मान्यताओंकी दृष्टिमें विचार करनेपर भी हमें इसमें अनेक विरोध दिखाई देते हैं। उनमेंसे यहाँ पर हम एक ही विरोधका निर्देश करेंगे। आगममें तीर्थकर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ मात्र मनुष्य करता है यह तो कहा है पर यह नहीं कहा कि मुनिपद पर आरूढ़ होनेके बाद ही वह उसका बन्ध कर सकता है। इसमें सन्देह नहीं कि तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध सब सम्यग्दृष्टि नहीं करते। जिनके मनमें आत्मकल्याणके साथ ससार के अन्य प्राणियोंके उद्धारकी तीव्र भावना होती है वे ही इसका बन्ध करते हैं। इसके बन्धका प्रारम्भ करनेवाले मनुष्य शावक या मुनि होने ही चाहिये, वह भी क्रियामन्त्रगर्भ धर्मकी विधिसे, ऐसा कोई नियम नहीं है। किन्तु इसके विपरीत जो मात्र अविरतसम्यग्दृष्टि है वे भी इसके बन्धका प्रारम्भ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, किन्तु जिन्होंने नरकायुका बन्ध कर लिया है और जो अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर मिथ्यादृष्टि होकर नरकमें उत्पन्न होनेवाले हैं ऐसे सम्यग्दृष्टि मनुष्य भी इसके बन्धका प्रारम्भ कर सकते हैं। राजा श्रेणिक नरकायुका बन्ध करनेके बाद क्षायिकसम्यग्दृष्टि होकर तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध करते हैं यह क्या है? उनके मुनि होनेकी बात तो छोड़िए, उन्होंने क्रियामन्त्रगर्भ धर्म को अयोकार कर यज्ञोपवीत तक धारण नहीं किया था। फिर भी

वे तीर्थकर प्रकृति जैसे लोकोत्तर पुण्यका सञ्चय कर सके गया यह इस क्रियामन्त्रगम्भ धर्मकी निःसारताको सूचित नहीं करता है ? पद्मपुराण में ऐसे धर्मकी निःसारता का निर्देश करते हुए आचार्य रविषेण कहते हैं—

ब्राह्मिष्वं च यज्ञास्या तन्म युष्टमहेतुकम् ।

ज्ञानं वेदविशेषस्य न च इलोकाग्निसम्बद्धात् ॥ ११-१६४॥

इसमें ब्राह्मणादि चार जातियोकी निःसारताका निर्देश करते हुए कहा गया है कि हेतुके बिना चार जातियोकी मान्यता ठीक नहीं है । कदाचित् जातियोकी पुण्टिमें यह हेतु दिया जाए कि ब्राह्मण आदि का शरीर मन्त्रो और अग्नि के द्वारा सस्कारित होकर उत्पन्न होता है, इसलिए उसमें विशेषता आ जाती है सो ऐसा भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि शूद्रके शरीरसे ब्राह्मण आदिके शरीरमें कोई विशेषता नहीं देखी जाती ।

पद्मपुराणके इस कथनसे स्पष्ट है कि महापुराणमें जिस क्रियामन्त्र-गम्भ धर्मका उपदेश दिया गया है, उसे जैनघर्ममें रचमात्र भी स्थान नहीं है । माना कि पद्मपुराणमें यह इलोक वेदविहित जातिघर्मका निराकरण करनेके लिए आया है । पर वह प्रकृतमें शत प्रतिशत लागू होता है, क्योंकि महापुराणमें भी गर्मन्वय आदि क्रियाओके आश्रयसे उसी वेदविहित धर्म द्वारा जैनघर्मको जातिघर्म बनानेका प्रयत्न किया गया है । इसको स्पष्ट रूपसे समझनेके लिए इसकी मनुस्मृतिके साथ तुलना कर लेना आवश्यक है । इससे विदित होगा कि जिस प्रकार मनुस्मृतिमें उपनयन आदि सस्कार, यज्ञादिकी दीक्षा तथा इज्या आदिका अधिकारी तीन वर्णके मनुष्यों को माना गया है^१ उसी प्रकार यहाँ पर भी उपनयन आदि सस्कार श्रावक-मुनिदीक्षा तथा इज्या आदि का अधिकारी तीन

१. मनुस्मृति अ० १० श्लो० १२६ ।

वर्णके मनुष्योंको ही माना गया है।^१ वहाँ पर जिस प्रकार प्रत्येक वर्णका मनुष्य अपने-अपने घर्मका ठीक तरहसे पालन करता है इस पर नियन्त्रण रखनेका अधिकार राजाको दिया गया है^२ उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रत्येक वर्णका मनुष्य अपने-अपने घर्मका ठीक तरहसे पालन करता है इस पर नियन्त्रण रखनेका अधिकार राजा को ही दिया गया है।^३ और भी ऐसी अनेक बातें हैं जो यह माननेके लिए बाध्य करती हैं कि महापुराणमें प्रतिपादित इस क्रियामन्त्रगर्भ धर्मका सम्बन्ध जैनधर्मके साथ न होकर, मनुस्मृतिके आधारसे ही इसका महापुराणमें उल्लेख हुआ है।

प्रकृतमें यह बात ज्ञातव्य है कि महापुराणमें यह उपदेश भरत चक्र-वर्तकि मुख्यसे दिलाया गया है। साथ ही यह भी ज्ञातव्य है कि आचार्य जिनसेनके पूर्ववर्ती आचार्योंने इसका उल्लेख तक नहीं किया है। यदि हम महापुराणको ही बारीकीसे देखनेहैं तो हमें यह भी स्पष्ट रूप से विदित होता है कि आचार्य जिनसेन स्वयं भगवान् आदिनाथ द्वारा उपदिष्ट मोक्षमार्ग की धर्मपरम्पराको हमें गर्भित करनेका तो प्रयत्न करते हैं परन्तु वे इसे वीतराग वाणी का अग बनानेके लिए प्रस्तुत नहीं हैं। उनके सामने परिस्थिति जो भी रही हो, इसमें सन्देह नहीं कि उनके इस प्रयत्नसे उत्तरकालीन कुछ जैन नाहित्यमें जैनधर्मके प्रतिपादन करने की न केवल दिशा ददल गई है अपितु उसने अपने सर्वोपकारी व्यक्तिवादी गुणको छोड़कर सकुचित वर्गवादी जातिधर्मका रूप ले लिया है।

कहाँ तो जैनधर्मकी यह मान्यता कि आर्य और म्लेच्छ सभी मनुष्य

^१ महापुराण प० ३९ ख्लो० १५८, प० ४० ख्लो० १६५ से। २. मनुस्मृति व० ७ ख्लो० १७-१८। ३. महापुराण प० ४० ख्लोक १६८।

मुनिधर्मके अधिकारी हैं और कहाँ महापुराणकी यह व्यवस्था कि द्विजवर्ण के मनुष्य ही श्रावक और मुनिदीक्षा के अधिकारी है। कहाँ तो जैनधर्मका यह उपदेश कि जो नीचगोत्री मनुष्य मुनिधर्म स्वीकार करते हैं उनका उसे स्वीकार करते समय ही नीचगोत्र बदलकर उच्च गोत्र हो जाता है और कहाँ महापुराणकी यह व्यवस्था कि प्रत्येक वर्ण जन्मसे होता है और शूद्र न तो अपना कर्म ही बदल सकते हैं और न धर्ममें उच्चपदके अधिकारी ही हो सकते हैं। कहाँ तो जैनधर्मका यह उपदेश कि दान और पूजा यह प्रत्येक गृहस्थका दैनिक कर्तव्य है और कहाँ महापुराणकी यह व्यवस्था कि पूजा और दान आदि कर्मोंका अधिकारी एकमात्र द्विज है। कहाँ तो जैन-धर्मकी यह सारगमित देशना कि चाण्डाल भी ब्रतोंको स्वीकार कर ब्राह्मण हो जाता है और कहाँ महापुराणकी यह व्यवस्था कि उपनयन संस्कार करनेसे ब्राह्मण, शत्रिय और वैश्य ही द्विज सज्जाको प्राप्त होते हैं।

विचार करनेसे विदित होता है कि महापुराणकी पूर्वोक्त व्यवस्थाओं के कारण ही जैनधर्ममें शूद्रोंको उनके दैनन्दिनके पूजा आदि वैयक्तिक धार्मिक कर्तव्योंसे वञ्चित किया जाने लगा है। किन्तु जैसा कि हम पूर्वमें बतला आये हैं कि जिनविभ्वदर्शन भी सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका एक निमित्त है और सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चरित्रकी प्राप्ति चाण्डाल आदि शूद्रोंको भी होती है, क्योंकि वे गर्भेज हैं, सज्जी हैं और पर्याप्त हैं। उन्होंने सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके लिए जो जन्मसे आठ वर्ष काल होना चाहिए वह भी पूरा कर लिया है तथा अन्य वर्षालोके समान उनकी भी काललघ्य आ गई हो सकती है,^१ इसलिए वे गृहस्थोंके पूजा आदि सब कर्तव्योंके अधिकारी तो ही ही, साथ ही यदि उन्हें ससार, देह और भोगोंसे वैराग्य हो जाय तो वे मुनिपदके भी अधिकारी हैं। लौकिक कर्म जो उनकी आजीविकाके साधन हैं वे इसमें बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। इतना

अवश्य है कि जिस क्रमसे उनकी आत्मोन्नति होने लगती है उसी क्रमसे उनकी आजीविका भी अपने-अपने पदके अनुरूप होती जाती है। अतः अन्य मनुष्यों और तिर्यङ्गोंके समान शूद्र भी समवसरणमें पहुँचकर धर्मोपदेश सुनते हैं और जिनदेवके दर्शन करते हैं यह मानना उचित ही है।

जिनमन्दिर समवसरणकी प्रतिकृति है। इस विषयको स्पष्ट करते हुए पण्डितप्रबर आशाधरजी सागारधर्मामृतमें कहते हैं—

सेयमास्थापिका सोऽयं जिनस्तेऽमी सभासदः ।
चिन्तयन्निति तत्रोच्चरनुभोदेत धार्मिकान् ॥ ६-१० ॥

जहाँ साक्षात् जिनदेव विराजमान होते हैं वह समवसरण यही है जो जिनमन्दिरके रूपमें हमारे सामने उपस्थित है। जो जिनदेव गन्धकुटीमें विराजमान होते हैं वे जिनदेव यही हैं जो जिनमन्दिरमें बेदीके ऊपर मुशोधित हो रहे हैं। तथा जो सभासद समवसरणमें बारह कोठोंमें बैठकर धर्मोपदेश सुनते हैं वे सभासद यही तो हैं जो जिनमन्दिरमें बैठे हुए हैं। इस प्रकार विचार करता हुआ यह मध्य वहाँ पर प्रतिकर्ममें लगे हुए सब धर्मतिमाओंकी बार-बार अनुमोदना करे।

सागारधर्मामृतका उक्त उल्लेख समवसरण और जिनमन्दिरमें एक-रूपता स्थापित करता है। यदि इनमें कोई अन्तर है तो इतना ही कि समवसरण साक्षात् धर्मसमा है और जिनमन्दिर उसकी स्थापना है। इससे स्पष्ट है कि जो शूद्रादि मनुष्य समवसरणमें जाकर जिनदर्शन और धर्मशब्दके अधिकारी हैं। वे उसके स्थापनारूप जिनमन्दिरमें भी जाकर जिनदर्शन और धर्मशब्दके अधिकारी हैं, क्योंकि धर्मसाधनकी दृष्टिसे साक्षात् जिन और स्थापना-जिनमें कोई अन्तर नहीं है। जो आसन्न मध्य समवसरणमें जिनदेवका दर्शनकर और धर्मोपदेश सुनकर सम्यक्त्व लाभ

कर सकते हैं वे जिनमन्दिरमें भी जिनबिम्बका दर्शनकर और धर्मोपदेश सुनकर सम्यक्त्व लाभ कर सकते हैं, क्योंकि आसन्नभव्यता और कर्महानि आदि गुण अमुक जातिके मनुष्योंमें ही पाये जाते हैं जूदोंमें नहीं पाये जाते ऐसा कोई नियम नहीं है। जिनेन्द्रदेवने उनका प्रकाश चारों गतिके सज्जी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें बतलाया है। इतना अवश्य है कि क्षायिक सम्यक्त्वकी उत्तरित स्थापना जिन आदिके सम्बन्धकट न होकर तीर्थकर केवली, इतर केवली और श्रुतकेवलीके पादमूलमें ही होती है।

सम्यक्चारित्र धर्म और उसका अधिकारी—

सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके समान सम्यक्चारित्र भी धर्मका अग है यह तो हम पहले ही बतला आये हैं। प्रकृतमें उसके अन्तरग और बहिरंग स्वरूपका विचारकर उसे धारण करनेका अधिकारी कौन है इसका निर्णय करना है। धर्ममें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रका ममान स्थान होनेपर भी सम्यग्दर्शनको धर्मका मूल कहा है—दंसणमूलो धर्मो। कारणका निर्देश करते हुए आचार्य कुन्दकुन्द दर्शनप्राभृतमें कहते हैं—

दंसणमट्टा भट्टा दंसणमट्टुस्स णत्थि णिव्वाणं ।
सिज्जांति चरियमट्टा दंसणमट्टा ण सिज्जांति ॥३॥

अर्थात् जो सम्यग्दर्शनसे च्युत है वे धर्मसे ही भ्रष्ट है। उन्हे निवाणिकी प्राप्ति नहीं होती। चारित्रभ्रष्ट प्राणी कालान्तरमें सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं पर सम्यग्यदर्शनसे भ्रष्ट प्राणी सिद्धि प्राप्त करनेके अधिकारी नहीं होते।

इस स्थितिके होते हुए भी जीवनमें चारित्रकी बड़ी उपयोगिता है। मोक्षप्राप्तिका वह अन्तिम साधन है। लक्ष्यका बोध होने पर उसमें निष्ठा सम्यग्दर्शनसे आती है और उसकी प्राप्ति सम्यक्चारित्रसे होती है। तात्पर्य यह है कि जो चारित्र आत्माको लक्ष्यकी ओर ले जाता है उसे

सम्यक् चारित्र कहते हैं। बाह्य और आध्यन्तर के भेदसे वह दो प्रकारका है। राग और द्वेषकी निवृत्ति होकर अपनी आत्मामें स्थित होना आध्यन्तर चारित्र है^१ और उसके सद्भावमें बाह्य प्रवृत्तिरूप बाह्य चारित्र है।^२ बाह्य प्रवृत्तिकी सार्थकता आध्यन्तर चारित्रकी उन्मुखता में^३ है अन्यथा नहीं, इतना यहाँ विशेष समझना चाहिए। अधिकारी भेदसे वह दो प्रकार का है—देशचारित्र और सकलचारित्र। देशचारित्र गृहस्थोंके होता है और सकलचारित्र साधुओंके।^४ सकलचारित्र उत्सर्ग मार्ग है, क्योंकि मोक्षप्राप्तिका वह साक्षात् साधन है और देशचारित्र अपवाद मार्ग है, क्योंकि इसमें ससारके कारण परिग्रह आदिकी बहुलता बनी रहती है।^५ इनमें से देशचारित्र का धारण करनेके अधिकारी मात्र मनुष्य ही होते हैं। यह दोनों प्रकारका धर्म मोक्षकी प्राप्तिमें साधक है, इसलिए इसमें जातिवादका प्रवेश नहीं है। इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए आचार्य रविवेश पद्मचरितमें कहते हैं—

न जातिर्गंहिता काचित् गुणाः कल्याणकारणम् ।

द्रतस्थमपि चाण्डालं तं देवा भाव्याणं विदु ॥२०३॥ पर्व ११ ।

अर्थात् यह शूद्र और चाण्डाल है इसलिए गंहित है और यह ब्राह्मण है इसलिए पूज्य है ऐसा नहीं है। वास्तवमें गुण कल्याणके कारण होते हैं, क्योंकि कर्ममें कोई चाण्डाल ही क्यों न हो यदि वह ब्रती है तो वह ब्राह्मण माना गया है।

तात्पर्य यह है कि जैनधर्ममें धर्मरूपसे प्रतिपादित चारित्रधर्म वर्णात्रिमधर्म नहीं है। किन्तु मोक्षकी इच्छासे आर्य या म्लेच्छ जो भी इसे स्वीकार करते हैं वे इसके अधिकारी होते हैं। और यह हमारी कोरी कल्पना

^१ रत्नकरण्ड स्लो० ४७ । ^२ रत्नकरण्ड स्लो० ४९ । ^३ रत्नकरण्ड स्लो० ५० । ^४ रत्नकरण्ड स्लो० ५० । ^५ सागारधर्मानुष्ठ व० ७ स्लो० ६० ।

नहीं है, क्योंकि जैनधर्म तो इसे स्वीकार करता ही है, मनुस्मृति भी इस तथ्यको स्वीकार करती है। वहाँ सामरिक अर्थात् चारों वर्णोंके समान धर्मका निर्देश करते हुए बतलाया है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच और इन्द्रियनिग्रह यह चारों वर्णोंके मनुष्योंद्वारा पालने योग्य सामान्य धर्म मनुने कहा है। यथा—

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्येऽबोन्मनुः ॥ १०-६३ ॥

याज्ञवल्क्यस्मृतिमें यह सामान्य धर्म नो भेदोमें विभक्त किया गया है। पांच धर्म नो पूर्वोक्त ही है। चार ये हैं—दान, दम, दया और क्षान्ति। प्रमाण इस प्रकार है—

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
दानं दमो दया क्षान्ति. सर्वेषां धर्मसाधनम् ॥ ५-१२२ ॥

इस इलोकमें आये हुए 'सर्वेषां' पदकी व्याख्या करते हुए वहाँ टीका में कहा है—

एते सर्वेषां पुरुषाणां क्राह्यणाणां चाषडालं धर्मसाधनम् ।

अर्थात् ये अहिंसा आदि नो धर्म ब्राह्मणसे लेकर चाषडाल तक सब पुरुषोंके धर्मके साधन हैं।

जैनधर्ममें गृहस्थधर्मके बारह और मुनिधर्मके बट्ठाईस भेद किये गये हैं। उन सबका समावेश इन अहिंसादिक उक्त धर्मोंमें हो जाता है। विचार कर देखा जाय तो अहिंसा ही एक धर्म है। अन्य सब मात्र उसका विस्तार है, अतएव यह माननेके लिए पर्याप्त आधार है कि मनुस्मृतिके ये बचन एकमात्र जैनधर्मकी ओर ही सकेत करते हैं। अर्थात् मनुस्मृतिकार भी इन बचनोंद्वारा यह स्वीकार करते हैं कि जैनधर्म

प्राणीमात्रका धर्म है और वर्णधर्म धर्मसे मिलन है। इसी भावको व्यक्त करते हुए आचार्य पूज्यपाद समाधितन्त्रमें कहते हैं—

जातिदेहाश्रिता हृष्टा बेह एव आत्मनो भव ।
न मुख्यन्ते भवात्समात्ते ये जातिकृताप्राहा ॥८८॥
जाति-लिङ्गविकल्पेन येषां च समयाप्रहः ।
तेऽपि न प्राप्नुवन्त्येव परमं पदमात्मनः ॥८९॥

जाति देहके आश्रयसे देखी जाती है और आत्माका ससार एकमात्र यह देह है, इसलिए जो जातिकृत आप्रहसे युक्त है वे ससारसे मुक्त नहीं होते ॥८८॥ ब्राह्मण आदि जाति और जटाधारण आदि लिंगके विकल्पसे जिनका धर्ममें आप्रह है वे भी आत्माके परम पदको प्राप्त नहीं होते ॥८९॥

जैनधर्म किसी जातिविशेषका धर्म नहीं है। उसका दरवाजा सबके लिए समानरूपसे खुला हुआ है। शावकधर्म दोहाके कर्तनि शावकधर्मका उपसंहार करते हुए इस मत्यको बड़े ही मार्मिक शब्दोंमें व्यक्त किया है। वे कहते हैं—

एहु धर्मु जो आयरइ बंभणु सुद्धु विकोइ ।
सो सावड कि सावयह अणु कि सिरि मणि होइ ॥७६॥

ब्राह्मण ही चाहे शूद्र, जो कोई इस धर्मका आचरण करता है वही शावक है। और क्या शावकके सिरपर कोई मणि रहता है !

समाजधर्म

व्यक्तिधर्म और समाजधर्ममें अन्तर—

पिछले प्रकरणमें हम व्यक्तिगत धर्म पर बहुत कुछ लिख आये हैं। इस प्रकरणमें हमें समाजधर्म पर विचार करना है। साथ ही यह भी

समाजधर्म १४१५८
३१/९० २०५४ अगस्त १९५१

देखना है कि समाजमें वर्ग-भेद मानकर अलग-अलग वर्गोंका क्या व्यक्तिगत धर्म भी पृथक्-पृथक् हो सकता है। किसी जैन कविने जीवनकी आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए यह दोहा कहा है—

कला बहुतर पुरुषकी तर्में दो सरदार।
एक जीवकी जीविका एक जीव-उद्धार॥

अर्थात् सब कलाओंमें दो कलाएँ मुख्य हैं—एक जीविका और दूसरी आत्मोन्नति। जिसे इस दोहेमें 'जीव-उद्धार' शब्द द्वारा कहा गया है वही व्यक्तिगत धर्म है और जिसे 'जीविका' शब्द द्वारा व्यक्त किया गया है वही समाजधर्म है। यहाँ जीविका शब्द उपलक्षण है। उससे राज्य, विवाह आदि उन सब व्यवस्थाओं और नियमोंका बोध होता है जो लोक में समाजको सुसंगठित बनानेके लिए आवश्यक माने गये हैं। यदि हम समाजधर्म और व्यक्तिधर्मको भेद करके समझना चाहे तो यही कह सकते हैं कि उन दोनोंके लिए क्रमशः लौकिकधर्म और आत्मधर्म ये दो शब्द उपयुक्त होंगे। समाजधर्म द्वारा मुख्यतया शरीरसम्बन्धी सब आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और व्यक्तिधर्म द्वारा आत्माको सुराक भिलती है। किन्तु शरीरसम्बन्धी सब आवश्यकताओंकी पूर्ति संगठित सहयोगके बिना नहीं हो सकती, इसलिए उन विज्ञि-विज्ञानोंको, जो सबमें सहयोग बनाये रखते हैं, समाजधर्म कहते हैं और आत्मधर्ममें इस प्रकारके सहयोग-की अनिवार्य आवश्यकता नहीं पड़ती। जो व्यक्ति जितनी आत्मोन्नति करना चाहे करे, समाजके स्वार्थका हनन न होनेसे वह उसमें बाधक नहीं होता। प्रत्युत आदर्श मानकर वह उसका पदानुसरण करनेका प्रयत्न करता है, इसलिए इसे व्यक्तिधर्म कहते हैं। ये दोनों प्रकारकी व्यवस्थाएँ परस्परमें बाधक न होकर समानताके आधारपर एक दूसरेकी पूरक हैं।

जैनधर्म व्यक्तिधर्म है और वैदिकधर्म समाजधर्म है यह हम पहले ही लिख आये हैं। ऐसा लिखनेका कारण ही यह है कि जैनधर्मने मुख्यरूपसे आत्मोन्नतिके उपायों पर ही विचार किया है और वैदिकधर्ममें मुख्यरूपसे

समाजव्यवस्था सम्बन्धी नियमोंका विचार किया गया है। इस विषयको स्पष्ट करनेके लिए यहाँ पर हम दोनों धर्मोंके धार्मिक साहित्यकी प्रकृतिको खोलकर रख देना आवश्यक मानते हैं। आचार्य जिनसेन प्रणीत महापुराणमें 'असि' आदि वट्कर्मव्यवस्थाका उपदेश आदिब्रह्मा ऋषभदेवके मुख्यसे दिलाया गया है। पद्मपुराण और हरिवशपुराणमें भी यह वर्णन लगभग इसी प्रकारसे उपलब्ध होता है। आदिनाथ जिनकी स्तुति करते हुए स्वामी समन्तभद्रने स्वयंभूस्तोत्रमें उन्हें 'कृषि' आदि कर्मका भी उपदेष्टा कहा है। इससे इतना तो ज्ञात होता है कि यह मान्यता अपेक्षाकृत प्राचीन है, केवल आचार्य जिनसेनकी अपने मनकी कल्पना नहीं है। किन्तु भगवान् आदिनाथ 'असि' आदि वट्कर्मव्यवस्थाका उपदेश केवल ज्ञान होनेपर नहीं देते। केवलज्ञान होनेपर वे एकमात्र मोक्षमार्गका ही उपदेश देते हैं। स्वयं आचार्य जिनसेन इस तथ्यको प्रकट करते हुए क्या कहते हैं यह उन्हींके शब्दोंमें पढ़िए। वे कहते हैं—

असिर्यं वृष्टिविद्या वाणिज्यं शिल्पमेव च ।
कर्मणीभानि घोडा स्यु प्रजाजीवनहेतवः ॥१७६॥
तत्र वृत्ति प्रजानां स भगवान् भवित्कौशलात् ।
उपादिक्त् सरागो हि स तवासीञ्जनदग्नुः ॥१८० पर्व १६॥

अर्थात् असि, मधि, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प ये छह कर्म प्रजाकी आजीविकाके हेतु हैं। भगवान् ऋषभदेवने अपनी बुद्धिकी कुशलतासे प्रजाके लिए इन्हीं छह कर्मों द्वारा वृत्ति (आजीविका) का उपदेश दिया था। सो टीक ही है, क्योंकि उस समय जगद्गुरु भगवान् सरागी थे।

यह कथन इतना स्पष्ट है जो हमें दर्शनके समान स्थितिको स्पष्ट करनेमें सहायता करता है। आजीविकाके उपाय सोचना और उनके अनुसार व्यवस्था बनाना इसका सम्बन्ध मोक्षमार्गसे नहीं है। मोक्षमार्गमें मात्र

आत्मशुद्धि के उपायों पर विचार किया जाता है। उन दोनों की व्यवस्थाएँ और उनके नियमोपनियम भिन्न भिन्न हैं और उनके उपदेष्टा अधिकारी व्यक्ति भी भिन्न भिन्न हैं। जहाँ समाजव्यवस्था का उपदेशक सरागी और गृहस्थ होता है वहाँ मोक्षमार्ग का उपदेशक बीत्रागी होता है। जो अल्पज्ञ मुनि या गृहस्थ मोक्षमार्ग का उपदेश देने हुए उपलब्ध होते हैं वे वास्तव में उसके उपदेशक न होकर अनुवादमात्र उपस्थित करते हैं। जैनसाहित्य में जहाँ भी समाजव्यवस्था का उल्लेख आया है या उसके कुछ नियमोपनियमों का विधान किया है वहाँ उसे युद्धादिके वर्णनके समान किस काल में किस व्यक्तिने समाजके सगठनके लिए क्या प्रयत्न किया इस घटना-का चित्रणमात्र जानना चाहिए। इससे अधिक घर्मंकी दृष्टिसे उसका वहाँ अन्य कोई मूल्य नहीं है। यद्यपि उत्तरकालमें नीतिवाक्यामूल और चित्रणचार जैसा जैनसाहित्य लिखा गया है और गृहस्थाचारके प्रतिपादक ग्रन्थोंमें समाजव्यवस्थाके अगमूल खान-पान और विवाह आदि-सम्बन्धी नियमोंका भी उल्लेख हुआ है परं इस प्रकारके साहित्य और उल्लेखोंका सर्वज्ञ बीत्रागी की बाणीके साथ यत्किञ्चित् भी सम्बन्ध नहीं है यह स्पष्ट ही है। प्राचीन साहित्यके साथ आधुनिक साहित्यकी तुलना करके भी यह बात समझी जा सकती है। खान-पानके नियमोंसे हमारा तात्पर्य भक्ष्याभक्ष्यसम्बन्धी नियमोंसे नहीं है। भक्ष्याभक्ष्यका विचार कर अभक्ष्यभक्षण नहीं करना मूलतः जैनघर्मंकी आत्मा है। यह तो जैन धार्मिक साहित्यकी प्रकृति है।

जब वैदिक साहित्यकी प्रकृतिपर विचार कीजिए। मनुस्मृतिकी रचना वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, गृहसूत्र और श्रीनसूत्रके आधारसे हुई है। यह वैदिकघर्मंका सामोपाग प्रतिपादन करनेवाला घर्मंक अन्य है। इसके प्रारम्भमें बतलाया है कि कुछ ऋषियोंने भगवान् मनुके पास जाकर पूछा कि हे भगवन् ! हमें चार वर्ण और उनके अवान्तर भेदोंके घर्मंका उपदेश दीजिए, क्योंकि अपौरुषेय वैदविहृन वर्ण का उप-

देश देने के आप अधिकारी हैं। इस पर भगवान् मनुने धर्मशास्त्र का उपदेश दिया। इस प्रसगको व्यक्त करनेवाले मनुस्मृतिके इलोक इस प्रकार हैं—

मनुस्मृतापभासीनमभिगम्य
प्रतिपूज्य यथान्यायमिहं वचनमद्वन् ॥१॥
भगवन् सर्ववर्णानां यथावदनुपूर्वशः ।
अन्तरप्रभवाणां च धर्मान्लो वस्तुमहंसि ॥२॥
त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विद्यानस्य स्वयम्भूवः ।
अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित्प्रभो ॥३॥
स ते पृष्ठस्तथा सम्यग्मितौजा महात्ममि ।
प्रत्युत्ताचार्यं तान्वर्णमहर्षोन् अयतामिति ॥४॥

इसके बाद याज्ञवल्यस्मृतिका स्थान है। इसमें भी चार वर्णों और चार आश्रमों के धर्मोंकी पृच्छा कराकर उत्तरस्वरूप वर्णश्रिमधर्म का विचार किया गया है। तात्पर्य यह है कि समस्त वैदिक माहित्यमें एक-मात्र वर्णश्रिमधर्मका विचार करते हुए मनुष्यजातिके चार मूल भेद मान लिए गये हैं। लोकमें आजीविकाके आधारसे नामकरणकी परिपाटी देखी जाती है। अध्यापनका कार्य करनेवालोंको अध्यापक कहते हैं और न्याय-विमागको सम्हालनेवाला न्यायाधीश कहलाता है। इसी प्रकार जो स्वयं सदाचारका पालन करते हुए अध्यापनका कार्य करते हैं वे ब्राह्मण कहे जावे, जो देश और समाजकी रक्षामें नियुक्त हैं वे ऋत्रिय कहे जावे, जो कृषि, वाणिज्य और पशुपालनके द्वारा अपनी आजीविका करते हैं वे वैश्य कहे जावे तथा जो शित्य आदि के द्वारा अपनी आजीविका करते हैं वे शूद्र कहे जावे यह विशेष आपत्ति योग्य न होकर आजीविका के आधार से नामकरणमात्र है। ऐसा हमेशासे होता आया है और भविष्य में भी होता रहेगा। मुख्य अद्वचन तो इन ब्राह्मणादि वर्णोंको जन्मसे मानने की है। कुछ अपवादोंको छोड़कर समस्त वैदिक ग्रन्थोंका एकमात्र यही अभिप्राय है कि ब्राह्मणकी सन्तान ब्राह्मण ही होती है। वह चाहे सदा-

चारी हो या दुराचारी, अध्यापन कार्य करता हो या न करता हो । यह ईश्वर का विद्धान है । उसमें परिवर्तन करना मनुष्यके बूतेके बाहर है । अतिथादि अन्य वर्णोंके सम्बन्धमें भी वहाँ पर इसी प्रकारके नियम देखे जाते हैं । यही कारण है कि उस धर्ममें एकमात्र जन्मसे वर्णव्यवस्था मानी गई है, कर्मसे नहीं ।

उस धर्मके मूल ग्रन्थ वेद हैं । इन्हे धर्मका मूल कहा जाता है— वेदोऽखिलो धर्ममूलम् । इनमें मुख्यरूपसे यागादि क्रियाकाण्डका ही विस्तार है । ब्राह्मण ग्रन्थ वेदोंका विस्तार होनेसे उनमें भी इसीका ऊहापोह किया गया है । उपनिषदोंको छाड़कर अन्य धार्मिक साहित्यकी स्थिति इससे कुछ भिन्न नहीं है । उपनिषदोंमें ज्ञानकाण्डपर जोर देकर भी उस विद्याको ब्राह्मणों तक ही सीमित रखनेका प्रयत्न हुआ है, क्यों कि मनुस्मृतिमें कर्मके प्रवृत्तकर्म और निवृत्तकर्म ये दो भेद करके निवृत्तकर्म (ज्ञानमार्ग) का अधिकारी ब्राह्मण ही माना गया है ।^१ इन सब ग्रन्थोंकी प्रकृति ब्राह्मणोंकी प्रतिष्ठा स्थापित करना होनेसे इनमें पूरे समाजकी रचना एकमात्र उक्त तथ्यको केन्द्रमें रखकर की गई है । ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेदमें सूष्टि उत्पत्तिके प्रसग में ये मन्त्र आये हैं—

यत्पुरुषं व्यवधुः कतिथा व्यकल्पयन् ।

मुखं किमस्य कौ बाहू कावूरु पादावृच्येते ॥

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः ।

उरुं तदस्य यद्वैश्यः पद्म्यां शूद्रो अजायतः ॥

१. एष सर्वं समुद्दिष्ट कर्मणा च कलोदय ।

नैथेयसकर कर्मं विप्रस्येद निवोदय ॥

मनुस्मृति व० १३ स्लो० ८२ ।

२. ऋ० स० १०-१०, ११-१२ । य० स० ३१, १०-११ ।

तत्त्विरीयारथ्यके तृतीय प्रपाठके बारहवें अनुवाकमें भी ये मन्त्र आये हैं। इनकी व्याख्या करते हुए सायणाचार्य कहते हैं—प्रजापतिके प्राणरूप देवो ने जब विराट् रूप पुरुषको रचा अर्थात् अपने संकल्पसे उत्पन्न किया तब कितने प्रकार से उसे रचा ? उसका मुख कौन हुआ, उसके दोनों बाहु कौन हुए, उसके दोनों उरु (जघाएँ) कौन हुए और उसके दोनों पग कौन हुए ? ब्राह्मणोंको उसके मुखरूप से उत्पन्न किया, क्षत्रियोंको दोनों बाहुरूपमें उत्पन्न किया, वैश्योंको दोनों उरुरूपसे उत्पन्न किया और शूद्रोंको दोनों पगरूपसे उत्पन्न किया ।

इस प्रसंग में बहुतसे विद्वान् यह आपत्ति करते हैं कि यह रूपक है। वस्तुतः ब्राह्मणवर्णका पठन-पाठन आदि कार्य मुख्य है, इसलिए उसे मुख्यकी उपमा दी गई है। क्षत्रियवर्णका रक्षाकार्य मुख्य है, इसलिए उसे दोनों बाहुओंकी उपमा दी गई है। वैश्यका अन्नोत्पादन आदि कार्य मुख्य है, इसलिए उसे दोनों उरुओंकी उपमा दी गई है और शूद्रवर्णका सेवाकार्य मुख्य है, इसलिए उसे दोनों पगोंकी उपमा दी गई है। किन्तु उनकी यह आपत्ति हमें प्रकृतमें उपयोगी नहीं जान पड़ती, क्योंकि सूष्टिके उत्पत्ति क्रमके प्रसंगसे ये मन्त्र आये हैं, इसलिए इनका सायणाचार्यकृत अर्थ ही सगत लगता है। वैदिकधर्ममें सूष्टिको मादि मानकर ईश्वरको उसके प्रमुख आरम्भक कारणरूपसे स्वीकार किया गया है। ऐसी अवस्था में ब्राह्मणादि वर्णोंकी उत्पत्ति ईश्वरका कार्य ही ठहरती है। वह मनुष्यों को तो उत्पन्न करे और उनके पूथक्-पूथक् वर्ण और कार्य निश्चित न करे यह सम्भव नहीं प्रतीत होता। हमें तो वैदिक धर्मग्रन्थोंकी यह प्रकृति ही माननी चाहिए, अन्यथा जिस हेतुसे यह उपक्रम किया गया उसकी पुष्टि नहीं होती। यह वैदिक धार्मिक साहित्यकी प्रकृति है।

इस प्रकार इन दोनों धर्मोंके साहित्यका आलोड़न करनेसे व्यक्तिधर्म और समाजधर्म के मध्य मौलिक भेद ब्याह है यह स्पष्ट हो जाता है।

चार वर्णोंका वर्णधर्म—

जैसा कि हम पूर्वमें कह आये हैं, मनुस्मृति एकमात्र इसी तथ्यका बनुसरण करती है। यही कारण है कि वैदिकहित धर्मकी वह सर्वोत्कृष्ट व्याख्या मानी जाती है और सभी सामाजिक व्यवस्थाओंका उसके आधारसे विचार किया जाता है। यद्यपि स्मृतिप्रन्थ अनेक हैं परन्तु योड़े बहुत मतभेदोंको छोड़कर मौलिक मान्यताकी दृष्टिसे उनमें कोई अन्तर नहीं है। वैदिक परम्परामें जो दर्शन ईश्वरवादी नहीं है, समाजव्यवस्था में वे भी उसे मान्य करते हैं, इसलिए यहाँ पर मुख्यतः मनुस्मृतिके आधारसे समाजधर्मका चित्र उपस्थित कर देना हम आवश्यक मानते हैं। मनुस्मृतिके प्रारम्भमें सूष्टिकी उत्पत्तिका निर्देश करनेके साथ चार वर्णोंकी उत्पत्ति और उनके पूर्यक-पूर्यक् वर्णधर्मका निर्देश करते हुए बतलाया गया है कि ब्रह्माने ब्राह्मणोंके अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन दान और प्रतिग्रह ये छह कर्म निश्चित किये। क्षत्रियोंके प्रजाकी रक्षा, दान, पूजा, अध्ययन और विषयों के प्रति अनासक्ति ये कर्म निश्चित किये। वैश्योंके पशुओंकी रक्षा, दान, पूजा, अध्ययन, वाणिज्य और कुमीद ये कर्म निश्चित किये तथा शूद्रोंका डाहसे रहित होकर उक्त तीन वर्णोंकी शुश्रूषा करना एकमात्र यह कर्म निश्चित किया।^१ यहाँ पर जिन वर्णोंके जो कर्म बतलाये गये हैं उनका जीवन पर्यान्त पालन करना यही उनका स्वधर्म है। अपने-अपने धर्मका पालन करते हुए मरण होनेपर सद्गति मिलती है। कदाचित् भूलकर एक वर्णवाला अन्य वर्णके आचार को स्वीकार करता है तो उसे राजा और ईश्वर के कोपका भाजन होना पड़ता है। गीताका 'स्वधर्मं निधन श्रेयं परधर्मो भयावहः' यह बचन इसी तथ्यको व्याख्यानमें रखकर कहा गया है।

१ मनुस्मृति ब० १ स्लोक द०-१।

विवाह और वर्णपरिवर्तनके नियम—

वर्णव्यवस्थाके सम्बन्धमें मनुस्मृतिकी यह मौलिक मान्यता है। उसके अनुसार साधारणत किसी व्यक्ति का वर्ण नहीं बदलता। जिस वर्णवाले का जो वर्णकर्तव्य है उसे छोड़कर यदि वह अन्य वर्णवालेका आचार स्वीकार करता है तो भी वर्णपरिवर्तन नहीं होता। मात्र विवाह इसका अपवाद है। विवाहके विवर में सामान्य नियम है कि प्रत्येक वर्णवालेको अपने वर्णकी कन्या के साथ विवाह करना चाहिए। यह धर्मविवाह है। कामविवाह के सम्बन्ध में यह नियम है कि शूद्रकी मात्र शूद्रा मार्या होती है। वह अन्य तीन वर्णकी स्त्रियोको स्वीकार करनेका अधिकारी नहीं है। वैश्यकी शूद्र या वैश्य इन दो वर्णोंकी पत्नियाँ हो सकती हैं। वह ब्राह्मण या क्षत्रिय स्त्रीको रखनेका अधिकारी नहीं है। क्षत्रियकी शूद्रा, वैश्या या क्षत्रिया ये तीन प्रकारकी पत्नियाँ हो सकती हैं। वह ब्राह्मण स्त्रीको पत्नी बनाने का अधिकारी नहीं है। तथा ब्राह्मणके चारों वर्णोंकी पत्नियाँ हो सकती हैं। इसे ऐसा करनेमें वर्णविमध्यर्मसे कोई रुकावट नहीं आती। परन्तु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यको आपत्काल में भी शूद्रा स्त्रीको पत्नीरूप से स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो द्विजाति मोहवश हीन जातिकी स्त्रीके साथ विवाह करता है वह सन्तानके साथ शूद्रवर्ण का हो जाता है।^१ साथ ही मनुस्मृतिमें यह भी बतलाया है कि ब्राह्मण के योगसे शूद्रा स्त्रीके सन्तान उत्पन्न होने पर उस सन्तानका वर्ण पारशव हो जाता है। कदाचित् इस प्रकार के सम्बन्धसे कन्या उत्पन्न होती है और लगातार सात बीढ़ी तक प्रत्येक बीढ़ी में कन्या उत्पन्न होती रहती है और उसका प्रत्येक बार ब्राह्मणके साथ ही विवाह होता है तो इस प्रकार उत्पन्न हुई सन्तानका अन्तमें पुनः ब्राह्मण वर्ण हो जाता है। तात्पर्य यह है कि इस क्रमसे सातबी बीढ़ीमें शूद्र ब्राह्मण हो जाता है

^१ मनुस्मृति ब० ३ खण्ड० १२ से १४ तक।

और ब्राह्मण शूद्र हो जाता है। क्षत्रिय और वैश्य वर्णके सम्बन्धमें भी इस नियमकी व्यवस्था की गई है^१ मनुस्मृतिके अनुसार नाना वर्ण और नाना जातियाँ बनानेका एकमात्र कारण विवाह और जारकर्म ही है^२। अन्यकर्मों की अपेक्षा इसमें सर्वां विवाह के ऊपर अधिक बल दिया गया है। मात्र सगोत्र विवाह इसमें निषिद्ध है।

दानप्राप्त आदिकी पाव्रता—

पहले हम ब्राह्मणके छह कर्मोंका निर्देश कर आये हैं। वे ये हैं— अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और प्रतिश्रव्ह। इनमेंसे अध्यापन, याजन और प्रतिश्रव्ह ये तीन कर्म ब्राह्मणकी आजीविकाके साधन हैं। पढ़ानेका, यज्ञादि कर्म करानेका और दान लेनेका एकमात्र अधिकारी ब्राह्मण है, शेष तीन वर्णवाले नहीं^३। अध्ययन, यजन और दान इन तीन कर्मोंके अधिकारी शूद्रोंके सिवा शेष दो वर्णवाले भी हैं। शूद्र इन छह कर्मोंमें किसी एक भी कर्मका अधिकारी नहीं है। इसका यह तात्पर्य है कि शूद्र न तो देवता की पूजा कर सकता है, न यज्ञादि कर्म कर सकता है, न वेदादिका अध्ययन कर सकता है और न ब्राह्मणको दान ही दे सकता है। अध्यापन और प्रतिश्रव्हकर्म का क्षत्रिय और वैश्य अधिकारी तो नहीं है पर कदाचित् ऐसा प्रसग उपस्थित हो कि ब्राह्मण अध्यापक न मिलने पर क्षत्रिय और वैश्यसे पढ़ना पड़े तो पढ़नेवाला शिष्य अध्ययन काल तक मात्र उसका अनुबत्तन करे परन्तु उसका पादप्रकालन आदि कार्य न करे। तथा भोजन की इच्छासे उसके पास निवास भी न करे^४। एक तो ब्राह्मणके शेष तीन वर्णवाले अतिथि नहीं होते। यदा कदाचित् क्षत्रिय उसके घर अतिथिरूपसे उपस्थित ही हो जाय तो पहले सब ब्राह्मणोंके भोजन कर लेने पर बाद में वह उसे भोजन करावे और यदि

१. मनुस्मृति अ० १० ख्ल० ६४, ६५। २. मनुस्मृति अ० ३ ख्ल० १७४ तथा अ० १० ख्ल० ८ से लेकर। ३. मनुस्मृति अ० १० ख्ल० ७६ से ७८ तक। ४. मनुस्मृति अ० २ ख्ल० २४१-२४२।

वैष्ण और शूद्र अतिथिरूपसे लाहौणके घर आये हुए हो तो उन्हें अपने नौकर-चाकरोंके साथ मोजन करावे। इससे अधिक उनका आतिथ्य न करे^१। शूद्र सेवाकर्मके सिवा अन्य कर्म करने का अधिकारी नहीं है। उसे विप्रकी सेवासे ही सतुष्ट रहना चाहिए। उसीमें उसके जीवनकी सफलता है।^२

संस्कार और व्रत प्रहृणकी पावता—

संस्कार और व्रत किसे दिये जाय इस विषयमें मनुस्मृतिकी यह व्यवस्था है कि लाहौण, क्षत्रिय और वैष्ण इनकी द्विज सज्जा होनेसे^३ ये ही द्वनके (द्वन ग्रहणके) अधिकारी हैं। वहाँ बनलाया है कि माताके उदरसे जन्म होना यह इनका प्रथम जन्म है, मौज़जीबन्धन अर्थात् उपनयन संस्कार होना यह दूसरा जन्म है और ज्योतिष्ठोमादि यज्ञके समय वेद अवण करना यह इनका तीसरा जन्म है। यहाँ पर तीसरा जन्म द्वितीय जन्मके अन्तर्गत है, इसलिए इन तीन वर्णवालोंको द्विज कहते हैं। जब इनका मौज़जीबन्धनपूर्वक उपनयनसंस्काररूप ब्रह्मजन्म होता है तब इनकी मावित्री माता होती है और आचार्य पिता होता है, इसलिए इनका एक गर्भजन्म और दूसरा संस्कारजन्म होनेसे ये द्विजन्मा, द्विज या द्विजाति कहे जाते हैं यह उक्त कथनका अभिप्राय है।^४ किन्तु शूद्र उपनयन आदि संस्कारके योग्य नहीं है, इसलिए न तो इसके उपनयन आदि संस्कार होते हैं और न यह अग्निहोत्रादि धर्ममें अधिकारी माना गया है।^५ इसे धर्म और व्रतका उपदेश न दें यह भी मनुस्मृतिकी आज्ञा है।^६ वहाँ बतलाया है कि जो इसे धर्म और द्वनका उपदेश देना है वह उस शूद्रके

१. मनुस्मृति ब० ३ श्लो० ११० से ११२ तक। २. मनुस्मृति ब० १० श्लो० १२२। ३. मनुस्मृति ब० १० श्लो० ४। ४. मनुस्मृति ब० २ श्लो० १६९ से १७१ तक। ५. मनुस्मृति ब० १० श्लो० १२६। ६. मनुस्मृति ब० ४ श्लो० ८०।

साथ ही असबूत नामके गहन नरकमें पड़ता है। वहाँ शूद्रकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन वर्ण द्विजाति हैं। इनके सिवा एक चौथी जाति है जिसे शूद्र कहते हैं। इन चार वर्णोंके सिवा अन्य कोई पांचवाँ वर्ण नहीं है।^१ इतना अवश्य है कि किन्हीं वैदिक शास्त्रोंमें चाष्टालको पांचवे वर्णका कहा है।

उपसंहार—

यहाँ तक हमने धर्म और उसके अवान्तर मेदोकी सामान्य व्याख्या करके व्यक्तिधर्म और समाजधर्मका सांगोपांग विचार किया। साथ ही हमने यह भी बतलाया कि व्यक्तिधर्मका पूर्ण प्रतिनिधित्व जैनधर्म करता है और समाजधर्मका पूर्ण प्रतिनिधित्व वैदिकधर्म करता है। हम यह तो मानते हैं कि उत्तरकालीन जैन साहित्यमें कुछ ऐसी सामग्री सञ्चित हो गई है जो जैनधर्मके व्यक्तिवादों स्वरूपको उसी प्रकार आच्छादित करनेमें समर्थ है जिसप्रकार राहु चन्द्रमाको आच्छादित कर लेता है। उदाहरणस्वरूप यहाँ पर हम महापुराणमें प्रतिपादित कुछ मान्यताओंका उल्लेख कर देना आवश्यक मानते हैं। महापुराणमें ये सब मान्यताएँ ब्राह्मणवर्णकी स्थापनाके प्रसरणसे भरत महाराजके मुख्यसे कहलाई गई हैं। भरत महाराजको अनेक राज्योंके साथ भारतवर्षको जीतकर साठ हजार वर्षमें दिग्नियज्यसे लौटने पर यह चिन्ता सताती है कि मैं अपनी इस विपुल सम्पत्तिका उपयोग किस कार्यमें करूँ। वे विचार करते हैं कि परम निष्पूर्णी मुनिजन तो हम लोगोंसे धन लेते नहीं हैं। परन्तु ऐसे शूहस्य भी कौन हैं जो धन-धान्य आदि सम्पदा द्वारा पूजा करने योग्य हैं। इसी विचारके परिणामस्वरूप वे ज्ञाती आवकोके आश्रयसे ब्राह्मणवर्णकी स्थापना कर व उनका यज्ञोपवीत और धन-धान्यादि सम्पदासे सत्कार कर उन्हे क्रियामन्त्रगर्म धर्मका उपदेश देते हुए कहते हैं—इज्या, वार्ता,

१ मनुस्मृति अ० १० श्लो० ४।

दत्ति, स्वाध्याय, संयम और तप यह द्विजोंका कुलधर्म है।^१ इसका उन्हे उत्तम प्रकारसे पालन करना चाहिए। जो द्विज इस विशुद्ध दृग्निका सम्यक् प्रकारसे पालन नहीं करता वह मूर्ख नाममात्रका द्विज है। तप, शास्त्रज्ञान और जाति ये तीन ब्राह्मण होनेके कारण हैं। जो मनुष्य तप शास्त्रज्ञानसे रहित है वह केवल नाममात्रका ही ब्राह्मण है। इनकी आजीविका उत्तम होनेसे यह उत्तमजाति मानी गई। तथा दान, पूजा आदि कार्य मुश्य होनेके कारण व्रतोंकी शुद्धि होनेसे यह उत्तम जाति और भी मुस्तक्षुल बनी रहती है।^२ द्विज जातिका संस्कार तपश्चरण और शास्त्राभ्याससे होता है। किन्तु जो तपश्चरण और शास्त्राभ्यास नहीं करता वह जातिमात्रसे (नाममात्रसे) द्विज है। जो एक बार गर्भमें और दूसरी बार क्रियासे इसप्रकार दो बार उत्पन्न हुआ है उसे द्विजन्मा अथवा द्विज कहते हैं। परन्तु जो क्रिया और मन्त्र दोनोंसे ही रहित है वह केवल नाम को धारण करनेवाला द्विज है।^३ कुल क्रियाये गर्भान्वय, दीक्षान्वय और कर्त्रन्वयके भेदसे तीन प्रकारकी हैं। इनमेंसे गर्भान्वय क्रियाके ५३, दीक्षान्वयके ४८ और कर्त्रन्वय क्रियाके ८ भेद हैं। सम्यग्दृष्टि पुरुषोंकी इनका पालन अवश्यकरना चाहिए।^४ इन क्रियाओंका विवेचन करते हुए वहाँ भरत महाराजके मुख्यसे यह भी कहलाया यदा है कि उपनीतिसंस्कार केवल द्विजोंका करना चाहिए। विद्या और शिल्पसे आजीविका करनेवाले मनुष्य दीक्षा के योग्य नहीं हैं। शूद्र अधिकसे अधिक मरणपर्यन्त एक शाटक व्रत धारण कर सकते हैं। इज्या आदि छह आर्य कर्मोंके अधिकारी भी द्विज ही हो सकते हैं। द्विजों और शूद्रोंको विवाह आदि कर्म भी अपनी जातियोमें ही करने चाहिए। इस प्रकार द्विज जो विवाह करते हैं वह उनका धर्मविवाह कहलाता है। उच्चजातिका मनुष्य

१. महापुराण पर्व ३८ ख्लोक ४ से २५ तक। २. महापुराण पर्व ३८ ख्लोक ४२ से ४४ तक। ३. महापुराणपर्व ३८ ख्लोक ४७-४८। ४. महापुराणपर्व ३८ ख्लोक ४१ से ४३ तक।

नीच जातिकी कन्यासे विवाह कर सकता है। पर इस प्रकार जो विवाह होता है उसे धर्मविवाह नहीं कह सकते।^१

यह तो महापुराणसे ही प्रकट है कि भरत महाराजने सम्यद्विष्ट श्रावकोंको उक्त उपदेश दिया था तब तक भगवान् ऋषभदेवको मोक्ष-मार्गका प्रचार करते हुए साठ हजार वर्ष हो गये थे। किन्तु उन्होंने उस समय तक और उसके बाद भी अपनी दिव्यज्ञनि द्वारा न तो यह ही उपदेश दिया कि तीन वर्णके मनुष्य द्विज कहलाते हैं। यज्ञोपवीत धारण करने और सस्कारपूर्वक श्रावक व मुनिदीक्षा लेनेका अधिकार मात्र उन्हीं को है और न यह ही उपदेश दिया कि ब्राह्मण आदि प्रत्येक जातिवाले मनुष्यको अपनी-अपनी जातिमें ही विवाह करना चाहिए। अपनी जाति-से नीची जाति की कन्या स्वीकार करने पर उसकी कामविवाह सज्जा होती है। यद्यपि भगवान् ऋषभदेवने राज्यपदका मोग करते हुए क्षत्रिय आदि तीन वर्णोंकी रचना की थी यह पद्मपुराण और महापुराणके आधार से माना जा सकता है। परन्तु उन्होंने इन वर्णोंकी स्थापना कर्मके आधार-से ही की थी जन्मके आधारसे नहीं, यह भी उन पुराणोंसे ज्ञात होता है।

हमारे सामने महापुराणके सिवा इसका पूर्ववर्ती जो अन्य पुराण-साहित्य उपस्थित है उससे भी यही जान पड़ता है कि क्रियामन्त्रगर्भ धर्म-का जितना उपदेश महापुराणमें भरत महाराजके मुखसे दिलाया गया है वह सब एकमात्र महापुराणमें ही उपलब्ध होता है, महापुराणके सिवा अन्य सब पुराणोंमें न तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यको कही द्विज कहा गया है, न ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यवर्णके मनुष्य यज्ञोपवीत चिह्नमें अकित किये जायें यह कहा गया है, न केवल तीन वर्णके मनुष्योंको दीक्षा-के योग्य बतलाया गया है और न ही प्रत्येक वर्णके मनुष्यको अपने वर्ण-की कन्याके साथ ही विवाह करना चाहिए यह कहा गया है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि महापुराणमें भरत महाराजके मुखसे आचार्य जिनसेन-

१. महापुराणपर्व ४० ख्लोक १६९ से १७२ तक।

ने क्रियामन्त्रगम्भ धर्मका जितना भी उपदेश दिलाया है उसका जिनवाणी तथा मोक्षमार्गके साथ रचमात्र भी सम्बन्ध नहीं है। किन्तु यह लौकिक-धर्म है जो उन्होंने परिस्थितिको देखकर समन्वय करनेके अभिप्रायसे वेदानुस्मृतिसे लेकर महापुराणमें निबद्ध कर दिया है। लोक-में आहुणादि जातियोंके आधारसे जितना भी लौकिक धर्म प्रचलित है उसमें वेद और मनुस्मृति ही प्रमाण हैं इस सत्यको यशस्तिलक्चम्पू और नीतिवाक्यामृतमें सोमदेवसूरिने बहुत ही स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार किया है।^१ इससे भी उक्त कथनकी पुष्टि होती है। इसलिए हमें प्रकृतमें यही मानना उचित है कि जैनधर्म और वर्णाश्रिमधर्ममें पूर्व और पश्चिमका अन्तर है। जैसा कि जैनधर्मका स्वरूप और प्रकृति उसके मूल आगम साहित्यमें तथा वर्णाश्रिमधर्मका स्वरूप और प्रकृति उसके वैदिक साहित्य-में बतलाई है उसके अनुसार ये दोनों धर्म न कभी एक हो सकते हैं और न कभी इनका एक होना वाच्छनीय ही है। यह दूसरी बात है कि यदि वैदिकधर्म अपने जातिवादी कार्यक्रमको तिलाङ्गजि देकर समानताके आधार पर गुणकर्मानुसार समाज व्यवस्थाको स्वीकार कर लेता है तो उसके इस उपक्रमका जैनधर्म स्वागत ही करेगा, क्योंकि यह उसकी मूल मान्यताके अनुकूल है। इससे प्रकृतमें मनुष्यमात्र को ही नहीं, प्राणीमात्र को अपनी-अपनी योग्यतानुसार आत्मोन्नति और सामाजिक उन्नति करनेका मार्ग खुल जाता है।

(नोआगमभाव) मनुष्योंमें धर्माधर्ममीमांसा

आवश्यक स्पष्टीकरण —

पिछले अध्यायोमें हम धर्मके स्वरूप और उसके अवान्तर भेदोंकी मीमांसा कर आये हैं। वहाँ एक उपप्रकरणमें यह भी बतला आये हैं कि

^१ यशस्तिलक्चम्पू आश्वास ८ पृ० ३७३। नीतिवाक्यामृत पृ० ८१।

जैनधर्मके अधिकारी मनुष्यमात्र होते हैं। अर्थात् कर्मभूमिमें आर्य और म्लेच्छ तथा इनकी जाति और उपजातिके भेदसे जितने प्रकारके मनुष्य वर्तमानमें माने गये हैं वे सब समग्ररूपसे जैनधर्मको धारण करनेके पात्र हैं। वहाँ पर इस तथ्यको फलित करनेके लिए जो युक्तियाँ दी गई हैं वे सब आगम साहित्यके मन्त्रव्योमको ध्यानमें रखकर ही दी गई हैं। फिर भी इस विषयके विवादप्रस्त बन जानेके कारण इसके विधि-नियेषपरक पूरे जैनसाहित्यके आलोड़नकी महती आवश्यकता है। यहाँ हमें कई दृष्टियोंसे विचार करना है। सर्वप्रथम तो यह देखना है कि षट्क्षण्डागम आदि मूल आगम माहित्यमें अध्यात्मदृष्टिसे इसका किस रूपमें प्रतिपादन हुआ है। वहाँ हमें इस बातका भी विचार करना है कि मूल आगम माहित्यके बाद उत्तरकालमें जो साहित्य लिखा गया है उसमें मूल आगम माहित्यका ही अनुसरण हुआ है या उसमें देश-कालके अनुसार परिस्थिति-वश कही कुछ फरक किया गया है। इसके बाद मनुष्य जगतमें मुरुखरूप-से भारतवर्षमें प्रचलित वर्ण, जाति, कुल और गोत्र आदिकी दृष्टिसे भी इस विषयको स्पर्शकर विचार करना है। ऐसा करने हुए जहाँ विचार क्षेत्रमें व्यापकता आती है वहाँ हमारी जवाबदारी भी बढ़ जाती है। मनुष्यजातिका कोई एक समुदाय यदि वास्तवमें जैनधर्मको आशिकरूपसे या समग्ररूपसे धारण करनेकी योग्यता नहीं रखता तो हमारा यह आश्रह नहीं है कि उसमें बलात् इस प्रकारकी योग्यता मानी ही जाय। साथमें हम यह भी नहीं चाहते कि किन्हीं बाहरी कारणोंसे कोई एक समुदाय यदि किसी समय धर्मके अयोग्य घोषित किया गया है तो तीर्थंकरोंकी वाणी कहकर, समाजके मयवश या अन्य किसी काल्पनिक मयवश उसे वैसे ही चलने दिया जाय। जहाँ तक हमने जैनधर्म का अध्ययन, मनन और निदिध्यासन किया है उससे हमारी यही धारणा पुष्ट होती है कि हमें सर्वत्र वस्तुमर्यादाको हृदयगम करते समय विवेकसे काम लेना चाहिए। तीर्थंकरोंकी वाणीका स्वरूप ही वस्तुमर्यादाकी अभिव्यक्ति-मात्र है। उसमें सम्यग्दृष्टिकी शब्दा (सम्यग्दर्शन) को विवेकमूलक

सूत्रानुसारी बनाने के लिए यह स्पष्टरूप से घोषित किया गया है —

सम्माइटी जीवो सद्हर्दि पवर्यणं जियमसा तु उवहटुँ ।

सद्हर्दि असम्मावं अजाणमाणो गुरुचियोगा ॥१०७॥ क०पा०

सुत्तादो तं सम्मं वरिसिञ्जंतो जदा ण सद्हर्दि ।

सो चेष्ट हृष्ट भिक्षाइटी जीवो तदो प्यहटि ॥२८॥ गो० जी०

अर्थात् आगम में आप्त, आगम और पदार्थ के विषय में जो उपदेश दिया गया है, सम्यग्दृष्टि जीव उसका उभी रूप में शद्धान करता है। किन्तु गुरु के निमित्त से उसे आप्त, आगम और पदार्थ के विषय में यदि अन्यथा ज्ञान मिलता है तो स्वयं जानकार न होने से गुरु की शद्धावश वह असद्भाव का भी शद्धान करता है। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार विपरीत शद्धा होने पर भी उसके सम्यग्दर्शन में हाति नहीं आती ॥२७॥ किन्तु उसका यह सम्यग्दर्शन तभी तक समीक्षीन माना जा सकता है जब तक उसे सूत्र से समीक्षीन अर्थ का बोध नहीं होता। सूत्र से समीक्षीन अर्थ का बोध करने पर यदि वह अपनी विपरीत शद्धाको छोड़कर सूत्र के अनुसार अर्थ की शद्धा नहीं करता है तो वह जीव उस जमय से मिद्याहटि हो जाता है।

साधा० यह कहा जाता है कि अपने पूर्ववर्ती किसी भी आचार्य या पण्डित ने जो कुछ भी लिखा है उसे प्रमाण मानकर चलना चाहिए। विसी हृद तक यह उचित भी है। किन्तु इसमें एक ही आपत्ति है। वह यह कि सब आचार्य न तो गणघर होते हैं, न प्रत्येक बुद्ध होते हैं, न श्रुतवेवली होते हैं और न अभिन्नदशपूर्वी होते हैं, इसलिए कदाचित् अपनी अल्पज्ञना और देश, काल परिस्थिति के कारण वे अन्यथा प्रतिपादन कर सकते हैं। सम्यग्दृष्टि को इसका बोध होने पर सूत्रानुसारी होने से वह ऐसे वचन को आगमबाह्य मान कर त्याग देता है और पूर्व प्रमाणता के आधार से वह तत्त्व का निर्णय करता है, अन्यथा गुरु के व्यामोह वश वह मिद्याहटि हो जाता है। पूर्वोक्त दो गाथाओं में इसी भाव को व्यक्त किया गया है। तात्पर्य यह है कि जैनसाहित्य में मिन्न

जिन कालमें जो कुछ भी लिखा गया है उसकी पूर्वं पूर्वं आगमके आधार-से सम्यक् परीक्षा करके ही हमें प्रमाणता स्थापित करनी चाहिए। केवल अमुक स्थान पर यह लिखा है इस आधारसे उसे ही प्रमाण मान बैठना उचित नहीं है।

प्रकृतमें हम जिन विषयों पर ऊहापोह करना चाहते हैं वहाँ पर हम भी विवेकमूलक सूक्ष्मानुसारी बुद्धिसे ही काम लेनेका प्रयत्न करेंगे, क्योंकि जो लौकिक मान्यताएँ परिस्थितिवश जैनधर्मका अग बन गई हैं उनको आगम और युक्तिके बलसे जैनधर्म बाहा माननेमें ही जैनधर्मका सम्यक् प्रकाश हो सकेगा ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है।

(नोआगमभाव) मनुष्य की व्याख्या—

वर्तमान समयमें जैनधर्मका जो भी आगम साहित्य उपलब्ध है उसमें षट्खण्डागम और कषायप्राभृत प्रमुख हैं, क्योंकि उत्तरकालीन धार्मिक साहित्यका वह मूल आधार है। उसमें सब जीव राशि पांच भागोमें विभक्त की गई है—नरकगति, तिर्यक्चर्चगति, मनुष्यगति, देवगति और सिद्धगति। यह तो स्पष्ट है कि ससारी जीव सिद्धोके समान सर्वथा स्वतन्त्र नहीं हैं। उनका जीवन-व्यवहार जीव और पुद्गल इन दोके मेलसे चालू है। इसीको ससार कहते हैं। जिन संसारी जीवोंका मोक्षके लिए उद्यम है उनका वह उद्यम एकमात्र पुद्गलके स्वीकृत सयोगसे छुटकारा पानेके लिए ही है। समस्त जैनसाहित्यमें धर्मको मोक्षमार्ग इसी अभिप्रायसे कहा गया है, इसलिए यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि जीवके साथ पुद्गलका वह सयोग किस प्रकारका है। इसीके उत्तर स्वरूप आगममें यह बतलाया गया है कि जिन पुद्गलोंके साथ इस जीवका अनादि कालसे एक क्षेत्रावगाही सम्बन्ध होता था रहा है उनकी कर्म सज्जा है, क्योंकि जीवके रागद्वेष आदि भावों का निमित्त पाकर वे निर्मित होते हैं, इसलिए कार्य होनेसे उन्हें कर्म कहते हैं। ये सब कर्म कर्मसामान्य की अपेक्षा एक प्रकारके होकर भी अपने उत्तर भेदोकी अपेक्षा आठ

प्रकार के और अवान्तर भेदोंकी अपेक्षा एक सी अडतालीस प्रकारके हैं ॥ ये सब कर्म जीवविपाकी, पुद्गलविपाकी, क्षेत्रविपाकी और मवविपाकी। इन चार भागोंमें विभक्त किये गये हैं। उनमेंसे क्षेत्रविपाकी और मवविपाकी ये संज्ञाये प्रयोजन विशेषसे स्थापित की गई हैं। कर्मोंके मुख्य भेद दो ही हैं—जीवविपाकी और पुद्गलविपाकी ।

यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि जीवका सासार पुद्गल आदि पर-पदार्थोंमें एकस्वबुद्धि से या आत्मबुद्धि से निर्मित होता है। इससे स्पष्ट है कि जीवकी नर-नारक आदि और काम-क्रोध आदि जो विविध अवस्थाएँ उत्पन्न होती हैं वे भी कर्मके निर्मित्तसे होती हैं और जीवके लिए मवधारण करनेके लिए छोटे-बड़े जो विविध प्रकार के शरीर तथा भन, वचन, कार्य और इवासोच्छ्वासकी प्राप्ति होती है वह भी कर्मके निर्मित्तसे होती है। फलस्वरूप जिन कर्मोंके निर्मित्तसे जीवकी ही विविध अवस्थाएँ उत्पन्न होती है उन्हें जीवविपाकी कर्म कहते हैं, क्योंकि इन कर्मोंका विपाक जीवकी नर-नारक आदि और काम-क्रोध आदि विविध अवस्थाओंके सूजन करनेमें होता है और जिन कर्मोंके निर्मित्तसे जीव के लिए शरीर आदि मिलते हैं उन्हें पुद्गलविपाकी कर्म कहते हैं, क्योंकि इन कर्मोंका विपाक जीवको सासार में रखनेमें प्रयोजनभूत शरीर आदि के निर्माण करनेमें निर्मित्तरूपसे होता है ।

ऐसा नियम है कि एक मवको छोड़कर दूसरा मव ग्रहण करनेके प्रथम समयसे उस मवसम्बन्धी जीवविपाकी कर्म अपना कार्य करने लगते हैं और जब यह जीव पूर्वके भवसम्बन्धी क्षेत्र से नवीन मवसम्बन्धी क्षेत्र तककी दूरी पार करके उत्पत्तिस्थान ता योनिस्थान में प्रवेश करता है तब अपने अपने नारक, तिथ्यञ्च आदि गतिकर्मों तथा एकेन्द्रिय आदि जातिकर्मोंके अविनाभावी पुद्गलविपाकी कर्म के निर्मित्त से पुद्गल उस क्षेत्रमें प्राप्त हुए अपने योग्य बीजका आलम्बन लेकर विविध प्रकारके शरीर, तथा उनके आगापाग, आकार और संगठन आदि रूपसे अपना कार्य करने लगते हैं। इस प्रकार यह जीव प्रत्येक मवमें अपने आत्मासे सम्बन्ध

रखनेवाली और शरीरसे मम्बन्ध रखनेवाली विविध अवस्थाओंको प्राप्त कर जीवनयापन करता है। संसारका यही क्रम है जो अनादिकालसे चला आ रहा है और तब तक चलता रहेगा जब तक इसने अपने मूल स्वधारकी पहचान छारा उसका आश्रय लेकर पुद्गल और उसके निमित्तसे होने वाले भावोंसे मुक्ति प्राप्त नहीं कर सी है। इस प्रकार इतने विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जितने भी कर्म है वे मुरुरूप से जीवविपाकी और पुद्गलविपाकी इन दो भागों में विभाजित हैं। उनमें जो जीवविपाकी कर्म हैं उनके निमित्तसे जीवकी विविध अवस्थाओं का निर्माण होता है और जो पुद्गलविपाकी कर्म हैं उनके निमित्तसे सासारी जीवके आधारमूल शरीर, मन, वाणी और द्वासोच्छ्रवास आदिका निर्माण होता है। मुरुरूपसे ये दो ही प्रकार के कार्य हैं जिन्हे संमारी जीव कर्मोंकी सहायता से करते रहते हैं। इनके सिवा अन्य जितनी स्त्री, पुत्र, मकान और घनादि भोगसामग्री मिलती है वह सब जीवकी लेश्या और कथायसे ही प्राप्त होती है। उसे किसी स्वतन्त्र कर्मका कार्य मानना उचित नहीं है। इतना अवश्य है कि विविध प्रकारके गति आदि कर्मों के भोग का क्षेत्र सुनिश्चित होनेसे उपचार से उसे भी कर्म का कार्य कहा जाता है। किन्तु जिस प्रकार औदारिक शरीर की प्राप्ति के लिए औदारिक शरीर नामकर्म है उस प्रकार भोगोपभोगकी सामग्रीकी प्राप्ति के लिए कोई कर्म नहीं है। कर्मका कार्य वह कहलाता है जो प्राप्त होता है स्वीकार नहीं किया जाता। किन्तु भोगोपभोगकी सामग्री स्वीकार की जाती है प्राप्त नहीं होती, इसलिए जिन भावोंसे इसे स्वीकार किया जाता है वे भाव ही उसकी प्राप्ति अर्थात् स्वीकार करनेमें कारण हैं। पुण्य-पाप कर्मकी उदय-उदीरणा निमित्तमात्र है।

इस प्रकार सामान्यरूपसे कर्मोंके कार्यका निर्णय हो जानेपर प्रकृतमें मनुष्यगतिकी अपेक्षासे विचार करना है। मूल कर्म आठ और उनके उत्तर भेद एक सौ अड़तालीस हैं यह तो हम पहले ही बतला आये हैं। उनमेंसे नामकर्मके तेरानवें भेद हैं, जिनमें चार गतिकर्म हैं। ‘गम्यते इति गतिः’

इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो प्राप्त की जाय उसे गति कहते हैं। सामान्यसे सब जीव एक प्रकार के हैं। स्वयं उनकी नारक, तिर्यङ्गच, मनुष्य और देवरूप कोई अवस्था नहीं है। इनमें से विवक्षित अवस्थाको प्राप्त करने निमित्त होना यह गति नामक नामकर्मका कार्य है, इसलिए इसके नरकगति, तिर्यङ्गचगति, मनुष्यगति और देवगति ये चार भेद किए गये हैं। ये चारों प्रकारके गतिनामकर्म जीवविपाकी हैं। जीवविपाकी कर्म किन्हें कहते हैं इसका स्पष्टत निर्देश हम पहले कर ही आये हैं। इससे स्पष्ट है कि, मनुष्यगति नामक नामकर्मके उदयसे जीव मनुष्य होता है, इस लिए इससे एकमात्र मनुष्य पर्यायविहिषण जीव का बोध होता है, शरीर का नहीं और न जीव और शरीर मिलकर दोनोंका ही।

चौदह मार्गणाखोंमें नोआगमभावरूप जीवपर्याय ही ली गई है। इनका पूरे विवरणके साथ स्पष्टीकरण क्षुल्लकबन्धमें किया गया है : वहाँ पर मनुष्यगतिमें मनुष्य कैसे होता है यह प्रश्न करके आगेके सूत्र द्वारा उसका समाधान करते हुए बतलाया गया है कि मनुष्यगति नामक नामकर्मके उदयसे यह जीव मनुष्य होता है (सामित्त सू० ८-६)।

वर्णणाखण्डमें भी जीवभावके तीन भेद करके विपाकप्रत्ययिक जीवभाव दिखलानेके लिए स्वतन्त्ररूपसे एक सूत्र आया है। उसमें देव, मनुष्य, तिर्यङ्गच, नारक, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुसववेद, क्रोध, मान, माया और लोभ आदि ये सब विपाकप्रत्ययिक जीवभाव कहे गये हैं (निवधन सू० १५)।

ये दोनों उल्लेख घट्खण्डागम नामक मूल आगम साहित्यके हैं जो इस बातका समर्थन करनेके लिए पर्याप्त है कि आगममें जहाँ भी मनुष्य या मनुष्यिनी आदि शब्दोंका व्यवहार हुआ है वहाँ उनमें जीवकी अवस्था विशेषको ही ग्रहण किया गया है। इतना ही नहीं, तत्त्वार्थसूत्र आदि उत्तरकालीन साहित्यसे भी इसका समर्थन होता है, अन्यथा वहाँ जीव के इकीस औदयिक भावोंमें चार गतियोंका ग्रहण करना नहीं बन सकता था। (त० सू०, अ० २, ६)।

इसपर कोई ऐसी शंका कर सकता है कि जिस जीवके मनुष्यगति नामक कर्मका उदय है उसे मनुष्य कहा जाय इसमें आपत्ति नहीं है। परन्तु ऐसे जीवको शरीर प्राप्त होनेपर उसमेंभी मनुष्य शब्दका व्यवहार करनेमें बाधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य पर्याय विशिष्ट जीवको ही इसकी प्राप्ति होती है। समाधान यह है कि नारकी, तिर्यङ्ग, मनुष्य और देव ये सब भेद जीवोंके ही हैं, शरीरोंके नहीं। ये भेद शरीरोंके नहीं हैं यह इसीसे स्पष्ट है कि जब ये जीव एक शरीरको छोड़कर नूतन शरीरकी प्राप्तिके पूर्व विग्रहणितमें रहते हैं तब भी इन सज्जाओंका व्यवहार होता है और जब ये अपने-अपने योग्य शरीरोंको प्राप्त हो जाते हैं तब भी इन सज्जाओंका व्यवहार होता है। है ये सज्जाएँ जीवोंकी ही, शरीरोंकी नहीं इनना स्पष्ट है।

यहाँ पर हमने इन नारक, देव, तिर्यङ्ग और मनुष्य आदि पर्यायोंको नोआगमभाव सज्जा दी है, हमलिए प्रकृतमें इस शब्दके अर्थका स्पष्टीकरण कर देना भी आवश्यक है। नोआगमभावका भामान्य लक्षण तो यह है कि जिस द्रव्यकी जो वर्तमान पर्याय होती है वह उसकी नोआगमभाव पर्याय कहलाती है। उदाहरणार्थ वर्तमानमें जो सिंह है उसका वह सिंह होना नोआगमभाव कहा जायगा। इसी प्रकार जो जीव वर्तमानमें मनुष्य है उस समय वह नोआगमभाव मनुष्य कहलायेगा। ऐसा नियम है कि पुद्गलविपाकी कर्मोंके उदयसे जीवको नोआगमभावरूप पर्यायिका निर्माण नहीं होता, क्योंकि पुद्गलविपाकी कर्मोंका फल जीवमें न होकर जीवसे एक क्षेत्रावगाही सम्बन्धको प्राप्त हुए शरीर आदिमें होता है। इसी भावको स्पष्ट करते हुए गोम्मटसार कर्मकाण्डमें कहा भी है—

जोआगमभावो पुण्य सगसगकम्मकलसंजुदो जीवो ।

पोग्गलविवाहयाणं गतिष्ठ तु जोआगमो भावो ॥८६॥

इस गाथामें दो बातें स्पष्ट की गई हैं। पूर्वाधिमें तो यह बतलाया गया है कि अपने-अपने जीवविपाकी कर्मफलसे युक्त जीव नोआगमभाव कहा

जाता है। इसपर यह शका हो सकती है कि पुदगलविपाकी कर्मोंके फल-से मुक्त भी तो जीव होता है, इसलिए जिस मनुष्य जीवको औदारिक शरीर नामकर्मके उदयसे औदारिकशरीरकी प्राप्ति हुई है उसके उस शरीरको भी नोआगमभाव मनुष्य कहा जाना चाहिए। इस प्रकार इस शकाको मनमें करके उबत गाथाके उत्तराधं द्वारा उसका समाधान किया गया है। आशय है कि पुदगलविपाकी कर्मका फल जीवमें नहीं होता, अतः पुदगलविपाकी कर्मोंके उदयसे होनेवाला कायं जीवके नोआगमभाव संज्ञाको भी नहीं प्राप्त हो सकता। यह नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीका ही अभिप्राय हो ऐसी बात नहीं है। वर्णाखण्डमें विपाकप्रत्ययिक अजीवभावोंका निर्देश करते हुए स्वयं भगवान् पुष्पदन्त मूत्रबलीने विपाकजन्यरूप-रसादि की ही ऐसे भावोंमें परिणना की है (बन्धन २१)। इससे भी स्पष्ट है कि आगम साहित्यमें मनुष्य शब्दका अर्थ मनुष्य पर्याय विशिष्ट जीव ही लिया है अन्य नहीं। उसे नोआगमभाव कहनेका भी यही अभिप्राय है।

व्यष्टिपि निर्जेषे व्यवस्थामें द्रव्यनिर्जेषेषुरूपसे भी मनुष्यादि शब्दोंका व्यवहार होता हुआ देखा जाता है। जैसे द्रव्यपुरुष, द्रव्यस्त्री, द्रव्यनपुसक, द्रव्यमनुष्य, द्रव्यगोत्र, द्रव्यलेश्या, द्रव्यसंयम और द्रव्यमन आदि। इसलिए इस आधारसे कोई यह भी कह सकता है कि मनुष्य शब्दका व्यवहार केवल नोआगम भावरूप अर्थमें ही न होकर तद्व्यरिक्त नोकर्म द्रव्य अर्थ-में भी होता है और प्रकृतमें तद्व्यरिक्त नोकर्मद्रव्यसे एक मात्र शरीरका ही ग्रहण किया जाता है। लोकमें भी कहा जाता है कि अमुक स्थानपर मनुष्य मरा पड़ा है वास्तवमें वहाँपर मनुष्य तो नहीं मरा पड़ा है। वह तो कभीका अन्य पर्यायिकों चला गया है। इतना अवश्य है कि वहाँपर इसके निर्जीव शरीरको देखकर उसमें भी मनुष्य शब्दका व्यवहार किया गया है, इसलिए इस आधारसे यह कहना कि आगम साहित्यमें केवल नोआगमभाव मनुष्यका ही ग्रहण किया गया है तद्व्यतिरिक्त नोकर्मद्रव्य-का नहीं उचित नहीं है? समाधान यह है कि यह हम मानते हैं कि लोकमें ऐसा व्यवहार होता है इसमें सन्देह नहीं और अधिकतर मनुष्य इसी

कारणसे भ्रममें भी पड़ जाते हैं। इवेताम्बर परम्परा इसीसे भ्रममें है। परन्तु आगममें गुणस्थान और मार्गणास्थानके लिए आई हुई जितनी भी सज्जाएँ हैं वे नोआगमभावरूप (जीवकी अवस्थारूप) ही ली गई हैं यह इसीसे स्पष्ट है कि वर्गणास्थानमें चौदह मार्गणाएँ और उनके जितने भी अवान्तर भेद हैं उन सबकी व्याख्या नदूब्यतिरिक्त नोकर्मद्रव्यपरक न करके नोआगमभावपरक ही की गई है। क्षुलकबन्धका यह निर्देश अपने में मौलिक है और उससे आगमपरम्परामें क्या अभिप्रेत है इसका स्पष्ट बोध हो जाता है। स्पष्ट है कि जहाँपर आगममें मनुष्य या मनुष्यिनी शब्द आया है उससे नोआगमभाव मनुष्य या मनुष्यिनीका ही ग्रहण करना चाहिए।

नोआगमभाव मनुष्योंके अवान्तर भेद—

इस प्रकार मनुष्यगति नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई मनुष्यजाति (सब मनुष्य) एक प्रकारकी होकर भी स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपूसकवेद इन तीन वेदनोक्तायामोहनीय कर्म तथा पर्याप्त और अपर्याप्त नामक-कर्मके उदयकी अपेक्षा वह चार मार्गोंमें विभक्त हो जाती है। यथा— सामान्य मनुष्य, मनुष्यपर्याप्ति, मनुष्यिनी और मनुष्य अपर्याप्ति। यहाँ पर ये प्रकृतमें उपयोगी जितने कर्म गिनाये हैं वे सब जीवविपाकी हैं, क्योंकि उनके उदयसे जीवकी अवस्थाओंका ही निर्माण होता है, पुदगल-की अवस्थाओंका नहीं। मनुष्यजातिके उक्त अवान्तर भेद भी इन्ही कर्मों-के उदयसे निर्मित होते हैं, अतः इन भेदोंको जीवके नोआगमभावरूप ही जानना चाहिए, मनुष्य शरीरके अवान्तर भेदरूप नहीं।

यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि जिस जीवकी वर्तमान पर्याय जिन कर्मोंके उदयसे होती है उनका वर्तमान भवश्रहणके प्रथम समयमें ही उदय हो जाता है और जिन कर्मोंके उदयसे शरीररचना आदि होती है उनका उदय शरीरश्रहणके प्रथम समयमें होता है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपूसकवेद ये तीनो वेदनोक्तायामें तथा पर्याप्त और

अपर्याप्त नामकर्म इनके निमित्तसे वर्तमान पर्यायिका निर्माण होता है, क्योंकि जीवको स्त्री, पुरुष या नपुंसक सज्जा तथा पर्याप्त या अपर्याप्त सज्जा भवके प्रथम समयमें ही मिल जाती है। इस दृष्टिसे किसी मनुष्यके शरीरमें दाढ़ी, घूँछ या द्रव्यपुरुषके बन्ध चिह्न हैं, इसलिए वह नोआगमभाव पुरुष है ऐसा नहीं कहा जा सकता है तथा किसी मनुष्यके शरीरमें कुच आदि द्रव्यस्त्रीके चिह्न हैं, इसलिए वह नोआगमभाव मनुष्यिनी है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये सब विशेषताएँ शरीरकी हैं जीवकी नहीं। इसी प्रकार कोई जीव अपने अगोसे परिपूर्ण है इसलिए वह पर्याप्त है यह नहीं है तथा कोई मनुष्य विकलाक है, इसलिए वह अपर्याप्त है यह भी नहीं है, क्योंकि ये विशेषताएँ शरीरकी हैं जीवकी नहीं। किन्तु यहाँपर स्त्रीवेद आदि कर्मोंके उदयसे होनेवाले जीवभावोंका ही प्रहण किया गया है, क्योंकि ये सब कर्म जीवविपाकी हैं। इसलिए सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और मनुष्य अपर्याप्त ये चारों भेद मनुष्यगतिनामकर्मोंके उदयसे प्राप्त हुए मनुष्य पर्याय विशिष्ट जीवोंके ही जानना चाहिए। इन्हीं सब विशेषताओंको ध्यानमें रखकर गोम्भट्सार कर्मकाण्डके उदय प्रकरणमें इनके इस प्रकारमें लक्षण बिये गये हैं—जिनके मनुष्यगतिका नियमसे तथा तीनों वेदोंमेंसे किसी एकका और पर्याप्त तथा अपर्याप्तमेंसे किसी एकका उदय होता है वे सब सामान्य मनुष्य हैं, जिनके मनुष्यगतिके माथ पुश्टवेद और नपुंसकवेदमेंसे किसी एकका तथा पर्याप्त नामकर्मका उदय होता है वे मनुष्य पर्याप्त हैं, जिनके मनुष्यगति, स्त्रीवेद और पर्याप्त नामकर्मका उदय होता है वे मनुष्यिनी हैं और जिनके मनुष्यगति, नपुंसकवेद तथा अपर्याप्त नामकर्मका उदय होता है वे मनुष्य अपर्याप्त हैं। इस प्रकार मनुष्योंके ये अवान्तर भेद भी नोआगमभावरूप हैं यह सिद्ध हो जाता है।

इस स्थितिके रहते हुए भी किन्हींके द्वारा मनुष्यिनी शब्दका अर्थ द्रव्यस्त्री किया जाना सम्भव है। इस बातको ध्यानमें रखकर बीरसेन स्वामीने घबला टीकामें दो स्थलोपर 'मनुष्यिनी' शब्दके अर्थपर विस्तारके

साथ विचार किया है। प्रथम स्थल जीवस्थान सत्प्ररूपणाके ६३वे सूत्रकी टीका है। इस स्थलपर शकाकारके द्वारा दो शकाएं उठाई गई हैं। प्रथम शका सम्यग्दर्शनसे सम्बन्ध रखती है और दूसरी शकाका सम्बन्ध मुक्तिसे है। सम्यग्दर्शनके सम्बन्धमें शका करते हुए शकाकार कर्मसाहित्यके इस नियमसे परिचित है कि जो सम्यग्दृष्टि जीव मरकर मनुष्यो, तिर्यङ्गो और देवोमे उत्पन्न होता है वह पुरुषवेदी ही होता है, स्त्रीवेदी और नपुसकवेदी नहीं होता। फिर भी वह यह स्वीकार कराना चाहता है कि कोई सम्यग्दृष्टि जीव मरकर हृष्णडावसपिणी कालके दोषसे यदि स्त्रियोमे उत्पन्न हो जाय तो क्या हानि है? इससे पूर्वोक्त नियम भी बना रहता है और अपवादरूपमें सम्यग्दृष्टियोका मरकर स्त्रियोमे उत्पन्न होना भी बन जाना है। वीरसेन स्वामीने इस शकाका जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि इसी ६३वे सूत्रमें निरपवाद रूपसे जब यह स्वीकार किया गया है कि मनुष्यनियोकी अपयप्ति अवस्थामें अविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान नहीं होता। ऐसी अवस्थामें हृष्णडावसपिणी कालदोषसे भी सम्यग्दृष्टि जीवोंका मरकर स्त्रियोमे उत्पन्न होना सम्भव नहीं है। अत यही मानना उचित है कि सम्यग्दृष्टि जीव मरकर स्त्रियोमे नहीं उत्पन्न होते।

शकाकारने दूसरी शका मनुष्यनी शब्दका अर्थ मुरुयरूपसे द्रव्यस्त्री करके उठाई है। उसका कहना है कि जब इसी ६३वे सूत्रके आधारसे मनुष्यनीके चौदह गुणस्थान बन जाते हैं तब इन आगम वचनके अनुसार ही द्रव्यपुरुषके समान द्रव्यस्त्री भी मुक्तिकी पात्र है इसे स्वीकार कर लेनेमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वीरसेन स्वामीन इस शका का विस्तारके साथ समाधान किया है। उन्होने प्रथम तो यह बतलाया है कि द्रव्यस्त्री अपने जीवनमें वस्त्रका स्थाग कर नग्न विचरण नहीं कर सकती, अत उसके भाव अधिक से अधिक सयमासयम गुणस्थान तकके ही हो सकते हैं। उसके आशिकरूपमें द्रव्यसयमके रहते हुए भी मावसयम नहीं हो सकता, इसलिए द्रव्यस्त्रीका उसी भवसे मोक्ष प्राप्त करना सम्भव नहीं है। इसपर यह शका होना स्वाभाविक है कि यदि द्रव्यस्त्रीको मोक्ष

की प्राप्ति नहीं होती तो उक्त सूत्रमें उसके चौदह गुणस्थान क्यों कहे गये हैं। वीरसेन स्वामीने इस शकाका समाधान सब कार्मिक ग्रन्थोंमें स्वीकृत मार्गणाओंके स्वरूपको व्यानमें रखकर किया है। अुल्लकबन्ध और अन्य प्रमाणोंका हवाला देकर यह तो पहले ही बतला आये हैं कि आगम परम्परामें सर्वत्र नोआगम भाव मार्गणाओंका आश्रय लेकर ही कथन हुआ है। प्रकृतमें वीरसेन स्वामीने भी इसी अभिप्रायको व्यानमें रखकर उत्तर दिया है। उत्तरका सार यह है कि यहाँपर मनुष्यिनी शब्द का अर्थ द्रव्यस्त्री न होकर स्त्रीवेदके उदयसे युक्त मनुष्यगतिका जीव है और ऐसे जीवके चौदह गुणस्थान बन सकते हैं। यही कारण है कि प्रकृत सूत्रमें मनुष्यिनीके चौदह गुणस्थानोंका सद्भाव स्वीकार किया गया है।

इस उत्तरसे यद्यपि मूल शकाका समाधान तो हो जाता है पर एक नयी शका उठ खड़ी होती है। वीरसेन स्वामीने उस शकाको उठाकर उसका भी समाधान किया है। शकाका सार यह है कि यहाँपर मनुष्यिनी शब्दका अर्थ स्त्रीवेदके उदयवाला मनुष्य जीव लेनेपर मनुष्यिनी शब्दका व्यवहार नौवे गुणस्थान तक ही होना चाहिए। आगेके गुणस्थानोंमें किसी भी जीवको मनुष्यिनी कहना उचित नहीं है, वयोंकि आगे मनुष्यिनी शब्दके व्यवहारका कारण वेदनोकथायका उदय नहीं पाया जाता। शका कार्मिक है और वीरसेन स्वामीने इसका जो उत्तर दिया है वह शकाका समुचित उत्तर होकर भी सिद्धान्त ग्रन्थोंके और सभी कार्मिक ग्रन्थोंके आशयके अनुरूप है। इन ग्रन्थोंमें सर्वत्र चौदह गुणस्थानों और चौदह मार्गणाओंके लिए उपयुक्त हुए शब्दोंके वाच्यार्थरूपसे जीवोंके भेद ही विवरित रहे हैं, शरीरके भेद नहीं, इसलिए प्रकृतमें मनुष्यिनी शब्दके वाच्यार्थ रूपसे स्त्रीवेदके उदयवाला मनुष्यगतिका जीव ही लिया गया है इसमें सन्देह नहीं। तथा इस दृष्टिसे इस शब्द का व्यवहार नौवे गुणस्थान तक ही होना चाहिए यह भी ठीक है। परन्तु आगे ऐसे जीवका अन्य

जीवसे पार्थक्य दिखलाना आवश्यक है, इसलिए नौवें गुणस्थानमें स्त्रीवेद गुणके नष्ट हो जानेपर भी आगे उस शब्दका गतिके आश्रयसे व्यवहार होता रहता है। लोकमें पूजारी और प्रोफेसर आदि जो सज्जाएँ गुण या कर्मके आश्रयसे प्रवृत्त होती है उनमें भी इस प्रकारका व्यवहार देखा जाता है। अर्थात् वह व्यक्ति पूजा आदि उस कर्मका त्याग भी कर देता है तो भी उस व्यक्तिके आश्रयसे पूजारी आदि शब्दकी प्रवृत्ति होती रहती है। नौवें गुणस्थानके आगे मनुष्यिनी शब्दके प्रयोगमें भी यही दृष्टि सामने रही है। यही कारण है कि यहाँपर मनुष्यिनीके चौदह गुणस्थानोंका सद्भाव बतलाया गया है।

दूसरा स्थल वेदनाकालविधानके १२वें सूत्रकी टीका है। यहाँ पर सिद्धान्त ग्रन्थोंमें स्त्रीवेद शब्दका वाच्यार्थ भाववेद है, द्रव्य स्त्रीवेद नहीं है इस अभिप्रायको दो प्रमाण देकर स्पष्ट किया गया है। यहाँ वेदनाकाल विधानके इस सूत्रमें अन्य वेदवालोंके साथ स्त्रीवेदी जीव भी नारकियों और देवोसम्बन्धी तेतीस सागर आयुका बन्ध करते हैं यह कहा गया है। इस पर यह जिज्ञासा हुई कि यहाँ पर स्त्रीवेद शब्दका वाच्यार्थ क्या लिया गया है—भावस्त्रीवेद या द्रव्यस्त्रीवेद। वीरसेनस्वामीने एक अन्य प्रमाण देकर इस जिज्ञासाका समाधान किया है। अन्य प्रमाणमें स्त्रियों (द्रव्य-स्त्रियों) का छठी पृथिवीतक मरकर जाना बतलाया है। किन्तु इस सूत्र में स्त्रीवेदीके तेतीस सागर आयुके बन्धका विधान किया है। इस परसे वीरसेन स्वामीने यह फलित किया है कि मिद्धान्त ग्रन्थोंमें स्त्रीवेद शब्द का वाच्यार्थ भावस्त्रीवेद ही विवक्षित है। यदि ऐसा न डोता तो यहाँ पर इस सूत्रमें सूत्रकार अधिकसे अधिक बाईंस सागर आयुके बन्धका ही विधान करते, वयोंकि द्रव्यस्त्री छठे नरकसे आगे नहीं जाती और छठे नरकमें उत्कृष्ट आयु बाईंस सागर रहती है। कदाचित् यह कहा जाय कि देवोंकी उत्कृष्ट आयुके बन्धकी अपेक्षा यहाँ पर स्त्रीवेद शब्दका वाच्यार्थ द्रव्यस्त्रीवेद लिया जावे तो क्या हार्न है। परन्तु यह कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि देवों सम्बन्धी उत्कृष्ट आयुका बन्ध निर्गन्धके ही होता

है और द्रव्यस्त्री निर्वन्ध हो नहीं सकती, क्योंकि द्रव्यस्त्री और द्रव्य-नपुमक वस्त्रादिका त्यागकर निर्वन्ध नहीं हो सकते ऐसा छेदसूक्तका बचन है। इससे स्पष्ट है कि मिद्दान्त ग्रन्थोमें स्त्रीवेदसे भावस्त्रीका ही गहण हुआ है।

इस प्रकार सब प्रकारसे विचार करने पर यहीं प्रतीत होता है कि मिद्दान्त ग्रन्थोमें चौदह मार्गणाओंका विचार नोआगमभावरूप पर्यायिकी दृष्टिसे ही किया गया है। उनमें मनुष्यजातिके अवान्तर भेद तो गंभीर हैं ही।

धर्माधिर्म विचार—

नोआगमभाव मनुष्योके ये अवान्तर भेद हैं। इनमें धर्माधिर्मका विचार करते हुए पट्टखण्डागममें बतलाया है कि सामान्यसे मनुष्य चौदह गुणस्थानोमें विमर्श हैं—मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यगदृष्टि, सम्यगिमिथ्या-दृष्टि, असयतसम्यगदृष्टि, सयतासयत, प्रमत्तसयत, अप्रमत्तसयत, अपूर्व-करण गुणस्थानवर्ती उपशामक और क्षपक, अनिवृत्तिकरणगुणस्थानवर्ती उपशामक और क्षपक, सूक्ष्मसाम्परायगुणस्थानवर्ती उपशामक और क्षपक, उपशान्तकषायवीतरागछयस्थ, क्षीणकषायवीतरागछयस्थ, सयोगिके-बली और अयोगिकेबली। सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनी इनमें ये चौदह ही गुणस्थान होते हैं। किन्तु मनुष्य अपर्याप्तिकोमें एकमात्र मिथ्यात्व गुणस्थान हाता है। ये सब मनुष्य ढाई द्वीप और दो समुद्रोमें पाये जाते हैं। किन्तु भोगभूमिके मनुष्य इसके अपवाद है, क्योंकि उनमें सयमासयम और सयम की प्राप्ति सम्भव न होनेसे केवल प्रारम्भके चार गुणस्थान ही होते हैं। कारणका निर्देश हम पिछले एक प्रकरणमें कर बाये हैं।

पट्टखण्डागममें प्रतिपादित इन चौदह गुणस्थानोंको मिथ्यादर्शीन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र तथा सम्यगदर्शीन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्-

चारित्र इन छह भागोमें विभाजित किया जा सकता है। प्रारम्भके दो गुणस्थान मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्ररूप होते हैं। तीसरा गुणस्थान मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञान तथा सम्यग्दर्शन और सम्यज्ञान इनके मिश्ररूप होता है तथा चारित्रकी अपेक्षा वहाँ एक असद्यमभाव होता है। आगेके सब गुणस्थानोमें सम्यग्दर्शन और सम्यज्ञान तो सर्वत्र होता है। परन्तु चारित्रकी अपेक्षा चौथेमें असद्यमभाव, पाँचवें गुणस्थानमें सद्यमासयमभाव (श्रावकघर्म) और छठे आदि गुणस्थानोमें सद्यमभाव (मुनिघर्म) होता है। पहले मनुष्योंके जिन तीन भेदोमें चौदह गुणस्थानोंकी प्राप्तिका निर्देश किया है उन सबमें पूर्ण मुनिघर्म तककी प्राप्ति सम्भव है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। मात्र भोगभूमिके उक्त तीन प्रकारके मनुष्य इसके अपवाद हैं, क्योंकि उनमें गृहस्वधर्म और मुनिघर्मकी प्राप्ति सम्भव नहीं है।

कथायप्राभूत भी मूल आगमसाहित्य है। इस दुष्टिसे षट्खण्डागम और कथायप्राभूतके अभिप्रायमें कोई अन्तर नहीं है। इन दोनों ग्रन्थोमें बतलाया है कि दर्शनमोहनीय (सम्यक्त्व का धात करनेवाले) कर्मका उपशम होकर चारों गतियोमें पञ्चेन्द्रिय सभी पर्याय जीवके उपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति सम्भव है। यह सब नरकोमें, सब भवनवासी देवोमें, मब द्वीप और सब समुद्रोमें अर्थात् मध्यलोकमें रहनेवाले तिर्यङ्ग्चो और मनुष्योमें, व्यन्तर देवोमें, भवनवासी देवोमें, सौधर्म कल्पसे लेकर नौर्यवयक तकके सब विमानवासी देवोमें, बाह्य आदि कर्ममें नियुक्त आभियोग्य जातिके देवोमें तथा किलिवषक देवोमें इस प्रकार सर्वत्र उत्पन्न होता है। उत्पन्न होनेके बाद यह अन्तर्मुहूर्त काल तक रहता है। उसके बाद यदि मिथ्यात्व कर्मका उदय होता है तो यह जीव पुन मिथ्यादृष्टि हो जाता है। परिणामोंकी बड़ी विचित्रता है। जिस सम्यक्त्वकी प्राप्तिके लिए चिरकाल तक अभ्यास किया बहु क्षणमात्रमें विलीन हो जाता है। बेदकसम्यक्त्वकी प्राप्ति भी चारों गतियोमें होती है। इसका भी ठहरनेका जबन्थ काल अन्तर्मुहूर्त है। इस सम्यक्त्ववाला भी अपने सम्यक्त्वरूप

परिणामोंसे च्युत होकर मिथ्यादृष्टि हो सकता है। किन्तु क्षायिकसम्यक्त्व के विषयमें ऐसी बात नहीं है। यह सम्यक्त्वके विरोधी कर्मोंका सर्वथा अभाव करके ही उत्पन्न होता है, इसलिए उत्पन्न होनेके बाद इसका नाश नहीं होता। ऐसा जीव या तो उसी भवमें या तीसरे या चौथे भवमें सब कर्मोंका नाश कर नियमसे मोक्ष प्राप्त करता है। इसकी प्राप्तिके विषय में ऐसा नियम है कि क्षायिकसम्यक्त्वका प्रस्थापक तो कर्मभूमिज मनुष्य ही होता है परन्तु इसकी परिपूर्णता यथायोग्य चारों गतियोंमें हो सकती है। किन्तु इतनी विशेषता है कि इसका प्रारम्भ तीर्थकर केवली, सामान्य केवली या श्रुतकेवलीके पादमूलमें ही होता है।

संयमासयम, जिसे चरणनुयोगकी दृष्टिसे आवक्षर्म कहते हैं तिर्यङ्ग और मनुष्य दोनोंके होता है। मात्र सबसे जचन्य और सबसे उत्कृष्ट सययासयम भाव मनुष्यके ही होता है। परन्तु मध्यम भावके लिए ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वह यथासम्भव तिर्यङ्गबोंके भी होता है और मनुष्योंके भी होता है। इसकी प्राप्ति कोई प्रकारसे होती है। किसीको सम्यक्त्वकी प्राप्ति के साथ ही इसकी प्राप्ति होती है, किसीको पहले सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है और उसके बाद इसकी प्राप्ति होती है। तथा किसी मनुष्यको सयमभाव (मुनिधर्म) छूटकर इसकी प्राप्ति होती है। सयमासयम प्राप्त होनेपर वह जीवनपर्यान्त बना रहता है और किसीके अग्नर्मुहूर्तमें छूटकर अन्य भाव हो जाता है। या तो उसके छूटनेके बाद असयमभाव (अविरत दशा) हो जाता है या परिणामोंकी विशुद्धतावश मनुष्य के सययभाव (मुनिधर्म) हो जाता है, परन्तु उसका मुनि होना आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि केवल बाह्य आचारसे इसका सम्बन्ध नहीं है। बाहरसे आवक्षर्मका पालन करनेवाला भी असयमी होता है और बाहरसे मुनिधर्मका पालन करनेवाला भी सयमासयमी या असयमी हो सकता है। इसी अभिप्रायको व्यानमें रखकर स्वामी समन्तभद्रने रत्नकरण्डश्रावकाचारमें कहा है—

गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नेब मोहवान् ।
अनशारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुने. ॥३३॥

बर्चत् निर्मोही गृहस्थ मोक्षमार्गी है परन्तु मोही मुनि मोक्षमार्गी नहीं है, अतः मोही मुनिसे निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है।

परिणामोकी बड़ी विचित्रता है, क्योंकि अन्तरग कार्यकी सम्हाल परिणामोसे ही होती है। केवल बाह्य कारणकूट सहायक नहीं होते। सिद्धान्त ग्रन्थोंमे योग्यताका बड़ा महत्व बतलाया गया है। कहाँ तो मनुष्य पर्याय और कहाँ तिर्यङ्गच पर्याय। उसमे भी सम्मूर्छन तिर्यङ्गच पर्याय तो उससे भी अवस्थाकी टृष्णिसे हीन होती है। फिर भी सम्मूर्छन तिर्यङ्गच पर्याप्ति होनेके बाद ही सयमासयम भावको प्राप्त कर सकता है। किन्तु मनुष्यमे ऐसी योग्यता नहीं कि वह पर्याप्ति होनेके बाद तत्काल इसे प्राप्त कर सके। मनुष्यकी गर्भसे लेकर आठ वर्ष लगते हैं तब कही वह सयमासयम या संयमभावको ब्रह्म करनेका पात्र होता है।

सयमभाव (मुनिधर्म) की प्राप्ति आदिके विषयमे भी वही सब व्यवस्था है जिसका उल्लेख सयमासयमभावकी प्राप्ति आदिके प्रसंगसे कर आये हैं। किन्तु इसकी प्राप्ति तिर्यङ्गच पर्यायमे न होकर मात्र मनुष्य पर्यायमे ही होती है। इसके लिए उसे कर्मभूमिज ही होना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि इसे कर्मभूमिज और अकर्मभूमिज दोनों प्राप्त कर सकते हैं। इतना अवश्य है कि जो कर्मभूमिज मनुष्य सयमभावको प्राप्त करते हैं उनके यथासम्बद्ध जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट तीनों प्रकार-का संयमभाव होता है। किन्तु अकर्मभूमिजके वह मध्यम ही होता है। साधारण नियम यह है कि जो मनुष्य आगामी भवसम्बन्धी नरकायु, तिर्यङ्गचायु या मनुष्यायुका बन्ध कर लेता है उसके सयमासयमभाव और सयमभाव नहीं हो सकता। ऐसा मनुष्य यदि बाहरसे गृहस्थधर्म या मुनिधर्मका पालन करता है तो भले ही करे। किन्तु अन्तरगमे उसके गृहस्थधर्म और मुनिधर्मके भाव नहीं होते। मात्र आगामी भवसम्बन्धी

देवायुका बन्ध करनेवाले के लिए ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है। देवायुका बन्ध होने के बाद भी संयमासयम और सयमभावकी प्राप्ति हो सकती है। इतना अवश्य है कि ऐसा मनुष्य क्षपकश्रेणिपर आरोहण नहीं कर सकता। उपशमश्रेणिकी प्राप्ति में उसे कोई बाधा नहीं है। आगामी भवसम्बन्धी किस आयुका बन्ध होने के बाद किस मनुष्यकी क्या योग्यता होती है इसके सम्बन्धमें यह व्यवस्था है। किन्तु जिसने आगामी भवसम्बन्धी किसी भी आयुकर्मका बन्ध नहीं किया उसे संयमासयम और सयमभावको प्राप्त करनेमें कोई बाधा नहीं है। वह यदि चरमशरीरी है तो उसी भवमें आयुकर्मका बन्ध किये बिना क्षपकश्रेणिपर आरोहणकर मोक्षका पात्र होता है और यदि चरमशरीरी नहीं है तो जिसकी जैसी आन्तरिक योग्यता है उसके अनुसार उसे संयमासयम या संयमभावकी प्राप्ति होती है। ऐसा मनुष्य इन परिणामोंके रहते हुए मात्र देवायुका बन्ध करता है। कदाचित् देवायुकर्मका बन्ध हुए बिना ये परिणाम छूटकर वह मिथ्याहृष्टि हो जाता है तो वह नरकायु, तिर्यक्चायु या मनुष्यायुका बन्ध कर नरक और निगोद आदि दुर्गतियोंमें तथा मनुष्यगतिमें मरकर उत्पन्न हो सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसे संयमासयम या सयमभावकी प्राप्ति हुई है वह नियमसे उत्तम गतिमें ही जाता है और ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि जो जीवन भर मिथ्याहृष्टि बना हुआ है वह नियमसे दुर्गतिका ही पात्र होता है। इतना अवश्य है कि संयमासयमभावके साथ मरनेवाला केवल मनुष्य नियमसे देव होता है। जो जीव अतिशीघ्र प्रथम बार सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है वह कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन काल तक ससारमें नियमसे परिभ्रमण करता है। ऐसा करते हुए उसे केवल उत्तमोत्तम गति और भोग ही मिलते हो ऐसा भी नहीं है। अन्य ससारी जीवोंके समान वह भी विविध प्रकारके सुख-दुःख और सयोग-वियोगका पात्र होता है। इस कालके भीतर यह जीव अधिकसे अधिक असख्यात बार सम्यक्त्व और संयमासयमको तथा इकतीस बार सयमको प्राप्त करके भी छोड़ देता है और ससारमें परिभ्रमण करने लगता है। आगम-

मेरे बतलाया है कि जिस नित्यनिगोदिया जीवने कभी भी निगोद पर्यायको छोड़कर अन्य पर्याय धारण नहीं की वह भी बहाँसे निकलकर लस-स्थावरसम्बन्धी कुछ पर्यायोंको धारण करने के बाद मनुष्य हो सम्यक्त्व और सयमका पालन कर मोक्षका अधिकारी होता है और बहाँ यह भी बतलाया है कि यह जीव मनुष्य पर्यायमें सम्यक्त्व, सयम और उपमाम-श्रेणिको प्राप्त करनेके बाद भी बहाँसे ज्युत हो परम निकृष्ट निगोददशाका पात्र होता है। तात्पर्य यह है कि धर्मको अमुक प्रकारके मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है किन्तु अपनी अपनी योग्यतानुसार उसकी प्राप्ति चारों गतियोंमें होती है। नारकी, देव और भोग-भूमिज जीव असयममावके साथ सम्यग्दर्शनको प्राप्त कर सकते हैं, तिर्यञ्च सम्यक्त्वके माध्य सयमासयममावको प्राप्त कर सकते हैं और कर्मभूमिज गर्भज तीनों बेदों वाले सब प्रकारके मनुष्य सम्यक्त्वके साथ सयमासयम और सयम दोनोंको प्राप्त कर शकते हैं। इस सम्बन्धमें शरीर-की हृष्टिसे जो अपवाद है उनका निर्देश धबला टीका व उसमें उल्लिखित प्राचीन प्रमाणोंके आधारसे हम कर ही आये हैं। यद्यपि हम कथायप्राभूत-चूणिके आधारसे पहले यह बतला आये हैं कि अकर्मभूमिज मनुष्य भी कर्मभूमिज मनुष्योंके समान सयमासयम और सयमधर्मको प्राप्त करनेके अधिकारी हैं। परन्तु यह कथन विवक्षाभेदसे ही जानना चाहिए। विशेष खुलामा हम आगे करनेवाले हैं ही।

मनुष्योंके क्षेत्रकी अपेक्षासे दो भेद—

पिछले प्रकरणमें नोआगममाव मनुष्योंके चार भेद करके उनमें धर्माधर्मका विचार कर आये हैं। यहाँ क्षेत्रकी अपेक्षा उनकी क्या सज्जाएं हैं और उनमें कहाँ किस प्रमाणमें धर्मकी प्राप्ति होती है इसका विचार किया गया है। षट्क्षण्डागम और कथायप्राभूतके अनुसार क्षेत्रकी अपेक्षा मनुष्य दो प्रकारके हैं—कर्मभूमिज और अकर्मभूमिज। कर्मभूमिजका अर्थ है कर्मभूमिमें उत्पन्न होनेवाले और अकर्मभूमिजका अर्थ है कर्मभूमियों

और उनसे प्रतिबद्ध तत्सम व्यवस्थावाले क्षेत्रसे बाहर उत्पन्न होनेवाले ४ षट्खण्डागमके अनुसार ढाई द्वीप और दो समुद्रोके मध्य पन्द्रह कर्म-भूमियोमे तथा कवायप्राभूतके अनुसार कर्मभूमिये उत्पन्न हुए मनुष्योको क्षायिक सम्यग्दर्शनका प्रस्थापक कहा गया है। इससे विदित होता है कि ढाई द्वीप और दो समुद्रोके अन्तर्गत पन्द्रह कर्मभूमियोमे जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं वे कर्मभूमिज मनुष्य कहलाते हैं।

यह तो स्पष्ट है कि क्षेत्रकी दृष्टिसे लोक दो भागोमे विभक्त हैं। देवलोक, नरकलोक और मध्यलोकका भोगभूमिसम्बन्धी क्षेत्र अकर्मभूमि है। तथा मध्यलोकका शेष प्रदेश कर्मभूमि है। कर्मभूमि और अकर्मभूमि-की व्याख्या यह है कि जहाँ पर आजीविकाके साधन जुटाये जाते हैं तथा सप्तम नरकके योग्य पापबन्ध या सवर्यसिद्धिके योग्य पुण्यबन्ध या दोनों तथा वीतरागभाव सम्बन्ध है उसे कर्मभूमि कहते हैं और जहाँ पर आजी-विकाके साधन नहीं जुटाने पड़ते तथा उनके निमित्तसे छीनाज्ञपटी भी नहीं होती उसे अकर्मभूमि कहते हैं। षट्खण्डागम वेदना कालविधान अनुयोगद्वारके आठवें सूत्रमे कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट ज्ञानावरणीय वेदना-का निर्देश करते हुए सूत्रकारने 'कर्मभूमिज, अकर्मभूमिज और कर्मभूमि-प्रतिभाग' शब्दोका प्रयोग किया है। साथ ही उनकी व्याप्ति नारकी, तिर्यङ्गच, मनुष्य और देवोके साथ चिठ्ठाई है। इससे उक्त अर्थका ही बोध होता है। सक्षेपमे उक्त कथनका तात्पर्य यह है कि सात नरकभूमियोंमे उत्पन्न हुए नारकी, मध्यलोकके अकर्मभूमि (भोगभूमि) क्षेत्रमे उत्पन्न हुए सभी पञ्चवेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यङ्गच और मनुष्य तथा चारों निकायोके देव ये अकर्मभूमिज हैं। तथा मध्य लोकके शेष क्षेत्रमे उत्पन्न हुए तिर्यङ्गच और मनुष्य कर्मभूमिज हैं। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि मनुष्य ढाई द्वीप और दो समुद्रोमे ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनमे कर्मभूमिज और अकर्मभूमिज मनुष्योका विचार इम क्षेत्रको ध्यानमे रख-कर ही करना चाहिए। विवरण इसप्रकार है—

जम्बूद्वीपमें कुल क्षेत्र सात हैं—भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत । इनमेसे विदेहके तीन भाग हो जाते हैं । मेहके दक्षिण और उत्तरका भाग क्रमसे देवकुरु और उत्तरकुरु कहलाता है । तथा पूर्व और पश्चिमके भाग को विदेह कहते हैं । इसप्रकार जम्बूद्वीपमें कुल नौ क्षेत्र हैं । धातकीखण्ड और पुष्करार्ध द्वीपमें इन क्षेत्रोंकी सच्चा दूनी है । ये ढाई द्वीपके कुल येतालीस क्षेत्र होते हैं । इनमें से पाँच भरत, पाँच विदेह और पाँच ऐरावत ये पन्द्रह कर्मभूमियाँ हैं । और शेष तीस क्षेत्र अकर्मभूमियाँ हैं । कर्मभूमिज और अकर्मभूमिज मनुष्य क्रमसे इन्हीं क्षेत्रोंमें उत्पन्न होते हैं । यहाँ यह स्मरणीय है कि भरत और ऐरावत क्षेत्रमें कालका परिवर्तन होता रहता है । कभी वहाँ पर कर्मभूमिका प्रवर्तन होता है और कभी अकर्मभूमिका । वहाँ जिस समय जो काल प्रवर्तन है उसके अनुमार वहाँ पर कर्मभूमिज और अकर्मभूमिज मनुष्यों और निर्यञ्चकोंकी उत्पन्नि होती है । प्रसगसे यहाँ पर इस बातका उल्लेख कर देना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि लवणसमुद्र और कालोदधि समुद्रमें कुछ अन्तर्द्वीप हैं । उनमें भी मनुष्य उत्पन्न होते हैं । किन्तु अन्तर्द्वीपोंमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य अकर्मभूमिज ही होते हैं ।

उनरकालीन अन्य जितना जैन साहित्य उपलब्ध होता है उसमें तिर्थञ्चों और मनुष्योंके इन भेदोंको इसी रूपमें स्वीकार किया गया है । अन्तर केवल इतना है कि वहाँ पर अकर्मभूमि शब्दके स्थानमें मोगभूमि शब्दका बहुलतासे प्रयोग हुआ है । इतना अवश्य है कि षट्खण्डागम कालविद्यान अनुयोगद्वारके उक्त उल्लेख के सिवा अन्यत्र नारकियों और देवोंको अकर्मभूमिज नहीं कहा गया है । इनमें कर्मभूमिज भेदका न पाया जाना ही इसका कारण है । कर्मभूमिज, अकर्मभूमिज और कर्मभूमिप्रतिभाग सज्जा किनकी है इसका व्याख्यान ध्वलाकारने इन शब्दोंमें किया है—‘पञ्चेन्द्रिय पर्याप्ति मिथ्यावृष्टि जीव दो प्रकार के हैं—कर्मभूमिज और अकर्मभूमिज । उनमेसे अकर्मभूमिज जीव उत्कृष्ट स्थितिबन्ध नहीं

करते। किन्तु पन्द्रह कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुए जीव ही उत्कृष्ट स्थितिवन्धक बनते हैं यह जताने के लिए सूत्रमें 'कर्मभूमियस्स' पदका निर्देश किया है। भोगभूमियोंमें उत्पन्न हुए जीवों के समान देवों और नारकियोंके तथा स्वयंप्रभपर्वतके बाह्य भाग से लेकर स्वयंभूरमण समुद्र तक के इस कर्म-भूमिप्रतिभागमें उत्पन्न हुए निर्देशचोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका प्रतिषेध प्राप्त होनेपर उसका निराकरण करनेके लिए 'अकर्मभूमियस्स' तथा 'कर्मभूमिपडिभागस्स' पदोका निर्देश किया है। सूत्रमें 'अकर्मभूमियस्स' ऐसा कहने पर उससे देवों और नारकियोंका ग्रहण करना चाहिए। तथा 'कर्मभूमिपडिभागस्स' ऐसा कहने पर उससे स्वयंप्रभनगेन्द्रके बाह्य भाग में उत्पन्न हुए तिर्यङ्गचोका ग्रहण करना चाहिए।'

यहाँ पर हमने सभी पञ्चनिद्रिय पर्याप्त जीवराशिको दो भागोंमें विभाजित कर विचार किया है। साथ ही मनुष्योंके दो भेदोंका अलगसे निर्देश कर दिया है। यहाँ पर भी यद्यपि मनुष्य क्षेत्रकी प्रधानतासे कर्म-भूमिज और अकर्मभूमिज या कर्मभूमिज और भोगभूमिज कहे गये हैं। परन्तु इससे भी मनुष्यशरीरोंका ग्रहण न कर नोआगमभावरूप मनुष्योंका ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आगममें मनुष्य शब्दका व्यवहार मनुष्य पर्याय विविष्ट जीवोंके लिए ही किया गया है।

मनुष्योंके अन्य प्रकारसे दो भेद—

जेन साहित्यमें मनुष्योंके कर्मभूमिज और अकर्मभूमिज (भोगभूमिज)। इन भेदोंके सिवा आर्य और म्लेच्छ ये दो भेद और दृष्टिगोचर होते हैं। किन्तु इन नामोंका उल्लेख न तो षट्खण्डागममें है, न कषायप्राभूतमें और न कषायप्राभूतचूणिमें ही है। सर्वप्रथम इनका आभास हमें आचार्य कुन्दकुन्दनें समयप्राभूतकी एक गाथासे होता हुआ जान पड़ता है, क्योंकि उस गाथामें आचार्य कुन्दकुन्दनें 'अनार्य' शब्दका उल्लेख किया है जो मनुष्योंके आर्य और अनार्य या आर्य और म्लेच्छ इन भेदों को सूचित करता है। उन्होंने उस गाथामें अनार्य शब्दका उल्लेख भाषा की दृष्टिसे किया है, इसलिए यह भी सम्भव है कि जो सुस्कृत भाषा के साथ तत्व-

व्यवस्था को न जानता है उसके लिए यह शब्द आया हो। जो कुछ भी हो, इस उल्लेखसे इतना तो स्पष्ट है कि उस कालमें जैन साहित्यमें आर्य और अनार्य इन शब्दोंका व्यवहार होने लगा था। आचार्य कुन्दकुन्दके साहित्यके बाद जैन साहित्यमें तत्त्वार्थसूत्रका स्थान है, क्योंकि तत्त्वार्थसूत्र के रचयिता आचार्य शृद्धपिच्छ इनके शिष्योंमेंसे अन्यतम थे। इसके तीसरे अध्यायमें एक सूत्र आया है जिसमें मनुष्योंके आर्य और म्लेच्छ ये दो भेद किये गए हैं। इसकी उपलब्ध टीकाओंमें सर्वार्थसिद्धि प्रथम है। उसमें इस सूत्रकी व्याख्या करते हुए बतलाया है कि 'जो गुणों या गुणवालोंके द्वारा माने जाते हैं वे आर्य हैं'। उनके दो भेद हैं—ऋद्धिप्राप्त आर्य और ऋद्धिरहित आर्य। ऋद्धिरहित आर्य पौच प्रकारके हैं—क्षेत्रार्थ, जात्यार्थ, कर्मार्थ, चारित्रार्थ और दर्शनार्थ। ऋद्धिप्राप्त आर्य मान प्रकार के होते हैं—बुद्धि ऋद्धि प्राप्त आर्य, विक्रिया ऋद्धि प्राप्त आर्य, तपऋद्धि प्राप्त आर्य, बलऋद्धि प्राप्त आर्य, औषध ऋद्धि प्राप्त आर्य, रसऋद्धि प्राप्त आर्य और अक्षीण ऋद्धि प्राप्त आर्य। म्लेच्छ दो प्रकारके हैं—अन्तर्द्वीपज म्लेच्छ और कर्मभूमिज म्लेच्छ। लवण समुद्र और कालोदधि समुद्रके भीतर स्थित द्वीपोंमें रहनेवाले मनुष्य अन्तर्द्वीपज म्लेच्छ होते हैं। ये सब म्लेच्छ होकर भी भोगभूमिज ही होते हैं। तथा शक, यवन, शबर और पुलिन्द आदि कर्म-भूमिज म्लेच्छ हैं।' सर्वार्थसिद्धिके बाद तत्त्वार्थसूत्रकी अन्य जितनी टीकाये उपलब्ध होती है वे सब प्रमुखतासे सर्वार्थसिद्धिमें आर्य व्याख्याका ही अनुसरण करती है। मात्र तत्त्वार्थश्लोकवातिकमें आर्य और म्लेच्छ मनुष्योंकी व्याख्या इन शब्दोंमें की गई है—'जिनके उच्चगोत्रका उदय आदि है वे आर्य कहलाते हैं और जिनके नीचगोत्रका उदय आदि है वे म्लेच्छ कहलाते हैं।' लगभग इसी कालमें लिखी गई घबला टीकामें यद्यपि आर्य और म्लेच्छ मनुष्यके स्पष्ट रूपसे उक्त लक्षण तो दृष्टिगोचर नहीं होते, परन्तु वहाँ पर म्लेच्छ होने के कारण पृथुक राजाके नीचगोत्र के उदय होनेका निर्देश अवश्य किया है। उसका आशय यही प्रतीत होता है कि जितने म्लेच्छ मनुष्य होते हैं उन सबके नीचगोत्रका उदय होता

है। साथ ही उच्चगोत्र के लक्षण के प्रसग से कुछ विशेषणों के साथ आर्यों की सम्मान (परम्परा) को उच्चगोत्र कहा है। विदित होता है कि बीरसेन आचार्य को भी आर्य और म्लेच्छ मनुष्यों के बीच लक्षण मान्य रहे हैं जिनका निर्देश तत्त्वार्थस्तोकवार्तिक में आचार्य विचानन्दने किया है।

आर्य और म्लेच्छ मनुष्यों का विशेष विचार त्रिलोकप्रजाप्ति आदि लोकानेयोग के ग्रन्थों में भी किया गया है। किन्तु वहाँ पर इन भेदों को मुख्यरूप से भूखण्डों के आधार से विभाजित किया गया है।^१ वहाँ बतलाया है कि भरतक्षेत्र विजयार्थं पर्वत के कारण मुख्यरूप से दो भागों में विभक्त है—उत्तर भरत और दक्षिण भरत। उसमें भी ये दोनों भाग गगा और मिन्हु महानदियों के कारण तीन-तीन भागों में विभाजित हो जाते हैं। विजयार्थं के दक्षिण में स्थित मठयका भाग आर्यस्तण है और शेष पाँच म्लेच्छस्तण है। आर्यस्तण और म्लेच्छस्तणों का यह विभाग विदेशक्षेत्र और ऐगावत क्षेत्र में भी उपलब्ध होता है। स्पष्ट है कि इन सब क्षेत्रों के आर्यस्तणों में आर्य मनुष्य निवास करते हैं और म्लेच्छस्तणों में म्लेच्छ मनुष्य निवास करते हैं। यहाँ जिन क्षेत्रों में रहनेवाले मनुष्यों को म्लेच्छ मनुष्य कहा गया है उनके म्लेच्छ होने के कारण का निर्देश करते हुए आचार्य जिनसेन महापुराण में कहते हैं कि 'ये लोग धर्म-कर्म से रहित हैं, इसलिए म्लेच्छ माने गये हैं। यदि धर्म-कर्म को छोड़कर अन्य आचार-की अपेक्षा से विचार किय' जाय तो ये आर्यावर्त के मनुष्यों के ही समान होते हैं।^२ इस कथन का तात्पर्य यह है कि आर्यावर्त के मनुष्यों में अन्य जो विशेषताएँ होती हैं वे सब विशेषताएँ इनमें भी उपलब्ध होती हैं। मात्र ये धर्म-कर्म से रहित होते हैं, इसलिए म्लेच्छ माने गये हैं।

यहाँ पर प्रसग से इस बात का स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि सर्वार्थसिद्धि में आर्य और म्लेच्छ मनुष्यों का जिस रूप में विचार

^१ महापुराण ३१-१४२।

^२ सर्वार्थसिद्धि ३-३७।

किया गया है, त्रिलोकप्रज्ञपतिका विचार उससे कुछ भिन्न है^१। म्लेच्छों के विचारके प्रसगसे आचार्य पूज्यपाद यह नहीं कहते कि भरतादि क्षेत्रों में पौच-पौच म्लेच्छ खण्ड हैं और उनमें रहनेवाले मनुष्य ही म्लेच्छ हैं। वे तो कर्मभूमिज म्लेच्छोंमें मात्र शक, यवन, शबर और पुलिनद आदिको ही गिनते हैं,^२ इनके सिवा उनकी दृष्टिमें और भी कोई कर्मभूमिज म्लेच्छ हैं ऐसा सर्वार्थसिद्धिसे ज्ञात नहीं होता। इतना अवश्य है कि वहाँ पर आचार्य पूज्यपादने अद्विरहित आयोंके पौच भेदोंमें एक भेद क्षेत्रार्थका भी उल्लेख किया है और इस परसे कई महानुभाव उनके मतसे म्लेच्छोंका भी एक भेद इस प्रकारका मानते हैं। परन्तु आचार्य पूज्यपाद ऐसा मानते थे ऐसा उनकी टीकासे ज्ञात नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जिसप्रकार आयों वे पौच भेदोंका उल्लेख किया है उस प्रकार म्लेच्छोंके भेद नहीं किये हैं।

पद्मपुराणमें एक कथा आती है। उसमें बतलाया है कि 'विजयार्थ' के दक्षिणमें और कैलाशके उत्तरमें बहुतसे देश हैं। उनमें एक अर्थवर्वर्त नामका भी देश है। वहाँ पर सयमकी प्रवृत्ति नहीं है और वहाँके रहने वाले घोर म्लेच्छ और निपट अज्ञानी हैं। ..उन्होंने आर्य देशोपर आक्रमण कर समस्त जगतको म्लेच्छमय बना डाला है। वे समस्त प्रजाओं वर्णहीन बनाना चाहते हैं।...उन्हें साधुओं, गायों और श्रावकोंकी जरा भी चिता नहीं है। आदि^३। पद्मपुराणका यह उल्लेख इस बातका साक्षी है कि इस भारतवर्यमें ही प्रारम्भसे कुछ ऐसी जातियाँ रही हैं जो आचार-विचारसे और कर्मसे हीन होनेके कारण म्लेच्छ कही जाती थी। आचार्य पूज्यपादने अपनी सर्वार्थसिद्धि टीकामें कर्मभूमिज म्लेच्छरूपसे जिन शक, यवनादिका उल्लेख किया है वे यही हो यह बहुत सम्भव है। इस प्रकार मनुष्योंके आर्य और म्लेच्छ भेदोंके विषयमें जैन माहित्यमें जो उल्लेख मिलते हैं उन्हें सखेपमें इन शब्दोंमें व्यवत करना ठीक होगा—बहुतसे मनुष्य आर्य क्षेत्रमें उत्पन्न होनेके कारण आर्य कहलाते हैं। परन्तु इनसे गुणार्थ श्रेष्ठ हैं। जो मनुष्य प्रायः धर्म-कर्महीन म्लेच्छ क्षेत्रमें उत्पन्न होते हैं, परन्तु योग्य सम्पर्क

१. त्रिप्र०। २. स० सि० ल०५ स०४४। ३. प०प० २७ ल्लोक १४।

मिलने पर धर्ममें रुचि रखते हैं और उसका पालन करते हैं वे आर्य ही हैं। तथा जो मनुष्य आर्य क्षेत्रमें उत्पन्न होते हैं, परन्तु धर्म-कर्मसे हीन हैं वे म्लेच्छ ही हैं। इसी प्रकार बहुत से मनुष्य म्लेच्छ क्षेत्रमें उत्पन्न होनेके कारण म्लेच्छ कहे जाते हैं। परन्तु वे उस क्षेत्रमें उत्पन्न होनेके कारण ही म्लेच्छ नहीं हो सकते। यदि उनके कर्म म्लेच्छोंके समान हो तभी वे म्लेच्छ माने जा सकते हैं। यदि म्लेच्छ क्षेत्रमें उत्पन्न होकर भी किसीका कर्म आर्योंके समान हो तो वह आर्य ही है। इसी प्रकार जो आर्य क्षेत्रमें उत्पन्न होकर भी कर्मसे म्लेच्छ है वह क्षेत्रसे आर्य होकर भी म्लेच्छ ही है। वास्तवमें जैनधर्म एक तो मनुष्योंमें आर्य और म्लेच्छ ये भेद स्वीकार ही नहीं करता। षट्खण्डागम आदि प्राचीन जैन साहित्यमें इस प्रकारके भेदोंके दृष्टिगोचर न होनेका यही कारण है। यदि मनुष्योंमें आर्य और म्लेच्छ रूपसे कोई भेदक रेखा खीची ही जाती है तो वह गुणकृत ही हो सकती है, क्षेत्रकृत नहीं—यह उक्त कथनका सार है।

एक महत्त्वपूर्ण उल्लेख—

कथायप्राभूत कूणिमे सयम (भाव मुनिधर्म) के प्रसगसे एक महत्त्व-पूर्ण उल्लेख आता है। वहाँ बतलाया है कि सयमको धारण करनेवाले मनुष्य दो प्रकारके होते हैं—कर्मभूमिज और अकर्मभूमिज। जो कर्मभूमिज मनुष्य होते हैं उनमें सयमभावके प्रतिपथमान स्थानोंके जघन्य स्थानसे लेकर उत्कृष्ट स्थान तकके सयमके जितने विकल्प होते हैं वे सब पाये जाते हैं।^१ किन्तु जो अकर्मभूमि मनुष्य होते हैं उनमें इन स्थानोंके मध्यम विकल्प ही उपलब्ध होते हैं। यह तो मानी हुई बात है कि षट्खण्डागम, वर्षायप्राभूत और कथायप्राभूतकूणि इस सब मूल आगम साहित्यमें सयमभावका उत्कृष्ट काल कुछ कम (आठ वर्ष और अन्तमुदूर्त कम) एक पूर्वकोटि बतलाया है, क्योंकि अधिकसे अधिक एक पूर्वकोटिकी आयुवाला मनुष्य गर्भसे लेकर आठ वर्षका होने पर यदि सयमको धारण

करता है तो सयमका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि से अधिक नहीं उपलब्ध होता। साथ ही वहाँ पर कर्मभूमिजकी जघन्य आयु अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट आयु एक पूर्वकोटि तथा अकर्मभूमिज (मोगभूमिज) की जघन्य आयु एक समय अधिक एक पूर्वकोटि और उत्कृष्ट आयु तीन पल्य-प्रमाण बतलाई है, इसलिए यह प्रश्न उठता है कि कथायप्राभूतके चूणिकारने सयमभावसे युक्त कर्मभूमिज और अकर्मभूमिज मनुष्योमे किनको स्वीकार किया है। यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि षट्खण्डागम के अभिप्रायानुसार पन्द्रह कर्मभूमियोमे उत्पन्न हए मनुष्य एकमात्र कर्मभूमिज ही माने गये हैं। षट्खण्डागममे मनुष्योके कर्मभूमिज और अकर्मभूमिज ये भेद अवश्य स्वीकार किये गये हैं पर वहाँ पर के भेद उस अर्थमे नहीं आये हैं जो अर्थ यहाँ पर कथायप्राभूतचूणिके आधारसे आचार्य जिनसेनने किया है। स्वष्ट है कि कथायप्राभूतचूणिमे इन शब्दोका कोई दूसरा अर्थ होना चाहिए। प्रकृतमे यही विचारणीय है कि वह अर्थ क्या हो सकता है? प्रश्न महत्वका है। इससे जिस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश पड़ना सभव है उसका निर्देश हम आगे करनेवाले हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम उस अर्थका विचार करना है।

कथायप्राभूतचूणिकी मुख्य टीका जयधबला है^१ धबलामे^२ भी दो स्थलोपर चारित्रकथनके प्रसगसे यह विषय आया है। एक स्थल पर तो अनुमानत वही शब्द दुहराये गये है जो चूणिसूत्रमे उपलब्ध होते हैं। मात्र दूसरे स्थल (जीवस्थान चूलिका पृ० २८५) पर प्रतिपादन शैलीमें कुछ अन्तर है। किन्तु दोनो स्थलोका मध्यका महत्वपूर्ण अश त्रुटि होनेके कारण उस परसे ठीक निष्कर्ष निकालना कठिन है। विचारको चालना देनेमें इन स्थलोका उपयोग हो सकता है इतना अवश्य है। फिर भी इन स्थलोको छोड़कर यहाँ पर हम जयधबलाके आधारसे ही विचार करते हैं। जयधबलामे कथायप्राभूतचूणिके उक्त अशकी व्याख्या करते

१. ज. च. प्र. का. ६३९५। २. जीवस्थानचूलिका पृष्ठ २८७

हुए 'कर्मभूमिज' शब्दका अर्थ पन्द्रह कर्मभूमियोंके मध्यके विनीत सज्ञावाले खण्डमें उत्पन्न हुए मनुष्य किया है और 'अकर्मभूमिज' शब्दका अर्थ पन्द्रह कर्मभूमियोंके इस मध्यके खण्डको छोड़कर शेष पाँच खण्डोंमें उत्पन्न हुए मनुष्य किया है। ये पाँच खण्ड कर्मभूमि के अन्तर्गत हैं, इसलिए इन्हें यहाँ अकर्मभूमिज क्यों कहा है इसका समाधान करते हुए वहाँ पर कहा गया है कि इन खण्डोंमें धर्म-कर्मकी प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए इन्हें अकर्मभूमिज कहनेमें कोई आपत्ति नहीं है। इस पर यह शंका हुई कि यदि इन खण्डोंमें धर्म-कर्मकी प्रवृत्ति नहीं है तो यहाँ के निवासी समयमको कैसे धारण कर सकते हैं? इसका वहाँ पर दो प्रकारसे समाधान किया गया है। प्रथम तो यह कि दिव्यजयके समय चक्रवर्ती के स्कन्धावारके साथ जो म्लेच्छ राजा मध्यके खण्डमें आकर चक्रवर्ती आदिके साथ वैवाहिक मम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं उन्हें समयमको धारण करनेमें कोई बाधा नहीं आनी। अथवा कहकर दूसरा अर्थ यह किया गया है कि जो म्लेच्छ राजाओंकी कन्याएँ चक्रवर्ती आदिके साथ विवाही जाती हैं उनके गर्भमें उत्पन्न हुए बालक मातृपक्षकी अपेक्षा यहाँ पर अकर्मभूमिज कहे गये हैं, इसलिए भी अकर्मभूमिजोंमें समयमको धारण करनेकी पात्रता बन जाती है। लघिषमार धर्मासारमें कर्मभूमिजका अर्थ आर्य और अकर्मभूमिजका अर्थ म्लेच्छ करनेका यही कारण है। तथा इसी अभिप्रायको ध्यानमें रखकर केशववर्णीनि भी अपनी लघिषमार धर्मासारकी टीकामें यह अर्थ स्वीकार किया है।

यह बात तो स्पष्ट है कि जो अकर्मभूमि अर्थात् मोगभूमिमें उत्पन्न होते हैं वे समाधानसमय और समयमको धारण नहीं कर सकते, इसलिए कथायप्रामृतचृणिमें आये हुए अकर्मभूमिजका अर्थ मोगभूमिज तो होना नहीं चाहिए। बहुत सम्भव है कि इसी अभिप्रायको ध्यानमें रखकर आचार्य जिनसेनेवे कर्मभूमिजका अर्थ आर्य और अकर्मभूमिजका अर्थ म्लेच्छ किया है। किन्तु इस कथनसे जो विप्रतिपत्ति उत्पन्न होती है उसका निर्वाह कैसे हो, सर्वप्रथम यह बात यहाँ पर विचारणीय है।

बात यह है कि पाँच भरत, पाँच विदेह और पाँच ऐरावत ये पन्द्रह कर्मभूमियाँ हैं, इसलिए यह मानना तो युक्त नहीं कि यहाँ जिन्हे म्लेच्छ स्थाप्त कहा गया है उन क्षेत्रोंमें कर्मकी प्रवृत्ति नहीं है। 'कर्म' शब्दके हृप पहले दो अर्थों कर आये हैं। एक तो कृषि आदि साधनोंसे आजीविका करना और दूसरा सप्तम नरकमें जाने योग्य पाप या सर्वार्थसिद्धिमें जाने योग्य पुण्यके बन्धकों योग्यताका होना। म्लेच्छ स्थाप्तोंमें भोगभूमिकी रचना नहीं है, इसलिए वहाँके निवासी मनुष्य कृषि आदिसे ही अपनी आजीविका करते हैं यह माननेमें कोई आपत्ति नहीं है। यह हो सकता है कि वहाँ धर्मका प्रचार अधिक मात्रामें न होनेके कारण हिसादि कर्मों की बहुलता हो। पर इतने मात्रसे वहाँ कृषि आदि कर्मोंका निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँके मनुष्य अन्न खाते ही नहीं होगे यह केसे माना जा सकता है? तथा वहाँके मनुष्य हिसाबहूल होते हैं, इसलिए उनमेंसे कुछ सप्तम नरककी आयुका बन्ध करते हो यह भी सम्भव है। जैसा कि भोगभूमिका नियम है कि वहाँ उत्पन्न होनेवाले प्राणी मरकर नियमसे देव होते हैं ऐसा पाँच म्लेच्छ स्थाप्तोंके लिए कोई नियम नहीं है। यहाँ पर उत्पन्न होनेवाले मनुष्योंके लिए चारों गतियोंका प्रवेशद्वारा सदासे खुला हुआ है, इसलिए यहाँ पर सब प्रकारके कर्मकी प्रवृत्ति होती है यह माननेमें आगमसे रञ्चमात्र भी बाधा नहीं आती। अब रही धर्म-प्रवृत्तिकी बात सो इस विषयमें आगमका अभिप्राय यह है कि कर्मभूमि सम्बन्धी जो भी क्षेत्र है, चाहे वह स्वयप्रभ पर्वतके परभागमें स्थित कर्मभूमिसम्बन्धी क्षेत्र हो और चाहे ढाई द्वीप और दो समुद्रोंमें स्थित कर्मभूमिसम्बन्धी क्षेत्र हो, उस सबमें आचारधर्मकी प्रवृत्ति न्यूनाधिक-मात्रामें नियमसे पाई जाती है। अन्यथा स्वयप्रभपर्वतके पर भागमें स्थित स्वयभूरमण द्वीपमें और स्वयभूरमण समुद्रमें तिर्यञ्चोंके स्थानमासयमका सद्भाव नहीं बन सकता। कर्मभूमिसम्बन्धी सभी म्लेच्छस्थाप्तोंमें तथा लदण समुद्र और कालोदधि समुद्रमें निर्धञ्च तो सम्यक्त्व और सथमा-सयमके घारी हो और पन्द्रह कर्मभूमिसम्बन्धी सब म्लेच्छ स्थाप्तोंके मनुष्य

किसी भी प्रकार के आचार धर्म से सर्वथा अन्य हो ऐसी न तो आगम की आज्ञा ही है और न यह बात बुद्धिग्राह्य ही हो सकती है। इसलिए इन खण्डोंमें धर्म की प्रवृत्ति नहीं है यह भी नहीं कहा जा सकता।

षट्खण्डागम और कषायप्राभूतके अभिप्रायानुसार पन्द्रह कर्म-भूमियोंमें क्षायिकसम्यक्त्वकी उत्पत्तिका निर्देश हम पहले ही कर आये हैं। इस प्रसगसे आये हुए सूत्रका व्याख्यान करते हुए बीरसेन स्वामीने यह स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार किया है कि एक तो ढाई द्वीप और दो समुद्रोंमें स्थित सब जीव दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ नहीं करते। दूसरे, भोगभूमिके जीव दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ नहीं करते, केवल पन्द्रह कर्मभूमिके मनुष्य ही दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करते हैं यह दिल्लानेके लिए सूत्र में 'पन्द्रह कर्मभूमियोंमें' पदका निर्देश किया है। इन पन्द्रह कर्मभूमियोंमें आर्य और म्लेच्छ सभी खण्ड गर्भित हैं। यहाँ केवल आर्यखण्ड ही नहीं लिये गए हैं उसका परिज्ञान षट्खण्डागमके मूल सूत्रसे होता ही है। घबला टीकाके उक्त उल्लेखसे भी उसका समर्थन होता है।

सोचनेकी बात है कि देव नरकोंमें तथा मध्य लोकके अन्य द्वीप-समुद्रोंमें जाकर धर्मोपदेश करे और उसे सुनकर नारकी सम्यक्त्वको स्वीकार करे तथा तिर्यंच सम्यक्त्व सहित सयमासयमको धारण करे यह तो सभव माना जाय, पर म्लेच्छ खण्डोंमें जाकर किसीका वहाँके मनुष्योंको धर्मोपदेश देना और उसे सुनकर उनका सम्यक्त्वको या सम्यक्त्व सहित सयमासयम और सयम को धारण करना सम्भव न माना जाय, भना यह कैसे सम्भव हो सकता है? वहाँके रहनेवाले मनुष्योंके मनुष्यगति नामकर्मका उदय है, वे सज्जी हैं, पचेद्रिय हैं और पर्याप्त हैं। वह क्षेत्र भी कर्मभूमि है। ऐसी अवस्थामें वहाँसे आर्यखण्डमें आकर वे सम्यक्त्व, मध्यमसयम और सयमको धारण कर सकें और वहाँ न कर सकें ऐसा मानना उचित नहीं प्रतीत होता। आगममें सिद्ध होनेवाले जीवोंके अल्पबहुत्वका निर्देश करते हुए स्पष्ट कहा है कि 'लबणसमुद्र सिद्ध सबसे स्तोक होते हैं, उनसे कालोदधि समुद्र सिद्ध सस्यातगुणे होते

हैं, उनसे जम्बूद्वीप सिद्ध सख्यातगुणे होते हैं, उनसे घातकीखण्ड सिद्ध सख्यातगुणे होते हैं और उनसे पुष्करार्ध द्वीप सिद्ध सख्यातगुणे होते हैं। क्या यहाँ यह मान लिया जाय कि जो जम्बूद्वीप, घातकीखण्डद्वीप और पुष्करार्धद्वीपसे सिद्ध होते हैं वे केवल आर्यखण्डोंसे ही मोक्षलाभ करते हैं, म्लेच्छखण्डोंसे नहीं ? और यदि उक्त प्रमाणके बलसे यह मान लिया जाता है, जिसे माननेके लिए पर्याप्त आधार है, कि वहाँसे भी बहुतसे मनुष्य सिद्ध होते हैं तो उनका वहाँ पर विहार करना और धर्मोपदेश देना भी बन जाता है। मूल आगमसे इसका निषेध न होकर समर्थन ही होता है।

जैन साहित्यमें यह भी बतलाया है कि चारण ऋद्धिधारी मुनि ढाई द्वीपके भीतर सर्वक सचार करते हैं। वे मेरु पर्वत और अन्य स्थानोंमें स्थित जिन-चैत्यालयोंकी बन्दनाके लिए जाते हैं। साधारणतः ढाई द्वीपमें ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जो उनके लिए अगम्य हो। महापुराणमें आचार्य जिनसेनने श्री ऋषभ जिनके पूर्वमवसम्बन्धी कथाप्रसगसे बतलाया है कि जब भगवान् आदिनाथका जीव महाबल राजा था तब उनका स्वयंबुद्ध मन्त्री मेरु पर्वतसे अकृत्रिम चैत्यालयोंकी बन्दना करनेके लिए गया और वहाँके सौमनम बनसम्बन्धी चैत्यालयमें उसने चारण ऋद्धिधारी मुनिकी बन्दना कर महाबल राजाके सम्बन्धमें प्रश्न पूछा। इसी आशयको व्यक्त करनेवाली वहाँ एक दूसरी कथा आती है। उसमें बतलाया है कि जब भगवान् आदिनाथका जीव जम्बूद्वीपके उत्तरकुरुमें उत्तम मोगभूमिके सुख भोग रहे था तब वहाँ पर आकर दो चारण-ऋद्धिधारी मुनियोंने उसे सम्बोधा। इससे स्पष्ट है कि चारणऋद्धिधारी मुनि ढाई द्वीपमें जिन चैत्यालयोंकी बन्दना करनेके लिए तो जाते ही है, साथ ही वे आर्यक्षेत्रोंके सिवा अन्य क्षेत्रोंमें धर्मोपदेश देनेके लिए भी जाते हैं। इसी प्रकार विद्याधरों और देवोंका भी ढाईद्वीपके सभी क्षेत्रोंमें गमनागमन होता रहता है यह भी आगमसे सिद्ध है, इसलिए चन्द्रह कर्मभूमियोंके पाँच म्लेच्छ खण्डोंमें केवली जिन, चारणऋद्धिधारी

मुनि, विश्वाधर और देव जाय और घर्मोपदेश देकर घर्मकी प्रवृत्ति कर इसमे आगमसे कोई बाधा नहीं आती।

इस प्रकार आगम और मुकिनसे यह सिद्ध हो जाने पर कि पन्द्रह कर्मभूमियोके पांच म्लेच्छ खण्डोमे भी आर्य खण्डके समान धर्म-कर्मकी प्रवृत्ति होती है, हमे इसके प्रकाशमे कथायप्राभूतचूर्णिमे सयमके प्रसग-से आये हुए कर्मभूमिज और अकर्मभूमिज शब्दोके अर्थ पर विचार करना है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि यह सयम (मुनिधर्म) का प्रकरण है और सयमको कर्मभूमिज मनुष्य ही धारण कर सकते हैं, इसलिए प्रकृतमे 'कर्मभूमिज' शब्दका अर्थ होता है पन्द्रह कर्मभूमियोमे उत्पन्न हुए सज्जी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त मनुष्य। अब रहा अकर्मभूमिज शब्द सो उसका शब्दार्थ तो भोगभूमिज मनुष्य ही होता है। पर भोगभूमिज मनुष्यका प्राकृतिक जीवन सुनिश्चित है। इस कारण उनका संयमा-सयम और सयमको धारण करना किसी भी अवस्थामे नहीं बनता, इसलिए प्रकृतमे 'अकर्मभूमिज' शब्दका कोई दूसरा अर्थ होना चाहिए। हमने इसपर पर्याप्त विचार किया है। यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि ढाईद्विषके पांच भरत और पांच ऐरावत लेत्रोमे उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके अनुमार छह कालोका परिवर्तन होता रहता है। तार्पण यह है कि वहाँ पर कभी भोगभूमिकी और कभी कर्मभूमिकी प्रवृत्ति चालू रहती है। जब भोगभूमिकी प्रवृत्ति चालू रहती है तब वहाँके सब मनुष्योका आहार-विहार, आयु और काय भोगभूमिके अनुसार होते हैं और जब कर्मभूमिकी प्रवृत्ति चालू रहती है तब वहाँके सब मनुष्योका आहार-विहार, आयु और काय कर्मभूमिके अनुसार होते हैं। परन्तु इन दोनोके सन्धिकालमे स्थिति कुछ भिन्न होती है। अर्थात् भोगभूमिका काल शेष रहने पर भी कर्मभूमिकी प्रवृत्ति चालू हो जाती है या कर्म-भूमिका काल शेष रहने पर भी कर्मभूमिके लक्षण दिखलाई देने लगते हैं। इसके लिए वर्तमान अवसर्पिणीका तीसरा काल उदाहरणरूपमे उपस्थित करना अनुचित न होगा। इसके अन्तिम भागमे जब लाखो करोड़ो वर्ष

झेष थे तब आदि ब्रह्मा भगवान् ऋषमदेव हुए थे । उन्होने अपनी गृहस्थ अवस्थामें आजीविकाके छह कर्मोंका उपदेश दिया था और अन्तमें मुनिधर्म स्वीकार कर केवलज्ञान होने पर मोक्षमार्गका भी उपदेश दिया था । यदि कालकी दृष्टिसे विचार किया जाता है तो यह अकर्मभूमिसम्बन्धी ही काल ठहरता है । परन्तु ऐसा होते हुए भी इसमें धर्म-कर्मकी प्रवृत्ति चालू हो गई थी । बहुत सम्भव है कि ऐसे मनुष्योंको लक्ष्यमें रखकर ही आचार्य यतिवृष्टमने कथायप्राभृतचूणिमें अकर्मभूमिज मनुष्योमें सयम के प्रतिपद्मामान स्थानोंका निर्देश किया हो ।

एक तो कर्मभूमिज और अकर्मभूमिज शब्दोंका आर्य और म्लेच्छ अर्थ आचार्य जिनसेनने किया है । और कदाचित् यह मान भी लिया जाय कि इन शब्दोंका यह अर्थ आचार्य यतिवृष्टमनों भी मान्य रहा है तो भी यह दिखलानेके लिए कि इन दोनों प्रकारके मनुष्योंमें सयम ग्रहण करनेकी पात्रता है उन्होने कर्मभूमिज मनुष्योंके ही कर्मभूमिज (आर्य) और अकर्मभूमिज (म्लेच्छ) ये भेद करके उनमें सयमके प्रतिपद्मामान स्थानोंका निर्देश किया है । तथापि यदि यहाँपर दूसरे अर्थको ही प्रमुखरूपसे ग्राह्य माना जाता है तो भी उसके आधारसे आचार्य जिनसेनने जो यह अर्थ किया है कि 'जो पौच्छ खण्डके म्लेच्छ राजाओंकी कन्यायें चक्रवर्तीं आदिके साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं उन्हें सयम घारण करनेमें कोई बाधा नहीं आती । अथवा जो म्लेच्छ राजाओंकी कन्यायें चक्रवर्तीं आदिके साथ विवाही जाती हैं उनके गर्भसे उत्पन्न हुए बालक मातृपक्ष-की अपेक्षा अकर्मभूमिज होनेसे उन्हें सयम घारण करनेमें कोई बाधा नहीं आती' वह ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि जैसा कि हम पहले बतला आये हैं म्लेच्छखण्डोंमें भी धर्म-कर्मकी प्रवृत्ति माननेमें आगम-से कोई बाधा नहीं आती है । इस पूरे प्रकरणका सक्षेपमें सार यह है कि—

(१) जो मनुष्य कर्मभूमिज हैं, पर्याप्ति है और जो कर्मभूमिसम्बन्धी किसी भी क्षेत्रमें हुए हैं वे सम्यक्त्व, सयमासयम और सयमधर्मके पूर्ण अधिकारी हैं।

(२) आर्यक्षेत्रमें जाकर आर्योंके साथ वैवाहिक (सामाजिक) सम्बन्ध स्थापित करने पर ही म्लेच्छ मनुष्य सयमधर्मके अधिकारी होते हैं आगममें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

(३) तथाकथित म्लेच्छ देशोमें प्रवृत्तिधर्मकी न्यूनता है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि वहाँ पर प्रवृत्तिधर्म होता ही नहीं।

(४) आगमके अभिप्रायानुसार जो पन्द्रह कर्मभूमियोमें उत्पन्न होते हैं वे कर्मभूमिज मनुष्य हैं और जो तीस अकर्मभूमियो तथा अन्तर्दीर्घोमें उत्पन्न होते हैं वे अकर्मभूमिज मनुष्य हैं, इसलिए प्रकृतमें कर्मभूमिज और अकर्मभूमिज शब्दोकी संगति इन लक्षणोंको दृष्टिमें रखकर ही बिठलानी चाहिए।

(५) कर्मभूमिज और अकर्मभूमिज शब्दोका अर्थ और म्लेच्छ अर्थ एक तो आगममें किया नहीं है। सबसे पहले उक्त शब्दोका यह अर्थ आचार्य जिनसेनने किया है। इसके पूर्ववर्ती कोई भी आचार्य इस अर्थको स्वीकार नहीं करते। दूसरे, इन शब्दोका आर्य और म्लेच्छ अर्थ स्वीकार कर लेने पर भी उससे यह फलित नहीं होता कि म्लेच्छखण्डोमें धर्म-कर्म की प्रवृत्ति नहीं होती। प्रत्युत उससे यही सिद्ध होता है कि आर्यखण्डोंके समान म्लेच्छखण्डोमें भी धर्म-कर्मकी प्रवृत्ति होती है। वहाँ सयमासयम और सयमधर्मकी प्रवृत्ति न्यूनमात्रामें हो यह अलग बात है।

धर्माधिर्मविचार—

पहले हम नोआगमभाव मनुष्योंके चार भेद करके तथा उनमेंसे लम्ब्यपर्याप्त मनुष्योंको छोड़कर शेष तीन प्रकारके भेदोमें चौदह गुण-स्थानोंका निर्देश कर आये हैं। वे तीन प्रकारके मनुष्य ही यथापि यहींपर

कर्मभूमिज और अकर्मभूमिज इन दो मार्गोमें बटे हुए हैं, तथापि अकर्म-भूमिज (भोगभूमिज) मनुष्य संयमासयम और सयमधर्मके अधिकारी नहीं होते। इसलिए उनमें प्रारम्भके चार गुणस्थानोंकी और कर्मभूमिज मनुष्योमे चौदह गुणस्थानोंकी प्राप्ति सम्भव है। इतना अवश्य है कि जो अकर्मभूमिज मनुष्य उसी भवमें अतिशीघ्र सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है वह गर्भसमयसे लेकर नी मास और उनचास दिनका होने पर ही उसे उत्पन्न कर सकता है। तथा जो कर्मभूमिज मनुष्य उसी भवमें अतिशीघ्र सम्यक्त्व को उत्पन्न करता है वह गर्भसे लेकर आठ वर्षका होनेपर ही उसे उत्पन्न करनेका पात्र होता है। कर्मभूमिज मनुष्योमे संयमासयम और सयमके उत्पन्न करनेके लिए भी यही नियम है। कर्मभूमिज और अकर्मभूमिज ये भेद तिर्यङ्ग्चोमे भी सम्भव है, इसलिए वहाँ पर भी मनुष्योंके समान गुणस्थानोंका विचार कर लेना चाहिए। मात्र तिर्यङ्ग्चोमे सयमधर्मकी प्राप्ति सम्भव नहीं है, इसलिए अकर्मभूमिज तिर्यङ्ग्चोमे चार और कर्म-भूमिज तिर्यङ्ग्चोमे पाँच गुणस्थान ही जानेने चाहिए। इतना अवश्य है कि जो तिर्यङ्ग्च उसी भवमें अतिशीघ्र सम्यक्त्व और सयमासयमको उत्पन्न करते हैं वे गर्भसे लेकर दो माह और अन्तर्मुहूर्तके होनेपर ही उन्हें उत्पन्न करनेके पात्र होते हैं। मात्र सम्मूच्छैन तिर्यङ्ग्च अन्तर्मुहूर्तके बाद ही ही उन्हें उत्पन्न करनेके अधिकारी हैं। विशेष व्याख्यान जिस प्रकार पूर्वमें धर्माधिर्म का किचार करते समय कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए।

यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि मनुष्योंके आर्य और म्लेच्छ ये भेद मूल आगम साहित्यमें उपलब्ध नहीं होते। तथापि उत्तरकालीन जिनसेन प्रभृति आदि आचार्योंने इन भेदोंकी संगति आचार्य यतिवृत्तमें चूणिसूत्रोमें निर्दिष्ट कर्मभूमिज और अकर्मभूमिज मनुष्योंके साथ बिठाई है। उनके कथनका सार यह है कि आर्य कर्मभूमिज और अकर्मभूमिज (भोगभूमिज) दोनों प्रकारके होते हैं। तथा म्लेच्छ भी कर्मभूमिज और अकर्मभूमिज (अन्तर्दीपज) दोनों प्रकारके होते हैं। यहाँ इतना अवश्य

ही ध्यानमें रखना चाहिए कि आचार्य जिनसेन कर्मभूमिज म्लेच्छोंको भी अकर्मभूमिज ही कहते हैं। आर्य और म्लेच्छ भेदोंकी कर्मभूमिज और अकर्मभूमिज मनुष्योंके साथ जिस रूपमें भी सगति बिठलाई जाय उसीको ध्यानमें रखकर इन भेदोंमें धर्मधर्मका विचार कर लेना चाहिए। इतना अवश्य ही ध्यानमें रहे कि आचार्य जिनसेनका वह कथन प्रकृतमें ग्राह्य नहीं हो सकता जिसके अनुसार उन्होंने म्लेच्छ खण्डोंमें धर्म-कर्मकी प्रकृतिका सर्वथा निषेध किया है। हाँ, यदि उन्होंने यह कथन वहाँ धर्म-कर्मकी प्रवृत्ति न्यून है इस अभिप्रायसे किया हो तो बात दूसरी है।

इस प्रकार आगमसाहित्यके आधारसे जो निष्कर्ष सामने आते हैं उन्हें इन शब्दोंमें व्यक्त किया जा सकता है—

१. पन्द्रह कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुए जितने भी आर्य और म्लेच्छ मनुष्य हैं उनमें सम्यक्त्व, सयमासयम और सयमरूप पूर्ण धर्मकी प्राप्ति सम्भव है। द्रव्य-स्थिर्याँ और द्रव्य-नपुसक इसके अपवाद हैं। विशेष खुलासा पहले कर ही आये हैं।

२. तीस भोगभूमियों और अन्तर्द्वीपोंमें उत्पन्न हुए जितने भी आर्य और म्लेच्छ मनुष्य हैं उनमें मात्र सम्यक्त्वधर्मकी प्राप्ति सम्भव है।

३. मनुष्योंके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र ये भेद आगम साहित्य और प्राचीन जैन साहित्यमें नहीं उपलब्ध होते। यहाँ तक कि मूलाचार, भगवतीआराधना, रत्नकरणधारकाचार जैसे चरणानुयोगके ग्रन्थोंमें तथा सर्वार्थसिद्धि और राजवातिक जैसे सर्वविषयग्रन्थ टीका-ग्रन्थोंमें भी इन भेदोंका उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं होता। ऐसी अवस्थामें कौन वर्णका मनुष्य कितने धर्मको धारण कर सकता है इसकी चर्चा तो दूर ही है। इस परसे यही निष्कर्ष निकलता है कि वर्णके आधारसे धर्मधर्मके विचारकी प्रकृति बहुत ही अव्याचीन है, जो आगमसम्मत नहीं है। स्पष्ट है कि परिस्थितिवश वैदिकधर्मके प्रभावसे इसे जैनसाहित्यमें स्थान दिया गया है। किन्तु उनरकालीन कतिपय आचार्यों और विद्वानों ने उस समयकी परिस्थितिवश उसे स्वीकार कर लिया है, इतने मात्रसे

उसे आगमानुभोदित जैनधर्मके अग्रण्यसे स्वीकार कर उसे उसी रूपमें चलते रहने देना उचित नहीं प्रतीत होता ।

गोत्रमीमांसा

बब तक हमने धर्मका स्वरूप और उसके अवान्तर भेदोके साथ प्रत्येक गतिमें विशेषत मनुष्यगतिमें कहीं किस प्रमाणमें धर्मकी प्राप्ति होती है इसका विस्तारके साथ विचार किया । आगे गोत्रके आधारसे उसका विचार करना है । उसमें भी सर्वप्रथम यह देखना है कि लोकमें और आगममें उसे किस रूपमें स्वीकार किया गया है तथा परस्परमें कोई सम्बन्ध है या उनकी मान्यताका आधार ही पृथक्-पृथक् है ।

गोत्रशब्दकी व्याख्या और लोकमें उसके प्रचलनका कारण—

मारतीय जनजीवनमें गोत्रका महत्वपूर्ण स्थान है । गोत्रशब्दका व्युत्पत्तिलक्ष्य अर्थ है—गूयते शब्दते इति गोत्रम्—जो कहा जाय । लोक में गोत्र एक प्रकारका नाम है जो मारतीय समाजमें कारण विशेषसे रूढ़ होकर परम्परासे चला आ रहा है । इससे किसी व्यक्तिया समुदाय विशेष के आंशिक इतिहासकी छानबीन करनेमें सहायता मिलती है । लोकिक दृष्टिसे यह उस समयकी देन है जब मानव समुदाय अनेक भागोमें विभक्त होने लगा था और उसे अपने पूर्वजों और सम्बन्धियोका ज्ञान करनेके लिए सकेतकी आवश्यकता प्रतीत होने लगी थी । क्रमशः जैसे-जैसे मानव-समाज अनेक भागों में विभक्त होता गया वैसे-वैसे इस नामके प्रति मनुष्योका मोह भी बढ़ता गया । विवाहसम्बन्ध और सामाजिक रीति-रिवाजोमें इसका विचार किया ही जाने लगा, धार्मिक लोकोमें भी इसने स्थान प्राप्त कर लिया । इसे किसी न किसी रूपमें सभी मारतीय परम्पराओने स्वीकार कर लिया है । उत्तरकालमें मारतवर्षमें वर्णाश्रिम

धर्मका प्राबल्य होने पर जैन साहित्यमें भी गोत्रकी व्याख्या वशपरम्परा के आधार पर की जाने लगी और इसका सम्बन्ध वर्णोंके साथ स्थापित किया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये उच्चब्रह्मोत्ती माने जाने लगे और तथा कथित शूद्र तथा म्लेच्छ नीचब्रह्मोत्ती करार दिये गये^१। सुकुल और दुष्कुलकी व्याख्या भी इसी आधारसे की जाने लगी।

ब्राह्मण परम्परामें जिसने अपने उत्तराधिकारीकी सूष्टि कर ली हो वह सन्ध्यास लेनेका अधिकारी माना गया है। पुत्रके अभावमें दत्तक पुत्रका विधान इसी परम्पराको दृढ़ मूल बनाये रखनेका एक साधन है। जो योग्य सन्तानको जन्म दिये बिना कौटुम्बिक जीवनसे विरत हो जाता है उसकी गति नहीं होती। धीरे-धीरे जैन परम्परामें भी यह प्रथा रुक्ष होने लगी और यहाँ भी इस आधार पर वे सब तत्त्व स्वीकार कर लिए गए जो ब्राह्मण परम्पराकी देन हैं।

कहने को तो भारतवर्ष धर्मप्रधान देश कहा जाता है और एक हृद तक ऐसा कहना उचित भी है। किन्तु कुछ गहराईमें जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि यह प्रचारका एक साधन भी है। हम इसके नाम पर उन समस्त तत्त्वोंका प्रचार करते हैं जो वर्गप्रभूत्वके पोषक हैं। गोत्र-से इम वर्गप्रभूत्वको स्थायी बनाये रखनेमें बड़ी सहायता मिली है।

यह तो सब कोई जानते हैं कि इस देशमें ही गोत्रका विचार किया जाता है। अन्य देशोंके लोग इसका नाम भी नहीं जानते। वहाँ रगभेदके उदाहरण तो दृष्टिगोचर होते हैं पर इस आधारसे यहाँकी भाँति जीवन-के प्रत्येक क्षेत्रमें वहाँ ऊँच-नीचका भेद नहीं दिखलाई देता।

ब्राह्मण ऋषियोंने देखा कि जबतक व्यक्ति या समाजके जीवनमें जात्यभिमान या वशाभिमानकी सूष्टि नहीं की जायगी तबतक वर्ग-प्रभूत्वकी कल्पना साकार रूप नहीं ले सकती। इसलिए उन्होंने इसके आधारभूत 'अपुत्रस्य गतिनास्ति' इस सिद्धान्तकी घोषणा की और इसे व्यावहारिक रूप देनेके लिए गोत्रकी प्रथा चलाई। प्रारम्भमें ऐसे बाठ

१. स. सि. ५-१२। हरिवंश पु.।

ऋषि हुए हैं जो गोत्रकर्ता माने जाते हैं। वे आठ ऋषि हैं—जमदग्नि, भरद्वाज, विश्वामित्र, अविंशति, गौतम, वशिष्ठ, कश्यप, और अगस्त्य। इस तथ्यको स्वीकार करते हुए गोत्रप्रबन्धमें मे कहा है—

जमदग्निभरद्वाजो विश्वामित्राविश्वामीतमाः ।
वशिष्ठः कश्यपोऽगस्त्यो मुनयो गोत्रकारिण ॥

वेदों और ब्राह्मणोंमें भी इनका नाम आता है। ये सब भ्रत्रद्रष्टा ऋषि माने गए हैं। इनके बाद इनकी पुत्र-पौत्र परम्परामें कुछ मन्त्रद्रष्टा ऋषि और हुए हैं जिनके नाम पर भी गोत्रकी परम्परा चली है। यही तथ्य गोत्रप्रबन्धमें इन शास्त्रोंमें व्यक्त किया गया है—

ऋषिस्तं ये सुताः प्राप्ता दशानामुवीणां कुले ।
यज्ञे प्रवीथ्यमाणत्वात् प्रबरा इति कीर्तिः ॥

ये सब गोत्र हुजारों और लाखों हैं। पर मुख्य रूपसे वे उनचास लिये जाते हैं। जमदग्नि आदि आठ ऋषियोंके समकालमें मृगु और अग्निरा ये दो ऋषि और हुए हैं। ये भी मन्त्रद्रष्टा ये पर इनके नाम पर गोत्रका प्रचलन नहीं हो सका। ये गोत्रकर्ता क्यों नहीं बन पाएं इसका कारण जो कुछ भी रहा हो। इतना स्पष्ट है कि उस समय अपने-अपने नाम पर गोत्रप्रथा चलानेके प्रश्नको लेकर इनमें आपसमें मतभेद था।

साधारणत ब्राह्मणपरम्परामें गोत्र रक्तपरम्पराका पर्यायवाची माना गया है, अतः यह परम्परा स्वीकार करती है कि ब्राह्मण सदा काल ब्राह्मण ही बना रहता है। जिसका ब्राह्मण जातिमें जन्म हुआ है वह अन्य जातिवाला कभी नहीं हो सकता। इस परम्परामें प्रारम्भसे ही सदाचार की अपेक्षा रक्तपरम्पराको अधिक महत्त्व दिया गया है। इस परम्पराके बन्सार यदि किसीकी जाति बदलती है तो वह इस परम्पराकी कल्पनाके बन्सार मुख्यतः रक्तके बदलनेसे ही बदल सकती है, अन्यथा नहीं।

जैनधर्ममें गोदका स्थान—

यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि ब्राह्मणधर्ममें गोशकी जो व्यवस्था बनी उससे उत्तरकालमें जैनसाहित्य भी प्रभावित हुआ है। जैन धर्ममें प्रतिपादित गोशकी आधारितिक व्याख्या और व्यवस्थाको भूलाकर एक तो उसका सम्बन्ध चार वर्णोंके साथ स्थापित किया गया। दूसरे उसका सम्बन्ध रक्तपरम्पराके साथ स्थापित कर लोकमें प्रचलित कुल और वशकी सामाजिक मान्यताको अवास्तविक महत्व दिया गया। यह तो हम आगे चलकर बतलानेवाले हैं कि भारतवर्षमें प्रचलित चार वर्णोंका सम्बन्ध केवल आजीविकाके साथ ही नहीं रहा। जो लोकप्रचलित जिस कुलमें जन्म लेता है वह उस नाममें पुकारा जाने लगा। किन्तु इस कारणसे किसीको ऊँच और किसीको नीच मानना इसे जैनधर्म स्वीकार नहीं करता। गाय आदि ऐसे बहुतसे पक्ष हैं जिनका जीवन निर्दोष होता है और इसके विपरीत हिंस पक्षुओंका जीवन हिंसाबहुल देखा जाता है। फिर भी लोकमें सिंहको श्रेष्ठ माना जाता है। किसी मनुष्य विशेषकी श्रेष्ठता प्रस्तापित करनेके लिए सिंह की उपमा दी जाती है। ऐसा क्यों होता है? कारण स्पष्ट है। एक तो वह निर्भय होकर एकाकी विचरण करता है। दूसरे, उसमें शौर्य गुणकी प्रधानता होती है। यही कारण है कि उसके मुख्य दोषकी ओर लक्ष्य न देकर इन गुणोंको मुख्यता दी जाती है। यह सिंह का उदाहरण है। हमें विविध वर्णोंमें बटे हुए मानवसमाजको इसी दृष्टिकोणसे समझनेकी आवश्यकता है। जैनपुराणोंमें द्वीपायन मुनिकी कथा आती है। दीर्घकाल तक मुनिधर्मका उत्तम रीतिसे पालन करनेके बाद भी वे द्वारकादाहमें निमित्त हो नरकगामी हुए थे। इसके विपरीत पुराणोंमें एक कथा यम चाण्डालकी आती है। वह चाण्डाल जैसे निरुष्ट कर्मद्वारा अपनी आजीविका करता था किन्तु जीवनके अन्तमें मुनिके उपदेशसे प्रभावित होकर अहिंसा व्रतको स्वीकार कर तथा मरणभय उपस्थित होनेपर भी उसका उत्तम रीतिसे पालन कर वह कुछ कालके लिए स्वीकार किए गए अहिंसा व्रतके

प्रभाववश देवलोकका अधिकारी बना था । देखिए परिणामोंकी विचित्रता, एक और ब्रतके प्रभावसे मुनिधर्मका जीवन भर पालन करनेवाला व्यक्ति नरकगमी होता है और दूसरी ओर चाण्डालका लिक्षण कर्म करनेवाला व्यक्ति भी अन्तिम समयमें प्राप्त निर्मल परिणामोंके कारण देवलोकका अधिकारी होता है । स्पष्ट है कि वाहा कर्मके माथ जीवनका सम्बन्ध नहीं है । जीवनकी उच्चता और नीचता व्यक्तिकी आभ्यन्तर वृत्ति पर निर्भर है । यही कारण है कि जैनधर्ममें गोत्रका विचार प्राणीकी आभ्यन्तर वृत्तिको हृषिमें रखकर किया गया है । विश्वके समस्त प्राणियोंके गोत्र विचारमें न तो वर्णको कोई स्थान है और न वशानुगत रूपसम्बन्धको ही । ये सब मर्यादाएँ लौकिक और मर्यादित द्वेष तक ही सामित हैं । आभ्यन्तर जीवनमें इनका रञ्जनात्र भी उपयोग नहीं है । प्रथुत इन लौकिक मर्यादाओंका आग्रह उसकी उच्चतिमें बाधक ही है ।

जैनधर्मके अनुसार गोत्रका अर्थ और उसके भेद—

यह तो हम पहले ही बतला आये है कि गोत्र एक प्रकारका नाम है और जैनधर्मके अनुसार व्यक्तिकी आभ्यन्तर वृत्तिके साथ उसका सम्बन्ध होनेके कारण वह गुणनाम है । अर्थात् जिस व्यक्तिकी ऊँच और नीच जैसी आभ्यन्तर वृत्ति होती है उसके अनुसार वह उच्च या नीच कहा जाता है । आगममें आठ कर्मोंमें गोत्रकर्मका स्वतन्त्र उल्लेख है । वहाँ उसके उच्चगोत्र और नीचगोत्र ऐसे दो भेद करके उन्हें जीवविषयकी प्रकृतियोंमें परिगणित किया गया है । उसे ध्यानमें रख कर विचार करने पर प्रतीत होता है कि जीवकी पर्यायविशेषको उच्च और उससे भिन्न दूसरी पर्यायको नीच कहते हैं । पट्टखण्डागम निबन्धन अनुयोगद्वारमें आठ कर्मोंके निबन्धनका विचार करते हुए कुछ सूत्र आये हैं । उनमें मोहनीय कर्मके समान गोत्रको आत्मामें निबद्ध कहा है । गोत्रकर्म आत्मामें निबद्ध क्यों है इस प्रश्नका समाधान करते हुए वीरसेनस्वामी वहाँ उक्त सूत्रकी

व्याख्या करते हुए सुस्पष्ट शब्दोंमें घोषित करते हैं कि उच्चगोत्र और नीचगोत्र जीवकी पर्यायरूपसे देखे जाते हैं, इसलिए गोत्रकर्म आत्मां निवद्ध है। तात्पर्य यह है कि गोत्रकर्मका व्यापार मात्र आत्मामें होता। बाह्य लौकिक कुलादिकों आश्रयसे नहीं, अतएव उसके उदयसे आत्माके विविहित पर्यायका ही निर्माण होता है, लौकिक कुल या वंशका नहीं।

गोत्रकी विविध व्याख्याएँ—

साधारणतः मूल आगम साहित्यमें गोत्रकर्मके भेदोंके साथ वे टोनों भेद जीवविपाकी हैं इतना मात्र उल्लेख है। वहाँ उनके सामान्य और विशेष लक्षणोंका ऊहापोह नहीं किया गया है। यह स्थिति गोत्रकर्मकी ही नहीं है। अन्य कर्मोंके विषयमें भी यहीं हाल है। इसलिए मूल आगम साहित्यके आधारसे हम केवल इतना ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिस कर्मके उदयका निर्मित पाकर जीव स्वयं अपनी उच्च पर्यायका निर्माण करता है वह उच्चगोत्र है और जिस कर्मके उदयका निर्मित पाकर जीव स्वयं अपनी नीच पर्यायका निर्माण करता है वह नीचगोत्र है। परन्तु जीवकी वह उच्च और नीच पर्याय किमात्मक होती है इसका वहाँ सुनिश्च निर्देश न होनेसे बाह्य परिस्थिति वश उत्तरकालीन व्याख्या ग्रन्थोंमें उसकी अनेक प्रकारसे व्याख्याएँ की गई हैं। संक्षेपमें वे सब व्याख्याएँ इस प्रकार हैं—

१. जिसके उदयसे लोकपूजित कुलोंमें जन्म होता है वह उच्चगोत्र है और जिसके उदयसे गर्हित कुलोंमें जन्म होता है वह नीचगोत्र है।

२. अनायोचित आचार करनेवाला जीव नीचगोत्री है। तात्पर्य यह है कि अनायोचित आचारका नाम उच्चगोत्र है और अनायोचित आचारको नीचगोत्र कहते हैं।

३. जिसके उदयसे जीव उच्चोच्च, उच्च, उच्चनीच, नीचोच्च, नीच पौर नीचनीच (परम नीच) होता है वह गोत्रकर्म है।

४. उच्चगोत्र और नीचगोत्र ये जीवकी पर्याय हैं। तात्पर्य यह है कि जीवकी उच्च पर्यायको उच्चगोत्र और नीच पर्यायको नीचगोत्र कहते हैं।

५. जिस कर्मके उदयसे उच्चगोत्र होता है वह उच्चगोत्र है। गोत्र, कुल, वंश और सन्तान ये एकार्थवाची नाम हैं। तथा जिस कर्मके उदयसे नीचगोत्र होता है वह नीचगोत्र है।

६. जो जीवको उच्च और नीच बनाता है या जीवके उच्च और नीचपनेका जान कराता है उसे गोत्र कहते हैं।

७. जिनका दीदा योग्य माधु आचार है, साधु आचारवालोंके साथ बिन्होंने अपना मम्बन्ध स्थापित किया है तथा जो 'आर्य' इस प्रकारके ज्ञान और वचन व्यवहार में निमित्त हैं उन पुरुषोंकी परम्पराको उच्चगोत्र कहते हैं और इनसे विपरीत पुरुषोंकी सन्तानको नीचगोत्र कहते हैं।

८. जिससे उच्चकुलका निर्माण होता है उसे उच्चगोत्र कहते हैं और जिससे नीचकुलका निर्माण होता है उसे नीचगोत्र कहते हैं।

९. जीवके सन्तानकमसे आये हुए आचरणकी गोत्र संज्ञा है। ३५ आचरणका नाम उच्चारोत्र है और नीच आचरणका नाम नीचगोत्र है।

सब भिलाकर ये नौ व्याख्याएँ हैं। इनमें कुछ व्याख्याएँ जीवकी पर्यायपरक हैं, कुछ व्याख्याएँ आचारपरक हैं और कुछ व्याख्याएँ कुल, वंश या सन्तानपरक हैं। दो व्याख्याएँ ऐसी भी हैं जिनमें आचार और सन्तान इन दोनोंमेंसे किसी एकको विशेषण और दूसरेको विशेष्य बनाकर उनका परस्पर मम्बन्ध स्थापित किया गया है। इनमें सन्देह नहीं कि गोत्रकी व्याख्याके विषयमें व्याख्याकारोंके सामने एक प्रकारकी उलझन रही है। पट्ट्वण्डागम प्रकृतिअनुयोगद्वारमें १३६ वें सूत्रकी व्याख्या करते हुए वीरसेन स्वामीने इस उलझनको स्पष्ट शब्दोंमें व्यक्त किया है। वे न तो राज्यादि सम्पत्तिकी प्राप्ति उच्चगोत्रका फल मानते हैं और न रत्नव्यक्ती प्राप्ति ही इसका फल मानते हैं। उच्चगोत्रके उदयसे जीव सम्पन्न कुलमें

जन्म लेता है ऐसा मानना भी बे ठीक नहीं समझने। उनके मतसे न तो उच्चगोत्रके उदयसे इच्छाकु आदि कुलोंका निर्माण होता है और न ही आदेयता, यश और सीभाग्यकी प्राप्ति ही इसके निर्माणमें होती है। उनके मतसे ये सब कार्य तो उच्चगोत्रके हैं नहीं, इसलिए इनसे विपरीत कार्य नीचगोत्रके भी नहीं हों सकते यह सुतरा सिद्ध है। ऐसी अवस्थामें इन गोत्रोंका कार्य क्या है यह प्रश्न विचारणीय है। वीरसेनस्वामीने यद्यपि वहाँपर इम प्रश्नका समाधान करनेका प्रयत्न किया है किन्तु उसे समस्याका समुचित हल कहना इसलिए ठीक न होगा, क्योंकि उस द्वारा अनेक नई धारणाओंकी पुष्टि की गई है यह बात इम आगे चलकर स्वयं बतलानेवाले है। स्पष्ट है कि गोत्रकी इन विविध व्याख्याओंके रहते हुए हमें उसका विचार कर्मसाहित्यकी मौलिकताको ध्यानमें रखकर करना चाहिए और देखना चाहिए कि इनमेंसे कौन व्याख्याएँ उसके अनुरूप ठहरती हैं।

कर्मसाहित्यके अनुसार गोत्रकी व्याख्या—

यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि गोत्र जीवविषाको कर्म है, इसलिए जिस प्रकार अन्य जीवविषाकी कर्मोंका उदय होने पर जीवकी विविध प्रकारकी पर्यायोंका निर्माण होता है उसी प्रकार गोत्रकर्मका उदय होने पर भी जीवकी ही अपनी पर्यायका निर्माण होता है। तात्पर्य यह है कि यदि उच्चगोत्रका उदय होता है तो जीवको उच्च सज्ञावाली नोआगम-भावरूप पर्यायका निर्माण होता है और नीचगोत्रका उदय होता है तो जीवकी नीचसज्ञारूपी नोआगमभावरूप पर्यायका निर्माण होता है। यह तो सुविदित है कि १८नोकपायके समान गोत्रकर्मका उदय शरीर ग्रहणके प्रथम समयसे प्रारम्भ न होकर भवग्रहणके प्रथम समयसे प्रारम्भ होता है, इसलिए जिस प्रकार वेदरूप स्त्रीपर्याय, पुरुषपर्याय और नपुंसकपर्यायका सम्बन्ध शरीरग्रहणित चाल्य स्त्रीचिह्न, पुरुषचिह्न और नपुंसक चिह्नोंके साथ

नहीं है। अर्थात् यदि कोई द्रव्यसे खी, पुरुष या नपुंसक है तो उसे भावसे भी खी, पुरुष या नपुंसक होना ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है उसी प्रकार गोत्रकर्मके उदयसे हुई जीवकी उच्च और नीच पर्यायका सम्बन्ध शरीरके आधयसे कल्पित किये गये कुल, वंश या जातिके साथ नहीं है। अर्थात् यदि कोई लोकमें उच्चकुली, उच्चवंशी या उच्चजातिका माना जाता है तो उसे पर्यायस्थपमें नीचगोत्री होना ही चाहिए या कोई लोकमें नीच-कुली, नीचवंशी और नीचजातिका माना जाता है तो उसे पर्यायस्थपमें नीचगोत्री होना ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। कर्मसाहित्यमें ऐसे अनेक स्थल आये हैं जहाँ पर द्रव्यका भावके साथ वैषम्य बतलाया गया है। इसके लिए वेदका उदाहरण तो इस पहले ही दे आये हैं। दूसरा उदाहरण सूक्ष्म और बादरका है। यह जीव सूक्ष्म नामकर्मके उदयसे सूक्ष्म और बादर नामकर्मके उदयसे बादर होता है। किन्तु शरीर रचनाके साथ इन कर्मोंके उदयका सम्बन्ध न होनेसे जिस प्रकार कच्छित् बादर जीवोंकी शरीर रचना सूक्ष्म जीवोंकी शरीर रचनाकी अपेक्षा कई बातोंमें सूक्ष्म देखी जाती है और सूक्ष्म जीवोंकी शरीर रचना बादर जीवोंकी शरीर रचनाकी अपेक्षा कई बातोंमें स्थूल देखी जाती है उसी प्रकार लौकिक कुलादिके साथ उच्च और नीचगोत्रकर्मके उदयका सम्बन्ध न होनेसे जो लोकमें उच्च-कुलवाले माने जाते हैं उनमें भी बहुतसे मनुष्य भावसे नीचगोत्री होते हैं और जो लोकमें नीचकुलवाले माने जाते हैं उनमें भी बहुतसे मनुष्य भावसे उच्चगोत्री होते हैं। कार्मिक ब्रन्थोंमें यह तो बतलाया है कि सब नारकी और सब तिर्यक नीचगोत्री होते हैं तथा सब देव और भोगभूमिक मनुष्य उच्चगोत्री होते हैं। पर वहाँ पर कर्मभूमिक गर्भज मनुष्योंमें ऐसा कुछ भी नहीं बतलाया कि आर्यसहजके सब मनुष्य उच्चगोत्री होते हैं और म्लेच्छखण्डके सब मनुष्य नीचगोत्री होते हैं। या आयोंमें तीन वर्णवाले सब मनुष्य उच्चगोत्री होते हैं और शूद्र वर्णवाले सब मनुष्य नीचगोत्री होते हैं। वास्तवमें ये लौकिक कुल, वंश, जाति और वर्ण किसी कर्मके

उदयसे न होकर मानवसमाज द्वारा कल्पित किये गये हैं, इसलिए इनके साथ कर्मनिमित्तक जीवकी पर्यायोंका अविनाभाव सम्बन्ध नहीं है। यहाँ हमारा नात्पर्य केवल गोत्रकर्मनिमित्तक उच्च और नीच पर्यायसे ही नहीं है और भी स्थिरासंयम और संयम आदि रूप जितनी भी जीवकी पर्याय है उनका अविनाभाव सम्बन्ध भी इन लौकिक कुलादिके साथ नहीं है। ऐसा यहाँ समझना चाहिए। इस प्रकार माझोपाङ्गरूपसे विचार करने पर यही विश्वास होता है कि जीवको जो उच्चसज्जावाला नोआगमभावरूप जीवपर्याय होती है वह उच्चगोत्र है और जो नीचसज्जावाला नोआगमभावरूप जीवपर्याय होती है वह नीचगोत्र है।

एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न—

अब प्रश्न यह है कि जीवको वह कानूनी पर्याय है जिसे उच्च माना जाय और उसमें भिन्न वह कौनसी पर्याय है जिसे नीच माना जाय। अर्थात् किसी जीवधारीको देखकर यह कैसे समझा जाय कि यह उच्चगोत्री है और यह नीचगोत्री है? ऐसा कोई लक्षण अवश्य ही होना चाहिए जिसके आधारसे उच्चता और नीचता का अनुमान किया जा सके। जहाँ पर उच्च या नीचगोत्र नियत है वहाँ तो यह प्रश्न नहीं उठता। परन्तु कर्मभूमिज गर्भज मनुष्योंमें उच्च या नीचगोत्र नियत नहीं है, इसलिए वहीं पर मुख्यरूपसे इसका विचार करना है।

यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि गोत्रका अविनाभाव सम्बन्ध कुल और जातके साथ नहीं है। वीरसेन स्वामी गोत्रका निर्णय करने समय उच्चगोत्रके प्रतिगते स्वयं कहते हैं कि इद्वाकुकुल आदि काल्पनिक है, वे परमार्थ मत् नहीं है, इसलिए उनको उत्तरात्म उच्चगोत्रका व्यापार नहीं दाता। इसलिए गोत्रका अर्थ कुल, वरा या सन्नान मान लेने पर भी उसका अर्थ लौकिक कुलादिक तो हो नहीं गकता। कटाचित् गोत्रका अर्थ आचारपरक किया जाता है तो भी यह प्रश्न उठता है कि यहाँ पर आचार शब्दसे क्या अभिप्रेत है—लोकाचार या स्थिरासंयम और स्वभावरूप

आचार ? किन्तु विचार करनेपर विदित होता है कि गोत्रका अर्थ लोकाचार या संयमासंयम और संयमरूप आचार करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि भवके प्रथम समयमें किसी भी जीवको इनमेंसे किसीकी भी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए गोत्रका अर्थ आचार भी नहीं हो सकता। यदि कहा जाय कि उच्च और नीच गोत्रके उदयसे आचारकी प्राप्ति नहीं होती है तो मत होओ। पर उससे ऐसी योग्यता अवश्य उत्तम हो जाती है जिससे वह कालान्तरमें अमुक प्रकारके आचारको धारण करता है सो यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसके कालान्तरमें अमुक प्रकारका आचार पाशा जावेगा वह नियमसे उच्चगोत्री या नीच-गोत्री होगा ही। अन्य गतिके जीवोंमें वर्णाचार धर्म नहीं है फिर भी उनमेंसे देव और भागभूमिज मनुष्य उच्चगोत्री होते हैं तथा नारकी और तिर्यक्क नीचगोत्री होते हैं। यही बात संयमासंयम और संयमके लिए भी लागू होती है, क्योंकि जो उच्चगोत्री होते हैं उनमें नियमसे संयमासंयम और संयमको धारण करनेकी योग्यता होती ही है यह भी नहीं है और जो नीचगोत्री होने है उनमें नियमसे इनको धारण करनेकी योग्यता नहीं होती यह भी नहीं है। इस प्रकार जैसे गोत्रका अर्थ लौकिक कुल, वंश या जातिपरक नहीं हो सकता वैसे ही वह आचारपरक भी नहीं हो सकता यह निश्चित हो जाने पर हमें जीवको उच्च और नीच पर्यायकी आध्यात्मिक आधारसे ऐसी व्याख्या करनी होगी जो चारों गतियोंमें सब जीवोंमें समान रूपसे घटित होनेकी ज्ञमता रखती हो, क्योंकि जैनधर्मके अनुसार गोत्र केवल कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों तक ही समित नहीं है। उसका सद्भाव चारों गतियोंन समानरूपसे सबके पाया जाता है। तात्पर्य यह है कि उच्च या नीचगोत्र एकेन्द्रियसे लेकर संही पञ्चेन्द्रिय तक सब सारी जीवोंकी पर्याय विशेषका नाम है, इसलिए विचारणीय वह है कि जीवकी वह कौनसी पर्यायविशेष है जो उच्च या नीच शब्द द्वारा कहा जाती है ?

वर्णार्थवादी दृष्टिकोण स्वीकार करनेको आवश्यकता—

यह तो हम पहले ही चतुरा आये हैं कि मूल आगम साहित्यमें मोत्रके सामान्य और विशेष लक्षणोपर विशेष प्रबलता नहीं ढाला गया है। कल-स्वरूप उसकी अध्यात्मिकता लमात होकर अधिकतर बहिर्मुखी व्याख्याओंने उसका स्थान ले लिया है। एक नोत्र ही क्या वेटनोत्र कर्म, वेदनोक्षाय, नामकर्म और अन्तरायकर्मके ऊपर भी यह कथन शत-प्रतिशत लगू होता है। उदाहरणके तौरपर यहाँ पर हम पुनः वेदनोक्षायकी चरचा कर देना इष्ट समझते हैं। जैसा कि कर्म साहित्यमें कमोंका विभाव किया गया है उसके अनुसार वेदनोक्षायके उदयसे होनेवाला स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेदरूप परिमाण जीवकी नोआगमभावरूप पर्याय है, शरीराकार पुद्गालीकी रचनाविशेष नहीं। पिर भाँ अधिकतर व्याख्याकारोंने इस तथ्यकी ओर ध्यान न देकर उसको बहिर्मुखी व्याख्याएँ करनेमें ही अपनी चरितार्थता मानी है। दृष्टान्तरूपमें पञ्चाध्यायीको लीजिए। उसमें स्त्रीवेद अदिका लक्षण इन शब्दोंमें दिया गया है—

दिरंसा द्रव्यनारीणां पुरुषेदस्त्वेऽव्याख्यितः ।

नारीवेदोद्वाङ्गेदः पुंसां भोगाभिलापता ॥ १०८१॥

नालं भोगात् नारीणां नावि पुसामत्कितः ।

अस्तद्व्येऽस्त्रियो भोगात् स्त्रीवेदोद्वादिव ॥ १०८२॥

अर्थात् पुरुषवेदके उदयसे द्रव्यनारियोंके प्रति रमण्ड करनेकी इच्छा होती है, स्त्रीवेदके उदयसे पुरुषोंके प्रति भोग भोगनेकी अभिलाषा होती है और स्त्रीवेद होनेसे जो न तो जियोंको भोग सकता है और ज पुरुषोंको ही भोग सकता है किन्तु भीतर ही भीतर जलता रहता है वह नपुंसकवेद है जो नपुंसकवेदके उदयसे होता है।

मैंने यह है कि क्या स्त्रीवेद नोक्षायका कार्य द्रव्यपुरुषकी और पुरुषवेद नोक्षायका कार्य द्रव्यस्त्रीकी अभिलाषा करना हो सकता है !

बहाँ पर भाववेद और द्रव्यवेदका साम्य है बहाँ पर वह लक्षण घटित हो भी जाय तो क्या इतने मात्रसे इस लक्षणकी सर्वत्र चरितार्थता मानी जा सकती है ? बहाँ पर वेदवैष्णव है वहाँ पर यह लक्षण कैसे चरितार्थ होगा ? अर्थात् नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो द्रव्यसे पुरुष है और भावसे स्त्री है को द्रव्यसे स्त्री है और भावसे पुरुष आदि है वहाँ पर इस लक्षणकी व्याप्ति नहीं बन सकेगी । जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति तथा असम्भव दोषसे रहित होता है समीचीन लक्षण वही माना जा सकता है किन्तु इस लक्षणके मानने पर अव्याप्ति दोष आता है, हल्किए वह समीचीन लक्षण नहीं हो सकता । इससे ज्ञात होता है कि उत्तरकालीन व्याख्याकारोंने वेदनोक्षणके अवान्तर भेदोंके जो लक्षण किये हैं वे सर्वथा निर्दोष नहीं हैं । उनके समीचीन लक्षण ऐसे होने चाहिए जो सर्वत्र समानरूपसे चरितार्थ हो सकें, अन्यथा वे उनके लक्षण नहीं माने जा सकते । इस प्रकार वेदनोक्षणोंके लक्षणोंकी उत्तरकालमें जो गति हुई है वही गति गात्रके लक्षणोंके विषयमें भी हुई है । यहाँ भी गोत्रका लक्षण करते समय न तो इस बातका ध्यान रखा गया है कि उसका ऐसा लक्षण होना चाहिए जो सर्वत्र समानरूपसे घटित हो जाय और न इस बातका ही ध्यान रखा गया है कि गोत्र जीवविपाकी कर्म है, अतएव उसके उदयसे होनेवाली नोआगमभावरूप जीवपर्यायका बहिर्मुखी लक्षण करने पर उसकी आध्यात्मिकताकी रक्षा कैसे की जा सकेगी ? आज कल बहुतसे मनोविदोंके मुख्यसे वह बात सुनी जाती है कि शास्त्रात् विषयोंका विवेचन करते समय अपने विचार न लादे जायें । हम उनके इस कथनसे शुत-प्रतिशत सहमत हैं । हम भी ऐसा ही मानते हैं । किन्तु उत्तर कालमें भगवद्वार्णाके रूपमें जो कुछ लिखा और कहा गया है उसे क्या उसी रूपमें स्वीकार कर लिया जाय, उस पर मूल आगम साहित्यको ध्यानमें रखकर कुछ भी टीका टिप्पणी न की जाय ? यदि उनके कथनका यही तात्पर्य है तब तो त्रिवर्णाचार ग्रन्थके 'योनिपूजा' और 'पानके विना

केवल सुपारी खानेसे जीव नरक जाता है^१ इस कथनको भी भगवद्गाणी माननेके लिए चाष्य होना पड़ेगा और उनके कथनका यह तात्पर्य न होकर केवल इतना ही तात्पर्य है कि किसी भी शास्त्रीय विषय पर विचार करते समय मूल आगम साहित्यकी तात्त्विक पृष्ठभूमिको ध्यानमें रखकर ही उसका विचार होना चाहिए तो इमें इस तथ्यको स्वीकार करनेमें रक्षमात्र भी हानि नहीं है। हम मानते हैं कि मूल आगम साहित्यमें प्रमेयका जिस रूपमें निर्देश हुआ है वह यथार्थ है। किन्तु उत्तर कालीन व्याख्या ग्रन्थोंमें सर्वत्र उसका उसी रूपमें निर्वाह हुआ है, सर्वथा ऐसा मानना उचित नहीं है। जहाँ उसका यथार्थरूपसे व्याख्यान हुआ है वहाँ उसे उसी रूपमें स्वीकार करना चाहिए और जहाँ देश, काल, परिस्थितिके अनुसार उसमें अन्तर आया है वहाँ उसे भी दिखलाना चाहिए यह लोक और शास्त्र सम्मत मार्ग है। तात्पर्य यह है कि वस्तुस्वरूपके प्रतिपादन करनेमें यथार्थवाटी दृष्टिकोणको स्वीकार करना चुरा नहीं है। यह वस्तु-मीमांसाकी पढ़ति है। इसे स्वीकार करनेसे वस्तुस्वरूपके निर्णय करनेमें सहायता मिलती है। हम पहले बेदनोकषायकी इसी दृष्टिकोणसे मीमांसा कर आये हैं। गोत्रकी मीमांसा करते समय भी हमें इसी दृष्टिकोणको स्वीकार करनेकी आवश्यकता है।

गोत्रकी व्याख्याओंकी मीमांसा—

हम पहले गोत्रकी नी व्याख्याएँ दे आये हैं। उनमेंसे जो व्याख्याएँ जीवकी पर्याय परक हैं वे आगम सम्मत हैं, इसमें सन्देह नहीं, क्योंकि उच्च या नीच किसी भी सोबके उठायसे जीवकी नीआगमभावरूप पर्यायका ही निर्माण होता है। किन्तु जो व्याख्याएँ इससे भिन्न अभिप्रायकोंलिए हुए हैं उन्हें उसी रूपमें स्वीकार करना उचित नहीं है। उदाहरणार्थ उक्त नी व्याख्याओंमें कई व्याख्याएँ आचारपरक कही गई हैं। उन सबको मिलाकर पढ़ने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि आयोचित आचारवाले

मनुष्योंकी सन्तानको उच्चगोत्र कहते हैं और उससे भिन्न मनुष्योंकी सन्तानको नीचगोत्र कहते हैं। पश्चपुराणमें नीचगोत्रकी की गई व्याख्यासे भी यही ध्वनि निकलती है। तथा धवलाके प्रकृति अनुयोगद्वारमें की गई व्याख्यासे भी इसकी पुष्टि होती है। मात्र गोममटसार कर्मकाण्डमें जो व्याख्या की गई है उसमें आर्य और अनार्य इनमेंसे किसी भी शब्दका उल्लेख नहीं हुआ है। इतना अवश्य है कि इस व्याख्याकी शब्द योजनासे ऐसा लगता है कि यह व्याख्या भी पूर्वोक्त व्याख्याओंकी ही पूरक है, अन्यथा उसमें परम्परासे या वशानुक्रमसे आये हुए आचारको मुख्यता न दी जाती। यहाँ पर यद्यपि हमने पश्चपुराणकी व्याख्याका बही तात्पर्य मान लिया है जो धवलाके प्रकृति अनुयोगद्वारकी व्याख्यामें स्पष्टरूपसे परिलक्षित होता है। किन्तु पश्चपुराणकी व्याख्यामें यह सम्भव है कि वहाँ 'अनार्य' शब्दका अर्थ म्लेक्ष्य न लेकर 'आयोग्य' लिया गया हो। जो कुछ भी हाँ, प्रकृतमें उसकी विशेष मीमांसा प्रयोजनीय नहीं है। यहाँ तो हमें धवला प्रकृति अनुयोगद्वारकी व्याख्याके आधारसे ही विचार करना है, क्योंकि आचार-पाठक अन्य सभ्र व्याख्याएँ इसके अन्तर्गत आ जाती हैं। धवला प्रकृति अनुयोगद्वारमें वह व्याख्या इन शब्दोंमें की गई है—

'जिनका दीक्षा योग्य साधु आचार है, साधु आचारवालोंके साथ जिन्होंने अपना सम्बन्ध स्थापित कर लिया है तथा जो 'आर्य' इस प्रकारके लान और वचन व्यवहारमें निमित्त है उन पुरुषोंकी परम्पराको उच्चगोत्र कहते हैं और इनसे भिन्न पुरुषाकी परम्पराको नीचगोत्र कहते हैं।'

यहाँ पर तीन वर्णवालोंके सिवा न्यका वारण करनेके लिए 'जिनका दीक्षा योग्य साधु आचार है' यह विशेषण दिया है। जो अन्य मनुष्य तीन वर्णके आश्रोंके साथ वैवाहिक आदि सामाजिक सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं उन्हें स्वीकार करनेके लिए 'साधु आचारवालोंके साथ जिन्होंने अपना सम्बन्ध स्थापित कर लिया है' यह विशेषण दिया है। तथा शेष

मनुष्योंका वारण करनेके लिए 'जो आर्य इस प्रकारके शान और बचन व्यवहारमें निमित्त है' यह विशेषण दिया है।

धर्मगति अनुयोगद्वारमें वीरसेनस्वामीने उच्चगोत्र और नीचगोत्रका कहाँ व्यापार होता है इसकी मीमांसा करते हुए तीन वर्णवाले मनुष्योंमें उच्चगोत्र तथा शूद्र और म्लेच्छ मनुष्योंमें नीचगोत्र होता है यह स्वीकार किया है। उसे ध्यानमें रखकर ही हमने गोत्रके उक्त लक्षणके विशेषणोंको सार्थकता बतलाई है।

यहाँ पर दीक्षा योग्य साधु आचारसे वीरसेन स्वामीको क्या इष्ट रहा है इसका स्पष्ट ज्ञान धवला टीकासे नहीं हांता। किन्तु उनके शिष्य आचार्य जिनसेनने अपने महापुराणमें भरत चक्रवर्तीके मुखसे दीक्षा योग्य कुलकी व्याख्या इन शब्दोंमें कराई है—

अदीक्षाहें कुले जाता विद्याशिष्योष्ठावीविनः ।

एतेषामुपर्मात्मादिवसंस्कारो नाभिसम्मतः ॥१७०॥ पर्व ५० ।

अथान् जो दीक्षा योग्य कुलमें नहीं उत्पन्न हुए हैं तथा जो विद्या और शिल्प कर्म द्वारा अपनी आबीविका करते हैं वे उपनयन आदि संस्कारके योग्य नहीं माने गये हैं। प्रकृतमें यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यहाँ पर दीक्षा शब्दसे आचार्य जिनसेनको केवल उपनयन संस्कार ही इष्ट नहीं है। किन्तु इससे वे आबक और मुनि दीक्षा भी लेते हैं। महापुराणके अनुसार जिस समय भरत चक्रवर्तीने ब्राह्मण वर्णको स्थापना कर भारिक द्वे त्रिमें दीक्षाके योग्य तीन वर्णके मनुष्य ही हैं ऐसी व्यवस्था दी थी। उस समय समवसरण सभामें आदिनाथ जिन विद्यमान थे इस तथ्यको स्वय आचार्य जिनसेनने स्वीकार किया है। यहाँ यह तो समझमें आता है कि ब्राह्मण वर्ण सामाजिक व्यवस्थाका अङ्ग है, इसलिए उसकी स्थापना भरतचक्रवर्तीके द्वारा कराई जाना कदाचित् न्यायसङ्गत कही जा सकती है पर धर्मतीर्थके कर्ता आदिनाथ जिनके गृहते हुए भरत चक्रवर्ती वह व्यवस्था

दें कि तीन वर्णके मनुष्य आवक और मुनिदीद्वाके योग्य हैं, शूद्रवर्णके मनुष्य नहीं यह न्यायसङ्गत प्रतीत नहीं होता। इसे हम भरतचक्रवर्तीका धर्ममें हस्तक्षेप तो नहीं कहना चाहते, पर इतना अवश्य ही कह सकते हैं कि आचार्य जिनसेनने भरतचक्रवर्तीके मुखसे यह बात कहलाकर धार्मिक परम्पराको मनुस्मृतिके समान सामाजिक व्यवस्थाका अङ्ग बनानेका प्रयत्न किया है। मनुस्मृति वर्णाश्रम धर्मका प्रतिपादन करनेवाला मुख्य प्रन्थ है। उससे भी शूद्र उपनयन आदि संस्कारके योग्य नहीं हैं इसका स्पष्टतः समर्थन होता है। वहाँ कहा है—

न शूद्रे पातक किञ्चिच्छ च संस्कारमर्हति ।

नास्थाधिकारो धर्मेऽस्ति न धर्माधितिषेधनम् ॥१२६॥ ५० १०

शूद्र यदि अभद्र्य भल्लण करता है तो इसमें कोई दोष नहीं है। वह उपनयन आदि संस्कारके योग्य नहीं है तथा उसका धर्ममें कोई अधिकार भी नहीं है। परन्तु वह अपने योग्य धर्मका यदि पालन करता है तो इसका निषेध भी नहीं है।

मनुस्मृतिके इस वचनको पढ़कर यह हड़ धारणा होती है कि आचार्य जिनसेनने उक्त व्यवस्थाको स्वीकार करनेके लिए ही उसे भरत चक्रवर्तीके मुखसे कहलाया है। स्पष्ट है कि यह व्यवस्था मोद्दमार्गका अङ्ग नहीं है और न मोद्दमार्गमें इसे स्वीकार ही किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भवला प्रकृति अनुयोग द्वारमें उच्चगोत्रके लङ्घणके प्रसगसे आचार्य बीरसेनने जो ‘जिनका दीद्वाके योग्य साधु आनार है’ यह विशेषण दिया है वह तीन वर्णवालोंके सिवा शेष मनुष्योंको दीद्वाके अयोग्य ठहरानेके लिए ही दिया है। उससे उच्चगोत्रके आध्यात्मिक स्वरूप पर कोइ विशेष प्रकाश पड़ता हो ऐसी बात नहीं है।

यह तो प्रथम विशेषणकी स्थिति है। अब दूसरे विशेषणको लीजिए। वह है—‘जिन्होंने साधु आचारवालोंके साथ वैवाहिक आदि सामाजिक

सम्बन्ध स्थापित कर लिया है।' कर्ममाहित्यका नियम है कि जो नीचगोत्र होता है उसके मुनिदीक्षा या श्रावकदीक्षा लेते समय नीचगोत्र बटलक उच्चगोत्र हो जाता है। मातृप पढ़ता है कि वीरसेन स्वामीने इस वचनक निर्धारण करनेके लिए उक्त विशेषण दिया है। अब प्रश्न उठता है कि मुनिदीक्षा या श्रावकदीक्षाके समय नीचगोत्र किसका बटल होता है। यह तो वीरसेनस्वामीने हीं स्वीकार किया है कि जो नियंत्र श्रावकधर्मको स्वीकार करते हैं उनका नीचगोत्र बटलकर उच्चगोत्र हो जाता है। परन्तु मनुष्योंके विषयमें उन्होंने ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं किया है। पर उनके गोत्रमध्यन्तर्भी धबला टीकाके उक्त प्रकरणको देखनेमें यह स्पष्ट विडित होता है कि वे शूद्रवर्णवाले मनुष्योंके और म्लेच्छ मनुष्योंके नीच गोत्रका उदय तथा तीन वर्णवाले मनुष्योंके उच्चगोत्रका उदय मानने रहे हैं, इसलिए इस आशारमें यह सहज ही मूलित हो जाता है कि जो शूद्र या म्लेच्छ मनुष्य मुनिधर्म या श्रावकधर्मको स्वीकार करते हैं वे उच्चगोत्री हो जाने हैं। यह वीरसेन स्वामीके धबला टीकाके कथनका प्रलिपार्थ है। पिर भी उन्हें यह समय विचार मान्य रहा है यह दृष्टि इसलिए निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते, क्योंकि उनके प्रभुत्व शिष्य जिनमेन स्वामीने केवल इतना ही माना है कि चक्रवर्तीकी दिव्यज्ञयके भवय जो म्लेच्छ मनुष्य आर्यवण्डमें आकर चक्रवर्ती आटिके साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर लेने हैं वे या उनकी कन्याओंका चक्रवर्तीके साथ विवाह हो जाने पर उनसे उत्पन्न हुए मन्तान मुनिदीक्षाके यंत्र हैं। हो सकता है कि इस विषयमें गुरु और शिष्यके मन्य कठाचिन् भत्तेन रहा हो। इस प्रकारकी शंकाके लिए इसलिए ध्यान है, क्योंकि वीरसेन स्वामीने धबला टीकामें दो स्थलों पर अकर्म भूमिज्ञोंमें स्थापनाका निर्देश करके भी अकर्मभूमिज्ञाकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की है और मिहान्त ग्रन्थोंमें स्वीकार की गई पुण्यनी परम्पराको यथावत् कायन रहने दिया है। जो कुछ भी हो। इतना स्पष्ट है कि इस विशेषणको देने समय भी वीरसेन स्वामीके सामने सामाजिक व्यवस्था मुख्य रही है जो

‘साध्वाचारैः कृतसम्बन्धानाम्’ पटसे स्पष्टतः ध्वनित होती है। इस प्रकार प्रथम विशेषणके समान दूसरा विशेषण भी सामाजिक सीमाको बाँधनेके अभिग्रायसे ही दिया गया है, गंगाव्रके आधात्मिक स्वरूपको स्पष्ट करनेके अभिग्रायसे नहीं यह उत्तम कथनसे फलित हो जाता है।

अब तीसरे विशेषण पर विचार कीजिए। वह है—‘जो आर्य इस प्रकारके ज्ञान और वचन व्यवहारमें निमित्त है।’ इस विशेषण द्वाग केवल यह दिखलाया गया है कि उच्चगोत्री आर्य मनुष्य ही हा सकते हैं, अन्य नहीं। यहाँ पर प्रश्न होता है कि शूद्र मनुष्योंको आये माना जाय या नहीं ? यदि उन्हें आर्य माना जाता है तो इस विशेषणके अनुसार उन्हें उच्चगोत्री भी मानना पड़ता है। यह कहना तो बनता नहीं कि आर्य होकर भी वे उच्चगोत्री नहीं हो सकते, क्याकि जब वे आर्योंकी घट कर्मव्यवस्थाको स्वोकार करते हैं और स्वयं आर्य हैं। ऐसी अवस्थामें उक्त लक्षणके अनुसार उन्हें उच्चगोत्री न मानना न्यायसंगत कैसे कहा जा सकता है ? यह तो है कि वीरसेन स्वामीने उन्हें नीचगोत्री माना है। पर वे नीचगोत्री क्यों हैं इसका उन्होंने काई समुचित कारण नहीं दिया है। हमारी समझसे वीरसेन स्वामी द्वारा शूद्रोंको नीचगोत्री माननेका उनको सामाजिक व्यवस्थामें अन्य वर्णवालोंके समान ब्राह्मणोंका स्थान न मिल सकना ही मुख्य कारण रहा है। यद्यपि वैदिक धर्मशास्त्रमें अनेक स्थलों पर वैश्योंकी परिगणना शूद्रोंके साथ की गई है। किन्तु बणिज् जैसा महत्त्व-पूर्ण विभाग उनके हाथमें होनेसे उसके बलसे वे तो अपना सामाजिक उक्त दर्जा प्राप्त करनेमें सफल हो गये, परन्तु शूद्रोंको यह भाग्य कभी भी न सीधे न हो सका।

इसका एक कारण और विदित होता है और वह ऐतिहासिक है। इतिहासने इस तथ्यको स्पष्ट रूपसे स्वीकार कर लिया है कि आये भारतवर्ष-के मूल निवासी नहीं हैं। वे मध्य एशियासे आकर यहाँके निवासों बने हैं।

इसके लिए उन्हें यहोंके मूल निवासियोंको पढ़ाना उन्हें ही अपने निवासके योग्य भूमि प्राप्त करनी पड़ी थी। इस उल्टा फ़ॉर्म जिन मूल निवासियोंने उनकी दासता स्वीकार कर ली थी, दास बनाकर उनसे वे सेवा ठहल कराने लगे थे। बम्नुतः वर्तमानकालीन शूद्र उन्होंके उत्तराधिकारी हैं। यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि प्राचीन जैन साहित्यमें भनुष्योंके न तो आर्य और म्लेच्छ ये भेद हृषिगोचर होते हैं और न ही ब्राह्मण, लक्ष्मिय, वैश्य और शूद्र ये भेद ही हृषिगोचर होते हैं। हमारी समझसे प्राचीन जैन साहित्यमें इन भेदोंका हृषिगोचर न होना महत्वपूर्ण है और वह इस तथ्यकी ओर इशारा करता है कि भागतवर्षमें प्राचीन सामाजिक रचना ब्राह्मण धर्ममें स्वीकृत सामाजिक रचनासे भिन्न प्रकारकी थी। यदि समाज रचनाकी हृषि से उनमें ऊँच नीचसम्बन्धी तो नहीं अन्य किसी प्रकारका भेद या भी तो भी वह धार्मिक लेत्रमें हृषिगोचर नहीं होता था। उत्तरकालीन जैनसाहित्यमें चार बर्णोंको स्वीकारकर शूद्रबर्णकी गणना इन कांटिमें को गई इसे ब्राह्मण-धर्मकी ही देन समझनी चाहिए।

यह तो सुविदित है कि देवमात्र उच्चगोत्री होते हैं। किन्तु उनमें आर्य और म्लेच्छ ऐसे भेद न होनेसे न तो उनकी आयोगि परिणामना होती है और न वे आयोगि 'अनि' आदि पट्कर्मदार अपनी अजीविका ही करते हैं। इस स्थितिसे बांसेन स्वार्मी सम्यक्प्रकार मुपरिच्छित थे। पिर भी उन्होंने उच्चगोत्रका ऐसा लक्षण बनाया है जो मात्र विशिष्ट वर्गके मनुष्योंमें ही किसी प्रकार घटित किया जा सकता है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उत्तरोत्तर एक एक विशेषण देकर वे उच्चगोत्रके लक्षणको सीमित करते गये। मात्रम् पड़ता है कि इस अन्तिम विशेषण द्वारा भी वे उसी सामाजिक व्यवस्थाको दृष्टमूल करना चाहते थे जिसका परिष्कृत रूप आचार्य जिनसेनके महापुराणमें निर्दिष्ट किया है, अन्यथा वे उच्चगोत्रका लक्षण विशिष्ट सामाजिक व्यवस्थाको भ्यामें गत्वकर कभी न करते। कहाँ तो सामाजिक उच्चता-नीचता और कहाँ आध्यात्मिक उच्चता-नीचता, इनमें

मौलिक अन्तर है। प्रथम ससीम है और दूसरी असीम। प्रथमका आधार समाज है और दूसरीका आधार जीवन। प्रथम लौकिक है और दूसरी आध्यात्मिक। तथा प्रथम काल्पनिक है और दूसरी वास्तविक। ऐसी अवस्था में सामाजिक उच्चता-नीचताके आधारसे आध्यात्मिक उच्चता-नीचताका विचार कैसे किया जा सकता है? स्वयं वीरसेन स्वामीने घबला टीकामें विविध स्थलोंपर जो गोत्रकी मीमांसा की है, वास्तवमें वही इस तथ्यके समर्थनके लिए पर्याप्त है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि व्याख्या ग्रन्थोंमें गोत्रकी आचारपरक जितनी भी व्याख्याएँ मिलती है उन सबका स्वरूप सामाजिक ही है। वे गोत्रके मूल अर्थको व्यक्तिगत् भी स्पर्श नहीं करतों, इसलिए वे प्रकृतमें ग्राह नहीं हो सकतीं। तथा इनके अतिरिक्त जा कुल या वशपरक व्याख्याएँ हैं वे काल्पनिक और मनुष्योंके विशिष्ट वर्ग तक सीमित होनेसे उनकी भी वही स्थिति है जिसका उल्लेख आचारपरक व्याख्याओंकी मीमांसा करते समय कर आये हैं। फलस्वरूप प्रकृतमें वे भी ग्राह नहीं हो सकतीं। उक्त दोनों प्रकारकी व्याख्याओंके सिवा इनके अनुरूप अन्य जितनी व्याख्याएँ हैं वे इनकी पूरक होनेसे वे भी प्रकृतमें ग्राह नहीं हो सकतीं यह स्पष्ट ही है।

यहाँ हम उपर्योगी जानकर इतना अवश्य ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि गोत्र शन्द, पहाड़, नाम, वश, गोत्रकर्म, गोत्रकर्मके उदयसे उत्तर्ण हुई जीवकी पर्याय आदि अनेक अर्थोंमें व्यवहृत होता है, इसलिए कदाचित् नाना जीवोंमें नोआगमभावरूप उच्च और नोच पर्यायकी सहशरीर देखकर गोत्रका अर्थ कुछ, वश, सन्तान या परम्परा सो हो भी सकता है पर उसका अर्थ आचार या लौकिक वंश किसी भी अवस्थामें नहीं हो सकता।

गोत्रको व्यावहारिक व्याख्या—

यहाँ तक हमने गोत्रके आधारसे विस्तृत विचार किया। फिर भी उसके स्वरूप पर व्यावहारिक दृष्टिसे अभी तक एकाश ढालना रह ही गया है।

यह सो हम पहले ही बतला आये हैं कि उच्चगोत्र या नीचगोत्र जीवकी नोभागमभावरूप पर्याय है। पर उसे किसरूप माना जाय यही मुख्य प्रश्न है। ऐमा नियम है कि देवों और भोगभूमिके मनुष्योंमें उच्चगोत्रका उदय होता है, नारकियों और तिर्यङ्गोंमें नीचगोत्रका उदय होता है। तथा कर्मभूमिके मनुष्योंमें पृथक् पृथक् नीच या उच्चगोत्रका उट्टय होता है। गोत्रकर्मके विषयमें एक नियम तो यह है और दूसरा नियम है कि जो मनुष्य सकल संयमको धारण करते हैं उनके नियमसे नीचगोत्र बदल कर उच्चगोत्र हो जाता है। नीचगोत्र तो देशसंयमके निमित्से भी बदल जाता है पर वह सभीके बदल जाता होगा ऐसा नहीं प्रतीत होता, अन्यथा कर्मशास्त्रके अनुसार पाँचवें गुणस्थानमें नीचगोत्रका उट्टय नहीं बन सकता है। ये दो प्रकारकी व्यवस्थाएँ हैं जिनका ज्ञान हमें कर्मसाहित्यसे होता है। इस पर बारीकीसे दृष्टिपात करनेसे विदित होता है कि जिनके जीवनमें किसी न किसी रूपमें स्वावलम्बनकी मात्रा पाई जाती है वे उच्चगोत्री होते हैं और जिनके जीवनमें परावलम्बनकी बहुलता होती है वे नीचगोत्री होते हैं। देवों, भोगभूमिके मनुष्यों और सकलसंयमी मनुष्यों के उच्चगोत्री होने तथा नारकियों और तिर्यङ्गोंके नीचगोत्री होनेका यही कारण है। इनके जीवनकी धाराका जो चित्र जैनसाहित्यमें उपस्थित किया गया है उसका बारीकीसे अध्ययन करने पर यह बात भलीभांति समझी जा सकती है, अतएव इसे हमारा कोरा तर्क नहीं मानना चाहिए। उदा-हरणार्थ—देवोंको ही लीजिए। उनके जीवनकी जो भी आवश्यकताएँ हैं उनके लिए उन्हें परमुत्तमपेही नहीं होना पड़ता। इच्छानुसार उनकी पूर्ति अनायास हो जाती है। भोगभूमिके मनुष्योंकी भी यही स्थिति है। यद्यपि महाक्रतोंका पालन करनेवाले मुनि आहारादिके लिए गृहस्थोंका अवलम्बन लेते हैं। परन्तु वे आहारादिके समय न तो दीनता स्वीकार करते हैं और न गृहस्थोंकी अधीनता ही स्वीकार करते हैं। अपने स्वावलम्बनका उत्कृष्ट रूपसे पालन करते हुए अपने अनुरूप आहारादिकी प्राप्ति होने पर उसे वे

स्वीकार कर लेते हैं। कदाचित् आहारादिकी प्राप्ति नहीं होती है तो उसकी अपेक्षा किये बिना बनकी और मुड़ जाते हैं। आहारके लाभमें उनकी जो मनस्थिति होती है, उसके अलाभमें भी वही मनस्थिति बनी रहती है। जिसे समतात्त्वका अभ्यास कहा जाता है वह इसीका नाम है। किन्तु इसके विपरीत नारकियों और तिर्यङ्गोंका जीवन स्वावलम्बनसे कोसों दूर है। नारकियोंकी चाह बहुत है, भिलता नहीं अणु बराबर भी। जीवनमें सर्वत्र विकल्पाका साम्राज्य छाया रहता है। तिर्यङ्गोंकी पराधीनताकी स्थिति तो स्पष्ट ही है। इस प्रकार उक्त जीवधारियोंके इस नैसर्गिक जीवन पर दृष्टिपात करनेसे यही विदित होता है कि जिनके जीवनमें स्वावलम्बनकी ज्योति जगती रहती है वे उच्चगोत्री होते हैं और इनके विपरीत शेष नीचगोत्री।

वर्णव्यवस्था जीवनका अङ्ग नहीं है, वह मानवकृत है। देश, काल और परिस्थितिके अनुसार उसमें परिवर्तन भी होता है। वह सार्वत्रिक भी नहीं है, इसलिए इस आवाससे न तो स्वावलम्बन और परावलम्बनकी ही व्याख्या को जा सकती है और न उच्चगोत्र और नीचगोत्रकी व्यवस्था ही बनाई जा सकती है, क्योंकि ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न होनेके बाद कोई मनुष्य परावलम्बनका आश्रय नहीं लेगा, न तो यह ही निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है और शूद्रकुलमें जन्म लेनेके बाद कोई मनुष्य स्वावलम्बी नहीं होगा, न यह ही निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है। अतएव जैनपरम्परामें गोत्रको जिस रूपमें स्थान मिला है उसके अनुसार यही मानना उचित है कि गोत्रका सम्बन्ध वर्णव्यवस्थाके साथ न होकर प्राणीके जीवनके साथ है और उसकी व्याप्ति चारों गतियोंके जीवोंमें देखी जाती है।

उच्चगोत्र, तीन वर्ण और षट्कर्म—

इस प्रकार गोत्रके व्यावहारिक आर्थिक साथ उसकी उक्त व्याख्याओंमेंसे प्रकृतमें कौन व्याख्याएँ ग्राह्य हैं और कौन व्याख्याएँ ग्राह्य नहीं हैं इस बातकी संज्ञेपमें नीमांसा की। अब देखना यह है कि पूर्वमें गोत्रकी जो

आचार या सन्तान परक व्याख्याएँ दे आये हैं उनके प्रभावका उपयोग केवल सामाजिक ज्ञेत्र तक ही सीमित रहा है या धार्मिक ज्ञेत्रमें भी उनका प्रभाव पड़ा है ? प्रश्न मार्मिक है, अतएव आगे विस्तारके साथ इसका विचार किया जाता है ।

आचार दो प्रकारका है—वर्णसम्बन्धी या आजीविकासे सम्बन्ध रखने-वाला आचार और आत्मशुद्धिमें प्रयोजक आचार । वर्णसम्बन्धी आचार भारतवर्ष (भारतज्ञेत्र नहीं) तक ही सीमित है, क्योंकि इसी ज्ञेत्रके मनुष्योंमें ब्राह्मणधर्मके प्रभाववश चार वर्ण और उनके अलग अलग आचारकी व्यवस्था देखी जाती है । किन्तु आत्मशुद्धिमें प्रयोजक आचार केवल भारतवर्ष तक ही सीमित नहीं है । किन्तु भारतवर्षके बाहर तिर्यक्षां तकमें भी वह पाया जाता है, इसलिए आत्मशुद्धिमें प्रयोजक आचार न तो वर्णव्यवस्थाके साथ जुड़ा हुआ है और न उच्चनीच गांत्रके साथ ही । इतना अवश्य है कि आत्मशुद्धिमें प्रयोजक जो मुनिका आचार है उसकी व्याप्ति उच्चगोत्रके साथ अवश्य है । वहाँ अवश्य ही यह कहा जा सकता है कि जो भावमुनिके आचारका पालन करता है वह नियमसे उच्चगोत्री होता है । फिर चाहे उसे उच्चगोत्रकी प्राप्ति भवके प्रथम समयमें हुई हो या समग्रहणके प्रथम समयमें, पर होगा वह नियमसे उच्चगोत्री ही । इस स्थितिके रहने हुए भी आचारार्थ जिनका समर्थन उनके पूर्ववतों किसी भी प्रकारके जैन साहित्यसे नहीं होता । उठाहणार्थ वे अपने नये दीक्षित ब्राह्मणोंको भरत चक्रवर्तीके मुख्यों उपदेश दिलाते हुए कहते हैं—

इज्यां वातां च दृष्टिं च स्वाध्यार्थं संयमं तपः ।

भुतोपासकसूत्रान्वत् स तेभ्यः समुपादिशत् ॥२४॥ पर्व ३८

अथान् भरतने उन द्वितीयों श्रुतके उपासकसूत्रके आधारसे इज्या, वाता, दृष्टि, स्वाध्याय, संयम और तपका उपदेश दिया ।

आचार्य जिनसेन पुराने षट्कर्मोंके स्थानमें अपने द्वारा चलाये गये इन षट्कर्मोंको ब्राह्मणोंका कुलधर्म कहते हैं। आगे उन्होंने उपनीति किया और कुलचर्योंसे इनका सम्बन्ध स्थापित कर इन्हें आर्यषट्कर्म भी कहा है। साधारणतः आचार्य जिनसेनने गर्भादानादि सब कियाओंका उपदेश ब्राह्मणवर्णकी मुख्यतासे ही दिया है। उपनीति आदि कियाएँ, द्वित्रिय और वैश्योंके लिए नियिद्ध नहीं हैं, इसलिए असिआदि कर्मोंके आधारसे कहीं-कहीं द्विजों में उनका भी अन्तर्भाव कर लिया है। उनके विवेचनसे स्पष्ट विदित होता है कि वे आर्य शब्द द्वारा केवल ब्राह्मण, द्वित्रिय और वैश्य इन तीन वर्णवाले मनुष्योंको ही स्वीकार करना चाहते हैं। इस प्रकरणमें उन्होंने शूद्रों की आयोगें कहीं भी परिगणना नहीं की है।

इज्या आदि आर्य षट्कर्मोंका उल्लेख तो चारित्रसारके कर्तनि भी किया है। तथा वार्ताके स्थानमें गुरुपास्तिको रखकर इनका उल्लेख सोमदेवसूरिने भी किया है। किन्तु उन्हें वे गृहस्थोंके कर्तव्योंमें परिगणित करते हैं, केवल ब्राह्मण, द्वित्रिय और वैश्योंके आवश्यक कर्तव्योंमें नहीं। चारित्रसारका उल्लेख इस प्रकार है—

गृहस्थस्येज्या वार्ता दत्तिः स्वाध्यायः संयमः तप इत्यार्यषट्कर्माणि भवन्ति ।

यह तो हम आगे चलकर विस्तारके साथ बतलानेवाले हैं कि महापुराणके अनुसार ब्राह्मणवर्णकी स्थापना भरत चक्रवर्तीने की थी और उन्होंने ही उन्हें इज्या आदि आर्य षट्कर्मोंका उपदेश देकर उनका कुलधर्म बतलाया था। ऋषभ भगवान्‌ने केवल शान होनेके बादकी बात छोड़िए गृहस्थ अवस्थामें भी न तो ब्राह्मणवर्णकी स्थापना ही की थी और न उन्हें अलगसे आर्यषट्कर्मोंका उपदेश ही दिया था। चरित्रसारके कर्ता इस अन्तरको समझते थे, मालूम पड़ता है कि इसीलिए उन्होंने द्विजके स्थानमें जानकूमकर गृहस्थ शब्द रखा है।

ये छुह कर्म गृहस्थके आवश्यक कर्तव्य कहे जा सकते हैं इसमें सन्देह नहीं। आचार्य कुन्दकुद रथणसारमें कहते हैं—

दाणं पूजा मुख्यं साधयथम्भे य सावया तेज विणा ।

माणउक्त्यणं मुख्यं जहृथम्भे तं विणा तदा सो वि ॥ १ ॥

आवकधर्ममें दान और पूजा ये दो कर्म मुख्य हैं। जो इन कर्मोंको नहीं करते वे आवक नहीं हो सकते। तथा मुनिधर्ममें ध्यान और अध्ययन ये दो कर्म मुख्य हैं। जो इन कर्मोंको नहीं करते वे मुनि नहीं हो सकते।

अतएव यह सम्भव है कि गृहस्थधर्मका उपदेश करते समय आदिनाथ जिनने गृहस्थोंका आवश्यकरूपमें देवपूजा आदि कर्मोंको प्रतिदिन करनेका उपदेश दिया हो। किन्तु इन कर्मोंको केवल तीन वर्णका गृहस्थ ही कर सकता है शूद्रवर्णका गृहस्थ नहीं इसे आगम स्वीकार नहीं करता, क्योंकि जैन आचारशास्त्रमें जिन आवश्यक कर्मोंका उल्लेख मिलता है वे मुनियोंके समान गृहस्थोंके द्वारा भी अवश्य करणीय कहे गये हैं। यह विचारणीय बात है कि जब कि शूद्रवर्णका मनुष्य भी गृहस्थ धर्मको स्वीकार कर सकता है और उसकी जिनदेव, जिनगुरु, जिनागम और उनके आयतनोंमें अटूट अद्वा होती है ऐसी अवस्थामें वह उनकी पूजा किये जिना रहे तथा अतिथि-संविभागबतका पाठ्य करते हुए वह मुनियोंको दान न दे यह कैसे हो सकता है ?

हम पहले सम्पर्दर्शनकी उत्पत्तिके साधनोंका निर्देश करते समय जिनविभवदर्शन और जिनधर्मध्यवण इन दो साधनोंका स्वतन्त्ररूपसे उल्लेख कर आये हैं। ये साधन तिर्यङ्गति, मनुष्यगति और देवगतिके जीवोंमें समान रूपसे पाये जाते हैं। नरकगतिमें अवश्य ही जिनविभवदर्शन साधन सम्भव नहीं है। यह तो निर्विवाद सत्य है कि मनुष्यगतिमें केवल तीन वर्ण का मनुष्य ही सम्पर्दर्शन आदि धर्मका अधिकारी नहीं है। उनके साथ शूद्र वर्णका मनुष्य भी उसका अधिकारी है, इसलिए अन्य तीन वर्णके मनुष्यों, तिर्यङ्गों और देवोंके समान वह भी जिनमन्दिरमें जाकर जिन प्रतिमाकी पूजा और स्वाध्याय करे, उत्तम, मध्यम और उच्चन्य अतिथिके

उपस्थित होने पर वयासम्बव भक्ति और अद्वापूर्वक उन्हें दान दे, अपने पदके अनुरूप वृत्तिको स्वीकार कर अपनी आजीविका करे, पर्व दिनोंमें और अन्य कालमें एकाशन आदि करे तथा वयासम्बव इद्रियसंयम और प्राणिसंयमका पालन करे इसमें बिनागमसे कहाँ बाधा आती है। मनुष्यकी बात तो छोड़िए, आगम साहित्यमें जहाँ पूजा और दानका प्रकरण आया है वहाँ उसका अधिकारी तिर्यञ्चतकको बतलाया गया है। षट्क्षण्डागम छुल्लकबन्धमें एक जीवकी अपेक्षा कालका प्रस्तुपण करते समय पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चांके अवान्तर भेदोंमें उत्कृष्ट कालके निरूपणके प्रसङ्गसे खबला टीकामें यह प्रश्न उठाया गया है कि तिर्यञ्चांका दूमरोंको दान देना कैसे सम्भव है? इसका समाधान करते हुए वहाँ पर कहा गया है कि जो संवतातंयत तिर्यञ्च सचित्तत्याग ब्रत स्वीकार कर लेते हैं उनके लिए अन्य तिर्यञ्च शहूलकीके पत्तों आदिका दान करते हुए देखे जाते हैं। इस प्रकार जब तिर्यञ्च तक आगममें दान देनेके अधिकारी माने गये हैं और उसके फल-स्वरूप वे भोगभूमिमें और स्वर्गादि उत्तम गतिशोमें जन्म लेते हैं। ऐसी अवस्थामें शूद्रोंको उक्त कर्मोंका अधिकारी नहीं मानना न तो आगमसम्मत प्रतीत होता है और न तर्कसगत ही, क्योंकि जैनधर्मके अनुमार सभी संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यञ्च और मनुष्य भोगभूमि और स्वर्गके अधिकारी माने गये हैं। मनुष्य तो उसी पर्याप्तमें मोहके भी अधिकारी होते हैं। कर्मकाण्डके प्रकृति समुत्कृतन अधिकारमें एक गाया आई है। उसमें कर्म-भूमिकी द्रव्यलिंगोंके कितने संहननोंका उदय होता है यह बतलाया गया है। गाथा हस्त प्रकार है—

अंतिमतिथसंहडणस्सुद्धो तुण कर्मभूमिमहिलाण ।

आदिमतिथसंहडणं गतिथ चि जिणेहि जिहिठु ॥३२॥

तात्पर्य यह है कि कर्मभूमिमें उत्पन्न हुई महिलाओंमें अन्तके तीन संघननोंका उदय होता है। इनमें आदिके तान संघनन नहीं होते ऐसा जिनेन्द्रदेवने निर्देश किया है।

यह गाया अपनेमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे स्पष्ट सुचित होता है कि कर्मभूमिकी महिलाओंको छोड़कर वहाँ उत्तर्नन हुए सब प्रकारके मनुष्योंमें छहों संघननोंकी प्राप्ति सम्भव है। शूद्र इस नियमके अपवाद नहीं हो सकते, अतः कालहित्र प्राप्त होने पर शूद्र न केवल गृहस्थ धर्मके अधिकारी हैं। किन्तु वे मुनिधर्मको अंगीकार कर उसी भवसे मोहको भी प्राप्त हो सकते हैं।

आचार्य बिनसेनने आर्य पट्टकर्मोंका उपदेश केवल ब्राह्मणोंको ही क्यों दिया इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। महापुराणमें वे इस बातको स्पष्टरूपसे स्वीकार करते हैं कि भरतचक्रवर्तीने दिविजयके बाद प्रबार्मे योग्य व्यक्तियोंका आदर-सत्कार करनेके विचारसे प्रजाको आमन्त्रित किया और उनमें जो ब्रती थे उनका आदर-सत्कार करके उनको ब्राह्मणवर्णमें स्थापित किया। अनन्तर कुलधर्मरूपसे उन्हें आर्यपट्टकर्मका उपदेश दिया।

इ महापुराणके कथनका सार है। इसे यदि इस रूपमें लिया जाता है कि जो द्विषय, वैश्य और शूद्र गृहस्थधर्मको स्वीकार कर बती हो, जाते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं कमसे कम कुलधर्मके रूपमें उन्हें इत्या आदि पट्टकर्मका पालन तो अवश्य ही करना चाहिए। तब तो विचारकी स्थिति दूसरी हो जाती है। परन्तु आचार्य बिनसेन इस स्थितिका सर्वत्र एक रूपमें निर्वाह नहीं कर सके हैं। घूम फिर कर वे बन्मना वर्णव्यवस्था पर आ जाते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि हमें ऐसा द्विबन्मा इह है जो गर्भबन्म और किया- मन्त्रबन्म इन दोनोंसे दिव छो। वे कहते हैं—

तेषां स्वादुचितं लिङ्गं स्वयमोऽवस्थारिणाम् ।

एकशट्टकधारित्यं सन्वासमरवाचिः ॥१७१॥ यत् ।

जब कि शूद्र जैनधर्मको समग्ररूपसे धारण करनेका अधिकारी है। ऐसी अवस्थामें आचार्य बिनसेनने मात्र शूद्र वर्ण पर अनेक प्रतिबन्ध क्यों लगाये इस विषयको स्पष्टरूपसे समझनेके लिए इमारा ध्यान मुख्यतः मनुस्मृतिकी ओर जाता है। मनुस्मृतिमें ब्राह्मण वर्णके अध्यापन, अध्ययन,

यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह ये छह कर्म बतलाये गये हैं।
यथा—

अध्यापनमध्यवनं यजनं याजनं तथा ।

दानं प्रतिग्रहत्वैव षट् कर्माण्यग्रजम्यनः ॥७५॥ अ० ३०

महापुराणमें भी ये ही कर्म ब्राह्मणवर्णके बतलाये गये हैं। यथा—

मुखतोऽप्यापवन् शास्त्रं भरतः स्वर्णति द्विजान् ।

भृतीयध्यापने दानं प्रतीच्छेष्येति तत्कियाः ॥२४६॥ पर्व १६

इनमेंसे अध्यापन, याजन, और प्रतिग्रह ये तीन कर्म ब्राह्मण वर्णकी आजीविकाके साधन हैं। शेष तीन कर्म द्विजातियोंमें सर्वसाधारण माने गये हैं। अर्थात् ब्राह्मणके समान चत्रिय और वैश्यके मनुष्य भी इन कर्मोंको करनेके अधिकारी हैं। इस तथ्यको मनुस्मृति इन शब्दोंमें स्वीकार करती है—

पर्णां तु कर्माणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका ।

बाजनाऽप्यापने चैव विशुद्धात्म प्रतिग्रहः ॥७६॥ पर्व १० ।

श्वो धर्मा निवर्तन्ते ब्राह्मणात्मक्रियं प्रति ।

अध्यापनं यजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः ॥७७॥

वैश्यं प्रति तथैवेते निवर्तेत्रक्रिति स्थितिः ।

न तौ प्रति हि ताम्बराम्बनुराह प्रजापतिः ॥७८॥

इससे मालूम पड़ता है कि इस विषयमें महापुराणमें मनुस्मृतिका अनुसरण किया गया है, अन्यथा कोई कारण नहीं या कि शूद्रको पूजा, दान और स्वाध्याय जैसे आवकोचित्त कर्तव्योंसे भी बच्छित किया जाता। कहाँ तो मनुस्मृति धर्मको अपना बनाकर आचार्य जिनसेनका यह कहना कि षट् कर्मोंका अधिकारी मात्र तीन वर्णका मनुष्य होता है और कहाँ आचार्य कुन्दकुन्दका यह कहना कि ‘दान और पूजा वे आवकर्ममें मुख्य हैं, उनके जिना कोई आवक नहीं हो सकता।’ दोनों पर विचार

कीबिए और देखिये कि इनमेंसे कौन कथन ग्राह्य है। हम इस विषय पर और अधिक टीका-टिप्पणी नहीं करेंगे। बस्तुस्थिति क्या है यह दिलचाना मात्र हमारा प्रयोजन होनेसे यहाँ हमने इस विषयका तुलनाके साथ विस्तार-पूर्वक निर्देश कर दिया है।

संक्षेपमें समग्र प्रकरण पर दृष्टिपात करनेसे विदित होता है कि उच्च-गोत्र, तीन वर्ण और आर्य षट्कर्म ये एक प्रकारसे पर्यायवान्वी मान लिए गये हैं। और देवपूजा, दान, स्वाध्याय, संयम और तपरूप घर्मको तथा गोत्रकी आध्यात्मिकता समाप्त कर उन्हें वर्णोंके समान सामाजिक बनानेका प्रयत्न किया गया है। आचार्य बिनसेनका यह उपक्रम केवल गृहस्थघर्म तक ही सीमित नहीं है। गृहस्थघर्मके बाद दीदार्य कियासे लेकर निर्वृत्तिका बितनी भी कियाये हैं उन्हें भी उन्होंने यहाँ रूप देनेका प्रयत्न किया है। उनके द्वारा उपदिष्ट इस समग्र प्रकरणको पढ़नेके बाद हमारा ध्यान मनु-स्मृति पर जाता है। मनुस्मृतिमें भी कर्मके प्रवृत्तकर्म और निवृत्तकर्म ये दो भेद करके उनका अधिकारी मात्र द्विज माना गया है यहाँ कहा है—

सुखाम्बुद्धिकं चैव नैःप्रेषसिक्षेष च ।

प्रवृत्तं निवृत्तं च हिविषं कर्म वैदिकम् ॥७८, अ० १२॥

आचार्य बिनसेनने अपने महापुराणमें वैदिक ब्राह्मणोंको भला तुरा चाहे बितना कहा हो। पर इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने बैनघर्मकी आध्यात्मिकताको गौण करके उसे तीन वर्णोंका सामाजिक घर्म या कुलघर्म बनानेका भरपूर प्रयत्न किया है। बहुत सम्भव है कि उन्हें इस कार्यमें उनके गुरुका भी आशीर्वाद रहा है।

एक भवमें गोत्र परिवर्तन—

जीवमें कर्मके निमित्तसे होनेवाली पर्याय कई प्रकारकी होती हैं। कुछ पर्याय एक समयवाली होती हैं। जैसे व्याधातसे उत्पन्न हुई एक समयवाली मार्पर्याय। कुछ पर्याय अन्तर्मुहूर्तवाली होती हैं। जैसे व्याधात और मरणके

बिना उत्पन्न हुई कोधादि पर्याय । कुछ पर्याय जीवन पर्यन्त होती हैं । जैसे स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद पर्याय । उच्चगोत्र और नीचगोत्र भी गोत्रकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई पर्याय हैं, इसलिए उनके विषयमें क्या नियम है ? क्या वे कोधादि पर्यायके समान एक समयमें या अन्तर्मुहूर्तमें बदल जाती हैं या वेदनोक्षणके समान जीवनके अन्त तक स्थायी-रूपसे बनी रहती है ? यह प्रश्न है । इसके समाधानके लिए हमें योड़ा उदय प्रकरण पर धृष्टिपात करनेकी आवश्यकता है । वहाँ बतलाया है कि नारकियों और तिर्यङ्गोंमें एकमात्र नीचगोत्र पर्याय होती है । देवोंमें केवल उच्चगोत्र पर्याय होती है तथा मनुष्योंमें कुछमें नीचगोत्र और कुछमें उच्चगोत्र पर्याय होती है, इसलिए इस कथनसे तो इतना ही बोध होता है कि वेदनोक्षणके समान गोत्रके विषयमें भी यह नियम है कि भवके प्रथम समयमें जिसे जो गोत्र मिलता है वह जीवनके अन्ततक बना रहता है । उसमें परिवर्तन नहीं होता । गोत्रकी अपरिवर्तनशीलताके विषयमें यह साधारण नियम है । किन्तु इस नियमके कुछ अपनाद है बिनका विवरण इतन प्रकार है—

१. जो नीचगोत्री मनुष्य सकलसंयम (मुनिधर्म) को स्वीकार करता है उसका नीचगोत्र बदल कर उच्चगोत्र हो जाता है ।

२. जो तिर्यङ्ग संयमासयम (आवकधर्म) को स्वीकार करता है उसका भी नीचगोत्र बदल कर उच्चगोत्र हो जाता है ।

यद्यपि कार्मिक साहित्यमें सब प्रकारके तिर्यङ्गोंमें नीचगोत्र होता है यह उल्लेख किया है । महाबन्धके परस्थान सञ्जिकर्ष अनुयोगद्वारमें तिर्यङ्ग-गतिके साथ नीचगोत्रका ही सञ्जिकर्ष बतलाया है, इसलिए इससे भी यही फलित होता है कि सब तिर्यङ्ग नीचगोत्री होते हैं । किन्तु चीरसेन स्वामी इस मतको स्वीकार नहीं करते और इसे वे पूर्वापर विरोध भी नहीं मानते । उनके कहनेका आशय यह है कि अन्य गुणस्थानबाले सब तिर्यङ्ग भले ही नीचगोत्री रहे आवें, किन्तु संयतासंयत तिर्यङ्गोंको उच्चगोत्री मानने में आगमसे बाधा नहीं आती ।

आगममें उच्चगोत्रको भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय दोनों प्रकारका बताया है। वहाँपर गुण शब्दका अर्थ संयम और संयमासंयम किया है। मालूम पड़ता है कि इसकी चरितार्थताको ध्यानमें रख कर ही धीरसेन स्वामीने संयतासंयत तिर्यङ्गोमें उच्चगोत्रकी मान्यताको मुख्यता दी है।

जिसप्रकार संयतासंयत तिर्यङ्गोमे नीचगोत्र बदल कर उच्चगोत्र हो जाता है उस प्रकार संयतासंयत मनुष्योमें भी नीचगोत्र बदलकर उच्चगोत्र होता है या नहीं होता इस विषयमें विधि-निपेत्र परक कोई आगम वचन अभी तक हमारे देखनेमें नहीं आया है, इसलिए इस विषयमें हम अभी निश्चय-पूर्वक कुछ भी नहीं लिख सकते। परन्तु मनुष्योमें भी नीचगोत्र बदलकर उच्चगोत्र होना सम्भव है ऐसा माननेमें आगमसे कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार संयमासयमके निमित्ससे तिर्यङ्गोमे नीचगोत्र बदलकर उच्चगोत्रकी बात धीरसेन स्वामीने स्वीकार की है। उस प्रकार मनुष्योमें भी नीचगोत्रका बदलना बन जाता है। यहाँ यह स्मरणीय है कि इस प्रकार होनेवाले गोत्र परिवर्तनमें आत्मशुद्धिमें प्रयोजक चारित्र ही कार्यकारी है, बाय वर्णाचार या कुलाचार नहीं।

नीचगोत्री संयतासंयत ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि मनुष्य—

सम्यग्दर्शनके तीन मेद हैं। उनमेंसे ज्ञायिक सम्यग्दर्शन सबसे ओष्ठ है। यह होता तो चारों गतियोमें है पर इसका प्रारम्भ केवल मनुष्यगतिमें ही होता है। मनुष्यगतिमें भी यह कर्मभूमिज मनुष्यके ही उत्पन्न होता है, क्योंकि इसकी उत्पत्तिमें प्रधान निमित्स केवली, श्रुतकेवली और तीर्थकुर कर्मभूमिमें ही पाये जाते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस ज्ञेत्रमें तीर्थकुर आदि होते हैं उस ज्ञेत्रमें उनके पादभूलमें ही इसकी उत्पत्ति होती है। यह अपने विरोधी कर्मोक्ता नाश होकर उत्पन्न होता है, इसलिए इसे ज्ञायिक सम्यग्दर्शन कहते हैं। जिस मनुष्यको इसकी प्राप्ति होती है वह या तो उसी भवमें मोक्ष जाता है या तीसरे या चौथे भवमें मोक्ष जाता है। इससे अधिक

भवोको इसे चारण नहीं करना पड़ता। तिर्यक्कायु और मनुष्यायुका बन्ध होनेके बाद यदि ज्ञायिकसम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है, तो चौथे भवमें मुक्ति लाभ करता है। तथा नरकायु और देवायुका बन्ध होनेके बाद यदि सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है तो तीसरे भवमें मुक्ति लाभ करता है। यदि आयुबन्ध नहीं होता है तो उसी भवसे मुक्ति लाभ करता है। ज्ञायिक सम्यग्दर्शन होनेके पूर्व चारों आयुओका बन्ध होना सम्भव है परं ज्ञायिक सम्यग्दर्शन होनेके बाद यदि आयुबन्ध होता है तो एकमात्र देवायुका ही बन्ध होता है। ऐसा मनुष्य भी तीसरे भवमें मुक्तिलाभ करता है। सब चारित्रोंमें ज्ञायिकचारित्रका जो स्थान है, सब सम्यक्त्रोंमें वही स्थान ज्ञायिकसम्यक्त्रका माना गया है।

प्रश्न यह है कि जिस सम्यक्त्रका इतना अधिक महत्व है, जो अपनी उत्पत्ति द्वारा मुक्तिको इतने पास ला उपस्थित करता है वह कर्मभूमिका मनुष्योंमें उत्पन्न होता हुआ भी क्या भार्य, मलेच्छ, ब्राह्मण, चैत्रिय, वैश्य और शूद्र इन सब प्रकारके मनुष्योंमें उत्पन्न होता है या केवल लोकमें विशिष्ट कुलवाले माने गये मनुष्योंमें ही उत्पन्न होता है? प्रश्न मार्मिक है। आगम साहित्यमें इसका समाधान किया गया है। वहाँ बतलाया है कि जो कर्मभूमिका मनुष्य नीचगोत्री होते हैं उनमें भी इसकी उत्पत्ति होती है और जो उच्चगोत्री होने हैं उनमें भी इसकी उत्पत्ति होती है। इतना ही नहीं वहाँ तो यहाँ तक बतलाया गया है कि ज्ञायिकसम्यग्दर्शन सम्पन्न संयतासंयत मनुष्य भी नीचगोत्री होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि नीच-गोत्री कर्मभूमिका मनुष्य तीर्थङ्कर, केवली और श्रुतकेवलीके सन्निकट रह कर ज्ञायिक सम्यग्दर्शनको भी उत्पन्न करते हैं और योग्य सामग्रीके मिलने पर आवक्षर्मको भी स्वीकार करते हैं। आवक्षर्मको स्वीकार करने का अर्थ है पौन्च अगुवत, तीन गुणवत और चार शिद्वावतोंको स्वीकार करना। अर्थात् वे आवकोंके इन बारह ब्रतोंका आचरण करते हुए उच्च-गोत्री आवकोंके समान जिनदेवकी पूजा करते हैं, मुनियोंको आहार देते हैं,

बिनागमका स्वाध्याय करते हैं और यथासम्भव सयम और तपका भी पालन करते हैं। कदाचित् ऐसे मनुष्योंको सुयोग मिलने पर वे सकल संयमको स्वीकार कर उसका भी उत्तम रीतिसे पालन करते हैं। इतना अवश्य है कि ऐसे मनुष्य यदि भावसे मुनिधर्मका स्वीकार करते हैं तो उनका नीचगोत्र बदल कर नियमसे ऊच्चगोत्र हो जाता है।

कर्मभूमिमें ज्ञेत्रकी हृषिसे आर्य और म्लेच्छ इन भेदोंमें बटे हुए और लौकिक हृषिसे या आज्ञाविकाको हृषिसे ब्राह्मण, ज्ञात्रिय वैश्य और शूद्र इन चार भागोंमें बटे हुए जितने भी मनुष्य है उन सबका समावेश नीचगोत्री और ऊच्चगोत्री मनुष्योंमें हो जाता है। इन दों गोत्रोंके बाहर कोई भी मनुष्य नहीं पाये जाते, इसलिए जो ऐसा मानते हैं कि ब्राह्मण, ज्ञात्रिय और वैश्य ऊच्चगोत्री होते हैं और म्लेच्छ और शूद्र नीचगोत्री होते हैं उनके मतसे यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि जो ब्राह्मण, ज्ञात्रिय और वैश्य ऊच्चगोत्री माने गये हैं वे तो ज्ञायिक सम्यग्दर्शन संयमासंयम और संयमके पात्र हैं ही। साथ ही जो म्लेच्छ और शूद्र नीचगोत्री माने गये हैं वे भी ज्ञायिकसम्यग्दर्शन, संयमासंयम और संयमके पात्र होते हैं।

यद्यपि आगमका ऐसा अभिप्राय नहों है कि ब्राह्मण, ज्ञात्रिय और वैश्य नियमसे ऊच्चगोत्री होते हैं। तथा म्लेच्छ और शूद्र नियमसे नीचगोत्री होते हैं, दृष्टान्तके लिए भरतचक्रवर्तीके द्वारा बनाये गये श्रावकोंको लीजिए। नियम यह है कि जो श्रावक धर्मको स्वीकार करता है वह नीचगोत्री भी होता है और ऊच्चगोत्री भी होता है, इसलिए भरतचक्रवर्तीने केवल ऊच्चगोत्री श्रावकोंका ब्राह्मणवर्णमें स्थापित किया होगा ऐसा तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उस समय जितने श्रावक थे उन सबको ब्राह्मणवर्णमें स्थापित किया गया था ऐसा पुरुण ग्रन्थोंसे विदित होता है, अतएव ब्राह्मण, ज्ञात्रिय और वैश्य केवल ऊच्चगोत्री ही होते हैं यह मान्यता ठीक नहीं है। जो आचार्य इस मान्यताको लेकर चले भी हैं,

मालूम पड़ता है कि उन्होंने लोकरुद्धिको देखकर स्थूलदृष्टिसे ही इसका कथन किया है। अन्यथा वे एक स्थान पर लोकचारको मान्यता देकर उसके आधारसे गोत्रके दो भेद करके दूसरे स्थान पर उनका जीवके पर्यायरूपसे कभी भी समर्थन नहीं करते। यह कथन करनेकी शौली है। चरणानुयोगमें चारित्र और क्रियाओंका स्थूल दृष्टिसे कथन होना तो उचित है। किन्तु उसीको अनित्य मानकर चलना उचित नहीं है। स्थूल दृष्टिसे यह भले कहिए कि जो जैनधर्मकी अद्वा करता है और जिसने उसकी दीक्षा ले ली है वह जैन है। किन्तु जो आत्माकी स्वतन्त्रता स्वीकार कर स्वावलम्बनके मार्ग पर चल रहा है, प्रकटमें वह भले ही जैन सम्प्रदायमें दीक्षित न हुआ हो तो भी प्रसङ्ग आने पर उसे जैन माननेसे अस्वीकार मत करिए। धर्म सनातन सत्य है। उसे न तो किसी सम्प्रदायके साथ बाँधा ही जा सकता है और न सम्प्रदायवालोंकी मर्जी पर उसे छोड़ा ही जा सकता है। सर्वत्र विवेकसे काम लेनेकी आवश्यकता है। आगमका अभिग्राय स्पष्ट है।

जैनधर्मकी दीक्षाके समय गोत्रका विचार नहीं होता—

सम्यग्दर्शन आदिकी उत्पत्तिके समय जीवका कौन परिणाम होता है, कौन योग होता है, कौन कथाय होती है, कौन उपयोग होता है, कौन लेश्या होती है और कौन वेद होता है इन सबका विचार किया गया है। यह इसलिए कि इनमेंसे जिस प्रकारके परिणाम आदिके सन्दर्भमें सम्यग्दर्शन आटिकी उत्पत्ति नहीं होती उनका निषेध कर शोषका विधान किया जा सके। अनेक बार मेरे मनमें यह प्रश्न उठा कि ऐसे अवसर पर जिस प्रकार कौन परिणाम होता है इत्यादिका विचार किया गया है उस प्रकार गोत्रका विचार क्या नहीं किया गया। प्रारम्भसे ही यदि धर्ममें ब्राह्मण आदि तोन वर्णवालोंकी प्रमुखता रही है और वे ही उच्चगोत्री माने जाते रहे हैं तो और वातोंके साथ इसका भी विचार होना आवश्यक था कि सम्यग्दर्शन

आदिकी उत्पत्तिके समय कौन गोत्र होता है—ब्राह्मण गोत्र होता है या अन्य कोई ? किन्तु इसके विपरीत आगम साहित्यकी स्थिति यह है कि उसमें चार वर्णों और आर्य-प्लेच्छु भेदोंका उल्लेख तक नहीं हुआ है । क्या कारण है ? क्या मध्यमालके पूर्व किसी आचार्यको इसका ज्ञान ही नहीं या कि विस प्रकार खीवेद आदि जीवके परिणाम हैं उस प्रकार ये ब्राह्मण आदि और आर्य-प्लेच्छु भेद भी जीवके परिणाम (पर्याय) हैं । अर्थात् ये उच्च और नीचगोत्रके अवान्तर भेद हैं । यदि उन्हें इसका ज्ञान या तो गोत्रके अवान्तर भेदोंमें इनकी परिणामता क्यों नहीं की गई और सम्बद्धान आदिकी उत्पत्तिके समय इनका विचार क्यों नहीं किया गया ? इसका क्या कारण है ? यदि ये गोत्रके भेद न मान कर पञ्चेन्द्रिय जाति या मनुष्यगति नामकर्मके भेद माने जाते हैं और साथ ही वह भी माना जाता है कि गति और जातिके किये गये इस प्रकार अमुक भेदके साथ अमुक प्रकारके चर्मका अविनामाव सम्बन्ध है तब भी यह प्रश्न उठता है कि यदि ऐसी बात थी तो उसका आगममें उल्लेख क्यों नहीं हुआ ? या तो यह मानिए कि ये ब्राह्मण आदि नाम आवीविकाके आधारसे कहियत किये गये हैं, ये मनुष्योंके नामकर्म या गोत्रकर्मकृत भेद नहीं हैं । और यदि इन्हें मनुष्योंके अवान्तर भेद मानकर उनका नामकर्म या गोत्रकर्मके साथ सम्बन्ध स्थापित किया जाता है तो यह कल्पाहप कि आगममें इन भेदोंका उस स्पष्टसे उल्लेख क्यों नहीं किया गया ? स्थिति स्पष्ट है । आगम साहित्यके देखनेसे विदित होता है कि बास्तवमें ये ब्राह्मण आदि नाम मनुष्योंके अवान्तर भेद नहीं हैं । न तो ये मनुष्यगति नामकर्मके भेद हैं और न गोत्रकर्मके ही भेद हैं । यही कारण है कि आगममें न तो इनका उल्लेख ही हुआ है और न वहाँ इनका चर्माचर्मकी दृष्टिसे विचार ही किया गया है । यहाँ यह स्मरणीय है कि विस प्रकार ये जीवके भेद नहीं हैं उसी प्रकार ये शरीरके भी भेद नहीं हैं । यही कारण है कि चरणानुयोगके मूल ग्रन्थ मूलचार और रजकण्डभावक्षचारमें भी इनके आधारसे विचार नहीं किया गया है । योइ

और विस्तारके साथ समझ जैन साहित्यका आलोदन करने पर विदित होता है कि मध्यकालके पूर्व जैन वाङ्मयमें यह विचार ही नहीं आया था कि ब्राह्मण आदि तीन वर्णके मनुष्य ही दीक्षाके योग्य हैं अन्य नहीं । अधिकसे अधिक इस विचारको या इसी प्रकारके दूसरे उल्लेखोंको मध्यकालका पुराण-धर्म (सरागी और छुप्पस्थ राजा द्वारा प्रतिपादित धर्म) कह सकते हैं आहंत धर्म नहीं, क्योंकि महापुराणमें भी इस प्रकारका कथन आचार्य जिनसेनने भरत चक्रवर्तीके सुखसे ही कराया है, आदिनाथ जिनके मुखसे नहीं ।

अब जिस प्रश्नको हमने प्रारम्भमें उठाया था वहो शेष रह जाता है कि जिस प्रकार सम्बद्धर्णन आदिकी उत्पत्तिके समय परिणाम आदिका विचार किया गया है उस प्रकार गोत्रका विचार क्यों नहीं किया गया ? समाधान यह है कि जिस प्रकार अमुक प्रकारके परिणाम आदिके रहते हुए ही सम्बद्धर्णन आदिका उत्पत्ति होती है अमुक प्रकारके परिणाम आदिके रहते हुए नहीं, इसलिए सम्बद्धर्णन आदिकी उत्पत्तिके समय कोन परिणाम होता है आदिका विचार करना आवश्यक है उस प्रकार अमुक गोत्रके होने पर हा सम्बद्धर्णन आदिकी उत्पत्ति होती है अमुक गोत्र के होने पर नहीं ऐसा कोई नियम नहीं है, इसलिए आगममें सम्बद्धर्णन आदिकी उत्पत्तिके समय कोन गोत्र होता है इसका विचार नहीं किया है ।

व्यावहारिक दृष्टिसे यदि इस बातका सम्बन्धीकरण किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार ब्राह्मण धर्ममें यह परिपाठी प्रचलित है कि अध्ययन आदि करनेके पूर्व आचार्य शिष्यका नाम, माता पिताका नाम, जाति नाम और गोत्रनाम आदि पूछकर यह ज्ञात होने पर कि यह उच्च जाति और उच्च गोत्रका है तथा अमुक गोत्रका रहनेवाला अमुकका पुत्र है उसे अध्ययन आदिकी अनुज्ञा देते थे उस प्रकार जैनधर्ममें इन सब बातोंके पूछनेकी परिपाठी कभी भी नहीं रही है । करणानुयोगके अनुसार तो दीक्षा को कोई स्थान ही नहीं है । चरणानुयोगके अनुसार दीक्षाका स्थान है और

वह दी भी जाती है तो भी इसके अनुसार ऊपरी लक्षणोंसे जो निकट भव्य दिखलाई देता था उसे धर्मका अधिकारी मानकर अपने परिणाम और शक्तिके अनुसार वह धर्ममें स्वीकार कर लिया जाता था। उसकी जाति और गोत्र आदिका विचार नहीं किया जाता था। यही कारण है कि सम्यग्दर्शन आदिकी उत्पत्तिके समय उसका गोत्र कौन है इसका विचार अध्यात्मदृष्टिसे तो किया ही नहीं गया है, लौकिक दृष्टिसे भी नहीं किया गया है। जैनधर्ममें चाहे उच्चगोत्रों हों और चाहे नीचगोत्री, आर्य म्लेच्छरूप तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ररूप सब मनुष्योंके लिए धर्मका द्वारा सभान रूपसे खुला हुआ है। उच्चगोत्री तो रत्नत्रयका पात्र है ही। जो नीचगोत्री है वह भी रत्नत्रयका पात्र है। इतना अवश्य है कि जो नीचगोत्री मुनिधर्मको स्वीकार करता है उसका नीचगोत्र बदल कर नियमसे उच्चगोत्र हो जाता है। धर्मकी महिमा बहुत बड़ी है। कुल शुद्धि जैसे कल्पित आवरणोंके द्वारा उसके प्रवाहको रोकना असम्भव है।

कुलमीमांसा

कुलके साङ्कोपाङ्क विचार करनेकी प्रतिका—

पिछले प्रकरणमें हमने गोत्रकी साङ्कोपाङ्क मीमांसा की। वहाँ उसके पर्यायवाची नामोंका उल्लेख करते हुए यह भी बताया कि कुल, वंश और सन्तान ये लौकिक गोत्रके ही नामान्तर हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार लौकिक दृष्टिसे गोत्र परम्परा विशेषको सूचित करता है उसी प्रकार कुल और वंश भी परम्परा विशेषको ही सूचित करते हैं, इसलिए लोकमें जहाँ किसीकी परम्परा विशेषको सूचित करनेके लिए इनमेंसे कोई एक शब्द आता है वहाँ उसे बदलकर उसके स्थानमें दूसरे शब्दका भी उपयोग किया

जा सकता है। फिर भी पिछ्ले प्रकरणमें हमारा लक्ष्य मुख्यतया जैन परम्परामें प्रचलित गोत्रके आधारसे व्याख्यान करने तक सीमित रहा है, इसलिए वहाँ पर कुल या वंशका विस्तारके साथ विचार नहीं किया जा सका है। किन्तु नौवीं शताब्दिके बाट उत्तरकालीन जैन साहित्यमें ब्राह्मण आदि वर्णोंके समान हनका भरपूर उपयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर इनका साङ्घोपाङ्ग विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है।

कुल और वंश शब्दका अर्थ—

यह तो स्पष्ट है कि प्राचीन जैन आगम साहित्यमें कुल और वंश ये शब्द नहीं आये हैं; क्योंकि आगममें जिस प्रकार गोत्रको जीवकी पर्याय मान कर स्वीकार किया है उस प्रकार कुल या वंशको जीवकी पर्यायरूपसे स्वीकार नहीं किया गया है। जैन परम्पराके गोत्र और वैदिक परम्पराके गोत्रमें जो अन्तर है वही अन्तर जैन परम्परामें गोत्रसे कुल या वंशमें लक्षित होता है। परम संग्रहनयका विषय महासत्ता मानी गई है। परन्तु स्वरूपास्तित्वको छोड़कर जिस प्रकार उसकी पृथक् सत्ता नहीं पाई जाती है उसी प्रकार लोकमें कुल या वंशकी कल्पना की अवश्य गई है परन्तु जीवकी गोत्रपर्यायको छोड़कर उनका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। बहुत ही स्पष्ट शब्दोंमें यदि कहा जाय तो यह कहना उपयुक्त होगा कि वैदिक परम्परामें जिस अर्थमें गोत्र शब्द आता है, जैन पुराण साहित्यमें, कुल या वंश शब्द मुख्यतया उसी अर्थमें आये हैं। यद्यपि पौराणिक साहित्यमें कहीं-कहीं इन शब्दोंके स्थानमें गोत्र शब्दका व्यवहार हुआ है। परन्तु इतने मात्रसे कर्मसाहित्य और जीवसाहित्यमें आया हुआ गोत्र शब्द तथा चरणानुयोगमें और प्रथमानुयोगमें आया हुआ कुल या वंश शब्द एकार्थक नहीं हो जाते।

कुल शब्दका दूसरा अर्थ—

इस प्रकार साधारणतः जैन साहित्यमें कुल शब्द किस अर्थमें आया है इसका विचार किया। आगे उसके दूसरे अर्थ पर प्रकाश ढालते हैं—

मूलाचारके पर्याप्ति नामक अधिकारमें सब संसारी जीवोंको कुल कोटियाँ गिनाई हैं। इन कुल कोटियोंका उल्लेख गोममटसार जीवकाण्डमें भी किया गया है, इसलिए प्रश्न होता है कि यहाँ पर कुल शब्दसे क्या लिया गया है? क्या जिस अर्थमें अन्यत्र कुल या वंश शब्द आता है उसी अर्थमें यहाँ पर कुल शब्द आया है या इसका कोई दूसरा अर्थ है? समाचारन यह है कि अन्यत्र आये हुए कुल या वंश शब्दके अर्थसे यहाँ पर आये हुए कुल शब्दके अर्थमें परक है, क्योंकि अन्यत्र जहाँ भी कुल शब्दका व्यवहार हुआ है वहाँ पर उससे जीव और शरीर इनमेंसे किसीकी भी पर्याय नहीं ली गई है। यही कारण है कि आचार्य बारसेन उसे काल्पनिक कहनेका और आचार्यकल्प पण्डित आशाधर जी उसे मृषा कहनेका साहस कर सके हैं। किन्तु कुलकोटिमें आये हुए कुल शब्दके अर्थकी यह स्थिति नहीं है। वह परमार्थसत् है। इतना अवश्य है कि मूळ साहित्यमें स्पष्टीकरण न होने से उसके अर्थके विषयमें विवाद है। मूलाचारके टीकाकार वसुनन्दि मिद्दात-चक्रवर्ती तो एकेन्द्रिय आदि जातियोंके जो अवान्तर भेद हैं वही यहाँ पर कुल शब्दका अर्थ है यह स्वीकार करते हैं और गोममटसार जीवकाण्डके टीकाकार आचार्य अभयनन्दि उच्च और नीचगोंत्रके जो अवान्तर भेद हैं वह यहाँ पर कुल शब्दका अर्थ है यह स्वीकार करते हैं। इनमेंसे कौन अर्थ ठीक है यह कहना बहुत कठिन है। इतना स्पष्ट है कि पण्डितप्रवर टोडरमल्लजीने इन दोनों अर्थोंको स्वीकार किये बिना तोसरा ही अर्थ किया है। वे कहते हैं कि 'बहुरि कुल है सो जिनि पुद्गलनि करि शरीर निपञ्चे तिनिके भेद न्तः हैं। जैसे शरीरपुद्गल आकारादि भेद करि पचेन्द्रिय तिर्यक्ष विषै हाथी धोंडा इत्यादि भेद हैं ऐसैं सो यथासंभव जानने।' पण्डित टोडरमल्लजीने उनके सामने जीवकाण्डकी संक्षिप्त टीकाके रहते हुए भी यह अर्थ किस आवारसे किया है इसका तो हमें ज्ञान नहीं है। परन्तु अनेक कारणोंसे यह अर्थ अधिक सङ्कृत प्रतीत होता है। जो कुछ भी हो,

इतना स्पष्ट है कि यहाँ पर जिस अर्थमें कुल शब्द आया है अन्यत्र कुल या वंश शब्द उस अर्थमें नहीं आये हैं।

कुल और वंशके अर्थका साधार विचार—

हो सकता है कि चरणानुयोग और प्रथमानुयोगमें आये हुए कुल या वंश शब्दका हम जो अर्थ कर आये हैं, साधार स्पष्टीकरण किये बिना उतने मात्रसे मनीषीगण सम्मत न हो, इसलिए यहाँ पर आधारके साथ उनका विचार किया जाता है। सर्व प्रथम हमें कुल शब्द आचार्य कुन्टकुन्दके साहित्यमें दृष्टिगोचर होता है। प्रवचनसारके चारित्र अधिकारमें आचार्य की विशेषताका निर्देश करते हुए वे कहते हैं कि मुनिदीद्वाके लिए उद्यत हुआ भव्य कुलविशिष्ट आचार्यके पास दीद्वा स्वीकार करे। इसकी व्याख्या करते हुए अमृतचन्द्र आचार्य कहते हैं कि जो कुलक्रमसे आये हुए क्रूरता आदि दोषोंसे रहित हो ऐसे आचार्यके पास दीद्वा लेनी चाहिए। आचार्यको शिष्योंका अनुशासन करना पड़ता है, इसलिए उसका क्रूरता दोषसे रहित होना आवश्यक है। इसका तात्पर्य इतना ही है कि जिसकी पूर्वती आचार्य परम्परा शिष्योंके साथ मानवोचित सौभ्य व्यवहार करती आई हो ऐसी प्रसिद्ध आचार्य परम्पराके आचार्यके पास जाकर ही प्रत्येक भव्यको दीद्वा स्वीकार करनी चाहिए। स्पष्ट है कि यहाँ पर कुल शब्द आचार्य परम्पराको सूचित करता है, रक्षपरम्पराको नहीं। इसके बाद यह कुल शब्द रत्नकरणद्वावकान्वारमें दृष्टिगोचर होता है। वहाँ यह शब्द सम्यग्घटिके विशेषणरूपसे आया है। वहाँ पर बतलाया गया है कि सम्यग्दर्शनसे पवित्र हुए मनुष्य महाकुलवाले मानवतिलक होते हैं। यह तो स्पष्ट है कि सम्यग्घटि मरकर चारों गतियोंमें उत्पन्न होते हैं और यह भी स्पष्ट है कि चारों गतियोंके पर्यात संकी जीव अपने-अपने योग्य कालमें सम्यग्दर्शनको उत्पन्न भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इस शब्दका जो मनुष्य सम्यग्घटि है वे महाकुलवाले हैं यही अर्थ होता है। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ पर

मात्र सम्यग्दृष्टिके कुलका महत्व दिखलानेके लिए यह शब्द आया है। कुल शब्द तत्त्वार्थसूत्रमें भी आया है। उसको व्याख्या करते हुए आचार्य पूज्यपाद उसका अर्थ दोबां देनेवाले आचार्योंकी शिष्यपरम्परा सूचित करते हैं। तत्त्वार्थसूत्रके अन्य टीकाकार भी सर्वार्थसिद्धिका ही अनुसरण करते हैं। मूलाचारमें यह शब्द इसी अर्थमें आया है यह उसकी टीकासे विदित होता है। इसके बाद घबला टीकाका स्थान है। इसके प्रथम भागमें कहींकी एक गाथा उद्धृत की गई है जिसमें आचार्यको कुलशुद्ध कहा है। स्पष्ट है कि यह उल्लेख प्रवचनसारके उल्लेखका ही अनुवर्तन करता है। इसी टीकामें आगे बारह वंशोंका भी उल्लेख हुआ है। यथा—अरिहन्तवंश, चक्रवर्तीवंश, विद्याधरवंश, वासुदेववंश और इच्छाकुवंश आदि। इनमेंसे अरिहन्तवंश आदि तो ऐसे हैं जो मात्र अरिहन्तों आदिकी परम्पराको सूचित करते हैं और इच्छाकुवंश आदि ऐसे हैं जिनसे पुत्र-पौत्र आदिकी परम्परा सूचित होती है। इसी टीकामें मुनियोंके कुलोंको सूचित करते हुए वे पाँच प्रकारके बताये गये हैं। यथा—पञ्चलूप कुल, गुफावासी कुल, शाल्मलिकुल, अशोकवाटकुल और खण्डकेशरकुल। इनसे इतना ही बोध होता है कि यह मुनिपरम्परा पूर्वमें कहाँ रहती थी। जो पाँच स्तूपोंके आस पास निवास करती थी उस परम्पराके सब मुनि पञ्चलूपकुलवाले कहलाये। इसी प्रकार अन्य कुलोंके विषयमें भी जान लेना चाहिए। इसके बाद पद्मचरितका स्थान है। इसमें पुत्र-पौत्र परम्पराकी दृष्टिसे इच्छाकुवंश और सोमवंश आदि कुलोंका नामनिर्देश तो किया ही है। साथ ही आवककुल और ऋषिवंश इन कुलोंका भी नामनिर्देश किया है। स्पष्ट है कि यहाँ पर आवकधर्मका पालन करनेवाले मनुष्योंके समुदायको आवककुल और ऋषियोंके समुदायको ऋषिवंश कहा है। हरिवंश पुराणकी स्थिति पद्मचरितके ही समान है। आईतकुलशब्द महापुराणमें भी आया है। इतना अवश्य है कि इसमें कुलशब्दकी व्याख्या करते हुए पिताकी अन्वयशुद्धिको कुल कहा गया है और आवकका बितना भी आचार है।

उसकी कुलाचारमें परिगणना कर ली है। साथ ही यह भी अंकुश लगा दिया है कि जो इस आचारका व्यवहार करता है वह कुलभाष्य हो जाता है। महापुराणका उत्तरकालवर्ती जितना साहित्य है उसकी कुलके सम्बन्धमें प्रतिपादनशैली लगभग महापुराणके समान ही है। इतना अवश्य है कि उत्तर-कालीन साहित्यमें जैनकुल शब्द भी आया है। यहाँ पर हम यह निर्देश कर देना आवश्यक समझते हैं कि कुलके लिए पश्चपुराण और पाण्डवपुराणमें गोत्र शब्द भी आया है। सम्भवतः कुलके लिए गोत्रशब्दका व्यवहार बहुत पुराना है। वीरसेन आचार्यने घटला टीकामें गोत्र, कुल, वंश और सन्तान ये एकार्थक हैं इस प्रकारका निर्देश सम्भवतः इसी कारणसे किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह कुल या वंश शब्द केवल पुत्र-पौत्र-प्रपोत्रकी परम्पराके अर्थमें न आकर और भी अनेक अर्थोंमें आया है। उदाहरणार्थ जैनकुल शब्द ही लीजिए। इससे नये पुराने जितने भी जैन हैं उन सबके समुदाय या परम्पराका बोध होता है। इसीप्रकार अरिहन्तकुल, चक्रवर्तीवंश आदिके विषयमें भी जान लेना चाहिए। विशेष स्पष्टीकरण हम पूर्वमें कर ही आये हैं। इन सबको कुल या वंश कहनेका आधार क्या है यदि इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो यही प्रतीत होता है कि इन मन्त्रको कुल या वंश कहनेका कारण एकमात्र किसी परम्पराको सूचित करना मात्र है। आनुपूर्वी शब्दका जो अर्थ होता है वही अर्थ यहाँ पर कुल या वंश शब्दसे लिया गया है। परम्पराको सूचित करनेके लिए आधार कुछ भी मान लिया जाय, चाहे पुत्र-पौत्र सन्ततिको आधार मान लिया जाय, चाहे अन्य किसीको, जिससे अन्य अर्थात् परम्पराकी सूचना मिलती है उसकी कुल या वंश संज्ञा है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। यही कारण है कि साहित्यमें या लोकमें इन शब्दोंका उपयोग केवल पुत्र-पौत्र सन्ततिके अर्थमें न होकर अन्य अनेक प्रकारकी परम्पराओंको सूचित करनेके अर्थमें भी हुआ है।

जैन परम्परामें कुल या वंशको महत्त्व न मिलनेका कारण—

इस प्रकार कुल या वंश शब्दका वर्थ क्या है और साहित्यमें या लोकमें उनका व्यवहार किस आधार पर प्रचलित हुआ इसका विचार किया । अब देखना यह है कि प्रारम्भमें जिस आधार पर कुल या वंशका प्रचलन होता है क्या अन्ततक उनका उसी रूपमें निर्वाह होता है या प्रथमें किसी कारणवश उनके सदोष हो जाने पर भी नाम वही चलता रहता है ? इस प्रश्नको स्पष्ट रूपसे समझनेके लिए हम पुत्र-पौत्र सन्तानिके आधार पर कल्पित किये गये किसी एक वंशको लें । सामान्य नियम यह है कि जिस व्यक्तिके नाम पर कुल या वंश प्रचलित होता है उसकी सन्तान परम्परा अन्त तक (बच तक उस व्यक्तिके नाम पर कुल कायम है तब तक) चलनी चाहिए । किन्तु ऐसा कहाँ होता है ? या तो कुछ पीढ़ीके बीतनेके बाद उस कुलके स्त्री या पुरुषमें कोई भीतरी दोष होनेके कारण सन्तान ही उत्पन्न नहीं होती, इसलिए दूसरे कुलके दत्तक पुत्रको लेकर उस कुलका नाम रोशन करना पड़ता है । उसी कुलकी परम्परा चलती रहे इसके लिए यह नियम तो बनाया गया कि दत्तक अपने कुलका होना चाहिए । परन्तु व्यवहारमें ऐसा नहीं होता । कभी कुलका बालक ही दत्तक लिया जाता है और कभी अन्य कुलका बालक भी दत्तक ले लिया जाता है । यदि उसी कुलका दत्तक मिल जाता है तब तो रक्तके आधार पर कल्पित किये गए कुलकी परम्परा बनी रहती है, यह मान लिया जाता है । परन्तु जब अन्य कुलका दत्तक लेना पड़ता है तब केवल दत्तक लेने मात्रसे वह कुल आगे भी चलता रहता है यह मानना उचित नहीं है । ऐसी हिति उत्पन्न होने पर कुलका खण्डित हो जाना अवश्यभावी है । केवल कुलका नाम चलते रहनेसे क्या लाभ ? बीचमें ही कुलके खण्डित हो जानेका यह एक कारण है । दूसरा कारण है पुरुषके कामवश स्त्रीका दूषित मार्ग पर चले जाना । होता यह है कि स्त्रीको अपने पतिसे सन्तोष न होनेके कारण या बलात्कार आदि अन्य किसी कारणवश वह दूसरे पुरुषके साथ समागम करनेके लिए

बाध्य होती है और इस प्रकार दूसरे पुरुषके निमित्तसे उत्पन्न हुई सन्तान विविहित कुलको संजिहत कर देती है। लोकमें उस कुलका नाम तो तब भी चलता रहता है, परन्तु बास्तवमें कुल बदल जाता है। इस सत्यको सबने एक स्वरसे स्वीकार किया है। जैन परम्परामें कुल या वंशको महत्त्व न मिळानेका एक कारण तो यह है।

दूसरा कारण है लौकिक आचार और विचारका बदलते रहना। यह कोई आवश्यक नहीं है कि अपने प्रारम्भ कालमें जिस कुल या वंशका जो आचार-विचार रहा है, उत्तर कालमें अन्त तक उसका वही आचार-विचार बना रहता है, उसमें किसी प्रकारका परिवर्तन नहीं होता। जैसा कि पुराणोंसे स्पष्ट है कि प्रारम्भमें दूर्योग और चन्द्रवंश आदि प्रसिद्ध वंशोंके बिन्ने भी चत्रिय हुए हैं वे सब जैनधर्मके अनुयायी थे। किन्तु उनमेंसे वर्तमान कालमें कितने चत्रिय जैनधर्मके अनुयायो दिखलाई देते हैं।

भगवान् महाबीरका जन्म शान्तक वंशमें हुआ था इसे इतिहासकार भी मानते हैं। इस समय भी विहार प्रदेशमें उनकी जातिके लोग पाये जाते हैं जिन्हें जयरिया कहते हैं। किन्तु उनके वर्तमान कालीन आचार-विचारको देखकर कोई यह अनुपान नहीं कर सकता कि ये भगवान् महाबीर स्वामीके वंशज हैं। जब कि एक ही व्यक्ति अपने जीवनकालमें आचार-विचारको अनेक रूप देता हुआ देखा जाता है, ऐसी अवस्थामें कल्पित कुल या वंशके आधारसे किसी एक व्यक्ति या कुलका आचार-विचार सदा एक रूपमें चलता रहेगा यह कैसे माना जा सकता है।

आचार्य जिनसेनने प्रजामेंसे ब्रती भावकोंका छाँटकर भरत चक्रवर्तीके द्वारा ब्राह्मण वर्णकी स्थापना कराई। उन्हें दान-सन्मानका अधिकारी बनाया। सामाजिक अपराध बन जाने पर भी वे टण्डके अधिकारी नहीं यह घोषणा कराई। इतना सब होने पर भी वर्तमानमें ऐसे किसने ब्राह्मण हैं जो जैनधर्मका पालन करते हैं? क्या कभी औख खालूकर इस चात पर विचार किया है? सच तो यह है कि जैनधर्मकी प्रारम्भसे जो आत्मिक

प्रकृति रही है उठे भुलाकर वर्तमानमें हम इन कल्पित कुलों, वंशों, जातियों और उपजातियों को लिये बैठे हैं और इन्होंकी पुष्टिमें जैनधर्मकी चरितार्थता मान रहे हैं।

जैन परम्परामें कुल या वंशको महत्व न भिलनेका तीसरा कारण है संस्कारोंकी निःसारता। प्रायः देखा जाता है कि किसी लकड़ीको विधिपूर्वक काटने क्षुलने पर वह उपयोगी उपकरणका आकार ग्रहण कर लेती है। इसी प्रकार यह भी माना जाता है कि किसी व्यक्ति पर की गई क्रियाओंका ऐसा प्रभाव पड़ता है जिससे वह धीरे-धीरे संस्कार सम्पन्न हो जाता है। वैदिक परम्परामें बो सोलह संस्कार बतलाये गये हैं वे इसी आधार पर कल्पित किये गये हैं। पौराणिक कालमें जैन परम्परा भी इन संस्कारोंको स्वीकार कर लेती है। किन्तु ये संस्कार क्या हैं और इनसे किस प्रकारके व्यक्तित्वका निर्माण होता है, सर्व प्रथम यहीं यहाँ देखना है। महापुराणमें गर्भान्वय क्रियाएँ तिरेपन बतलाई हैं। प्रारम्भकी कुछ क्रियाएँ ये हैं—गर्भाधान, प्रीति, सुप्रीति, धृति, मोद, प्रियोद्धव, नामकर्म, बहिर्यान, निषद्या, अन्नप्राशन, व्युषि, केशबाप, लिपिसंख्यानसंग्रह, उपनीति, बतचर्या, ब्रातावतरण, विवाह, वर्णलाभ और कुलचर्या। इन क्रियाओंको कौन कर सकता है इस प्रश्नका समाधान करते हुए वहाँ यह तो नहीं बतलाया है कि इनको शूद्र नहीं कर सकता। किन्तु उपनीति आदि क्रियाओंको शूद्र नहीं कर सकता इस बातका वहाँ अवश्य ही निर्देश किया है। इसका अभिप्राय यह है कि न तो शूद्रको यज्ञोपवीत पहिननेका अधिकार है, न वह विधिपूर्वक विवाह कर सकता है, न स्वतन्त्रता पूर्वक अपनी आजीविका कर सकता है और न ही वह पूजा आदि धार्मिक कार्य कर सकता है। सचेष्ठमें यदि कहा जाय तो इन सब क्रियाओंका सार इतना ही है कि न तो वह विधिपूर्वक आवक्षम स्वीकार कर सकता है और न मुनिधर्म स्वीकार करके मोक्षका अधिकारी हो सकता है। इन क्रियाओंको शूद्र क्यों नहीं कर सकता इसका वहाँ कोई समाधान नहीं किया गया है।

यह तो गर्भान्वय कियाओंकी स्थिति है। दीक्षान्वय कियायें जो अजैन मनुष्य आवक या मुनिधर्मकी दीक्षा लेता है उसके लिए कही गई है। वे अड़तालीस हैं। इन कियाओंको करनेका अधिकारी कौन हो सकता है इसका प्रारम्भमें कुछ भी समाधान नहीं किया गया है। मात्र वहाँ इतना ही कहा गया है कि जो भव्य पुरुष मिथ्यात्वसे दूषित मार्गको छोड़कर सन्मार्गके सन्मुख होता है उसके लिए ये कियाएँ हैं। किन्तु आगे चलकर इन कियाओंका सम्बन्ध भी उपनीति किया द्वारा द्विजोंके साथ स्थापित करके यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जैनधर्ममें दीक्षा लेनेका अधिकारी मात्र द्विज है, शूद्र नहीं। यहाँ भी इन कियाओंको शूद्र क्यों नहीं कर सकता या दूसरे शब्दोंमें जैनधर्ममें शूद्र क्यों दीक्षित नहीं हो सकता इसका कुछ भी समाधान नहीं किया गया है। आचार्य जिनसेनने महापुराणमें इन कियाओंका उपदेश क्यों दिया यह इससे स्पष्ट हो जाता है। इस पर विचार करनेसे विटिहोता है कि एक और तो इन कियाओंद्वारा जैनधर्म का वाह्यणीकरण किया गया है और दूसरी और शूद्रोंके लिए अब तक जो जैनधर्मका द्वार खुला हुआ था वह सटाके लिए बन्द कर दिया गया है। वस्तुतः जैनधर्ममें ऐसे संस्कारोंकी और इनके आधारपर कल्पित किये गए कुल, वंश और जातिप्रथाको रक्षमात्र भी स्थान नहीं है। इन कियाओंसे संस्कारित होकर मनुष्य मोक्षमार्गका पात्र तो नहीं बनता। किन्तु उसमें कुलभिमान और जात्यभिमान अवश्य जागृत हो उठता है जो जैनधर्मके मूलपर ही कुठाराघात करता है। आचार्य कुन्दकुन्द कियाओंकी निःसारताको दिखलाते हुए भावप्रभृतमें कहते हैं—

भावो य पढमलिङ्गं ण द्रव्यलिङ्गं च ज्ञान परमत्थं ।

भावो कारणभूदो गुणदोसाणं जिणा विति ॥२॥

आत्मोन्नतिमें प्रधान कारण भावलिङ्ग है। वही परमार्थ सत् है। केवल द्रव्यलिङ्गसे इष्टसिद्धि नहीं होती, क्योंकि जीवमें गुणोत्पादक और दोषो-त्पादक एकमात्र जीवोंके परिणाम हैं ऐसा जिनेन्द्रदेवका उपदेश है।

अपने इस भावको पुष्ट करनेके लिए वे आगे पुनः कहते हैं—

आववितुद्दिग्निमित्तं बाहिरगंधस्स कीरण् चाओ ।

बाहिरचाओ विहलो अद्भुतरगंधजुत्स्स ॥३॥

यह जीव भावोंका विशुद्ध करनेके लिए बाह्य परिग्रहका त्याग करता है । किन्तु बाह्य परिग्रहका त्याग करने पर भी जो आमन्तर परिग्रहसे मुक्त नहीं होता उसका बाह्य परिग्रहका त्याग करना निष्पल है । वे इसी भावको स्वष्ट करते हुए पुनः कहते हैं—

भावरहितो ण सित्तमह जह वि तत्त्वं चरह कोडिकोडीओ ।

जम्मंतराहं बहुसो लवियहत्थो गलियवत्थो ॥४॥

यह जीव दोनों हाथ लटकाकर और बख्तका त्यागकर कोड़ाकोड़ी जन्म तक निरन्तर तपश्चर्या भले ही करता रहे । परन्तु जो भाव रहित है उसे सिद्धि मिलना दुर्लभ है ॥४॥

पहले हम महापुराणमें वर्णित जिन कियाओंका उल्लेख कर आये हैं कदाचित् उन्हें सामाजिक दृष्टिसे संस्कार कहनेमें आपत्ति न भी मानी जाय तो भी जैनधर्मके अनुसार उन्हें संस्कार संज्ञा देना उचित नहीं है, क्योंकि उनके कथनमें प्राणीमात्रके कल्पाणकी भावना न होकर वे सामाजिक दृष्टिकोणको सामने रखकर ही कही गई हैं । जैनधर्मके अनुमार जिन कियाओंके निरन्तर अभ्यासको संस्कार कहते हैं वे भी आत्मकर्त्यकी सिद्धि होने तक सब जीवोंमें निरन्तर बने हां रहते हैं ऐसा एकान्त नियम नहीं है । किस जीवके वे संस्कार किनने काल तक बने रहें यह मुख्यरूपसे परिणामोपर अवलम्बित है । एक जीव लगातार उत्तमोत्तम गतियोंको धारण करनेके बाद अन्तमें उपशमश्रेणिपर आरोहण करता है और वहाँ से पतित होनेके बाद क्रमसे भिन्नात्ममें जाकर तथा तिर्यञ्चायुका बन्धकर अत्यनुरूपके भीतर निर्गोदका पात्र होता है और दूसरा जीव इसके विपरीत नित्यनिगोदसे निकलकर तथा त्रिस स्थावर सम्बन्धी कुछ पर्याय धारणकर आं और अन्तमें मनुष्य हो उसी भवसे भोक्ता पात्र होता है । एकमात्र भावों

की महिमाको छोड़कर इसे और क्या कहा जा सकता है। अखन चोरने जीवनभर दुष्कर्म किये। किन्तु अन्तमें काललघिके अनुमार निमित्त मिलते ही उसका उदार हो गया। इसके विपरीत एक लुप्तकने जीवनभर धर्मचरण किया। किन्तु समाधिके समय उसका चित्र किसी फल विशेषमें आसक्त हो जानेके कारण वह मरकर उसी फलमें कीड़ा हुआ। इस प्रकार पूर्वके दो उडाहरणोंके समान इन दो उडाहरणोंमें भी हमें परिणामोंकी ही महिमा दिखलाई देती है। तभी तो कल्याणमन्दिर स्नोब्रमें सिद्धसेन दिवाकर कहते हैं—

आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरर्जितोऽपि ।
नून न चेतसि मया विघ्नोऽस्मि भक्त्या ॥
जातोऽस्मि तेन जननान्धव दुःखपात्रम् ।
यस्मात् क्रियाः प्रतिफलमित न भावशून्याः ॥३८॥

मैंने अनेक बार आपका नाम और गुण सुने, अनेक बार आपको पूजा की और अनेक बार आपको देखा भी। किन्तु मैंने एक बार भी आपको भक्तिपूर्वक अपने चित्रमें धारण नहीं किया, इमालए हे जननान्धव ! मैं आजतक दुःखका पात्र बना रहा। यह ठीक ही है कथाकी भावशून्य की गड़ क्रियाओंमें भोक्तृरूप इष्ट फलको मिलि होना तुर्लभ है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भोक्तृमार्गके अभिप्रायने को गर्दे क्रियाएं भी जब विफल हो जाती हैं तब जो क्रियाएं कुलके अभिनिवेशवश की जाती हैं वे सफल कैसे हो सकती हैं। यही कारण है कि जैनधर्ममें कुल या वश को महस्व न देकर इनके अहंकारके स्थानका ही उपदेश दिया गया है। तात्पर्य यह है कि जैनधर्म न तो कुलधर्म है और न जातिधर्म ही है। यह तो प्राणीमात्रका हित साधन करनेवाला एकमात्र आत्मधर्म है। लोकिधर्म और जैनधर्ममें जो अन्तर है, कुलधर्म और जैनधर्ममें वही अन्तर है। कुलचर्यांरूपसे जैनधर्मको स्वीकार करने पर जैनधर्मके दर्शन होना तो तुर्लभ है, उसको छायाके भी दर्शन नहीं होते, क्योंकि आत्मशुद्धिरूप अभि-

प्रायके विना की गई पूजा, दान, स्वाध्याय, संयम और तपरूप कोई भी किया जैनधर्म संज्ञाको नहीं प्राप्त हो सकती।

कुलशुद्धि और जैनधर्म—

इस प्रकार जैनधर्ममें कुल या वशको स्थान नहीं है इस स्थितिके रहते हुए भी उत्तरकालीन साहित्यमें कुल शुद्धि पर विशेष बल देकर उसे ही धर्ममें साधक माना गया है। प्रकृतमें विचारणीय यह है कि यह कुलशुद्धि क्या बन्तु है और उसका धर्मके साथ क्या सम्बन्ध है? महापुराणमें कुल का लक्षण इन शब्दोंमें किया है—

पितुरन्वयशुद्धिर्यां तत्कुलं परिभाषते ॥ द४, पर्व ३३ ॥

पिताकी वंशशुद्धिको कुल कहते हैं। तात्पर्य यह है कि अपने कुलाचारका योग्य रीतिसे पालन करते हुए जो पुत्र-पौत्र सन्ततिमें एक रूपता बनी रहती है उसे कुलशुद्धि कहते हैं। इसी अभिप्रायको ध्यानमें रख कर महापुराणमें कुलावधि क्रियाका निर्देश इन शब्दोंमें किया गया है—

कुलावधिः कुलाचाररक्षणं स्यात् द्विजन्मनः ।

तस्मिन्ब्रह्मस्यां नष्टक्रियोऽन्यकुलतां भजेत् ॥१८१-४०॥

अपने कुलके आचारकी रक्षा करना द्विजकी कुलावधि क्रिया है। उसकी रक्षा न होने पर उसकी समस्त क्रियाएँ नष्ट हो जाती हैं और वह अन्य कुलको प्राप्त हो जाता है।

महापुराणमें यह तो कहा है कि जिसका कुल और गोत्र शुद्ध है वही द्विज ठीक्हा धारण कर सकता है। परन्तु उसमें उन्हें कुलकी शुद्धि और गोत्रकी शुद्धिसे क्या अभिप्रेत रक्षा है इसका अलगसे स्पष्टोकरण नहीं किया है। इतना अवश्य है कि सम्पूर्ण व्रतचर्या विधिका निर्देश करते हुए जो कुछ कहा गया है उससे इस बातका पता अवश्य लगता है कि उसमें कुलशुद्धिसे क्या इष्ट है। यहाँ चतुर्लाया है कि जिसका उपनयन संस्कार हो चुका है, जिसका कुल दूषित नहीं है, जो असि, मषि,

कृषि और वाणिज्य इन चार क्रमोंका आधाय लेकर अपनी आजीविका करता है, जो निरामिषभोजी है, जिसे अपनी कुल छोड़ीके साथ ही सेवन करनेका ब्रत है, जो संकल्पी हिंसाका त्यागी है तथा जो अमच्छ्य और अपेयका सेवन नहीं करता। इस प्रकार जिसकी व्रतपूत शुद्धतर वृत्ति है वह समस्त व्रतचर्या विधिका अधिकारी है।

जहाँ पर बितने विशेषण दिये गये हैं उनमें दो मुख्य हैं—एक तो उसे द्विज होना चाहिए और दूसरे उसे कुलझीसेवन ब्रती होना चाहिए। जिसमें ये दो विशेषताएँ उपलब्ध होती हैं वह शुद्ध कुल है। यदि उसमें इन दोके सिवा अन्य विशेषताएँ नहीं भी हैं तो भी वह दीक्षाके योग्य कुल मान लिया जाता है। नौबी शतान्दिके बाद उत्तर कालीन कुछ साहित्यमें तीन वर्ण दीक्षाके योग्य हैं यह वोषणा इसी आधार पर को गई है और इसी आधार पर पिण्डशुद्धिका विधान और जातिलोपका निषेच भी किया गया है।

जिस प्रकार समाजकी सुव्यवस्थाके लिए राज्यव्यवस्था और आजीविकाके नियम आवश्यक हैं। उसी प्रकार कौटुम्बिक व्यवस्थाको बनाये रखनेके लिए और समाजको अनाचारसे बचाये रखनेके लिए विवाहविधि या दूसरे प्रकारसे छो-पुरुषोंके ऊपर नियन्त्रण बनाये रखना भी आवश्यक है। मूलतः ये तीनों प्रकारकी व्यवस्थाएँ सामाजिक परम्पराकी अङ्गभूत हैं, इसलिए एक ओर जहाँ समाजशास्त्रके निर्माताओंने अपने-अपने कालके अनुरूप इन पर पर्याप्त विचार किया है वहाँ धर्मशास्त्रकारोंने इन्हें असूता छोड़ दिया है। मुनिधर्म तो समस्त सामाजिक परम्पराओंका त्याग करनेके बाट ही स्वीकार किया जाता है, इसलिए मुनिधर्मके प्रतिपादक आचार-विधयक ग्रन्थोंमें इनका उल्लेख न होना स्वाभाविक ही है। किन्तु जो यहस्थधर्मके प्रतिपादक आचार ग्रन्थ हैं उनमें भी नौबी शतान्दिके पूर्व इनका उल्लेख नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि एक तो देश, काल और परिस्थितिके अनुसार ये व्यवस्थाएँ बदलती रहती हैं। दूसरे मोहन-

मार्गके साथ इनका रञ्जमात्र भी सम्बन्ध नहीं है, इसलिए कुलशुद्धि और जातिव्यवस्थाको धर्ममें कोई स्थान है और इनका धर्मके साथ निकट सम्बन्ध है यह बात समझमें नहीं आती। यह कथन केवल हमारे मनकी कहृपना नहीं है, अन्य व्याचार्योंने भी जातिव्यवस्था और कुलशुद्धि पर कठोर प्रश्नार किया है। प्रकृतमें इस विषयको स्पष्ट करने के लिए ढो उदाहरण दे देना पर्याप्त है। इनमेंसे एक उदाहरण अमितिगति-आवकाचारका है और दूसरा उदाहरण धर्मपरीक्षाका है। अपने आवकाचारमें अमितिगति कहते हैं—‘वास्तवमें यह उच्च और नीचपनेका विकल्प ही सुख और दुखका करनेवाला है। कोई उच्च और नीच जाति है और वह सुख और दुख देती है यह कदाचित् भी नहीं है। जैसे बालुको पेलनेवाला लोकनिन्द्य पुरुष कष्ट भोग कर भी कुछ भी फलका भागी नहीं होता वैसे ही अपने उच्चपनेका अभिमान करनेवाला कुकुद्धि पुरुष धर्मका नाश करता है और सुखको नहीं प्राप्त होता।’

धर्मपरीक्षामें इसी बातको इन शब्दोंमें व्यक्त किया है—‘ब्राह्मण और ब्राह्मणी सदा शीलसे ही रहें, अनादि कालसे उनके कुदुम्बमें कभी भी स्वल्लन न हो यह सम्भव नहीं है। वास्तवमें संयम, नियम, शील, तप, दान, दम और दया ये गुण तात्त्विकरूपसे जिस किसी जातिमें विद्यमान हों उसी जातिको सज्जन पुरुष पूजनीय मानते हैं, क्योंकि योजनगन्धा (धीर्वरी) आदि की कुद्दिसे उत्पन्न हुए व्यास आदि तपस्त्रियोंकी महापूजा होती हुई देखी गई है, इसलिए सबको तपश्चरणमें अपना उपयोग लगाना चाहिए। नीच जातिमें उत्तरान होकर भी शीलवान् पुरुष स्वर्ग गये हैं। तथा शील और संयमका नाश करनेवाले कुलीन पुरुष नरक गये हैं। गुणोंसे अच्छी जाति प्राप्त होती है और गुणोंका नाश होनेसे वह नष्ट हो जाती है, इसलिए कुद्दिमान् पुरुषोंको मात्र गुणोंका आदर करना चाहिए। सज्जन पुरुषोंको अपने को नीच बनानेवाला जातिमद कभी नहीं करना चाहिए और जिससे अपने में उच्चपना प्रगट हो ऐसे शीलका आदर करना चाहिए।’

यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि आचार्य बीरसेन और पण्डित-प्रबर आशाधरबीने लोकमें प्रचलित कुल और गोत्रको मृषा बतलाया है। इसकी पुष्टिमें पण्डितप्रबर आशाधरबीने अनगारधर्मामृतमें एक श्लोक भी उद्धृत किया है। उसमें कहा गया है कि इस अनादि संसारमें कामदेव दुर्निवार है और कुल खीके अधीन है, इसलिए अलग-अलग जाति माननेमें कोई सार नहीं है। श्लोक इस प्रकार है—

अनादाविह संसारे हुवारे मकरध्वजे ।

कुले च कामिनीमूले का जातिपरिकल्पना ॥

इतने विवेचनसे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ आचार्य जिनसेनने जन्मसे वर्णव्यवस्था और कुलशुद्धिका कल्पित व्यूह स्वदा किया है वहाँ दूसरे विचारकोने उसपर कठोर प्रश्नकर उसे छिन-मिन्न भी कर दिया है। फिर भी मूल आगमका इस विषयमें क्या अभिप्राय है इसपर साङ्केतिक विचार कर लेना भी आवश्यक है, क्योंकि हमारे लिए एकमात्र आदर्श आगम साहित्य ही है, इसके सिवा इस कालमें तथ्यको समझनेके लिए अन्य कोई उपाय नहीं है।

यह तो आगमसे ही स्पष्ट है कि आवकधर्मका पालन केवल मनुष्य ही नहीं करते, तिर्यङ्ग भी करते हैं। किन्तु उनमें उनके द्वारा बनाई हुई किसी प्रकारकी सामाजिक व्यवस्था न होनेसे कुलशुद्धिसम्पन्न तिर्यङ्ग ही उसका पालन कर सकते हैं, अन्य तिर्यङ्ग नहीं यह नहीं कहा जा सकता। आगममें स्पष्ट बतलाया है कि जो गर्भजन्मसे उत्पन्न हुआ आठ वर्षका कर्मभूमिका मनुष्य है वह आवकधर्म और मुनिधर्मका अधिकारी है। तथा गर्भजन्म की अपेक्षा जो तीन माहका कर्मभूमिका सज्जी तिर्यङ्ग है वह आवकधर्मका अधिकारी है। आवकधर्म या मुनिधर्मको स्वीकार करनेके लिए वहाँ इससे अधिक अन्य किसी प्रकारके प्रतिबन्धकी कल्पना की भी जाती है तो वह उक्त प्रकारके सब तिर्यङ्गोंमें तो सम्भव है ही नहीं यह तो स्पष्ट ही है, उक्त

सब प्रकारके मनुष्योंमें भी वह सम्भव नहीं है यह भी स्थित है, क्योंकि बिना अल्लौक मनुष्योंमें वैवर्जिकोंके समान सामाजिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती वे मनुष्य भी आवकर्षण और मुनिवर्षमें अधिकारी माने गये हैं। इतना ही नहीं, जिन चाण्डालादि असृश्य शूद्रोंको उपनयन और विवाह आदि सामाजिक संस्कारोंके करनेका अधिकार नहीं दिया गया है वे भी ब्रतोंको स्वीकार करनेके अधिकारी हैं ऐसी जिनाशा है। तभी तो इस तथ्यको स्वीकार करनेके लिए आचार्य रविप्रेण बाध्य हुए हैं। वे पश्चपुराणमें कहते हैं—

ग जातिर्गहिता काचित् गुणः कल्याणकारजम् ।

इतस्वर्मयि चाण्डाल तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥११-२०३॥

अर्थात् कोई जाति गहित नहीं होती। बास्तवमें गुण कल्याणके कारण होते हैं, क्योंकि बिनेन्द्रदेवने ब्रतोंमें स्थित चाण्डालको भी ब्राह्मण-स्पसे स्वीकार किया है।

उक्त कथनका तात्पर्य यह है कि धर्ममें जाति व्यवस्थाको तो स्थान है ही नहीं, उसके अङ्ग रूप कुलशुद्धिको भी कोई स्थान नहीं है, क्योंकि धर्मका सम्बन्ध मुख्यतया गतिके आधारसे होनेवाले परिणामोंके साथ है। कोई मनुष्य अकुलीन है, हीन जातिका है, कोई है, काना है, लूला है, हीन संस्थानवाला है या हीन संहननवाला है, इसलिए वह चारित्रधर्मको स्वीकार करनेका अधिकारी नहीं है, जो ऐसा मानते हैं, बास्तवमें वे आगमकी अवहेलना कर आधम-धर्मके स्थानमें शरीरधर्मकी स्थापना करना चाहते हैं। आगममें उपशम सम्प्रदर्शनादिकी उत्पत्तिके समय विशुद्धिलिङ्घ होती है इस प्रकारका निर्देश किया है इसमें सन्देह नहीं और यह समझमें भी आता है कि जिस समय आत्मामें किसी प्रकारके अलौकिक धर्मका प्रादुर्भाव होता है उस समय वह उस धर्मके योग्य विशुद्धिलिङ्घके हुए बिना नहीं हो सकता। पर उसका वह अर्थ कदापि नहीं है जो आचार्य बिनसेनने महापुराणमें

तिरेपन कियाओंके प्रसङ्गसे स्वीकार किया है। किन्तु उसका वह तात्पर्य है कि ऐसे वे जयधवलमें उपशमसम्बन्ध आदिकी उत्पत्तिके कारणोंका व्याख्यान करते हुए स्वीकार करते हैं। अतः जयधवलके उन्हींके कथनके अनुसार जैनधर्ममें लौकिक कुलशुद्धिको स्थान नहीं है यह मानना ही उत्तम मार्ग है।

जातिमीमांसा^१

मनुस्मृतिमें जातिव्यवस्थाके नियम—

भारतीय लौकिक जीवनमें कुल और गोत्रके समान जातीय व्यवस्थाको भी बड़ा महत्व मिला हुआ है। इसका प्रभाव सभी ज्ञेन्द्रियोंमें हष्टिगोचर होता है। अधिकतर मनुष्योंकी बुद्धिमें ही यह बात नहीं आती कि जातिका आभ्य लिए विना भी कोई कार्य हो सकता है। आत्मशुद्धिमें प्रयोगक ध्यान, तप, संयम और भगवदुपासनारूप धर्मकार्यसे लेकर विवाह आदि प्रत्येक सामाजिक कार्यमें इसका विचार किया जाना वे उपयोगी मानते हैं। वैदिक रामायणमें मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रके द्वारा शम्भूकका वध इसलिए कराया गया, क्योंकि शूद्रजातिका होनेके कारण उसे तपश्चर्या करनेका अधिकार नहीं था। इसकी उत्पत्तिका मूल कारण जन्मना वर्णव्यवस्था है, इसलिए मूलमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार जातियाँ मानकर इनके अवान्तर में अनेक मान लिए गये हैं। मनुस्मृतिमें उत्तरोत्तर जातियाँ कैसे बनती गईं इसका संक्षिप्त इतिहास सुरक्षित है। वहाँ बतलाया है कि जीवत्पतिवाली अन्य स्त्रीके संयोगसे उत्पन्न हुई सन्तानकी कुण्ड सज्जा होती है, मृत पतिवाली अन्य स्त्रीके संयोगसे उत्पन्न हुई सन्तानकी गोलक सज्जा होती है,^१

ब्राह्मणका द्वितीय कन्यासे विवाह करने पर उत्पन्न हुई सन्तानकी मूर्च्छावसिक संज्ञा होती है, द्वितीयका वैश्य कन्यासे विवाह करने पर उससे उत्पन्न हुई सन्तानकी माहिष्य संज्ञा होती है, वैश्यका शूद्रकन्याके साथ विवाह करने पर उससे उत्पन्न हुई सन्तानकी करण संज्ञा होती है,^३ ब्राह्मणका वैश्यकन्याके साथ विवाह करने पर उससे उत्पन्न हुई सन्तानकी अम्बष्टु संज्ञा होती है, ब्राह्मणका शूद्र कन्याके साथ विवाह करने पर उससे उत्पन्न हुई सन्तानकी निषाद संज्ञा होती है^४। द्वितीयका शूद्र कन्यासे विवाह करने पर उससे उत्पन्न हुई सन्तानकी उग्र संज्ञा होती है,^५ द्वितीयका ब्राह्मण कन्याके साथ विवाह करने पर उससे उत्पन्न हुई सन्तानकी सूत संज्ञा होती है, वैश्यका द्वितीय कन्यासे विवाह करने पर उससे उत्पन्न हुई सन्तानकी मागध संज्ञा होती है, वैश्यका ब्राह्मण कन्याके साथ विवाह करने पर उससे उत्पन्न हुई सन्तानकी वैदेह संज्ञा होती है,^६ शूद्रका वैश्य कन्याके साथ सम्बन्ध होने पर उससे उत्पन्न हुई सन्तानकी आयोग्व संज्ञा होती है, शूद्रका द्वितीय कन्याके साथ संयोग होने पर उससे उत्पन्न हुई सन्तानकी द्वृत्त संज्ञा होती है और शूद्रका ब्राह्मण कन्याके साथ संयोग होने पर उससे उत्पन्न हुई सन्तान की चाएडाल संज्ञा होती है^७। तथा ये या इसी प्रकारके अन्य सम्बन्धोंसे उत्पन्न हुई सन्तानें वर्णसंकर होती है^८। वर्णसंकरका लक्षण करते हुए वहाँ कहा है कि जो सन्तान व्यभिचारसे उत्पन्न होती है, जो अपने वर्णकी कन्याको छोड़कर अन्य वर्णकी कन्याके साथ विवाह करनेसे उत्पन्न होती है और जो अपने वर्णके कर्मको छोड़कर अन्य वर्णका कर्म करने लगते हैं उन सबको वर्णसंकर कहते हैं^९। अतएव मनुस्मृतिमें सर्वर्ण विवाहको ही प्रशस्त माना गया है^{१०}। वहाँ काम विवाहको स्थान तो दिया है, परन्तु

३. अ० १० श्लो० ३ । ४. अ० १० श्लो० ८ । ५. अ० श्लो० ६ ।
 ६. अ० १० श्लो० ११ । ७. अ० १० श्लो० १२ । ८. अ० १० अथसे
 हृति तक दृष्ट्य । ९. अ० १०श्लो० २४ । १०. अ० ६ श्लो० १२ ।

उसकी निन्दा ही की गई है^१। वहाँ कौन किस जातिकी कन्याके साथ विवाह करे इसके लिए सामान्य नियम यह आया है कि शूद्रकी एकमात्र शूद्रा खी होती है, वैश्यकी शूद्रा और वैश्या भार्या होती हैं, द्वारियकी शूद्रा, वैश्या और द्वारिया भार्या होती हैं तथा ब्राह्मणकी चारों वर्णोंको भार्याएँ हो सकती हैं^२। इस नियमके अनुसार वहाँ सर्वण विवाहको धर्म विवाह और असर्वण विवाहको कामविवाह संज्ञा दी गई है। लोकमें एक एक वर्णके भीतर जो नाना जातियों और उपजातियों देखी जाती हैं उनका मनुस्मृतिके अनुसार एक आधार तो सर्वण और असर्वण विवाह है और दूसरा आधार है उनके अलग-अलग अवान्तर कर्म। किसका क्या कर्म हो इस विषयमें भी मनुस्मृतिकी यह व्यवस्था है कि जिसके कुटुम्बमें आनुवशिक जो कर्म होता आ रहा है उसकी सन्तानको वही कर्म करनेका अधिकार है। सब अपने-अपने कर्मको करते हुए आश्रमधर्मका योग्य रीतिसे पालन करते हैं इस पर निगाह रखनेका मुख्य कार्य राजा का है, क्योंकि ब्रह्माने उसकी सुष्ठि इसी अभिप्रायसे की है^३।

महापुराणमें जातिव्यवस्थाके नियम—

यह मनुस्मृति के कथनका सार है। इसके प्रकाशमें महापुराणमें जातिव्यवस्थाके जो नियम दिये हैं उन पर विचार कीजिए। यह तो हम आगे चल कर बतानेवाले हैं कि जैनसाहित्य जातिव्यवस्थाको स्वीकार नहीं करता। उसमें पद पद पर उसकी निन्दा ही की गई है। सर्व प्रथम यदि कोई ग्रन्थ है तो वह महापुराण ही है जिसमें जातिव्यवस्थाको प्रश्रय मिला है। वहाँ मनुष्यजाति नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई मनुष्यजाति एक है। उसके ब्राह्मण आदि चार भागोंमें विभक्त होनेका एकमात्र कारण आजीविका

१. अ० ३ श्लो० १५। २. अ० ३ श्लो० १३। ३. अ० ०
श्लो० ३५।

है यह स्वीकार करके भी अन्मसे चार वर्णोंको मान कर जातिव्यवस्थाको प्रथम दिया गया है। वहाँ यह स्पष्ट शब्दोंमें कहा गया है कि जातिसंस्कार का मूल कारण तप और श्रुत है। किन्तु तपश्चरण और शास्त्राभ्याससे जिसका संस्कार नहीं हुआ है वह जातिमात्रसे दिल है। संस्कार तो शूद्रका भी किया जा सकता है ऐसी शंका होने पर उसका परिहार करते हुए वहाँ पुनः कहा गया है कि हमें ऐसा दिल इष्ट है जो एक तो ब्राह्मण, लक्ष्मि और वैश्य कुलमें ही उत्पन्न हुआ है। दूसरे जिसका क्रियाओंके द्वारा संस्कार किया गया है। इसलिए वहाँ पर गर्भान्वय आदि जितनी भी क्रियाएँ चलाई गई हैं वे सब द्विजातिको लक्ष्य कर ही कही गई हैं (पर्व ३८, श्लो० ४५ से)। इतना अवश्य है कि मनुस्मृतिके समान वहाँ नाना जातियों और नाना उपजातियोंकी उत्पत्तिकी मीमांसा नहीं की गई है। मात्र एक तो विवाह के विषयमें मनुस्मृतिकी उस व्यवस्थाको स्वीकार कर लिया गया है जिसके आचारसे ब्राह्मणकी चारों जातियोंकी भार्याएँ, लक्ष्मियकी तीन जातिकी भार्याएँ, वैश्यकी दो जातिकी भार्याएँ और शूद्रकी एकमात्र शूद्रा भार्या हो सकती है। दूसरे मनुस्मृतिके समान वहाँ भी जातिव्यवस्थाका निर्वाह योग्य रीतिसे हो रहा है इस पर समुचित नियाह रखनेका भार राजा के ऊपर छोड़ दिया गया है। वहाँ यह स्पष्ट शब्दोंमें कहा गया है कि जो इस वृत्तिको छोड़ कर अन्य वृत्तिका आश्रय करता है उस पर राजाको नियन्त्रण स्थापित करना चाहिए, अन्यथा समस्त प्रजा वर्णसंकर हो जायगी।

आदि पुराणमें कर्वन्यव क्रियाओंका निर्देश करते हुए सर्व प्रथम सज्जाति क्रिया दी है और उसका लक्षण करते हुए कहा है कि दीक्षाके योग्य कुलमें अन्म होना यही सज्जाति है जिसकी सिद्धि विशुद्ध कुल और विशुद्ध जातिके आश्रवसे होती है। तात्पर्य यह है कि एक ओर तो पिताके अन्वयकी शुद्धिसे युक्त कुल होना चाहिए और दूसरी ओर माताके अन्वयकी शुद्धिसे युक्त जाति होनी चाहिए। वहाँ इन दोनोंका योग मिलने पर सन्तति उत्पन्न होती है वह सन्तति सज्जातिसम्बन्ध मानी जाती है। सज्जाति दो प्रकारकी होती

है—प्रथम शरीर बन्मसे उत्पन्न हुई सज्जाति और दूसरी संस्कार बन्मसे उत्पन्न हुई सज्जाति । जिसे शरीर बन्मसे उत्पन्न हुई सज्जाति प्राप्त होती है उसके सब प्रकारके इह अर्थोंकी सिद्धि होती है और जिसे संस्कार बन्मसे उत्पन्न हुई सज्जाति प्राप्त होती है वह भव्यात्मा सचमुचमें द्विज संज्ञाको प्राप्त होता है । इसकी पुष्टिमें आचार्य बिनसेनने कई उदाहरण उपस्थित किये हैं । वे कहते हैं कि जिस प्रकार विशुद्ध खनिसे उत्पन्न हुआ रक्त संस्कारके योगसे उत्कर्षको प्राप्त होता है उसी प्रकार कियाओ और मन्त्रोंसे सुसंस्कारको प्राप्त हुआ आत्मा भी अत्यन्त उत्कर्षको प्राप्त हो जाता है । अथवा बिन प्रकार सुवर्ण उत्तम संस्कारको पा कर शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार भव्य बीच उत्तम क्रियाओंके आश्रयसे शुद्ध हो जाता है (पर्व २६ इलो०८१ से) ।

उत्तरकालीन जैन साहित्य पर महापुराणका प्रभाव—

बब कोई एक तत्त्व किसी प्रसिद्ध पुस्तके द्वारा किसी कारणसे स्वीकार कर लिया जाता है तब वह उसी पुस्तक तक सीमित न रहकर उसको परम्परा चल पड़ती है । जाति प्रथाके विषयमें भी यही हुआ है । मनुस्मृतिके अनुसार महापुराणमें इस प्रथाको स्वीकार कर लेनेके बाद उत्तरकालीन साहित्यकार भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे हैं जिसके दर्शन हमें किसी न किसी रूपमें उत्तरकालीन जैन साहित्यमें पद-पद पर होते हैं । इसके लिए सर्व प्रथम हम उत्तरपुराणको उदाहरण रूपमें उपस्थित करना इह समझते हैं । प्रकरण जातिमूढ़ताके निषेचका है । गुणमद्र आचार्य यह तो स्वीकार करते हैं कि जिस प्रकार गौ और अश्वमें वर्णमेद और आकृति मेद देता जाता है उस प्रकार ब्राह्मण आदि चार वर्णके मनुष्योंमें वर्णमेद और आकृतिमेद नहीं दिल्लाई देता । तथा ब्राह्मणों आदिमें शूद्र आदिके द्वारा गर्भवारण करना सम्भव है, इसलिए जिस प्रकार तिर्यक्षोंमें विस्तीर्ण, कुचा, गाय और बोडा आदि नामवाली पृथक्-पृथक् जातियाँ हैं उस प्रकार मनुष्योंमें ब्राह्मण और शूद्र आदि नामवाली पृथक्-पृथक् जातियाँ नहीं

हैं। तब भी वे जाति (जन्मसे वर्ण व्यवस्था) को स्वीकार कर उसका ऐसा विलक्षण लक्षण करते हैं जिसको पढ़कर खुदि चक्रा जाती है। वे एक ओर मनुष्योंमें जातिभेदका लक्षण भी करते हैं और दूसरी ओर मोक्षमार्गकी दृष्टिसे उसे प्रश्न भी देते हैं यही आश्रयकी बात है। वे कहते हैं कि जिनमें जाति तथा गोत्र आदि कर्म शुक्लध्यानके कारण हैं वे तीन वर्ण हैं और बाकीके शूद्र हैं। अपने इस कथनकी पुष्टि करते हुए वे पुनः कहते हैं कि विदेह ज्ञेयमें मोक्ष जानेके योग्य जातिका इसलिए विच्छेद नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर उस जातिमें कारणभूत नामकर्म और गोत्रकर्मसे युक्त जीवोंकी निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है। परन्तु भरत और ऐरावत ज्ञेयमें चतुर्थ कालमें ही उस जातिकी परम्परा चलती है, अन्य कालोंमें नहीं। वे स्वीकार करते हैं कि जिनागममें मनुष्योंके आश्रयसे वर्ण विभाग इस प्रकार बतलाया गया है (पर्व ७४ श्लो० ४६१ से) ।

रत्नकरण्डमें तीन मूढ़ताओंके लोकमूढ़ता, देवमूढ़ता और पाषण्ड-मृदता ये तीन नाम आये हैं। किन्तु उनके स्थानमें आचार्य गुणभद्र पाषण्डमृदता, देवमूढ़ता, तीर्थमूढ़ता, जातिमूढ़ता और लोकमूढ़ता इन पाँच मूढ़ताओंका स्वीकार करते हैं। तीन तो वही है जिन्हें रत्नकरण्डमें स्वीकार किया गया है। इन्होंने उनमें तीर्थमूढ़ता और जातिमूढ़ता इन दो अन्य मूढ़ताओंको सम्मिलित कर उनकी संख्या पाँच कर दी है। यद्यपि इन दो मूढ़ताओंका समावेश लोकमूढ़तामें हो जाता है, इसलिए कुल मूढ़ताएं तीन ही हैं इस बातका निर्देश सभी आचार्योंने किया है। फिर भी वे इन दोको स्वतन्त्ररूपसे स्वीकार कर उनका निर्देश करना आवश्यक मानते हैं। यहाँ हमें तीर्थमूढ़ताको स्वतन्त्ररूपसे क्यों स्वीकार किया गया इस विषयमें विशेष कुछ नहीं कहना है, क्योंकि उसका यहाँ प्रकरण नहीं है। हाँ, जातिमूढ़ताको स्वतन्त्ररूपसे स्वीकार कर उसका निर्देश करने और जाति (जन्मसे वर्ण) का स्वतन्त्र लक्षण करनेके पांछे आचार्य गुणभद्रका क्या हेतु है यह अवश्य ही विचारणीय है।

यह तो सत्य है कि लोकधर्म (रुद्धिधर्म) का प्रतिगादन करनेवाले मनुस्मृति आदि ग्रन्थोंमें जन्मसे वर्णव्यवस्था (जातिवाद) को स्वीकार किया गया है । साथ ही यह भी सत्य है कि आचार्य जिनसेनने भी जैन-धर्मका ब्राह्मणीकरण करनेके अभिप्रायसे उसे अपने दृंगसे स्वीकार कर लिया है । जहाँ इस सत्यको आचार्य गुणमद्र समझते थे वहाँ उसे स्वीकार करनेसे उत्पन्न होनेवाली बुराईयोंको भी वे जानते थे । ऐसों अवस्थामें वे कथा करें, उनके सामने यह बहुत चड़ा प्रश्न था । एक और वे अपने गुरुके पदचिन्हों पर भी चलना चाहते थे और दूसरी ओर वे यथासम्बव तत्त्वकी रक्षा भी करना चाहते थे । विचार कर देखा जाय तो एक प्रकारसे उनके सामने द्विविधाकी स्थिति थी । इसमें सन्देह नहीं कि आचार्य गुणभद्रने इसी द्विविधाकी स्थितिमेंसे अपना मार्ग बनाया है । इसे उनका कौशल ही कहना चाहिए । यही कारण है कि वे लोकमें प्रचलित और मनुस्मृति तथा महापुराण आदि ग्रन्थों द्वारा समर्थित जातिवाद (जन्मसे वर्णव्यवस्था) को लोकमूढ़ता बताकर एक ओर तो उसका खण्डन करते हैं और दूसरी ओर वे जातिका ऐसा विलक्षण अर्थ करते हैं जिसे किसी न किसी रूपमें अध्यात्म (जैनधर्म) में स्वीकार कर लेने पर उसकी कमसे कम अनेक बुराईयोंसे रक्षा भी हो जाती है । जाति या जन्मसे वर्णव्यवस्थाके सम्बन्धमें उन्होंने जो कुछ कहा है उसका सार यह है कि लोकमें मातापिताके आलमनसे जो ब्राह्मण आदि चार जातियाँ मानी जाती हैं वे वास्तविक नहीं हैं । यदि ये जातियाँ हैं और आगममें इन्हें स्वीकार किया जाता है तो उनका यही लक्षण हो सकता है कि विनमें जाति नामकर्म और गोत्रकर्म शुक्रलक्षणके कारण हैं वे तीन वर्ण हैं और शूद्र हैं । यद्यपि आचार्य गुणमद्र द्वारा प्रतिपादित जातिके इस लक्षणको स्वीकार कर लेनेमें भी अनेक कठिनाईयाँ दिखलाई देती हैं पर इसके स्वीकार करनेसे इतना प्रत्यक्ष लाभ तो ही है कि इस आधारसे आचार्य जिनसेने द्वारा शूद्रोंके ऊपर लगाये गये प्रतिबन्ध दूर होकर अन्य विवरोंके

समान शुद्धोंके लिए भी मुनिधर्म और आवकधर्मको स्वीकार करनेका मार्ग खुल जाता है। पण्डित प्रवर आशाधरजी आचार्य बिनसेन और आचार्य गुणमद्रके कथनके इस अन्तरको समझते थे, इसलिए उन्होंने अपने सारांरधरभास्तुमें सर्व प्रथम विद्या और शिल्पसे रहित आजीविकावालोंके कुलको दीक्षाके अयोग्य बताकर भी अन्तमें यह कहनेका साहस किया है कि उपस्करशुद्धि, आचारशुद्धि और शरीर-शुद्धिके होने पर शुद्ध भी जाग्रण आदिके समावृत्त भर्मको धारण करनेके अधिकारी हैं। इसकी पुष्टिमें उन्होंने जो हेतु दिया है, इसमें सन्देह नहीं कि उस द्वारा जैनधर्मके मूल सिद्धान्तकी अभिव्यक्ति हो जाती है। वे कहते हैं कि लोकमें जो जातिसे हीन माना जाता है उसकी कालालिच्छि आ जागेग। उसे भर्मको स्वीकार करनेसे कौन रोक सकता है। उस्तेज स इस प्रकार है—

शुद्धोऽप्युपस्कराचारवपुःशुद्धवास्तु चादृशः ।

आत्मा हीनोऽपि कालादिलक्ष्मी द्वात्मास्ति भर्मभाव् ॥२२-२४॥

यहाँ यह स्मरणीय है कि पण्डितप्रवर आशाधरजीने उक्त श्लोककी टीका करते समय आचार्य बिनसेन द्वारा स्वीकृत वर्णका लक्षण उद्भृत न कर आचार्य गुणमद्र द्वारा स्वीकृत वर्णके लक्षणको उद्भृत कर अन्तमें उसे ही अपनी स्वीकृति दी है।

इसमें सन्देह नहीं कि आचार्य गुणमद्रने वर्णके इस लक्षण द्वारा चार्मिक दृष्टिसे समावकी दिशा मोड़नेके लिए और उसमें सातिवादके विषको दूर करनेके लिए नवा वरण रखा है। इस द्वारा वे उन समस्त ज्ञात्याओंको, जो इसके धूर्व आचार्य बिनसेनने की थीं, अस्वीकार कर देते हैं। इसे फैलाकर देखनेपर सूचित होता है कि जो तद्रब मोहगामी और उपदामभेदिपर आरोहण करनेवाले मनुष्य हैं, जौकिक दृष्टिसे चाहे वे नीचे कुर्कमें उत्पन्न हुए हों और चाहे उच्चकुर्कमें, एकमग्न वे ही

त्रिवर्णों हैं और इनको छोड़कर अन्य और जिन्हें मनुष्य हैं वे चाहे आर्य हों या म्लेच्छ; चाहे अविरती हों या भावक और मुनि वे सबके सब शूद्र हैं। धार्मिक दृष्टिसे यदि वर्णव्यवस्था स्वीकार की जाती है तो वह असि आदि कर्मके आधारसे नहीं मानी जा सकती। उसका विचार एकमात्र मोक्षमार्गकी दृष्टिसे ही हो सकता है। सम्भवतः इसी तथ्यको व्याख्यानमें रखकर उन्होंने वर्णका उक्त लक्षण किया है। जैसा कि हम आगे चलकर बतलानेवाले हैं सोमदेयसुरिने भी इस तथ्यको स्वीकार किया है। इसलिए वे धर्मके लौकिक और पारलौकिक ये दो मेद करके जाग्नादि जातियोंका सम्बन्ध लौकिक धर्मके साथ स्थापित करते हैं, पारलौकिक धर्म (मोक्षमार्ग) के साथ नहीं। किन्तु एक तो आचार्य गुणभद्र द्वारा किया गया यह लक्षण आगममें मान्य नहीं है, क्योंकि उसमें न तो जीवोंके परिशामरूपसे वर्णको स्वीकार किया गया है और न आळगासे ऐसे जाति नामकर्म और गोत्रकर्म ही बतलाये गये हैं जो मनुष्यकी उस पर्यायमें केवल शुक्लव्यानको उत्पन्न करनेमें हेतु हों। दूसरे वे इस व्याख्याका व्यवहारमें सर्वत्र निर्वाह भी नहीं कर सके हैं। उदाहरणार्थ उन्होंने पुष्पदन्त जिनका चरित लिखते समय उनके पिता को इच्छाकुर्वन्ती, काश्यवनोदी और द्वित्रियोंमें आवणों कहा है। साथ ही उन्होंने विदेह द्वेरामें भी गर्भान्वय आदि कियाओंका सद्गाव स्वीकार कर किया है। वह तो कुशित्रित है कि पुष्पदन्त जिनके पिता उस पर्यायसे मोक्ष नहीं गये हैं, इसलिए वे उक्त व्याख्याके अनुसार द्वित्रिव नहीं ठहरते। किर भी वहीं पर आचार्य गुणभद्र उन्हें द्वित्रिव रूपसे स्वीकार करते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि जार द्वित्रोंको उस व्याख्याको भी वे लौकिक दृष्टिसे मान्य करते हैं जो इनके गुरु जिनसेने या अन्य आचार्योंने की है। वे दो उल्लेख हैं। आचार्य गुणभद्रके साहित्यसे ऐसे अन्य उल्लेख भी उपस्थित किये जा सकते हैं जिनसे इस तथ्यकी पुष्टि होती है। इसलिए निष्कर्षरूपमें हमें यह मानना पड़ता है कि न तो आचार्य गुणभद्रका साहित्य ही ज्ञाने गुरु

आचार्य जिनसेनके साहित्यके प्रभावसे सर्वथा मुक्त रह सका है और न सोमदेव सूरि या पण्डित प्रवर आशाधरजीका साहित्य ही। बस्तुतिथि यह है कि उत्तरकालीन चरणानुयोग और प्रथमानुयोगका जितना भी जैन साहित्य उपलब्ध होता है उसमें साधिकातर जैन साहित्य प्रायः इसी मतका समर्थन करता है जो आचार्य जिनसेनको इष्ट है। इतना ही नहीं, कहीं यदि आचार्य जिनसेनके कथनमें कोई महत्वकी बात फैलाकर नहीं कही गई है तो उसकी पूर्ति उत्तरकालीन साहित्यकारोंने की है। उदाहरणार्थ मनु-शृृंगारमें सर्वर्ण विवाहको धर्मविवाह और असर्वर्ण विवाहको कामविवाह कहा है। आचार्य जिनसेन इस विषयमें बहुत स्पष्ट नहीं हैं जो एक कमो मानी जा सकती है। लाटीसंहिताके कर्ता पण्डित राजमलजीको यह कमो खटकी, अतः वे मनुस्तृतिके अनुसार पक्षीके दो भेद करके अपनी जातिकी पक्षीको ही धर्मकार्योंमें अधिकारिणी मानते हैं, भोगपक्षीको नहीं। वे स्पष्ट कहते हैं कि अपनी जातिकी विवाहिता पक्षी ही धर्मपक्षी हो सकती है। इतर जातिकी विवाहिता ही क्यों न हो, उसे धर्मपक्षी बनानेका अधिकार नहीं है। उनके मतसे वह भोगपक्षी होगी। इस प्रकार इम देखते हैं कि उत्तरकालीन जैन साहित्यपर आचार्य जिनसेनके विचारोंकी न केवल गहरी छाप पढ़ी है, अपि तु कईने जातिवादके समर्थनका एक प्रकारसे बीड़ा ही उठा लिया था।

जातिवादके विरोधके चार प्रस्थान

पूर्वोक्त विवेचनसे यह तो स्पष्ट ही है कि आचार्य जिनसेनके बाद जैसे-जैसे काल बीउता गया जैनधर्म भी जातिवादका अस्वाढ़ा बनता गया। जाग्नाणधर्मके समान इसमें भी अनेक मुक्तियों और प्रयुक्तियों द्वारा जातिवादका समर्थन किया जाने लगा। यहस्थोंके आचार व्यवहारमें तो जातिवादका प्रभाव दिखलाई देने ही लगा, मुनियोंका आचार व्यवहार भी उसके प्रभावसे अदृश्या न रह सका। मूनिबन प्राणीमात्रके साथ

समताका व्यवहार करते हैं यह मुनिधर्मके प्रतिपादनकी शौलीमात्र रह गई। मुनिजीवनमें इसके लिए कोई स्थान न रहा। हिंसादि पापोंके समान तथाकथित अस्पृश्य शूद्रोंका स्पर्श और जातिलोप भी पाप मान लिए गये। यह उपदेश दिया जाने लगा कि जिनधर्ममुयायीको प्रयत्नपूर्वक जातिकी रक्षा करनी चाहिए। तथा जातिका लोप न हो इस विषयमें सावधान रहना चाहिए। जातिमर्यादाकी रक्षाके लिए विवरणचार जैसे ग्रन्थ लिखे गये और शूद्रोंको जारीके जैवमेंसे इस प्रकार उठाकर फेंक दिया गया जिस प्रकार कोई मनुष्य मरी हुई मक्खीको धीमेंसे निकालकर फेंक देता है।

जैनसाहित्यके आवलोकन करनेसे प्रतीत होता है कि लगभग प्रथम शताब्दिके कालसे लेकर जैनधर्मरूपी मयूरको जातिवादरूपी राहने ग्रसना प्रारम्भ कर दिया था। तथा जैनधर्मके अनुसार भावकपद और मुदिपदको स्वीकार करनेवाले मनुष्य भावोंके स्थानमें लिङ्गकी प्रधानता मानने लगे थे। सर्वप्रथम हमें इसका आभास आचार्य कुन्दकुन्दके साहित्यसे मिलता है। आचार्य कुन्दकुन्द अपने दर्शनप्राभृतमें इनका विरोध करते हुए कहते हैं—‘न देह वन्दनीय है, न कुल वन्दनीय है और न जातिसंयुक्त मनुष्य ही वन्दनीय है। गुणहीन मनुष्यकी मैं कैसे वन्दना करूँ। ऐसा मनुष्य न आवक हो सकता है और न अमर्य ही।’ वे जातिवाद और कुलवादकी निन्दा करते हुए द्वादशानुप्रेक्षामें पुनः कहते हैं—‘बो कुल, रूप, जाति, बृद्धि, तप, श्रुत और शीलका थोड़ा भी अहंकार करता है वह अमर्य मार्दवधर्मका अधिकारी नहीं हो सकता।’ उन्होंने समयप्राभृतमें भावोंके विनामात्र लिङ्गका आग्रह करनेवालोंकी भी बड़ी कटु आलोचना की है। वे कहते हैं कि ‘अनेक प्रकारके साधुलिङ्गों और गृहलिङ्गोंको धारणकर मूढ़जन ऐसा कहते हैं कि लिङ्ग मोक्षमार्ग है। परन्तु वास्तवमें विचार किया जाय तो लिङ्ग मोक्षमार्ग नहीं हो सकता, क्योंकि देहके प्रति निर्मम हुए अरिहन्त जिन लिङ्गको महत्व न देकर सम्बद्धरूप, सम्यग्शान और सम्यक्चारित्ररूप मोक्षमार्गकी उपासना करते हैं।’

साहित्यिक दृष्टिसे हसे हम जातिवादके विरोधका प्रथम प्रस्थान कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जितने भी साहित्यका निर्माण हुआ है वह मात्र धर्मके आचारात्मिक और व्यवहार पद्धतों उपस्थित करने तक ही सीमित है। उसमें जातिवाद और लिङ्गवादकी हमें गन्ध भी नहीं दिखताई देती है। इसके दूसरे प्रस्थानका प्रारम्भ मुख्यतः सांचार्य समन्तभद्रके कालसे होता है। मालूम होता है कि उनके कालमें जैनधर्मको स्वीकार करनेवाले मनुष्योंमें जातिवादको स्वीकार करनेवालोंकी बहुलता होने लगी थी। गणों और गन्धोंको स्थापित हुए अभी कुछ ही काल गया था। एक ही संघके भीतर विविध आधारोंसे होनेवाले इन नाना प्रकारके भेदोंसे आचार्य समन्तभद्र वडे दुखी जान पढ़ते हैं। इस कारण वे इन भेदोंको सम्प्रदर्शन की उत्पत्तिमें ही वाधक मानने लगे थे। इसलिए उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें यह घोषणा की कि ‘जो जान, पूजा, कुल जाति, चल, आदि, तप और शरीरके महत्वको प्रस्थापितकर जैनधर्मको स्वीकार करता है वह सम्प्रदर्शन का भी अधिकारी नहीं हो सकता।’ उन्होंने सम्प्रकृत्वके दोषोंमें इन्हें गिनाकर जातिवाद और कुलवादका तीक्ष्णात्मक विरोध करनेमें आचार्य कुन्दकुन्दके अभिप्रायका ही प्रतिनिधित्व किया था। बस्तुतः देखा जाय तो जाति और कुलका अहङ्कार सब गतियोंमें नहीं देखा जाता। यह मानव-जातिकी ही मूडता है कि उसने जातिवाद और कुलवादको स्वीकारकर इन बादों द्वारा मोक्षमार्गको तिरोहित करनेका प्रयत्न किया है। सम्प्रदर्शनके पश्चास दोषोंमें जातिमद आदिकी परिगणना की जानेका यही कारण है, अन्यथा नारकी और तिर्यक्क क्या जानें कि जाति और कुलका अहङ्कार कैसा होता है! वे तो पर्याप्तसे ही होन योनिको प्राप्त हैं, इसलिए उनमें जातिमद और कुल-भद्र आदिको गन्ध ही नहीं हो सकती। इन भेदोंका सम्बन्ध अनन्तानुबन्धी मानके अन्तर्गत आता है यह जान हमें आचार्य समन्तभद्रके उक्त उल्लेखसे स्पष्ट जात होता है, इसलिए इनके जातिवादके विरोधको हमने द्वितीय प्रस्थान संज्ञा दी है।

किन्तु शरीरमें एक बार रोगके प्रवेशकर लेनेपर उसे निकाल बाहर करना आसान काम नहीं है। कभी-कभी तो जितनी अधिक तीव्रताके साथ रोगका उपचार किया जाता है वह उतनी ही अधिक तीव्रतासे बढ़ने भी लगता है। जातिवादस्थी रोगके जैनधर्ममें प्रवेश कर लेनेपर उसका भी यही हाल हुआ है। एक और तो मोक्षमार्गपर आरूढ़ साधुसंस्था छिङ्ग-भिङ्ग होकर धर्मके आध्यात्मिक पक्षके अनुरूप व्यवहारपक्षपर नियन्त्रण स्थापित करनेवाले प्रभावशाली व्यक्ति दुर्मिल होते गये और दूसरी ओर धर्मका अध्यात्मपक्ष पंगु होकर वह केवल प्राचीन साहित्यमें कैद होकर रह गया। आचार्य पूज्यपाद ऐसे ही नाजुक समयमें हुए हैं जब स्वामी समन्तभद्रके कालमें उत्पन्न हुई स्थितियें और भी उग्रता आने लगी थी। तात्पर्य यह है कि उनके कालमें जातिवाद और लिङ्गवादको पूरा महत्व मिल चुका था, इसलिए आचार्य पूज्यपादको भी इन दोनोंका तीव्ररूपसे विरोध करनेके लिए कठिनद होना पड़ा। वास्तवमें देखा जाय तो इन दोनोंमें प्रगाढ़ सख्यभाव है। इनमेंसे किसी एकको आश्रय मिलनेपर दूसरेको आश्रय मिलनेमें देर नहीं लगती। आचार्य पूज्यपाद इस कारण धर्मको होनेवाली विडम्बनासे पूर्णरूपसे परिचित थे। यही कारण है कि अपने पूर्ववर्ती आचार्योंके सम्बन्धीयोंको मोक्षमार्गके अनुरूप जानकर उन्होंने भी इनका तीव्र और मर्मस्पदांशब्दोंमें निषेध किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि—‘जाति देहके आश्रयसे देखी जाती है और देह ही आत्माका संसार है, इस-लिए जिन्हें जातिका आग्रह है वे संसारसे मुक्त नहीं होते।’ इसी तथ्यको दुहराते हुए उन्होंने पुनः कहा कि—‘जिन्हें जाति और लिङ्गके विकल्परूप से धर्मका आग्रह है वे आत्माके परमपट (मोक्ष) को नहीं प्राप्त होते।’ यद्यपि इन शब्दोंद्वारा आचार्य पूज्यपाद उसी तथ्यको प्रकाशमें लाये हैं जिसका उनके पूर्ववर्ती आचार्योंने निर्देश किया था, परन्तु इस कथन द्वारा आचार्य पूज्यपाद अपने कालका पूरा प्रतिनिधित्व करते हुए जान पड़ते हैं, इसलिए इसे हम जातिवादके विरोधका तृतीय प्रस्थान कह सकते हैं।

आचार्य पूज्यपादके जैनेन्द्र व्याकरणमें 'वगोनाहृदूपावोणानाम्' यह सूत्र आया है और इस आधारसे कठिपय मनीषी यह कह सकते हैं कि शूद्रवर्णके मनुष्य जिनदीक्षाके अयोग्य हैं इस तथ्यको आचार्य पूज्यपाद भी स्वीकार करते थे, इसलिए यदि शूद्रोंको जिनदीक्षाके अयोग्य कहा जाता है तो इसमें जातिवादका कहाँ प्रवेश हो गया। किन्तु आगे चलकर इस सूत्र पर हम विस्तारके साथ विचार करनेवाले हैं। उससे यह स्पष्ट विदित हो जायगा कि यह सूत्र आचार्य पूज्यपादकी रचना नहीं होनी चाहिए। तत्काल इतना कहना पर्याप्त है कि आचार्य पूज्यपादके द्वारा ऐसे सूत्रकी रचना होना सम्भव प्रतीत नहीं होता बिससे जैनधर्मके आत्माका ही हनन होता है। आचार्य पूज्यपादकी उक्त रचनामें पर्याप्त हेर-फेर हुआ है यह उसके दो प्रकारके सूत्रपाठोंसे ही विदित होता है, अतः यही सम्भव प्रतीत होता है कि किसीने अपने अभिग्राहकी पुष्टिके लिए इस सूत्रको भी उनके नामपर चढ़ानेकी चेष्टा की है।

यह तो स्पष्ट है कि शरीरमें रोग उत्पन्न होनेपर केवल उसका उपचार करना ही पर्याप्त नहीं होता, किन्तु जिन चाहे परिस्थितियोंके कारण उसकी उत्पत्ति होती है उनका निराकरण करना भी आवश्यक हो जाता है। जैनधर्ममें जातिवादरूपी रोगके प्रवेश करनेका कारण न तो जैनधर्मका अध्यात्म पक्ष है और न व्यवहार पक्ष ही उसका कारण है। यह संकामक रोग है जो बाहरसे आकर जैनधर्ममें प्रविष्ट हुआ है। इस स्तरको आचार्य पूज्यपादके उत्तरकालमें हुए आचार्य जटासिंहनन्दिने और भी अच्छी तरहसे अनुभव किया था। उन्होंने देखा कि अभी तक धार्मिक ज्ञेत्रमें ही इसका विरोध हुआ है। जो भूमि इसकी जननी है उसे साफ करनेका अभी प्रयत्न ही नहीं हुआ है। उन्होंने यह अच्छी तरहसे अनुभव किया कि यदि हम धार्मिक ज्ञेत्रको इससे अछूता रखना चाहते हैं तो हमें मुख्यतः सामाजिक ज्ञेत्रकी ओर विशेष रूपसे ध्यान देना पड़ेगा। न होगा वैस न बजेगी वौंसुरी। जातिवादके विरोधकी उनकी यह भूमिका है। तभी तो इस

भूमिका पर लड़े होकर उच्चस्तरसे वे यह चोषित करनेमें समर्थ हुए कि 'शिष्ट पुरुषोंने मात्र व्यवहार चलानेके लिए दया, रक्षा, कृषि और शिल्प-कर्मके आश्रयसे चार बर्ण कहे हैं। अन्य प्रकारसे ये चार बर्ण नहीं बनते।' जातिवादके विरोधका यह चतुर्थ प्रस्थान है। इनके उत्तरकालमें हुए आचार्य रविनेत्र, इरिवंशपुराणके कर्ता आचार्य जिनसेन, प्रभाचन्द्र, अमितिगति और शुभचन्द्र आदि अन्य जितने आचार्योंने जातिवादका निवेदकर गुणपद्धकी स्थापना द्वारा अध्यात्मपद्धको बत्त दिया है उनके उस कथनका समावेश इसी चतुर्थ प्रस्थानके अन्तर्गत होता है।

जातिवाद एक बला है। उसका प्रत्येक सम्बन्ध उपाय द्वारा विरोध होना चाहिए इस तथ्यको अपने-अपने कालकी परिस्थितिके अनुरूप अधिकतर आचार्योंने स्वीकार किया है। पूर्वमें हम जातिवादके विरोधके बिन चार प्रस्थानोंका निर्देश कर आये हैं वे समय-समयपर किये गए उस विरोधके मात्र सूचक हैं। इससे स्पष्ट यूचित होता है कि जैनधर्मकी भूमिका प्रारम्भसे ही जातिवाद, कुलवाद और लिङ्गवादके विरोधकी रही है, क्योंकि जैनधर्मके अध्यात्मपद्ध और तदनुकूल व्यवहारपद्धके साथ इसकी किसी भी अवस्थामें सङ्गति बिठलाना कठिन ही नहीं असम्भव है, क्योंकि धर्मका सम्बन्ध अपनी-अपनी गतिके अनुसार मोहमार्यके अनुरूप होने-वाले आत्मपरिणामोंसे है। उसके होनेमें इनके स्वीकार करनेसे राजमात्र भी सहायता नहीं मिलती।

जातिवादका विरोध और तर्कशास्त्र

यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि महापुराण और परकाल-वर्ती कुछ साहित्यको छोड़कर अन्य जितना प्रमुख जैन साहित्य उपलब्ध होता है उसने जातिवादका विरोध ही किया है। उस द्वारा यह बार-बार स्मरण कराया गया है कि जो मानता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं द्वित्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नपुंसक हूँ, मैं स्त्री हूँ वह मूढ़ है-

आशानी है। बास्तवमें यह आत्मा न ब्राह्मण है, न वैश्य है, न द्वित्रिय है, न शूद्र है, न पुरुष है, न नपुंसक है और न स्त्री है। वह तो एकमात्र ज्ञात्यकस्त्वभाय है। उसका आध्रय लेनेसे ही उसे परमपदकी प्राप्ति हो सकती है, अन्य प्रकारसे नहीं।

किन्तु जैसे-जैसे जैनधर्ममें ज्ञातिवादका प्रभाव बढ़ता गया उसके अनु-सार वे सब मान्यताएँ भी साकार रूप लेती गईं जो ज्ञातिवादको दृढ़मूल करनेमें सहायक हैं। ब्राह्मण धर्मकी एक मान्यता है कि प्रत्येक वर्णकी उत्पत्ति ब्रह्मासे हुई है। उसीने उनके अलग-अलग कर्तव्य कर्म भी निर्धित किये हैं। इसके विपरीत दूसरी मान्यता है कि सृष्टि अनादि है, अतः ब्राह्मण आदि जातियों भी अनादि हैं। ब्राह्मण धर्ममें तो इन मान्यताओंको स्वीकार किया ही गया है, जैनधर्ममें भी ये किसी न किसी रूपमें स्वीकार कर ली गई हैं। महापुराणमें आचार्य जिनसेनने कहा है कि 'नय और तत्त्वको जाननेवाला द्विब्रह्मसरोके द्वारा रची गई सृष्टिको दूरसे ही त्यागकर अनादि द्वित्रियोंके द्वारा रची गई धर्मसृष्टिकी प्रभावना करे। तथा जो राजा इस सृष्टिको स्वीकार कर लें उन्हें यह कहकर कि तीर्थकुरोंके द्वारा रची गई यह धर्मसृष्टि ही सनातन है, सृष्टिके कारणोंको प्रकाशमें लावे।'

यहाँ पर यह स्परशीय है कि एक तो जन्मसे वर्णव्यवस्थाको स्वीकार करनेके अभिग्राहसे आचार्य जिनसेन अनादि द्वित्रिय शब्दका प्रयोग कर रहे हैं। दूसरे भरत चक्रवर्तोंके मुखसे ज्ञातिवादकी स्थापना कराकर उसे तीर्थकुरोंके द्वारा रची गई धर्मसृष्टि बतला रहे हैं। मालूम पड़ता है कि उत्तरकालमें जैन परम्परामें ज्ञातियाँ अनादि हैं यह विचार इसी आधारपर पनपा है, इसलिए यहाँपर ब्राह्मणादि जातियोंकी अनादिता किसी प्रकार घटित हो सकती है या नहीं इसी सम्बन्धमें मुख्यरूपसे विचार करना है।

यह तो है कि ब्राह्मण साहित्यमें ब्राह्मणत्व आदि जातियोंको स्वतन्त्र और नित्य पदार्थ मानकर उनकी अनादिता स्वीकार की गई है और जैन

साहित्यमें जिन आचार्योंने जातियोंको अनादि माना है उन्होंने बीज-बृद्ध न्यायके अनुसार उनकी अनादिता स्वीकार की है। इस प्रकार यद्यपि दोनों परम्पराओंने इनको अनादि माननेके कारण पृथक्-पृथक् दिये हैं तब भी किसी भी प्रकारसे जातियोंको अनादि मान लेने पर जो दोष आते हैं वे दोनों परम्पराओंमें समान रूपसे लागू होते हैं इसमें सन्देह नहीं। उदाहरणार्थ ब्राह्मण परम्पराके अनुसार ब्राह्मण माता पिताके योगसे जो सन्तान उत्पन्न होगी उसीमें ब्राह्मणत्व जातिका सम्बन्ध होकर वह बालक ब्राह्मण कहलावेगा। उसमें किया मन्त्रोंके द्वारा ब्राह्मणत्वके संस्कार करनेसे अन्य कोई नवीनता नहीं उत्पन्न होगी। जैसे यह तथ्य है उसी प्रकार जैन परम्परामें भी जो लोग जातियोंको अनादि मानते हैं उनके अनुसार भी ब्राह्मण माता पिताके योगसे उत्पन्न हुआ बालक ही ब्राह्मण कहलावेगा। उसमें किया-मन्त्रोंके द्वारा संस्कार करनेसे पर भी अन्य कोई (जो ब्राह्मण बनानेमें साधक हो ऐसी) नवीनता नहीं उत्पन्न हो सकेगी।

यह एक दोष है। जातियोंको अनादि माननेपर इसी प्रकार और भी बहुतसे दोष आते हैं जिनका परामर्श प्रमेयकमलमार्टण्ड और न्यायकुमुद-चन्द्रमें विस्तारके साथ किया गया है। जैनधर्ममें जातियोंके नित्य पक्षको किसीने भी स्वीकार नहीं किया है, इसलिए वहाँपर यद्यपि नित्य पक्षको स्वीकार करके ही दोष दिखलाए गये हैं, परन्तु सन्तान पक्षको स्वीकार करनेपर भी वही दोष आते हैं, इसलिए उन ग्रन्थोंमें जातियोंकी अनादिता के खण्डनमें जो प्रमाण उपस्थित किए गये हैं उन्हें क्रमाक देकर संक्षेपमें वहाँपर दिखला देना आवश्यक है—

१. कियाओंका लोप होनेसे ब्राह्मण आदि जातियोंका लोप होना जैसे ब्राह्मण धर्ममें स्वीकार किया गया है उसी प्रकार जिनसेन प्रभृति आचार्य भी मानते हैं। आचार्य जिनसेनने स्पष्ट कहा है कि जो ब्रह्मणादि वर्ण बालोंके लिए कही गई वृत्तिका उल्लंघनकर अन्य प्रकारसे वृत्तिका आश्रय लेता है उसपर राजाको नियन्त्रण रखना चाहिए, अन्यथा प्रजा वर्णसंकर

ही जायगी। इसते विदित होता है कि ब्राह्मण आदि जातियाँ अनादि नहीं हैं।

२. जिस प्रकार गायके साथ अश्वका संयोग होकर सन्तानकी उत्पत्ति नहीं होती, या बटके बीजसे आमकी उत्पत्ति नहीं होती उसी प्रकार ब्राह्मणी के साथ शूद्रका संयोग होकर सन्तान उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। किन्तु ब्राह्मणीसे शूद्रका संयोग होकर सन्तानकी उत्पत्ति देखी जाती है। इससे भी मालूम पड़ता है कि ब्राह्मण आदि जातियाँ अनादि नहीं हैं।

३. ब्राह्मण आदि जातियोंको अनादि माननेपर किसी ब्राह्मणीके वेश्या के घरमें प्रवेश करनेपर उसकी निन्दा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने-मात्रसे उसकी जाति खण्डित नहीं हो सकती। परन्तु लोकमें किसी ब्राह्मणी के वेश्या हो जानेपर उसे जातिच्युति मान लिया जाता है। इससे भी विदित होता है कि ब्राह्मण आदि जातियाँ अनादि नहीं हैं।

४. ब्राह्मण आदि जातियोंको अनादि माननेपर उनके यज्ञोपवीत आदि संस्कार नहीं करने चाहिए और न इस कारण उन्हें द्विजन्मा ही कहना चाहिए। किन्तु हम देखते हैं कि यज्ञोपवीत आदि संस्कार होकर ही उन्हें द्विज सत्ता प्राप्त होती है। इससे भी मालूम पड़ता है कि ब्राह्मण आदि जातियाँ अनादि नहीं हैं।

५. प्रश्न यह है कि ब्राह्मणजाति किसका धर्म है? जीवका स्वाभाविक धर्म तो हो नहीं सकता, क्योंकि सिद्धांतमें इस प्रकारका भेद नहीं देखा जाता। कम्भेर दृष्टिमें उत्पन्न हुआ धर्म भी नहीं हो सकता, क्योंकि कम्भोंमें भी ब्राह्मणजाति -n- आदि भेद नहीं देखे जाते। आचार्य जिनसेनने भी इस तथ्यको स्थीकार किया है। वे कहते हैं कि जाति नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई मनुष्यजाति एक ही है। इसलिए यह जीवका धर्म तो है नहीं। शरीर का धर्म है यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि मनुष्योंका शरीर औदारिक-शरीर नामकर्मके उदयसे बनता है। परन्तु औदारिकशरीर नामकर्ममें ये

मेद नहीं देखे जाते। कर्मशास्त्रमें भी इन भेदोंका उल्लेख नहीं है। इसलिए यह शरीरका भी धर्म नहीं है। उपनयन आदि संस्कारका धर्म है यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसे संस्कारका धर्म माननेपर एक तो संस्कारके पूर्व त्रिवर्णके बालकको शूद्र सत्ता प्राप्त होती है। दूसरे उपनयन संस्कार शूद्र बालक और कन्यामात्रका भी किया जा सकता है। इससे भी मालूम पड़ता है कि ब्राह्मण आदि जातियाँ अनादि नहीं हैं।

६. कोई शूद्र अन्य प्रदेशमें ब्राह्मणरूपसे प्रसिद्धि प्राप्तकर ब्राह्मणपदको प्राप्त कर लेता है। इससे भी मालूम पड़ता है कि ब्राह्मण आदि अनादिसिद्ध स्वतन्त्र जातियाँ नहीं हैं।

ये कुछ दोष हैं जो ब्राह्मण आदि जातियोंको अनादि माननेपर प्राप्त होते हैं। इनको अनादि माननेपर इसी प्रकार और भी बहुतसे दोष आते हैं, इसलिए प्रमेयकमलमार्तंशु और न्यायकुमुदचन्द्रमें जन्मसे वर्णव्यवस्था का खण्डनकर एकमात्र कर्मसे ही उसकी स्थापना की गई है। किन्तु इस कथनका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि कोई भी मनुष्य असत् प्रवृत्ति करने के लिए स्वतन्त्र है। मात्र इस कथनका यह तात्पर्य है कि जिनकी समीक्षीय प्रवृत्ति है वे तो आचारका सम्यक् प्रकारसे पालन करें ही। साय ही लोकमें जो पतित शूद्र माने जाते हैं उन्हें भी सब प्रकारके सम्यक् आचारके पालन करनेका अधिकार है। आचार किसी वर्णविदीषकी वपौती नहीं है। जिससे उसपर किसी एक वर्णका अधिकार माना जाय और किसीको उससे बहिर्भूत रखा जाय। जातिवाद वास्तवमें ब्राह्मणधर्मकी देन है। जैनधर्ममें उसे थोड़ा भी स्थान नहीं है। यह जानकर हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए और सबको ऊपर उठानेमें प्रयत्नशील होना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

वर्णमीमांसा

बट्कर्म व्यवस्था और तीन वर्ण

साधारणतः आजीविका और वर्ण ये पर्यायवाची नाम हैं, क्योंकि वर्णोंकी उत्पत्तिका आधार ही आजीविका है। जैन पुराणोंमें बतलाया है कि कृतयुग के प्रारम्भमें कल्पवृक्षोंका अभाव होनेपर प्रब्रा छुधासे पीड़ित होकर भगवान् ऋषमदेवके पिता नाभिराजके पास गई। प्रब्राके दुखको सुनकर नाभिराज ने यह कह कर कि इस सकट्से प्रब्राका उद्धार करनेमें भगवान् ऋषमदेव विशेषस्वप्से सहायक हो सकते हैं, उसे उनके पास भेज दिया। छुधासे आर्त प्रब्राके उनके सामने उपस्थित होनेपर उन्होंने उसे आसि, मधि, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प इन छह कर्मोंका उपदेश दिया। इससे तीन वर्णोंकी उत्पत्ति हुई। जो आसि विद्याको सीलकर देशकी रक्षा करते हुए उस द्वारा अपनी आजीविका करने लगे वे द्वात्रिय कहलाये। जो कृषिकर्म और वाणिज्यकर्मको स्वीकार कर उनके आश्रयसे अपनी आजीविका करने लगे वे वैश्य कहलाये और जो विद्या और शिल्पकर्मका आश्रय कर उनके द्वारा अपनी आजीविका करने लगे वे शूद्र कहलाये। मधिकर्म किस वर्णका मुख्य कर्म या इसका स्थान निर्देश हमें कही दृष्टिगोचर नहीं हुआ। यह सर्वसाधारण कर्म रहा हो यह सम्भव है। कृष्णादि कर्मोंमें ऋषमनाय बिनने प्रब्राको लगाया इस मतका उल्लेख सर्व प्रथम स्वामी समन्तभद्रने किया है। इसके बाद अधिकतर पुराणकारोंने इस कथनकी पुष्टि की है। साथ ही वे स्पष्ट शब्दोंमें यह भी घोषित करते हैं कि ऋषम बिनने केवल छह कर्मोंका ही उपदेश नहीं दिया। किन्तु उन्होंने उन कर्मों के आधारसे तीन वर्णोंकी स्थापना भी की। मात्र हरिवंशपुराण, वराङ्गचरित और यशस्तिलकचम्पू इसके अपवाद हैं। वराङ्गचरितमें बतलाया है कि एक दिन सभामें बैठे हुए वराङ्ग सम्माट्ने मलिनचित्तवाले सभासदों के मनोविनोदके लिए जन्मसे वर्ण व्यवस्थाका निषेध करते

हुए कर्मसे वर्णव्यवस्थाका समर्थन किया। उसमें घट्कर्मव्यवस्था और तीन वर्ण कक्षसे लोकमें प्रसिद्ध हुए तथा इनकी परिपाठी किसने चलाई वह कुछ भी नहीं बतलाया गया है। इसी प्रकार यशस्तिलकचम्पूमें यह स्पष्ट कहा गया है कि वर्णाभिमधर्म आगमसम्मत नहीं है। वेद और मनुस्मृति आदिके आधारसे यह लोकमें प्रसिद्ध हुआ है। जो कुछ भी हो, यह स्पष्ट है कि कमसे कम स्वामी समन्तभद्रके कालसे जैन परम्परामें यही मत अधिक प्रसिद्ध है कि घट्कर्मव्यवस्थाके आदि स्थान भगवान् कृष्णदेव ही हैं। तथा पुराणकालमें वे तीन वर्णोंके स्थान भी मान लिए गये।

सोमदेवसूरि और चार वर्ण

यह तो सुविदित है कि सोमदेवसूरि अपने कालके बड़े भारी लोक-नीतिके जानकार बिद्वान् हो गये हैं। यशस्तिलकचम्पू जैसे महाकाव्य और नीतिवाक्यामूर्त जैसे राजनीतिगमिति शास्त्रका प्रश्नायन कर उन्होंने साहित्यिक जगत्में अमर कीर्ति उपार्जित की है। इस द्वारा उन्होंने संसारको यह स्पष्टरूपसे दिखला दिया है कि स्वाध्याय और ध्यानमें रत जैन साधु भी लोकनीतिके अधिवक्ता हो सकते हैं। क्या राजनीति और क्या समाजतन्त्र इनमेंसे जिस विषयको उन्होंने स्पर्श किया है उसे स्वच्छ दर्पणमें प्रतिवेक्षित होनेवाले पदार्थोंके समान खोलकर रख दिया है यह उनकी प्रतिभाकी सबसे बड़ी विशेषता है। उनके साहित्यका आखोटन करनेसे उनमें को गुण हृषिगोचर होते हैं उनमें निर्भयनामक गुण सबसे प्रधान है। जिस तत्त्वका उन्होंने विवेचन किया है उसपर वे निर्भयताकी छाप बराबर छोड़ते गये हैं। लौकिकधर्मका जैनीकरण करते हुए भी व्यापोद्वश उसे वे जैन आगमसम्मत माननेके लिए कमी भी तैयार नहीं हुए। उन्होंने यह उपदेश अवश्य दिया है कि जैनोंके लिए सब लौकिकविधि प्रमाण है और इस लौकिकविधिके भीतर वे जातिवादके उन सब तत्त्वोंको प्रश्न देनेमें पीछे नहीं रहे हैं जो ब्राह्मण धर्मकी देन है। पर उन्होंने यह उपदेश यह कहकर

नहीं दिक्षा है कि यह वीतराग मगवान् महावीरकी वाणी है, उसे इस रूपमें प्रमाण मानकर आचरणमें लाओ। किन्तु यह कहकर उसका उपदेश दिया है कि लौकिक दृष्टिसे इसे प्रमाण मान लेनेमें बत और सम्यक्त्वकी हानि नहीं है। स्पष्ट है कि उन्होंने पारलौकिक (बैन) वर्मसे लौकिक (ब्राह्मण) वर्मको पृथक् करके ही उसका विवान किया है। न तो वे स्वयं अधेरेमें हैं और न दूसरोंको अधेरेमें रखना ही चाहते हैं। यद्यपि सर्वप्रथम आचार्य विनसेनने ही ब्राह्मणवर्मके क्रियाकालडको अपनाया है। परन्तु आचार्य विनसेनकी प्रतिपादनशैलीसे इनकी प्रतिपादनशैलीमें मौलिक अन्तर है। आचार्य विनसेन वहाँ भरत चक्रवर्ती जैसे महापुरुषको माण्डम बनाकर ब्राह्मणवर्मके लौकिक क्रियाकालडको मुख्यता देकर आवक्षर्म और मुनिवर्मको गौण करनेका प्रयत्न करते हुए प्रतीत होते हैं वहाँ सोमदेवसूरि उसे अपनानेके लिए इस मार्गको पसन्द नहीं करते। वे स्पष्ट कहते हैं कि वह सब क्रियाकालड जैन आगममें नहीं है, भूति और सृष्टिमें है। इतना अवश्य है कि लौकिक दृष्टिसे इसे स्वीकार कर लेने पर न तो सम्यक्त्वमें दोष आता है और न व्यतोमी ही हानि होती है। यही कारण है कि लौकिक और पारलौकिक वर्मके विषयमें तथा वर्णाव्यवस्थाके विषयमें उन्होंने जो विचार रखे हैं वे सुरक्षा स्थितिको अभिव्यक्त करनेवाले होनेसे मननीय हैं। अतुरिक्तवर्ममूर्में वे कहते हैं—

‘शृङ्खला वर्म दो प्रकारका है—लौकिकवर्म और पारलौकिकवर्म। लौकिकवर्मका आचार लोक है और पारलौकिक वर्मका आचार आगम है। ब्राह्मण जादि सब वातिकाँ जानादि हैं और उनकी क्रियाएँ भी जानादि हैं। इसमें वेद और शास्त्रान्तरों (ब्राह्मण, आरण्यक और मनुस्मृति आदि) को प्रमाण मान लेनेमें इमर्ग (जैनोंका) कोई हानि नहीं है। रक्तोंके समान वर्म आपनी आपनी जातिके आचारमें ही गुह्य हैं। किन्तु उनके आचार-व्यवहारके लिए जैनागमविधि उत्तम है। संसार भ्रमणसे मुक्तिका क्षरण वेद जादि द्वारा उपविष्ट वर्णाव्यवस्थाको मानना उचित नहीं है और संसार

का व्यवहार स्वतःसिद्ध होते हुए उसमें आगमकी तुहाई देना भी व्यर्थ है। ऐसी सब लौकिक विधि, जिससे सम्यक्त्वकी हानि नहीं होती और ब्रतोंमें दूषण नहीं लगता, जैनोंको प्रमाण है।'

अपने इस कथनकी पुष्टिमें वे नीतिवाक्यामृतमें पुनः कहते हैं—

‘चार वेद हैं। शिळा, कल्प, व्याकरण, निष्कृत, छन्दस् और ज्योतिष ये छह उनके अङ्ग हैं। ये दस तथा इतिहास, पुराण, मीमांसा, न्याय और धर्मशास्त्र ये चौदह विद्यास्थान प्रयो कहलाते हैं। त्रियोंके अनुसार वर्ण और आश्रमोंके धर्म और अधर्मकी व्यवस्था होती है। स्वपञ्चमें अनुराग होनेसे तदनुकूल प्रवृत्ति करते हुए सब मिल कर लोकव्यवहारमें अधिकारी हैं। धर्मशास्त्रस्य स्मृतियाँ वेदार्थका संग्रह करनेवाली होनेसे वेद ही हैं। अध्ययन, यज्ञ और दान ये ब्राह्मण, द्वित्रिय और वैश्य वर्णोंके समान धर्म हैं। तीन वर्ण द्विजाति हैं। अध्यापन, याज्ञ और प्रतिग्रह ये मात्र ब्राह्मणोंके कर्म हैं। प्राणियोंकी रक्षा करना, शख्स द्वारा आबीविका करना, सज्जनोंका उपकार करना, दीनोंका उपकार करना और रणसे विमुख नहीं होना ये द्वित्रियोंके कर्म हैं। कृषि आदिसे आबीविका करना, निष्कृतभावसे यह आदि करना, अभिशाला खोलना, प्याउका प्रबन्ध करना, धर्म करना और वाटिका आदिका निर्माण करना ये वैश्योंके कर्म हैं। तीन वर्णोंके आश्रयसे आबीविका करना, बड़ईगिरी आदि कार्य करना तथा नृत्य, गान और भिन्नुओंकी सेवा-जुट्भूषा करना ये शृद्धवर्णोंके कर्म हैं। जिनके यहाँ एक बार परिणयन व्यवहार होता है वे सच्छ्रद्ध हैं। जिनका आचार निर्दोष है; जो यह, पात्र और वस्त्र आदिकी सफाई रखते हैं तथा शरोरको शुद्ध रखते हैं वे शृद्ध हो कर भी देव, द्विज और तपस्त्रियोंकी परिचयों करनेके अधिकारी हैं। कूरभावका त्याग अर्थात् अहिंसा, सत्यवादिता, परघनका त्याग अर्थात् अचौर्य, इच्छापरिमाण, प्रतिलोम विवाह नहीं करना और निषिद्ध विषयोंमें ब्रह्मचर्य रखना यह चारों वर्णोंका समान धर्म है। जिस प्रकार सर्वका दर्शन सबको समानरूपसे होता है उसी प्रकार अहिंसा आदि उक्त

धर्म सबके लिए साधारण है। मात्र विशेष अनुष्ठानमें नियम है। अर्थात् प्रत्येक वर्णका धर्म अलग अलग है। आपने-आपने आगममें जो अनुष्ठान कहा है वह यतियोंका स्वर्धम है। आपने धर्मका व्यतिक्रम दोने पर यतियोंको आपने आगममें जो प्रायश्चित्त कहा है वह विधेय है। जो जिस देवका अद्वालु हो वह उस देवकी प्रतिष्ठा करे। भक्तिके बिना की गई पूजाविधि तत्काल शापका कारण होती है। तथा वर्णाश्रमवालोंकी आपने आचारसे च्युत होने पर त्रयीके अनुसार शुद्धि होती है।¹

यह सोमदेव सूरिका कथन है जो उन्हींके शब्दोंमें यहाँ पर उपस्थित किया गया है। वे लौकिकधर्म अर्थात् वर्णाश्रम धर्मका आधार एकमात्र श्रुति (वेद) और स्मृति (मनुस्मृति)को मानते हैं। वे यह स्वीकार नहीं करते कि तीन वर्णोंकी स्थापना भगवान् ऋषभदेवने और ब्राह्मणवर्णकी स्थापना भरत चक्रवर्तीने की थी। जैसा कि स्वामी समन्तभद्रने कहा है यह बहुत सम्भव है कि भगवान् ऋषभदेवने प्रजाओं मात्र कृषि आदि कर्मों का उपदेश दिया हो और कालान्तरमें आजीविकाके कारण संश्रयकी स्थिति उत्पन्न होने पर क्रमसे वर्णव्यवस्थाका विकाश होकर उनके अलग अलग कर्म निश्चित हुए हों। यह जैनोंमें प्राचीन कालसे स्वीकृत रही है या ब्राह्मणधर्मके सम्बन्धसे भारतवर्षमें इसका प्रचार हुआ है यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैनधर्मकी वर्णाश्रमधर्म संज्ञा नहीं है, आठवीं-नौवीं शताब्दिके पूर्वके जैन साहित्यमें किसी भी प्रकारसे चार वर्ण और उनके अलग अलग कर्मोंका उल्लेख तक नहीं हुआ है, आठवीं शताब्दिसे लेकर जिन्होंने इनका उल्लेख किया भी है वे परस्परमें एकमत नहीं हैं और योग्यताके आधार पर जैनधर्ममें जो रक्षात्रयधर्मके प्रतिपादन करनेकी प्रक्रिया है उसके साथ इसका मेल नहीं खाता। इससे तो ऐसा ही मालूम पड़ता है कि वर्णाश्रमधर्म धूर्व कालमें जैनोंमें कभी भी स्वीकृत नहीं रहा है। यह ब्राह्मणधर्मकी प्रकृति और स्वरूपके अनुरूप होनेसे उत्तीकी आपनी विशेषता है। यद्यपि यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि आचारोंमें इस

प्रकारका मतभेद तो आवकांके वारह ब्रतों और अन्य तत्त्वोंके प्रतिपादनमें भी देखा जाता है। उदाहरणार्थ आचार्य कुन्टकुन्द समाधिमरणको आवक के वारह ब्रतोंके अन्तर्गत मानते हैं। जब कि अन्य आचार्य उसका वारह ब्रतोंके बाहर स्वतन्त्ररूपमें उल्लेख करते हैं। इसलिए यदि वर्णाधर्मधर्मके विषयमें जैनाचार्योंमें परस्परमें मतभेद देखा जाता है तो इतने मात्रसे वह पूर्व कालमें जैनोंमें स्वोकृत नहीं रहा है यह कैसे कहा जा सकता है? प्रश्न मार्भिक है। उसका समाधान यह है कि जैनाचार्योंमें जैसा मतभेद आवकोंके वारह ब्रतों या अन्य तत्त्वोंके प्रतिपादन करनेमें देखा जाता है, यह मतभेद उस प्रकारका नहीं है। यह मतभेद मात्र प्रतिपादनकी शैली पर आधारित है जब कि यह मतभेद तात्त्विक भूमिकाके आधित है। इस विषयका स्पष्टरूपसे समझनेके लिए हम एक उदाहरण देते हैं।

इस समय हमारे देशमें डा० राजेन्द्रप्रसादजी राष्ट्रपति और पण्डित जवाहरलाल नेहरु प्रधान मन्त्री हैं। इन विषयमें यदि योग्यताके आधार से विचार किया जाय तो दोनों ही गण्डियां और प्रधानमंत्री बननेके लायक हैं। इतना ही नहीं, विश्वका कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति और देशभेदका विचार किये बिना इन पदोंको प्राप्त करनेका अधिकारी है। इसे और भी स्पष्ट करके कहा जाय तो यह कहनेमें सकौच नहीं होता कि विश्वका प्रत्येक मनुष्य धार्मिक और लौकिक हण्डिसे उच्चसे उच्च पद प्राप्त करनेका अधिकारी है। इतना ही नहीं, विश्वके अन्य जिन प्राणियोंमें धर्माधर्मको समझनेकी योग्यता है वे भी अपनी-अपनी नैसर्गिक परिस्थितियोंके अनुरूप अपनेअपने जीवनमें धर्मका विकाश कर सकते हैं। धर्म धारण करनेका ठेका केवल अमुक वर्गके मनुष्यों तक ही संमित नहीं है। यह जैनधर्मकी भूमिका है। इसी भूमिकासे उसने चारों गतियोंमें यथायोग्य धर्मको स्वीकार किया है जिसका विस्तृतरूपसे विचार हम पहले कर आये हैं।

किन्तु लौकिक भूमिका इससे भिन्न है। उसका विकाश मुख्यतया दो सिद्धान्तोंके आधारसे हुआ है—एक राबतन्त्र और दूसरा गणतन्त्र।

राजतन्त्रमें जन्मसे ही एक व्यक्ति समाजके सञ्चालनका और राज्यका कर्ता भर्ता मान लिया गया है। समाजको उसमें ननु न च करनेका अधिकार नहीं है। ब्राह्मणधर्मके अनुसार वर्णांश्रम धर्मकी स्थापना मुख्यतया इसी भूमिका पर हुई है। एक शूद्र मनुष्य ब्राह्मण वर्णके कर्तव्योंका पालन कर्यों नहीं कर सकता इस प्रश्नको वहाँ कोई आवकाश नहीं है। यदि वह जन्मसे शूद्र है तो उसे जीवनभर शूद्र वर्णके लिए निश्चित किये गये धर्मका पालन करना ही होगा, अन्यथा वह राजा के द्वारा उसी प्रकार दण्डका अधिकारी है जिस प्रकार कोई व्यक्ति हिंसादि पाप करने पर उसका अधिकारी होता है। यह वर्णांश्रमधर्मकी भूमिका है। किन्तु जैनधर्ममें इस भूमिकाके लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इस भूमिकाके अनुसार योग्यता, व्यक्तिस्वातन्त्र्य और स्वावलम्बनके सिद्धान्तका सर्वथा इनन होता है। अतएव ब्राह्मणधर्म वर्णव्यवस्थाको जिस प्रकार जन्मसे स्वीकार करता है उस प्रकार जैनाचार्य उसे जन्मसे स्वीकार नहीं करते। वे इसे मोक्षमार्गके सर्वथा विशद मानते हैं। महापुराणके कर्ता आचार्य जिनसेन इसके अपवाद है। परन्तु इसके साथ सोमदेव सूरिके कथनानुसार यह भी निश्चित है कि जन्मसे वर्णव्यवस्थाका कथन न तो ऋषभदेवने किया था और न भरत चक्रवर्तीने ही। उसका आधार ये महापुरुष न होकर श्रुति और स्मृति ही हैं।

लौकिक व्यवस्थाका दूसरा आधार गणतन्त्र है। यह तो मानी हुई बात है कि कौन व्यक्ति क्या बने और क्या न बने इसके निर्णयका अधिकार दूसरे के हाथमें नहीं है। किन्तु वहाँ पर सामाजिक व्यवस्थाका प्रश्न है। अथोत् सबको मिलकर बाह्य साधनाके आधारसे परस्पर निर्वाहकी ऐहिक व्यवस्था करनी होती है वहाँ पर प्रत्येक व्यक्तिको एक समान योग्यताको स्वीकार करनेके बाद भी उसके सञ्चालनके लिए सबके सहयोगसे कुछ ऐसे नियम बनाये जाते हैं जो किसी हद तक प्रत्येक व्यक्तिकी आकाश्वा पूर्तिमें सहायक होते हैं। साथ ही किसी हद तक सब व्यक्तियोंपर नियन्त्रण भी स्थापित

करने हैं। यह व्यवस्था ब्राह्मणधर्मके सर्वथा विरुद्ध है इसमें सन्देह नहीं। जैनधर्मकी अपेक्षा इतना ही कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक लेखमें यह ग्राह्य न होकर भी सामाजिक लेखमें व्यवहारसे मान्य ठहराई गई है। इसलिए ऋषभदेवने तीन वर्णकी और भरत चक्रवर्तीने ब्राह्मणवर्णकी स्थापना जैसा कि सोमदेव सूरि कहते हैं एक तो की न होगी और यदि की भी होगी तो वह ऊपरसे नहीं लादी गई होगी। किन्तु उन्होंने कर्मके अनुसार नामकरण करके यह प्रजाके ऊपर क्षेत्र दिया होगा कि वह अपने-अपने कर्मके अनुसार उस-उस वर्णको स्वीकार कर ले।

सारलूपमें यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि महापुराणमें जो बन्मसे वर्णव्यवस्था और गर्भाधानादि तिरेपन कियाओं का उपदेश है उसे सोमदेव सूरि भरत चक्रवर्तीके द्वारा उपदिष्ट जर्म नहीं मानते। वे स्पष्ट कहते हैं कि यह लौकिक विधि है, इसलिए इसे वेद और मनुस्मृति आदि ग्रन्थोंके आचारसे प्रमाण मानना चाहिए। आत्मशुद्धिमें प्रयोगक जैनागमके आचारसे इसे प्रमाण मानना उचित नहीं है। तात्पर्य यह है कि शूद्रोंका उपनयन आदि संस्कार नहीं हो सकता, वे अध्ययन, यज्ञन और दान आदि कर्म करनेके अधिकारी नहीं हैं, उन्हें यजोपवीत पूर्वक आवकधर्मकी ठीक्का और मुनिदीक्षा नहीं दी जा सकती; वे स्वयं चाहें तो सन्यास पूर्वक मरण होने तक एक राटकज्ञतको स्वीकार करके रहे इत्यादि जितना कथन आचार्य विनसेनने किया है वह सब कथन सोमदेव सूरि के अभिप्रायानुसार उन्होंने वेद और मनुस्मृति आदि ग्रन्थोंके आचारसे ही किया है, उपासकाध्ययनसूत्रके आचारसे नहीं। कश्मनाय तीर्थङ्कुरने अपनी दिव्यध्वनि द्वारा जब ब्राह्मणवर्ण और गर्भनिवय आदि कियाओंका उपदेश ही नहीं दिया था। वहिं भरत चक्रवर्तीके द्वारा पृच्छा करने पर उन्होंने इस चेष्टाको एक प्रकारसे अनुचित ही बतलाया था, इसलिए उपासकाध्ययन सूत्रमें ब्राह्मणवर्ण और गर्भनिवय आदि कियाओंका समावेश होना सम्भव भी नहीं है, क्योंकि गणधरोंने बारह अङ्गोंमें केवल तीर्थङ्करोंकी

दिव्यच्चनिका ही संग्रह किया है, भरत चक्रवर्ती आदिके उपदेशका नहीं। इसलिए विचार कर देखा जाय तो इस सम्बन्धमें सोमदेव सुरिने जो कुछ भी कहा है वह यथार्थ प्रतीत होता है। स्पष्ट है कि वर्णाश्रमधर्म जैनधर्म का अङ्ग नहीं है, और इसलिए हम वर्णाश्रमधर्मके आधारसे शूद्रोंके धर्म सम्बन्धी नैसर्गिक अधिकारोंका अपहरण नहीं कर सकते। हम यहाँ उनके यज्ञोपवीत पहिनने या न पहिनने, विवाह सम्बन्धी रीति रिवाज और आजीविकाके साधनोंके विषयमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब सामाजिक व्यवस्थाके अङ्ग हैं, धार्मिक व्यवस्थाके अङ्ग नहीं। इसलिए इस सम्बन्धमें सामाजिक संस्थाओंको ही निर्णय करनेका अधिकार है और वे कर भी रही हैं। पर आत्मशुद्धिके लिए पूजा करना, दान देना, शाश्वत स्वाध्याय करना तथा गृहस्थधर्म और मुनिधर्मको स्वीकार करना आदि जितने धार्मिक कर्तव्य हैं, जैनागमके अनुसार वे उनके अधिकारी रहे हैं, हैं और रहेंगे। आगमकी और धर्मकी दुहाई दे कर जो उनको इन कर्मोंसे रोकनेकी चेष्टा करते हैं, वात्तव्यमें वे धर्म और आगमकी अवहेलना करते हैं, वे नहीं जो उनके इन नैसर्गिक अधिकारोंको स्वीकार करते हैं।

शूद्र वर्ण और उसका कर्म—

चार वर्णोंमें एक वर्ण शूद्र है यह हम पहले ही बतला आये है। साथ ही वहाँ पर उसके विद्या और शिल्प इन दो कर्मोंका भी उल्लेख कर आये हैं। किन्तु शूद्रवर्णके मात्र ये ही कर्म हैं इस विषयमें मतभेद देखा जाता है, अतः यहाँपर इस विषयकी साझोपाझ़ चरचा कर लेना आवश्यक है। इस दृष्टिसे विचार करते समय सर्व प्रथम हमारी दृष्टि वराहान्नरित पर जाती है। उसमें अन्य वर्णोंके कर्मोंका निर्देश करते हुए शूद्रवर्णोंका एकमात्र शिल्पकर्म बतलाया गया है। उसके बाद पद्मपुराणका स्थान है।

बटासिंहनन्दिके समान आचार्य रविषेण जन्मसे किसी वर्णको स्वीकार नहीं करते इसीसे तो स्पष्ट है कि उन्होंने जन्मसे वर्णव्यवस्थाका बड़े ही समर्थ शब्दोंमें

खण्डन किया है। वे कहते हैं कि 'वेदमन्त्र और अग्निसे संस्कारित होकर शरीरमें कोई अतिशय उत्पन्न हो जाता है यह बात हमारे ज्ञानके बाहर है। मनुष्य, हाथी, गधा, गाय और घोड़ा इसप्रकारका जातिमेद तो है, पर मनुष्योंमें ब्राह्मण, द्वाचिय, वैश्य और शूद्र इस प्रकारका जातिमेद नहीं है, क्यों कि तथाकथित दूसरी जातिके मनुष्य द्वारा दूसरी जातिकी लीमें गर्भ धारण करना और उससे सन्तानकी उत्पत्ति होती हुई देखी जाती है। पशुओंमें प्रयत्न करने पर भी एक जातिका पशु दूसरी जातिकी लीके साथ संयोग कर सन्तान उत्पन्न नहीं करता। किन्तु सब मनुष्योंकी स्थिति इससे भिन्न है, इसलिए जन्मसे वर्ण न मान कर कर्मके आधारसे वर्ण मानना ही उचित है।' यह उनके कथनका सार है। इतना कहनेके बाद उन्होंने चार वर्ण लोकमें क्यों प्रसिद्ध हुए इसके कारणका निर्देश करते हुए वैश्यवर्ण और शूद्रवर्णके विषयमें कहा है कि 'बिन्दोने लोकमें शिल्पकर्ममें प्रवेश किया उनकी भगवान् ऋषभदेवने वैश्य संज्ञा रखी और जो श्रुत अर्थात् सदागमसे भाग लहे हुए उन्हें उन्होंने शूद्र शब्द द्वारा सम्बोधित किया।' दूसरे स्थान पर उन्होंने यह भी कहा है कि 'जो द्वाचिय और वैश्यवर्णके कर्मोंको सुनकर लजित हुए और नीचकर्म करने लगे वे शूद्र कहे गये। प्रेष्य आदि उनके अनेक भेट हैं।' इसके बाद हरिवंशपुराणका स्थान है। इसमें शूद्रवर्णके कर्मका निर्देश करते हुए बतलाया है कि 'जो लोकमें शिल्पादि कर्म करने लगे वे शूद्र कहलाये।' हरिवंशपुराणके अनुसार भगवान् ऋषभदेवने तीन वर्णोंकी उत्पत्ति की ऐसा बोध नहीं होता, क्यों कि उसमें भगवान् ऋषभदेवने छह कर्मोंका उपदेश दिया यह कहनेके बाद 'आपत्तिसे रक्षा करनेके कारण द्वाचिय हो गये, वाणिज्यके योगसे वैश्य होगये और शिल्पादिके सम्बन्धसे शूद्र हो गये' इतना ही कहा है।

इसके बाद महापुराणका स्थान है। इसमें बतलाया है कि 'आदि ब्रह्मा ऋषभदेवने छह कर्मोंका उपदेश देनेके बाद तीन वर्णोंकी सृष्टि की।' शूद्रवर्णका कर्म बतलाते हुए वहाँ कहा है कि 'जो द्वाचिय और वैश्यवर्णकी

शुश्रूषा करते हैं वे शूद्र कहलाये। इनके दो... है—कारु और अकारु। कारु शूद्रोंके भी दो भेट है—स्पृश्य और अस्पृश्य। जो प्रजाके बाहर रहते हैं वे अस्पृश्य शूद्र हैं और नाईं आदि स्पृश्य शूद्र हैं।' आगे पुनः चार वर्णोंके कमोंका निर्देश करते हुए शूद्रोंके विषयमें वहों बतलाया है कि 'नीचबृत्तिमें नियत हुए शूद्रोंको आदि ब्रह्मा ऋषभदेवने अपने दोनों पैरोंके आश्रयसे रचा।' शूद्रोंके कारु और अकारु तथा स्पृश्य और अस्पृश्य ये भेट केवल महापुराणमें ही किये गये हैं। महापुराणके पूर्ववर्ती वराक्ष-चरित, पश्चिमपुराण आंर हरिवंशपुराणमें ये भेट हांगिगोचर नहीं होते। महापुराणमें विचाह, जातिसम्बन्ध और परस्पर व्यवहार आदिके विषयमें और भी बहुतसे नियम हांगिगोचर होते हैं जिनका उल्लेख पूर्ववर्ती आचार और पुराणग्रन्थोंमें नहीं किया गया है। शूद्रोंका उपनयन आदि संस्कार नहीं करना चाहिए, आर्य पट्कर्मके भी वे अधिकारी नहीं हैं। तथा दीद्वा योग्य केवल तीन वर्ण हैं इन सब चातोंका विधान भी महापुराणमें ही किया गया है, इससे पूर्ववर्तीं किसी भी आचार और पुराण ग्रन्थमें नहीं। स्पष्ट है कि शूद्रवर्ण और विवाह आदिके विषयमें ये सब परम्पराएँ महापुराण कालसे प्रचलित हुईं हैं।

इसके बाद उत्तरपुराणका स्थान है। इसमें जो मनुष्य शुक्लध्यानको नहीं प्राप्त होते उन सबको शूद्र कहा है। इस लक्षणके अनुसार इस पञ्चम कालमें चारों वर्णोंके बितने भी मनुष्य हैं वे सब शूद्र ठहरते हैं। इतना ही नहीं, चतुर्थकालमें जो मनुष्य शुक्लध्यानको नहीं प्राप्त हुए वे भी शूद्र ठहरते हैं। आचार्य गुणभद्रने शूद्रवर्ण और इतर तीन वर्णोंके मध्य भेदक रेखा शुक्लध्यानके आधारसे खींची है यह इसका तात्पर्य है। पण्डित प्रबर आशाधर जी इसी व्याख्याको प्रमाण मानते हैं।

उत्तरपुराणके बाद यशस्तिलकचम्पूका स्थान है। इसके कर्ता सोमदेवसूरिने स्पष्ट कह दिया है कि चार वर्ण और उनके कर्म यह सब लोकिक धर्म है और इसका आधार वेद और मनुस्मृति आदि ग्रन्थ हैं।

जैन आगममें मात्र अलौकिक धर्मका उपदेश है जो इससे सर्वथा भिन्न है। इतने विवेचनसे निष्कर्ष रूपमें बो तथ्य सामने आते हैं उनका विवरण इस प्रकार है—

१. तीन वर्णोंके कर्मके विषयमें प्रायः सब आचार्य एकमत हैं। केवल पश्चपुराणके कर्ता आचार्य रविषेण वैश्योंका मुख्य कर्म शिल्प बतलाते हैं।

२. शूद्रवर्णके कर्मके विषयमें आचार्योंमें मतभेद है। वराहाचरितके कर्ता जयसिंहनन्द और हरिवंशपुराणके कर्ता जिनसेन शिल्पको शूद्र वर्णका कर्म बतलाते हैं। तथा पश्चपुराणके कर्ता रविषेण और महापुराणके कर्ता जिनसेन नीच तृतीकों शूद्रवर्णका कर्म बतलाते हैं। आचार्य जिनसेनने यह तो नहीं कहा कि विद्या और शिल्प ये शूद्र वर्णके कर्म हैं। किन्तु इनके द्वारा आबीविका करनेवालेको वे दीक्षाके अयोग्य बतलाते हैं इससे विटित होता है कि इन कर्मोंको करनेवालेको भी वे शूद्र मानते रहे हैं।

३. आचार्य गुणभद्र चारों वर्णोंके कर्मोंका निर्देश न कर केवल इतना ही कहते हैं कि जिनमें शुद्धध्यानके हेतु जातिनामकर्म और गोत्रकर्म पाये जाते हैं वे तीन वर्ण हैं और शेष सब शूद्र हैं। साथ ही वे यह भी स्वीकार करते हैं कि भरत और ऐरावत द्वेत्रमें तीन वर्णोंकी सन्तति केवल चतुर्थ कालमें प्रचलित रहती है। इसलिए उनके मतानुसार तात्पर्य रूपमें यह मान सकते हैं कि इन द्वेत्रोंमें चतुर्थ कालके सिवा अन्य कालोंमें सब मनुष्य मात्र शूद्र होते हैं।

४. सोमदेव सूरि जैनवर्ममें वर्ण व्यवस्थाको स्वीकार ही नहीं करते। वे इसे लौकिक धर्म कहकर इसका सम्बन्ध वेद और मनुस्मृतिके साथ स्थापित करते हैं।

५. यह तो चार वर्णोंको स्वीकार करने और न करने तथा उनके कर्मोंके विषयमें मतभेदकी बात हुई। दूसरा प्रश्न वर्णोंको जन्मसे मानने और न माननेके विषयमें है। सो इस विषयमें एकमात्र महापुराणके कर्ता

जिनसेनको छोड़कर पूर्वोंक शेष सब आचार्य वर्ण व्यवस्थाको जन्मसे न मानकर कर्मसे ही मानते हैं। आवकधर्म और मुनिधर्मको दीक्षाके विषयमें भी यही इतना है। अर्थात् महापुराणके कर्ता आचार्य जिनसेन एकमात्र यह मानते हैं कि शदृश वर्णके मनुष्य आवकधर्म और मुनिधर्मकी दीक्षाके अध्योग्य हैं। किन्तु पूर्ववर्ती और उत्तर कालवर्ती शेष आचार्य ऐसा नहीं मानते। सोमदेवसूरि और परिषदत प्रवर आशाधरजीने यदि शदृशको दीक्षाके अध्योग्य कहा भी है तो वह केवल सामाजिक दृष्टिसे ही मोक्षमार्गकी दृष्टिसे नहीं। उत्तर समस्त कथनका निष्कर्ष यह है कि जैनधर्ममें वर्ण व्यवस्थाको रक्षमात्र भी स्थान नहीं है। यदि जैनधर्मके अनुयायी लौकिक दृष्टिसे उसे स्वीकार भी करते हैं तो उसे कर्मके आधारसे ही स्वीकार किया जा सकता है, जन्मसे नहीं।

वर्ण और विवाह—

समाजमें विवाहका उतना ही महत्व है जितना अन्य कर्मोंका। जिस प्रकार आजीविकाकी समुचित व्यवस्था किये जिना समाजमें स्थिरता आनेमें कठिनाई जाती है उसी प्रकार जियों और पुरुषोंके परस्पर सम्बन्धका समुचित विचार किये जिना स्वस्थ और सदाचारी समाजका निर्माण होना असम्भव है। मोक्षमार्गमें वहाँ भी ब्रह्मचर्य अगुणतका उल्लेख आया है वहाँ पर केवल इतना ही कहा गया है कि वर्ती आवकको स्वखीसन्तोष या परस्तीत्यागका ब्रत स्वीकार करना मोक्षमार्गकी सिद्धिमें प्रयोगक है। किन्तु वहाँपर स्वस्त्री किसे माना जाय और परस्त्री किसे इसका कोई विवेक नहीं किया गया है। इतना अवश्य है कि इसी ब्रतके अतीचार प्रकरणमें 'विवाह' और 'परिशृहीत' शब्द आते हैं। इसलिए इस आधार से यह माना जा सकता है कि विवाहिता या परिशृहिता स्त्री ही स्वस्त्री हो सकती है, अन्य स्त्री नहीं। तो भी ब्रह्मचर्य अगुणतमें परविवाहकरणकी परिणामना अतीचार रूपसे की जानेके कारण विदित होता है कि विवाह

धर्मका अङ्ग न होकर सामाजिक व्यवस्थाका अङ्ग है। यद्यपि उत्तरकालीन सागारधर्मामृत और लाटीसंहिता आदि ग्रन्थोंमें कन्याके लक्षण, वरके लक्षण और स्वजातिमें विवाह आदि विधि-विधानोंका भी निर्देश किया गया है। तथा त्रिवण्णोचारमें इस पर एक स्वतन्त्र प्रकरण ही लिखा गया है। परन्तु इतने मात्रसे विवाहको मोक्षमार्गमें प्रयोजक चारित्रका अङ्ग नहीं माना जा सकता है, क्योंकि महापुराणमें जैनधर्मका ब्राह्मणीकरण कर देनेके बाद ही चारित्रका प्रतिपादन करनेवाले ग्रन्थोंमें विवाहके सम्बन्धमें इस प्रकारका विधि-विधान किया गया है। इसके पूर्वकालवर्ती आचार ग्रन्थोंमें नहीं।

इस विषयको और स्पष्टरूपसे समझनेके लिए पूजाका उदाहरण लीजिए। पूजाका दूसरा नाम कृतिकर्म है। इसका करना गृहस्थ और मुनि दानोंके लिए आवश्यक है। प्रारम्भमें गृहस्थ पूजामें बाढ़ जलादि द्रव्यका भी आश्रय लेता है। किन्तु जैसे जैसे वह बाढ़ परिग्रहका त्याग करता जाता है वैसे वैसे वह बाढ़ जलादि द्रव्यका आश्रय छोड़ता जाता है और अन्तमें वह भी मुनिके समान मन, वचन और कायके आश्रयसे पूजा करने लगता है। यह पूजाविधि है जो परम्परया मोक्षमें प्रयोजक होनेसे मोक्षमार्गका अङ्ग मानी जाती है। किन्तु इसप्रकार किसी भी शास्त्रकारने विवाहको मोक्षमार्गका अङ्ग नहीं बतलाया है। प्रत्युत यह एक हद तक कामवासना की तृप्तिका साधन होनेसे संसारका ही प्रयोजक माना गया है। परविवाह-करण अतीचार पर टीका करते हुए परिषद्प्रबर आशावरबी कहते हैं कि 'जिसने स्वस्त्रीसन्तोष अणुवत या परखीत्याग अणुवत लिया है उसने यह प्रतिशा की है कि मैं अपनी स्त्रीके सिवा न तो अन्य स्त्रीके साथ मैथुनकर्म करूँगा और न कराऊँगा। ऐसी अवस्थामें परविवाहकरण और मैथुनकरण इनमें कोई फरक न रहनेसे ब्रती आवकके लिए वह निषिद्ध ही है।' परिषद् जीके ये वचन वस्तुस्थितिके सूचक हैं। विवाह होने मात्रसे कोई ब्रह्मचर्याणु-ब्रती नहीं मान लिया जाता। हिंसा न करने, मूठ न बोलने, चोरी न करने

और अर्थके अर्जन करनेके कुछ सामाजिक नियम हैं। यदि कोई गहस्य उन नियमोंको पालन करते हुए विस प्रकार उस उस अणुवत्तको धारण करनेवाला नहीं हो जाता उसी प्रकार सामाजिक विधिके अनुसार केवल विवाह करने तथा उचित रीतिसे उसका पालन करनेमात्रसे कोई ब्रह्मचर्याणु-क्रति नहीं हो जाता। पुराणोंमें खटिरभीलका कथा आई है। अन्य मनुष्यों को मुनिवन्दनाके लिए जाते हुए देख कर वह भी उनके साथ मुनिवन्दना के लिए जाता है। मुनिद्वारा सबको धर्मोपदेश देनेके बाद किसीने कोई व्रत लिया और किसीने कोई व्रत लिया। यह देख कर उसकी भी इच्छा व्रत लेनेकी होती है। वचनालाप द्वारा यह जान लेने पर कि इसने अपने जीवनमें काक पक्षीका वध कभी नहीं किया है, मुनिमहाराजने उसे जीवनपर्यन्तके लिए काक पक्षीके वध न करनेका ही नियम दिया। इस उदाहरणसे स्पष्ट है कि जब तक किसी अपेक्षासे संयमको पुष्ट करनेवाली कोई विधि मांहमार्गके अभिग्रायसे नहीं स्थीकार की जाती तब तक वह धर्मका अङ्ग नहीं बन सकती। यही कारण है कि किसी भी आचार्यने विवाहको धार्मिक अनुष्ठानमें परिगणित नहीं किया है। इतना ही नहीं, ब्रती आवकका 'स्व' का किया गया विवाह भी वैसे ही धार्मिक अनुष्ठान नहीं माना जायगा जैसे उसका धनका अर्जन करना या अणुवत्तोंकी मर्यादाके भीतर असत्य बोलना धार्मिक अनुष्ठान नहीं माना जा सकता।

इस प्रकार विवाह एक सामाजिक प्रथा है यह ज्ञात हो जाने पर इस जातका विचार करना आवश्यक है कि समाजमें केवल सबर्ण विवाह ही मान्य रहे हैं या असबर्ण विवाहोंको भी वही मान्यता मिली है जो सबर्ण विवाहोंको मिलती आई है। हरिवंशपुराणमें कन्याका विवाह किसके साथ हो ऐसा ही एक प्रश्न बसुदेवका स्वयंवर विधिसे रोहिणीके साथ विवाह होनेके प्रसङ्गसे उठाया गया है। वहाँ भतलाया है कि जब गायकके बैपमें उपस्थित बसुदेवके गलेमें रोहिणीने बरमाला ढाल दी तब कुलीनता और अकुलीनताका लेकर

बड़ा हंगामा उठ खड़ा हुआ । स्वयंवर मण्डपमें उपस्थित हुए राजाओंमें तरह तरहकी बाते होने लगीं । कोई इसका समर्थन करने लगे और कोई इसे अपना पराभव मानने लगे । अन्तमें सबको छुभित देखकर बसुदेवने कहा कि 'स्वयंवरको प्राप्त हुई कन्या योग्य वरका वरण करती है । वहाँ कुलीनता और अकुलीनताका सवाल ही खड़ा नहीं होता । ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो लोकमें कुलीन माना जाता है वह सुभग ही होता है और जो अकुलीन माना जाता है वह दुर्भग ही होता है । कुलीनता और अकुलीनताके साथ सौभाग्य और दुर्भाग्यका अविनाभाव सम्बन्ध नहीं है । अतएव लोग शान्त हों ।' हरिवंशपुराणके इस कथनसे विदित होता है कि प्राचीन कालसे ही विवाहमें योग्य सम्बन्धका विचार होता आया है, कुलीनताका नहीं ।

यद्यपि पुराण साहित्यमें कुछ अपवादोंको छोड़ कर अधिकतर उदाहरण सवर्ण विवाहके ही भिलते हैं और एक दृष्टिसे ऐसा होना उचित भी है । किन्तु इसका यदि कोई यह अर्थ लगावे कि समाजमें असवर्ण विवाह कभी मान्य ही नहीं रहे हैं तो उसका ऐसा विचार करना ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें सवर्ण विवाहके साथ असवर्ण विवाहके उदाहरण तो पाये ही जाते हैं । साथ ही ऐसे भी उदाहरण पाये जाते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि व्यभिचारजात कन्याके साथ विवाह होने पर भी न तो समाजमें कोई रुकावट ढाली जाती थी और न उन दोनोंके धार्मिक अधिकार छिननेका ही प्रश्न खड़ा होता था ।

हरिवंशपुराणमें चारदत्त और वसन्तसेनाकी कथा आई है । वसन्त-सेना वेश्या पुत्री होते हुए भी उसके साथ चारदत्तने विवाह किया था । वहाँ वसन्तसेनाके द्वारा अणुवत्थर्म स्वीकार करनेका भी उल्लेख है । इससे योड़ी भिल एक दूसरी कथा उसी पुराणमें आई है । उसमें चतुराया है कि वीरक श्रेष्ठीकी रुचि वनमालाको राजा सुमुखने बलात् अपने घरमें रख लिया और उसे पठानी पद पर प्रतिष्ठित किया । कालान्तरमें उन दोनोंने

मुनिको विचिपूर्वक आहार देकर और पुण्यबन्ध कर उत्तम भोगभूमि प्राप्त की । लगभग हसी प्रकारकी एक कथा प्रवृत्तमनचरितमें आती है । उसमें बतलाया है कि हेमरथ राजाकी पत्नी चन्द्रप्रभाको राजा मधुने बलात् अपहरण कर उसे पट्टरानी बनाया और कालान्तरमें दोनोंने मुनिधर्म और आर्यिंकाके बत स्वीकार कर सद्गति पाई । ये ऐसे उदाहरण हैं जो अपने में स्पष्ट हैं । यहाँ पर अन्तके दो उदाहरण हमने केवल यह बतलानेके लिए उपस्थित किये हैं कि ऐसे व्यक्ति भी, जिन्होंने सामाजिक नियमोंका उल्लंघन किया है, धर्म धारण करनेके पात्र माने गये हैं । इससे धार्मिक विधि-विधानोंका सामाजिक रीति-रिवाओंके साथ सम्बन्ध नहीं है यह स्पष्ट हो जाता है ।

सन्तोपमें उत्त कथनका सार यह है कि मनुस्मृति आदि ब्राह्मण ग्रन्थोंमें विवाहके जो नियम दिये गये हैं उन्हें महापुराणके समयसे लेकर जैन परम्परामें भी स्वीकार कर लिया गया है । परन्तु इतने मात्रसे पूर्व-कालमें उन नियमोंका उसी रूपमें पालन होता था यह नहीं कहा जा सकता । स्पष्ट है कि विवाह सामाजिक प्रथा होनेसे देश, काल और परिस्थितिके अनुसार समाजकी सम्पत्तिपूर्वक उसमें परिवर्तन होता रहता है । महापुराणका यह वचन कि 'किसी कारणसे किसी कुटुम्बमें दोष लग जाने पर राजा आदिकी सम्मतिसे उसे शुद्ध कर लेना चाहिए ।' इसी अभिप्रायको पुष्ट करता है ।

सृष्ट्यास्पृश्य विचार—

यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि महापुराणके पूर्व कालवर्ती बितना जैन पुराण साहित्य उपलब्ध होता है उसमें शूद्रके सुश्य और असृश्य ये भेद हठिगोचर नहीं होते । मात्र सर्वप्रथम महापुराणकी कुछ प्रतियोंमें पाये जानेवाले दो श्लोकोंमें शूद्रके इन भेदोंकी चरचा की गई

है। वहाँ गृहस्थ अवस्थामें राज्य पदका भोग करते हुए भगवान् ऋषभदेव के मुखसे कहलाया गया है कि कारु और अकारुके भेदसे शूद्र दो प्रकार हैं। धोत्रो आदि कारु शूद्र हैं और उनसे भिन्न शेष सब अकारु शूद्र हैं। कारु शूद्र स्पृश्य और अस्पृश्यके भेदसे दो प्रकारके हैं। जो प्रजासे बाहर रहते हैं वे अस्पृश्य शूद्र हैं और नाई आदि स्पृश्य शूद्र हैं। शूद्र वर्णके इन भेदोंकी चरन्वा श्रुतसागर सूरिने षट्-प्रामृतकी टीकामें की है। तथा त्रैवर्णिकाचारमें भी स्पृश्य शूद्रोंके कुछ भेद दृष्टिगोचर होते हैं! कहीं कहीं कारु शूद्रोंके भोज्य शूद्र और अभोज्य शूद्र इन भेदोंका भी उल्लेख मिलता है। तात्पर्य यह है कि महापुराणके बाद किसी न किसी रूपमें उत्तर-कालीन जैन साहित्यमें शूद्रवर्णके स्पृश्य और अस्पृश्य भेदोंको स्वीकार कर लिया गया है। साथ ही महापुराणमें शूद्रोंको यत्किञ्चित् जो भी धार्मिक अधिकार दिये गये हैं उनमें किसी किसीने और भी न्यूनता कर दी है। उदाहरणार्थ महापुराणमें शूद्रमात्रके लिए एक शाटकव्रतका उल्लेख है। किन्तु प्रायश्चित्तचूलिकाकार यह अधिकार सब शूद्रोंका नहीं मानते। वे कहते हैं कि कारुशूद्रोंमें जो भोज्य शूद्र हैं उन्हें ही चुल्लक व्रतकी दीक्षा देनी चाहिए। यहाँ यह स्मरणीय है कि महापुराणमें शूद्रवर्णके अवान्तर भेद राज्यपदका भोग करते हुए भगवान् ऋषभदेवके मुखसे कराये गये हैं और उन्हें एक शाटकव्रत तकका धर्माधिकार भरतव्रततोंके सुखसे दिलाया गया है। यही कारण है कि महापुराणसे उत्तरकालमें जैन-धर्मके मर्मज्ञ गुणभद्र, सोमदेव और आशाधर प्रभृति जो भी कलिपय आचार्य और विद्वान् हुए हैं उन्होंने इस धार्मिक इस्तेज्जेपको पूरे मनसे स्वीकार नहीं किया है। इतना ही नहीं, त्रैवर्णिकाचारके कर्ता सामसेन भद्रारक तकको आगमविहित सत्यका अपलाप करनेमें असर्व छोड़नेसे यह स्वीकार करना पड़ा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण कियाओंके भेदसे कहे गये हैं। जैनधर्मके पालन करनेमें दत्तनित ये सब वन्धुके समान हैं अर्थात् रक्तत्रयर्थर्मको पालन करनेकी दृष्टिसे इनमें नीच-ऊच-

पनका कोई भेद नहीं है। इस अर्थको व्यक्त करनेवाला त्रैवर्णिकाचारका वचन इस प्रकार है—

विप्रवृत्तिष्ठित्शुद्रा प्रोक्तः कियाविशेषतः ।

जैनधर्मे पराः शकास्ते सर्वे वान्धवोपमाः ॥१४२॥ अ० ४॥

जो जिसकी प्रकृति नहीं होती है उसपर बाहरसे प्रकृतिविशद् यदि कोई वस्तु थोपी जाती है तो उसका जो परिणाम होता है ठीक वही परिणाम जैनधर्मपर जन्मसे वर्णव्यवस्थाके थोपनेका हुआ है। किसी मनुष्यको मल-मूत्र साफ करते समय या चारडाल आदिका कर्म करते समय न कुछ आय इसमें किसीको बाधा नहीं है। किन्तु इतने मात्रसे वह और उसका वंश सर्वदा अद्यूत बना रहे और वह धार्मिक अनुष्ठान द्वारा आत्मोत्तिकरनेका अधिकारी न माना जावे इसे जैनधर्म स्वीकार नहीं करता। सोमदेवद्युरिने नीतिवाक्यामृतमें लिखा है कि जिनका आचार शुद्ध है; जो यह, पात्र और वस्त्रादिकी शुद्धिसे युक्त हैं तथा स्नान आदि द्वारा जिन्होंने अपने शरीरको भी शुद्ध कर लिया है वे शूद्र होकर भी देव, द्विज और तपस्वियोंकी पूजा आदि कर्मको करनेके अधिकारी हैं। पण्डित-प्रवर आशाधरजीने भी सागरधर्मामृतमें इस सत्यको स्वीकार किया है। धर्म आत्माकी परिणति विशेष है। वह बाध शुद्धिके समय होता है और अन्य कालमें नहीं होता ऐसा कोई नियम नहीं है। जिस प्रकार किसी साधुके मल-मूत्र आदिके त्यागद्वारा शरीरशुद्धिके कालमें साधुधर्मका सन्दर्भ देखा जाता है उसी प्रकार वह रोगादि निमित्तवश या अन्य किसी कारणवश साधुके बाध मलसे जिस अवस्थामें भी देखा जाता है। वह बाध मलसे लिस है, इसलिए मुनिधर्म उससे छुटकारा पा लेता है और शरीर शुद्धिसम्पन्न है, इसलिए उसका मुनिधर्म पुनः लौट आता है ऐसा नहीं है। बाध शुद्धिको स्थान अवश्य है किन्तु उसकी एक मर्मदा है।

साधुके अष्टाईस मूलगुणोंमें अदन्तधावन और अस्नान ये दो मूलगुण बताये हैं। साधुको आहार लेनेके पूर्व या बादमें दाँतों और जिहाकी सफाई नहीं करनी चाहिए। भोजनके अन्तमें वह कुरला द्वारा उनकी सफाई करनेका भी अधिकारी नहीं है। जलादि जिस पदार्थको वह मुख द्वारा ग्रहण करता है उसका उपयोग वह जिहा आदिकी सफाईके लिए नहीं कर सकता। यदि भोजनके मध्यमें अन्तराय होता है तो वह अन्तिम जलको भी ग्रहण नहीं कर सकता। वह किसी भी अवस्थामें झँगुली, नस और तुरणादि द्वारा दाँतोंमें लगे हुए मलको दूर नहीं कर सकता। इतना करने पर ही साधु द्वारा अदन्तधावन मूलगुणका पालन करना सम्भव माना जाता है। अस्नान मूलगुणके पालन करनेकी भी यही विधि है। मलके तीन मेद हैं—जलज, मल और स्वेद। जो मल शरीरके समस्त भागोंको ढक लेता है उसे जलज कहते हैं। पुरीष मूत्र, शूक और खलार आदिको मल कहते हैं तथा पसीनाको स्वेद कहते हैं। साधुका शरीर इन तीनों प्रकारके मलोंसे लित होने पर भी वह स्नान नहीं करता। लोकमें जो पदार्थ अशुचि या अस्पृश्य माना जाता है उसका स्पर्श होने पर या शरीरसे संलग्न रहने पर साधु उसे दूर करनेके अभिप्रायसे भी स्नान नहीं करता यह उक्त कथनका तात्पर्य है। कितने ही साधु अपने लोकोंतर उन गुणके कारण मलधारी देव इस उपाधिसे विभूषित किये गये। इसका भी यही कारण प्रतीत होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकमें जिसे बाधा शुद्ध कहते हैं, साधुके जीवनमें उसके लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए यह तो सुनिश्चित है कि साधुके मनमें यह व्यक्ति या अन्य कोई पदार्थ स्पृश्य है और यह अस्पृश्य है ऐसा विकल्प ही नहीं उठ सकता और यह ठीक भी है, क्योंकि उसने लोकमें प्रसिद्ध लोकाचाररूप धर्मका परित्याग कर परिपूर्णरूपसे आत्मधर्मको स्वीकार किया है, इसलिए शरीरादिके आभ्यसे संस्कार करनेकी जितनी विधियाँ हैं उनका वह मन, वचन और कायसे पूरी तरह त्याग कर देता है।

यह तो मुनिधर्ममें चालगुदिकी स्थिति है। अब गृहस्थधर्ममें बाह्य-शुद्धिको कहाँ कितना स्थान है इस पर विचार कीजिये। गृहस्थ धर्मकी कुल कल्पाएँ ग्यारह हैं। आर्थिका अड्डाईस मूलगुणोंका पालन करती हैं, परन्तु उनका समावेश गृहस्थधर्मके अन्तर्गत होकर भी उन्हें एक शाटिकामात्र परिग्रहको छोड़कर अन्य सब आचार मुनिके समान करना पड़ता है। वे भी मुनिके समान न स्नान करती हैं और न दतीन आदि द्वाया बिहा और दौतोंको साफ करती हैं। जिस साड़ीको उन्होंने पहिना है उसे ही निरन्तर पहिने रहती हैं। वर्षा आदिके निमित्से उसके गीली हो जानेपर एकान्तमें उसे मुला कर पुनः पहिन लेती हैं। तात्पर्य यह है कि आर्थिकाएँ स्वीकृत एक साड़ीको छोड़कर अन्य किसी प्रकारका वस्त्र स्वीकार नहीं करती। स्वीकृत साड़ीके बीर्ण होकर फट जाने पर आचार्यकी अनुज्ञापूर्वक ही वे दूसरी साड़ीको स्वीकार करती हैं। यह आर्थिकाओंका शुद्धिसम्बन्धी लौकिक धर्म है। ऐलक, चुल्लक और चुल्लिकाओंका शुद्धिसम्बन्धी लौकिक धर्म लगभग इसी प्रकारका है। यद्यपि इन तीनोंके मूलगुणोंमें अस्नानब्रत और अटन्त्रधावन बत सम्भिलित नहीं हैं, इसलिए ये इन ब्रतोंका पूरी तरहसे पालन नहीं करते। परन्तु इतना आवश्य है कि इनमेंसे जिसके लिए एक या दो जितने वस्त्र स्वीकार करनेकी विधि बतलाई है वह उनसे अधिक बलोंको नहीं रखता। प्रथमादि प्रतिमासे लेकर दसवीं प्रतिमा तकके अन्य गृहस्थोंके लिए भी इसी प्रकार अलग-अलग जो नियम बतलाये हैं उन नियमोंके अन्तर्गत रहते हुए ही वे लौकिक धर्मका आवश्यक अङ्ग नहीं है। वह तो जहाँ जितनी आत्माकी त्यागरूप निर्मल परिणातिरूप धर्मके रहते हुए अविरोधरूपसे सम्भव है, जो जाती है। किन्तु उसके करनेसे न तो गुणोत्कर्ष होता है और नहीं करनेसे न गुणहानि होती है। बास्तवमें गुणोत्कर्ष और गुणहानिका कारण आत्माका निर्मल और मलिन परिणाम है। आतः जैनधर्ममें आत्माके अन्तरङ्ग परिणामोंकी

सम्हाल पर ही चल दिया गया है, स्नानादिरूप बाह्यशुद्धि पर नहीं। इस भावको व्यक्त करनेवाला यशस्तिलक चम्पूका वह श्लोक ध्यान देने योग्य है—

एतद्विधिं धर्माय नाधर्माय तदक्रियाः ।
धर्मपुष्ट्याच्छत्क्रोशवन्दनादिविधानवत् ॥

आश्वास द, पृ० ३०३ ।

तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार दर्भ, पुण्य और अहंत आदिसे की गई बन्दनादि विधि न तो धर्मके लिए होती है और दर्भ आदि द्वारा बन्दनादि विधि नहीं करना न अधर्मके लिए होती है उसी प्रकार स्नान आदि विधि न धर्मके लिए है और उसका नहीं करना अधर्मकारक भी नहीं है।

यद्यपि आजकल अधिकतर आर्यिका, ऐलक और चुल्लक प्रति दिन बच्च बढ़ाते हैं। शरीरका स्नान आदि द्वारा संस्कार करते हैं। बच्चका प्रद्वालन स्वयं या अन्यके द्वारा करते हैं, एकाधिक बछ और चटाई आदि रखते हैं, कमण्डलु और चटाई आदिको लेकर चलनेके लिए गृहस्थ और भृत्य आदिका उपयोग करते हैं। इतना ही नहीं, उनके पास और भी अनेक प्रकारका परिग्रह देखा जाता है। परन्तु उनको इस सब प्रवृत्तिको न तो उस पटके अनुरूप ही माना जा सकता है और न ऐसो प्रवृत्ति करनेवाला व्यक्ति मोक्षमार्गी ही हो सकता है। एक प्रकारसे देखा जाय तो वर्तमान-कालमें अधिकतर मुनि, आर्यिका, ऐलक और चुल्लक इस सबने अन्तरङ्ग परिणामोंकी तो बात छोड़ीए, बाय आनंदर तकको तिलाझिं दे दी है। साधुका गृहस्थोंका आमन्त्रण प्राप्तकर विविध नगरादिके लिए गमन करना, जुलूस और गाजे-बाजेके साथ नगरमें प्रवेश करना, ऐसे स्थानपर, जहाँ सबका प्रवेश निषिद्ध है और जो अनावृत द्वार नहीं है, ठहरना, गृहस्थोंके द्वारा निर्दिष्ट स्थानपर मल और मूत्र आदिका विसर्जन करना तथा अपने साथ मोटर, साइकिल और भृत्य आदिको रखकर चलना यह सब मुनिधर्म की विषम्बना नहीं है तो और क्या है? परन्तु वर्तमानमें यह सब चलता

है। गृहस्थ भी इन सब कार्योंमें स्वूच रस लेते हैं। यदि इन सब कार्योंको प्रोत्साहन देनेके लिए किसी साधु या त्यागीको साधन सम्बन्ध गृहस्थ मिल जाते हैं तो कहना ही क्या है। इसे समयकी चलिहारी ही कहनी चाहिए। यहाँ पर इन सब चारोंके निर्देश करनेका हमारा अभिप्राय इतना ही है कि जहाँ हम चाल्य शुद्धिके नामपर धर्ममें विपरीतता लाये हैं वहाँ हमने और भी अनेक प्रकारकी विपरीतताओंको प्रश्न देकर धर्मकी दिशा ही बदल दी है।

माना कि गृहस्थ स्नान करता है, मुख प्रकालन करता है, स्वच्छ-वस्त्र रखता है तथा सफाईके और भी अनेक कार्य करता है। किन्तु इतने मात्रसे उसके ये सब कार्य धर्म नहीं माने जा सकते। लौकिक शुद्धिका अर्थ ही चाल्य शुद्धि है जो आरम्भके बिना सम्भव नहीं है। इनके सिवा गृहस्थ आवश्यकतावश और भी अनेक प्रकारके आरम्भ करता है। वह व्यापार करता है, खेती-बाड़ी करता है, राज्य या सभा सोसाइटीका सञ्चालन करता है, विवाह करता है, सन्तानोत्पत्तिके लिए प्रयत्न करता है, अपनी मन्तानकी शिद्धा आदिका प्रबन्ध करता है, अन सञ्चयकर उसका संरक्षण करता है और नहीं मालूम कितने कार्य करता है तो क्या उसके इन सब कार्योंकी धर्म कार्योंमें परिगणना की जा सकती है? यदि कहा जाय कि ये सब आरम्भ हैं। इनके करनेमें एक तो जीवध छोता है और दूसरे ये मोक्षमार्गमें प्रयोजक न होकर संसारके ही बदानेवाले हैं, इसलिए हन्हें करनेसे धर्मकी प्राप्ति होती है ऐसा नहीं कहा जा सकता। यदि यह जात है तो विचार कीजिए कि स्नान आदिको धर्म कैसे माना जा सकता है। अर्थात् नहीं माना जा सकता। स्पष्ट है कि जिसे हम चाल्य शुद्धि कहते हैं उसका धर्म अर्थात् मोक्षमार्गके साथ सञ्चालन भी सम्बन्ध नहीं है। वास्तवमें जैनधर्मका मुख ही स्नान आदि आरम्भके त्यागकी ओर है। इसलिए स्नान आदिको धर्मसंज्ञा नहीं दी जा सकती है। यही कारण है कि गृहस्थधर्ममें भी जहाँ पर्व दिनोंमें उपवास आदिक विधान किया गया है

वहों स्नान आदिका पूरी तरहसे निषेध ही किया गया है। इससे मालूम पड़ता है कि मोक्षमार्गमें जिस प्रकार स्नान आदिके लिए कोई स्थान नहीं है उसी प्रकार दूत और अन्तपत्नके लिए भी कोई स्थान नहीं है, क्योंकि जैनधर्म वर्णाध्रम धर्म नहीं है, इसलिए इसमें यह मनुष्य स्पृश्य है और यह मनुष्य अस्पृश्य है इसके लिए रक्षमात्र भी स्थान नहीं हो सकता। तथा यह कारण बतलाकर किसीको धर्माधिकारसे वञ्चित भी नहीं किया जा सकता।

ब्राह्मणवर्ण मीमांसा

ब्राह्मणवर्णकी उत्पत्ति

पहले हम तीन वर्णोंकी मीमांसा कर आये हैं। एक चौथा वर्ण ब्राह्मण है। अन्य वर्णोंके समान इस वर्णका भी आगमसाहित्यमें आंर पुराण कालसे पूर्वके आचार ग्रथोंमें नामोल्लेख तक नहीं किया गया है। इस आधारसे यदि वर्णव्यवस्थाको जैन परम्परामें पुराणकालकी देन कहे तो कोई अत्युक्ति न होगी। पुराणोंमें सर्व प्रथम इसका नामोल्लेख आचार्य जटासिहनन्दिने वराङ्गचरितमें किया है। वहाँ उन्होंने जन्मसे ब्राह्मणवर्णकी बड़े हो कठोर शब्दोंमें भर्तमना करते हुए उनके जोवनका सबीव चित्र उपस्थित कर दिया है। जन्मसे कोई वर्ण हो सकता है इसके बे तीव्र विरोधी हैं। उनके मतसे लोकमें जो दयाका पालन करते हैं वे ही ब्राह्मण हैं। वराङ्गचरितके बाद कमसे पश्चपुराण हरिवंशपुराण और महापुराणका स्थान है। इन तीनों पुराणोंमें ब्राह्मणवर्णकी उत्पत्ति लगभग एक प्रकारसे बतलाई गई है। इन पुराणोंके कथनका सार यह है कि दिवियजयके बाद मुख्यपूर्वक राज्य करते हुए भरतचक्रवर्तीके मनमें एक बार जिनधर्मानुयायी गृहस्थोंका आदर-सत्कार करनेका विचार आया। तदनुसार

उसने देश-देशान्तरसे ब्रती आवकोको आमन्त्रित किया। तथा उनकी परीक्षाके लिए उसने मुख्य राजप्रसादके सामनेके प्रागणमें जौ आदि धान्योंके नव अंकुर उत्पन्न कराये। भरतचक्रवर्तीने आमन्त्रणकी घोषणा गाँव-गाँव टिटोरा पिटवाकर कराई थी, इसलिए धनके लोमवश ब्रती आवकोके साथ बहुतसे अवती गृहस्थ भी चले आये। किन्तु जो अवती गृहस्थ थे वे तो हरित अंकुरोंको कृचते हुए राजप्रसादमें प्रवेश करने लगे और जो ब्रती गृहस्थ थे वे बाहर ही खड़े रहे। यह देखकर भरतचक्रवर्तीने अवती गृहस्थोंको तो बाहर निकलवा दिया और ब्रती गृहस्थोंको दूसरे मार्ग से भीतर बुलावाकर न केवल उन्हें दान सम्मानसे सम्मानित किया। किन्तु ब्रती गृहस्थोंकी 'ब्राह्मण' इस नामवाली एक सामाजिक उपाधि स्थापित की और इस बातकी पहिचानके लिए कि ये रक्तत्रयधारी गृहस्थ हैं उन्हें हेमसूत्र या रक्तत्रय सूत्र नामक सामाजिक चिह्नसे चिह्नित किया। जैन पुराणोंके अनुसार यह ब्राह्मणवर्णकी उत्पत्तिका संक्षिप्त इतिहास है।

ब्राह्मणवर्ण और उसका कर्म—

यह तो स्पष्ट है कि भरतचक्रवर्तीने जिन ब्रती आवकोको आमन्त्रितकर 'ब्राह्मण' इस नामकी उपाधि दी थी और दानादि सम्मानसे सम्मानित किया था वे इसके पूर्व द्वयिय, वैश्य और शूद्रवर्णके ही मनुष्य थे। 'ब्राह्मण' उपाधि मिलनेके बाद ही वे लोकमें ब्राह्मण कहे जाने लगे और अपनी पहिचानके लिए रक्तत्रयसूत्र धारण करने लगे थे। प्रकृतमें विचारणीय यह है कि वे इसके बाट भी पहलेके समान अपनी आबीविका करते रहे या भरतचक्रवर्तीने उनकी आबीविका भी बदल दी? जहोंक वराङ्गचरित, पश्चपुराण और हरिवंशपुराणमें इस प्रश्नका सम्बन्ध है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ब्रती आवकोके लोकमें ब्राह्मण इस नामसे प्रसिद्ध हो जानेपर भी वे अपनी आबीविका असि आदि पट् कर्मसे ही करते रहे। इतने मात्रसे उनकी आबीविका नहीं बदल गई। वराङ्गचरित आदि उक-

पुराणोंमें ब्राह्मणोंकी स्वतन्त्र आजीविकाका निर्देश नहीं करनेका यही कारण है। इतना अवश्य है कि भरत चक्रवर्तीके द्वाषान्त द्वारा आचार्य रविषेण और द्वितीय जिनसेन इतना अवश्य ही सूचित करते हैं कि व्रती आवकोंका अन्य गृहस्थोंको समय-समयपर दानादिके द्वारा उचित सम्मान अवश्य करते रहना चाहिए ताकि वे निराकुलतापूर्वक अपनो आजीविका करते हुए मोक्षमार्गमें लगे रहें। किन्तु महापुराणके कर्ता आचार्य जिनसेन इस मतसे सहमत नहीं जान पड़ते। इस मामलेमें वे मनुस्मृतिका अनुसरण करते हुए उनकी आजीविकाके साधनरूपसे याजन, अध्यापन और प्रतिग्रह इन तीन कर्मोंका अलगसे उल्लेख करते हैं। यहाँपर यह बात अवश्य ही ध्यानमें रखनी चाहिए कि यद्यपि ब्राह्मणवर्णकी उत्पत्तिके समय तो महापुराणके कर्ता आचार्य जिनसेन मात्र व्रती आवकोंको ब्राह्मणरूपसे स्वीकार करते हैं, किन्तु यादमें वे इसे भी एक स्वतन्त्र जाति मान लेते हैं। इसलिए उनके सामने अन्य जातियोंके समान इस जातिके स्वतन्त्र कर्मका प्रश्न खड़ा होना स्वाभाविक है और इसीलिए उन्होंने मनुस्मृतिके अनुसार ब्राह्मण जातिके याजन आदि कर्म चतलाये हैं। परन्तु इनके पूर्ववर्ती अन्य पुराणकारोंके सामने इस प्रकारकी विकट समस्या उपस्थित ही नहीं थी, क्योंकि उनके मतानुसार यदि कोई व्रतोंको स्वीकारकर ब्राह्मण कहलाने लगता है तो इतनेमात्रसे उसे अपनी पुरानी आजीविका छोड़नेका कोई कारण नहीं है। स्पष्ट है कि पश्चपुराण और हरिवशपुराणके अनुसार ब्राह्मण यह संश्लोकमें जन्म या कर्मके आधारसे प्रचलित न होकर व्रतोंके आधारसे प्रचलित हुई थी, अतः जैनमतानुसार ब्राह्मणवर्णका असि आठि छह कर्मोंके सिवा अन्य कोई स्वतन्त्र कर्म रहा है यह नहीं कहा जा सकता। तात्पर्य यह है कि यदि क्षत्रिय व्रतोंको स्वीकारकर ब्राह्मण बनता है तो वह असि कर्मसे अपनी आजीविका करता रहता है, यदि वैश्य व्रतोंको स्वीकारकर ब्राह्मण बनता है तो वह कृषि और वाणिज्य कर्मसे अपनी आजीविका करता रहता है और यदि शूद्र व्रतोंको स्वीकारकर ब्राह्मण

बनता है तो वह विद्या और शिल्पकर्म द्वारा अपनी आजीविका करता रहता है। ब्राह्मण स्वतन्त्र वर्ण न होकर द्वित्रियादि तीन वर्णोंके आभ्यसे है। केवल व्रतोंको स्वीकार करनेके कारण यह पद योगित किया गया है, अतः जैन मान्यतानुसार ब्राह्मणवर्णका द्वित्रियादि तीन वर्णोंके कर्मको छोड़कर अन्य स्वतन्त्र कोई कर्म नहीं हो सकता यही निष्प्रिय होता है। भगवान् ऋषभदेवने आजीविकाके साधनरूप कर्म ही केवल छह बतलाये हैं। इससे भी उक्त तथ्यकी पुष्टि होती है।

एक प्रश्न और उसका समाधान—

महापुराणमें ब्राह्मण वर्णकी उत्पत्तिके प्रसंगसे ऐसी कथा दी गई है उसमें बतलाया गया है कि भरत महाराजने सब राजाओंके पास यह स्वर भेजी कि आप लोग अलग-अलग अपने-अपने सदाचारी इष्ट अनुबीवियोंके साथ हमारे वहाँ होनेवाले उत्सवमें सम्मिलित होनेके लिए आमन्त्रित किये जाते हैं। इस परसे बहुतसे विदान् यह अर्थ फलित करते हैं कि भरत महाराजने केवल सब राजाओं और उनके सभे सम्बन्धियोंको ही आमन्त्रित किया था, शूद्रोंको नहीं। किन्तु उनका ऐसा सोचना भ्रमपूर्ण है, क्योंकि अनुबीवी शब्दका अर्थ सभे सम्बन्धी न होकर आश्रित जन होता है। इसलिए मालूम पड़ता है कि भरत महाराजने केवल राजाओं और उनके सभे सम्बन्धियोंको ही आमन्त्रित नहीं किया होगा। किन्तु राजाओंके आभ्यसे रहनेवाले जिनमें भी सदाचारी द्वित्रि, वैश्य और शूद्र ये उन सभको आमन्त्रित किया होगा। महापुराणके पूर्व आलयतों पश्चपुराणमें बतलाया है कि मुनिजन अपने शरीरमें ही निष्पृह होते हैं, वे उहिष्ट आहारको भी ग्रहण नहीं करते यह जान कर भरत महाराजने आदर सत्कार करनेके अभिप्रायसे सम्युद्धिगृहस्थोंको आमन्त्रित किया। हरिवंश पुराणमें भी लगभग यह बात दुहराई गई है। इससे भी विदित होता है कि भरत महाराजने केवल सदाचारी द्वित्रियों या द्वित्रियों और वैश्योंको

ही आमन्त्रित नहीं किया होगा । किन्तु उस समय ज्ञात्रियों, वैश्यों और शूद्रोंमें जितने सम्यग्दण्ठि आवक होंगे उन सबको आमन्त्रित किया होगा । पद्मपुराण और हरिवंशपुराणसे तो इस बातका भी पता लगता है कि भगत महाराजने यह आमन्त्रण राजाओंके पास न भेज कर सोधा जनतामें प्रचारित कराया था । अतः जिन्हें यह शका है कि ब्राह्मण वर्णकी उत्पत्ति केवल ज्ञात्रिय और वैश्योंमेंसे को गई थी उन्हें इस समाधान द्वारा अपने भ्रमको दूर कर लेना चाहिए । यह बात दूसरी है कि बादमें महापुराणकारने जन्मसे वर्णव्यवस्थाको स्वीकार कर जो ब्रतोंको धारण करते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं इस मान्यता पर एक प्रकारसे पानी ही फेर दिया है ।

यज्ञोपवीत मीमांसा

महापुराणमें यज्ञोपवीत—

यज्ञोपवीत क्या है और उसे कौन वर्णका मनुष्य धारण करनेका अधिकारी है इस प्रश्नका विस्तृत विचार करनेवाला महापुराण प्रथम ग्रन्थ है । वहाँ इसे ब्रह्मसूत्र, रत्नत्रयसूत्र और यज्ञोपवीत आदि कह नामों द्वारा सम्बोधित किया गया है । इसको व्याख्या करते हुए आचार्य जिनसेन लिखते हैं कि सर्वज्ञदेव की आज्ञाको प्रधान माननेवाला वह द्विज जो मन्त्रपूर्वक सूत्र धारण करता है वह उसके ब्रतोंका चिह्न है । वह सूत्र द्रव्य और भावके भेटसे टो प्रकारका है । तोन लरका जो यज्ञोपवीत है वह उसका द्रव्यसूत्र है और हृदयमें उत्पन्न हुए सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान और सम्यक्चारित्र गुणोरूप जो आवकका सूत्र है वह उसका भावसूत्र है । उन्होंने ब्राह्मणवर्ण की उत्पत्तिके प्रसङ्गसे यह भी लिखा है कि भगत महाराजने पद्मनामको निधिसे प्राप्त हुए एकमें लेकर ग्यारह तक की सख्यावाले ब्रह्मसूत्र नामक सूत्रोंमें उन ब्राह्मणोंको चिह्नित किया । इस

१. प० ३६, श्लो० ६४-६५ । २. प० ३८, श्लो० २१ ।

द्वारा आन्वार्य बिनसेन यह सुचित करते हैं कि एक प्रतिमावाले ब्राह्मणको भरत महाराजने एक सूत्रसे चिह्नित किया और दो प्रतिमावाले ब्राह्मणको दो सूत्रोंसे चिह्नित किया। इसी प्रकार प्रतिमा क्रमसे एक एक सूत्र बढ़ाते हुए अन्तमें ग्यारह प्रतिमावाले ब्राह्मणको ग्यारह सूत्रोंसे चिह्नित किया। उपनीति क्रियाका कथन करनेके प्रसङ्गसे उन्होंने भरत महाराजके मुख्य ब्राह्मण, द्वृत्रिय और वैश्य ये तीन वर्णवाले मनुष्य उपनीति आदि संस्कारोंके आधिकारी हैं यह कहला कर यह भी सुचित किया है कि ब्राह्मण वर्णकी स्थापना करते समय भरत महाराजने द्वृत्रिय, वैश्य और शूद्र इन तीन वर्णोंमेंसे व्रती आवकोंको चुन कर ब्राह्मण वर्णकी स्थापना की भी। किन्तु उन्हें उपदेश देते समय उन्होंने इस व्यवस्थाको समाप्त कर बन्मसे वर्णव्यवस्था स्वीकार कर ली। तदनुसार उन्होंने उपनीतिसंस्कारके आश्रयसे भरत महाराजके मुख्यसे ये नियम कहलवाये कि प्रथम ही बिनालयमें जाकर जिसने अहितनदेवकी पूजा की है ऐसे उस भालकको व्रत देकर उसका मौनीबन्धन करना चाहिए। जो चोटी रखाये हुए है, जिसकी सफेद घोटी और सफेद दुपट्ठा है, जो वेष और विकारोंसे रहित है तथा जो व्रतोंके चिन्हस्वरूप यज्ञपवीत सूत्रको धारण कर रहा है ऐसा वह बालक उस समय ब्रह्मचारी कहा गया है। उस समय उसका चारित्रोचित अन्य नाम भी रखा जा सकता है। उस समय वह वैभववाले राजपुत्रको छोड़कर सबको भिक्षावृत्तिसे निर्वाह करना चाहिए और राजपुत्रको भी नियोगवश अन्तःपुरमें जाकर किसी पात्रमें भिक्षा लेनी चाहिए। भिक्षामें जो कुछ प्राप्त हो उसका कुछ हिस्सा देवको अर्पण कर जाकी ज्वे हुए योग्य अजका स्वयं भोजन करना चाहिए^१। इसके कितने लरका यज्ञोपवीत होता है इसका स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने व्रतचर्या संस्कारका निरूपण करते हुए कहा है कि उसका सात लरका गुया हुआ यज्ञोपवीत होता है^२।

१. पर्व ३८, श्लो० १०५-१०८ । २. पर्व ३८, श्लो० ११२ ।

महापुराणमें ब्रतावतार क्रियाका विवेचन करते हुए यह भी बतलाया है कि जब उक्त ब्रह्मचारी विद्याध्ययन कर चुकता है तब वह उन समस्त चिह्नोंको छोड़ देता है जो उसके ब्रतचर्या क्रियाके समय पाये जाते हैं। इस परसे बहुतसे मनीषीय यह आशाका करते हैं कि वादमें उसके यज्ञोपवीत भी नहीं पाया जाता। स्वयं आचार्य जिनसेनने इस सम्बन्धमें कुछ भी निर्देश नहीं किया है, इसलिए इस प्रकारकी शक्ति ठाना स्वाभाविक है। किन्तु टीकान्वय क्रियाओंमें भी एक उपनीति क्रिया कही गई है और उसमें यज्ञोपवीत धारण करनेका विधान है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि चाहे जैनधर्ममें नवदीक्षित हो और चाहे कुल परभरासे जैनी हो, आचार्य जिनसेनके अभिप्रायानुसार यज्ञोपवीतका धारण करना द्विजमात्रके लिए आवश्यक है। पहले ब्राह्मण वर्णकी म्यापनाके समय भी आचार्य जिनसेनने यज्ञोपवीतका उल्लेख किया है। इससे भी उक्त कथनकी पुष्टि होती है।

प्रृथमे विचारणोय यह है कि प्रत्येक गृहस्थ कितने लरका यज्ञोपवीत धारण करे, क्योंकि ब्राह्मण वर्णकी उत्पत्तिका निर्देश करते समय तो आचार्य जिनसेनने भरत चक्रवर्तीके मुख्यसंघ यह कहलाया है कि जिस गृहस्थने जितनी प्रतिमाएँ स्वीकार की हों उसे उतने लरका यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए और आगे क्रमन्वय क्रियाओंका निर्देश करते समय उन्होंने तीन लरके यज्ञोपवीतका उल्लेख किया है, इसलिए प्रत्येक गृहस्थके मनमें यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इनमेंसे किस वचनको प्रमाण मान कर चला जाय? प्रश्न कुछ जटिल है और महापुण्यगणमें इसका समाधान भी नहीं किया गया है। प्रत्युत दिखाई यह देता है कि जहाँ पर आचार्य जिनसेनको जो इष्ट प्रतीत हुआ वहाँ पर उन्होंने उसकी मुख्यतासे वर्णन कर दिया है। पूर्वापर अविरोधता कैसे बनी रहे इसका उन्होंने ध्यान नहीं रखा है। परिणाम यह हुआ है कि वर्तमान कालमें जितने आवक है उनमेंसे एक भी आवक महापुराणमें प्रतिपादित विधिके अनुसार यज्ञोपवीत धारण नहीं करता। इसके विपरीत प्रायः तान लरके यज्ञोपवीतका सर्वत्र

प्रचार देखा जाता है। तथा जो विवाहित गृहस्थ हैं वे एक अपना और एक अपनी पत्नीका इस प्रकार तीन-तीन लरके दो यज्ञोपवीत भारण करते हुए भा देखे जाते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि महापुराणके बाद प्रायः अधिकतर लेखकोंने यज्ञोपवीत और गर्भाधानादि क्रियाओंको स्वीकार कर लिया है। आचार्य जिनसेनके साथ उन सबके कथनका सार यह है कि पूजा करने और दान देनेका वही तीन वर्णका गृहस्थ अधिकारी है जिसने यज्ञोपवीतको धारण किया है।

पश्चपुराण और इरिवंशपुराण—

यज्ञोपवीतके पक्षमें महापुराण और उसके उत्तर कालवर्तीं साहित्यका यह मत है। किन्तु इससे भिन्न एक दूसरा विचार और है जो महापुराणके पूर्वकालवर्तीं पश्चपुराण और इरिवंशपुराणमें वर्णित है। इन दोनों पुराण ग्रन्थोंमें इसे यज्ञोपवीत नहीं कहा गया है। तीन वर्णके प्रत्येक मनुष्यको इसे धारण करना चाहिए यह भी इन पुराण ग्रन्थोंसे नहीं विदित होता। महापुराणमें गर्भान्वय आदि जिन क्रियाओंका विवेचन हृषिगोचर होता है उनकी इन पुराणकारोंको जानकारी थी यह भी इन पुराणोंसे नहीं जान पड़ता। भरत महाराजने ब्राह्मण वर्णकी स्थापना की यह मान्यता महापुराणसे पूर्व की है, इसलिए इसका उल्लेख इन पुराणोंमें अवश्य हुआ है। किन्तु वर्तोंका चिह्न मानकर सब ब्राह्मणोंको यज्ञोपवीत अवश्य धारण करना चाहिए इस मतसे ये पुराणकार सहमत नहीं जान पड़ते। उन्होंने इसका जो विवरण उपस्थित किया है वह बड़ा ही दिलचस्प जान पड़ता है। पश्चपुराणके कर्ता आचार्य रविषेण उसे मात्र आभूषण मानते हुए प्रतीत होते हैं। उनके इसके विषयमें कहे गये ‘सरलेन चामीकरमयेन सूत्रचिह्नेन’ शब्द व्यान देने योग्य हैं। इन शब्दोंका अर्थ होता है—‘रत्न युक्त स्वर्णमय सूत्रचिह्न’। विचार कीजिए, इन शब्दोंका फलितार्थ रत्न अटिंड स्वर्णमय हारके सिवा और क्या हो सकता है। आब-कल जब किसी

खास समारम्भमें समिलित होनेके लिए निश्चित व्यक्ति आमन्त्रित किये जाते हैं तो उनके बच्चके आग्रभागमें सामनेकी ओर पदक आदि लगानेकी पद्धति है। पश्चपुराणके अनुसार ब्राह्मण वर्णकी स्थापना करते समय भरत महाराज द्वारा स्वीकार की गई पद्धति लगभग इसी प्रकार की जान पड़ती है। भरत महाराज सब प्रकास्तके साधनसम्पन्न देवोपनीत नौ निधियोंके स्वामी चक्रवर्ती राजा थे, इसलिए उन्होने पदक आदिका उपयोग न कर उसके स्थानमें अपने अनुरूप रत्नबट्टि खर्णहारका उपयोग किया होगा यह सम्भव है। इससे अधिक इसे अन्य किसी प्रकारका महत्व नहीं दिया जा सकता। यह आचार्य विषेणुके कथनका सार है।

हरिवशपुराणके कर्ता आचार्य बिनसेनके कथनका फलितार्थ लगभग इसी प्रकारका है। किन्तु उसमें थोड़ा फरक है। वे इसे रत्नत्रयसूत्ररूपसे स्वीकार करके भी उसे न तो धारोंका बना हुआ मानते हैं और न स्वर्णसूत्र ही मानते हैं। वे मात्र इतना स्वीकार करते हैं कि भरत महाराजने काकणीरत्नके आश्रयसे सम्यग्दृष्टि आवकोंको रत्नत्रयसूत्रसे चिह्नित किया। सम्यग्दृष्टि आवकोंको यह चिह्नित करनेका कार्य क्या हो सकता है इस घातका निर्णय करनेके लिए हमें सर्व प्रथम काकणीरत्नके कार्यके ऊपर दृष्टिपात करना होगा। महापुराणमें ऐसे दो स्थल हमारी दृष्टिमें आये हैं जिनसे काकणी रत्नके कायोपर प्रकाश प्रडता है। प्रथम स्थल विवर्यार्थ पर्वतकी गुफामें प्रकाश करनेके प्रसगसे आया है। वहाँ बतलाया है कि भरत महाराजकी आशासे गुफाकी दोनों ओर की भित्तियों पर काकणीरत्न का आश्रय लेकर सूर्य और चन्द्र उकेरे गये^१। दूसरा स्थान वृषभाचल पर्वत पर भरत महाराज द्वारा अपनी प्रशस्ति लिखानेके प्रसङ्गसे आया है। वहाँ काकणीरत्न द्वारा प्रशस्ति उकेरी गई यह बतलाया गया है^२। ये दो प्रमाण हैं जो काकणी रत्नके कार्य पर प्रकाश डालते हैं। जिस

समय भरत महाराज सम्मण्डिं आवकोको छाँट-छोट कर अपने महलमें प्रवेश करानेमें लगे हुए थे उस समय वे उनके मस्तक आदि अङ्ग विशेषमें काकणी रत्नके द्वारा रत्नत्रयके प्रतीकरूप तीन लकीरें उकेरते जाते होंगे। हरिवंशपुराणमें इस सम्बन्धमें जो कुछ कहा गया है उसका यही भाव प्रतीत होता है। जिस प्रकार भारतीय नारियाँ अपने हाथ आदिमें गुदना गुटाती हैं। या कोई शिवभक्त अपने मस्तक पर निपुणका चिह्न अङ्कित करा लेते हैं, हरिवंशपुराणके आधारसे भरत महाराज द्वारा की गई यह क्रिया लगभग इसी प्रकार की जान पड़ती है।

यह उक्त दोनों पुराणोंके कथनका सार है। इससे हमें एक नया प्रकाश मिलता है जिस पर अभी तक सम्भवतः बहुत ही कम विचारकोका ध्यान गया है। इन उल्लेखोंके आधारसे हम यह मान सकते हैं कि भरत महाराजने ब्राह्मणवर्णकी स्थापना करते समय हार पहिनाने या तीन लकीरोंको उकीरने को जो भी क्रिया की होगी उसका महत्व तात्कालिक रहा होगा। मान्द्रमार्गके अभिप्रायसे ब्रतोंको स्वीकार करनेवाले गृहस्थको इसका किसी भी रूपमें अनानुकरण करनेकी आवश्यकता नहीं है। यज्ञोपवीत अपनेमें एक परिधि है। इसलिए ब्रतोंके चिन्हरूपमें इसे धारण करनेका उपदेश त्रिकालमें नहीं दिया जा सकता। मालूम पड़ता है कि एकमात्र इसी अभिप्रायसे इन पुराणकारोंके मतानुसार भरत महाराजने ब्रतोंके चिन्हरूपमें यज्ञोपवीतका विधान नहीं किया होगा।

निष्कर्ष—

यज्ञोपवीतके विषयमें परस्पर विरोधी ये विचार हैं जो जैनपुराणोंमें उपलब्ध होते हैं। इससे ज्ञात होता है कि जैन-परम्परामें यह विधि कभी भी प्रचलित नहीं रही है। केवल लोकरूढ़ि देखकर इसका क्रयन भरत महाराजके सुखसे कराया गया है। यज्ञोपवीतको जैनधर्ममें स्वीकार नहीं करनेका यह एक कारण तो ही है। साथ ही और भी अनेक कारण हैं

बिनको देखते हुए जैनधर्ममें यज्ञोपवीतको स्थान नहीं मिल सकता। सुखासा इस प्रकार है—

१. प्राचीन जैन साहित्यमें 'यज्ञ' शब्द न तो ब्रतोंके अर्थमें आता है और न पूजाके अर्थमें ही उपलब्ध होता है। 'यज्ञ' इस शब्द द्वारा मुख्यतया ब्राह्मण धर्मके कियाकाशणका ही बोध होता है। २. भगवान् ऋषभदेवने तीन वर्णकी स्थापना करते समय ज्ञानिय और वैश्योंको वर्णके चिह्नरूपसे यज्ञोपवीत धारण करनेका उपदेश नहीं दिया था। ३. प्रतिमाओंके कथन में और सासकर ग्यारहवीं प्रतिमाके कथनमें खण्डवस्त्र और लंगोटीके साथ यज्ञोपवीतका कहीं भी उल्लेख नहीं पाया जाता। ४. आवकके ब्रतों को लियाँ और तिर्यक्ष भी धारण करते हैं। परन्तु उनके ब्रतका चिह्न क्या हो इसका कहीं विचान देखनेमें नहीं आया। ५. गृहस्थ लियाँ देवपूजा करती हैं और मुनियोंको आहार भी देती है। यदि यज्ञोपवीतके बिना कोई गृहस्थ इन कार्योंको करनेका अधिकारी नहीं है तो उनसे ये कार्य कैसे कराये जाते हैं। ६. बिन प्रमुख प्राचीनतम पुराणोंमें यज्ञोपवीतका उल्लेख है वे इसके स्वरूप, कार्य और आकार आदिके विषयमें एकमत नहीं है। ७. तथा सोमदेवसूरि चार वर्णोंके कर्मके साथ यज्ञोपवीतविधिको लौकिक बतलाकर इसमें वेद और मनुस्मृति आदिको प्रमाण मानते हैं। धार्मिक विधिरूपसे वे इसका समर्थन तो क्षोडिएं, उल्लेख तक नहीं करते। ये वे इसी प्रकार के और भी बहुतसे तथ्य हैं जो हमें यह माननेके लिए बाध्य करते हैं कि जैनधर्ममें मोक्षमार्गकी दृष्टिसे तो यज्ञोपवीतको स्थान है इसी नहीं। सामाजिक दृष्टिसे भी इसका कोई महत्व नहीं है। इसे धारण करना और इसका उपदेश देना मात्र ब्राह्मणधर्मका अन्धानुकरण है।

यह तो सुविदित बात है कि आवसे लगभग ३० वर्ष पूर्व उत्तर भारत और गुजरातमें यज्ञोपवीतका नाम मात्रको भी प्रचार नहीं था। कुछ अती भावकोंके शरीरपर ही इसके कभी कभी दर्शन हो जाते थे। दक्षिण भारतमें भी इसका सार्वत्रिक प्रचार था यह भी नहीं कहा जा सकता। न

तो श्रावकोंकी इसके प्रति आस्था ही थी और न वे इसे पहिनना आवश्यक दी मानते थे। इसके सार्वत्रिक प्रचारका कारण वर्तमान साधु समाज और कुछ परिवर्त ही हैं। उन्होंने ही श्रावकोंके मनमें यह धारणा पैदा की है कि जो श्रावक यज्ञोपवीत धारण नहीं करता वह न तो साधुको आहार देनेका अधिकारी है और न जिनेन्द्रदेवकी पूजा ही कर सकता है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि सभी साधु और परिवर्त यज्ञोपवीतके पक्षपाती हैं। आचार्य सूर्यसागर महाराज इस कालमें सबसे महान् आचार्य हो गये हैं। उन्होंने मोक्षमार्गमें इसे कभी भी उपयोगी नहीं माना है। बहुतसे विचारक परिवर्तोंका भी यही मत है।

अबसे लगभग ३०० वर्ष पहिले नाटक समयसार आदि महान् ग्रन्थों के रचयिता पण्डितप्रबर आशाघरजी हो गये हैं। उन्होंने 'अर्धकथानक' नामकी एक पदाच्छ आत्मकथा लिखी है। उसमें उन्होंने अपनी मुख्य-मुख्य जीवनघटनाएँ लिपिबद्ध की हैं। उसके अनुसार एक बार वे अपने एक मित्र और श्वसुरके साथ भटक कर एक चोरोंके गाँवमें पहुँच गये। वहाँ रक्षाका और कोई उपाय न देख कर उन्होंने रात्रिको ही धागा बैठ कर यज्ञोपवीत परिव लिए और माटीका तिलक लगा कर ब्राह्मण बन गये। जिन शब्दोंमें उन्होंने इस घटनाको चिह्नित किया है यह उन्हींके शब्दोंमें पढ़िए—

‘सूत काढि दोरा बक्षो, किए जनेऽच्चारि ।
पहिरे तीनि तिहूँ जने, राख्यो पृक् उचारि ॥
माठी लीनी भूमिसो, पानी लीनो ताल ।
विग्र भेष तीनों बनें, टांका कीनों भाल ॥

ये उनके शब्द हैं। इससे स्पष्ट है कि यज्ञोपवीत जैन परम्परामें कभी भी स्वीकृत नहीं रहा है और यह उचित भी है, क्योंकि मोक्षमार्गमें इसका रक्षमात्र भी उपयोग नहीं है। तथा जिससे समाजमें ऊँच-नीचका भाव बदलूँ हो ऐसी समाजिक व्यवस्थाको भी जैनधर्म स्वीकार नहीं करता।

जिनदीक्षाधिकार मीमांसा

आगम साहित्य—

भगवान् महावीर स्वामीकी वाणीका मूल अंश जो कुछ भी बच सका वह षट्खण्डागम और कथायप्राभृतमें सुरक्षित है इस तथ्यको सब आचार्योंने एक स्वरसे स्वीकार किया है। साहित्यिक दृष्टिसे तो इनका महत्व है ही, जीवन निर्माणमें भी इनका बड़ा महत्व है। चौदह मार्गशार्द्ध, चौदह गुणस्थान, सयमस्थान, संयमासंयमस्थान, सम्यक्त्व, जीवोंके भेद-प्रभेद, कर्मोंके भेद-प्रभेद और उनका उदय, उदीरण, संकरण, अपकर्षण, बन्ध और सत्त्व आदि विविध अवस्थाएँ तथा कर्मोंकी कृपणा आदि प्रक्रिया आदि विविध विषयोंको ठीक रूपसे हम इनके आधारसे ही जान पाते हैं। अन्वकारमें भट्कनेवाले मनुष्यको प्रकाशकी उपलब्धिसे जो लाभ होता है वही लाभ हम संसारी बन इन महान् आगमग्रन्थोंके स्वाध्याय, मनन और अनुभवनसे उठाते हैं। संक्षेपमें हम कह सकते हैं कि वर्तमानकालमें जैनधर्मका सही प्रतिनिधित्व करनेवाला एकमात्र यही मूल साहित्य है। यह वह कसीटी है जिसपर हम तदितर साहित्यको कसकर खरे और खोटेका ज्ञान कर सकते हैं। इस प्रकार आगमसाहित्यमें जहाँ जैनधर्मसे सम्बन्ध रखनेवाले जीवादि तत्त्वोंपर विविध प्रकारसे प्रकाश ढाला गया है वहाँ मोक्षमार्गके अङ्गभूत सम्यग्दर्शन, सम्यक्षान और सम्यक्चारित्रके अधिकारी कौन-कौन जीव हैं, यह बतलाते हुए लिखा है कि जिसका संसारमें रहनेका अधिकसे अधिक श्र्वपुद्गलपरिवर्तन काल शेष है और जो संज्ञोपदेन्द्रिय पर्याप्त है उसके यदि देशनालब्धि आदि चार लब्धियोंपूर्वक करण्यलब्धि होती है तो सर्वप्रथम यह जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है। यदि यह जीव कर्मभूमिज तिर्यक्ष है तो संयमासंयमको और कर्मभूमिज मनुष्य है तो संयमासंयम या संयमको भी उत्पन्न कर सकता है। इतना अवश्य है कि

इन भावोंको उत्पन्न करनेवाला यदि मनुष्य है तो उन्हें उत्पन्न करते समय उसकी आयु आठ वर्षकी अवश्य होनी चाहिए। इससे कम आयुवाले मनुष्यको संयमासंयम और संयमधर्मकी प्राप्ति नहीं होती। सम्प्रकृत्वके लिए यह नियम है कि यदि पर्यायान्तरसे वह सार्थमें आया है तो यह नियम लागू नहीं होता। किन्तु यदि वर्तमान पर्यायमें उसे उत्पन्न किया है तो उसे उत्पन्न करते समय भी उसकी आयु आठ वर्षकी अवश्य होनी चाहिए। किन्तु संसारमें रहनेका काल कमसे कम शेष रहनेपर यह जीव सम्प्रदर्शनातिका उत्पन्न करता है तो पूर्वोक्त अन्य नियमोंके साथ उसका मनुष्य होना आवश्यक है। ऐसा मनुष्य अन्तमुद्दृतके भीतर इन सम्प्रदर्शन आटिको उत्पन्न कर मोद्दका अधिकारी होता है। आगम साहित्यमें इन भावोंको उत्पन्न करनेके लिए उक्त नियमोंके सिवा अन्य कोई नियम नहीं बतलाये गये हैं। इतना अवश्य है कि आगम साहित्यमें जिन मनुष्यादि पर्यायमें इन भावोंको उत्पत्ति होती है उनका विचार आध्यात्मिक दृष्टिसे किया गया है, शारीरशास्त्रकी दृष्टिसे नहीं, इसलिए अध्यात्मके अनुरूप शारीरशास्त्रकी दृष्टिसे विचार करनेवाले छेदशास्त्र आदि चरणानुयोगके ग्रन्थोंमें बतलाया गया है कि कर्मभूमिका मनुष्योंमें भी जो शारीरसे योनि आदि अवयववाले मनुष्य हैं जिन्हें कि लोकमें खींचकहते हैं और योनि व मेहन आदि व्यक्त चिह्नोंसे रहित जो मनुष्य हैं जिन्हें कि लोकमें हिंडडा व नंपुंसक कहते हैं, इन दोनों प्रकारके मनुष्योंको सम्प्रकृत्व और संयमासंयमभावकी प्राप्ति तो हो सकती है। किन्तु इन्हें उस पर्यायमें रहते हुए संयमभावकी प्राप्ति नहीं हो सकती।

यह मूल आगम साहित्य व उसके अङ्गभूत साहित्यका अभिप्राय है। इसमें वस्तुभूत आध्यात्मिक योग्यता और शारीरिक योग्यताके आधारसे ही विचार किया गया है। चार वर्णसम्बन्धी लौकिक मान्यताके आधारसे नहीं, क्योंकि वह न तो जीवनकी आध्यात्मिक विशेषता है और न शारीरिक विशेषता ही है। आबीविका आदि लौकिक व्यवहारके

लिए कल्पित होनेसे वह बस्तुभूत नहीं है, इसलिए उसके आधारसे वहाँ विचार होना सम्भव भी नहीं है, क्योंकि चार वर्ण सम्बन्धी मान्यता ऐसी है जो कभी लोकमें प्रचलित रहती है और कभी नहीं भी रहती है। मनुष्यादिगतिसम्बन्धी जो आध्यात्मिक योग्यता है और योनि-मेहन आदि सम्बन्धी जो शारीरिक योग्यता है वह किसीके मिटाये नहीं मिट सकती। यदि कोई ऐसा आन्दोलन करे कि हमें मनुष्यों और तिर्यकोंके जातियोंको मिटा कर एक करना है या स्त्री-पुरुष भेद मिटा कर एक करना है तो ऐसा कर सकना आन्दोलन करनेवालोंके लिए सम्भव नहीं है। पर इसके स्थानमें कोई ऐसा आन्दोलन करे कि आगे चार वर्ण नहीं चलने देना है या चारके स्थानमें तीन, दो या एक वर्ण रखना है या मनुष्योंकी आजीविका आदि की व्यवस्था अन्य प्रकारसे करनी है तो आन्दोलन करनेवाले इस योजनामें सफल हो सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि मनुष्यादिगतिसम्बन्धी आध्यात्मिक योग्यता और योनि-मेहन आदि शारीरिक योग्यता के समान चार वर्णोंकी मान्यता वास्तविक नहीं है। इसलिए किस वर्णवाला मनुष्य कितने संयमको धारण कर सकता है इसका विचार आगम साहित्यमें न तो किया ही गया है और न किया ही जा सकता है।

इस विषयको योड़ा इस हृषिसे भी देखिए। षट्क्षण्डागम बीवस्थान चूलिकाश्रन्योगद्वारमें गत्यागतिका विचार करते हुए जिस प्रकार देवगतिसे आकर मनुष्यगतिमें उत्पन्न हुए जीवमें संयमासंयम और संयम आदिको धारण करनेकी पात्रताका निर्देश किया है उसी प्रकार नरकगतिसे आकर मनुष्यगतिमें उत्पन्न हुए जीवमें भी संयमासंयम और संयम आदिको धारण करनेकी पात्रताका भी निर्देश किया है। जिन्होने आगमका अभ्यास किया है वे यह अच्छी तरहसे जानते हैं कि नरकमें अशुभ तीन लेश्याएँ और ऊपरके देवोंमें शुभ तीन लेश्याएँ पाई जाती हैं। तथा नारककी जीव पापचहुल और कल्पवासी देव पुण्यचहुल होते हैं। एक यह भी नियम है कि नरकसे निकलकर मनुष्यगतिमें आनेपर अन्तर्मुहूर्त कालतक वही

लेश्या बनी रहती है। किसी हृदयक यही नियम देवपर्यायसे आनेवालेके लिए भी है। अब विचार कीजिए कि वर्तमानमें जो चार वर्णोंकी व्यवस्था चल रही है उसके आधारसे नरकसे निकलनेवाला वह पापबहुल अशुभ लेश्यावाला जीव महापुराणके अनुसार किम वर्णमें उत्पन्न होगा और देवपर्यायसे निकलनेवाला वह पुण्यबहुल शुभ लेश्यावाला जीव किस वर्णमें उत्पन्न होगा। संयमासंयम या संयमको दोनों ही प्राप्त करनेवाले हैं। किन्तु नरक और देवगतिमें दोनों ही मिथ्याहृषि रहे हैं। आगममें यह नियम तो अवश्य किया है कि नरकसे निकलकर काँई जीव नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र और चक्रवर्ती नहीं होता। यह नियम भी किया है कि नरक और देवगतिसे निकलकर कर्मभूमिज मनुष्य और तिर्यक्ष ही होता है। साथ ही देवोंके लिए यह नियम भी किया है कि दूसरे कल्पतकके देव एकेन्द्रिय भी होते हैं। किन्तु वहाँ यह नियम नहीं किया है कि नरक या स्वर्गसे निकलनेवाला असुक योग्यतावाला जीव तीन वर्णमें उत्पन्न होता है और असुक योग्यतावाला जीव शूद्रवर्णमें उत्पन्न होता है, इसलिए संसारी छप्रस्थ प्राणियों द्वारा कल्पित इन वर्णोंके आधारसे मोक्षमार्ग सम्बन्धी किसी भी प्रकारकी व्यवस्था बनाकर उसको प्रमाण मानना उचित नहीं प्रतीत होता। यदि यही मान लिया जाता है कि पापी और अशुभलेश्यावाले जीव ब्राह्मण, द्वात्रिय और वैश्य होते हैं तथा पुण्यात्मा और शुभलेश्यावाले जीव ब्राह्मण, द्वात्रिय और वैश्य होते हैं तो विचार कीजिए, नरकसे निकलनेवाला वह अशुभ लेश्यावाला पापी जीव जो संयमको धारण कर उसी भवसे मोक्ष जानेवाला है शूद्रवर्णमें उत्पन्न होगा या नहीं? इसके साथ सम्भव होनेसे इतना और मान लीजिए कि अपनी जबानीकी अवस्थामें वह आङ्गन-चोरके समान सातों व्यसनाका सेवन करेगा और जिनागमके मार्गसे दूर भागनेका प्रयत्न करेगा। किन्तु जीवनके अन्तमें काललन्धि आनेपर एक दृष्टिमें सन्मार्गपर ल्पाकर बेड़ा पार कर लेगा। यदि कहा जाता है कि ऐसा जीव शूद्रवर्णमें उत्पन्न न होकर ब्राह्मणादि वर्णोंमें उत्पन्न होगा तो

तीन वर्ण उत्तम हैं और शूद्रवर्ण निकृष्ट है यह किस आधारसे माना जाय। यदि यह कहा जाता है कि ऐसा जीव शूद्रवर्णमें ही उत्पन्न होगा तो शूद्रवर्णवाला मनुष्य संयमको धारणकर मोक्ष नहीं जा सकता इस मान्यताको स्थान कैसे दिया जा सकता है? यह कहना कि ऐसा जीव पाप-बहुल और अशुभ लेश्यवाला होकर भी आगे संयमको धारणकर मोक्ष जानेवाला है, इसलिए वह तीन वर्णके मनुष्योंमें ही उत्पन्न होगा, कुछ ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इसका नियामक कोई आगम बचन नहीं उपलब्ध होता। दूसरे तीन वर्णके मनुष्य ही मोक्ष जाते हैं यह भी कोई नियम नहीं है, क्योंकि जो म्लेच्छ वर्णव्यवस्थाको ही स्वीकार नहीं करते वे भी संयमको धारणकर मोक्ष जाते हैं यह माना गया है। तथा बिस जातिमें लौकिक कुलशुदिका कोई नियम नहीं है उस जातिका मनुष्य मुनि रूपसे लौकमान्य होता हुआ वर्तमान कालमें भी देखा गया है। इसलिए स्पष्ट है कि आगम साहित्यमें संयमासंयम और संयमको धारण करनेके जो नियम चलाये हैं वे अपनेमें परिपूर्ण हैं। उनमें न्यूनाधिकता करना चक्रवर्ती राजाकी बात तो छोड़िए, सकल संयमको धारण करनेवाले छुपस्थ साधुके अधिकारके बाहरकी बात है। नियम तो केवली भगवान् भी नहीं बनाते। वे तो वस्तुमर्यादाका उद्घादनमात्र करते हैं। इसलिए उनके विषयमें भी यह कहना समीचीन होगा कि वे भी उन नियमोंको न्यूनाधिक नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक केवलीने देखा और कहा है वही अनन्त केवलियोंने देखा और कहा समझना चाहिए। सोमदेवसूरिके द्वारा आगमाभित जैनधर्मको अलौकिक धर्म कहनेका भी यही कारण है?

आचार्य कुन्दकुन्द और मूलाचार—

यह आगम साहित्यका अभिप्राय है। इसके उत्तरकालवर्ती आचार्य कुन्दकुन्दके साहित्य और मूलाचारका अभिप्राय भी इसी प्रकारका है। प्रवचनसारका चारित्र अधिकार, नियमसार और मूलाचार ये चरणानुयोगके

मौलिक ग्रन्थ हैं, इसलिए इनका महत्व और भी अधिक है। इनमें प्रधानतासे मुनि-आचारका ही प्रतिषादन किया गया है। भावप्राभृतमें यह गाथा आई है—

भावेण होह णगो मिच्छुत्ताह य दोस चहुकणं ।

पच्चा दव्वेण मुर्णी पवदिं लिंगं जिणाणाए ॥७३॥

यह गाथा भावलिङ्ग और द्रव्यलिङ्गके अन्योन्य सम्बन्ध पर प्रकाश ढालती है। भावलिङ्गकी प्राप्ति मिथ्यात्व आदि अन्तरङ्ग परिणामोंके त्याग से होती है और द्रव्यलिङ्गकी प्राप्ति मुनि पदके योग्य अन्तरङ्ग परिणामोंके साथ बलादिके त्यागपूर्वक बाह्य लिङ्गको धारण करनेसे होती है। लोकमें यह कहा जाता है कि पहले दीपक जलाओगे तभी तो प्रकाश होगा। यदि दोपक ही नहीं जलाओगे तो प्रकाश कहाँसे होगा। यह मानी हुई चात है कि दीपक जलाना और प्रकाशका होना ये दोनों कार्य एक साथ होते हैं। फिर भी इनमें कार्य-कारण भाव होनेसे यह कहा जाता है कि पहले दीपक जलाओगे तभी प्रकाश होगा। आचार्य कुन्टकुन्दने उक्त गाथा द्वारा यही भाव व्यक्त किया है। वे अन्तरङ्ग संयमरूप परिणामको कारण और बाह्य लिङ्ग धारणको उसका कार्य बतलाकर यह प्रकट करना चाहते हैं कि बाह्य लिङ्ग तभी मुनिलिङ्ग माना जा सकता है जब उसके साथ अन्तरङ्गमें संयम-रूप परिणाम हों। अन्यथा केवल द्रव्यलिङ्गको धर्म अर्थात् मोक्षमार्गमें कोई स्थान नहीं है।

इतने विवेचनसे दो बातें सामने आती हैं—एक भाव संयमकी, जिसका विवेचन आगम साहित्यमें विस्तारके साथ किया गया है और दूसरी भाव संयमके साथ होनेवाले द्रव्यसंयम को, जिसका विचार प्रवचनसार और मूलाचार आदिमें किया गया है। यह तो सिद्धान्त है कि अन्य द्रव्यको न कोई ग्रहण करता है और न कोई छोड़ता है। केवल यह जीव अन्य द्रव्य को ग्रहण करने और छोड़नेके भाव करता है। यह जीव अपने भावोंका

स्वामी है, इसलिए उन्हींका कर्ता हो सकता है। अशानी अवस्थामें वह अशानमय भावोंका कर्ता बनता है और जानी होने पर वह ज्ञानमय भावों का कर्ता होता है। ऐसी वस्तु-व्यवस्था है। इसके रहते हुए उपचारसे यह कहा जाता है कि इसने अन्य द्रव्यको ग्रहण किया, इसने अन्य द्रव्यको छोड़ा। अन्य द्रव्यको छोड़ा इसका आशय इतना ही है कि अब तक इसकी अन्य द्रव्यमें जो स्वामित्वकी बुद्धि वनी हुई थी उसका त्याग किया। प्रकृतमें भावसंयमकारणके द्रव्यसंयम होता है ऐसा कहनेका भी यही अभिप्राय है। आचार्य कुन्दकुन्द और वहके स्वामीने इस सम्बूद्ध अभिप्रायको समझकर प्रवचनसार और मूलाचारमें द्रव्यलिङ्गकी व्यवस्थाका प्रतिपादन किया है।

आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं कि जब यह जीव भावसंयमके सम्मुख होता है तब उस भावको अपने कुटुम्बियों और इष्टमित्रोंके सम्बूद्ध प्रकटकर उनकी सम्मतिपूर्वक घरसे विमुख हो आचार्यकी शरणमें जाकर उनके सम्बूद्ध अपने उत्कृष्ट भावलिङ्गके साथ द्रव्यलिङ्गको प्रकट करता है। चरण-नुयांगमें मुनिलिङ्गको प्रकट करनेकी यह पद्धति है। इसके बाद साथुका आचार-व्यवहार किस प्रकारका होता है इसका विचार उक्त आचार ग्रन्थोंमें विस्तारके साथ किया गया है।

यह तो मानी हुई बात है कि विसके भव्यत्व भावका विपाक होता है वह जीव अन्तरङ्ग परिणामोंके होनेपर सम्पूर्ण आदिको धारण करनेका अधिकारी होता है। ऐसा जीव यदि देव, नारकी भोगभूमिज तिर्यक्ष और भोगभूमिज मनुष्य होता है तो उसके सम्पर्दर्शन प्रकट होता है। कर्मभूमिज पञ्चन्द्रिय सज्जी पर्याप्त तिर्यक्ष होता है तो उसके सम्पदर्शन या इसके साथ संयमासंयम भाव प्रकट होता है और यदि कर्मभूमिज गर्भज मनुष्य होता है तो उसके सम्पदर्शन या इसके साथ संयमासंयम या संयमभाव प्रकट होता है। इसके लिए इसे इच्छाकु आदि कुलमें और ब्राह्मण आदि जातियोंमें उत्पन्न होनेकी आवश्यकता नहीं है। प्रवचनसार, नियमसार और मूलाचारमें किस कुल, वर्ण

और जातिवालेको सम्बन्धारित्रकी प्राप्ति होनी है और किस कुल, वर्ण और जातिवालेको इसकी प्राप्ति नहीं होती। इसका उल्लेख नहीं होनेका यही कारण है। कुल और जातिका वर्णों प्रसङ्ग आया है उनका आचार्य कुन्दकुन्द आदिने नियंत्र ही किया है।

इन ग्रन्थोंके चाद रत्नकरणडका स्थान है। उसमें मुख्यरूपसे यहस्थ धर्मका प्रतिपादन किया गया है। उसका समग्ररूपसे अवलोकन करनेपर भी यही निश्चय होता है कि जैनपरम्परामें मोहमार्गमें कुल, वर्ण और जातिको कोई स्थान नहीं है। इसी कारणसे उसमें मुनिदीक्षाके प्रसङ्गसे वर्ण और जातिका नामोल्लेख न करके केवल इतना ही कहा गया है कि मोहरूपी अन्धकारका अभाव होनेपर सम्बन्धर्णनकी प्राप्ति पूर्वक सम्प्रश्नानको प्राप्त हुआ साधु पुरुष दिसादिके त्यागरूप सम्बन्धारित्रको प्राप्त होता है।

व्याकरण साहित्य—

इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य समन्तभद्रके काल तक दिगम्बर जैन परम्परा अपने मूलरूपमें आई है। आचार्य पूड्यपाटके सर्वार्थसिद्धि आदि धार्मिक साहित्यका अवलोकन करनेसे भी यही निष्कर्ष निकलता है। इसमें सन्देह नहीं कि आचार्य पूड्यपाट अपने कालके बहुत बड़े आगमका आचार्य हो गये हैं। तभी तो उनके मुख्यसे वे वचन प्रकाशमें आये थे जिनके द्वारा जाति और लिङ्गकी तीव्रतासे निन्दा की गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने इन वचनों द्वारा जाति और लिङ्गके विकल्प करने मात्रको मोहमार्गका परिपन्थी घोषिया है। इस प्रकार एक और मोहमार्गमें उपयोगी पठनेवाले उनके साहित्यकी जहाँ यह स्थिति है वहाँ उनके व्याकरणमें 'वर्णेनाहं द्रूपायोग्यानाम्' सूत्रको पढ़कर आर्थ्य होता है। वर्तमान कालमें जैनेन्द्र व्याकरणके दो सूत्रपाठ उपलब्ध होते हैं—एक महावृत्तिमान्य और दूसरा शब्दार्थव्यापन्य। दोनों सूत्रपाठोंमें जितना अधिक साम्बद्ध है उतना ही अधिक वैपन्थ भी है। कुछ विद्वान् महावृत्तिमान्य सूत्रपाठको प्रमुख स्थान

देते हैं। किन्तु शब्दार्थके समान महावृत्तिका रचनाकाल ही बहुत बादका है और यह काल जातिवाटके आधारपर जैन साहित्यमें नई धारणाओं और मान्यताओंके प्रवेशका रहा है, इसलिए महावृत्तिके कर्ता अभयनन्दिको अविकलरूपमें मूळ सूत्रपाठ उपलब्ध हो गया होगा यह कह सकना बहुत कठिन है। इतना स्पष्ट है कि यह सूत्र दोनों सूत्रपाठोंमें समानरूपसे पाया जाता है, इसलिए अनेक विपरीत भारणोंके रहते हुए यह कह सकना सम्भव नहीं है कि सूत्रपाठमें इसका समावेश अन्य किसीने किया होगा या लैकिक धर्मके निर्वाहक लिए आचार्य पूज्यपादने स्वयं इसकी रचना की होगी। पिर भी कुछ तथ्योंका देखते हुए हमारा मत इस पक्षमें नहीं है कि महावृत्ति और शब्दार्थमें जिस रूपमें यह सूत्र उपलब्ध होता है, आचार्य पूज्यपादने इसकी उसी रूपमें रचना की होगी। कारणोंका विचार आगे करनेवाले हैं। जो कुछ भी हो, इस आधारसे कुछ विद्वान् अधिकसे अधिक यह धारणा बना सकते हैं कि आचार्य पूज्यपादके कालमें जैन परम्परामें इस मान्यताको जन्म मिल चुका था कि शूद्रवर्णके मनुष्य मुनिदीक्षाके अधिकारी नहीं हैं। परन्तु न तो आचार्य पूज्यपादने ही इस मान्यताको धर्मशास्त्रका अङ्ग बनानेका प्रयत्न किया और न महापुराणके रचयिता आचार्य जिनसेनने ही इसे सर्वज्ञकी वाणी बतलाया। आचार्य पूज्यपादने तो इसे अपने व्याकरण ग्रन्थमें स्थान दिया और आचार्य जिनसेनको अन्य कोई आलम्भन नहीं मिला तो भरत चकवर्तीके मुखसे इसका प्रतिपादन कराना इष्ट प्रतीत हुआ। इस स्थितिके रहते हुए भी हैं ये उल्लेख मोहमार्गकी प्रक्रियासे अनभिज्ञ अल्प प्रशास्त्राले मनुष्योंग चित्तमें विडम्बनाको पैदा करनेवाले ही।

अब योड़ा शब्द शास्त्रकी दृष्टिसे इसके इतिहासको देखिए। वर्तमान कालमें जितने व्याकरण उपलब्ध होते हैं उनमें पाणिनि व्याकरण सबसे पुराना है। इसकी पूर्व पूर्वी शताब्दी इसका रचनाकाल माना जाता है। इसमें एक सूत्र आता है—

सूत्रामामनिरवसितामाम् ॥२।४।१०॥

इसका शब्दार्थ है—‘अनिरवसित शूद्रवाची शब्दोंका द्वन्द्वसमासमें एकवन्द्राव होता है।’ मालूम पड़ता है कि पाणिनि कालमें शूद्र दो प्रकार के माने जाते थे—अनिरवसित शूद्र और निरवसित शूद्र। पाणिनिने यहाँपर शूद्रोंके लिए स्पृश्य और अप्सृश्य शब्दोंका प्रयोग नहीं किया है यह ध्यान देने योग्य बात है।

पाणिनि व्याकरणपर सर्वप्रथम भाष्यकार पतञ्जलि इहिं माने जाते हैं। वे इंसवी पूर्व दूसरी शताब्दीमें हुए हैं। उक्त सूत्रकी व्याख्या करते हुए वे लिखते हैं—

अनिरवसितानामित्युक्ते—कुतोऽनिरवसितानाम् । आर्यावर्तादनिरवसितानाम् । कः पुनरार्यावर्तः ? प्रागादर्शात्प्रत्यक्षालकवनादक्षिणेन हिमवन्तमुच्चरेण पारियात्रम् । यदेवं किञ्चिन्नघगनिधिक शक्यवनं शौर्यकोऽभिमिति न सिद्धयति । एवं तद्वार्यनिवासादनिरवसितानाम् । कः पुनरार्यनिवासः ? आमो धोषो नगरं संवाह इति । एवमपि य एते महान्तः सस्त्यायास्तेष्वभ्यन्तराधारणालामृतपाश्च वसन्ति । तत्र चण्डालमृतपा इति न सिद्धयति । एवं तद्विद्याशास्त्रकर्मणोऽनिरवसितानाम् । एवमपि ‘तद्वायस्कारं रजकतन्तुवायम्’ इति न सिद्धयति । एवं तद्विद्याशास्त्रनिरवसितानाम् । यैर्भुक्ते पात्रं संस्कारेण शुद्धयति तेऽनिरवसिताः । यैर्भुक्ते पात्रं संस्कारेणापि न शुद्धयति ते निरवसिता इति ।

यहाँपर पतञ्जलि नक्षिपने ‘अनिरवसित’ शब्दके चार अर्थ किए हैं। प्रथम अर्थ आर्यावर्तसे अनिरवसित किया है। किन्तु इस अर्थके करनेपर ‘किञ्चिन्नघगनिधिक शक्यवनं शौर्यकोऽभिमृ’ ये प्रयोग नहीं बनते, इसलिए इसे बटलकर दूसरा अर्थ आर्यनिवाससे अनिरवसित किया है। किन्तु इस अर्थके करनेपर ‘चाण्डालमृतपाः’ यह प्रयोग नहीं बनता, इसलिए इसे बटलकर तीसरा अर्थ यज्ञमम्बन्धी कर्मसे अनिरवसित किया है। किन्तु इस अर्थके करनेपर ‘तद्वायस्कारं रजकतन्तुवायम्’ ये प्रयोग नहीं बनते, इसलिए उन्हें चौथा अर्थ करना पड़ा है। इसमें उन्होंने बतलाया है कि

जिनके द्वारा भोजन करनेपर भोजनके प्रयोगमें लाया गया पात्र संस्कार करनेसे शुद्ध हो जाता है वे अनिरवसित शूद्र हैं और ऐसे शूद्रोंके बाची जितने शब्द हैं उनका द्वन्द्व समास करनेपर एकवद्वाव हो जाता है। यहाँपर व्यतिरेखमुखेन उन्होंने यह भी प्रकट कर दिया है कि जिनके द्वारा भोजन करनेपर भोजनके उपयोगमें लाया गया पात्र संस्कार करनेसे भी शुद्ध नहीं होता वे निरवसित शूद्र हैं। इससे यह अपने आप फलित हो जाता है कि निरवसित शूद्रोंके बाची शब्दोंका द्वन्द्व समास करनेपर एकवद्वाव नहीं होता। अनिरवसित शब्दका अर्थ करते हुए पतञ्जलि ऋषिने जितने उदाहरण उपस्थित किये हैं उनको देखते हुए मालूम पड़ता है कि वे किञ्चिन्नव, गन्धिक, शक, यवन, शौर्य, क्रौञ्च, तच्छ, अयस्कार, रक्ष और तनुवाय इन जातियोंको अनिरवसित शूद्र मानते रहे हैं। इससे यह भी मालूम पड़ता है कि उस कालमें आवश्यकता होनेपर इन जातियोंके पात्रादिका उपयोग ब्राह्मण आदि आर्य लोग करते रहे हैं। निरवसित शूद्रोंके उन्होंने चारण्डाल और मृतप ये दो उदाहरण दिए हैं। उनके द्वारा की गई अन्तिम व्याख्यासे यह भी मालूम पड़ता है कि उनके कालमें ब्राह्मण आदि आर्य लोग इन जातियोंके पात्र आदि अपने उपयोगमें नहीं लाते थे।

यह पतञ्जलि ऋषिके कालकी स्थिति है। उनके बाद पाणिनिकृत व्याकरणपर काशिका, लघुशब्देन्दुशेन्वर तथा मिद्दान्तकामुढी आदि जितनी व्याख्याएँ लिखी गई हैं इन सबके कर्ताओंने अनिरवसित शब्दका एकमात्र वही अर्थ मान्य रखा है जिसे अन्तमें पतञ्जलि ऋषिने स्वीकार किया है।

जैन व्याकरणमें भी शाकटायन व्याकरण तो पातञ्जल भाष्यका ही अनुसरण करता है, इसलिए उसके विषयमें तत्काल कुछ नहीं लिखना है। मात्र जैनेन्द्र व्याकरणकी स्थिति इससे कुछ भिन्न है, क्योंकि उसमें पाणिनिके 'शूद्राख्यामनिरवसितानाम्' इस सूत्रके स्थानमें 'वर्णेनार्हद्वूपा-

‘योग्यानाम्’ यह सूत्र उपलब्ध होता है। इसकी व्याख्या करते हुए महावृत्ति में कहा गया है कि जो वर्णसे अर्द्धपक्षे अयोग्य हैं उनके बाची शब्दोंका दून्दू समास करनेपर एकवद्वाव होता है। यही बात शब्दार्थवचनिकामें भी कही गई है। प्रकृतमें यह स्मरणीय है कि यहाँपर एकवद्वावको लिए हुए सब उदाहरण स्पृश्य शूद्रजातियोंके ही दिए गये हैं। यथा—
तत्त्वायस्काम्, कुलालवरुटम्।

यह हम मान लेने हैं कि शाकटायन व्याकरणकी रचना जैनेन्द्र व्याकरणके बादमें हुई है। इसलिए यह सन्देह होता है कि जैनेन्द्र व्याकरणमें निवद उक्त सूत्र शाकटायन व्याकरणके बादका होना चाहिए। अन्यथा शाकटायन व्याकरणमें इसके अभ्यास न कुछ अवश्य कहा गया होता। सोचनेको बात है कि शाकटायन व्याकरणके कठोर आचार्य होकर पातञ्जल भाष्यका अनुसरण तो करें परन्तु जैनेन्द्र व्याकरण के एक ऐसे विशिष्ट मतका जो उनको आपनो परम्पराको व्यक्त करनेवाला हो, उल्लेख तक न करें यह भला कैसे सम्भव माना जाय?

यह कहना हमें कुछ शोभनीय नहीं प्रतीत होता कि शाकटायनके कठोर यापनीय थे, इसलिए सम्भव है कि उन्होंने इस मतका उल्लेख न किया हो, क्योंकि एक तो व्याकरणमें केवल आपने सम्प्रदायमें प्रचलित शब्दों या प्रयोगोंकी ही सिद्धि नहीं की जाती है। दूसरे बैंडिंगम्बर न होकर यापनीय थे यह प्रश्न आभी विवादास्पद है। तीसरे समझ जैनसाहित्यका अध्ययन करनेसे विदित होता है कि ‘शूद्र वर्णके मनुष्य मुनि दीक्षा लेकर मोहके अधिकारी हैं’ इस विषयमें जैन परम्पराके जितने भी सम्प्रदाय हैं उनमें मतभेद नहीं रहा है। इन सम्प्रदायोंमें मतभेद के मुख्य विषय सबसे मुनिदीक्षा, न्यौमुक्ति और केवलीकवलाहार ये तीन ही रहे हैं। इसलिए दिग्म्बर तार्किकोने इन्हीं तीन विषयोंके विरोधमें लिखा है। शूद्रोंकी दिग्म्बर दीक्षाके विरोधमें उन्होंने कुछ लिखा हो ऐसा हमारे देखनेमें आभी तक नहीं आया है। तथा ‘शूद्र दीक्षा नहीं ले सकता’ इस वचनको

किसी आचार्यने भगवान् की दिव्यध्वनि कहा हो यह भी हमारे देखनेमें नहीं आया है। उत्तरकालीन कुछ लेखकोंने यद्यपि इस मान्यताको धर्मशास्त्रका अङ्ग बनाया है। परन्तु वह आचार्य जिनसेनके कथनका अनुबादमात्र है; इसलिए यही शात होता है कि जैनेन्द्र व्याकरणका उक्त सूत्र शाकटायन व्याकरणके बादका होना चाहिए। जैनेन्द्र व्याकरणके सूत्रोंमें उल्लट-फेर हुआ है, उससे ऐसा होना सम्भव भी प्रतीत होता है। इस सूत्रको जैनेन्द्र व्याकरणका असली सूत्र न माननेका एक कारण और है। जो आगे दिया जाता है—

पतञ्जलि ऋषिने वर्णव्यवस्थाको नहीं स्वीकार करनेवाली शक और यवन आदि अन्य जातियोंको 'पात्यशूद्धं' (सूश्यशूद्धो) में ही परिगणित कर लिया है। ब्राह्मण परम्परामें पातञ्जलभाष्यके सिवा अन्य साहित्यके देखनेसे भी यही विदित होता है कि उनमें तीन वर्णवाले मनुष्योंके सिवा अन्य जितने मनुष्य हैं उनकी परिगणना एकमात्र शूद्रवर्गके अन्तर्गत ही की गई है। मनुस्मृतिमें मनुमहाराज स्पष्ट कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन वर्ण द्विजाति हैं। मनुष्योंकी एक चारी जाति और है जिसे शूद्र कहते हैं। इसके सिवा अन्य पाँचवा वर्ण नहीं हैं। उल्लेख इस प्रकार है—

ब्राह्मणः क्षत्रियोः वैश्यस्त्वयो वर्णा द्विजातयः।

चतुर्थं एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पञ्चमः ॥१०-४

इसलिए द्वन्द्व समाप्तमें शक आग यवन आदि अन्य जातियोंका भी अनिर्वासित शूद्रामें परिगणित करके उनके बाची शब्दोंका एकबद्राव उन्होंने स्वीकार किया है। यद्यपि जैनेन्द्र व्याकरणके उक्त सूत्रके अनुसार भी यह व्यवस्था बन जाती है इसे हम स्वीकार करते हैं। किन्तु इसे स्वीकार करनेपर म्लेच्छ मनुष्योंकी शूद्रामें परिगणना हो जानेके कारण शूद्रोंके समान उनके लिए भी सुनिटोक्षाका निपंथ हो जाता है। यह एक ऐसी आपसि है जिसका उक्त सूत्रके वर्तमान स्वरूपमें रहते हुए वारण

करना सम्भव नहीं है। यहाँ यह कहना हमें उचित प्रतीत नहीं होता कि अन्यत्र बिन म्लेच्छोंके लिए मुनिदीक्षाका विधान किया गया है वे शक और यवन आदिसे भिज हैं, क्योंकि स्वयं पूज्यपाद आचार्य तत्त्वार्थ-सूत्रके 'आर्याम्लेच्छाशूच' (२-३६) सूत्रकी व्याख्या करते हुए म्लेच्छोंके अन्तर्दृष्टिंशु और कर्मभूमिका ये दो भेद करके कर्मभूमिका म्लेच्छोंमें शक, यवन, शवर और पुलिन्द आदि मनुष्योंकी ही परिणामना करते हैं। उनकी दृष्टिमें शक, यवन आदिके सिवा अन्य कोई कर्मभूमिका म्लेच्छ ये ऐसा उनके द्वारा रचित सर्वार्थसिद्धिसे ज्ञात नहीं होता। सर्वार्थसिद्धिका वह उल्लेख इस प्रकार है—

'म्लेच्छा द्विविधः—अन्तर्दृष्टिंपञ्चाः कर्मभूमिजाश्चेति ।………ते पृथे अन्तर्दृष्टिंपञ्चाः म्लेच्छाः । कर्मभूमिजाश्च शकववनशकवपुलिन्दादयः ।'

यह तो स्पष्ट है कि व्याकरण जैसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थकी रचना करनेवाला कोई भी विचारक ऐसे किसी नियमको सूत्रबद्ध नहीं करेगा जो सदोष हो, उसमें भी एक निर्दोष सूत्रके सामने रहते हुए ऐसा करना तो और भी असम्भव है। हमारा यह सुनिश्चित मत है कि आचार्य पूज्यपाद उन आचार्योंमें नहीं माने जा सकते जो चलती हुई कलमसे कुछ भी लिख दें। आगम रक्षाका उनके ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व रहा है और उन्होंने धर्मशास्त्रका निरूपण करनेवाले स्वरचित ग्रन्थोंमें उसका पूरी तरहसे निर्वाह भी किया है। यद्यपि आचार्य अभ्यनन्दिने ऐसे शब्द प्रयोगोंको जो उक्त सूत्रकी कहाँमें आकर भी एकवद्वावको लिए हुए नहीं हैं, 'न दधिपयश्चादीनि ॥१॥४॥०॥' इस सूत्रकी परिधिमें स्वीकार कर लिया है यह सत्य है। परन्तु इतने मात्रसे उस दोषका वारण नहीं होता बिसका निर्देश हम पूर्वमें कर आये हैं। इस प्रकार विचार करनेसे ज्ञात होता है कि जैन आगम परम्पराका विरोधी होनेसे एक तो इस सूत्रकी रचना स्वयं आचार्य पूज्यपादने की नहीं होगी। और कदाचित् उन्होंने इसकी रचना की भी होगी तो वह मोक्षमार्गको दृष्टिसे न लिखा जाकर

केवल लौकिक मान्यताके अनुसार होनेवाले वचनप्रयोगोंकी पुष्टि करनेके लिए ही लिखा गया होगा । इतना सब होने पर भी जो सरलता और वचन प्रयोगके नियम बनानेकी निर्दोष पद्धति हमें पाश्चिम व्याकरणके उक्त सूत्रमें हाइगोचर होती है वह बात जैनेन्द्र व्याकरणके उक्त सूत्रमें नहीं दिखाई देती, क्योंकि पाश्चिम व्याकरणका उक्त सूत्र केवल शब्दशास्त्र-के अनुसार नियम बनाने तक ही सीमित न होकर अपने धर्मशास्त्रकी भी रक्षा करता है । जब कि जैनेन्द्र व्याकरणका उक्त सूत्र शब्द शास्त्रके अनुसार ऐसे निर्दोष नियमका प्रतिपादन नहीं करता जो उक्त प्रकारके सब शृद्धवाची शब्दापर लागू किया जा सके । यही कारण है कि जैनेन्द्र व्याकरणमें अस्तृश शृद्धवाची शब्दोंकी परिणामा अन्यत्र दधि पथ आदि गणपाठमें करनी पड़ी है । इतना ही नहीं, इस द्वारा आगम रक्षाका तो यत्किञ्चित् भी ध्यान नहीं रखा गया है, अन्यथा उक्त सूत्रका जो स्वरूप वर्तमानमें हाइगोचर होता है वह अन्य प्रकारसे ही निर्मित किया गया होता ।

यह तो प्रकट सत्य है कि अमण वेदोंको तो धर्मशास्त्रके रूपमें मानते ही नहीं थे, वगांधर्मधर्मको भी नहीं मानते थे । जो भी अमणोंकी शरणमें आता था, जातिपातिका विचार किये विना उसे शरण देनेमें वे रक्षमात्र भी मनोच नहीं करते थे । जो उग्रमकर्षमंस स्त्रीकार करना चाहता था उसे वे उग्रमकर्षमंस स्त्रीकार कर लेने थे और जो उनके समान अमण-धर्मको स्त्रीकार करनेके लिए उद्यत दिखलाई देता था उसे वे अमण बना लेते थे । यह उनका मुख्य कार्यक्रम था जो ब्राह्मणोंको स्त्रीकार नहीं था । अमणों और ब्राह्मणोंके मध्य मूल विरोधका कारण यही रहा है । यह सनातन विरोध था जिसका परिवार होना उसी प्रकार असम्मय माना जाता था जिस प्रकार सर्व और नालोंके प्रकृतिगत विरोधको दूर करना अमम्बव है । इस विरोधकी जड़ केवल कार्यक्रम तक ही सीमित न होकर अपने-अपने आगमसे सम्बन्ध रखती थी, इसलिए दोनोंमेंसे कोई भी न तो

अपने-अपने आगमका त्याग करनेके लिए तैयार था और न अपने-अपने आगमके अनुसार निश्चित किये गए कार्यक्रमको ही छोड़नेके लिए तैयार था । यह वस्तुस्थिति है जिसकी स्वीकृति हमें पातञ्जलभाष्यके इन शब्दोंमें दृष्टिगोचर होती है—

**येषां च विरोधः शाश्वतिकः [२।४।५] इत्यस्वाक्षाशः—अमण-
द्राह्मणम् ।**

पाणिनि जटिने बृह, मृग, तृण, घान्य, व्यज्ञन, पशु और शकुनि आदि जाची शब्दोंका दृढ़ समाप्त करने पर विकल्पसे एकवद्भाव स्वीकार किया है, इसलिए यह प्रश्न उठा कि ऐसी अवस्थामें ‘येषां च विरोधः शाश्वतिकः’ इस सूत्रके लिए कहाँ अवकाश है । पतञ्जलि इसी प्रश्नका समाधान करते हुए ‘अमण्ड्राह्मणम्’ इस उदाहरणको उपस्थित करते हैं । इस प्रसङ्गमें दिये गये इस उदाहरण द्वारा उन्होंने वही शाश्वतिक विरोधकी बात स्वीकार की है जिसका हम इसके पूर्व अभी उल्लेख कर आए हैं । यद्यपि पाणिनि व्याकरणके अन्य टीकाकार ‘येषा च विरोधः’ इत्यादि सूत्रकी टीका करते हुए ‘अमण्ड्राह्मणम्’ इस उदाहरणका उल्लेख नहीं करते । परन्तु पतञ्जलि जटिको इस सूत्रको चरितार्थ करनेके लिए ‘अमण्ड्राह्मणम्’ इसके सिवा अन्य उदाहरण ही नहीं दिखलाई दिया यह स्थिति क्या प्रकट करती है ? इससे स्पष्ट मालूम होता है कि पतञ्जलि जटिओं और अन्य टीकाकारोंके मध्यकालमें विरोधकी स्थितिको शमन करनेवाली परिस्थितिका निर्माण अवश्य हुआ है । यह कार्य दोनोंको ओरसे किया गया है यह तो हम तकाल निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते । परन्तु जैनेन्द्र व्याकरणके उक्त सूत्रकी साढ़ीमें यह अवश्य ही निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि अमण्डों और ब्राह्मणोंके मध्य पुराने कालसे चले आ रहे इस विरोधके शमनका कार्य सर्व प्रथम इस सूत्रके द्वारा किया गया है । यह एक ऐतिहासिक सत्य है जिसे यहाँ हम स्पष्ट रूपसे निर्दिष्ट कर रहे हैं । इसको पुष्टिमें प्रमाण यह है कि सर्व प्रथम पाणिनि जटिने यह सूत्र अनिरचित शब्दोंके लिए बचन-

प्रयोगमें किये जानेवाले एकवद्वावको दिखलानेके अभिप्रायसे बनाया। ७८८ बाद पतञ्जलि शृंगिने अनिरचित शृङ् शब्दका अर्थ पाञ्चशृङ् किया। जिसे पाणिनि व्याकरणके अन्य टीकाकारोंने तो मान्य रखा ही, जैन-व्याकरणकार शाकटायनने भी उसी अर्थकी पुष्टि की। इस प्रकार एक विविहित अर्थमें चला आ रहा यह सूत्र जैनेन्द्र व्याकरणमें स्पान्तरित होकर दृष्टिगोचर होता है यह क्या है ? यह तो स्पष्ट है कि अमणों और ब्राह्मणोंके मध्य अन्य तीन वर्णोंको लेकर विवाद नहीं था, क्योंकि इन तीन वर्णोंको कर्मसे मान लेनेपर जो सामाजिक और आध्यात्मिक अधिकार मिलना सम्भव था वे अन्मसे वर्ण व्यवस्थाके स्वीकार करनेपर भी उन्हें मिले हुए थे। इससे अवहारमें इन तीन वर्णोंके मध्य परस्पर हीन भावका सबाल लड़ा नहीं होता था। मुख्य विवाद तो शूद्रोंको लेकर ही था। ब्राह्मणोंका कहना था कि शूद्र वर्णको ईश्वरने शोष तीन वर्णोंकी सेवाके लिए ही निर्मित किया है। यही उनकी आजीविका है और यही उनका धर्म है। अमणोंका कहना था कि वे दुर्भलता वश मले ही अम और अन्यकी सेवा द्वारा अपनी आजीविका करते हों परन्तु यह उनका धर्म नहीं हो सकता। धर्ममें उनका वही अधिकार है जो अन्य वर्णवालोंको मिला हुआ है। अमणों और ब्राह्मणोंका यह विवाद अनादि था और इसका कहीं अन्त नहीं दिखलाई देता था। मालूम पढ़ता है कि जैनेन्द्र व्याकरणके उक्त सूत्रमें किये गये परिवर्तन द्वारा उस विरोधका शमन किया गया है।

मध्यकालीन जैन साहित्य—

अब जैनेन्द्र व्याकरणके बादके मध्यकालीन जैन साहित्यको देखें कि उसमें इस विचारको कहाँ तक प्रभ्रय मिला है। इस दृष्टिसे सर्व प्रथम हमारा ध्यान वराङ्गचरित पर जाता है। यह प्रथम महाकाव्य है जिसमें कर्मसे वर्ण व्यवस्थाकी स्थापना कर ब्राह्मणोंको आदे हाथों लिया गया है। स्पष्ट है कि इसका लक्ष्य आगमिक है। यह शृङ् होनेके कारण किसी व्यक्तिको मुनिदीक्षाके अयोग्य घोषित नहीं करता।

दूसरा स्थान भट्टाकलङ्कुके विविध विषयोपर लिखे गये साहित्यक्रम है। यह साहित्य चितना विशाल है उतना ही वह अध्ययन और मनन करने योग्य है। जैन परम्परामें जिन कठिपय आचार्योंकी प्रमुखरूपसे परिगणना की जाती है उनमें एक आचार्य भट्टाकलङ्कुदेव भी है। इनके साहित्यमें सैदान्तिक विषयोंकी गहनरूपसे तात्त्विक मीमांसा की गई है। जैनधर्मसे सम्बन्ध रखनेवाला ऐसा एक भी विषय नहीं मिलेगा जिसपर इनकी सूची दृष्टि न गई हो। इन्होंने 'तजिसर्गाधिगमाद्वा' सूची व्याख्या करते (त० स० १, ३) हुए यह तो स्वीकार किया कि ब्राह्मणधर्ममें शूद्रोंको वेद पढ़नेका अधिकार नहीं दिया गया है। यदि उसी प्रकार जैनधर्ममें शूद्रोंको मुनिदीक्षा लेने या जैन आगम पढ़नेका अधिकार न होता तो उसके स्थानमें अपने आगमका उल्लेख ये अपने ग्रन्थोंमें न करते यह सम्भव नहीं प्रतीत होता। स्पष्ट है कि इनकी दृष्टि भी आगमिक रही है और इसलिए इन्होंने भी शूद्र होनेके कारण किसी व्यक्तिको मुनिधर्मके अयोग्य घोषित नहीं किया।

भट्टाकलङ्कुके बाद परिगणना करने योग्य जैन साहित्यमें पश्चपुराण और हरिवंशपुराणका नाम प्रमुखरूपसे लेना उपयुक्त प्रतीत होता है। पुराण साहित्य होनेसे इनका महत्व इस दृष्टिसे और भी अधिक है। इन ग्रन्थोंमें भी वर्ण व्यवस्था जन्मसे न बतलाकर कर्मसे ही बतलाई गई है। पश्चपुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो चण्डाल ब्रातोंको धारण करता है वह ब्राह्मण है। इसी प्रकार हरिवंशपुराणमें भी गुणोंकी महत्ता स्थापित कर कातिवादकी निन्दा की गई है। इसमें एक वेश्यापुत्रीका उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है कि उसने केवल चाकदत्तके साथ विवाह ही नहीं किया था किन्तु ब्रातोंको स्वीकार कर अपने जीवनका भी निर्माण किया था। इस प्रकार इन पुराणोंको सूक्ष्मरूपसे अवलोकन करनेसे भी वही विदित होता है कि इनमें भी एकमात्र आगमिक दृष्टि ही अपनाई गई है। शूद्र बिनदीका धारण कर मोहके पात्र नहीं होते यह मत इन्हें भी मान्य नहीं है।

एक और बहाँ हरिवंशपुराणका संकलन हो रहा था उसी समय वीरसेन आचार्य षट्खण्डागम टीकाके निर्माणमें लगे हुए थे। संयमा-संयम और संयमको कौन व्यक्ति धारण करता है इसकी चरता करते हुए वे लिखते हैं कि वह चारित्र दो प्रकारका है—देशचारित्र और सकल चारित्र। उनमेंसे देशचारित्रको प्राप्त होनेवाले मिथ्याहृषि दो प्रकारके होते हैं—प्रथम वे जो वेदकसम्बन्धके साथ संयमासंयमके अभिमुख होते हैं और दूसरे वे जो उपशमसम्बन्धके साथ संयमासंयमके अभिमुख होते हैं। संयमको प्राप्त होनेवाले जीव भी इसी तरह दो प्रकारके होते हैं।

कुछ उल्लेखोंको छोड़कर इसी तथ्यको वीरसेन स्वामीने एकाधिकबार दुहराया है। आगममें किस गुणस्थानसे जीव किस गुणस्थानको प्राप्त होता है इस बातका स्पष्ट निर्देश किया है। जब यह जीव मिथ्यात्वसे उपशमसम्बन्धके साथ देशचारित्र और सकलचारित्रको प्राप्त होता है तब इनकी प्राप्ति करणलिंग पूर्वक ही होती है। सम्यग्हृषि जीवके द्वारा भी इन गुणोंको प्राप्त करते समय अथःकरण और अपूर्वकरणरूप परिणाम होते हैं। केवल जो जीव एक बार इन गुणोंको प्राप्त कर और पतित होकर अतिशीघ्र उन्हें पुनः प्राप्त करता है उसके करणपरिणाम नहीं होते। इन गुणोंको प्राप्त करनेकी यह बास्तविक प्रक्रिया है। इसमें किसी प्रकारकी दीक्षाके लिए अवसर ही नहीं है। वह उपचार कथन है जो चरणानुयोगकी पद्धतिमें कहा गया है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि कोई व्यक्ति वर वैठे ही और वस्त्रादिका त्याग किये बिना ही संयमरूप परिणामोंको प्राप्त करनेका अधिकारी हो जायगा। अन्तरङ्ग मूल्कोंके साथ बाह्य परिप्रहका त्याग तो होता ही है। चरणानुयोगकी जो भी सार्थकता है वह इसीमें है। पर चरणानुयोगकी पद्धतिसे चलनेवाला व्यक्ति संयमा-संयमी और संयमी होता ही है ऐसा नहीं है। इसीसे चरणानुयोगकी पद्धतिको उपचार कथन कहा गया है। स्पष्ट है कि मोद्दमार्गकी पद्धतिमें ब्रह्मचारके लिए स्थान नहीं है। यही करण है कि मूल आगमसाहित्यके

समान धरणी टीकामें भी मात्र इतना ही स्वीकार किया गया है कि जो कर्मभूमिज है, गर्भज है, पर्यास है और आठ वर्षका है वह सम्यक्त्वपूर्वक संयमासंयम और संयमको धारण करनेका अधिकारी है। आचार्य बिनसेनके महापुराणको छोड़कर उत्तरकालमें लिखे गये गोमटसार जीवकाशण, कर्मकाशण और लन्धिसार-क्षपणसारमें भी इसी तथ्यको स्वीकार किया गया है। इसलिए इनके कर्ताके सामने मनुष्योंके आर्य और म्लेच्छ ऐसे भेद उपस्थित होनेपर उन्हें कहना पड़ा है कि दोनों ही संयमासंयम और संयमधर्मके अधिकारी हैं। इतना ही नहीं कथायप्राभृत की टीका करते समय इसी तथ्यको स्वयं आचार्य बिनसेनको भी स्वीका करना पड़ा है। वे करते क्या। उनके सामने इसके सिवा अन्य कोई गति ही नहीं थी। प्रमेयकमलमार्तंश आदि न्याय ग्रन्थोंका भी यही अभिप्राय है। यह उत्तरकालीन प्रमुख साहित्यका सामान्यावलोकन है जो प्रत्येक विचारकके मनपर एकमात्र यही छाप अंकित करता है कि कहाँ जैनधर्म और कहाँ बर्णश्रीमधर्म। यह कहना तो आसान है कि पापको मार भगाओ और पापीको अपनाओ। पर क्या ब्राह्मणधर्मके अनुसार इन दोनोंमें भेद करना सम्भव है। यदि इन दोनोंके भेदको समझना है तो हमें जैनधर्मके आन्तरिक रहस्यको समझना होगा। तभी जैनधर्मकी चरितार्थता हमारे ध्यानमें आ सकेगी। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम शद्को पापी और ब्राह्मणको पवित्रात्मा मानते हैं। जातिवादके आवारपर कहियत की गई ये ब्राह्मण आदि संज्ञाएँ मनुष्योंमें भेद डालकर आत्मतोषका कारण भले ही वन जौय पर धर्ममें इनका आश्रय करनेवाला व्यक्ति चिर मिथ्यात्मी बना रहेगा इसमें रखमात्र भी सन्देह नहीं है। एक जैन कविने इन जातियोंकी निःसारता बतलाते हुए कहा है यह उन्हींके शब्दोंमें पढ़िए—

न विप्राविप्रयोरहस्ति सर्वथा द्वुद्वारीकृता ।
कालेनादिना गोत्रे स्वरूपं क न जायते ॥
संयमो नियमः शीलं तपो दावं दमो दद्या ।
विचम्न्ते सारिका यस्यां स जातिमहती भसा ॥

कालका प्रवाह बहुत दूर तक गया है। इस बीच प्रत्येक कुलका विट्ठल जाना सम्भव है, इसलिए न तो इम यह ही कह सकते हैं कि ब्राह्मण सदा ब्राह्मण ही बना रहता है और न वह ही कह सकते हैं कि अब्राह्मण कभी ब्राह्मण नहीं हो जाता है। जन्मके आधारसे छोटी बड़ी जाति मानना योग्य नहीं है। वास्तवमें बही जाति उसकी है जिसमें तात्त्विकरूपमें संयम, नियम, शील, तप, दान और ददा ये गुण पाये जाते हैं।

अन्तिम निष्कर्ष यह है कि मध्यकालीन जितना भी प्रमुख साहित्य उपलब्ध होता है उसमें जैनेन्द्र व्याकरणके उक्त सूत्रको प्रभ्रय न देकर एकमात्र आगमिक परम्पराको ही प्रश्रय दिया गया है। जैनेन्द्र व्याकरणमें इस सूत्रने कहाँसे स्थान प्राप्त कर लिया, हमें तो इसीका आश्रय होता है। समयकी बलिहारी है।

महापुराण और उसका अनुवर्ती साहित्य—

अब हम महापुराण पर दृष्टिपात करें। महापुराणके देखनेसे नाटकके समान दो दृश्य हमारे सामने उपस्थित होते हैं—एक केवलज्ञान सम्बन्धगावान् आदिनाथके मोक्षमार्ग विषयक उपदेशका और दूसरा भरत चक्रवर्तीके द्वारा ब्राह्मण वर्णको स्थापना करनेके बाद उन्हींके द्वारा दिलाये गये उपदेश का। भगवान् आदिनाथके द्वारा दिलाये गये मोक्षमार्गांपयोगी उपदेशमें न तो चार वर्णोंका नाम आता है और न कौन वर्णवाला कितने धर्मको धारण कर सकता है इस विषयकी भीमासा की जाती है। वहाँ केवल जीवोंके भव्य और अभव्य ये दो भेद करके बतलाया जाता है कि इनमेंसे अभव्य जीव सम्बद्धर्णन आदि किसी भी प्रकारके धर्मको धारण करनेके अधिकारी नहीं हैं। किन्तु जो भव्य हैं वे कालजलिंघ आने पर अपनी-अपनी गतिके अनुसार सम्बद्धर्णन आदि धर्मको धारण कर अन्तमें अनन्त सुखके पात्र बनते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि केवल-ज्ञानसम्बन्ध भगवान् ऋषभदेव यह तो जानते थे कि जो भव्य जीव

रजत्रयधर्मको धारण कर आत्मकल्याणमें लगते हैं वे परम धामके पात्र होते हैं पर वे यह नहीं जानते थे कि मुनिदीक्षाके अधिकारी मात्र तीन वर्णके मनुष्य हैं, शूद्र वर्णके मनुष्य मुनिदीक्षाके अधिकारी नहीं हैं और न वे उपनयन संस्कारपूर्वक गृहस्थधर्मकी दीक्षाके ही अधिकारी हैं। वे चाहें तो मरण पर्यन्त एक शाटक ब्रतको धारण कर सकते हैं। यह एक शाटकब्रत क्या बस्तु है यह भी वे नहीं जानते थे। यह सब कौन जानते थे? एकमात्र भरत चक्रवर्ती जानते थे। इसलिए उनके मुखसे उपदेश दिलाते हुए आचार्य जिनसेन ऐसे विलक्षण नियम बनाते हैं जिनका सर्वहकी वाणीमें रक्षमात्र भी दर्शन नहीं होता। वे मुनिदीक्षाका अधिकार मात्र द्विजको दिलाते हुए कहलाते हैं—‘जिसने घर छोड़ दिया है, जो सम्युद्धि है, प्रशान्त है, गृहस्थोका स्वामी है और दीक्षा लेनेके पूर्व एक बस्त्रब्रतको स्वीकार कर चुका है वह दीक्षा लेनेके लिए जो भी आचरण करता है उस कियासमूहको द्विजकी दीक्षाद्य नामकी किया जाननी चाहिए।’ इस विषयका समर्थन करते हुए वे पुनः कहते हैं कि ‘जो घर छोड़कर तपोवनमें चला गया है ऐसे द्विजके लो एक बस्त्रका स्वीकार होता है वह पहलेके समान दीक्षाद्य नामकी किया जाननी चाहिए।’ उनके कथनानुसार ऐसा द्विज ही जिनदीक्षा लेनेका अधिकारी है। वही मुनि होनेके बाद तीर्थक्षर प्रकृतिका बन्ध करता है और वही स्वर्गसे आकर चक्रवर्तीके साम्राज्यका उपभोग करता है। आवक धर्मकी दीक्षाके विषयमें आचार्य जिनसेनने भरत चक्रवर्तीके मुखसे यह कहलाया है कि ‘इस विषयके ज्ञानकार विद्वानोंके द्वारा लिखे हुए अष्ट दल कमल अथवा जिनेन्द्रदेवके समवसरण मण्डलकी जब सम्पूर्ण पूजा हो चुके तब आचार्य उस भव्य पुरुषको जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाके सम्मुख बैठावें और चार-चार उसके मस्तकको स्वर्ण करता हुआ कहे कि यह तेरी आवककी दीक्षा है।’ इस प्रकार भरत चक्रवर्तीके मुखसे और भी बहुतसे नियमोंका विवाद कराकर आचार्य जिन सेनने सामाजिक चेत्रकी तो बात छोड़िए धार्मिक चेत्रमें भी वही स्थिति

उत्पन्न कर दी है जो ब्राह्मणोंको इष्ट थी। जैनेन्द्र व्याकरणके जिस सूचका निर्देश हम पहले कर आये हैं उसीसे बल पाकर आचार्य जिनसेनने यह कार्य किया है या उनके कालमें निर्माण हुई परिस्थितिसे विवश होकर उन्हें यह कार्य करना पड़ा है यह तो हम निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते। परन्तु हम निश्चय पूर्वक इतना अवश्य कह सकते हैं कि उनके इस कार्यसे आगमिक परम्पराकी अत्यधिक हानि हुई है। महापुराणके बादका अधिकतर साहित्य इसका साक्षी है। वर्णव्यवस्थाका सम्बन्ध समाजसे है, धर्मसे नहीं, इसलिए उसे छोड़कर ही मोक्षमार्गका निरूपण होना चाहिए इसे लोग एक प्रकारसे भूल से गए।

आचार्य जिनसेनके बाद सर्व प्रथम उत्तरपुराणके कर्ता गुणभद्र आये तो उन्हें मोक्षमार्गमें तीन वर्ण दिखलाई दिये। एक और वे जाति व्यवस्थाकी तीव्र शब्दोंमें निन्दा भी करते हैं और दूसरी और वे यह कहनेसे भी नहीं चूकते कि जिनमें शुद्धत्यानके कारण जाति नामकर्म और गोत्रकर्म हैं वे तीन वर्ण हैं। प्रबन्धनसारके टीकाकार जयसेनकी तो कोई चात ही नहीं है। उन्हें तीन वर्ण दीक्षाके योग्य हैं इस आशयकी एक गाथा मिल गई। समझ यही आगमप्रमाण है, उद्भृत कर दी। सोमदेव सूरि और पर्णष्ठ प्रबर आशाधर जी का भी यही हाल है। सोमदेव सूरि सामने होते तो पूछते कि महाराज ! आप यह चात श्रुति और स्मृतिविहित लौकिकधर्मकी कह रहे हो या आगमविहित पारलौकिक धर्मकी, क्योंकि इन्होंने गृहस्थके लिए दो प्रकारके धर्मका उपदेश दिया है—एक लौकिक धर्मका और दूसरा पारलौकिक धर्म का। यह प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने यह कहनेका साहस किया है कि लौकिक धर्ममें वेद और मनुस्मृति प्रमाण हैं। किर भी वे एक सांसारमें यह भी कह चाते हैं कि इसे प्रमाण माननेमें न तो सम्यक्त्वकी हानि होती है और न व्रतोंमें दूषण लगता है। पहले हम एक प्रकरणमें इस स्पष्टोक्तिके कारण इनकी प्रशंसा भी कर आये हैं। पश्चिडत प्रबर आशाधर जी कुल और जाति-

व्यवस्थाको मृषा मानते रहे हैं इसमें सन्देह नहीं। तथा शूद्रोंके साथ न्याय हो इस ओर भी उनका मन मुक्ता हुआ दिखाई देता है। पिर भी वे आचार्य जिनसेन और सोमदेव सूरि द्वारा धराये गये मार्गको सर्वथा नहीं छोड़ना चाहते इसीका आश्चर्य होता है। पण्डितप्रबर आशाधर जी ने अपने सागरधर्मामृतके अध्याय दोके २०वें श्लोकको टीकामें दीक्षाका स्पष्टीकरण करते हुए उसे तीन प्रकारकी बतलाया है—उपासकदीक्षा, जिनमुद्रा और उपनीत्यादिसंस्कार। इससे प्रकट होता है कि आचार्य जिनसेनके समान सोमदेव सूरि और पण्डित प्रबर आशाधर जी भी यह मानते रहे हैं कि शूद्र न तो गृहस्थधर्मकी दीक्षा ले सकता है, न मुनि हो सकता है और न उसका उपनयन आदि संस्कार ही हो सकता है। मनुस्मृतिमें 'न संस्कारमर्हति (१०-१२६)' इस पदका खुलासा करते हुए टीकाकारने कहा है कि 'शूद्र संस्कारके योग्य नहीं है इसका तात्पर्य यह है कि शूद्र उपनयन आदि संस्कार पूर्वक अग्नि होत्रादिधर्ममें अधिकारी नहीं है, क्योंकि उसके लिए यह विहित मार्ग नहीं है। यदि वह पाकशादि धर्मका आचरण करता है तो विहित होनेसे उसका निषेध नहीं है।' मनुस्मृतिके इस बचनके प्रकाशमें महापुराणके उस बचन पर हाइपात कीबिए जिसमें यह कहा गया है कि उपनयनसंस्कार होनेके बाद यह द्विज आवकधर्मकी दीक्षा लेता है। बाइप्यधर्ममें उपनयन संस्कार तथा अग्निहोत्रादि कर्म ही गृहस्थ धर्म है, इसलिए वहाँ उपनयनसंस्कारपूर्वक अग्निहोत्रादि कर्मके करनेका विधान किया गया है और जैनधर्ममें पाँच अणुव्रत आदिको स्वीकार करना गृहस्थ धर्म है, इसलिए यहाँ उपनयनसंस्कारपूर्वक पाँच अणुव्रत आदिके स्वीकार करनेका विधान किया गया है। मनुस्मृतिके कथनमें और महापुराणके कथनमें इस प्रकार जो योद्धा-सा अन्तर दिखलाई देता है इसका कारण केवल इतना ही है कि आगमपरम्परामें जो पाँच अणुव्रत आदिके स्वीकार करनेको गृहस्थधर्म कहा गया है, प्रकृत

व्यवस्थामें उसे स्वीकार कर लेना अत्यन्त आवश्यक था, अन्यथा उपनयन-संस्कार आदि विधिपर जैन परम्परामें छाप लगाना कठिन ही नहीं असम्भव हो जाता, इसलिए आचार्य जिनसेनने अपनी योजनानुसार उपनयनसंस्कार के साथ पितृतर्पण और अग्निहोत्रादि कर्मको तो स्वीकार किया ही। साथ ही उसमें पाँच आगुब्रत आदिको और जोड़ दिया। इस प्रकार इतने विवेचनसे स्पष्ट हो जाता है कि महापुराण या उसके उत्तरकालवर्तीं यशस्तिलकचम्पू और सागरधर्मामृत आदिमें जो तीन वर्णके मनुष्यको दीक्षाका अधिकारी बतलाया गया है वह सब मनुस्मृतिका अनुसरणमात्र है। उसे आगमविधि किसी भी अवस्थामें नहीं कहा जा सकता। महापुराणकी इस व्यवस्थाको आगमविधि न माननेके और भी कई कारण हैं। खुलासा प्रकार है—

१. आवकधर्मको लियाँ और तिर्यक्ष भी स्वीकार करते हैं परन्तु उनका उपनयनसंस्कार नहीं होता।

२. पुराणोंमें जितनी भी कथाएँ आई हैं उनमें कहीं भी उपनयन-संस्कारका उल्लेख नहीं किया है। उनमेंसे अधिकतर कथाओंमें यही बतलाया गया है कि कोई भव्य जीव मुनि या केवलीके उपदेशको मुनकर अपनी योग्यतानुसार आवकधर्म या मुनिधर्ममें दीक्षित हुआ। दीक्षा लेनेवालोंमें बहुतसे चाएढाल आदि शहद भी रहते थे।

३. उल्लृष्ट आवकधर्मका पालन करनेवाला अधिकसे अधिक सोलहवें स्वर्ग तक जाता है। यह अन्तिम अवधि है। जिसने जीवन भर ऐलक धर्म या आर्यिका धर्मका उत्तम रीतिसे पालन किया है वह भी इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। पुराणोंमें एक कथा आई है जिसमें चण्डाल द्वारा आवकधर्मको स्वीकार करके उसका सोलहवें स्वर्गमें देव होना लिखा है। इससे स्पष्ट है कि उपनयनसंस्कारपूर्वक आवक धर्मकी दीक्षा तीन वर्णवाला ही ले सकता है और वही अन्तमें मुनिदीक्षाका अधिकारी है, महापुराणका यह विधान मनुस्मृतिका अनुसरणमात्र है, क्योंकि मनुस्मृतिमें

ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन चार आधमोंके आधयसे बो कम और विधि स्वीकार की गई है, गर्भाचानादि संस्कारोंको स्वीकार कर महापुराणकार उसी कम और विधिको मान्य रखते हुए प्रतीत होते हैं।

५. महापुराणमें गर्भान्वय कियाओंको संख्या ५३ बतलाई है। उनमें से पहली कियाका नाम गर्भान्वय है। गृहस्थ इस कियाको अपनी लीमें गर्भ धारण करनेकी इच्छासे करता है। दूसरी कियाका नाम प्रीति है। यह किया अपनी लीमें गर्भ धारण होनेके कारण आनन्दोत्सव करनेके अभिप्रायसे तीसरे माहमें की जाती है। तीसरी कियाका नाम सुप्रीति है। यह किया भी उक्त अभिप्रायसे पाँचवें माहमें की जाती है। आगे धृति, मोद, प्रियोद्भव, नामकर्म, बहिर्यान, निषदा, अच्छप्राशान, बुष्टि और केशवाप इन कियाओंका उद्देश्य भी गृहस्थका पुत्र उत्पन्न होनेके कारण अपने आनन्दको व्यक्त करना मात्र है। गृहस्थका संसार बढ़ता है और वह आनन्द मनाता है यह इन कियाओंके करनेका अभिप्राय है। मनु-सृष्टिमें ये कियाएं ‘आपुत्रस्य गतिनार्स्ति’ इस सिद्धान्तकी पुष्टिके अभिप्रायसे कही गई हैं। महापुराणकारने भी प्रच्छन्नभावसे इस सिद्धान्तको मान्य कर इन कियाओंका विवान किया है। अन्तर केवल इतना है कि मनुसृष्टिके अनुसार ये कियाएं वैदिक मन्त्रोंके साथ करनेका विवान है और महापुराणके अनुसार इन कियाओंको करनेके लिए भरत महाराजके मुखसे अलगसे कियागर्म मन्त्रोंका उपदेश दिलाया गया है। दुर्भाग्यसे यदि पुत्री उत्पन्न होती है तो ये कियाएं नहीं की जाती हैं। पुत्री उत्पन्न होनेके पूर्व जितनी कियाएं औंचरेमें हो लेती हैं उन पर गृहस्थ किसी प्रकारकी टीका टिप्पणी न कर सन्तोष मानकर बैठ जाय यही बहुत है। इस प्रकार इन कियाओंके स्वरूप पर विचार करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन कियाओंका उद्देश्य सासारिक है। मात्र इनको करते समय पूजा और हवनविधि कर ली जाती है। आगे जो कियाएं बतलाई हैं उनमेंसे भी कुछ कियाएं लगभग इसी अभिप्रायसे कही गई हैं। इस प्रकार ये कियाएं

सांसारिक प्रयोगनको लिए हुए हैं, इसलिए उनके साथ आवकदीक्षा और मुनिदीक्षाका सम्बन्ध स्थापित करनेवाले वचन आगमवचन नहीं माने जा सकते।

६. जैनधर्ममें भावपूर्वक स्वयं की गई किया ही मोक्षमार्गमें उपयोगी मानी गई है। अन्य व्यक्तिके द्वारा की गई कियासे उसमें उपयोग लगाये जिना दूसरा व्यक्ति संस्कारित होता हो यह सिद्धान्त जैनधर्ममें मान्य नहीं है। यह वस्तुस्थिति है जो सर्वत्र लागू होती है। किन्तु इन गर्भाधानादि क्रियाओंमें उक्त सिद्धान्त की अवहेलना की गई है। इसलिए भी जिसने इन क्रियाओंको किया वही आवकदीक्षा और मुनिदीक्षाका अधिकारी है यह कथन मान्य नहीं किया जा सकता।

७. आगममें भिष्यादृष्टि जीव मरकर कहाँ उत्पन्न होता है इसके लिए गत्यागतिके नियमोंको छोड़कर अन्य कोई नियम नहीं है। तद्भव मोक्ष-गामी जीव भी मनुष्य पर्यायमें उत्पन्न होते समय वह नियमसे कर्मभूमिका गर्भमें मनुष्य होगा, इतना ही नियम किया है। ऐसा मनुष्य उच्चगोत्री भी हो सकता है और नीचगोत्री भी हो सकता है। यदि नीचगोत्री होगा तो सकलसंयमको लेते समय वह नियमसे उच्चगोत्री हो जायगा। यह तो भिष्यादृष्टि जीवके लिए व्यवस्था बतलाई है। सम्यदृष्टि जीवके लिए यह व्यवस्था कही है कि ऐसा जीव पहले नरकके जिना छह नरकोंमें नहीं उत्पन्न होता, भवनत्रिक देवों और देवियोंमें नहीं उत्पन्न होता, प्रथम नरकके सिवा सब प्रकारके नपुंसकोंमें नहीं उत्पन्न होता तथा एकेन्द्रियादि सम्पूर्ण जन्मवालोंमें नहीं होता। अन्यत्र उसके उत्पन्न होनेमें कोई बाधा नहीं है। इस नियमके अनुसार वह भी नीचगोत्री और उच्चगोत्री दोनों प्रकारके मनुष्योंमें उत्पन्न होकर उसी भवसे मोक्षका अधिकारी हो सकता है। इसलिए भी त्रिवर्णका मनुष्य ही आवकदीक्षा और मुनिदीक्षाका अधिकारी है यह सिद्धान्त मान्य नहीं किया जा सकता।

८. आचार्य कुन्दकुन्दने चरणानुयोगके अनुसार कुछ नियमोंका

विधान किया है। उनमें प्रथम बात यह कही है कि स्त्री मुनिदिव्यको स्वीकार कर मुक्ति की पात्र नहीं हो सकती। दूसरी बात यह कही गई है कि कोई मनुष्य बलका त्याग किये बिना मुनिधर्मको नहीं प्राप्त कर सकता तथा तीसरी बात यह कही गई है कि इस भरत द्वे त्रिमें दुःखमाकालके प्रभाववश साधुके धर्मध्यान होता है, शुक्लध्यान नहीं हो सकता। इन तीन नियमोंको छोड़कर वहाँ यह नहीं कहा गया है कि अमुक वर्णका मनुष्य ही गृहस्थदीक्षा और मुनिदीक्षाका अधिकारी है। इस कारण भी मात्र त्रिवर्णका मनुष्य उपासकदीक्षा और मुनिदीक्षाका अधिकारी है यह सिद्धान्त मान्य नहीं किया जा सकता।

६. स्वयं आचार्य जिनसेन उपनयन आदि क्रियाकाण्डके उपदेशको भगवान् सर्वज्ञकी वारणी न बतला कर राज्यादि वैभवसम्बन्ध भरत महाराज का उपदेश कहते हैं, इसलिए भी एकमात्र तीन वर्णका मनुष्य उपासक-दीक्षा और मुनिदीक्षाका अधिकारी है इस वचनको मोक्षमार्गमें स्वीकार नहीं किया जा सकता।

ये कुछ तथ्य हैं जो महापुराण और उसके अनुबत्तीं साहित्यके उक्त कथनको आगम बास्थ ठहरानेके लिए पर्याप्त हैं। स्पष्ट है कि जैनधर्ममें मोक्षमार्गको हृषिसे शूद्रोंका वही स्थान है जो अन्य वर्णवालोंका माना जाता है।

साधारणातः शूद्रामें पिण्डशुद्धि नहीं होती, वे मद्य मास आदिका सेवन करने ह और सेवा आदि नोचकर्म करते हैं, इसलिए उन्हें उपनयन संस्कारपूर्वक दीक्षा क अव्याध्य घोषित किया गया है। किन्तु तात्त्विकहृषिसे विचार करनेपर इन हेतुआम कोई सार प्रतीत नहीं होता, क्योंकि एक तो ब्राह्मण, द्वितीय और वैश्योंमें भी ये दोष देखे जाते हैं। दूसरे जो सिंह, कन्यु और मच्छ आदि तिर्यक जीवनभर हिंसा कर्मसे अपनी आजीविका करते हैं और जिनमें स्त्री-पुरुषका कोई विवेक नहीं है वे भी जब आगम-विधिके अनुसार सम्यग्दर्शन और विरताविरतरूप धर्मको धारण करनेके

आधिकारी माने गये हैं। ऐसी अवस्थामें शूद्र मोक्षमार्गमें आधिकारी न हों यह सम्भव नहीं प्रतीत होता। प्रत्येक मनुष्यका सदाचारी होना उत्तम है इसमें सन्देह नहीं। परन्तु वह पहले खोटे कर्मोंमें रत रहा है, इसलिए वह कभी भी उत्तम मार्गका आधिकारी नहीं हो सकता यह जिनाज्ञा नहीं है। जिस प्रकार चन्द्र अपने शीतल प्रकाशकी छुटासे नीच और ऊँच सबको आलोकित करता है और जिस प्रकार मेघ सबके ऊपर समान बरसा करता है उसी प्रकार धर्म भी नीच और ऊँच सबको शरण देकर उनकी आत्माको अनन्त सुखका पात्र बनाता है। पारलौकिक धर्मके इस अपरिमित माहात्म्यको सोमदेवसूरिने भी हृदयङ्गम किया था। तभी तो अनायास उनके मुखसे ये वचन निकल पड़ते हैं—

उत्थावचजनप्रायः समयोऽयं जिनेशिनामृ ।

नैकस्मिन् पुरुषे तिष्ठेदेकस्तम्भ इवाक्यः ॥

जिनेन्द्र भगवानका यह शासन ऊँच और नीच सबके लिए है, क्योंकि जिस प्रकार एक स्तम्भके आश्रयसे महल नहीं टिक सकता उसी प्रकार एक पुरुषके आश्रयसे जैनशासन भी नहीं स्थिर रह सकता।

भट्टारक सोमदेवने तीन वर्णकी महत्त्वा प्रस्थापित करनेके लिए जितना सम्भव था उतना प्रयत्न किया है। किन्तु सत्य वह वस्तु है जिसे चिरकाल तक गलेके नीचे दबाकर नहीं रखा जा सकता। अन्तमें उसे प्रकट करना ही पड़ता है। जैसा कि उनके इस वचनसे प्रकट है—

विप्रद्वित्रियविद्शूद्राः प्रोक्ता क्रिया विशेषतः ।

जैनधर्मे पराः शक्तास्ते सर्वे बान्धवोपमाः ॥

क्रियाभेदसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये भेद कहे गये हैं। जैनधर्ममें अत्यन्त आसक्त हुए वे सब परस्पर भाई-भाईके समान हैं।

वह जैनशासन जो सबको समान भावसे शरण देता है चिरकालतक जयवन्त रहे।

आहारग्रहण मीमांसा

दान देनेका अधिकारी—

पिछले अध्यायमें जैनधर्मके अनुसार मुनिधर्म और आवकधर्मको स्वीकार करनेका अधिकारी कौन है इसका साङ्गोपाङ्ग विचार कर आये हैं। इस अध्यायमें मुख्यरूपसे आहार देनेका पात्र कौन हो सकता है इस विषयका साङ्गोपाङ्ग विचार करना है। यह तो सुविदित है कि उत्तरकालीन जैनसाहिलमें कुछ ऐसे बचन बहुलतासे पाये जाते हैं जिनमें जातीय आधारपर विवाह आदिके समान खान-पानका विचार किया गया है। साधारणतः भारतवर्षमें यह परिपाठी देखी जाती है कि अन्य सब तो आहारणके हाथका भोजन करते हैं, परन्तु अन्यके हाथका ब्राह्मण भोजन नहीं करता। अन्यके द्वारा स्पर्श कर लेने मात्रसे वह अपवित्र हो जाता है। केवल ब्राह्मणोंमें ही यह प्रथा प्रचलित हो एसी बात नहीं है। इसके प्रभाव न्यूनाधिकमात्रामें अन्य जातियोंमें भी हठिगोचर होता है। इसके सिवा चौका व्यवस्था व कच्चे-पक्केका नियम आदि और भी अनेक नियम प्रदेशभेदसे हठिगोचर होते हैं। कहीं-कहीं सोलाकी पद्धति भी इसका आवश्यक अङ्ग बन गई है। जैनियोंमें जो खो या पुरुष ब्रती हो जाते हैं उनमें तो एकमात्र सोला ही धर्म रह गया है। वर्तमानमें जगभग ३०, ३५, वर्षसे एक नया सम्प्रदाय और चल पड़ा है। इसके अनुसार किसी साधुके आहारके लिए गृहस्थके घर जानेपर गृहस्थको नवधामक्तिके साथ जीवन भरके लिए शूद्रके हाथसे भरे हुए या उसके द्वारा स्पर्श किये गये पानीके त्यागका नियम भी लेना पड़ता है। कोई साधु इस नियमके स्थानमें मात्र जैनीके हाथसे भरे हुए पानीके पीनेका नियम दिलाते हैं। तात्पर्य यह है कि कोई गृहस्थ इस प्रकारका नियम नहीं लेता है तो उसका घर साधुके आहारके अर्योग्य घोषित करा दिया जाता है। उस गृहस्थके हाथसे न तो साधु ही आहार लेते हैं और न इस नियमको स्वीकार करनेवाले गृहस्थ ही।

बिसने अपनी सन्तानका या अपना अन्तबाँतीय विवाह किया है और जो अन्य कारण से जातिच्युत मान लिया गया है उसके हाथका साधु या अपने को कुलीन माननेवाला गृहस्थ आहार नहीं लेता यह भी एक नियम देखा जाता है। इस प्रकार वर्तमान कालमें भोजन-पानके सम्बन्धमें अनेक प्रकारकी परम्पराएँ चल पड़ी हैं। जिसे अपने लिए धर्मात्मापनकी छाप लगवानी है उसे इन सब नियमोंका अवश्य विचार करना पड़ता है।

इसमें तो सन्देह नहीं कि भोजन-पानका जीवनके साथ गहरा सम्बन्ध है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवनके निर्माणके लिए मनकी शुद्धिमें अन्य द्रव्य, चेत्र और बालके समान उससे सहायता अवश्य मिलती है। यही कारण है कि मुनि-आचारका प्रतिपादन करनेवाले मूलाचार आदि प्रमुख ग्रन्थोंमें इसके लिए पिण्डशुद्धि नामक स्वतन्त्र अधिकार रचा गया है। पिण्ड शरीरके समान भोजनको भी कहते हैं। किन दोषोंका परिहार करनेसे साधुके आहारकी शुद्धि बनती है उन सबका इसमें सूक्ष्मताके साथ विचार किया गया है। तात्पर्य यह है कि इस अधिकारमें भोजन सम्बन्धी उन सब दोषोंका साङ्घोपाङ्ग विचेचन किया गया है जिनका परिहार कर भोजनको स्वीकार करना साधुके लिए आवश्यक होता है। इतना ही नहीं, उनमें ऐसे भी वहुतसे दोष हैं जिनका विचार गृहस्थको भी करना पड़ता है। ये सब दोष उद्गम, उत्पादन और एपणाके भेटसे तीन भागोंमें तथा अपने अवान्तर भेटोंकी अपेक्षा छायालीस भेटोंमें बटे हुए हैं। एषाणा दोषके अवान्तर भेटोंमें एक दायक दोष भी है। इसमें कौन स्त्री या पुरुष आहार देनेका अधिकारी नहीं हो सकता इसकी साङ्घोपाङ्ग मीमांसा करते हुए बतलाया गया है कि जिस स्त्रीने बालकको जन्म दिया है, जो मदिरा पिये हुए है या जिसे मदिरा-पानको आदत पड़ी है, जो रोगप्रस्त है, मृतकको शमशानमें छोड़कर आया है, हिजड़ा है, भूताविष्ट है, नम्न है, मल-मूत्र करके आया है, प्रूर्व्वित है, जिसने वर्मन किया है, जिसके शरीरसे रक्त बह रहा है, जो वेश्या है, आर्यिका है, जो शरीरमें

तेल या उवठन लगा रही है, बाल है, भोजन कर रही है, गर्भिणी है, अन्ती है, भीत आदिके अन्तरालसे खड़ी है, बैठी है, साधुसे ऊपर या नीचे खड़ी है, मुखसे या पंखासे हवा कर रही है, अग्नि जला रही है, लकड़ी आदिके उठाने, धरने और सरकानेमें लगी हुई है, राख या बलसे अग्निको बुझा रही है, वायुके प्रवाहको रोक रही है, एक वस्तुको दूसरी वस्तुसे रगड़ रही है, लीप-पोत रही है, जलादिसे सफाई कर रही है और दूध पीते हुए बालकों आलग कर रही है। इसी प्रकार और भी जो भी या पुरुष हिंसाचुल कार्यमें लगे हुए हैं वे दायक दोषके कारण न तो साधु को आहार देनेके लिए अधिकारी माने गये हैं और न साधुको ही ऐसे स्त्री या पुरुषके हाथसे आहार लेना चाहिए।

साधारणतः साधु किस गृहस्थके हाथका आहारले यह इहुत ही महत्त्व-पूर्ण विचारणीय प्रश्न है। जिसने सब प्रकारके लोकाचारको तिलाजालि देकर एकमात्र व्यायात्मघर्मकी शरण ली है, जिसने जातीय आधारपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रके विकल्पको दूरसे त्याग दिया है तथा जिसने वर्तमान पर्यायकी अपेक्षा प्रत्येक कर्मभूमिज मनुष्यमें अपने समान निर्ग्रन्थ धर्मको धारण करनेकी योग्यताको स्वीकार कर उससे अपनी आत्माको सुवासित कर लिया है वह साधु यह ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य है, इसलिए इसके हाथका आहार लेना चाहिए और यह शूद्र है, इसलिए इसके हाथका आहार नहीं लेना चाहिए इस प्रकारकी द्वितीय वृत्तिको अपने मनमें स्थान नहीं दे सकता। यह एक भ्रुव सत्य है जिसे आचार्य कुन्दकुन्द और बट्टकेर स्वामीने स्थृत शब्दोंमें स्वीकार किया है। आचार्य कुन्दकुन्द बोधप्राभृतमें कहते हैं—

उत्तम-मञ्जिकमगेहे दारिहे ईसरे णिरावेकस्ता ।

सच्चस्य गिहिदविषदा पञ्चज्ञा एतिसा भणिया ॥५८॥

आचार्य कुन्दकुन्द साधु दीक्षाकी यह सबसे बड़ी विशेषता मानते हैं कि जो मनुष्य जैनसाधुकी दीक्षा लेता है वह कुलीनताकी दृष्टिसे उत्तम,

मध्यम और जघन्य घरका विचार किये बिना तथा साधनोंकी दृष्टि से दरिद्र और साधनबहुल घरका विचार किए बिना निरपेक्षभाव से सर्वत्र आहार प्रहण करता है। यह उसकी प्रबज्याकी विशेषता मानी जाती है कि वह लौकिक दृष्टि से कुलीन या अकुलीन तथा साधनहीन या साधनबहुल जो भी व्यक्ति नववा भक्ति से उसे योग्य आहार दे उसे वह स्वीकार कर से।

इसी भावको मूलाचारमें अनगारभावनाके प्रसङ्गसे इन शब्दोंमें व्यक्त किया गया है—

अणादमणुणादं भिक्षं णिष्ठुष्ममिष्ममुलेसु ।

घरपतोहिं हिंदंति य मोणेण मुणां समादिति ॥४७॥

आचार्य कुन्टकुन्दने मुनिदोक्षा कैसी होती है इस विषयको स्पष्ट करते हुए चोन्प्रामृतकी उक्त गाथामें जो कुछ कहा है, मूलाचारकी प्रकृत गाथा द्वाग प्रकागन्तरमें उसी विषयका सुस्पष्ट शब्दोंमें समर्थन किया गया है। इसमें जो कुछ कहा गया है उसका भाव यह है कि साधु घरोंकी पंक्तिके अनुमार चारिका करने हुए मध्यम और उत्तम कुलोंमें तो अशात और अनुशात भिक्षाको मौनपूर्वक स्वीकार करते ही हैं। किन्तु नीचकुलोंमें जाकर भी वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। यही कारण है कि मूलाचार आदि में दायकदोषका विचार करते हुए किसी यहस्थको जाति या कुलके आधार पर आहार देनेके लिए अपात्र नहीं ठहरा कर अन्य कारणोंसे उसे अपात्र ठहराया गया है। दायक दोषके प्रसङ्गसे दाताके जो भी दोष कहे गये हैं उन टोषोंसे रहित आर्य या भलेच्छा तथा ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य या शूद्र जो भी हो वह साधुको दान देनेका अधिकारी है और जिसमें ये दोष हैं वह दान देनेका अधिकारी नहीं है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

पट्ट्यरडागम कर्म अनुयोगद्वारके २६ वें सूक्तकी चबला टीकामें परिहार प्रायश्चित्तके अनवस्थाप्य और पारञ्चिक ये टों भेद करके वहाँ पर इन दोनों प्रकारके प्रायश्चित्तोंका उत्कृष्ट काल चारह वर्ष बतलाया गया है। साथ ही पारञ्चिक प्रायश्चित्तको विशेषताका निर्देश करते हुए वहाँपर कहा

गया है कि इसे सावर्भियों से रहित लेत्रमें आचरण करना चाहिए। यहाँपर दो नियम मुख्यरूपसे ध्यान देने योग्य हैं। प्रथम तो यह कि मुनि-आचार के विषद् बीवनमें लगे हुए दोषोंका परिमार्बन करनेके लिए साधु अपने बीवनमें प्रायश्चित्तको स्वीकार करता है और दूसरा यह कि पारब्रह्मिक प्रायश्चित्त करते समय साधु अधिकसे अधिक छह माह तकका उपवास कर सकता है। इसके बाद उसे आहार नियमसे लेना पड़ता है और ऐसे गृहस्थके यहाँ आहार लेना पड़ता है जो साधमाँ नहीं है। पिर भी वह उत्तरोत्तर दोषमुक्त होता जाता है। चवला टीकाका यह इतना स्पष्ट निर्देश है जो हमें इस बातका बोध करानेके लिए पर्याप्त है कि सामान्य आवस्थामें तो छोड़िए प्रायश्चित्तकी आवस्थामें भी साधुको गृहस्थोंका जाति आदिकी दृष्टिसे विचार किये बिना सर्वत्र आहार ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करनेसे उसका मुनिधर्म दूषित न होकर निखर उठता है।

यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि मूलाचार आदिमें पिण्डशुद्धिकी दृष्टिसे जो भी दोष कहे गये हैं उनका विचार मात्र साधुको करना चाहिए ऐसा नहीं है। उद्गम सम्बन्धी बिन दोषोंका सम्बन्ध गृहस्थसे है उनका विचार गृहस्थको करना चाहिए, उत्पादन सम्बन्धी बिन दोषोंका सम्बन्ध साधुसे है उनका विचार साधुको करना चाहिए और एषग्रासम्बन्धी बिन दोषोंका सम्बन्ध गृहस्थ और साधु दोनोंसे है उनका विचार दोनोंको करना चाहिए। उदाहरणार्थ—नाग और यज्ञ आदि देवता, अन्य लिङ्गों और दयाके पात्र मनुष्योंके उद्देश्यसे बनाया गया भोजन औदेशिक आहार है। गृहस्थका कर्तव्य है कि वह साधुको यह आहार न दे। प्रकृतमें विचारणीय यह है कि इसका विचार कौन करे। जानकारी न होनेसे साधु तो इसका विचार कर नहीं सकता। परिणाम स्वरूप यही फलित होता है कि गृहस्थको इसका विचार करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य दोषोंके विषयमें भी परामर्श कर लेना चाहिए। पहले हम विस्तारके साथ दायकदोषकी मीमांसा कर आये हैं। वह भी लगभग इसी प्रकारका एक दोष है। यहाँ पर लगभग

शब्दका प्रयोग इसलिए किया है कि दाताकी प्रवृत्ति देखकर कहीं तो साधु को उसका चोध हो जाता है और कहीं नहीं होता। जिनके सम्बन्धमें साधु को ज्ञान नहीं हो सकता उस अपेक्षासे वह दातागत दोष माना जायगा। इसका मुख्यरूपसे दाताको विचार करना पड़ेगा कि मैं ऐसा कौन-सा कर्म करता हूँ जिसे करते हुए मैं साधुको आहार देनेके लिए अधिकारी नहीं हूँ। यह एक उदाहरण है। इसी प्रकार अन्य दोषोंके विषयमें उनके स्वरूपको देखकर विचार कर लेना चाहिए।

देयद्रव्यकी शुद्धि—

इस प्रकार मूलाचारमें दाता और पात्रके आभ्यसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंका विचार करनेके बाद देयके आभ्यसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंका अलगसे विचार किया गया है। दाता और पात्रके आभ्यसे जो दोष उत्पन्न होते हैं उनसे देय अपवित्र या द्रव्य विकारी नहीं होता। किन्तु यहाँ पर देय द्रव्यके जो दोष बतलाये जा रहे हैं उनसे या तो वह संतर्भ दोषसे अपवित्र हो जाता है या विकारी हो जाता है, इसलिए उनको मल संक्षा दी गई है। नख, रोम, मृतकलेवर, हड्डी, कण, कुण्ड, पीप, चमड़ा, रुधिर, मास, उगने योग्य बीज, फल, कन्द और मूल ये ऐसे पन्द्रह पदार्थ हैं जिनके भोजनमें मिल जाने पर वह अप्राप्त हो जाता है। इनका सुखासा करते हुए टीकाकारने लिखा है कि इनमेंसे किसने ही महामल है और किसने ही अल्पमल है। तथा किसने ही महादोषकारक हैं और किसने ही अल्पदोषकारक हैं। रुधिर, मास, हड्डी, चमड़ा और पीप ये महादोषकर हैं। भोजनमें इनके मिल जाने पर पूरे भोजनके त्याग करनेके बाद भी प्रायश्चित्त लेनेकी आवश्यकता पड़ती है। द्वीनिद्रिय, त्रीनिद्रिय और चतुरिनिद्रिय जीवोंका शरीर तथा बालके मिल जाने पर आहारका त्याग कर देना पर्याप्त है। नखके मिल जाने पर आहारके त्यागके साथ अल्प प्रायश्चित्त लेनेकी आवश्यकता होती है। तथा कण, कुण्ड, बीज, कन्द,

फल और मूलके मिल जाने पर उनको अलग कर भोजन ले लेना चाहिए। यदि वे पदार्थ अलग न किये जा सकते तो भोजनका त्याग कर देना चाहिये। इन महादोषोंसे रहित साधुके योग्य जो भी आहार है वह उसके लिए प्राप्त है, अन्य नहीं यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

बत्तीस अन्तराय—

साधु प्रासुक और अनुदिष्ट आहार लेते हैं। प्रासुक होने पर भी यदि वह उदिष्ट होता है तो वह साधुके लिए अप्रासुक ही माना गया है। यह आहारमें अमुकको दूँगा ऐसा संकल्प किये जिना गृहस्थ अपनी आवश्यकता और इच्छानुसार जो आहार बनाता है वह अनुदिष्ट होनेसे साधुके लिए प्राप्त माना गया है। यह आहार मेरे लिए बनाया गया है इस अभिप्रायसे यदि साधु भी आहार लेता है तो वह भी महान् दोषकारक माना गया है, क्योंकि ऐसे आहारको ग्रहण करनेसे साधुको गृहस्थके आरम्भजन्य सभी दोषोंका भागी होना पड़ता है। साधु जो भी आहार लेता है वह शरीरको पुष्टिके लिए न लेकर एकमात्र रत्नत्रयकी सिद्धिके लिए लेता है, इसलिए साधु आहारके समय ऐसे दोषोंका परिहार कर आहार लेता है जिनके होने पर गृहस्थ भी आहारका त्याग कर देता है। ये दोष दाता, पात्र और देय द्रव्यके आधारसे न होकर अन्य कारणोंसे होते हैं, इसलिए इनके होने पर साधु अन्तराय मान कर आहार कियासे विमुल होता है, इसलिए इनको अन्तराय संज्ञा दी गई है। कुल अन्तराय बत्तीस हैं। उनके नाम वे हैं—काक, अमेघ, छुट्ठि, सधिर, अशुपात, जनु जान्वधः स्पर्श, जनु जानु उपरिव्यतिकम, नामि अधःनिर्गमन, प्रत्याख्यातसेवन, जनुवध, काकादिपिण्डहरण, पाणिपुटसे ग्रासपतन, पाणिपात्रमें आकर जनुका वध होना, मासादिका देखना, उपसर्ग, दोनों पैरोंके मध्यसे पञ्चेन्द्रिय जीवका निकल जाना, दाताके हाथसे भाजनका छूट कर गिर पड़ना, टह्हीका हो जाना, पेशाचका निकल पड़ना, अभोज्यगद्दमें प्रवेश

करना, साधुका नूच्छाँ आदि कारणसे स्वयं गिर पड़ना, साधुका किसी कारणवश स्वयं बैठ जाना, कुचा आटिके द्वारा साधुको काट लेना, साधुके द्वारा हाथसे भूमिको लू लेना, मुँह आदिसे कफ आटिका निकल पड़ना, साधुके पेटमे कुमि आटिका निकल पड़ना, साधु द्वारा त्रिना दी हुई वस्तुको प्रहण कर लेना, तलबार आटिसे स्वयं अपने ऊपर या दूसरेके ऊपर प्रहारका किया जाना, आभमं अग्नि लग जाना, वैरसे किसी वस्तुका उठाना तथा हाथसे किसी वस्तुका प्रहण करना ।

ये चत्तीस अन्तराय हैं । इनमेंसे किसी भी कारणसे आहार लेनेमें बाधा उपस्थित हो जाने पर साधु आहारका त्याग कर देता है । इसी प्रकार भयका कारण उपस्थित होने पर तथा लोकजुगुआसाके होने पर साधु संयम और नियैटकी सिद्धिके लिए आहारका त्याग कर देता है ।

कुछ अन्तरायोंका स्पष्टीकरण—

यो तो सब अन्तरायोंका अर्थ स्पष्ट है, इसलिए उन सबके विषयमें यहाँ पर कुछ कहना आवश्यक प्रतीत नहीं होता । किन्तु काक और अभोज्यगृह प्रवेश ये ठो अन्यराय ऐसे हैं जिनके विषयमें कुछ भी न लिखना भ्रमको पैदा करनेवाला है, इसलिए यहाँ कमसे उनका विचार किया जाता है । काक शब्दका अर्थ स्पष्ट है । इसके द्वारा उन सब पक्षियोंका प्रहण किया गया है जो कौएके समान अशुचि पदार्थ माम आटिका भक्षण करने हैं और यिथा आटि पर जा बैठते हैं । मालूम पड़ना है कि इस द्वारा यह वतलाया गया है कि यदि कोइ कौआ आटि पक्षी साधुके मनलिस शरीरको देख कर या पिण्ड (भोजन) प्रहण करनेकी इच्छासे साधुके शरीरपर आ पैठे या भोजन देख कर उसके लिए भविटे तो साधुको अन्तराय मान कर उस दिन आहार-पानीका त्याग कर देना चाहिए ।

दूसरा अन्तराय अभोज्यगृहप्रवेश है । जिस घरका साधुको भोजन नहीं लेना चाहिए उस घरमें प्रवेश हो जाने पर वह अन्तराय मानकर उस

दिन आहारका त्याग कर देता है यह इस पदका सामान्य अर्थ है। विशेष रूपसे विचार करने पर इसके तीन अर्थ हो सकते हैं—प्रथम मिथ्यादृष्टिका घर, दूसरा चारडाल आदि शूद्रोंका घर और तीसरा जिस घरमें मांस आदि पकाया जाता है ऐसा घर। प्रकृतमें इनमेंसे साधुपरम्परामें कौन अर्थ इष्ट रहा है इसका विचार करना है।

आगममें बतलाया है कि जो मिथ्यादृष्टि मुनियोंको आहार देते समय आयुबन्ध करते हैं उन्हें उत्तम भोगभूमिसम्बन्धी आयुका बन्ध होता है, जो मिथ्यादृष्टि विरताविरत आवकोंको आहार देते समय आयुबन्ध करते हैं उन्हें मध्यम भोगभूमिसम्बन्धी आयुका बन्ध होता है और जो मिथ्यादृष्टि अविरतसम्बन्धियोंको आहार देते समय आयुबन्ध करते हैं उन्हें जगन्य भोगभूमिसम्बन्धी आयुका बन्ध होता है। इससे मालूम पड़ता है कि प्रकृतमें ‘अभोज्यगृह’ शब्दका अर्थ ‘मिथ्यादृष्टि घर’ तो हो नहीं सकता। तथा मूलाचारमें बलिदोषका विवेचन करते हुए जो कुछ कहा गया है उससे भी ऐसा ही प्रतीत होता है और यह असम्भव भी नहीं है, क्योंकि जब आम जनता विविध सम्प्रदायोंमें विभक्त नहीं हुई थी और राजा गण सब धर्मोंके प्रति समान आदर व्यक्त करते रहते थे तब साधुओंको यह विवेक करना असम्भव हो जाता था कि कौन गृहस्थ किस धर्मको माननेवाला है। इसलिए वे जो भी गृहस्थ आगमविहित विभिन्न साधारण देता था उसे स्वीकार कर लेते थे। इसलिए प्रकृतमें ‘अभोज्यगृह’ शब्दका अर्थ ‘मिथ्यादृष्टिका घर’ तो लिया नहीं जा सकता।

प्रकृतमें इस शब्दका अर्थ ‘चण्डाल आदिका घर’ करना भी ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि एक तो इससे ब्राह्मण, ज्ञानीय और वैश्यके बिन धरोंमें मांसादि पकाया जाता है उन धरोंका बारण नहीं होता। दूसरे यदि प्रकृतमें इस शब्दसे चण्डाल आदिका घर इष्ट होता तो जिस प्रकार दायक दोषका उल्लेख करते समय उन्होंने वैश्या और अमण्डीको दान देनेके अयोग्य घोषित किया है उसी प्रकार वे चण्डाल आदिको भी उसके

अथोन्य घोषित करते । तीसरे जैनधर्ममें बन्मसे जातिव्यवस्था मान्य नहीं है, इसलिए भी यहाँ पर अभोज्यगृहका अर्थ ‘चण्डाल आदिका धर’ करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । चौथे यदि मूलाचारकारको चण्डाल आदि जाति विशेषको आहार देनेके अथोन्य घोषित करना इष्ट होता तो वे ‘अभोज्य गृहप्रवेश’ ऐसे सामान्य शब्दको न रखकर आहार देनेके अथोन्य जातियोंका स्पष्ट नामोल्लेख करते । यहाँ पर हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मूलाचार मूलमें वह शब्द ‘वेसी’ है जिसका अर्थ यहाँ पर वेश्या या दासी किया गया है । प्राकृतमें इस शब्दके सञ्जिकट्वर्ती वेसिणी, वेसिया और वेसा ये तीन शब्द हमारे देखनेमें आये हैं जिनका अर्थ वेश्या होता है । इस अर्थमें वेसी शब्द हमारे देखनेमें नहीं आया । मूलमें यह शब्द ममणो शब्दके पास पठित है, इसलिए सम्भव है कि यह शब्द किसी भी प्रकारके साधु लिङ्गको धारण करनेवाले व्यक्तिके अर्थमें आया हो । या वेसी शब्दका अर्थ द्वेषी या अन्य लिङ्गवारी भी होता है, इसलिए यह भी सम्भव है कि जो प्रत्यक्षमें श्रमणोंकी नवधा भक्ति न कर रहा हो या जो अन्य लिङ्गी साधु हो उस अर्थमें यह शब्द आया हो । मूलाचारकी टीकामें इसका पर्यायवाची वेश्या दिया है । उसके अनुसार इसका अर्थ यदि वेश्या ही किया जाता है तब भी कर्मकी ही प्रधानता सिद्ध होती है । इस प्रकार सब दृष्टिसे विचार करने पर यही प्रतीत होता है कि प्रकृतमें ‘अभोज्यगृहप्रवेश’ शब्दका अर्थ जिस परमें मांस पक रहा है या मदिरा उतारी जा रही है या इसी प्रकारका अन्य कार्य किया जा रहा है ऐसे परमें प्रवेश करने पर साधु उस दिन आहारका त्याग कर देता था ।

मूलाचारमें अन्तरायोंका उपसंहार करते हुए एक गाथा और आती है जिसमें कहा गया है कि ‘भोजनके परित्याग करनेके ये तथा बहुतसे अन्य कारण हैं । ये होने पर तथा भय और लोकजुगुप्ता होने पर साधुको संयम और निर्वेदकी रक्षाके लिए आहारका त्याग कर देना चाहिए ।’ इससे ऐसा भी मालूम पड़ता है कि साधुके आहारके लिए चारिका करते समय

यदि किसी मनुष्यके द्वारा उनके प्रति जुगुप्ताका पैदा करनेवाला अभद्र व्यवहार किया जाता या तब भी साधु आहारका परित्याग कर देते थे ।

अन्य साहित्य—

यहाँ तक हमने मूलाचारके अनुसार विचार किया । अब आगे उत्तर-कालीन साहित्यके आधारसे विचार करते हैं । उसमें सर्व प्रथम हम आचार्य वसुनन्दकृत मूलाचारकी टीकाको ही लेते हैं । इसमें दो स्थल ऐसे हैं जहाँ चण्डाल शब्द आता है । प्रथम स्थल 'आमोज्यगृहप्रवेश' शब्दकी व्याख्याके प्रसङ्गसे आया है । वहाँ पर आमोज्यगृहप्रवेशकी व्याख्या करते हुए उसका अर्थ 'चण्डालादिगृहप्रवेश' किया गया है । तथा दूसरा स्थल अन्तरायोंका उपसंहार करते हुए बुद्धिसे अन्य अन्तरायोंके जानेकी सूचनाके प्रसङ्गसे आया है । वहाँ कहा गया है कि चण्डाल आदिका स्पर्श होने पर भी मुनिको उस दिन आहारका परित्याग कर देना चाहिए ।

यह तो हम मूलाचारके आधारसे स्पष्टीकरण करते समय ही बतला आए हैं कि मूलमें कोई जातिवाची शब्द नहीं आया है । इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि न तो आचार्य वहकेरको किसी जाति विरोषको दान देनेके अयोग्य घोषित करना इष्ट या और न जैनाचारके अनुसार कोई जाति विरोष दान देनेके अयोग्य मानी ही जाती थी । और यह ठीक भी है, क्योंकि जब चण्डाल जैसा निष्कृष्ट कर्म करनेवाले व्यक्तिको धर्मका अधिकारी माना जाता है । ऐसी अवस्थामें उसे अतिथिसंविभाग व्रतका समुचित रीतिसे पालन करनेका अधिकार न हो यह बिनाश नहीं हो सकती । ऐसी अवस्थाके रहते हुए उत्तर कालमें तथाक्षित चण्डाल आदि अस्तृशय शूद दान देनेके अयोग्य घोषित कैसे किये गये यह अवश्य ही विचारणीय हो जाता है । अतएव आगे सर्व प्रथम इसी बातका साझोपाझ विचार किया जाता है ।

इम पहले दीक्षाग्रहण मीमांसा प्रकरणमें यह बतला आये हैं कि सर्व प्रथम पतञ्जलि ऋषिने निरवसित शूद्रोंकी व्याख्या करते हुए यह कहा है कि जिनके द्वारा भोजनादि व्यवहारमें लाये गये पात्र संस्कार करनेसे भी शुद्र नहीं होते वे निरवसित शूद्र हैं । वहाँ उन्होंने ऐसे शूद्रोंके चण्डाल और मृतप ये दो उदाहरण उपस्थित किये हैं । उसके बाद जैनेन्द्र-व्याकरण और उसके टीकाकारोंको ल्लोडकर पणिनिव्याकरणके अन्य टीकाकारों और शाकटायनकारने भी इसी व्याख्याको मान्य रखा है । यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि ब्राह्मण धर्मशास्त्रको यह व्याख्या मान्य है, क्योंकि उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जब कोई दिज भोजन कर रहा हो तब उसे चारडाल, चराह, कुकुट, कुत्ता, रजस्वला ली और नपुसक न देलें ।^१ (किन्तु जैनधर्ममें यह कथन मान्य नहीं है । कारण कि जब आदिनाथका बीव पूर्वभवमें ब्रजबंध राजा थे । तब उनके सरधु होनेपर उनके आहार लेते समय आहारविधि देखनेवालोंमें एक वराह भी था ।) मात्र इसीलिए पतञ्जलि ऋषिने अपने भाष्यमें उस व्याख्याको स्वीकार किया है । इससे यह भी व्यनित होता है कि उस समय लोकमें ऐसी प्रथा प्रचलित थी कि ब्राह्मण धर्मशास्त्रके अनुसार अन्य जातिवाले चारडाल और मृतप लोगोंके व्यवहारमें लाये गये पात्र अपने उपयोगमें नहीं लाते थे । यही कारण है कि शाकटायनकारने भी उसी लोकरूदिको व्यानमें रखकर अपने व्याकरण में ऐसे शूद्रोंको अपान्यशूद्र कहा है । पर इसका अर्थ यदि कोई यह करे कि शाकटायनकार मोहनमार्गकी हष्टिसे भी ऐसे शूद्रोंको अपान्यशूद्र मानते रहे हैं तो उसका ऐसा अर्थ करना सर्वथा अनुचित होगा, क्योंकि व्याकरण शास्त्र कोई धर्मशास्त्र नहीं है । यह जिस प्रकार धर्मशास्त्रमें प्रचलित शब्द प्रयोगका बहाँ अंग अर्थ लिया जाता है उसे स्वीकार करके चलता है । उसी प्रकार उसका यह काम भी है कि लोकमें जो शब्दप्रयोग जिस अर्थमें

१ मनुस्सृति अध्याय ६ श्लो० २३३ ।

व्यवहृत होता है उसे भी वह स्वीकार करे। यह न्यायोचित मार्ग है और शाकटायनकारने प्रकृतमें इसी मार्गका अनुसरण किया है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं लेना चाहिए कि शाकटायनकारको यह अर्थ अपने धर्म-शास्त्रकी दृष्टिसे भी मान्य रहा है, क्योंकि इसका पूर्ववर्ती बितना आगम साहित्य और चरणानुयोगका साहित्य उपलब्ध होता है उसमें जब जातिवादको मोक्षमार्गमें प्रभ्रय ही नहीं दिया गया है ऐसी अवस्थामें शाकटायनकार उस अर्थको धर्मशास्त्रकी दृष्टिसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? अर्थात् नहीं कर सकते थे और उन्होंने किया भी नहीं है। इम तो एक मीमांसकके नाते यह भी कहनेका साइस करते हैं कि जैनेन्द्रव्याकरणमें 'वर्णेनार्हद्रूपायोग्यानाम्' सूत्र भी लौकिक दृष्टिसे ही कहा गया है मोक्ष-मार्गकी दृष्टिसे नहीं। यदि कोई निधन दृष्टिसे विचार करे तो उसकी दृष्टिमें यह बात अनायास आ सकती है कि जैनसाहित्यमें वाघणादि वर्णोंके आभ्रयसे बितना भी विधि-विधान किया गया है वह सबका सब लौकिक है और लगभग नीबी शताब्दीसे प्रारम्भ होता है, इसलिए वह आगम परम्पराका स्थान नहीं ले सकता। किन्तु जब कोई भी वस्तु किसी भी मार्ग से कहीं प्रवेश पा लेती है तो धीरे धीरे वह अपना स्थान भी बना लेती है। जातिवादके सम्बन्धमें भी यही हुआ है। पहले लौकिक दृष्टिसे व्याकरण साहित्यमें इसने प्रवेश किया और उसके बाद वह विधिवचन बनकर धर्म-शास्त्रमें भी तुस बैठा। इसलिए यदि आचार्य बसुनन्दिने 'अभोद्यगहप्रवेश' शब्दका अर्थ 'चण्डालादिगृहप्रवेश' किया भी है तो इससे हमें कोई आधर्य नहीं होता। साथ ही उनका यह कह कहना कि 'चण्डालादिक्ष स्पर्श होनेपर साधु उस दिन आपने आहारका त्वाग कर देते हैं' हमें आधर्यकारक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इस कालमें जातिवादने अपना पूरा स्थान बना लिया था। जो समुदाय इसे स्वीकार किये विना यहाँ टिक सका हो ऐसा हमें शात नहीं होता। बीदर्धमर्मके भारतवर्षसे लुप्त हो जानेका एक कारण उसका जातिवादको स्वीकार न करना भी रहा है। इस प्रकार

मूलाचार मूलमें वह भाव न होते हुए भी बसुनन्दि आचार्यने उसकी टीका में जिस तत्त्वका प्रवेश किया है उसे तो सोमदेव सूरिने मान्य रखा ही। साथ ही वे यह भी स्वीकार करते हैं कि जो कर्दर्य हैं, अब्रती हैं, दीन हैं, करणाके पात्र हैं, पतित हैं, शिल्पकर्म और कारुकर्मसे अपनी आजीविका करते हैं, भाट हैं और जो कुटनीके कर्ममें रत हैं उनके यहाँ भी साधु भोजन न करे। सोमदेव सूरिके इस कथनमें मुख्यरूपसे शिल्पकर्म और कारुकर्मसे अपनी आजीविका करनेवालेको साधुकां आहार देनेके अधिकार देखित करना ध्यान देने योग्य है। यद्यपि इनके उत्तरकालवर्ती पण्डितप्रवर आशाधरजी केवल उसी तथ्यको स्वीकार करते हुए जान पड़ते हैं जिसे आचार्य बसुनन्दिने मूलाचारकी टीकामें स्वीकार किया है। परन्तु सोमदेवसूरिके उक्त कथनसे ऐसा प्रतीत होता है कि वे सृश्यशृद्धको भी दान देनेके अधिकार मानते रहे हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि उत्तर कालमें कुछ लेखक जिस प्रकारकी लौकिक विधि प्रचलित हुई उसके अनुसार विधि-निषेध करने लगे थे। उदाहरणार्थ सोमदेवसूरि लिखते हैं कि जो अब्रती है उसके हाथसे साधुको आहार नहीं लेना चाहिए। यदि इस दृष्टिसे महापुराणका अवलोकन करते हैं तो उसका भाव भी लगभग यही प्रतीत होता है, क्योंकि उसमें विसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है वह दान देनेका अधिकारी नहीं माना गया है। इमारी समझ है कि इसी भावको व्यक्त करनेके लिए ही यहाँ पर सोमदेव सूरिने अब्रती, शिल्पकर्म करनेवाले और कारुकर्म करनेवालेको दान देनेके अधिकारमें वञ्चित किया है। यदि इन तथ्योंके प्रकाशमें हम देखते हैं तो विदित होता है, कि नौवीं दशवीं शताब्दीसे ‘जातिके आधार पर दान देनेके अधिकारी कोन हैं’ इस प्रश्नको लेकर दो धाराएँ चल पड़ी थीं—एक आचार्य बिनसेनके मन्तव्योंकी और दूसरी आचार्य बसुनन्दिके मन्तव्योंकी। आचार्य बिनसेनने यह मत प्रस्थापित किया कि विसका उपनयन संस्कार हुआ है

वही मात्र दानादि कर्मोंका अधिकारी है शूद्र नहीं, और आचार्य वसुनन्दि उपनयन संस्कारके पक्षपाती नहीं जान पड़ते, इसलिए उन्होंने व्वाकरणादि ग्रन्थोंके आश्रयसे और सबको तो उसका अधिकारी माना, मात्र अस्पृश्य शूद्रोंको वह अधिकार नहीं दिया। यशस्तिलकचम्पू और अनगारधर्मामृत में हमें क्रमशः इन्हीं दो धाराओंका स्पष्टः दर्शन होता है। अनगारधर्मामृतका उत्तरकालवर्ती जितना साहित्य है वह एक तो उतना प्रौढ़ नहीं है जिसके आधारसे यहाँ पर स्वतन्त्ररूपसे विचार किया जाय। दूसरे जो कुछ भी है वह इस या उस रूपमें प्रायः यशस्तिलकचम्पू और अनगारधर्मामृतका ही अनुसरण करता है। जो कुछ भी हो, इतना स्पष्ट है कि जैनधर्ममें जातिवादके प्रवेश होनेके पूर्व काल तक अमुक जातिवाला दान देनेके योग्य नहीं है इस प्रकारकी व्यवस्था न होकर कर्मके आधार पर इसका विचार किया जाता था। यदि किसी ब्राह्मणके घरमें मास पकाया जाता था तो साधु उसके घरको अभोज्यगृह समझ कर आहार नहीं लेते थे और किसी शूद्रके घर माम नहीं पकाया जाता था या वह हिंसाबहुल आजीविका नहीं करता था तो भोज्यगृह समझ कर आगमविधिसे उसके यहाँ आहार ले लेते थे यह उक्त कथनका तात्पर्य है। और वह ठोक भी है, क्योंकि मोक्षमार्गमें जातिवादको स्थान मिलना सर्वथा असम्भव है।

समवसरणप्रवेश मीमांसा

समवसरण धर्मसभा है—

समवसरण धर्मसभाका दूसरा नाम है। इसका अन्तःप्रदेश इस पद्धतिसे बारह भागोंमें विभाजित किया जाता है जिससे उनमें बैठे हुए भव्य जीव निकटसे भगवन् तीर्थकुर जिनका दर्शन कर सके और उनका

उपदेश सुन सकें। इसके बीचों बीच एक गन्धकुटी होती है जिसके मध्यस्थित सिंहासनका ऊपरी भाग स्वर्णमयी दिव्य कमलसे सुसज्जित किया जाता है। तीर्थंकर जिन इसीके ऊपर अन्तरीद्वि विराजमान होकर गन्धकुटीके चारों ओर बैठे हुए चारों निकायोंके देव, उनकी देवियाँ, तिर्यङ्ग और मनुष्य, उनकी छियाँ तथा संयत और आर्थिका इन सबको समान भावसे मोक्षमार्गका और उससे सम्बन्ध रखनेवाले सात तत्त्व, यह द्रव्य, नौ पदार्थ, आठ कर्म, उनके कारण, चौदह मार्गणार्थ, चौदह गुणस्थान और चौदह जीवसमात्सौका उपदेश देते हैं। यह एक ऐसी धर्मसभा है जिसकी तुलना लोकमें अन्य किसी सभासे नहीं की जा सकती। यह स्वयं उपमान है और यही स्वयं उपमेय है। इसके सिवा एक धर्मसभा और होती है जिसे गन्धकुटी कहते हैं। यह सामान्य केवलियोंके निमित्तसे निर्मित होती है। इन दोनों धर्मसभाओंकी रचना इन्द्रकी आहासे कुवेर करता है। इनमें आनेवालोंके प्रति किसी प्रकारका भेदभाव नहीं बरता जाता। समानताके आधार पर सबको आग्ने अपने कोठोंमें बैठनेके लिए स्थान सुरक्षित रहता है। लोकमें प्रसिद्धिप्राप्त जीवोंको बैठनेके लिए सब प्रकारकी सुविधासे सम्पन्न उत्तम स्थान मिलता हो और दूसरोंको पीछे धकेल दिया जाता हो ऐसी व्यवस्था यहाँको नहीं है। देव, दानव, मनुष्य और पशु सब बराबरीसे बैठकर धर्मश्रवणके अधिकारी हैं यह यहाँका मुख्य नियम है। समानताके आधार पर की गई व्यवस्था द्वारा यह स्वयं प्रत्येक प्राणीके मनमें बीतरागभावको जागृत करनेमें सहायक है, इसलिए इसकी समवसरण संज्ञा सार्थक है।

समवसरणमें प्रवेश पानेके अधिकारी—

साधारण रूपसे पहले हम यह निर्देश कर आये हैं कि उस धर्म-सभामें देव, मनुष्य और तिर्यङ्ग भक्तको प्रवेश कर धर्म सुननेका अधिकार है। धर्मश्रवणकी इच्छासे वहाँ प्रवेश करनेवालोंको कोई रोके ऐसी व्यवस्था

वहाँकी नहीं है। वहाँ कोई रोकनेवाला ही नहीं होता। स्वेच्छासे कौन व्यक्ति वहाँ जाते हैं और कौन नहीं जा सकते इसका विचार जैन-साहित्यमें किया गया है, इसलिए वहाँ पर उसका स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। सिलोकप्रश्ननिमे वहाँ नहीं जानेवालोंका निर्देश करते हुए कहा गया है कि जो मिथ्यादृष्टि है, अभव्य है, असंज्ञी है, अनध्यवसित है, संशयात् है और विपरीत अद्वावाले हैं ऐसे जीव समवसरणमें नहीं पाये जाते।^१ इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ऐसे जीवोंको वहाँ जानेसे कोई रोकता है। किन्तु इसका इतना ही तात्पर्य है कि असंज्ञी जीवोंके मन नहीं होता, इसलिए उनमें धर्मश्रवणकी पात्रता नहीं होनेसे वे वहाँ नहीं जाते। अभव्याम धर्माधर्मका विवेक करनेकी और धर्मको ग्रहण करनेकी पात्रता नहीं होती, इसलिए ये स्वामावसे वहाँ नहीं जाते। अब रहे शेष सभी पञ्चनिद्रिय पर्याप्त होकर भी मिथ्यादृष्टि आदि जीव सो एक तो ऐसा नियम है कि जो उस समवसरण भूमिमें प्रवेश करते हैं उनका मिथ्यात्मभाव स्वयमेव पलायमान हो जाता है, इसलिए वहाँ पर यह कहा गया है कि वहाँ पर मिथ्यादृष्टि जीव नहीं पाये जाते। दूसरे जो तीव्र मिथ्यादृष्टि होते हैं उन्हें कुतूहलवश भी मोक्षमार्गका उपदेश सुननेका भाव नहीं होता, इसलिए वे समवसरणमें आते ही नहीं। इतना ही नहीं, वे अपने तीव्र मिथ्यात्मके कारण वहाँ आनेवाले दूसरे लोगोंको भी वहाँ जानेसे मना करते हैं, इसलिए भी मिथ्यादृष्टि जीव वहाँ नहीं पाये जाते यह कहा गया है। अब रहे अनध्यवसित चित्तवाले, संशयात् और विपरीत बुद्धिवाले जीव सो ये सब जीव भी मिथ्यादृष्टि ही माने गये हैं, क्योंकि मिथ्यादृष्टियोंके पाँच मेंदोमें उनका अन्तभाव हो जाता है, इसलिए ऐसे जीव भी वहाँ नहीं पाये जाते। इसके सिवा इतना और समझ लेना चाहिए कि चेत्रादिके व्यवधानके कारण जो जीव वहाँ नहीं आ सकते ऐसे जीव भी वहाँ नहीं पाये जाते। इनके सिवा शेष वित्तने देव, मनुष्य और पशु होते हैं वे सब वहाँ आकर धर्मश्रवण करते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है। वहाँ आनेके

बाद बैठनेका क्रम क्या है इसका स्पष्टीकरण करते हुए जैन-साहित्यमें बतलाया है कि तीर्थंकुर जिनकी गन्धकुटीके चारों ओर बो बारह कोठे होते हैं उनमें पूर्व या उत्तर दिशासे प्रारम्भ होकर प्रदक्षिणा क्रमसे पहले कोठेमें गणधर और मुनिबन बैठते हैं। दूसरे कोठेमें कल्पवासिनी देवियाँ बैठती हैं, तीसरे कोठेमें आर्यिकाएँ और मनुष्य लियाँ बैठती हैं, चौथे कोठेमें भवनवासिनी देवियाँ बैठती हैं, पाँचवे कोठेमें अन्तरदेवियाँ बैठती हैं, छठे कोठेमें ज्योतिशीदेवियाँ बैठती हैं, सातवे कोठेमें भवनवासी देव बैठते हैं, आठवें कोठेमें अन्तर देव बैठते हैं, नौवें कोठेमें ज्योतिशी देव बैठते हैं, दसवें कोठेमें कल्पवासी देव बैठते हैं, एवं अब इनकोठेमें मनुष्य बैठते हैं और चारहवे कोठेमें पशु बैठते हैं। इस प्रकार वहाँ पर सब प्रकारके देव, सब प्रकारके मनुष्य और सब प्रकारके पशुओंको प्रवेश मिलता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

हरिवंशपुराणके एक उल्लेखका अर्थ—

ऐसी स्थितिके होते हुए भी कुछ विवेचक हरिवंशपुराणके एक उल्लेखके आधार पर यह कहते हैं कि समवसरणमें शृदोंका प्रवेश निषिद्ध है। उल्लेख इस प्रकार है—

तत्र वाहो परित्यज्य वाहनादिपरिच्छदम् ।

विशिष्टाङ्कुदैयुक्ता मानपीडं पर्वत्य ते ॥५७-१४१॥

प्रादक्षिण्येन वन्दित्वा मानस्तम्भमनादितः ।

उत्तमाः प्रविहन्त्यन्तरुत्तमाहितमक्षयः ॥५७-१४२॥

पापकोऽका विकुर्माणाः शूद्राः पालक्षण्याभद्राः ।

विकल्पाङ्गिद्योद्भ्रान्ता परिवन्ति वहिस्तातः ॥५७-१४३॥

तात्पर्य यह है कि समवसरणके प्राप्त होने पर वाहन आदि सामग्रीको बाहर ही छोड़कर और विशिष्ट चिह्नोंसे युक्त होकर सर्व प्रथम मानपीढ़ीकी प्रदक्षिणाक्रमसे अनादि मानस्तम्भकी बन्दना कर उत्तम भक्तियुक्त उत्तम

पुरुष भीतर प्रवेश करते हैं। तथा पापशील विकारयुक शूद्रतुल्य पास्तशडी धूर्त पुरुष, तथा विकलाङ्ग, विकलेन्द्रिय और मनिष जीव उसके बाहर ही छमते रहते हैं।

अब विचार इस बातका करना है कि क्या उक्त उल्लेखमें आया हुआ शूद्र शब्द शूद्र जातिका बाचक है या इसका कोई दूसरा अर्थ है? अन्य प्रमाणोंके आचारसे यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि समयमरणमें मुख्यरूपसे मिथ्याहृषि और असंशय दो प्रकारके जीव नहीं पाये जाते। अभ्यन्तरोंका मिथ्यादृष्टियोंमें ही अन्तर्भाव हो जाता है। तथा विकलाङ्ग और विकलेन्द्रियोंका असंक्षियोंमें अन्तर्भाव हो जाता है। यदि इस दृष्टि से उक्त उल्लेख पर दृष्टिपात करते हैं तो इससे मी वही पूछोंक अर्थ पक्षित होता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ 'पापशील विकुर्माणः' इत्यादि श्लोकके पूर्वार्थ द्वारा मिथ्याहृष्टियोंका ग्रहण किया है। तथा इसी श्लोकके उत्तरार्थमें आये हुए 'विकलाङ्गेन्द्रिय' पद द्वारा असंक्षियोंका ग्रहण किया है और 'उद्ग्रान्त' पद द्वारा संशयालु, अनन्यवसित और विपर्यस्त जीवोंका ग्रहण किया है। इसलिए इस श्लोकमें आया हुआ 'शूद्र' शब्द जातिविशेषका बाची न होकर 'पापशील विकुर्माणः' इन पदोंके समान ही 'पास्तशडपाशदवः' इस पदका विशेषण जान पड़ता है। तात्पर्य यह है कि लोकमें शूद्र निरुद्ध माने जाते हैं, इसलिए इस तथ्यको व्यानमें रखकर ही यहाँ पर आचार्य विनसेनने पास्तशडपाशदवोंको शूद्र कहा है। यहाँ पर वह स्मरणीय है कि 'पास्तशडपाशदव' इस पद द्वारा आचार्य विनसेन मुख्य रूपसे कियाकाशडी अन्य सौगोंकी ओर ही संकेत कर रहे हैं। 'पापशील विकुर्माणः' ये दो विशेषण भी उन्हींके लक्ष्यमें रखकर दिये गये हैं, इसलिए उनके लिए दिये गये शूद्र विशेषणकी ओर भी भी सार्वज्ञता नहीं जाती है। यदि ऐसा न मानकर इस श्लोकमें जाये हुए प्रत्येक पदको लक्ष्य रखा जाता है तो उसकी विशेष सार्वज्ञता नहीं यह जाती। और प्रकृत्यमें यह सार्वज्ञता उपर्युक्त मी है, क्योंकि विर

कालसे ब्राह्मणोंका जैनधर्मके प्रति विरोध चला आ रहा है। कोई तीर्थकुरोंकी शरणमें जाकर जैनधर्ममें दीदित हो यह उन्हें कभी भी इष्ट नहीं रहा है। आत्महकारसे दृष्टित चित्तबाले मनुष्य दूसरोंको शूद्र मानकर उनका अनादर कर सकते हैं। परन्तु समीचीन धर्मसे विमुख होनेके कारण वास्तवमें शूद्र कहलानेके योग्य वे मनुष्य ही हैं, एकमात्र इस अभिप्रायको व्यनित करनेके लिए आचार्य बिनसेनने उन्हें यहाँ शूद्र विशेषण दिया है। यह विशेषण केवल उन्होंने ही दिया हो ऐसी बात नहीं है। आचार्य बिनसेनने महापुराणमें जैन द्विजोंका महत्व बतलाते हुए दूसरोंके लिए 'कर्मचारणाल' शब्द तकका प्रयोग किया है। साहित्यमें और भी ऐसे स्थल मिलेंगे जहाँ पर दूसरोंके लिए इस प्रकारके शब्दोंका प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी यदि पासरडपारडवोंको शूद्र कहा गया है तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं दिखाई देती। लिखनेका तात्पर्य यह है कि समवसरणमें अन्य वर्गबाले मनुष्योंके समान शूद्र वर्णके मनुष्य भी जाते हैं। वहाँ उनके जानेमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है। त्रिजोक-प्रशस्ति आदि ग्रन्थोंका भी यही अभिप्राय है। तथा युक्तिसे भी इसी बातका समर्थन होता है, क्योंकि विस प्रकार हम यह नहीं कह सकते कि सिंह आदि हिंस पशु प्रतिदिन दूसरे जीवोंका वध करते हैं और मांस खाते हैं, इसलिए वे समवसरणमें जानेके अधिकारी नहीं हैं उसी प्रकार हम यह भी नहीं मान सकते कि निकृष्टसे निकृष्ट कर्म करनेवाला व्यक्ति भी समवसरणमें जानेका अधिकारी नहीं है। गौतम गणधर समवसरणमें आनेके पूर्व यात्रिकी हिंसाका समर्थन करते थे। इतना ही नहीं, उस समयके बे प्रधान यात्रिक होनेके कारण यहमें निष्पत्त हुए मास तकको स्वीकार करते रहे हों तो इसमें कोई आश्वर्यकी बात नहीं है। फिर भी उनमें पात्रता देख कर इन्द्र स्वयं उन्हें समवसरणमें लेकर आया। इसका

जो भी सुन्दर फ़ल निकला वह सबके सामने है। बस्तुतः बैनधर्मकी उदार हृति ऐसे स्थल पर ही दृष्टिगोचर होती है। विस प्रकार कालकी गतिका निर्णय करना कठिन है उसी प्रकार किसी व्यक्तिके कब क्या परिणाम होंगे यह समझना भी कठिन है। जो वर्तमान कालमें लुटेरा और लम्पटी दिलखाई देता है वही उत्तरकालमें साधु बनकर आत्महित करता हुआ भी देखा जाता है। इसमें न तो किसीको जाति बाधक है और न साधक है। अतएव सबको यही भद्रान करना चाहिए कि समवसरण एक धर्मसभा होनेके नाते उसमें शूद्रादि सभी मनुष्योंको बानेका अधिकार रहा है और रहेगा। इसकी पुष्टिमें हम पहले आगम प्रमाण तो दे ही आये हैं साथ ही हम यह भी सूचित कर देना चाहते हैं कि पुराण साहित्यमें भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो इस कथनका समर्थन करनेके लिए पर्याप्त हैं।

जिनमन्दिर-प्रवेश मीमांसा

श्रद्ध जिनमन्दिरमें जाएँ इसका कहीं निषेच नहीं—

पहले हम आगम और सुकिसे यह सिद्ध कर आये हैं कि अन्य वर्ण-वाले मनुष्योंके समान शूद्रवर्णके मनुष्य भी जिनमन्दिरमें बाकर दर्शन और पूजन करनेके अधिकारी हैं। विस धर्ममें मन्दिरमें बाकर दर्शन और पूजन करनेकी योग्यता तिर्यक्षोंमें मानी गई हो उसके अनुसार शूद्रोंमें इस प्रकारकी योग्यता न मानी जाय यह नहीं हो सकता। अभी कुछ काल पहिले दस्ताओंके मन्दिरमें जानेवाला निषेच था। किन्तु सत्य वात जनताकी समझमें आ जानेसे यह निषेचाहा उठा ली गई है। यह निषेचाहा थी तब दस्तामाई मन्दिरमें बाकर पूजा करनेकी योग्यता नहीं रखते थे यह बात नहीं है। यह बास्तवमें धर्मिक विधि न होकर एक सामाजिक सम्बन्ध या जो दूसरोंकी देखादेखी जैनाचारमें भी सम्मिलित कर दिया

गया था। किन्तु यह जात होने पर कि इससे न केवल दूसरोंके नैसर्गिक अधिकारका अपहरण होता है, अपिनु धर्मका भी घात होता है, यह बन्धन उठा किया गया है। इसी प्रकार शूद्र मन्दिरमें नहीं जा सकते यह भी सामाजिक बन्धन है, योग्यतामूलक धार्मिक विधि नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि आगमके अनुसार तो सबके लिए समवसरणके प्रतीकरूप जिनमन्दिर-का द्वार खुला हुआ है। वह न कभी बन्द होता है और न कभी बन्द किया जा सकता है, क्योंकि जिनमन्दिरमें जाकर और जिनदेवके दर्शनकर अन्य मनुष्यों और तिर्यक्षोंके समान वे भी जिनदेवके दर्शन द्वारा आत्मानुभूति कर सकते हैं। यही कारण है कि आगममें कहीं भी शुद्धोंके मन्दिर प्रवेशके नियेष्ठरूप बचन नहीं मिलता।

वैदिक परम्परामें शूद्रोंको धर्माधिकारसे बच्चित क्यों किया गया है इसका एक कारण है कि आयोंके भारतवर्षमें आनेपर यहाँके मनुष्योंको जीतकर उन्हें उन्होंने दास बनाया था उन्हें ही उन्होंने शूद्र शब्द द्वारा सम्बोधित किया था। वे आयोंकी बराबरीसे सामाजिक अधिकार प्राप्त न कर सके, इसलिए उन्हे धर्माधिकार (सामाजिक धर्माधिकार) से बच्चित किया गया था। किन्तु जैनधर्म न तो सामाजिक धर्म है और न हां इनका हाण्डिकारण किसीको दासभावसे स्वीकार करनेका ही है। यथा पि तत्त्वार्थद्वयम परिग्रहशरीरमाणवतका निर्देश करनेके प्रसङ्गसे दास और दासी ये शब्द आये हैं और इस बतामें उनका परिमाण करनेकी भी जात कही गई है। किन्तु उसका तात्पर्य किसीको दास-दासी बनानेका नहीं है। जो मनुष्य पहले दास-दासी रखे हुए थे वे जैन उपासककी दीक्षा लेते समय परिग्रहके समान उनका भी परिमाण कर ले और शोषको दास-दासीके कायसे मुक्त कर नागरिकताके पूरे अधिकार दे दें। साथ ही वे ही यहस्य जब समस्त परिग्रहका त्याग करें वा परिग्रहव्याप्रतिमा पर आरोहण करने

ल्हों तब चाहे दासी-दास हों या अन्य कोई सबको समान भावसे नागरिक समझें और धर्ममें उच्चसे उच्च नागरिकिका जो अधिकार है वही आधिकार सबका माने यह भी उसका तात्पर्य है। प्राचीन कालमें जो नागरिक सामाजिक अपराध करते थे उनमेंसे अधिकतर दशहके भयसे घर छोड़कर धर्मकी शरणमें चले जाते थे यह प्रथा प्रचलित थी। ऐसे व्यक्तियोंको या तो बौद्धधर्ममें शैरण मिलती थी या जैनधर्ममें। बुद्धदेवके सामने इस प्रकारका प्रश्न उपस्थित होने पर उत्तरकालमें उन्होंने तो यह व्यवस्था दी कि यदि कोई सैनिक सेनामें से भाग आवे या कोई सामाजिक अपराध करनेके बाद धर्मकी शरणमें आया हो तो उसे बौद्धधर्ममें दीक्षित न किया जाय, परन्तु जैनधर्मने व्यक्तिके इस नागरिक अधिकार पर भूलकर भी प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। इसका कारण यह नहीं है कि वह दोषको प्रश्न देना चाहता है। यदि कोई इस परसे ऐसा निष्कर्ष निकाले भी तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। बृहकों काटनेवाला व्यक्ति यदि आतपसे अपनी रक्षा करनेके लिए उसी बृहकी छायाकी शरण लेता है तो यह बृहका दोष नहीं माना जा सकता। ठीक यही स्थिति धर्मकी है। काम, क्रोध, मट, मात्सर्य और मिथ्यात्वके कारण पराधीन हुए जितने भी संसारी प्राणी हैं वे सब धर्मकी जड़ काटनेमें लगे हुए हैं। जो तथाकथित शूद्र हैं वे तो इस दोषसे बरी माने ही नहीं जाते, लौकिक दृष्टिसे जो उच्चवर्ण मनुष्य हैं वे भी इस दोषसे बरी नहीं हैं, तीर्थঙ्करोंने व्यक्तिके जीवनमें वास करनेवाले इस अन्तरङ्ग मलको देखा था। फलस्वरूप उन्होंने उसीको दूर करनेका उपाय बतलाया था। शरीर और वस्त्रादिमें लगे हुए बाह्यमलका शोधन तो पानी, धूप, हवा और साबुन आदिसे भी हो जाता है। परन्तु आत्मामें लगे हुए उस अन्तरङ्ग मलको धोनेका यदि कोई उपाय है तो वह एकमात्र धर्म ही है। ऐसी अवस्थामें कोई तीर्थङ्कर यह कहे कि हम इस व्यक्तिके अन्तरङ्ग मलको धोनेसे लिए इस व्यक्तिको तो अपनी शरणमें आने देंगे और इस व्यक्तिको नहीं आने देंगे यह नहीं हो

सकता। स्पष्ट है कि जिस प्रकार ब्राह्मण आदि उच्च वर्यवाले मनुष्योंको जिनमन्दिरमें जाकर पञ्चपरमेष्ठीको आराधना करनेका अधिकार है उसी प्रकार शूद्रवर्णके मनुष्योंको भी किसी भी धर्मायितनमें जाकर सामायिक प्रमुख भगवद्गति, स्तवन, पूजन और स्वाध्याय आदि करनेका अधिकार है। यही कारण है कि बहुत प्रथम करनेके बाद भी हमें किसी भी शास्त्रमें 'शूद्र जिनमन्दिरमें जानेके अधिकारी नहीं है' इसका समर्थन करनेवाला वचन उपलब्ध नहीं हो सका।

हरिवंशपुराणका उल्लेख—

यह जैनधर्मका हार्द है। अब हम हरिवंशपुराणका एक ऐसा उल्लेख उपस्थित करते हैं जिससे इसकी पुष्टि होनेमें पूरी सहायता मिलती है। बलभद्र विविध देशोंमें परिभ्रमण करते हुए विद्याधर लोकमें जाते हैं और वहाँ पर बलि विद्याधरके वशमें उत्पन्न हुए विद्युदेगकी पुत्री मदनवेगाके साथ विवाह कर मुख्यपूर्वक जीवन-आपन करने लगते हैं। इसी बीच सब विद्याधरोंका विचार सिद्धकृट जिनालयकी बन्दनाका होता है। यह देखकर बलदेव भी मदनवेगाको लेकर सबके साथ उसकी बन्दनाके लिए जाते हैं। जब सब विद्याधर जिनपूजा और प्रतिमायहकी बन्दना कर अपने-अपने स्थान पर बैठ जाते हैं तब बलदेवके अनुरोध करने पर मदनवेगा सब विद्याधर निकायोंका परिचय करती है। यह कहती है—‘जहाँ हम और आप बैठे हैं इस स्तम्भके आश्रयसे बैठे हुए तथा हाथमें कमल लिए हुए और कमलोंकी माला पहिने हुए दे गौरक नामके विद्याधर हैं। लाल मालाको धारण किये हुए और लाल बल पहिने हुए ये गान्धार विद्याधर गान्धार नामक स्तम्भके आश्रयसे बैठे हैं। नाना प्रकारके रंगवाले सोनेके रंगके और पीत रंगके रेशमी बल पहिने हुए ये मानवपुत्रक निकायके विद्याधर मानव नामक स्तम्भके आश्रयसे बैठे हैं। कुछ आरक्त रंगके बल पहिने हुए और मणियोंके आभूतणोंसे सुसज्जित ये मनुपुत्रक निकायके विद्याधर मान नामक स्तम्भके आश्रयसे बैठे हैं। नाना

प्रकारको आधिकारियों को हाथमें लिए हुए तथा नाना प्रकारके आभरण और मालाओंको पहिने हुए ये मूलबीर्य निकायके विद्याधर आधिकारियोंके स्तम्भके आश्रयसे बैठे हैं। सब शतुओंके फूलोंसे सुवासित स्वर्णमय आभरण और मालओंको पहिने हुए ये अन्तर्भूमिचर निकायके विद्याधर भूमिमण्डक नामक स्तम्भके आश्रयसे बैठे हैं। नाना प्रकारके कुरड़लों और नागाङ्गों तथा आभूषणोंसे सुशोभित ये शंकुक निकायके विद्याधर शंकु नामक स्तम्भके आश्रयसे बैठे हैं। मुकुटोंको स्पर्श करनेवाले मणिकुरड़लोंसे सुशोभित ये कौशिक निकायके विद्याधर कौशिक नामक स्तम्भके आश्रयसे बैठे हैं। ये सब आर्य विद्याधर हैं। इनका मैंने संक्षेपमें कथन किया। हे स्वामिन्! अब मैं मातङ्ग (चाणडाल) निकायके विद्याधरोंका कथन करती हूँ, सुनो। नीले मैंचोंके समान नील वर्ण तथा नीले बल और माला पहिने हुए ये मागङ्ग निकायके विद्याधर मातङ्ग नामक स्तम्भके आश्रयसे बैठे हैं। इमशानसे प्राप्त हुई हड्डी और चमड़ेके आभूषण पहिने हुए तथा शरीरमें भ्रम पौते हुए ये इमशाननिलय निकायके विद्याधर इमशान नामक स्तम्भके आश्रयसे बैठे हैं। नील वैद्यूत रंगके बल पहिने हुए ये पाण्डुरनिकायके विद्याधर पाण्डुरनामक स्तम्भके आश्रयसे बैठे हैं। कालहिरण्यके चर्मके बुख और माला पहिने हुए ये कालस्वपाकी निकायके विद्याधर कालनामक स्तम्भके आश्रयसे बैठे हैं। पिङ्गल केशवाले और तत सोनेके रंगके आभूषण पहिने हुए ये इवपाकी निकायके विद्याधर इवपाकीनामक स्तम्भके आश्रयसे बैठे हैं। पर्णपत्रोंसे आच्छादित मुकुटमें लगी हुई नानाप्रकारकी मालाओंको धारण करनेवाले ये पांवतेय निकायके विद्याधर पांवतनामक स्तम्भके आश्रयसे बैठे हैं। वासिके पत्तोंके आभूषण और सब शतुओंमें उत्तम होनेवाले फूलोंकी मालाएं पहिने हुए ये वंशालय निकायके विद्याधर वंशनामक स्तम्भके आश्रयसे बैठे हैं। महामुजगोंसे शोभायमान उत्तम आभूषणोंको पहिने हुए ये शृङ्खमूलक निकायके विद्याधर शृङ्खमूलकनामक स्तम्भके आश्रयसे बैठे हैं।'

यह हरिवंशपुण्यका उल्लेख है। इसमें ऐसे विद्याधर निकायोंको भी चरचा की गई है जो आर्य होनेके साथ-साथ सम्य मनुष्णोचित उचित वेषभूषाको चारण किये हुए थे और ऐसे विद्याधर निकायोंकी भी चरचा की गई है जो अनार्य होनेके साथ-साथ चारडाल कर्मसे भी आपनी आबीविका करते थे तथा हहियों और चमड़ी तकके वस्त्राभूषण पहिने हुए थे। यह तो स्पष्ट है कि विद्याधर लोकमें सदा कर्मभूमि रहती है, इसलिए वहाँके निवासी असि आदि घटकमें आपनी आबीविका तो करते ही हैं। साथ ही उनमें कुछ ऐसे विद्याधर भी होते हैं जो रमणान आदिमें शबदाह आदि करके, मरे हुए पशुओंकी लाल उतारकर और हहियोंका व्यापार करके तथा इसी प्रकारके और भी निकृष्ट कार्य करके आपनी आबीविका करते हैं। इतना सब होते हुए भी वे दूसरे विद्याधरोंके साथ विनमन्दिरमें जाते हैं, भिलकर पूजा करते हैं और आपने-आपने मुखियोंके साथ बैठकर परस्परमें चर्मचर्चा करते हैं। यह सब क्या है? क्या इससे यह सूचित नहीं होता कि किसी भी प्रकारकी आबीविका करनेवाला तथा निकृष्टसे निकृष्ट वस्त्राभूषण पहिननेवाला व्यक्ति भी मोहमार्गके अनुरूप धार्मिक प्राथमिक कृत्य करनेमें आवाद है। उसकी जाति और वेशभूषा उसमें बाधक नहीं होती। विन आचायोंने सम्पर्दशनको धर्मका मूल कहा है और यह कहा है कि जो त्रस और स्थावरघब्बसे विरत न होकर भी बिनोक आशाका भद्धान करता है वह सम्पदाहि है उनके उस कथनका एकमात्र यही अभिप्राय है कि केवल किसी व्यक्तिको आबीविका, वेश-भूषा और जातिके आधारपर उसे धर्मका आचरण करनेसे नहीं रोका जा सकता। यह दूसरी जात है कि वह आगे-आगे जिस प्रकार वह, नियम और यमको स्वीकार करता जाता है उसी प्रकार उच्चरोत्तर उसका हिसाकर्म कूटकर विशुद्ध आबीविका होती जाती है, तथा अन्तमें वह स्वयं पाणिपात्रभोजी बनकर पूरी तरहसे आत्मकल्याण करने लगता है और अन्य प्राणियोंको आत्मकल्याण करनेका मार्ग प्रशस्त

करता है। वे पुरुष जिन्होंने जीवन भर दिमादि कर्म करके अपनी आजीविका नहीं की है सबके लिए आदर्श और बन्दनीय तो हैं ही। किन्तु जो पुरुष प्रारम्भमें हिंसाकि कर्म करके अपनी आजीविका करते हैं और अन्तमें उससे विरक्त हो मोक्षमार्गके पथिक बनते हैं वे भी सबके लिए आदर्श और बन्दनीय हैं।

अन्य प्रमाण—

इस प्रकार हरिवंशपुराणके आधारसे यह ज्ञात हो जाने पर भी कि चाण्डालसे लेकर बालाण तक प्रत्येक मनुष्य जिन मन्दिरमें प्रवेश कर जिन पूजा आदि धार्मिक कृत्य करनेके अधिकारी हैं, यह जान सोना आवश्यक है कि क्या मात्र हरिवंशपुराणके उक्त उल्लेखसे इसकी पुष्टि होती है या कुछ अन्य प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं जो इसकी पुष्टिमें सहायक माने जा सकते हैं। यह तो स्पष्ट है कि महापुराणकी रचनाके पूर्व किसीके सामने इस प्रकारका प्रश्न हो उपस्थित नहीं हुआ था, इसलिए महापुराणके पूर्ववर्ती किसी आचार्यने इस दृष्टिसे विचार भी नहीं किया है। शृङ् ग्रन्थदर्शन-पूर्वक आवक धर्मको तो स्वीकार करे किन्तु वह जिनमन्दिरमें प्रवेश कर जिनेन्द्रदेवकी पूजन-स्तुति न कर सके यह जात बुद्धिमाण तो नहीं है। फिर भी जब महापुराणके कर्ता आचार्य जिनसेनने जैनधर्मको वरणाभिमधर्मके साँचेमें दाढ़ाकर यह विधान किया कि इच्छादि षट्कर्म करनेका अधिकार एकमात्र तीन वर्णके मनुष्यको है, शृङ् ग्रको नहीं तब उत्तरकालीन कठिपय लेखकोंको इस विषय पर विशेष ध्यान देकर कुछ न कुछ अपना मत बनाना ही पढ़ा है। उत्तरकालीन साहित्यकारोंमें इस विषयको लेकर जो दो मत दिखाई देते हैं उसका कारण यही है। सन्तोषकी जात इतनी ही है कि उनमेंसे अधिकतर साहित्यकारोंने देवपूजा आदि धर्मिक कार्योंको नीन वर्णके कर्तव्योंमें परिगणित न करके आवक धर्मके कार्योंमें ही परिगणित किया है और इस तरह उन्होंने आचार्य जिनसेनके कथनके प्रति अपनी असहमति ही व्यक्त की है। सोमदेवसुरि नीतिवाक्यामूलमें कहते हैं—

आचारानवदत्तं शुचिलपस्करः शारीरि च विशुद्धिः करोति शूद्रमयि
देवद्विजतपस्त्विपरिकर्मसु योग्यम् ।

तात्पर्य यह है कि बिस शूद्रका आचार निर्दोष है तथा घर, पात्र और
शरीर शुद्ध है वह देव, द्विज और तपस्त्वियोंकी भक्ति पूजा आदि कर
सकता है ।

नीतिवाक्यामृतके टीकाकार एक अजैन विद्वान् हैं । उन्होंने भी उक्त
बचनकी टीका करते हुए एक श्लोक उद्धृत किया है । श्लोक इस
प्रकार है—

गृहपत्राणि शुद्धानि व्यवहारः सुनिमलः ।

कायशुद्धिः करोत्येव योग्यं देवादिपूजने ॥

श्लोकका अर्थ वही है जो नीतिवाक्यामृतके बचनका कर आये हैं ।
इस प्रकार सोमदेवसूरिके सामने यह विचार उपस्थित होने पर कि शूद्र
जिनमन्दिरमें जाकर देवपूजा आदि कार्य कर सकता है या नहीं, उन्होंने
अपना निश्चित मत बनाकर यह सम्भाल दी थी कि यदि उसका व्यवहार
सरल है और उसका घर, वस्त्र तथा शरीर आदि शुद्ध है तो वह मन्दिरमें
जाकर देवपूजा आदि कार्य कर सकता है ।

यहाँ पर इतना स्पष्ट जान लेना चाहिए कि सोमदेवसूरिने इस
प्रश्नको धार्मिक दृष्टिकोणसे स्पर्श न करके ही यह समाधान किया है,
क्योंकि धार्मिक दृष्टिसे देवपूजा आदि कार्य कौन करे यह प्रश्न ही उपस्थित
नहीं होता । कारण कि कोई मनुष्य ऊपरसे चाहे पवित्र हो और चाहे अपवित्र
हो वह पञ्चपरमेष्ठीकी भक्ति, विनय और पूजा करनेका अधिकारी है । यदि
किसीने पञ्चपरमेष्ठीकी भक्ति, विनय और पूजा की है तो वह भीतर और
बाहर सब तरफसे शुद्ध है और नहीं की है तो वह न तो भीतरसे शुद्ध है
और न बाहरसे ही शुद्ध है । इम भगवद्गति या पूजाके प्रारम्भमें ‘अपवित्रः
पवित्रो वा’ इस आशयके दो श्लोक पढ़ते हैं वे केवल पाठमात्रके लिए
नहीं पढ़े जाते हैं । स्पष्ट है कि धार्मिक दृष्टिकोण इससे भिन्न है । वह न

तो व्यक्तिके कर्मको देखता है और न उसकी चाहिरी पवित्रता और अपवित्रताको ही देखता है। यदि वह देखता है तो एकमात्र व्यक्तिकी अद्याको जिसमेंसे भक्ति, विनय, पूजा और दान आदि सब धार्मिक कर्म उद्भूत होते हैं। आचार्य अभितिगतिने इस सत्यको हृदयंगम किया था। तभी तो उन्होंने आचार्य जिनसेन द्वारा प्रसूपित छुह कर्मोंमेंसे वार्ताके स्थानमें गुरुपालित रखकर यह सूचित किया कि ये तीन वर्णके कार्य न होकर गृहस्थोंके कर्तव्य हैं। उन्होंने गृहस्थके जिन छुह कर्मोंकी सूचना दी है वे हैं—

देवपूजा गुरुपालितः स्वाध्यायः संयमस्तपः ।

दान वेति गृहस्थानां पट्कर्माणि दिने दिने ॥

परिडतप्रवर आशाधरजीने अपने सामारथ्यमृत, (अध्याय १ श्लो० १८) में इस प्रकारका सरोधन तो नहीं किया है। उन्होंने वार्ताके स्थानमें उसे ही रहने दिया है। परन्तु उसे रखकर भी वे उससे केवल असि, मणि, कृषि, और वाणिज्य इन चार कर्मोंसे आजीविका करनेवालोंको ग्रहण न कर सेवाके साथ छुहा कर्मोंसे अपनी आजीविका करनेवालोंको स्वीकार कर लेते हैं। और इस प्रकार इस सरोधन द्वाग वे भी यह सूचित करते हैं कि देवपूजा आदि कार्य तीन वर्णके कर्तव्य न होकर गृहस्थर्थके कर्तव्य हैं। फिर चाहे वह गृहस्थ किसी भी कर्मसे अपनी आजीविका क्यों न करता हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि उचरकालवर्ती जितने भी साहित्यकार हुए हैं, प्रायः उन्होंने भी यही स्वीकार किया है कि जिनमन्दिरमें जाकर देवपूजा आदि कार्य जिस प्रकार ब्राह्मण आदि तीन वर्णका गृहस्थ कर सकता है उसी प्रकार चारडाल आदि शूद्र गृहस्थ भी कर सकता है। आगममें इससे किसी प्रकारकी वाधा नहीं आती। और यदि किसीने कुछ प्रतिचर्च लगाया भी है तो उसे सामयिक परिस्थितिको ध्यानमें रखकर सामाजिक ही समझना चाहिए। आगमकी मनसा इस प्रकारकी नहीं है यह सुनिश्चित है।

इस प्रकार शास्त्रीय प्रमाणोंके प्रकाशमें विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि शृङ्गोंको भी बिनमन्दिरमें जाने और पूजन-पाठ करनेका कहीं कोई नियेष नहीं है। महापुराणमें इच्छा आदि पट्कर्म करनेका अधिकार जो तीन वर्णके मनुष्योंको दिया गया है उसका रूप सामाजिक है धार्मिक नहीं और उद्देश व अभिप्रायकी दृष्टिसे सामाजिक विधिविधान तथा धार्मिक विधिविधानमें बहा अन्तर है, क्योंकि किया एक प्रकारकी हानेपर भी टोनोंका फल अलग-अलग है। ऐसो आवस्थामें आचार्य जिनसेन द्वारा महापुराणमें कौलिक दृष्टिसे किये गये सामाजिक विधिविधानको आत्मशुद्धिमें सहायक मानना तत्वका अपलाप करना है। यद्यपि इस दृष्टिसे भगवद्गति करते समय भी पूजक यह भावना करता हुआ देखा जाता है कि मेरे दुःखोंका छय हो, कर्मोंका छय हो, समाधिमरण हो, रक्तत्रयकी प्राप्ति हो और मैं उत्तम गति जो मोक्ष उसे प्राप्त करूँ। जलादि द्रव्यमें आचार करते समय वह यह भी कहता है कि जन्म, जरा और मृत्युका नाश करनेके लिए मैं जलको अपेण करता हूँ आदि। किन्तु ऐसी भावना व्यक्त करने मात्रसे वह किया मोक्षमार्गका अङ्ग नहीं बन सकती, क्योंकि जो मनुष्य उक्त विधिसे पूजा कर रहा है उसकी आध्यात्मिक भूमिका क्या है, प्रकृतमें यह बात मुख्यरूपसे विचारणीय हो जाती है।

यदि भगवद्गति करनेवाला कोई व्यक्ति इस अभिप्रायके साथ जिनेन्द्रदेवकी उपासना करता है कि ‘यह मेरा कौलिक धर्म है, मेरे पूर्वज इस धर्मका आचरण करते आये हैं, इसलिए मुझे भी इसका अनुसरण करना चाहिए। मेरा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुलमें जन्म हुआ है, अतः मैं ही इस धर्मको पूर्णरूपसे पालन करनेका अधिकारी हूँ। जो शूद है वे इस धर्मका उस रूपसे पालन नहीं कर सकते, क्योंकि वे नीच हैं। यह मन्दिर भी मैंने या मेरे पूर्वजोंने बनवाया है, इसलिए मैं इसमें मेरे समान आजीविका करनेवाले तीन वर्णके मनुष्योंको ही प्रवेश करने दूँगा,

अन्यको नहीं। अन्य व्यक्ति यदि भगवद्रक्षित करना ही चाहते हैं तो वे मन्दिरके बाहर रहकर मन्दिरको शिखरोमें या दरवाजोके चौखटोमें स्थापित की गई जिनप्रतिमाओंके दर्शन कर उसकी पूर्ति कर सकते हैं। मन्दिरोके सामने जो मानस्तम्भ निर्मापित किये गये हैं उनमें स्थापित जिनप्रतिमाओं के दर्शन करके भी वे अपनी धार्मिक भावनाकी पूर्ति कर सकते हैं। परन्तु मन्दिरोके भीतर प्रवंश करके उन्हें भगवद्रक्षित करनेका अधिकार कभी भी नहीं दिया जा सकता। तो उसका यह अभिप्राय मोक्षमार्गकी पुष्टिमें और उसके जीवनके मुधारमें सहायक नहीं हो सकता। भले ही वह लौकिक दृष्टिसे धर्मात्मा प्रनीत हो, परन्तु अन्तरङ्ग धर्मकी प्राप्ति इन विकल्पोंके त्यागमें ही होती है यह निश्चित है, क्योंकि प्रथम तो वहाँ यह विचारणीय है कि कौलिक दृष्टिसे की गई यह किया क्या मंसारचन्बनका उच्छेद करनेमें सहायता हो सकता है? एक तो ऐसी कियामें वैमें ही रागभावको मुख्यता रहती है, क्योंकि उसके बिना अन्य पदार्थके आलम्बनसे प्रवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए आगममें इसका मुख्य फल पुण्यभन्ध ही बतलाया है, सासारका उच्छेद नहीं। यदि कहीं पर इसका फल सासारका उच्छेद कहा भी है तो उसे उपचार कथन ही जानना चाहिए। और यह स्पष्ट है कि उपचार कथन मुख्यका स्थान नहीं ले सकता। उपचारका समृद्धीकरण करते हुए अन्यत्र कहा भी है—

मुख्याभावे भवि प्रयोजने च उपचारः प्रवर्तते ।

आशय यह है कि मुख्यके अभावमें प्रयोजन विशेषकी सिद्धिके लिए उपचार कथनका पूर्ति होती है। इसलिए इतना स्पष्ट है कि अन्य पदार्थके आलम्बनसे प्रवृत्तिरूप जो भी किया की जाती है वह उपचारधर्म होनेसे मुख्य धर्मका स्थान नहीं ले सकता। यद्यपि यह हम मानते हैं कि गृहस्थ अवस्थामें ऐसे धर्मकी ही प्रधानता रहती है। किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि गृहस्थ मुख्य धर्मसे अपनी चित्तवृत्तिको हटाकर इसे ही साक्षात् मोक्षका साधन मानने लगता है। स्पष्ट है कि जब मोक्षके अभिप्रायसे

किया गया व्यवहारधर्म भी साक्षात् मोक्षका साधन नहीं हो सकता। ऐसी अवस्थामें जो आचार कौलिक इष्टिसे किया जाता है वह धर्मका स्थान कैसे ले सकता है? उसे तो व्यवहारधर्म कहना भी धर्मका परिहास करना है। अतएव निष्कर्परूपमें यही समझना चाहिए कि धर्ममें वर्णादिकके भेदसे विचारके लिए रज्जमात्र भी स्थान नहीं है और यही कारण है कि जैनधर्मने व्यक्तिकी योग्यताके आश्रयसे उसका विचार किया है, वर्ण और जातिके आश्रयसे नहीं। जब यह वस्तुस्थिति है ऐसी अवस्थामें अन्य वर्गवालोंके समान शूद्र भी जिन मन्दिरमें जाकर जिनदेवकी आर्चा बन्दना करं यह मानना आगम सम्मत होनेसे उचित ही है।

आवश्यक षट्कर्म मीमांसा

महापुराण और अन्य साहित्य—

महापुराणमें तीन वर्णके मनुष्य ही यज्ञापवीत संत्कार पूर्वक द्विज सज्जाको प्राप्त होते हैं और वे ही इच्छा, वातां, दति, स्वाध्याय, सद्यम और तप इन छह कर्मोंके अधिकारी होते हैं यह बतलाया गया है। साथ ही वहाँ पर यह भी बतलाया गया है कि जब वे ब्रह्मचर्याभ्यमका त्यागकर गृहस्थाश्रममें प्रवेश करते हैं तब उन्हींके मधुत्याग, मासत्याग, पाँच उदुग्वर फलोंका त्याग और हिंसा आदि पाँच स्थूल पापोंका त्याग ये सार्वकालिक ब्रत होते हैं। महापुराणमें यह तो बतलाया है कि शूद्र यदि चाहे तो मरण पर्यन्त एक शाटक ब्रतको धारण करे। परन्तु वह तथाकथित एक शाटक ब्रतको पालते समय या उस ब्रतको लेनेके पूर्व प्रति दिन और क्या क्या कार्य करे यह कुछ भी नहीं बतलाया गया है, इसलिए प्रश्न होता है कि शूद्रका गृहस्थ अवस्थामें अन्य क्या कर्तव्य कर्म है? यह तो स्पष्ट है कि मनुस्मृतिकारने यज्ञ, अध्ययन और दान देनेका अधिकारी शूद्रको न

मानकर केवल तीन वर्णके मनुष्यको माना है। साथ ही वहाँपर तीन वर्ण के मनुष्यके लिए इन्द्रियगंयम और तपका उपदेश भी 'ठिगा गया है'। वहाँ स्पष्ट कहा है कि जो द्विज सभ्यमका पालन नहीं करता उसके बेदाध्ययन, दान, यज्ञ, नियम आंर तप मिदिको नहीं प्राप्त होते। इस प्रकार मनुस्मृतिमें जिन छह कर्मोंका उपदेश दृष्टिगोचर होता है। वे छह कर्म ही महापुराणमें स्वीकार किये गये हैं। इसलिए मालूम पड़ता है कि महापुराणकारने उसी व्यवस्थाको स्वीकार कर यह विधान किया है कि कुलधर्म रूपसे इच्छा आटि घट्कर्मका अधिकारी मात्र तीन वर्णका मनुष्य है, शूद्र नहीं। इस प्रकार महापुराणमें जहाँ मनुस्मृतिका अनुसरण किया गया है वहाँ इमें यह भी देखना है कि महापुराणकी यह व्यवस्था क्या सच्चमुच में आगम परम्पराका अनुसरण करती है या महापुराणमें इस प्रकारके विधान होनेका कोई अन्य कारण है? प्रश्न महत्वका होनेसे इसपर साङ्गोपाङ्ग विचार करना आवश्यक है।

पहले इम यह स्पष्ट रूपसे बतला आये है कि जो भी कर्मभूमिज मनुष्य सम्यक्त्वको स्वीकार करता है वह सम्यक्त्वके साथ या कालान्तरमें देशविरत और सकलविरत रूप धर्मको धारण करनेका अधिकारी है। वह ब्राह्मण, त्रिष्णु और वैश्य होनेसे अमुक प्रकारके देशविरत और सकलविरत धर्मको धारण करता है और शूद्र होनेसे अमुक प्रकारके धर्मको धारण करता है ऐसा वहाँ कोई भेद नहीं किया गया है। देशविरत और सकलविरतका सम्बन्ध अन्तरङ्ग परिणामोंके साथ होनेके कारण वर्ण या जातिके आधारपर उनमें भेद होना सम्भव भी नहीं है। सच बात तो यह है कि आगम साहित्यमें वर्ण नामकी कोई वस्तु है इस तथ्यको ही स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिए यह तो स्पष्ट है कि महापुराणमें यहस्थोंके आवश्यक कर्तव्य कर्मोंके विषयमें जो कुछ भी कहा गया है उसका समर्थन

आगम साहित्यसे तो होता नहीं। महापुराणका पूर्वकालबर्ती बितना साहित्य है उससे भी इसका समर्थन नहीं होता यह भी स्पष्ट है, क्योंकि उसमें इत प्रकारसे छह कर्मोंका विभाग नहीं दिखाई देता। जो महापुराणका उत्तरकालबर्तीं साहित्य है उसकी स्थिति भी बहुत कुछ अंश में महापुराणके मन्तव्योंसे भिन्न है। उदाहरणास्वरूप हम यहाँपर सागरधर्मामृतके एक उल्लेखको उपस्थित कर देना आवश्यक मानते हैं। वह उल्लेख इस प्रकार है—

निष्ठाष्टनिकसच्चतुमुखमहः कल्पद्रुमैन्द्रध्वजा-
विजया: पात्रसमक्षियान्वयद्यावत्सोस्तपःसंयमान् ।

स्वाध्यायं च विधातुमादत्कृत्वैसेवाविज्ञादिकः

शुद्धयासुदितया गृही मललवं पचादिभित्र लिपेत् ॥१-१८॥

महापुराणमें इज्या आदि छह कर्म स्वीकार किये गये हैं उन्होंने छह कर्मोंका उल्लेख परिषिद्धप्रबर आशाधरजीने सागरधर्मामृतके उक्त श्लोक में किया है। अन्तर केवल इतना है कि आचार्य बिनसेन वातापिदसे असि, मणि, कृषि और वाणिज्य मात्र इन चार कर्मोंको स्वीकार करते हैं जब कि परिषिद्धप्रबर आशाधरजी इनके स्थानमें सेवा, विद्या और शिल्प के साथ सब कर्मोंको स्वीकार करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ आचार्य बिनसेन केवल तीन वर्णके मनुष्योंको पूजा आदिका अधिकारी मानते हैं वहाँ परिषिद्धप्रबर आशाधरजी चारों वर्णके मनुष्योंको उनका अधिकारी मानते हैं। परिषिद्धबीजे अनगारधर्मामृतकी टीकामें ब्राह्मण, द्वात्रिय, वैश्य और सच्छूद्र इन चारको मुनिके आहारके लिए अधिकारी लिखा है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि ब्राह्मणादि तीन वर्णके मनुष्योंके समान शूद्रवर्णके मनुष्य भी बिनेन्द्रदेवकी पूजा कर सकते हैं और मुनियोंको आहार दे सकते हैं। साथ ही वे स्वाध्याय, संयम और तप इन कर्मोंको करनेके भी अधिकारी हैं। यहाँ पर यह स्परणीय है कि महापुराण के उत्तरकालबर्तीं छोटे बड़े प्रायः बितने भी साहित्यकार हुए हैं उन-

सबने एक तो इच्छादिको तीन वर्गों के कर्तव्योंमें न गिनाकर गृहस्थोंके आवश्यक कर्तव्योंमें गिनाया है। दूसरे उन्होंने बातोंकर्मको हटाकर उसके स्थानमें गुरुपान्ति इस कर्मकी योजना का है। इमलिए दूसरसे यदि कोई यह निष्कार्य निकाले कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके समान सच्छूद्र और असच्छूद्र भी देवपूजा आदि कुछ कर्मोंको कर सकते हैं तो हमें कोई अत्युक्त नहीं प्रतीत होती। पण्डितप्रब्रव आशाधरजोंके अभिप्रायानुसार अधिकमें अधिक यही कहा जा सकता है कि वे 'असच्छूद्र गृहस्थ मुनियोंको आहार दे' मात्र इस बातके विरोधी रहे हैं, असच्छूद्रोंके द्वारा देवपूजा आदि कर्मोंके किये जानेके नहीं। चारित्रसारका भी यही अभिप्राय है, क्योंकि उसके कर्ताने इन कार्योंका अधिकारी शूद्रोंको भी माना है। यह महापुराणके उत्तरकालवर्तीं प्रमुख साहित्यकी स्थिति है जो गृहस्थोंकी आचारपरम्परामें वर्णव्यवस्थाको स्वीकार करके भी किसी रूपमें आगमपरम्पराका ही समर्थन करती है। इस मामलेमें महापुराणका पूरी तरहसे साथ देनेवाला यदि कोई ग्रन्थ हमारी दृष्टिमें आया है तो वह एकमात्र टानशासन ही है। परन्तु यह ग्रन्थ बहुत ही अवांचीन है। सभ्यता है कि इस विचारका समर्थन करनेवाले भट्ठारकयुगीन और भी एक-दो ग्रन्थ हैं। जो कुछ भी हो, इतना स्पष्ट है कि आचार्य जिनसेनने भरत चक्रवर्तीके नाम पर मनुस्मृतिपर्मको जैनधर्म बतलाकर आगमधर्मको गौण करनेका जो भी प्रयत्न किया है उसमें वे पूरी तरहसे सफल नहीं हो सके हैं इसमें रक्षमात्र भी सन्देह नहीं है।

प्राचीन आवश्यककर्मोंका निर्णय—

अब देखना यह है कि महापुराणमें या इसके उत्तरकालवर्तीं साहित्यमें मौलिक हेर-फेरके साथ गृहस्थोंके जिन आवश्यक कर्मोंका उल्लेख किया गया है उनका आचार परम्परामें स्वीकार किये गये प्राचीन आवश्यक कर्मोंके साथ कहाँ तक मेल खाता है; यह तो स्पष्ट है कि प्राचीन साहित्यमें

गृहस्थधर्मका वर्णन दो प्रकारका उपलब्ध होता है—प्रथम बारह ग्रन्तोंके रूपमें और दूसरा भ्यारह प्रतिमाओंके रूपमें। वहाँ गृहस्थोंके आवश्यक कर्मोंका अलगसे उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं होता। किन्तु इतने मात्रसे प्राचीन कालमें गृहस्थोंके आवश्यक कर्मोंका सम्भाव मानना उचित नहीं है, क्योंकि पुराणसाहित्यमें तथा अमितिगतिशावकाचार आदि अन्य साहित्य में जो भी उल्लेख दृष्टिगोचर होते हैं और गृहस्थोंका प्रतिकर्मण सम्बन्धी जा भी साहित्य प्रकाशमें आया है उससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्राचीन कालमें गृहस्थ अपने-अपने पदके अनुसार उन्हीं छह आवश्यक कर्मोंका समुचित रीतिसे पालन करते थे जो मुनियोंके लिए आवश्यक बतलाये गये हैं।

जो पांच इन्द्रियोंके विषय, सोलह कथाय और नौ नोकथायोंके आधीन नहीं होता उसका नाम अवश्य है और उसके जो कर्तव्य कर्म हैं उन्हें आवश्यक कहते हैं। वे छह हैं—सामायिक, चतुर्विशतिस्तत्व, बन्दना, प्रतिकर्मण प्रत्याख्यान और व्युत्सर्ग। विवरण इस प्रकार है—राग और दोषकी निदृतिपूर्वक समभाव अर्थात् मध्यस्थभावका अभ्यास करना तथा जीवन-मरणमें, लाभालाभमें, संयोग-वियोगमें, शत्रु-मित्रमें और सुख-दुःखमें समताभाव धारण करना सामायिक है। अपने आदर्शस्तर पर्याप्त आदि चौबीस तीर्थंकरोंकी नामनिरुक्ति पूर्वक गुणोंका स्मरण करते हुए स्तुति करना चतुर्विशतिस्तत्व है। आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और गणधर आदिके प्रति बहुमानके साथ आदर प्रकट करना बन्दना है। कृतिकर्म, चितिकर्म, पूजाकर्म और विनश्यकर्म ये बन्दनाके पर्यायज्ञानी नाम हैं। निन्दा और गहस्ते युक्त होकर पूर्वकृत अपराधोंका शोधन करना प्रतिकर्मण है। इसके दैवसिक, रात्रिक, पात्रिक, मासिक, चातुर्मासिक, सावत्सरिक, ऐर्यापथिक और उत्तमार्थ ये सात भेद हैं। आगामी कालकी अपेक्षा अयोग्य द्रव्यादिकका त्याग करना प्रत्याख्यान है। तथा दिवस आदिके नियमपूर्वक जिनेन्द्रदेवके गुणों आदिका चिन्तन करते हुए

शरीरक उत्सर्ग करना कायोत्सर्ग है। इन छुह आवश्यक कमोंको माधुश्राव-के समान अपने स्वीकृत ब्रतोंके अनुमार गृहस्थ भी करते हैं। वैदिक परम्परामें नित्यकर्मका जो स्थान है, जैनपरम्परगमें वही स्थान छुह आवश्यक कमोंका है। किन्तु प्रयोजन विशेषके कागण इन दोनोंमें बहुत अन्तर है। वैदिक धर्मके अनुमार नित्यकर्म जहाँ कुलधर्मके रूपमें किये जाने हैं वहाँ जैन परम्पराके अनुमार आवश्यकर्म आध्यात्मिक उन्नतिके अभिग्राह्यसे किये जाते हैं, इसलिये उनमें सबसे पहला स्थान मार्माणिकको दिया गया है। चतुर्विंशतिसूत्र आटि कमोंके करनेके पहले उमका मानाधिकर्मसे प्रतिशात होकर राग द्वेषकी निवृत्तिपूर्वक समताभावको स्वीकार करना अत्यन्त आवश्यक है। इसके बिना उमके अन्य कर्म ठीक नगदमें नहीं बन सकते। विचार कर देखा जाय तो शेष पाँच कर्म सामाधिकर्म के ही अङ्ग हैं। आगममें जिसे छेदोंस्थापना कहा गया है उसका तात्पर्य भी यही है। साधु या गृहस्थ यथानियम प्रतिशात समय तक आलाघ्नके बिना समताभावमें स्थिर नहीं रह सकता, इसलिए वह सामाधिको स्वीकार कर अपने आदर्शरूप चौबीस तीर्थंकरोंको सुन्ति करता है, अन्य परमोऽष्टोंकी बन्टना करता है, स्वीकृत ब्रतोंमें लगे हुए दोषोंका परिमार्जन करता है, यह सब विधि करते हुए कृतिकर्मके अनुसार कायोत्सर्ग करता है और आगामों कालमें जो द्रव्यादिक उपयोगमें आनेवाले हैं उनका नियम करता है। अर्थात् जो द्रव्यादिक आयोग्य या अप्रयोजनीय है उनका त्याग करता है। इसके बाद भी यदि सामाधिकका समय शेष रहता है तो ध्यान और स्वाध्याय आटि आवश्यकर्म द्वारा उसे पूरा करता है। यद्यों इतना विशेष समझना चाहिए कि जिस प्रकार साधुके आवश्यक कमोंमें ध्यान और स्वाध्याय परिगणित है उस प्रकार प्रत्येक गृहस्थको अलगसे इन्हें करना हो चाहिए ऐसा कोई एकान्त नहीं है। इतना अवश्य है कि जो ब्रती भावक हैं उन्हें कमसे कम तीनों कालोंमें छुह आवश्यक कमोंके करनेका नियम अवश्य है और जो ब्रती नहीं है उन्हें छुह आवश्यक कमोंके

करनेका नियम न होकर भी प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यानको छोड़कर शेष चार कर्म तो नियमसे करने ही चाहिए, ऐसा हरिवंशपुराणके उल्लेखसे प्रतीत होता है। उसमें बतलाया गया है कि चम्पनगरीमें फाल्गुन मासमें आषाहिकोत्सवके समय धमुदेव और गन्धर्वसेनानों वासुपूज्य जिनकी पूजा करनेके अभिप्रायसे नगरके बाहर प्रस्थान किया औरजिनाल्यमें पहुँचकर भगवानकी पूजा प्रारम्भ की। ऐसा करते समय वे सर्व प्रथम दोनों पैरोंके मध्य चार अगुलका अन्तर देकर खड़े हुए। इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर उपाशु पाठसे ईर्यापथशुद्धि करके पृथिवी पर बैठकर पञ्चाग नमस्कार किया। अनन्तर उठकर पञ्च नमस्कार मन्त्र और चत्तारि दण्डक पढ़ा। अनन्तर ढाई द्वीपसम्बन्धी एकसौ सत्तर धर्मक्षेत्र सम्बन्धी भूत, वर्तमान और भविष्यत्काल सम्बन्धी तीर्थंकर आदिको नमस्कार करके मैं सामायिक करता हूँ ऐसी प्रतिज्ञा लेकर तथा सर्व सावध्ययोगका त्याग कर कायसे ममत्व रहित हो शत्रु-मित्र, सुख-दुख, जीवन-मरण, और लाभालाभमें समताभाव धारण कर सत्ताईंस बार श्वासोच्छ्वास लेनेमें जितना काल लगता है उतने काल तक कायोत्सर्गभावसे स्थित होकर तथा हाथ जोड़े हुए शिरसे नमस्कार करके अवण करने योग्य चौबीस तीर्थङ्करोंकी इस प्रकार स्मृति की—ऋषभ जिनको नमस्कार हो, अजित जिनको नमस्कार हो, सम्भव जिनको नमस्कार हो, निरन्तर अभिनन्दनस्वरूप अभिनन्दन जिनको नमस्कार हो, सुपतिनाथको नमस्कार हो, पश्चप्रभको नमस्कार हो, विश्वके ईश सुपाश्वं जिनको नमस्कार हो, अर्हन्त अवस्थाको प्राप्त चन्द्रप्रभ जिनको नमस्कार हो, पुष्पदन्तको नमस्कार हो, शीतल जिनको नमस्कार हो, जिनका आश्रय लेनेसे प्राणियोंका कल्याण होता है ऐसे अनन्त चतुष्प्रयरूप लक्ष्मीके स्वामी श्रेयासनाथको नमस्कार हो, तीन लोकमें पूज्य तथा चम्पानगरीमें जिनका यह महामह हो रहा है ऐसे वासुपूज्य जिनको नमस्कार हो, विमल जिनको नमस्कार हो, अनन्त जिनको नमस्कार हो,

धर्म जिनको नमस्कार हो, शान्तिहेतु शान्ति जिनको नमस्कार हो, कुत्सुनाथ जिनको नमस्कार हो, अरनाथ जिनको मन बचन और कायापूर्वक नमस्कार हो, राज्यका मर्दन करनेमें समर्थ महिला जिनको नमस्कार हो, मुनिमुव्रत जिनको नमस्कार हो, जिन्हें तीन लोक नमस्कार करता है और वर्तमान कालमें भरत ज्ञेत्रमें जिनका तीर्थ प्रवर्तमान है ऐसे नेमिनाथ जिनको नमस्कार हो, जो अगे तीर्थद्वार होनेवाले हैं और जो हरिवश-रूपी सुविस्तृत आकाशके मध्य चन्द्रमाके समान सुर्खोभित है ऐसे नेमिनाथ जिनको नमस्कार हो, पार्श्व जिनेन्द्रको नमस्कार हो, बीर जिनको नमस्कार हो, सब तीर्थद्वारोंके गणधरोंको नमस्कार हो, अरिहन्तोंके कृत्रिम और अकृत्रिम जिनात्योंको नमस्कार हो, तथा तीन लोकवर्ती जिन विषयोंको नमस्कार हो। इस प्रकार स्तुति करके रोमाच होकर उन्होंने पञ्चाम नमस्कार किया। अनन्तर पहलेके समान पुनः उठकर और कायोत्सर्ग करके पवित्र पौन गुरुओंकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। सर्वदा सब अरिहन्तोंको, सब सिद्धोंको और पन्द्रह कर्मभूमियोंमें स्थित आचार्य, उपाध्याय और साधुओंको बार-बार नमस्कार हो। इसके बाद प्रदक्षिणा करके वे दोनों रथ पर चढ़कर बैमधवके साथ चम्पा नगरीमें प्रविष्ट हुए^१।

स्पष्ट है कि हरिवशपुराणके इम उल्लेखमें प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान का निर्देश नहीं किया गया है। बहुत सम्भव है कि उस समय तक बसुदेव और उनकी पत्नी गन्धर्वसेनाने अगुवत न स्वीकार किये हो। मालूम पड़ता है कि एकमात्र इसी कारणसे यहाँ पर आचार्य जिनसेनने प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यानको छोड़कर मात्र चार कर्मोंका निर्देश किया है।

इम यह तो मानते हैं कि प्राचीन कालमें जलाडि आठ द्रव्योंसे अभियेक पूर्वक जिनेन्द्रदेवकी पूजा होती रही है, क्योंकि इसका उल्लेख सभी पुराणकांने किया है। किन्तु यह पूजा छह आवश्यक कर्मोंके अग रूपमें

^१ हरिवशपुराण सर्ग २२ श्लो० २५-४४।

को जाती थी या स्वतन्त्र रूपसे, तर्काल यह कह सकना कठिन है, क्योंकि मूलाचारमें विनयके पाँच मेड करके लोकानुवृत्ति विनयको मोहविनयसे अलग रखकर उठ कर लड़े होना, हाथ बोड़ना, आसन देना, अतिथिकी पूजा करना और अपने वित्तके अनुसार देव पूजा करना इसको लोकानुवृत्ति विनयमें परिगणित किया है तथा सामायिक आदि छुह कर्मोंको मोहविनयमें लिया है^३। इतना स्पष्ट है कि सामायिकादि छुह कर्म साधुओंके समान गृहस्थोंके भी दैनिक कर्तव्योंमें सम्मिलित थे। यही कारण है कि बारहवीं तेरहवीं शताब्दिमें लिखे गये अभिरितगति आवकाचारमें भी इनका उल्लेख पाया जाता है। सागरधर्माभूतमें आवकको दिनचर्यामें इनका समावेश किया गया है। इससे भी उक्त कथनकी पुष्टि होती है। यदि हम इन छुह आवश्यक कर्मोंके प्रकाशमें महापुराणके कर्ता आचार्य जिनमेन द्वारा स्थापित किये गये इउत्त्या, वार्ता, दत्ति, स्वाध्याय, सयम और तप इन आर्यकर्मोंको देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इन कर्मोंको सङ्कलित करनेका अभिप्राय ही दूसरा रहा है। उत्तरकालयतीं लेखकोंने वार्ताके स्थानमें गुरुपास्तिको रख कर इन कर्मोंको प्राचीन कर्मों के अनुरूप बनानेका प्रयत्न आवश्य किया है, परन्तु इतना करने पर भी जो भाव प्राचीन कर्मोंमें निहित है उसको पूर्ति इन कर्मोंसे नहीं हो सकी है। कारण कि इनमेसे सामायिक कर्मका अभाव हो जानेमें देवपूजा आदिक कर्म समताभावगूर्वक नहीं होते। प्रतिक्रमणको स्वतन्त्र स्थान न मिलनेसे स्वीकृत व्रतोंमें लगे हुए दोषोंका परिमार्जन नहीं हो पाता और प्रत्याख्यानको स्वतन्त्र स्थान न मिलनेसे प्रतिदिन अयोग्य या अप्रयोजनीय द्रव्यादिकका लाग नहीं हो पाता। वर्तमान कालमें पूजा आदि कर्म करते समय जो अव्यवस्था देनी जाती है। यथा—कोई चैठ कर पूजा करनेका समर्थन करता है तो कोई लड़े हो कर पूजा करना आवश्यक मानता है। कोई

बलादि द्रव्यसे की गई पूजा को ही पूजा मानता है, तो कोई इसे आडम्बर मान कर इसके प्रति अनादर प्रकट करता है। कोई पूजा करते समय चीच बीचमें वातचीत करता जाता है तो कोई विश्वानित लेनेके अभिप्रायसे कुछ कालके लिए पूजा कर्मसे ही विरत हो जाता है। कोई किसी प्रकारसे पूजा करता है और कोई किसी प्रकारसे। उसका कारण यही है कि न तो पूजा करनेवालेने समताभावसे प्रतिशात होकर आवश्यक कृतिकर्म करनेका नियम लिया है और न यह ही प्रतिशा की है कि मैं समता भावके साथ कितने काल तक कृतिकर्म करूँगा। रुदिवश गृहस्थ पूजादि कर्म करता आवश्य है और ऐसा करते हुए उसके कभी कभी भावोद्रेकवश रोमाञ्च भी हो आता है। परन्तु ऐसा हाँना मात्र तीव पुण्यबन्धका कारण नहीं है। यह एक रुदि है कि जो जितना बड़ा समारम्भ करता है उसे उतना बड़ा पुण्यबन्ध होता है। बस्तुतः तीव पुण्यबन्धका कारण आरम्भकी बहुलता न होकर या भावोद्रेककी उत्कटता न होकर समताभावके साथ पञ्चपरमेष्ठीके गुणानुवाद हाग आत्मोन्मुख होना, अपने दोपोंका परिमार्जन करना आर परावलम्बिनी वृत्तिके त्याग करनेके सम्मुख होना है। जहाँ आगममें यह बतलाया है कि अनुर्दिश और अनुत्तर विमानोंमें उत्पन्न होनेके योग्य आयुकर्मका बन्ध एक भाव भार्गलिङ्गी मुनि करने हैं वहाँ यह भी बतलाया है कि नो ग्रैवयकमें उत्पन्न होनेके योग्य आयुकर्मका बन्ध द्रव्यलिङ्गी मुनि तो कर सकते हैं परन्तु आयुबन्धके योग्य उत्तमसे उत्तम परिणामवाला आवक नहीं कर सकता। क्यों? क्या उक्त आवकका परिणाम द्रव्यलिङ्गी मुनिसे भी हीन होता है? बात यह है कि द्रव्यलिङ्गी मुनि भिष्यादृष्टि होने पर भी आरम्भ और चाल्य परिग्रहसे विरत रहता है आर आवक सम्बद्धिं देश ब्रती होने पर भी आरम्भ और चाल्य परिग्रहमें अनुरक्त रहता है। इसीका यह फल है कि द्रव्यलिङ्गी मुनि नोवे ग्रैवयक तक जाता है जब कि गृहस्थ सोलहवें स्वर्गसे आगे जानेकी सामर्थ्य ही नहीं रखता। इससे मिदू है कि आरम्भकी बहुलता सार्वशय पुण्यका कारण न होकर आत्मोन्मुख वृत्तिरें

सद्ग्रावमें रागभाग सातिशय पुण्यका कारण है। हमने पहले सामायिक आटि जिन षट्कमोंकी चरचा की है उनमें सातिशय पुण्यबन्ध करानेकी योग्यता तो है ही। साथ ही वे कर्मचूपणामें भी कारण हैं। किन्तु आचार्य जिनसेनने जिन छुट कमोंका उल्लेख किया है उन्हें वे स्वयं ही कुलधर्म संज्ञा दे रहे हैं। साथ ही उनमें एक कर्म वार्ता भी है। जिसे धार्मिक क्रियाका रूप देना यह बतलाता है कि ये छुट कर्म किसी मित्र अभिप्रायसे संकलित किये गये हैं। यह तो स्पष्ट है कि जैनधर्ममें जो भी क्रिया कुलाचारके रूपमें स्वीकार की जाती है वह मोक्षमार्गका अङ्ग नहीं बन सकती। हमें ऐसा लगता है कि परिंदतप्रवर आशाधरजीको आचार्य जिनसेनका यह कथन बहुत अधिक खटका, इसलिए उन्होंने नामोल्लेख करके उनके इस विधानका विरोध तो नहीं किया। किन्तु पात्रिक श्रावकके आठ मूलगुणोंका कथन करते समय वे यह कहनेसे भी नहीं चूके कि जो यह जिनेन्द्रदेवकी आज्ञा है इस अद्वानके साथ मद्यादिविरति करता है वही देशवत्ती हो सकता है, कुलधर्म आटि रूपसे मद्यादिविरति करनेवाला नहीं। इस दोषको केवल परिंदतप्रवर आशाधरजीने ही समझा हो। ऐसी बात नहीं है, उत्तरकालीन दूसरे लेखकोंने भी समझा है। जान पड़ता है कि उन्होंने आचार्य जिनसेन द्वारा प्रतिपादित षट्कमोंमें से वार्ता शब्दको हटा कर उसके स्थानमें गुरुगास्ति शब्द रखनेकी योजना इसी कारणसे की है।

आवकदीद्वा और मुनिदीद्वा केवल तीन वर्णके मनुष्य ले सकते हैं इत्यादि सब कथनके लिए आचार्य जिनसेनने यद्यपि भरत चकवर्तींको आलम्बन बनाया है और इस प्रकार प्रकारान्तरसे उन्होंने यह सूचित कर दिया है कि परिस्थितिवश ही हमें ऐसा करना पड़ रहा है, कोई इस कथनको जिनाज्ञा नहीं समझे। परन्तु इतने अन्तस्तलकी ओर किसका ध्यान जाता है। कहते हैं महापुराणमें ऐसा कहा है। आप महापुराणको ही नहीं मानते। अरे ! मानते क्यों नहीं, मानते हैं। परन्तु मोक्षमार्गमें तो भगवान् सर्वज्ञप्रणीत वाणी ही प्रमाण मानी जायगी। आगमका अर्थ

यह नहीं है कि किसी काव्यग्रन्थमें राजा के या अन्य किसीके मुखसे या कविने स्वयं उत्प्रेक्षा और उपमा आदि अलङ्कारों का आश्रय लेकर वसन्त आटि झटुआओं का वर्णन किया हो तो उसे ही आगमप्रमाण मान लिया जाय। या किसी खीका नव-शिव तक शृंगारादि वर्णन किया हो तो उसे भी आगमप्रमाण मान लिया जाय। आगमकी व्याख्या मुनिशिचत है। जो केवली या श्रुतकेवलीने कहा हो या अभिन्न दशपूर्वोंने कहा हो वह आगम है। तथा उसका अनुमरण करनेवाला अन्य जितना कथन है वह भी आगम है। अब देखिए, भरत चक्रवतीं ब्राह्मणवर्णकी स्थापना करने समय न तो केवली थे, न श्रुतकेवली थे और न अभिन्नदशपूर्वी ही थे। ऐसी अवस्थामें उनके द्वारा कहा गया महापुराणमें जितना भी वचन मिलता है उसे आगम कैसे माना जा सकता है। इतना ही नहीं, गृहस्थ अवस्थामें स्वयं आदिनाथ जिनने जी अनि आदि पट्टक्मंव्यवस्थाका उपदेश दिया उसे भी आगम नहीं माना जा सकता। आगमका सम्बन्ध केवल मोक्षमार्गसे है, सामाजिक व्यवस्थाके माथ नहीं। सामाजिक व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं, परन्तु मोक्षमार्गकी व्यवस्था विकालाधारित सत्य है। उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। किसी हठ तक इस सत्यको मोमदेव सूरिने हृदयगम किया था। परिणामस्वरूप उन्होंने गृहस्थोंके धर्मके दो भेट करके यह कहनेका माहस किया कि पागलौकिक धर्ममें आगम प्रमाण है। उनके सामने महापुराण था, महापुराणमें लौकिक धर्मका भा विवेचन हुआ है, वे यह भी जानते थे। फिर क्या कारण है कि वे इसे प्रमाणरूपमें उपरिथित नहीं करते। हम नों लगता है कि महापुराणका यह कथन उन्हें भी नहीं रुचा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामदेवसूरिने और परिणामप्रवर आशाधर जीन केवल महापुराणके उक्त कथनके बहावमें न बह कर किसी हठ तक उस सत्यका उद्घाटन किया है जिस पर महापुराणके उक्त कथनसे आवरण पड़ गया था। इतना सब होने पर भी इनके कथनमें भी उसी लौकिक धर्मको स्थान मिल गया है जिसके

आरण्य परिस्थिति सुलभनेके स्थानमें पुनः उलझ गई है। उदाहरणार्थ— सोमदेव सूरिका यह कथन कि तीन वर्ण दीक्षाके योग्य हैं, भ्रम पैदा करता है। जब वे स्वयं ही यह मानते हैं कि वर्णज्यवस्थाका पारलौकिक धर्मके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। ऐसी आवश्यामें दीक्षा अर्थात् मोक्षमार्गकी दीक्षामें तीन वर्णोंको स्थान दे देना उन्हींके वचनोंके अनुसार आगमशास्त्र कार्य ठहरता है। पश्चिमप्रबर आशाधरजीकी भी लगभग यही स्थिति है। वे मध्यादिविरतिका उपदेश करते समय यह तो कहते हैं कि यह जिनाशा है ऐसा अद्वान करके इसे स्वीकार करना चाहिए, कुलधर्मरूपसे नहीं। परन्तु तीन वर्णके मनुष्य दीक्षाके योग्य हैं और उन्हींका उपनयन संस्कार होता है इत्यादि बातोंका विधान करते समय उन्होंने यह विचार नहीं किया कि आवकाचारमें जिनाशाके बिना हम इन बातोंका उल्लेख कैसे करते हैं? तीन वर्णके मनुष्य दीक्षाके योग्य हैं और उन्हींका उपनयन संस्कार होता है यह जिनाशा तो नहीं है, भरत चक्रवर्तीको आशा है। और जिनाशा तथा भरत चक्रवर्तीकी आशामें बड़ा अन्तर है। जिनाशा तो यह है कि पन्द्रह कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुए सब मनुष्य आठ वर्षके बाट दीक्षाके योग्य हैं। इस विषय पर विशेष प्रकाश हम पहले ढाल ही आये हैं, इसलिए यहाँ पर और अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट है कि जैनधर्मके अनुसार किसी भी वर्णका मनुष्य, फिर चाहे वह अस्पृश्य शरद ही क्यों न हो, आवकाचार और मुनिदीक्षाका अधिकारी है और उसके अनुसार वह आवश्यक पट्टकमौंका पालन कर सकता है। उसकी इस नैसर्गिक योग्यता पर प्रतिबन्ध लगानेका अधिकार किसीको नहीं है। यहाँ इतना आवश्य ही ध्यानमें रखना चाहिए कि मुनिगण इन सामायिक आदि आवश्यक पट्टकमौंका पालन महाबत धर्मको ध्यानमें रखकर करते हैं और आवक अगुवातोंका ध्यानमें रखकर करते हैं। मुनियों और आवकोंकी प्रतिक्रमण विधि अलग-अलग होनेका भी यही कारण है।

आठ मूलगुण—

अब इस प्रसङ्गमें एक ही बात हमारे सामने विचारणीय रह जाती है और वह है आठ मूलगुणोंका विचार। आठ मूलगुण पाँच आणुवत और भोगोपभोगपरिमाणवतकी पुष्टिमें सहायक हैं, इसलिए ये आगमपरम्पराका प्रतिनिधित्व करते हैं इसमें सन्देह नहीं। किन्तु ये किस कालमें किस क्रमसे श्रावकाचारके अङ्ग बने यह बात अवश्य ही विचारणीय है। परिषद्प्रबर आशाखरजीने स्वमतसे तीन मकार और पाँच उद्गुम्बर फलोंके त्यागरूप आठ मूलगुण बतलाकर पक्षान्तरका सूचन करनेके लिए एक श्लोक निश्चद किया है। उसमें उन्होंने अपने मतके उल्लेखके साथ दो अन्य मतोंका उल्लेख किया है। स्वामी समन्तभद्रके मतका उल्लेख करते हुए वे कहते हैं कि जो हमने त्यागने योग्य पाँच फल कहे हैं उनके स्थानमें पाँच स्थूलवधादिके त्यागको स्थान देनेसे स्वामी समन्तभद्रके मतके अनुसार आठ मूलगुण हो जाते हैं। तथा स्वामी समन्तभद्रके द्वारा स्वीकृत जो आठ मूलगुण हैं उनमेंसे मधुत्यागके स्थानमें द्यूतत्याग रख लेनेसे आचार्य जिनसंनके महापुराणके अनुसार आठ मूलगुण हो जाते हैं। परिषद्प्रबर आशाखरजीने आगे चलकर ऐसे भी आठ मूलगुणोंका निर्देश किया है जिनमें स्वयं उनके द्वारा बतलाये गये आठ मूलगुणोंका समावेश तो हो ही जाता है। साथ ही उनमें पाँच परमेष्ठियोंकी स्तुति-बन्दना, जीवठया, जलगालन और रात्रिभोजनत्याग ये चार नियम और सम्भिलित हो जाते हैं। इस प्रकार सब भिलाकर चार प्रकारके मूलगुण बर्तमानकालमें जैन साहित्यमें उपलब्ध होते हैं। ऐतिहासिक क्रमसे देखने पर स्वामी समन्तभद्रके रक्कहरण्डमें पाये जानेवाले मूलगुणोंका स्थान प्रथम है, महापुराणमें पाये जानेवाले मूलगुणोंका स्थान द्वितीय है और शेष दो प्रकारके मूलगुणोंका स्थान तृतीय है। यहोंगर हमने रक्कहरण्डको रचना महापुराणसं बहुत पहिले हो गई थी इस अभिप्रायको ध्यानमें रखकर रत्नकरण्डमें निवद मूलगुणोंको प्रथम स्थान दिया है।

वैसे रत्नकरण्डकी स्थितिको देखते हुए उसमें मूलगुणोंका प्रतिपादन करनेवाला इलोक प्रक्षिप्त होना चाहिए ऐसा हमारा अनुमान है। इसके कारण कई हैं। यथा—१. रत्नकरण्डसे पूर्ववर्ती साहित्यमें आवकोका धर्म आठ मूलगुण और बारह उत्तरगुणरूप हैं ऐसा उल्लेख नहीं उपलब्ध होता। २. रत्नकरण्डमें चारित्रके सकलचारित्र और देश-चारित्र ऐसे दो भेद करके पाँच आणुवत तीन गुणवत्त और चार शिक्षावृत्त मात्र इन बारह व्रतोंके कहनेकी प्रतिक्षा की गई है वहाँ आठ मूल-गुणोंके कहनेकी प्रतिक्षा नहीं की गई है। ३. रत्नकरण्डमें अतीचार सहित पाँच आणुवर्तीका कथन करनेके बाद आठ मूलगुणोंका कथन किया है। किन्तु वह इनके कथन करनेका उपयुक्त स्थल नहीं है। ४ आठ मूल-गुणोंमें तीन प्रकारके त्यागका अत्यधीन कर लेनेके बाद भोगोपभोगपरिमाणवत्तमें इनके त्यागका पुनः उपदेश देना सम्भव नहीं था। तथा ५. रत्नकरण्डके बाद रची गई सर्वार्थसिद्धिमें किसी भी रूपमें इनका उल्लेख नहीं पाया जाता। जब कि उसमें रत्नकरण्डके समान भोगोपभोग-परिमाणवत्तका कथन करते समय तीन मकारोंके त्यागका उपदेश दिया गया है। ये ऐसे कारण हैं जो रत्नकरण्डमें आठ मूलगुणोंके उल्लेखको प्रक्षिप्त माननेके लिए पर्याप्त प्रतीत होते हैं।

मनुभूतिमें जिस द्विजका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है उसे किन-किन नियमोंका पालन करना चाहिए इसका विधान करते हुए जो नियम ठिये है उसमें उसे मधु और मास नहीं खाना चाहिए, शुक्त (मध्य) नहीं पीना चाहिए, प्राणियोंकी हिंसा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, मैयुनकी इच्छासे जियोंकी ओर नहीं देखना चाहिए, उनका आलिङ्गन नहीं करना चाहिए इत्यादि नियम भी ठिये हैं। महापुराणमें भी जिस द्विजका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है उसके लिए भी प्रायः इन्हीं नियमोंका उल्लेख किया गया है और इसी प्रसङ्गसे बतावतार कियाको स्वतन्त्र स्थान देकर यह कहा गया है कि

उसके मधुत्याग, मासत्याग, पाँच उदुभर फलाका त्याग और पाँच स्थूल पापोंका त्याग ये सदा काल रहनेवाले ब्रत रह जाते हैं। हम यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि एक तो महापुराणकारने स्वयं इन्हें आठ मूलगुण नहीं कहा है। दूसरे सागारधर्मामृतमें महापुराणके अनुसार जिन आठ मूलगुणोंका उल्लेख उपलब्ध होता है उनसे उक्त उल्लेखमें कुछ अन्तर है। परन्तु यहाँ हमें उसका विशेष विचार नहीं करना है। यहाँ तो हमें यह बनलाना है कि महापुराणमें यह उपदेश जैनधर्मके अनुसार होने पर भी समाजधर्मके रूपमें महापुराणकारने मनुस्मृतिसे स्वीकार किया है। महापुराणके बाद उत्तर लेखकोंकी यह चतुराई है कि उन्होंने आठ मूलगुण मजा देकर इन्हें श्रावकधर्मका अङ्ग बना लिया है। वस्तुतः महापुराणमें इन्हें श्रावकधर्म न कहकर मात्र द्विजाके सार्वकालिक ब्रत कहा गया है। चारित्रप्राभृत, तन्वाथसूत्र और गत्नकरणड आदिमें श्रावकके जो वारह ब्रत कहे गये हैं उन्हें आचार्य जिनसेन ऐसे भुला देते हैं मानो इन मधुत्याग आदि ब्रतोंके सिवा अन्य ब्रत इंही नहीं। आचार्य जिनसेन उस द्विजको गृहीशिता जैसा छड़ेसे बढ़ा पड़ दिलाते हैं, उसे प्रशान्तिकिया करनेका उपदेश देते हैं और अन्तमें उससे गृहत्याग कराते हैं। परन्तु इतना मच होने पर भी उसके मुनि होनेके पूर्वकाल तक मधुत्याग आदि ब्रत ही रहते हैं। न वह वारह ब्रताको स्वीकार करता है और न भ्यारह प्रतिमाओं पर आरोहण ही करता है। आचार्य जिनसेनने गृहत्यके अभिमादिकर्मके करनेके कारण लगनेवाले दोपीकी शुद्धि करने लिए विशुद्धिके तीन अङ्गोंका उल्लेख किया है—पह, चयां और मा इन। इनकी व्याख्या करते हुए वहाँ पर कहा गया है—

तत्र पदा हि जैनाना कृस्नहिंसादिवज्ञनम् ।

मैत्रीप्रमोदकारण्यमाध्यस्थैरूपवृहितम् ॥३३-१४६॥

चयां तु देवताधर्म वा मन्त्रसिद्धधर्मेव वा ।

आपथाहारक्लृप्त्यै वा न हिंस्यामीति चेष्टितम् ॥३३-१४७॥

तत्राकामकृते शुद्धिः प्रायश्चित्तविर्पीयते ।
पश्चात्यात्मालयं सूनी न्यवस्थाप्य गृहोऽकनम् ॥३६-१४८॥
चर्यैषा गृहिणों प्रोक्ता जीवितान्ते तु साधनम् ।
देहाद्वारेहितत्यागात् ध्यानशुद्धयात्मशोधनम् ॥३६-१४९॥

मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्यमावसे वृद्धिको प्राप्त हुआ समस्त हिंसादिका त्याग करना जैनियोंका पक्ष कहलाता है। देवताके लिए, मन्त्रोंकी सिद्धिके लिए, औषधिके लिए और आद्वारके लिए मैं हिसा नहीं करूँगा ऐसी चेष्टा करना चर्या कहलाती है। इसमें किसी प्रकारका दोष लग जाने पर प्रायश्चित्तसे उसकी शुद्धि की जाती है तथा अपना पर पुत्रों सौप कर घरका त्याग किया जाता है। यह गृहस्थोंकी चर्या है। तथा जीवनके अन्तमें देह, आद्वार और अन्य चेष्टाओंका त्याग कर ध्यानकी शुद्धिपूर्वक आत्माका शोधन करना साधन कहलाता है।

यह तो भरत चक्रवर्तींको मुख बना कर आचार्य जिनसेनका कथन है। अब इसके प्रकाशमें सागारधर्ममित्तके इस उल्लेखको पढ़िये—

स्वामैन्याद्युपशुंहितोऽस्तिलवधत्यागो न हित्यामहं
धर्माद्यर्थमितीह पक्ष उद्वितं दोषं विशोध्योऽमृतः ।
सूनी न्यस्य निजान्वयं गृहमयो चर्या भवेत्साधनं
त्वन्तेऽन्नेहतनूडमनाद्विशदया ध्यात्यात्मनः शोधनम् ॥१-१४९॥

मैं धर्मादिके लिए हिंसा नहीं करूँगा इस प्रकार मैत्री आदि भावनाओं से वृद्धिको प्राप्त हुआ जा। समस्त वधका त्याग है वह पक्ष कहलाता है। कृषि आदिके निमित्तसे उत्पन्न हुए दोषोंका संशोधन कर और अपने पुत्रोंके ऊपर अपने वंशका भार रख कर घरका त्याग करना चर्या कहलाती है। तथा अन्तमें भोजन, चेष्टाएँ और शरीरका त्याग कर निर्मल ध्यान द्वारा आत्माका शोधन करना साधन कहलाता है ॥१-१५॥

इसमें सन्देह नहीं कि पण्डितप्रवर आशाधरबीका उक्त कथन महापुराणका अनुसरण करता है। फिर भी उन्होंने अपने कथनमें दो

संशोधन करके ही उसे ग्राह्य माना है। यह महत्वकी बात है। पहिला संशोधन तो उन्होंने पक्ष और चर्यांके लक्षणोंमें थोड़ा-सा किन्तु महत्वपूर्ण परिवर्तन करके किया है। जहाँ आचार्य जिनसेन देवता आदिके लिए हिंसा न करनेकी चेष्टाको चर्यां कहते हैं वहाँ पण्डितजी इसे पक्षके लक्षणमें परिगणित कर लेते हैं। एक संशोधन तो उन्होंने यह किया। उनका दूसरा संशोधन है चर्यांके लक्षणमें दर्शनिक आदि अनुमतित्याग तकको प्रतिमाओंको समिलित कर लेना। पण्डितजीने यह दूसरा संशोधन अपनी टीका द्वारा सूचित किया है जो इस बातको सूचित करनेके लिए पर्याप्त है कि वे इस द्वारा आवकाचारका वर्णाभ्रमधर्मके साथ समन्वय करनेका प्रयत्न करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार आचार्य जिनसेन और पण्डितप्रबर आशाभरजोके उक्त कथनमें जो अन्तर दिखलाई देता है वह हमें बहुत कुछ सोचनेके लिए आवश्यक है। इसने महापुराणका बहुत ही चारोंकीसे अध्ययन किया है। इसने महापुराणके उन प्रकरणोंको भी पढ़ा है जहाँ जहाँ भगवान् आदिनाथके मुखसे मोक्षमार्गका उपदेश दिलाया गया है। पर हमें वहाँ भी आवकके बारह ब्रतों, उनके अतीचारों और ग्यारह प्रतिमाओंके स्वरूपका स्पष्टीकरण दिखलाई नहीं दिया। इतने बहुत पुराणमें भरत चक्रवर्तोंके मुखसे वर्णाभ्रमधर्मका कथन करनेके लिए आचार्य जिनसेन कई पर्वोंकी रचना करे। किन्तु जिस आवकाचारका

१ महापुराणके दसवें सर्गमें इलोक १५१ से लेकर १६० तक ६ इलोकोंमें ग्यारह प्रतिमा और आवकके बारह ब्रतोंके नाम अवश्य गिनाय गये हैं। किन्तु वह कथन किंदेहक्षेत्रके कथनके प्रसङ्गसे भावा है। उन्होंने कहीं-कहीं एकादशस्थान कहकर आवककी ग्यारह प्रतिमाओंकी ओर भी इशारा किया है। परन्तु ऐसा करते हुए भी महापुराणकारका लक्ष्य आवकधर्मको गौण करके मनुस्मृतिके अनुसार कुलधर्मकी प्रतिष्ठा करना ही रहा है।

साक्षात् दिव्यधनिसे सम्बन्ध है उसके लिए वे उचित स्थान पर दो श्लोक भी न रच सकें यह क्या है ? क्या इससे यह सूचित नहीं होता कि आचार्य जिनसेनको आगमपरम्परासे आये हुए आवक्षमंके स्थानमें वर्णाश्रमधर्मकी स्थापना करना इष्ट था । यह दूसरी बात है कि उत्तरकालीन साहित्यकारोंने महापुराणके प्रभावमें आकर भी आवकाचारको सर्वथा भुलाया नहीं । इससे आठ मूलगुण पहले किस रूपमें जैनधर्ममें प्रविष्ट हुए । उसके बाद मूलगुण इस सज्जाको घारणा कर वे किस प्रकार आवकाचारके अङ्ग बने यह बात सहज ही समझमें आ जाती है ।

तात्पर्य यह है कि जैनधर्ममें वर्णाश्रमधर्मकी प्रथा महापुराणके कर्ता आचार्य जिनमेनने चलाई है । इसके पहले जैनधर्ममें आवक्षमं और मुनिधर्म प्रचलित था वर्णाश्रमधर्म नहीं । तीन वर्णके मनुष्य दीक्षाके बोग्य हैं तथा वे ही इन्या आदि पट्टकर्मके अधिकारी हैं वे दोनों विशेषताएँ वर्णाश्रमधर्ममें ही पाई जाती हैं, आवक्षमं और मुनिधर्मका प्रतिपादन करनेवाले जैनधर्ममें नहीं । इसके अनुसार तो मनुष्यमात्र (लब्ध्यपर्यास और भोगभूमिका मनुष्य नहीं) आवक्षीक्षा और मुनिदीक्षा के अधिकारी हैं । तथा वे इन घमोंका पालन करते हुए सामायिक आदि पट्टकर्मोंके भी अधिकारी हैं ।

प्रकृतमें उपयोगी पौराणिक कथाएं

**तपस्वीकी सन्तान नौवें नारदका मुनिधर्म
स्वीकार और मुक्तिगमन—**

राजा भेणिकके द्वारा यह नारद कौन है ऐसी पृच्छा होने पर गौतम गणधरने उत्तर दिया कि सौरीपुरके बाहर दक्षिण दिशामें एक तपस्वियोंका आश्रम था । उसमें फल-मूल आदिसे अपनी आवीक्षिका करनेवाले बहुतसे तपस्ती रहते थे । उनमें एक मिक्कावृत्तिसे आवीक्षिका करनेवाला सुमित्र नाम

का तपस्ती था । उसका सोमयशा नामकी एक लीसे सम्पर्क हो गया । उन्हींसे इसकी उत्पत्ति हुई है । एक बार जब वे उस चालाको बृद्धके नीचे सुला कर जुताको शान्त करनेके लिए नगरमें गये तब ब्रह्मक नाम का एक देव पूर्व भवके स्लोइ वश उसे हुरण कर विजयार्थ पर्वत पर ले जा कर उसका पालन करने लगा । कालान्तरमें उसके आठ वर्षका होने पर देवने उसे आकाशगामिनी विद्या और जैनधर्मकी शिद्धा देकर छोड़ दिया । अनन्तर उसने संयमासंयमको अङ्गीकार कर पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए जीवनके अन्तमें मुनिव्रत अङ्गीकार कर निर्वाण पद प्राप्त किया ।¹

पूर्तिगन्धिका धीवरीकी आवकदीक्षा और तीव्रेवन्दना—

इस भरतज्ञेत्रके मगधदेशमें सोमदेव ब्राह्मणको अत्यन्त रूपवतो लक्ष्मीमती नामकी भार्या थी । उसे अपने रूपका बड़ा अभिमान था । एक बार शृंगारादि करते समय जब वह दर्पणमें अपना मुख देख रही थी तब उसने भिद्धाके लिए आये हुए अत्यन्त कृश शरीर समाधिगुस मुनिको देख कर उनकी म्लानिभावसे निन्दा की । फल स्वरूप वह मर कर अनेक योनियोंमें भटकती हुई अन्तमें पूर्तिगन्धिका नामकी धोवर कन्या हुई । किन्तु पुराकृत पाप कर्मके उटय वश माताने उसे छोड़ दिया, इसलिए पितामहीने उसका पालन कर बड़ा किया । कालान्तरमें उसकी उन्हीं समाधिगुस मुनिसे पुनः भेट हो गई । मुनिने अवधिशानसे सब कुछ बान कर उसे सम्बोधित किया । फल स्वरूप उसने अपने पूर्व भव बान कर आवक धर्मको अङ्गीकार किया । इस प्रकार आवकधर्मको—जुहिचकाके ब्रतको अङ्गीकार कर वह आपिंकाश्रोके साथ राजगद्ध आई और वहों आचाम्ल वष्टन ब्रतको करके सिद्धशिलाकी बन्दनाके लिए गई । तथा सिद्धशिलाकी बन्दना कर और नीलगुप्तामें सह्लेलना पूर्वक मरण कर वह अच्युत स्वर्गके

इन्द्रकी गगनवल्लभा नामकी देवी हुई^१। यह कथा आराधनाकथाकोश में भी आई है^२।

परखीसंबो सुमुख राजाका उसके साथ मुनिदान—

वसदेशकी कौशाम्बी नगरीमें सुमुख नामका एक राजा राज्य करता था। एक बार वसन्तोत्सवके समय उसकी बीरक श्रेष्ठीकी पत्नी बनमाला^३ के ऊपर हृषि पड़ो। बनमाला रूप-यौवनसम्पन्न थी, इसलिए उसे देखकर राजा उस पर आसुक्त हो गया। फलस्वरूप राजाने एक दूती द्वारा उसका हरण कराकर उसे अपनी पढ़ानी बनाया। कुछ काल बाद राजमहलमें परम तपस्वी वरधर्म नामके मुनि आद्वारके लिए आये। यह देखकर बनमाला सहित राजाने मुनिको आहार दिया। इसके फलस्वरूप कालान्तरमें उन टोनोंने मरकर विद्याधर कुलमें जन्म लिया^४।

चारुदत्तसे विवाही गई वेश्यापुत्रोका आद्वकधर्म स्वीकार—

चम्पानगरीमें भानुदत्त श्रेष्ठी और उसकी पत्नी मुभद्रा रहते थे। उनके पुत्रका नाम चारुदत्त था। चारुदत्तका विवाह होने पर वह खी सम्पर्कसे विमुख रहने लगा। यह देखकर माताकी सलाहसे उसके चाचाने उसे वेश्याव्यसनकी लत डाल दी। चारुदत्त वेश्यापुत्री वसन्तसेनाके साथ वेश्याके घर ही रहने लगा। कुछ काल बाद चारुदत्तका सब धन समाप्त हो जाने पर वेश्याने उसे तुरी तरहसे धूरसे निकाल दिया। चारुदत्त घर आया और व्यापार व्यवसायके लिए बाहर चला गया। अन्तमें घर लौटने पर उसने श्राणुवत्सम्पन्न वेश्यापुत्री वसन्तसेनाके साथ विवाह कर उसे पलीरूपमें स्वीकार कर लिया। बीवनके अन्तमें चारुदत्त मुनिधर्म स्वीकार कर सबोर्यासिद्ध गया और वेश्याने सद्गति पाई^५।

१ हरिवंशपुराण सर्ग ६० इलो०६२-३८। २ शृहकथाकोश कथा ७२, पृ० १६६ से। ३ हरिवंशपुराण सर्ग १४-१५। ४ हरिवंशपुराण सर्ग २१।

मृगसेन धीवरका जिनालयमें धर्म स्वीकार—

श्रवन्ती नामके महादेशमें शिंप्रा नदीके किनारे शिंशापा नामका एक ग्राम था। वहाँ मृगसेन नामका एक धीवर रहता था। उसकी खोका नामबण्टु था। एक दिन पार्श्वनाथ जिनालयमें संघ सहित जयवन नामके आचार्य आये। मृगसेन धीवरने जिनालयमें जाकर आचार्य महाराजके मुख्य सुनकर यह प्रत लिया कि पानीमें जाल डालने पर उसमें पहली बार जो मछली फसेगी उसे मैं छोड़ दिया करूँगा। दूसरे दिन धीवरने ऐसा ही किया। किन्तु उस दिन उसके जालमें बार-बार वही मछली फसती रही और पहिचान कर पुनः पुनः वह उसे पानीमें छोड़ता गया। अन्तमें खाली हाथ वह घर लौटा। उसकी खीको यह जात होने पर दुर्घटन कह कर उसने मृगसेनको घरसे भगा दिया। वह घरसे निकल कर देवकुलमें जा कर सो गया। किन्तु यत्रिको सोते समय उसे एक सौपने डस लिया जिससे उसका प्राणान्त हो गया। कुछ समय बाद उसकी पक्षी खोजती हुई वहाँ आई और उसे मरा हुआ देख कर उसने भी सौपके बिलमें हाथ डाल दिया। इसका जो फल होना था वही हुआ। अर्थात् उसे भी सौपने डस लिया। इस प्रकार सौपके डसनेसे दोनोंको मृत्यु हुई और दोनोंको अपने परिणामोंके अनुसार गति मिली^१।

हिंसक मृगध्वजका मुनिधर्म स्वीकार कर मोक्षामन—

आवस्ती नगरमें आर्यक नामका एक राजा हो गया है। उसके पुत्रका नाम मृगध्वज था। बड़ा होनेपर उसने पूर्वभवके वैरके कारण भैसका एक पेर काट डाला। यह वृत्त सुन कर राजा को बढ़ा कीष आया। उसने मृगध्वजको मार डालनेकी आशा दी। किन्तु मन्त्रीकी चतुराईसे उसकी प्राणरक्ता हुई। कालान्तरमें मुनि होकर उसने तपस्या की और अन्तमें

कर्मोंका नाश कर वह मोक्ष गया । आराधनाकथाकोशमें मृगधन्वज्जके मेंमांक मास खानेवाला ब्रतलाया गया है ।

राजकुमारका गणिका पुत्रीके साथ विवाह—

चन्दन वनमें अमोबद्धर्षन नामका एक राजा था । उसकी पत्नीका नाम नारुमति और पुत्रका नाम चारचन्द्र था । वहीं एक रङ्गमेना नामकी गणिका रहती थी । उसकी पुत्रीका नाम कामपताका था । एक बार वेश्या-पुत्रीके साथ ये सब यशोदीकारे लिए गये । वहाँ पर कीर्तिक आदि जगाधारी नपस्ती भी आये हुए थे । राजाकी आज्ञा पाकर कामपताकाने मनोदारी नृत्य किया । जिसे देवकर गजपुत्र और कौशिक तपस्ती उन पर मोहित ने गये । किन्तु अवसर देवकर राजपुत्र कामपताकाको ले भागा आर उसके साथ विवाह कर लिया^१ ।

म्लेच्छ रानीके पुत्रका मुनिधर्म स्वीकार—

एक बार अट्टवीमें पर्यटन करते हुए वसुदेवकी हष्टि म्लेच्छ राजाकी कन्या जराके ऊपर पड़ गई । म्लेच्छराजने वसुदेवके इस भावको जान कर उनके साथ उसका विवाह कर दिया । वसुदेव रतिकोडा करते हुए कुछ दिन वहीं रहे । फलस्वरूप उन दोनोंको पुत्ररक्तकी प्राप्ति हुई । पुत्रका नाम जरत्कुमार रखा गया । जीवनके अन्तमें जरत्कुमारने मुनिधर्म स्वीकार कर सदगति पाई^२ ।

चाण्डालको धर्मके फलस्वरूप देवत्वपदकी प्राप्ति—

अयोध्यानिवासी सभद्रदत्तसेनके पूर्णभद्र और मणिभद्र नामके दोनों पुत्र एक बार महेन्द्रसेन गुरुके पास गये । अवसर देख कर उन्होंने गुरुसे पूछा महागज ! इसचाण्डाल और कृत्तीको देख कर हमें विशेष

1. हरिवंशपुराण सर्ग २८ श्लो० १३-२८ । २. हरिवंशपुराण सर्ग २६ श्लो० २४-३० । ३. हरिवंशपुराण सर्ग ३१ श्लो० ६-१ ।

स्नेह क्यों होता है ? आचार्य महाराजने उत्तर दिया कि ये दोनों आप दोनोंके इसी भवके माता पिता हैं । इन दोनोंमें स्नेह होनेका एकमात्र यही कारण है । यह सुन कर उन दोनोंने चाण्डाल और कुत्तीको धर्मका उपदेश दिया । उपदेश सुन कर चाण्डाल दीनताको त्याग कर परम निवेदको प्राप्त हुआ । उसने चार प्रकारके आहारका त्याग कर समाधिपूर्वक प्राण छोड़े और नन्दीश्वर द्वीपमें जाकर देव हुआ । तथा कुत्ती भी सम परिणामोंसे मर कर राजपूती हुई ।

परलीसेबो मधुराजाका उसके साथ सकलसंयमग्रहण—

अयोध्या नगरीक राजाका नाम हेमनाभ था । उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मधुको राज्य देकर जिन्दीज्ञा ले ली । कुछ समय बाद राजा मधु किसी कारणवश वेटपुर गये । वेटपुरके राजाका नाम शीरसेन और उसका रानीका नाम चन्द्राभा था । चन्द्राभा रूप-योवनसम्पन्न थी । अभ्यर्थना करते समय राजा मधुकी उस पर दृष्टि पढ़ गई । उस समय तो वह कुछ नहीं बोला । किन्तु नगरमें वापिस लौट कर उसने उत्सवके बहाने उसे अपने नगरमें बुला लिया और उत्सवके अन्तमें छुलसे रानीको अपने महलमें बुला कर पट्टरानी बना लिया । अब वे दोनों पति-पत्नीके रूपमें सुखपूर्वक भोग भोगने लगे । कुछ काल बाद एक ऐसी घटना घटा जिससे उन दोनोंको वैराग्य हो गया । फलस्वरूप राजा मधुने मुनिशर्मकी और चन्द्राभाने आर्यिकाकी दीक्षा ले ली । अन्तमें धर्मके प्रभावसे मर कर वे दोनों स्वर्गमें देव हुए । पुराम् इदं सन्धु—१८८३:३:२)

शूद्र गोपाल द्वारा मनोहारी जिनपूजा—

तेर नगरीमें धनुमित्र नामका एक सेठ रहता था । उसकी भार्याका नाम धनुमित्रा था । उन्होंने गाय-भैसोंके चरानेके लिए धनुदेसे नामके

१. हरिवंशपुराण सर्ग ४३ रुक्मी० १४८-१५६ । २. हरिवंशपुराण सर्ग ४३ रुक्मी० १५६-२१५ । ३. कृहकथाकोशकथा ५६ पृ० ८४ ।

एक ग्वाले^{के} लड़केको रख लिया था। एक चार उसने कल्नन्द नामके सरोवरमेंसे एक कमलका फूल तोड़ लिया। यह देख कर उस सरोवरकी रुक्षिका देवता बड़ी नाराज हुई। उसने कहा जो लोकमें सर्वश्रेष्ठ हो उसकी इस कमल द्वारा पूजा कर, अन्यथा तुम्हें मैं योग्य शिळा दूँगी। बालक कमल लेकर अपने स्वामीके पास गया। स्वामीने तब वृत्तान्त सुन कर उसे राजा^{के} पास भेज दिया। साथमें स्वयं भी गया। राजा ठीक रिथि समझ कर सबके साथ उस शूद्र बालकको मुनिके पास आई और अन्तमें मुनिकी सलाहसे जिनेन्द्र भगवानके पास जाए गया। वहाँ पहुँच कर उस बालकने बड़ी भक्तिपूर्वक उस कमलके फूलसे भगवानुके चरणाङ्की पूजा की और पूजा करनेके बाद जिनेन्द्रदेवको नमस्कार कर वह अपने मालिक घनभित्र सेठके साथ घर चला गया।

आवकधर्मको स्वीकार करनेवाला वकरा—

नामिक देशान् पश्चिम दिशामें कुदुम जामका एक देश था। उसमें पलाम नामका एक ग्राम था। उसके आधिपतिका नाम बुदास था। उसका बलि-पूजामें बड़ा विश्वाम था। मरते समय वह अपने बमुदास नामके पुत्रको कह गया था कि मेरे मरनेके बाद तू इस पूजाको चालू रखना। पिताको आज्ञानुसार पुत्र भी देवीके मामने बकरा आदिका वध कर उसकी पूजा करने लगा। अशुभ कर्मक उटवमें कुछ काल बाद बमुदासका पिता मर कर उसी ग्राममें बकरा हुआ। बकराके पुट होने पर बमुदासने उसे देवीको भेट चढ़ा दिया। इस प्रकार वह मान बार बकरा हुआ और प्रत्येक बार बमुदास उसे देवीको भेट लेना गया। आठवीं बार बमुदास जब उसे देवीको भेट लेनानेके लिए ले जा रहा था तब मार्गमें उसकी एक मुनिसे भेट हो गई। अन्तमें योग्य प्रसन्न उपस्थित होने पर मुनिने बमुदास को उपदेश दिया। उपदेश सुन कर और यह जान कर कि यह बकरा

१०५७ १००

२१४

बर्जन, जाति और धर्म

इसी भवका मेरा पिता था, वसुदासने बिनटीज्ञा ले ली। बकरेने भां जातिस्मरण द्वारा सब हिति जानकर आवकके बारह व्रत स्वीकार कर लिए।

आवक धर्मको स्वीकार करनेवाला चण्डकर्मा चाण्डाल—

उज्यनीमे एक चण्डकर्मा नामका चाण्डाल रहता था। वह हिंमाकर्म मे ग्रानी आर्जीविका करता था और उसे ही अपना कुलधर्म समझता था। एक बार उसको परम वीतरागी मुनिसे भेट हो गई। मुनिके द्वाग अनेक युक्तियाँ और दृष्टान्त देकर यह समझाने पर कि जीव शरीरमें भिन्न है, चण्डकर्मा उपशमभावको प्राप्त हुआ। उसके यह निवेदन करने पर कि मुझे ऐसा व्रत ठीकिए जिसे मैं गृहस्थ रहते हुए पालन कर सकूँ, मुनिने गृहस्थके बाहर बता, पञ्च नमस्कार, सम्यक्त्व और पूजाका उपदेश दिया। उपदेश सुनकर पहले उसने अहिंसाव्रतको छोड़ कर अन्य सब व्रत स्वीकार करनेको प्रार्थना की। उसने कहा कि हिंसा मेरा कुलधर्म है, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। किन्तु मुनिके द्वाग अहिंसाका महत्व बतलाने पर अन्तमें उसने पूर्ण आवकधर्मको स्वीकार कर लिया।

अहिंसाव्रती यमपाश चाण्डालके साथ राजकन्याका विवाह तथा आधे राज्यकी प्राप्ति—

बाराणसी नगरीमे एक यमपाश नामका चाण्डाल रहता था। चोरी आदि अपराध करनेवाले मनुष्याओं शूली पर चढ़ा कर वह अपनी आर्जीविका करता था। एक बार उसने मुनिके पास यह व्रत लिया कि मैं पूर्णिमाको जीववध नहीं करूँगा। प्रतिज्ञा लेकर वह ज्यों ही अपने पर आया कि इतनेमें राजा की ओरसे उसे बुलाया आ गया। पति के सकेतानुसार पहले तो उसकी भाष्यने, यह कह कर कि वह दूसरे गोंव गया है,

१. बृहस्पतिकोश कथा ७१ पृ० १६३ से । २. बृहस्पतिकोश कथा ७३ पृ० १०२ से ।

राजपुरुषोंको मना कर दिया । किन्तु जब उसे यह मालूम हुआ कि आज जिसका वध किया जाना है उसके पास विपुल धन है, उसने सङ्केतसे अपने पतिको बतला दिया । लाचार होकर यमपाशको राजपुरुषोंके साथ जाना पड़ा । किन्तु उस दिन वह किसीको शूली पर चढ़ानेके लिए राजी नहीं हुआ । इसका परिणाम बोहाना था वही हुआ । अर्थात् राजाने चोरके माथ इस चारडालको भी मगर मच्छ्रुतेसे भरे हुए तालाबमें फिकवा टिया । उसने इन दोनोंको फिकवा तो दिया । किन्तु उसके इस कृत्यसे भूतादि देवगण बहुत कुपित हुए । वे राजाको मारनेके लिए उद्यत हो गये । अन्तमें जब यमपाशने मना किया और राजा अपनी पुत्रीके साथ आधा राज्य उसे देनेके लिए राजी हुआ तथ कहीं भूतोंने राजा का पिंड छोड़ा । इस प्रकार राजा के द्वारा पूजित होकर वह चारडाल आधे राज्यको पाकर और राज कन्याके साथ विवाह कर उनका भोग करता हुआ मुख्यरूपक बीवन व्यतीत करने लगा ।

अपनो माताके पितासे उत्पन्न स्वामी कार्तिकेयका मुनिधर्म स्वीकार—

कार्तिक नामके नगरमें अग्नि नामक राजा रहता था । उसको गनीका नाम बोरवती था । उन दोनोंके योगसे छुह कन्याएँ उत्पन्न हुईं । अन्तिम कन्याका नाम कीर्ति था । कीर्तिके योवनसम्पन्न होने पर पिता उस मर मोहित हो गया और उसे पक्षी बना कर रख लिया । कुछ दिन बाद इन्हें पुत्रकी प्राप्ति हुई । उसका नाम कार्तिकेय रखा गया । वहे होने पर जब कार्तिकेयको यह जात हुआ कि हमारी माताका पिता ही हमारा पिता है तब वह संसारसे विरक्त हो मुनि हो गया और उत्तम प्रकारसे तप करके स्वर्गका अधिकारी बना ।

१. शृहकथाकोश कथा ४४ पृ० १७८ से । २. शृहकथाकोश कथा १३६ पृ० ३२४ ।

स्वर्ण चारणालका अहिंसावत स्वीकार—

अवन्ती देशमें एकानसी नामकी एक नगरी थी। वहाँ चरड नामका एक चारणाल रहता था। वह प्रतिदिन सुरापान और माँसभक्षण करता था। एक बार उसके निवासस्थानके सभीप दों चारण कुदिधारो मुनि आये। मुगल मुनिका आगमन सुन कर अनेक भावक उनकी बन्दना करने और धर्मोपदेश मुननेके लिए गये। कुदूहल वश चरड चारणाल भी वहाँ गया। सबके अन्तमें उसने प्रणाम करके अपने योग्य व्रतकी याचना की। अवधिकानसे उसकी अल्प आयु जानकर मनन्दन मुनिराजने उसे अहिंसावत लेनेका उपदेश दिया। व्रत लेकर चारणाल अपने घर आया और मर कर यज्ञोका सरदार हुआ।

नाच-गानसे आजीविका करनेवाले गरीब किसान बालकोंका मुनिधर्म स्वीकार—

काशी जनपदमें वाराणसी नामकी एक मुन्दर नगरी है। वहाँ मुपेण नामका एक गरीब किसान रहता था। उसके चित्त और सम्भूत नामके दों पुत्र हुए। वे दोनों अपनी जाति और कुलकों छोड़ कर तथा परदेशमें जाकर ब्राह्मण वंपमें गीत नृत्य द्वारा अपनी आजीविका करने लगे। एक बार उनमेंसे सम्भूत राजगृह नगरमें म्लोका वंप धारण कर मनाहर नृत्य किया। उसे देख कर वहाँका/मुशरम्मे पुरोहित माहित हो गया। किन्तु बादमें उसे यह ज्ञात होने पर कि यह स्त्री न होकर पुरुष है, उसके साथ अपनी धृढ़िन लद्धीमतीका विवाह कर दिया। बहुत दिन तक तो यह नृत्य लिपा रहा, किन्तु बादमें वहाँ उनकी कुल और जाति प्रकट हो जाने पर वे दोनों भाइ लज्जित हो वहाँसे पाटलांगुल चले गये आग वर्ण गर्वमें नृत्य द्वारा पुनः अपनी आजीविका करने लगे। कालान्तरमें वहाँ भी यह शात होने पर कि ये पुरुष हैं, स्त्री नहीं, वहाँसे चलकर पृणेण्मी आ गये

और वहाँ^(गुरुत्व) नामके मुनिके दर्शन कर तथा जैनधर्मका उपदेश मुनकर उनके पास दीक्षित हो स्वयं मुनि हो गये। मुनि होनेके बाद उन्होंने गुरुतर तपस्याके साथ चिरकाल तक आगम साहित्यका अभ्यास किया। अनन्तर विहार करते हुए वे पुनः राजगृही पहुँचे। वहाँ एक दिन पहांपवासके बाद भिक्षाके लिए चारिका करते हुए सम्भूत मुनिकी^(सुशमो) पुरोहितसे मेट हो जाने पर पुरोहितने उन्हें मारनेका विचार किया। यह देख कर सम्भूत मुनि वेगसे दौड़ने लगा। फलम्बूरुप उसके मुखसे प्रखर तेजसे युक्त अभिप्रकट हुई। सौमाध्यकी बात कि यह बात उसके बड़े भाई चित्र नामके मुनिको तल्काल विदित हो गई, अतः उसने आकर उसे शान्त कर दिया। अन्तमें सम्भूत मुनि निदान करके सांघर्म स्वर्गमें देव होकर अन्तमें वशदत्त नामका चक्रतीर्ती हुआ और उसका बड़ा भाई यथायोग्य गतिको प्राप्त हुआ।

Written २/१/७०

6 दिसंबर
कृष्ण निष्ठा

२

मूल व अनुवाद

नोआगमभाव मनुष्योंमें धर्माधर्ममीमांसा

आदेशेण गदियाणुवादेण अतिथि निरवगदा तिरिक्षणगदा मणुस्सगदा
देवगदा सिद्धगदा चेदि ॥२४॥

आदेशकी अपेक्षा गतिमार्गणके अनुवादसे नरकगति, तिर्यङ्गगति,
मनुष्यगति, देवगति और सिद्धगति है ॥२४॥

मणुस्सा चोहस्सु गुणहृषेषु भविथ—मिच्छाहृषी सासाणसम्माहृषी
सम्मामिच्छाहृषी असंजदसम्माहृषी संजदामजदा पमत्तसंजदा अप्यमत्त-
सजदा अपुब्बकरणपविद्विषुद्विसजदेषु भविथ उवसमा खवा अग्नियहृ-
वाद्रसाम्पराह्यपविद्विषुद्विसजदेषु भविथ उवसमा खवा उवयतकमायवायरायक्षदुमत्था
खाणकसायवीयरायक्षदुमत्था सजोगिकेवलो अजागिकेवलि ति ॥२५॥

चौढह गुणस्थानोमे मनुष्य मित्याहृषि, सासादनसम्यद्विति, सम्भिर्भया-
द्विति, असयतसम्यद्विति, सयतासयत, प्रमत्तसयत, अप्रमत्तसयत, अर्पूर्वकरण-
पविष्टशुद्विसयतोमें उपशमक और ल्पक, अनिवृत्तिवाद्रसाम्परायपविष्टशुद्वि-
संयतोमें उपशमक और ल्पक, सूक्ष्मसाम्परायपविष्टशुद्विसयतामें उपशमक
और ल्पक, उपशान्तकवायवीतरागक्षम्यथ, क्षेणकपायवीतगगक्षम्यथ,
सयोगिकेवलो तथा अयोगिकेवली होते है ॥२५॥

मणुस्स। मिच्छाहृषि-सासाणसम्माहृषि-असंजदसम्माहृषिहृषे सिद्धा
पज्जता सिद्धा अपज्जता ॥८१॥ सम्मामिच्छाहृषि-संजदासंजद-सजदहृषे
गियमा पज्जता ॥८०॥ एवं मणुस्सपज्जता ॥८१॥ मणुसिणोसु मिच्छाहृषि-
सासाणसम्माहृषिहृषे सिद्धा पज्जतियाओ सिद्धा अपज्जतियाओ ॥८२॥
सम्मामिच्छाहृषि-असंजदसम्माहृषि-संजदासंजद-सजदहृषे गियमा पज्जति-
याओ ॥८३॥

मनुष्य मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्बद्धादृष्टि इन तीन गुणस्थानोंमें स्यात् पर्याप्त होते हैं और स्यात् अपर्याप्त होते हैं ॥६८॥ सम्भवित्यादृष्टि, संयतासंयत और संयत गुणस्थानोंमें नियमसे पर्याप्त होते हैं ॥६९॥ इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्तकोके विषयमें जानना चाहिए ॥६१॥ मनुष्यनियोंमें मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्बद्धादृष्टि इन दो गुणस्थानोंमें वे स्यात् पर्याप्त होती है और स्यात् अपर्याप्त होती है ॥६२॥ सम्भवित्यादृष्टि, असंयतसम्बद्धादृष्टि, संयतासंयत और संयत गुणस्थानोंमें नियमसे पर्याप्त होती है ॥६३॥

मणुस्मा तिवेदा मिथ्यादृष्टिपद्मुद्रिति जाव अग्नियहि चि ॥१०८॥ तेण परमवगदवेदा चेदि ॥१०९॥

मिथ्यादृष्टिगुणस्थानसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक मनुष्य तीन वेदवाले होते हैं ॥१०८॥ उमके बाद अपगतवेदवाले होते हैं ॥१०९॥

मणुस्मा अथि मिथ्यादृष्टी सासादनसम्मादृष्टी सम्मामिथ्यादृष्टी असंजदसम्मादृष्टी संजदासंजदा संजदा चेदि ॥१०१॥ पूर्वमद्वाइजदाव-समुद्देशु ॥१०३॥

मनुष्य मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्बद्धादृष्टि, सम्भवित्यादृष्टि, असंयतसम्बद्धादृष्टि, संयतासंयत और संयत होते हैं ॥१०२॥ इसी प्रकार दोई द्वीप और दो समुद्रोंमें जानना चाहिए ॥१०३॥

मणुसा असंजदसम्मादृष्टि-संजदासंजद-संजदद्वागे अथि सम्मादृष्टी खद्यममादृष्टी वेदयसम्मादृष्टी उवसम्मादृष्टी ॥१०४॥ एवं मणुसपञ्जस-मणुसिणीसु ॥१०५॥

मनुष्य असंयतसम्बद्धादृष्टि, संयतासंयत और संयतगुणस्थानोंमें सम्बद्धादृष्टि, ज्ञायिकसम्बद्धादृष्टि वेदकसम्बद्धादृष्टि और उपसमसम्बद्धादृष्टि होते हैं ॥१०६॥ इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें जानना चाहिए ॥१०७॥

—जीवस्थान सत्प्ररूपण।

मणुसगदीप् मणुसो जाम कधं भवति ॥८॥ मणुसगदिजामाप्
उदये ॥१॥ —क्षुङ्कवन्ध स्वामित्व

मनुष्यगतिमें मनुष्य कैसे अर्थात् किस कर्मके उदयसे होता है ॥८॥
मनुष्यगति नामकर्मके उदयसे होता है ॥९॥

३. × × × मणुसगदीप् मणुसा मणुसपञ्चता मणुसिर्णीओ
जिथमा अथि ॥३॥ मणुसअपञ्चता सिथा अथि सिथा जिथि ॥४॥

मनुष्यगतिमें मनुष्य, मनुष्य पर्यात् और मनुष्यिनी नियमसे है ॥३॥
मनुष्य अपर्यात् स्यात् है और स्यात् नहीं है ॥४॥

—क्षुङ्कवन्ध नानार्जीवोंकी अपेक्षा भगविच्चय
संज्ञमाणुवादेण संजदा पर्वहारसुद्दिमंजदा संजदासंजदा केवचिरं
कालादो होति ॥ १४७ ॥ जहाँण अलोमुहृत् ॥ १४८ ॥ उक्तस्त्वेण
पुञ्जकोर्दी देसूणा ॥ १४९ ॥

स यम मर्गणाके अनुवादसे स्यत, परिहारशुद्दिसयत और संयतासंयत
जीवोंका (एक जीवकी अपेक्षा) कितना काल है ॥ १४७ ॥ जघन्य काल
अन्तमुहृत् है । ॥ १४८ ॥ और उक्तस्त्वेण काल कुछ कम एक पूर्वकांटि
प्रमाण है ॥ १४९ ॥ —क्षुङ्कवन्ध काल

मनुष्यगतौ मनुष्याणां पर्यासापर्यासिकानां ज्ञायिकं ज्ञायोपशमिकं
चास्ति । भौपशमिक पर्यासिकानामेव नापर्यासिकानाम् । मानुषाणां श्रितय-
मध्यस्ति पर्यासिकानामेव नापर्यासिकानाम् । अ० १ सू० ८ ष० २३

गग्यानुवादेन ***** मनुष्यगतौ चतुर्दशापि सन्ति । अ० १, सू० ८,
ष० ३१

मनुष्यगतिमें पर्यात् और अपर्यात् (निर्वन्यपर्यात्) मनुष्योंके ज्ञायिक
और ज्ञायोपशमिक ये दो सम्बन्धर्णन होते हैं । भौपशमिक सम्बन्धर्णन
पर्याम मनुष्योंके ही होता है, अपर्यात् मनुष्याके नहीं होता । मनुष्यिनियोंके
तीनों ही सम्बन्धर्णन होते हैं । किन्तु ये पर्यास मनुष्यिनियोंके ही होते हैं,
अपर्यात् मनुष्यिनियोंके नहीं होते ।

गतिमार्गणके अनुवादसे मनुष्यगतिमें चौदह ही गुणस्थान होते हैं ।

—सर्वार्थसिद्धि

अरदासी सामर्णां पञ्चां मणुसिर्णा अपञ्चां ।

इथ चउविहभेदजुदो उप्यज्जदि माणुसे स्त्रेः ॥२६२५॥

सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्यास, मनुष्यिनी और अपर्यास मनुष्य इस प्रकार चार प्रकारकी मनुष्यराशि मनुष्य ज्ञेयमें उत्पन्न होती है ॥२६२५॥

—तिलोबपञ्चांशी प्र० पु०

हुण्डावसर्पिण्यां छानु सम्यग्दृष्टयः किञ्चोत्पद्यन्त इति चेत्, न उत्पद्यन्ते । कुतोत्पद्यसायते ? अस्मादेवार्थात् । अस्मादेवार्थाद् द्रव्यस्तीर्णां निर्वृतिः सिद्ध्येदिति चेत् । न, सवासस्त्वादप्रत्यक्ष्यानगुणस्थितानां संघमानुपत्तेः । भावसंयमस्तासां सवासासामप्यविरुद्ध इति चेत्, न तासां भावसम्बोधस्ति, भावासंयमार्थवनभाविवस्त्राण्युपादानान्यधानुपत्तेः । कथ पुनस्तात् चतुर्दश गुणस्थानानीनि चेत् ? न, भावस्त्राविशिष्टमनुष्यगतां तस्तस्त्वाविरोधात् । भाववेदो वाद्रकवायाकोपर्यस्तीति न तत्र चतुर्दशगुणस्थानानां सम्भव इति चेत् ? न, अग्र वेदस्य प्राधान्याभावात् । गतिस्तु प्रधाना, न सारद्विनश्यति । वेदविशेषणायां गती न तानि सम्भवन्तीति चेत् ? न, विनष्टेऽपि विशेषणे उपचारेण लद्वयपदेशमादधानमनुष्यगतां तस्तस्त्वाविरोधात् ।

शका—हुण्डावसर्पिणीके दोषसे सम्यग्दृष्टि जीव मरकर लियोमे क्यो नहीं उत्पन्न होने ?

समाधान—नहीं उत्पन्न होते ।

शका—किस प्रभाणसे जाना जाता है ?

समाधान—इसी आर्थवचनसे जाना जाता है ।

शका—इसी आर्थवचनसे द्रव्यस्त्रियोंका मुक्त होना सिद्ध हो जावे ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सबल्ल होनेसे उनके सयतासयत तक पाँच गुणस्थान होते हैं, अतः उनके संयमकी उत्पत्ति नहीं हो सकती ।

शंका—वस्त्रसहित होते हुए भी उनके भावसंयमके होनेमें कोई विरोध नहीं है ?

समाधान—उनके भावसंयम नहो होता, अन्यथा उनके भाव असंयमका अविनाभावी वस्त्रादिकका प्रहण करना नहीं बनता ।

शंका—तो फिर उनमें चौदह गुणस्थान कैसे बन सकते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि भावस्त्री विशिष्ट अर्थात् खीवेद युक्त मनुष्ठगतिमें उनका सन्दर्भ होनेमें विरोध नहीं आता ।

शंका—भाववेद बादरक्षय बहाँ तक है बहीं तक होता है आगे नहीं होता, इसलिए भाववेदमें चौदह गुणस्थानोंका सन्दर्भ नहीं हो सकता ।

समाधान—नहीं, क्योंकि यहाँ अर्थात् गति मार्गगामे वेदकी प्रधानता नहीं है । परन्तु यहाँ पर गति प्रधान है और वह पहले नष्ट नहीं होती ।

शंका—वेदविशेषणसे युक्त गतिमें चौदह गुणस्थान सम्भव नहीं हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि विशेषणके नष्ट हो जाने पर भी (जिस गुणके कारण मनुष्यिनी शब्दका व्यवहार होता है उस गुणके नष्ट हो जाने पर भी) उपचारसे उस सज्जाको धारण करनेवाली मनुष्यगतिमें चौदह गुणस्थानोंके होनेमें कोई विरोध नहीं आता ।

—जीवस्थान सत्प्रस्तुत्या सू० ६३ घवला टोका

कुदं ? सज्जम परिहारसुद्धिसज्जम संज्ञमायज्जम च गन्त जहच्छकाल-मच्छिय अणगुण गदेसु तदुवलंभादो ।

कोई बीव संयम, परिहारशुद्धिसयम और सयमासयमका प्राप्त होकर और जघन्य काल अन्तमुहूर्त तक रहकर यदि अन्य गुणस्थानको प्राप्त हो जाता है तो उक्त गुणोंका जघन्य काल अन्तमुहूर्त प्राप्त होता है ।

—क्षुल्लकयन्थकाल सूत्र १४८ घवला टोका

कुदो ? मणुस्सस्स गदभादिभद्रुवस्येहि संज्जम पदिवजिय देसूणपुञ्च-कोटि सज्जममणुपालिय कालं काङ्ग देवेसुपुञ्चस्स देसूणपुञ्चकोटिमेत-

संज्ञमकालुवलंभादो । *** एवं संज्ञदासंज्ञदस्स विं उक्तक्षसकालो वत्तव्यो । नवरि अंतोमुहूर्तपुष्टेण ऊणिया संज्ञमासंज्ञस्स कालो त्ति वत्तव्यं ।

आशय यह है कि गर्भसे लेकर आठ वर्षके बाद कोई मनुष्य संयमको प्राप्त होकर और कुछ कम एक पूर्व कोटि काल तक संयमके साथ रहकर यटि मरकर देव हो जाता है तों संयमका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व-कोटि प्रमाण प्राप्त होता है । *** इसी प्रकार संयतासंयतका भी उत्कृष्ट काल कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि (सम्मूर्छनं तिर्यङ्की अपेक्षा) संयमासंयमका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त पृथक्त्व कम एक पूर्वकोटि प्रमाण कहना चाहिए ।

—क्षुरलकवन्ध काल सूत्र १४६ धबला टीका

देव-गैरहृष्याणं उक्तक्षसाडभयंधस्स तीहि वेदेहि विरोहो णत्यि त्ति जाणावण्ठु इत्यिवेदस्स वा पुरिसवेदस्स वा णवुंसयवेदस्स वा त्ति भणिदं । एव्य भाववेदस्स गहण, अणिहा दण्वित्यिवेदेण विं गैरहृष्याणमुक्तक्षसाडभस्स बंधप्तसंगादो । ण च तेण सह तस्स वयो, ‘आ पञ्चमी त्ति सोहा इत्थीओ जंति छ्वट्पुढवि त्ति’ एवेण सुचेण सह विरोहादो । ण च देवाण उक्तक्षसाडअं दण्वित्यिवेदेण सह बज्महृ, ‘णियमा णिग्यथलिंगेण’ त्ति सुचेण सह विरोहादो । ण च दण्वर्थाण णिगत्यत्तमत्यि, चेलादि-परिच्छाएण विळा तासिं भाविण्यमायत्ताभावादो । ण च दण्वित्य-णवुंसय-वेदाण चेलादिचागो भविय, छ्वट्सुचेण सह विरोहादो ।

देवो और नारकियांसम्बन्धी उत्कृष्ट आयुवन्धका तीनों वेदोके साथ विरोध नहीं है । अथात् तीनों वेदवाले जीव देवायु और नरकायुका उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कर सकते हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिए सूत्रमे ‘इत्यिवेदस्स वा पुरिसवेदस्स वा णवुंसयवेदस्स वा’ यह कहा है । यहाँ इन तीनों वेदोंसे भाववेदका ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा द्रव्य खीवेदवालेके भी उत्कृष्ट नरकायुके बन्धका प्रसङ्ग प्राप्त होता है, परन्तु द्रव्य खीवेदवालेके उत्कृष्ट नरकायुका बन्ध नहीं होता, क्योंकि ‘सिंह पौच्चवीं पृभिनी तक और

स्थिरों छठी पृथिवी तक जाती है' इस सूत्रके माथ विरोध आता है। उत्कृष्ट देवायुक्त बन्ध भाँ द्रव्यस्त्रीवदवाले जीवके नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने पर उसका 'नियममें निर्ग्रन्थ लिङ्गवालेके उत्कृष्ट देवायुक्त बन्ध होता है' इस सूत्रके साथ विरोध आता है। द्रव्य स्त्रियाके निर्ग्रन्थपना बन जाय यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वस्त्र आदिका त्याग किये बिना उनके भाव निर्ग्रन्थपना नहीं बन सकता। द्रव्यस्त्रिया और द्रव्यनपुसकोके वस्त्र आदि का त्याग होता है यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस कथनका छेद-सूत्रके साथ विरोध आता है।

—त्रेदनाकालविद्यान् सूत्र १२ धबला टीका

सामण्णा पवित्री पञ्चता जोणिणी अपञ्चता ।

तिरिया प्वरा तहा वि य पचिदिवभगदो होणा ॥ १४६॥

निर्यज्ञ पाँच प्रकारके हैं—मामान्यनिर्यज्ञ, पञ्चनिदियनिर्यज्ञ, पञ्चेनिदिय तिर्यज्ञ, पर्याप्त, पञ्चेनिदिययोनिर्यज्ञ और पञ्चेनिदियअपर्याप्त निर्यज्ञ। पञ्चेनिदिय भेदके मिवा मनुष्य भी चार प्रकारके हैं—सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और अपर्याप्त मनुष्य ॥ १४६॥

—गोमटसार जीवकाण्ड

मणुवे ओघो धावरतिरियादावदुगण्यविश्वलिंदी ।

साहरणिदराउतिय वेऽविवश्वकरिहीणो ॥ २६८॥

सामान्य मनुष्योंमें ओघके समान भज्ज है। परन्तु उनमें स्थावरद्विक, तिर्यज्ञगतिद्विक, आतपद्विक, एकेनिदियजाति, विकलत्रयजाति, साधारण, नरकायु, मनुष्यायु, देवायु और वैकियिकपट्टक इन बीस प्रकृतियोंका उदय न होनेसे उदयोऽय १०२ प्रकृतियों होती है। सामान्य मनुष्योंसे तीनों वेदोंके उदयवाले सब मनुष्य लिए गये हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है ॥ २६८॥

पञ्चते वि य इतिवेदापञ्चतपरिहीणो ॥ १००॥

मनुष्य पर्याप्तकोमें उक्त १०२ प्रकृतियोंमेंसे स्त्रीवेट और अपर्याप्ति इन दो प्रकृतियोंको कम कर देनेपर उदययोग्य १०० प्रकृतियाँ होती हैं। मनुष्य पर्याप्तकोसे पुरुषवेद और नपुंसकवेदके उदयवाले सब मनुष्य लिए गये हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है ॥३००॥

मणुसिंहि हृष्ट्वा सहिदः । निरथयराहारपुरिस्संदृजा ।

पुष्टगदरेव अपुण्डो सगाणुगदिभाडगं जेव ॥३०१॥

मनुष्यनियोंमें उक्त १०० प्रकृतियोंमेंसे तीर्थकुर, आहारकट्टिक, पुरुषवेद और नपुंसकवेद इन पाँच प्रकृतियोंको कम करके स्त्रीवेदके मिलानेपर ६६ प्रकृतियाँ उदययोग्य होती हैं। तथा मनुष्य अपर्याप्तकोमें तिर्यङ्ग अपर्याप्तकोसे समान ७१ प्रकृतियाँ उदययोग्य होती हैं। मात्र वहाँपर तिर्यङ्गगति, तिर्यङ्गगत्यानुपूर्वों और तिर्यङ्गायुके स्थानमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वों और मनुष्यायु ये तीन प्रकृतियाँ लेनी चाहिए। मनुष्यनियोंसे स्त्रीवेदके उदयवाले सब मनुष्य और मनुष्य अपर्याप्तकोसे नपुंसकवेद और अपर्याप्तप्रकृतिके उदयवाले सब मनुष्य लिए गये हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

—गोमटसार कर्मकाण्ड

तिर्यङ्गः सामान्यतिर्यङ्गः पञ्चेन्द्रियतिर्यङ्गः पर्याप्ततिर्यङ्गः योनिमत्तिर्यङ्गः अपर्याप्ततिर्यङ्गभेति पञ्चविधा भवन्ति । तथा मनुष्या अपि । किन्तु पञ्चेन्द्रियभङ्गतः भेदात् होना भवन्ति । सामान्यादित्यतुविधा एव भवन्तात्पर्यः । सर्वमनुष्याणां केवलं पञ्चेन्द्रियत्वेनैव सम्भवात् । तिर्यङ्गवत्सहितोषणस्य व्यवस्थेषामाभावात् । [ओ० प्र० ढी०]

सामान्यतिर्यङ्गः पञ्चेन्द्रियतिर्यङ्गः पर्याप्ततिर्यङ्गः योनिमत्तीतिर्यङ्गः अपर्याप्ततिर्यङ्ग इति तिर्यङ्गो जीवाः पञ्चप्रकारा भवन्ति । तथा तिर्यग्जीवभेदप्रकारेण नरा मनुष्या अपि, पञ्चेन्द्रियभङ्गतः पञ्चेन्द्रियभेदात् हीनाः पञ्चेन्द्रियभेदरहिताः सामान्यावर्यात्मयोनिमत्पर्याप्ततिर्यङ्गभेदत्यन्तिर्यङ्गः । सामान्यादीनां विशेषापर्याप्तयोनिमत्पर्याप्ततरुपप्रतिपक्षवदत्पक्षे-

निन्द्रयरूपप्रतिपक्षस्य मनुष्यगतात्मदम्भवात् सर्वमनुष्याणां पञ्चेन्द्रियत्वम्भ्यव
सम्भवात् । [म० प्र० ट००]

तिर्यङ्ग पर्याप्तकार—सामान्य तिर्यङ्ग १ पञ्चेन्द्री तिर्यङ्ग २ पर्याप्त तिर्यङ्ग
३ योनिमती तिर्यङ्ग ४ अपर्याप्त तिर्यङ्ग ५ । तहाँ सर्व ही तिर्यङ्ग भेदनिका
समुदायरूप में ती सामान्य तिर्यङ्ग है । बहुरि जो एकेदिशादिक विना
केवल पञ्चेन्द्री तिर्यङ्ग सो पञ्चेन्द्री तिर्यङ्ग है । बहुरि जो अपर्याप्त विना
केवल पर्याप्ततिर्यङ्ग में पर्याप्त तिर्यङ्ग है । बहुरि जो स्त्रीबेदरूप तिर्यङ्गणी
सो योनिमती तिर्यङ्ग है बहुरि जो लघिष्ठ अपर्याप्त तिर्यङ्ग है सो पर्याप्त तिर्यङ्ग
है । ऐसे तिर्यङ्ग पञ्चप्रकार है । बहुरि तेसै ही मनुष्य है । इतना विशेष-जो
पञ्चेन्द्रिय भेदकरि होन है ताते सामान्यादिरूपकरि च्यारि प्रकार है । जाते
मनुष्य सर्व ही पञ्चेन्द्री है ताते त्रुटा भेद तिर्यङ्गवत् न होइ ताते सामान्य
मनुष्य १ पर्याप्त मनुष्य २ योनिमती मनुष्य ३ अपर्याप्त मनुष्य ४ ए च्यारि
भेद मनुष्यके जानने । तहाँ सर्व मनुष्य में पर्याप्त मनुष्य है । ल्लीयेंदरूप मनुष्यिणी
सो योनिमती मनुष्य, लघिष्ठ अपर्याप्तक मनुष्य सो अपर्याप्त मनुष्य है ।

—गो० जी०, गाथा १५०, सम्बग्जानचन्द्रिका दोका
पर्याप्तमनुष्यराशेः प्रिचनुभींगो मानुषीणां द्रव्यस्त्रीणां परिमाण भवति ।

[ज० प्र० ट००]

पर्याप्तमनुष्याणां प्रिचनुभींगमात्र मानुषीणां द्रव्यमनुष्यस्त्रीणां
परिमाण भवति । [म० प्र० ट००]

पर्याप्त मनुष्यनिका प्रमाण कहथा ताका च्यारि भाग कीजिए तामें
तीन भागप्रमाण भनुषिणी द्रव्यस्त्री जाननी ।

—गो० जी०, गा० १५६, स० च० ट०२का
नरकादिगतिनामोदयज्ञनिता नारकादिपर्यायः गतयः ।

नरकादि गतिनामा नामकर्मके उदयते उत्पन्न भये पर्याप्त ते गति कहिए ।

—गो० जी० गा० १५६, स० च० ट००

पुनरयं विशेषः—असयतैरश्चयां प्रथमोपशम-वेदकसम्यक्त्वद्वय, असयतमानुष्यां प्रथमोपशमवेदकक्षायिकसम्यक्त्वत्रयं च सम्भवति । तथापि एको भुज्यमानपर्यहालाप एव । योनिमर्तीनां पञ्चगुणस्थानादुपरि गमना-सम्भवात् द्वितीयोपशमसम्यक्त्वं नास्ति । —जी० प्र० टीका

विशेष इतना जो योनिमत् मनुष्यके असंयतविर्ये एक पर्याप्त आलाप हो है । कागण पूर्वे कहा ही है । बहुरि इतना विशेष है जो असयत तिर्यक्ज्ञिणीके प्रथमोपशम वेटक ए दो सम्यक्त्व हैं अर मनुष्यिणीके प्रथमोपशम वेटक क्षायिक ए तीन सम्यक्त्व संभवै हैं तथापि जहाँ सम्यक्त्व हो है तहाँ पर्याप्त आलाप ही है । सम्यक्त्वसहित मरै सो स्त्रीवेटविर्ये न उपजै हे बहुरि द्रव्य अपेक्षा योनिमती पञ्चम गुणस्थान तैः ऊपरि गमन करे नाहीं ताते तिनके द्वितीयोपशम सम्यक्त्व नाहीं है ।

—गो० जी०, गा० ३०३, स० च० टीका

क्षेत्रकी दृष्टिसे दो प्रकारके मनुष्योंमें धर्मधर्ममीमांसा

दमणमोहणीयं कम्म खचेद्वादवैतो कम्हि अहवेदि ? अहुआइजेसु दीव-समुद्रेषु पण्णारसकम्मभूमासु जम्हि जिणा केवला तिरथयरा तम्हि आडवेदि ।

दर्शनमोहनीय कर्मकी क्षपणाका आरभ्म करनेवाला कहाँपर उसकी क्षपणाका आरभ्म करता है ? दोई द्वीप और दो समुद्रोंमें स्थित पन्द्रह कर्मभूमियोंमें जहाँ जिन, केवली और तीर्थकुर विद्यमान हो वहाँ उसकी क्षपणाका आरभ्म करता है ॥११॥

—जीवस्थान सम्यक्त्वोत्पत्तिकूलिका

अण्णदरस्म पंचिदिव्यस्स स्पृणस्स मिच्छाइहिस्स सब्बा अह पञ्चाहि पञ्चतयदस्स कम्मभूमियस्स अकम्मभूमियस्स वा कम्मभूमिपद्मिभागस्स

वा मन्त्रेज्ञवामात्रभस्स वा असखेज्ञवामठभस्स वा देवस्स वा मणुसस्स वा तिरिक्ष्वस्स वा गोद्यस्स वा इग्निवेदस्स वा पुरिमवेदस्स वा णडसय-
वेदस्स वा जलचरस्स वा थलचरस्स वा खगचरस्स वा सागार-जागार
मुद्रोवज्ञोग्नुत्तस्स उक्षस्सिस्याए द्विर्द्वाए उक्षस्सहित्विसकिलेसे वहुमाणस्स
धर्मवा इमिमित्कमपरिणामस्स तस्स णाणावरणायवेयणा कालदो
उक्षस्सा ॥८॥

जो पञ्चनिद्रिय मंजी मिथ्यादृष्टि और सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, कर्म-
नृनिजते, अकर्मनृमिज है या कर्मभूमिके पासके स्त्रेत्रका निवासी है, सख्यात
वर्षकी आयुवाला या असख्यात वर्षकी आयुवाला है, देव, मनुष्य तिर्यक्ष
या नार्की है, म्बांवेदवाला, पुरुषवेदवाला या नपुमकवेदवाला है, जलचर,
मथलचर वा नभचर है, साकार जागृत श्रुतोपयोगसे युक्त है और उत्कृष्ट
मिथितिके माथ उत्कृष्ट संकलेश परिणामवाला या देशन् मध्यम परिणामवाला
है ऐसे अन्यतर जीवके कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट ज्ञानावरणवेदना होती है।

—वेदनाकालविधान

दर्शनमोहस्तुवम्भासगो दु चदुषु गर्दासु बोद्धवो ।

पंचिदिओ य सर्णा णियमा सो होइ पञ्चतो ॥६५॥

दर्शनमोहनीयका उपशम करनेवाला जीव चारो ही गतियोंमें जानना
चाहिए। वह नियमसे पञ्चनिद्रिय, संजी और पर्याप्तक होता है ॥६५॥

सब्बगिरथभवणेसु दीवससुहे गुहजोनिसिविमाणे ।

अभिजोग्याभणभिजोगो उवमामो होइ बोद्धवो ॥६६॥

सब नरकोंमें, सब भवनवासी देवोंमें, सर्व द्वीप और समुद्रोंमें, सब
अन्तर देवोंमें, सब ज्योतिषी देवोंमें, सौधर्मकल्पसे लेकर नौ ग्रैवयकतकके
सब विमानवासी देवोंमें, वाहनादि देवोंमें, किल्विषिक देवोंमें तथा पारिपद
आदि देवोंमें दर्शनमोहनीय कर्मका उपशम होता है ॥६६॥

अतोमुद्रितमनुं सद्बोवसमेण होट उवसंतो ।

ततो परमुदयो व्यनु तिष्ठेककदरस्म कम्मस्स ॥१०३॥

इस जात्यके दर्शनमेहनीयकर्म अन्तमुहूर्त कालतक सर्वोपरामसे उपशान्त रहता है । इसके बाट निष्ठात्य आदि तीनोंमेसे किसी एकका नियममें उटय होता है ॥१०३॥

दंसणमोहक्खवणा पट्टवगो कम्मभूमिजादो दु ।

जियमा मणुमरादीषु जिट्टवगो चानि सख्त्य ॥११०॥

कर्मभूमिमें उत्पन्न हुआ मनुष्यतिका जीव ही दर्शनमोहनीयकी द्वपणाका प्रस्थापक (प्रारम्भ करनेवाला) होता है । किन्तु उसका निष्ठापक (पूर्ण करनेवाला) चारों गतियोंमें होता है ॥११०॥

क्षणाण् पट्टवगो जाम्ह भवे जियमसा तदो अचो ।

गाधिच्छुदि तिलिभवे दंसणमोहम्म लीणम्म ॥१११॥

यह जीव जिस भवमें दर्शनमोहनीयकी द्वपणाका प्रस्थापक होता है उससे अन्य तीन भवाको नियमसे उल्लङ्घन नहीं करता है । दर्शनमोहनीयके द्वीण होने पर इस कालके भीतर नियमसे मुक्त हो जाता है ॥१११॥

—कथायप्राभृत

कम्मभूमियस्स पडिवज्जमाणयस्स जहण्यसंजमद्वाणमणतगुणं ।
अकम्मभूमियस्य पडिवज्जमाणयस्स जहण्यं संजमद्वाणमणतगुणं । तस्से-
तुक्कस्य पडिवज्जमाणयस्स सज्जमद्वाणमणतगुणं । कम्मभूमियस्स पडि-
वज्जमाणयस्य उक्कस्य उज्जमद्वाणमणतगुणं ।

इससे सयमको प्राप्त होनेवाले कर्मभूमिज मनुष्यका जघन्य सयमस्थान अनन्तगुणा है । इससे सयमको प्राप्त होनेवाले अकर्मभूमिज मनुष्यका जघन्य सयमस्थान अनन्तगुणा है । इससे संयमको प्राप्त होनेवाले इसी अकर्मभूमिज मनुष्यका उत्कृष्ट सयमस्थान अनन्तगुणा है । इससे संयमको प्राप्त होनेवाले कर्मभूमिज मनुष्यका उत्कृष्ट सयमस्थान अनन्तगुणा है ।

—कथायप्राभृत चूर्णि पृ० ६०३-६०४

क्षेत्रकी इहिसे दो प्रकारके मनुष्योंमें धर्माधर्ममीमांसा ३१३

जह ण वि सङ्गमणउज्जो अणजाभासं विणा उ गाडेडं ।
तह ववहारेण विणा परमत्युवप्सणमसङ्क ॥८॥

—समयसार

जिस प्रकार अनार्य पुरुष अनार्य भाषाके विना उपदेश प्रहण करनेके लिए समर्थ नहीं होता उसी प्रकार व्यवहारका आभ्य लिए विना परमार्थका उपदेश करना अशक्य है । (इस गाथामें अनार्य शब्द आया है । इससे विदित होता है कि समयसारकी रचनाके समय मनुष्य आर्य और अनार्य हन दो भागोंमें विभक्त किये जाने लगे थे । ॥८॥

माणुस्सा दुविध्या कम्ममहीभोगभूमिसंजादा ॥३५॥
मनुष्य दो प्रकारके हैं—कर्मभूमिज और भोगभूमिज ॥१६॥

—विषयसार

आर्या म्लेच्छाश्च ॥३-४४॥

मनुष्य दो प्रकारके हैं—आर्य और म्लेच्छ ॥३-४५॥

—तत्त्वार्थसूत्र

गुणगुणवद्विर्वा अवन्न हत्यार्याः । ते द्विविधा—ऋदिप्राप्तार्या अनुद्विप्राप्तार्याश्चेति । अनुद्विप्राप्तार्याः पञ्चविधाः—क्षेत्रार्या जात्यार्याः कर्मायोरचारित्रार्याः दर्शनार्याश्चेति । ऋद्विप्राप्तार्याः सप्तविधाः त्रुद्विविधाः—तपोबलीपथसार्वाणभेदात् । म्लेच्छा द्विविधा—अन्तर्द्वीपजाः कर्मभूमिजाश्च रचेति । × × × त एतेऽन्तर्द्वीपजाः म्लेच्छाः । कर्मभूमिजाश्च शक्यवनश्चरपुलिन्दाद्याः ।

जो गुणों और गुणवालोंके द्वारा माने जाते हैं वे आर्य कहलाते हैं । वे दो प्रकारके हैं—ऋदिप्राप्त आर्य और ऋद्विरहित आर्य । ऋद्विरहित आर्य पाँच प्रकारके होते हैं—क्षेत्रार्य, जात्यार्य, कर्मार्य, चारित्रार्य और दर्शनार्य । ऋद्विप्राप्त आर्य त्रुद्वि, विकिया, तप, यत, औपथ, रस और अद्वीय त्रुद्विके भेदसे सात प्रकारके होते हैं । म्लेच्छ दो प्रकारके होते

है—अनन्दांपज म्लेच्छ और कर्मभूमिज म्लेच्छ। लवण्यादि समुद्रोंके मध्य अनन्दांपजमें गहनेवाले अनन्दांपज म्लेच्छ हैं और शक, यत्न, शवर तथा पुलिन्ड आदि कर्मभूमिज म्लेच्छ हैं।

—त० स० ३-३७, सर्वार्थसिद्धि

[नन्दार्थमृगान्वदाकाम् प्रवसेव मनुष्याणां भेदाः समुक्षम्यन्ते । श्लोकवातिंके तु केवल लक्षणायेवया भेदो दृश्यन्ते । यथा—]

[नन्दार्थमृगकी अन्य टीकाओंमें मनुष्योंके भेद इमी प्रकार उपलब्ध होते हैं । श्लोकवातिंकमें मात्र लक्षणकी अपेक्षा भेद दिखलाहट देना है । यथा—]

उच्चैर्गोत्रांदयादेवार्थाः नीचैर्गोत्रादेवत्त्वं म्लेच्छाः ।

जिनके उच्चगोत्रका उदय आदि होता है वे आर्य कहलाने हैं और जिनके नीचगोत्रका उदय आदि होता है वे म्लेच्छ कहलाने हैं ।

कर्मभूमिभवा म्लेच्छाः प्रभिदा यवनादय । स्युः परे च तदाचारपालनाद्दुधा जनाः ॥८॥ स्वसन्तानानुवतिनी हि मनुष्याणां आर्यव्यवस्थितिः सम्यग्दर्शनादिगुणनिवन्धना । म्लेच्छव्यवस्थितिश्च मिथ्यात्वादिदोषनिवन्धना स्वसंवेदनसिद्धा स्वरूपवत् ।

यवनादिक कर्मभूमिज म्लेच्छ रूपसे प्रभिद है । तथा उनके आचार का पालन करनेवाले और भी अनेक प्रकारके मनुष्य म्लेच्छ होते हैं ॥८॥ अपनी सन्तानके अनुसार मनुष्योंकी आर्य-म्लेच्छ व्यवस्था है । उनमेंसे आर्य-परम्परा सम्यग्दर्शनादि गुणोंके निमित्से होती है और म्लेच्छपरम्परा मिथ्यात्व आदि दोषोंके निमित्से होती है और यह स्वरूपके स्वसंवेदनके समान अनुभवसिद्ध है ।

—श्लोकवातिंक त० स० ३-३८

उत्तर-दक्षिणभरहे खंडागि लिणि होति पत्तेकं ।

दक्षिणतिव्यखडेसु अजाखडो ति मञ्जिममो ॥४-२६७॥

सेसा वि य पच खण्डा जामेण होति मेच्छखण्डं ति ॥४-२६८॥

उत्तर और दक्षिण भरतमें अलग-अलग तीन खण्ड हैं । दक्षिणके तीन खण्डोंमें मध्यका आर्य खण्ड है ॥२६७॥ और शेष पाँच म्लेच्छ खण्ड हैं ॥२६८॥

पणमेच्छखण्डरसेविसु अपसप्तपुस्तपिणीए तुरममिम ।

तदियाए हाणिचयं कमसो पदमादु चरिमो ति ॥४-१६०॥

पाँच म्लेच्छखण्ड और विद्याधर ऐश्वियोंमें अवमपिणीके चतुर्थ कालमें और उत्सपिणीके तृतीय कालमें प्रारम्भसे लेकर अन्त तक कमसे हानि और वृद्धि होती है ॥१६०॥

—ब्रिलोकप्रज्ञसि पूर्वाधर्म

आर्यदेशः परिष्वस्ता म्लेच्छैरुद्वासित जगत् ।

प्रक्षणाः प्रजाः सर्वाः पापाः कर्तुं समुद्धताः ॥२७-१४॥

म्लेच्छाने आर्यदेश वस्त कर दिये और समस्त जगत् को उद्वासित कर दिया । ये पापाचारी समस्त प्रजाको वर्ण विहीन करनेके लिए उच्यत हुए हैं ॥२७-१४॥

—पश्चाचरित

भद्राइजदीवसमुहुद्विदसव्वजावेसु दसणमोहक्षवणे पसगे तप्तहि-
सेहट्ठ पणारसकम्भूर्मासु ति भणिदे भोगभूर्माओ पहिमिहाओ ।
कम्भूर्मासु डिद्रेवमणुसतिरिक्षाणं सर्वेसि पि गहणं किण पावेदि ति
भणिदे ण पावेदि, कम्भूर्मासुप्पणमणुस्माणमुवयारेण कम्भूर्मि-
ववदेसादो । तो वि तिरिक्षाणं गहण पावेदि, तेसि तप्त वि उपसति-
सभवादो ? ण, जेसि तत्येव उपर्चा ण अणात्थ सभवो अग्नि तेर्पि चेव
मणुस्साणं पणारसकम्भूर्मिववप्सो ण तिरिक्षाणं सर्वंपहपव्वदपरभागे
उपर्जनेण सम्बहिचाराणं । उत्तं च—

दंसणमोहकसवणापट्टवधो कर्मभूमिग्राहो हु ।

नियमा मणुसगर्वाए पिट्ठवधो जावि व्यवहय ॥

दाहे द्वौप और दो समुद्रोंमें स्थित सब जीवोंके दर्शन मोहनीयकी दृष्टियाका प्रगङ्ग प्राप्त होनेपर उसका निषेच करनेके लिए ‘पन्द्रह कर्मभूमियों में’ यह कहा है । इससे भोगभूमियोंका निषेच हो जाता है ।

शंका—कर्मभूमियोंमें स्थित देव, मनुष्य और तिर्यक्ष इन सबका प्रह्लाद क्यों नहीं प्राप्त होता ?

साधन—नहीं प्राप्त होता, क्योंकि कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुए मनुष्योंको ही यहाँपर उपचारसे कर्मभूमि संज्ञा दी है ।

शंका—तो भी तिर्यक्षोंका प्रह्लाद प्राप्त होता है, क्योंकि उनकी वहाँ भी उत्पत्ति सम्भव है ।

समाचान—नहीं, क्योंकि जिनकी वहाँपर उत्पत्ति सम्भव है, आन्वय उत्पत्ति सम्भव नहीं, उन्हीं मनुष्योंकी ‘पन्द्रह कर्मभूमि’ संज्ञा है, तिर्यक्षोंकी नहीं, क्योंकि स्वयंप्रभ पर्वतके परभागमें उत्पन्न होनेसे वहाँ तिर्यक्षोंकी यह संज्ञा माननेपर उसका व्यभिचार देखा जाता है । कहा भी है—

दर्शनमोहनीयकी दृष्टियाका प्रस्थापक कर्मभूमियों उत्पन्न हुआ नियम से मनुष्यगतिका जीव ही होता है । किन्तु उसका निष्पापक चारों गतिका जीव होता है ।

—जीवस्वान चूलिका खदाना दू० २५४

कर्मभूमियस्स संज्ञमं पदिवज्ज्ञमाभस्स जहच्छसंज्ञमट्टाभ्यनंतरगुणं ।
कुरु ! असंख्येऽङ्गलागमेत्तद्वागाग्नि उवारि गंत्युप्यर्चीदो । (अकर्म-
भूमियस्स संज्ञमं पदिवज्ज्ञमाभस्स जहच्छसंज्ञमट्टाभ्यनंतरगुणं ।
कुरु ! असंख्येऽङ्गलोगमेत्तद्वागाग्नि उवारि गंत्युप्यर्चीदो ।) ससेव
उत्तरस्सवं संज्ञमं पदिवज्ज्ञमाभस्स संज्ञमट्टाभ्यनंतरगुणं । कुरु ! असंख्य-
कोगमेत्तद्वागाग्नि उवारि गंत्युप्यर्चीदो । कर्मभूमियस्स संज्ञमं

एविवज्ज्ञानस्स उक्षस्सयं संज्ञमट्टाणमण्ठगुणं, असंखेज्जलोगमेत्त-
क्षट्टाणाग्नि उबरि गंतपुष्पकीदो ।

संयमको प्राप्त होनेवाले कर्मभूमिज मनुष्यका जघन्य संयमस्थान अनन्त-
गुणा है, क्योंकि असंख्यात लोकप्रमाण छुहस्थान ऊपर आकर उसको
उत्पत्ति होती है । उससे संयमको प्राप्त होनेवाले अकर्मभूमिज मनुष्यका
जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि असंख्यात लोकप्रमाण स्थान
ऊपर आकर उसकी उत्पत्ति होती है । उससे संयमको प्राप्त होनेवाले उसी
मनुष्यका उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि असंख्यात लोकप्रमाण
षट्स्थान ऊपर आकर उसकी उत्पत्ति होती है । उससे संयमको प्राप्त
होनेवाले कर्मभूमिज मनुष्यका उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि
असंख्यात लोकप्रमाण षट्स्थान ऊपर आकर उसकी उत्पत्ति होती है ।

—जीवस्थान चूलिका धवला पृ० २८७

पञ्चिनियप्रज्ञतमिच्छाहितो कम्मभूमा अकम्मभूमा चेदि दुविहा ।
तथ्य अकम्मभूमा उक्षस्तट्टिदि य बंधंति, पण्णरसकम्मभूमीसु उप्पणा
चेव उक्षस्तट्टिदि बंधति ति जाणावण्ठ कम्मभूमियस्स वा ति भणिदं ।
भोगमूमीसु उप्पणाणं च देव-गैरहयाणं सयपहणगेंदपञ्चदसवाहिभाग-
प्पहुडि जाव सयंभूमणसमुहो ति पृथ्य कम्मभूमियडिभागमिम उप्पण-
तिरिक्षाण च उक्षस्तट्टिदिवधपडिसेहे पचे तणिराकरण्ठ अकम्मभूमिस्स
वा कम्मभूमिपडिभागास्स वा ति भणिदं । अकम्मभूमिस्स वा देव-गैरहया
चेतञ्चा । कम्मभूमिपडिभागास्स वा ति उसे सयंपहणगिंदपञ्चदस्स वाहिरे
भागे समुप्पाणं गहणं । सखेज्जवासाडभस्स वा ति उसे अङ्गाहज्ञार्दीच-
समुद्दुप्पणास्स कम्मभूमिपडिभागामुप्पणास्स च गहणं । असंखेज्जवासा-
उभस्स वा ति उसे देव-गैरहयाणं गहणं, य समयाहिवपुम्बकोडिप्पहुडि-
उभहिमभाडभतिरिक्ष-मणुस्साणं गहण, पुम्बसुत्तेण तेसि विहिवपडि-
सेहादो ।

पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त मिथ्याहृषि जीव कर्मभूमिज और अकर्मभूमिजके मेटसे दो प्रकारके होते हैं। उनमेंसे अकर्मभूमिज उत्कृष्ट स्थितिको नहीं बांधते हैं। किन्तु पन्द्रह कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुए जीव ही उत्कृष्ट स्थितिको बांधते हैं, इस बातका ज्ञान करानेके लिए कर्मभूमिज पटका निर्देश किया है। जिस प्रकार भोगमूलियोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध नहीं होता उसी प्रकार देव और नारकियों तथा स्वयम्प्रभ पर्वतके बाह्य भागसे लेकर स्वयम्भूरमण समुद्र तकके इस कर्मभूमि सम्बन्धी हेत्रमें उत्पन्न हुए तिर्यङ्गोंके भी उत्कृष्ट स्थितित्रन्धका निषेध प्राप्त होनेपर उसका निर्गकरण करनेके लिए 'अकर्मभूमिजके और कर्मभूमिप्रतिभागोत्पन्न जीवके' ऐसा कहा है। 'अकर्मभूमिजके' ऐसा कहनेपर उससे देव और नारकियोंका ग्रहण करना चाहिए। तथा 'कर्मभूमिप्रतिभागोत्पन्नके' ऐसा कहनेपर उससे स्वयम्प्रभ पर्वतके बाह्य भागमें उत्पन्न हुए पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यङ्गोंका ग्रहण करना चाहिए। 'सख्यात वर्षकी आयुवाले' ऐसा कहनेपर उससे ढाई द्विप और दो समुद्रोंमें उत्पन्न हुए तथा कर्मभूमि प्रतिभागमें उत्पन्न हुए सभी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंका ग्रहण करना चाहिए। 'असंख्यात वर्षोंकी आयुवालेके' ऐसा कहने पर उससे देव और नारकियोंका ग्रहण करना चाहिए, एक समय अधिक पूर्व कोटिकी आयुसे लेकर उपरिम आयुवाले तिर्यङ्ग और मनुष्योंका ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्व सूत्रसे उनका निषेध कर आये हैं।

—वेदनाकालविधान सूत्र द धवला टीका

वेदाणं उक्तस्वाडभं पण्णारसकम्भूर्मासु चेव वउक्तह, वेरह्याणं उक्तस्वाडभं पण्णारसकम्भूर्मासु कम्भूमिपडिभागसु च वउक्तदि ति आजावणदुं कम्भूमिपडिभागस्स वा ति परुविदं।

देवोंकी उत्कृष्ट आयुका वन्ध पन्द्रह कर्मभूमियोंमें ही होता है तथा नारकियोंकी उत्कृष्ट आयुका वन्ध पन्द्रह कर्मभूमियोंमें और कर्मभूमि प्रति-

भागोंमें होता है इस चातका शान करानेके लिए सूत्रमें ‘कम्भभूमियस्स वा कम्भभूमिपडिभागस्स वा’ यह कहा है।

—वेदना कारुविद्याम् सूत्र १२ धर्वला ठीका

तिष्वमंददाय् सत्वमंदाणुभायं मिच्छुत गच्छमाणस्स जहणय
सजमहाणं । तस्सेवुकक्षस्यं सजमहाणमणंतगुणं । असंजद्दसम्मसं गच्छ-
माणस्स जहणयं संजमहाणमणंतगुणं । तस्सेवुकक्षस्यं संजमहाणमणंत-
गुण । सजमासंजमं गच्छमाणस्स जहणयं संजमहाणमणंतगुण । तस्सेव
उक्षक्षस्यं संजमहाणमणंतगुणं । कम्भभूमियस्स पडिवज्ञमाणस्स जह-
णयं संजमट्ठाणमणंतगुणं । अकम्भभूमियस्स पडिवज्ञमाणस्स जहणयं
सजमट्ठाणमणंतगुणं । तस्सेवुकक्षस्यं पडिवज्ञमाणस्स सजमट्ठाण-
मणंतगुणं । कम्भभूमियस्स पडिवज्ञमाणस्स उक्षक्षस्यं संजमट्ठाण-
मणंतगुण ।

तीव्र मन्दताकी अपेक्षा विचार करनेपर मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले
मयतके जघन्य संयमस्थान सबसे मन्द अनुभागवाला होता है । उससे
उसीके उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा होता है । उससे असंयत सम्यक्त्वको
प्राप्त होनेवाले संयतके जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणा होता है । उससे
उसीके उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा होता है । उससे संयमको प्राप्त
होनेवाले कर्मभूमिक मनुष्यके जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणा होता है ।
उससे संयमको प्राप्त होनेवाले अकर्मभूमिक मनुष्यके जघन्य संयमस्थान
अनन्तगुणा होता है । उससे संयमको प्राप्त होनेवाले उसी अकर्मभूमिक
मनुष्यके उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा होता है । उससे संयमको प्राप्त
होनेवाले कर्मभूमिक मनुष्यके उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा होता है ।

कम्भूमियस्से चि कुते पण्ठरसकम्भूमोसु मतिकम्लंडसमुपण्णस्म
गहणं कायच्चं । को अकम्भूमियो जास ? भरहेरावयविवेहेसु विणीद-
सनिदमिकम्लंड मोत्तून सेसपच्छंडजिवासी मणुओ एत्याकम्भूमियो
चि विविक्षियो, तेसु अम्मकम्पवुत्तीए असंभवेण तद्भावोववर्तीदो ।
जह श्वं कुदो तथ्य संजमगहणसंभवो चि जासंकणिउजं, दिसाविजय-
पथहृषकवद्वासंधावारेण सह मतिकम्लंडमागवाणं मिलेच्छावायाण तथ्य
चक्रविभ्रादीहि सहजावेवाहियसंबंधाणं संजमपदिवर्तीए विरोहा-
भावादो । अथवा तत्क्रम्यकानी चक्रवर्तीदिपरिणामानां गर्भेत्यपक्षमातृ-
पक्षावेष्या स्वयमकम्भूमिजा हस्ताह विविताः । ततो न किञ्चिद्विप्रति-
चिद्दम्, तथाजातीकानां दाढ़ाहंत्वे प्रतिषेधाभावादिति ।

‘कम्भूमियस्स’ ऐसा कहनेपर पन्द्रह कर्मभूमियोंके बीचके खण्डोंमें
उत्पन्न हुए ओवका ग्रहण करना चाहिए ।

शंका—अकर्मभूमिज कौन है ?

समाधान—भरत, ऐरावत और विटेह ज्येत्रीमें विनीत संशावाले मध्यम
खण्डको छोड़कर शेष पाँच खण्डोंमें निवास करनेवाला मनुष्य यहाँ पर
'अकर्मभूमिज' इस पद द्वारा विवित है, क्योंकि इन खण्डोंमें धर्मकर्मको
प्रकृति सम्भव न होनेसे उक्त अर्थ घटित हो जाता है ।

शंका—यदि ऐसा है तो वहाँ पर सम्यक्ष ग्रहण करना कैसे
सम्भव है ?

समाधान—ऐसी आशाका करना ठीक नहीं है, क्योंकि चारों दिशाओं
की विजय करते समय चक्रवर्तीकी सेनाके साथ को म्लेच्छ राजा मध्यम
खण्डमें आ गये है और जिनका चक्रवर्ती आटिके साथ विवाह सम्बन्ध
हो गया है उनके समयको स्वीकार करनेमें कोई विरोध नहीं आता ।
अथवा उनकी जिन कल्याशोंको चक्रवर्ती आदि व्याह लेते हैं उनके गर्भसे
उत्पन्न हुए चालक मातृपक्षको अपेक्षा स्वयं अकर्मभूमिज रूपसे ही यहाँपर

विविहित हैं, इसलिए कुछ भी विशद बात नहीं है, क्योंकि जो इस प्रकारसे उत्पन्न हुए चालक हैं वे दीक्षाके योग्य हैं इस बातका निषेध नहीं है।

—जयधबला प्रेस कार्पोरी पृ० ६४५

धर्म-कर्मविभूता दृश्यमी म्लेच्छाका मताः ।

अन्यथान्वैः समाचारैः आर्यावर्तेन ते समाः ॥३१-४२॥

ये लोग धर्मक्रियाओंसे रहित हैं, इसलिए म्लेच्छा माने गये हैं। धर्मक्रियाओंके सिवा अन्य आचरणोंसे वे आर्यावर्तमें उत्पन्न होनेवाले लोगोंके समान हैं ॥३१-४२॥

—महापुराण

तत्तो पदिवज्जगया अउज्ञ-मिलेच्छे मिलेच्छ-अउज्ञ च ।

कमसो अवरं अवरं वरं वरं होदि संखं वा ॥१६५॥

प्रतिपातगत स्थानोंसे आगे असंख्यात लोक असंख्यात लोकप्रमाण स्थानोंका अन्तर देकर क्रमसे आयोंके जनन्य, म्लेच्छाओंके जनन्य, म्लेच्छाओंके उत्कृष्ट और आयोंके उत्कृष्ट संयमस्थान होने हैं ॥१६५॥

—लडिवधार लपणासार

मनोरपत्यानि मनुष्याः । ते द्विविधाः—कर्मभूमिजा भोगभूमिजा-श्चेति । तत्र कर्मभूमिजाश्च द्विविधाः—आर्या म्लेच्छाश्चेति । आर्याः पुण्य-क्षेत्रवर्तिनः । म्लेच्छाः पापक्षेत्रवर्तिनः । भोगभूमिजाश्चार्यनामधेयधराः जघन्यमध्यमोत्तमक्षेत्रवर्तिनः एकद्विप्रश्येयमायुषः ।

मनुके अपत्य मनुष्य कहलाते हैं। वे दो प्रकारके हैं—कर्मभूमिज और भोगभूमिज । उनमेंसे कर्मभूमिज मनुष्य दो प्रकारके हैं—आर्य और म्लेच्छा । पुण्य क्षेत्रमें रहनेवाले आर्य कहलाते हैं और पाप क्षेत्रमें रहनेवाले म्लेच्छा कहलाते हैं । आर्य नामको धारण करनेवाले भोगभूमिज मनुष्य जनन्य, मध्यम और उत्तम भोगभूमिमें रहते हैं जिनकी आयु क्रमसे एक, दो और तीन पल्पप्रमाण होती है ।

—निष्पमसार, वा० १६, असूतक्षम्भूताचार्यकृत टीका

तस्मादेशासंयमप्रतिपाताभिमुखात्कृष्टप्रतिपातस्थानादमस्येवलोक-
माद्राणि पट्स्यानान्यन्तरधित्वा। मिथ्यादृष्टिचरस्यार्थखण्डमनुष्ठस्य
सकलसंयमलक्षितस्थानं भवति। ततः परमस्वयेवलोकमाद्राणि पट्स्यानान्यतिक्रम्य म्लेच्छ-
भूमिजमनुष्ठस्य मिथ्यादृष्टिचरस्य संयमग्रहणप्रथमसमये वर्तमानं जघन्यं
स्यमलक्षितस्थानं भवति। ततः परमस्वयेवलोकमाद्राणि पट्स्यानानि
गत्वा म्लेच्छभूमिजमनुष्ठस्य देशासंयतचरस्य संयमग्रहणप्रथमसमये
उत्कृष्ट संयमलक्षितस्थानं भवति। ततः परमस्वयेवलोकमाद्राणि पट्-
स्थानानि गत्वा आर्यखण्डजमनुष्ठस्य देशासंयतचरस्य संयमग्रहणप्रथम-
समये वर्तमानमुत्कृष्टं सकलसंयमलक्षितस्थानं भवति। एतान्यार्थम्लेच्छ-
मनुष्ठविषयाणि सकलसंयमग्रहणप्रथमसमये वर्तमानानि संयमलक्षित-
स्थानानि प्रतिपातमानस्थानानीत्युच्यन्ते। अत्रार्थम्लेच्छमध्यमस्थानानि
मिथ्यादृष्टिचरस्य वा असंयतसम्यदृष्टिचरस्य वा देशासंयतचरस्य वा तदु-
नुरूपविशुद्धया सकलसंयमप्रतिपातमानस्य सम्भवन्ति। विधिनिषेधयो-
नियमावचने सम्भवप्रतिपातिरिति न्यायमिद्दत्त्वात्। अत्र जघन्यद्वयं
यथाघोष्यतीव्रसंक्लेशाविष्टस्य। उत्कृष्टद्वयं तु मन्दसंक्लेशाविष्टस्येति
प्राप्तम्। म्लेच्छभूमिजमनुष्ठाणां सकलसंयमग्रहणं कथं सम्भवतीति
नाशकितव्यम्, द्विविजयकाले चक्रवर्तिनां सह आर्यखण्डमावतानां म्लेच्छ-
राजानां चक्रवर्त्यादिभिः सह जातैव। हिंकसम्बन्धानां संयमप्रतिपात्ते-
रविरोहात्। अथवा तत्कन्यकानां चक्रवर्त्यादिपरिणीतानां गर्भेण्यूत्पन्नस्य
मातृपक्षपेच्छया म्लेच्छव्यपदेशभाजः संयमसम्भवात् तथाजातीयकानां
दीक्षाहृत्ये प्रतिपेषाभावात् ॥१६५॥

उससे अर्थात् देशासंयममें गिरनेके अभिमुख हुए सकलसंयमसम्बन्धी
उत्कृष्ट प्रतिपातस्थानसे आगे असंख्यात् खोकप्रमाण षट्स्यानोंका अन्तर
देकर आर्यखण्डके मिथ्यादृष्टि मनुष्ठके सकलसंयमको ग्रहण करनेके प्रथम
समयमें जघन्य सकल संयमलक्षितस्थान होता है। उससे आगे असंख्यात्

लोकप्रमाण पट्ट्यानोंको उल्लङ्घनकर म्लेच्छभूमिके मिथ्यादृष्टि मनुष्यके सकलसंयमके प्रहण करनेके प्रथम समयमें विद्यमान जबन्य सत्यमच्छिव्यस्थान होता है। उससे आगे असंख्यत लोकप्रमाण पट्ट्यान जाकर म्लेच्छभूमिके देशसंयत मनुष्यके सकलसंयमके प्रहण करनेके प्रथम समयमें उत्कृष्ट सत्यमच्छिव्यस्थान होता है। उससे आगे असंख्यत लाक्रप्रमाण पट्ट्यान जाकर आर्यवर्णडके देशसंयतमनुष्यके संयम ग्रहण करनेके प्रथम समयमें उत्कृष्ट सकलसंयमच्छिव्यस्थान होता है। ये संयम ग्रहण करनेके प्रथम समयमें होनेवाले आर्य और म्लेच्छ मनुष्यमन्वी प्राप्तिवद्यनान सत्यमच्छिव्यस्थान कहलाते हैं। यहाँ आर्य प्राग् म्लेच्छ मनुष्यके मध्यके जो सत्यमस्थान होते हैं वे मिथ्यादृष्टि जोनके, असंयतसम्यद्विजीवके या देशमन्त्रजीवके तटनुरूप विगुद्दिके द्वारा सकलसंयमको प्राप्त होते समय होते हैं, क्योंकि विभि और निषेषरूप नियममा इन्हें उल्लेख नहीं होनेसे दोनोंके इन स्थानोंकी सम्भावनाका ज्ञान होता है पहल्यासिद्ध चात है। यहाँसे आर्य और म्लेच्छ दोनोंके प्राप्त होनेशाले दोनों जबन्य स्थान यथायंगत तांत्र सकलेशयुक्त सततके होते हैं। परन्तु दोनों उत्कृष्ट स्थान मन्दसक्तेश से युक्त संयतके होते हैं।

शंका—म्लेच्छभूमिमें उत्पन्न हुए मनुष्योंके सकलसंयमका प्रहण कैसे सम्भव है?

समाधान—ऐसी आशाका करना ठीक नहीं है, क्योंकि दिव्यज्ञयके समय जो म्लेच्छद्वारा नक्कवतीके साथ आर्यवर्णडमें आ जाते हैं और जिनका चक्रवतीके साथ वैचाहिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है उन्हें संयम के प्राप्त होनेमें कोई विरोध नहीं आता। चक्रवती आदिके द्वारा विवाही गई उनकी कन्याओंके गर्भसे उत्पन्न हुआ बालक मातृपक्षकी अपेक्षा म्लेच्छ कहलाता है, अतः ऐसे बालकके संयमकी प्राप्ति सम्भव होनेसे उस प्रकारके मनुष्योंको दीक्षा प्रहण करनेके बोध होनेका निषेष नहीं ॥१६५॥

— लिखितार लपणासार संस्कृत टीका

गोत्र-मीमांसा

गोदस्य कमस्स दुये पयडीओ—उच्चागोदं चेव र्णीचांगोदं चेव ॥४५॥
गोत्र कर्मकी दो प्रकृतियाँ हैं—उच्चगोत्र और नोचगोत्र ॥४५॥

—जीवस्थान प्रथम चूलिका

गोदस्य कमस्स दुये पयडीओ—उच्चागोदं चेव र्णीचांगोदं चेव ।
एवडियाओ पयडीओ ॥१३५॥

गोत्र कर्म की दो प्रकृतियाँ हैं—उच्चगोत्र और नीचगोत्र । इतनी
प्रकृतियाँ ॥१३५॥

—वर्णाल्पण ग्रन्थ ग्रन्थि अनुयोगद्वारा

विषाकदेशो नाम मदियावरणं जीवविषाका । चदुभाड० भव-
विषाका० । पंचपर्णर-द्वयमंडण-तिणिअगो०-द्वसंघड०-पंचवण-
दुर्गंध-पचहस-अट्टप०-अगुठ०-उष०-पर०-आदाउजगो०-पसेय०-साधार०-
धिराधिर-सुभासुभ-निमिणं पदाओ पुगलविषाकाओ । चदुण्णं आणु०
सेतविषाका० । सेसाणं मदियावरणभंगो ।

विषाकदेशकी अपेक्षा मतिशानावरण जीवविषाकी है । चार आयु भव-
विषाकी है । पाँच शरीर, छह संस्थान, तीन आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, पाँच
वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस, आठ स्पर्श, अगुशलबू, उपधात, परधात, आतप,
उच्चोत, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर शुभ, अशुभ और निर्माण ये
पुद्गलविषाकी प्रकृतियाँ हैं । चार आनुपूर्वी लेतविषाकी प्रकृतियाँ हैं ।
शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मतिशानावरणके समान है ।

—महाबन्ध, अनुभागप्रकृष्टणा प्र० पु० पु० १८६

गोत्रमध्याणमिह जिवडं ॥७॥

गोत्रकर्म आत्मामें निरद है । अर्थात् गोत्रकर्मका विषाक जीवमें होता
है ॥७॥

—निबन्धन अनुयोगद्वारा

उत्त्वैर्नीचैश्च ॥८-१२॥

गांव उच्च और नीचके भेदसे दो प्रकारका है ॥८-१२॥

—तत्त्वार्थसूत्र

सम्यग्दर्शनशुद्धा नारकतिर्यङ्ग्नपुंसकर्णात्वानि ।

दुष्कृलविकृतस्पायुर्दिवितां च ब्रह्मन्त नाप्यविकाः ॥३५॥

उत्त्वैर्गोत्रं प्रणसेभोगो दानादुपासनात्पूजा ।

भक्तेः सुन्दररूपं स्तवनाल्कोर्तिस्तपेनिषिषु ॥३५॥

सम्यग्दर्शनसे पवित्र अब्रती जीव भी मरकर न तो नारकी, तिर्यङ्ग, नपुंसक और स्त्री होते हैं, न दुष्कृलमें जाते हैं और न विकलाङ्ग, अल्प आयुवाले और दरिद्र होते हैं ॥३५॥ साधुओंको नमस्कार करनेसे उच्च-गांवकी प्राप्ति होती है, दान देनेसे भोग मिलते हैं, उपासना करनेसे पूजा होती है, भक्ति करनेसे सुन्दर रूप मिलता है और स्तुति करनेसे कोर्ति फैलती है ॥११५॥

—तत्त्वकरण

गाय द्विविष्म—उत्त्वैर्गोत्रं नीचैर्गोत्रमिति । यस्योदयालं कूजिनेषु कुलेषु जन्म नदुच्चैर्गोत्रम् । यदुदयाद् गहिनेषु कुलेषु जन्म तर्काचैर्गोत्रम् ।

गोत्र दो प्रकारका है—उच्चगोत्र आर नीचगोत्र । जिसके उदयसे लोकपूजित कुलोंमें जन्म होता है वह उच्चगोत्र है और जिसके उदयसे गर्हित कुलोंमें जन्म होता है वह नीचगोत्र है ।

—त० म०, अ० द, सूत्र १२ टीका मर्वार्थसिद्धि

भनार्थमाचरन् किञ्चिज्जायते नीचनोरः ।

कुछ भी अर्गाय आचरण करनेवाला व्यक्ति नीच हो जाता है ।

—पश्चपुराण

गूयते शब्दाते गोप्रमुखैर्नीचैश्च यत्नतः ॥५८-२१॥

गोत्रमुखवैष्ण नीचैष तत्र यस्योदयाकुले ।

पूजते जन्म तदुच्चैर्नीचैर्नीचकुलेषु तत् ॥५८-२७॥

जो कहा जाता है उसे गोत्र कहते हैं। उसके उच्चगोत्र और नीचगोत्र ये दो भेद हैं ॥५८-२७॥

जिसके उदयसे उच्च और नीच कुलमें जन्म होता है उसे कपमसे उच्चगोत्र और नीचगोत्र कहते हैं ॥ ५८-२०६॥

—हरिवशपुराण

उच्चैष उच्च तह उच्चार्णीच नीचैष नीच नीचं च ।

जस्तोऽन्येण भावो नीचुच्चविविज्ञदो तस्य ॥

जिस गोत्रकर्मके उट्टयसे जीव उच्चोच्च, उच्च, उच्चनीच, नीचोच्च, नीच और नीचनीच भावको प्राप्त होता है उस गोत्रकर्मके उट्टयसे वह उन भावोंसे रहित होता है।

—उद्घृत धबला

कुदो ? उच्चार्णीचगोदाण जीवपञ्चायत्तणेग दसणादो ।

शका—गोत्रकर्म आत्मामें निवद क्या है ?

समाधान—क्योंकि उच्चगोत्र और नीचगोत्र ये जीवकी पर्याय रूपसे देखे जाते हैं।

--निवन्ध अनुयोगद्वार, सूत्र ७, धबला

जस्त कम्मस्त उट्टण उच्चगोद होदि तमुच्चागोद । गोत्रं कुलं वंशः सन्तानमित्येकोऽथः । जस्त कम्मस्त उट्टण जीवाण जीवागोदं होदि त नीचागोदं जाम ।

जिस कर्मके उदयसे उच्चगोत्र होता है वह उच्चगोत्र है। गोत्र, कुल, वंश और सन्तान ये एकार्थवाची शब्द हैं। जिस कर्मके उदयसे जीवोंके नीचगोत्र होता है वह नीचगोत्र है।

—जीवस्थान प्रथम चूलिका १३७ सूत्र धबला

उच्चनोंके गमयतीति गोत्रम् ।

जो उच्च और नीचका जान करता है वह गोत्र है ।

—वर्णान्वण्ड, प्रकृति अनुयोगद्वार, १३४ सूत्र, घबला

उच्चैर्गोत्रस्य क्षयापारः ? न तावद राज्यादिलक्षणायां सम्पदि, तस्याः मद्देवतः समुपत्तेः । नापि पञ्चमदावतग्रहणयोग्यता उच्चैर्गोत्रेण क्रियते, देवेष्वभव्येषु च तद्ग्रहणं प्रयत्ययामयेषु उच्चैर्गोत्रस्य उदायाभाव-प्रसङ्गात् । न सम्यग्जानोपत्तां व्यापारः, ज्ञानादरणक्षणापशममहाय-सम्बन्दर्दनतस्तदुपत्तेः । तिर्यक-नारकेष्वपि उच्चैर्गोत्रस्योदयः स्यात्, तथा सम्यग्जानस्य सर्वतात् । नादेयम् यशसि सांभाग्ये वा व्यापारः, तेषां नामतः समुपत्तेः । नेचाकुकुलायुपत्तां, काल्पनिकानां तेषा परमार्थ-तोऽसत्त्वात् विद्याद्याह्नासामुख्यपि उच्चैर्गोत्रस्योदयदर्शनात् । न स्यग्नेभ्यो जीवोत्पत्ती सद्व्यापारः, म्लेच्छाराजमसुपक्षपृथुकम्यापि उच्चैर्गोत्रोदयप्रमङ्गात् । नाणुविनिभ्यः समुपत्तो सद्व्यापारः, देवेष्वापपादिःपु उच्चैर्गोत्रोदयस्यासत्त्वदसङ्गात् नाभेयम् नाचैर्गोत्रतापत्तेष्वः । तसो निष्कलमुच्चैर्गोत्रम् । तत् पूर्व न तस्य कर्मत्वमपि । तद्भावे न नाचैर्गोत्रमपि, द्वयोरन्योन्याविनाभाविन्वान् । तनो गोत्रकर्मभाव इति ? न, जिनवचनस्यासत्त्वविरोधात् । नांदुरायोऽपि तत्र तत्कारणाभिवतोऽव-गम्यते । न च केवलज्ञानविषयांकृतेष्वर्थेषु मकलेष्वपि रजोजुषां ज्ञानानि प्रवर्त्तन्ते येनातुपलम्भाजिज्ञनवचनस्याप्रमाणत्वमुच्येत् । न च निष्कल गोत्रम्, दीक्षायोग्यमाभ्वाचाराणां साखाचारैः कृतसम्बन्धानां आर्यप्रत्यया-मिथानन्यवहारनिवन्धनानां पुरुषाणां मन्त्रानां उच्चैर्गोत्रम् । तत्रोत्पत्ति-हेतुकर्मात्मुच्चैर्गोत्रम् । न चात्र पूर्वोक्तदोषाः सम्भवन्ति, विरोधात् । तद्विपरीतं नाचैर्गोत्रम् । पूर्वं गोत्रस्य हूँ एव प्रकृती भवतः ।

—प्रकृति अनुयोगद्वार, सूत्र १३५, घबला

शंका—उच्चगोत्रका व्यापार कहाँ होता है ? राज्यादिरूप सम्पदाकी प्राप्तिमें तो उसका व्यापार होता नहीं है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति साता-

वेदनीयके निमित्से होता है। पौच महाब्रतोंके ग्रहण करनेकी योग्यता भी उच्चगोत्रके द्वारा नहीं की जाती है, क्योंकि ऐसा माननेपर जो देव और अभव्य जीव पौच महाब्रतोंको धारण नहीं कर सकते हैं उनमें उच्चगोत्रके उदयका अभाव प्राप्त होता है। सम्प्रग्नानकी उत्पत्तिमें उसका व्यापार होता है यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसको उत्पत्ति शानावरण कर्मके ल्योपशम मापेकृ सम्पददर्शनसे होती है। तथा ऐसा माननेपर तिर्यङ्गों और नारकियोंमें भी उच्चगोत्रका उदय प्राप्त होता है, क्योंकि उनके सम्प्रग्नान होता है। आदेयता, यश और सौभाग्यके होनेमें इसका व्यापार होता है यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति नामकर्मके निमित्से होती है। इच्छाकु कुल आदिकी उत्पत्तिमें भी इसका व्यापार नहीं होता, क्योंकि वे काल्पनिक हैं, परमार्थसे उनका सन्दर्भ ही नहीं पाया जाता। तथा इन कुलोंके अतिरिक्त वैश्य, ब्राह्मण और साधुओंमें भी उच्चगोत्रका उदय देखा जाता है। सम्प्रज्ञ जनोंसे जीवोंकी उत्पत्तिमें इसका व्यापार होता है यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह तो म्लेच्छराजसे उत्पन्न हुए बालकके भी उच्चगोत्रका उदय प्राप्त होता है। अणुब्रतियोंसे जीवोंकी उत्पत्तिमें उच्चगोत्रका व्यापार होता है यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर औपपादिक देवोंमें उच्चगोत्रके उदयका अभाव प्राप्त होता है तथा नाभेय नीचगोत्री ठहरते हैं। इसलिए उच्चगोत्र निष्पत्त है और इसीलिए उसमें कर्मपना भी नहीं है। उसका अभाव होनेपर नीचगोत्र भी नहीं रहता, क्योंकि दोनोंका परस्पर अविनाभाव है, इसलिए गोत्रकर्मका अभाव होता है।

समाधान—नहीं; क्योंकि जिनवचनके असत्य होनेमें विरोध आता है। यह भी वहाँ असत्य वचनके कारणोंके नहीं होनेसे जाना जाता है। तथा केवलशानके द्वारा विषय किये गये सभी अर्थोंमें छापस्थोंके जान प्रबृत्त भी नहीं होने हैं। यदि छापस्थोंको कुछ अर्थ उपलब्ध नहीं होते हैं तो इतने मात्रसे जिनवचनको अप्रमाण नहीं कहा जा सकता है। गोत्रकर्म

निष्पल है यह चान भी नहीं है, क्योंकि जिनका दीदा योग्य साधु आचार है, साधु आचारवालाके माथ जिन्होंने सम्बन्ध स्थापित किया है तथा जो 'आर्य' इस प्रकारके जान, यज्ञन आग व्यवहारके निमित्त है उन पुरुषोंकी परम्परा उच्चगोत्र कहलाती है। उनमें उत्पत्तिका कारणभूत कर्म भी उच्च-गोत्र है। इन लक्षणमें पृथंक दोष भी सम्भव नहीं हैं, क्योंकि उन दोषों का इस लक्षणके माथ विरोध है। तथा उससे विपरीत कर्म नीचगोत्र है। इस प्रकार गोत्रकर्मकी दो ही प्रकृतियाँ हैं।

—प्रकृति अनुयोगद्वार सूत्र १३६, धबला

ज गोदं जीवगुणविणामयं, तस्स णाचुच्चकुलसमुप्पादवर्गमिम
वावारादो ।

गोत्रकर्म जीवगुणका विनाश करनेवाला नहीं है, क्योंकि उसका नीच ओर उच्च कुलके उत्पन्न करनेमें व्यापार होता है।

—क्षुल्लकवन्ध, स्वामित्व सूत्र १५, धबला

निरक्षेतु णाचागोदस्म चेत उदारणा होदि ति मव्वन्ध परुविदं ।
पाथ पुण उच्चागोदस्म चि परूणा परुविदा तेण पुष्वावरविरोहो
ति भजिदे ण, तिरिक्षेतु भंजमामजमं परिवालयतेषु उच्चागोदत्तुवलंभादो ।
उच्चागोदे देस-सवलणिवंधने सते मिच्छाइहोसु तदभावो ति जासक-
णिजं, तथा चि उच्चागोदत्तणिदमज्जोगत्तावेष्वाए उच्चागोदत्तं पदि
विरोहाभावादो ।

शंका—तिर्यङ्गोंमें सर्वत्र नीचगोत्रकी ही उटीरणा होती है ऐसा सर्वत्र कथन किया है। परन्तु यहाँ उनमें उच्चगोत्रकी ही उटीरणा कही है इसलिए पूर्वोपर विरोध आता है।

समाधान—नहीं, क्योंकि संयमासयमका पालन करनेवाले तिर्यङ्गोंमें उच्चगोत्र भी पाया जाता है।

शंका—उच्चगोत्र देशसंयम और सकलसंयमके कारणसे होता है, इसलिए मिथ्यादृष्टियोंमें उसका अभाव प्राप्त होता है।

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी उच्चगोत्रके निमित्से उत्तर तुर्दृ संयमकी योग्यताको अपेक्षा उच्चगोत्र होनेमें कोई विरोध नहीं है ।

—उदीरणा अनु० धबला

उच्चवादादा॒कुस्सास-अप्पसत्थ विहायगद्द-नम-थावर-बादर-सुहुम-
साहारण-पउज्जत्तापउज्जत्त- दुभग-दुस्मर-अणादेउज-अजसकिति - जीचा
गोदाणमुदीरणा पृथंतभवपच्छहप्रा ।

उपशात, आतप, उच्छ्वास, अपशस्त्रविहायोगति, त्रस, स्थावर, बादर,
सूहम, साधारण, पर्यास, अपर्यास, दुर्भग, दुस्मर, अनादेय, अयशःकीति
आंग नीचगोत्रकी उदीरणा एकान्तसे भवके निमित्से होती है ।

—उपक्रम अनुयोगद्वार, धबला टांका, पु० १५ ष० १०३

सुभग-आदेउज-जसगिति-उच्चागोदाणमुदीरणा गुणविवल्लोसु परि-
णामपवहया । अगुणविवल्लोसु भवपवहया । को पुण गुणो ? संज्ञमो
मज्जमामंज्ञमो वा ।

सुभग, आदेय, यशःकीति आंग उच्चगोत्र इनकी उदीरणा गुणप्रति-
पन्न जीवोंमें परिणामोके निमित्से होती है औंर अगुणप्रतिपन्न जीवोंमें
भवके निमित्से होती है । गुण पटसे यहाँ पर क्या लिया गया है ? गुण-
पटसे यहाँ पर संयम आंग संयमास्यम ये दो लिए गये हैं । तात्पर्य यह है
कि संयमासंयम औंर सयम गुणस्थानोंके प्राप्त होनेपर नीचगोत्री भी उच्च-
गोत्री हो जाते हैं । औंग जो पिण्डित पर्यायमें इन गुणस्थानोंमें नहीं जाते
हैं उनके भवके प्रथम समयमें जो गोत्र होता है वही गहता है । यही जात
यहाँ कहे गये अन्य कर्मोंके विषयमें जाननी चाहिए ।

—उपक्रम अनुयोगद्वार, धबला टांका, पु० १५ ष० १०३

उच्चागोदस्स मिष्ठाहट्टुप्पहुडि जाव सज्जोगिकेवलिच्चहिमसमझो चि
उदीरणा । जवरि मणुस्मो वा मणुस्सिणो वा सिथा उदीरेदि । देखो देवी

वा संज्ञदो वा जियमा उदीरेति । सज्जासंज्ञदो मिया उदीरेदि । जीचागोदस्म मिच्छाहृष्टपहुँडि जाव संज्ञासज्जनस्स उदीरणा । एवहि देवेसु गतिश उदीरणा । तिरिक्ष्य-ज्ञेरहएसु जियमा उदीरणा । मणुसेसु सिया उदीरणा ।

उन्नयोगकी भिष्यादिति गुणस्थानने लेकर सदोगिरेवली गुणस्थान तक उदीरणा होती है । इतनो विशेषता है कि मनुष्य और भनुपिण्डी स्थान् उदीरणा करते हैं । देव, देवी आग सप्त नियममे उदीरणा करते हैं । मन्मान्यत स्थान् उदीरणा करता है । नीचगोत्रकी भिष्यादिति गुणस्थानसे लक्ष्य या साम्यत गुणस्थान तक उदीरणा होती है । इतनो विशेषता है कि वास्तवे इनसी उदीरणा नहीं है । निर्यज और नारकियोंमे नियममे उदीरणा है । मनुष्योंमे स्थान् उदीरणा है ।

—उपकम अनुयोगद्वार धबला टीका पु० १५ प० ६१

उच्चा-जीचागोदाण जहाणेण एगसमझो, उच्चस्येण जीचागोदस्म मागरोवमसदपुधत, उच्चागोदस्म उदीरणतरमुक्तस्येण असखेऽत्रा पामालपरिवहा ।

उच्चगोत्र और नीचगोत्रका अधन्य उदीरणा अन्तर एक समय है और नीचगोत्रका उत्कृष्ट उदीरणा अन्तर सौ सागर पृथक्त्वप्रमाण है और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट उदीरणा अन्तर असख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है ।

—उपकम अनुयोगद्वार, धबला टीका, पु० १५ प० ६१

जीचागोदस्म जह० एगसमझो, उच्चागोदाणे जीचागोदं गनूण तत्य एगसमयमच्छ्य विद्यसमए उच्चागोदे उदयमागदे एगसमझो लदभदे । उह० असखेऽत्रा पोमालपरिवहा । उच्चागोदस्म जह० एगसमझो, उच्च-सर्वां वित्तिय एगसमण्ड मुदस्स तदुवलंभादो । पूर्वं जीचागोदस्म वि । उह० सागरोवमसदपुधत ।

नोचगोत्रका जपन्य काल एक समय है, क्योंकि उच्चगोत्रसे नोचगोत्र को प्राप्त होकर और वहाँ एक समय रहकर दूसरे समयमें उच्चगोत्रके उदयमें आ जानेपर एक समय काल उपलब्ध होता है। तथा उत्कृष्ट काल अमरुद्यात पुढ़गल परिवर्तन प्रमाण है। उच्चगोत्रका जपन्य काल एक समय है, क्योंकि उत्तर शारीरकी विक्रिया कर एक समय रहकर मरे हुए जीवके उच्चगोत्रका एक समय काल उपलब्ध होता है। इसी प्रकार नीच-गोत्रका भी एक समय काल उपलब्ध होता है। उच्चगोत्रका उत्कृष्ट काल सांसार पृथक्षत्व प्रमाण है।

--उपक्रम अनुयोगद्वार; ध्वला टीका, पु० १५ प० ६०
गोत्रार्थं जन्मुजातस्य कर्म दत्ते स्वकं कलम् ।

शस्त्राशम्भेषु गोत्रेषु जन्म निष्पाद्य सर्वथा ॥३४-२४॥

गोत्रकर्म जीवांकों प्रशस्त और अप्रशस्त गोत्रांमें उत्पन्न करा कर मर्य प्रकारसे अपना फल देता है ॥३४-२४॥

—ज्ञानार्णव

आपा गुरु ण वि सिस्तु ण वि सामिदि ण वि भिस्तु ।

सूरुड कायरु होइ ण वि ण उत्तमु ण वि णिस्तु ॥८६॥

आत्मा न तो गुरु है, न शिष्य है, न स्वामी है, न भूत्य है, न मूर है, न कायर है, न उत्तम है और न नीच है ॥८६॥

—परमात्मप्रकाश

संताणकमेण।गयजीवायरणस्स गोदमिदि सणा ।

उत्तरं गं । वरणे उत्तरं गोच हवे गोद ॥१३॥

खाहयम्भमो देसो णर पूर जदो तहि ण तिरियाड ।

उज्जोवं तिरियगदो तेसि अयदमिह बोध्येदो ॥२२॥

जीवके मन्तान क्रमसे आये हुए आचरणकी गोत्र संज्ञा है। उच्च-आचरण हो तो उच्चगोत्र और नीच आचरण हो तो नीच गोत्र होता

॥१३॥

यतः ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि देशसंयत मनुष्य ही होता है, इसलिए इसके देशसंयत गुणस्थानमें तिर्यक्षायु, उच्योत और तिर्यक्षगति इन तीन प्रकृतियोंका उदय नहीं होता। अतएव इनकी आरांयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें ही उदय व्युत्पन्न हो जाती है ॥३२६॥

—गो० क०

नैवोत्तमः उत्तमकुलप्रसूतः नैव नीचो नीचकुलप्रसूत इति ॥८६॥

आत्मा न तो उत्तम अर्थात् उत्तम कुलप्रसूत है और न नीच अर्थात् नीच कुलप्रसूत है ॥८६॥

—परमात्मप्रकाश टीका

सत्ताणकमेण आगतजीवाचरणस्य गोत्रभिति संज्ञा भवति । तत्र उच्चाचरण उच्चैर्गोत्रं नीचाचरणं नीचैर्गोत्रम् ।

अनुक्रम परिपाठीतैँ चल्या आया जो आचरण ताकी गोत्र ऐसी संज्ञा कहिए मो जहाँ ऊचा उच्छृणु आचरण होइ उच्चगोत्र है । जहाँ नीचा निकृष्ट आचरण होइ सो नीचगोत्र है ।

—गो० क० गा० १५, जी० प्र० टी०

ज्ञायिकसम्यग्दृष्टिर्देशसंयतो मनुष्य एव । ततः कारणात्तत्र तिर्यग्यायु-स्थोतस्तिर्यग्नातिश्रेति त्रिष्युदये न सन्ति । तेन तद्यथस्य तत्सप्तदशभिः सहासंयतगुणस्थाने एव व्युत्पन्नितिः २० । देशसंयते तद्याभावात् तृतीय-कथाया नीचैर्गोत्रं चेति पञ्चैव ५ । प्रमत्ते स्वस्य पञ्च ५ अप्रमत्ते सम्बक्त्य-प्रकृतेः चपितस्वाद्यम् । अपूर्वकरणादिषु 'कुकुक्षयेव इगिदुगसोलस तीसं वारस' एवं सत्यसंयते आहारकद्विकं तीर्थं चानुदयः । उदयस्युत्तरशतम् १०३ । देशसंयते विंशति संयोजयानुदयक्षबोविंशतिः २३, उदयस्यशीतिः ८३ । प्रमत्ते पञ्च संयोजयाहारकद्विकोदयादनुदयः पञ्चविंशतिः २६, उदयोऽशीतिः । अप्रमत्ते पञ्च संयोजयानुदय एकविंशति ३१, उदयः पञ्चसप्ततिः ७५ । अपूर्वकरणे तिक्षः संयोजयानुदयक्षतुष्णितः, उदयोऽद्वासप्ततिः ।

अनिवृत्तिकरणे पट् स्योऽयानुदयक वारिशन् ४०, उदयः पट्पष्टि ६६।
मृक्षमस्याभ्यराये पट् स्योऽयानुदयः पट्प्रवारिशन् ४६, उदयः पष्टि ।
उपशान्तकराये पको स्योऽयानुदयः स्पसच्चवारिशन् ४७, उदयः
एकाक्षरपूर्व ५६ । चौणकराये द्वे स्योऽयानुदय एकाक्षरपञ्चाशन् ५६ ।
उदयः सप्तश्चाशन् ५७ । स्योऽने पोडश स्योऽय तोथोऽद्यानुदय-
चतुःषष्टि, उदयो द्वाच्चवारिशन् । अयागे विशनं स्योऽयानुदयश्चनुर्णवितः
६४, उदयो द्वादश १२ ।

ज्ञायिकमग्नपद्धति देशसयत गुणस्थानवतो मनुष्य ही होइ निर्भन न
होइ ताँत लियन्वायु ? उयों १ लियन्वगति १ इन तीनका उदयपवभ
गुणस्थानविव नाही । इनकी व्युच्छ्रुति चावे ही भई याँत अमयतविव
व्युच्छ्रुति गुणस्थानवत् मत्रह श्रर लियन्वायु उयोंत लियन्वगति तीन ए
ऐसे वीम व्युच्छ्रुति है बहुरि देशसयतविव ते तीन नाही ताँत ग्रत्याक्षयान
कपाय च्यारि ४ नोचगोत्र १ ऐसे पौच व्युच्छ्रुति है । प्रमत्तविव गुण-
स्थानवत् पौच, अप्रमत्तविव सम्यकत्व मोहनी नाही ताँत तीन, चूर्णि
आपूर्वकरणाटिक विव गुणस्थानवत् छुह छुह एक दोय सोलह तीम चामह
व्युच्छ्रुति जाननी ऐसे होतै आसंयतविव आहारकद्विक तीर्थकर ए अनुदय
तीन उदय एकसो तीन बहुरि व्युच्छ्रुति चीम ताँत देशसयतविव अनुदय
तोड्स उदय नियासी बहुरि व्युच्छ्रुति पौचका अनुदय आहारकद्विकका
उदय ताँत प्रमत्तविव अनुदय छुव्वीम उदय आसी बहुरि अप्रमत्ताटिक विव
नीचली व्युच्छ्रुति भिलाण अनुदय अनुकमतै इकतीम चातोस चालीम
छियालंन सतालीम गुणचास जानना । बहुरि व्युच्छ्रुति सोलह तीर्थकरका
उदय ताँत सगागा विव अनुदय चोमठि बहुरि व्युच्छ्रुति तीस ताँत अयोगी
विव अनुदय चांगणव बहुरि अप्रमत्ताटिक विव उदय अनुकमतै विचहतरि
बहूरि छुयासठि साठि गुणसठि सत्तावन वियालीस चारह जानना ।

कुल मीमांसा

समर्णं गर्जि गुणदृ^१ कुलरूपवयोविसिट्ठमिट्ठदरं ।

समर्णो हि तं पि पणदो पटिक्षुम चेदि अणुगाहिदो ॥२०३॥

बो गुणोंसे आव्य है, कुल, रूप और वयसे विशिष्ट हैं तथा अमणों-के लिए अत्यन्त इष्ट हैं ऐसे गणुको प्रात होकर और नमरकार कर मुझे अङ्गाकार करो ऐमा शिष्यके द्वाग कहनेपर आचार्य अनुग्रहीत करते हैं ।

—प्रवचनसार

जादी कुलं च सिन्धं तत्रकम्मं ईमरत्त आजीवं ।

तेहि पुण उप्पादो आजीव दोसो हवदि एमो ॥३१॥

जाति, कुछ, शिल्प, तपःकर्म और ईश्वरणना इनकी आजीव संश्ल है । इनके आध्ययसे आहार प्राप्त करना आजीव नामका दोष है ।

—मूलाचार पिण्डशुद्धि अधिकार

आचार्योपाध्यायतपस्त्विशौक्षम्यानगणकुलसंघसाधुभनोऽहानाम् ॥६-४६॥

आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोऽश इनका वैयाकृत्यके दस भेद हैं ॥६-२४॥

—उत्त्वाध्यसूत्र

महाकुला महाधर्म मानवतिलका भवन्ति दर्शनपूताः ।

सम्यग्दर्शनसे पवित्र हुए पुरुष महाकुलवाले और महापुरुषार्थवाले मानवतिलक होते हैं ।

—रत्नकरण

दीक्षकाचार्यशिष्यसंस्वापः कुलम् ।

दीक्षकाचार्य के शिष्य समुदायको कुल कहते हैं ।

—त० स०, अ० ३ स० २३ सर्वार्थसिद्धि

जगत्यस्मिन्महावंशाश्रम्बारः प्रथिना नूप ।
 एषां रहस्यमयुक्ताः प्रभेदा बहुचोदिताः ॥५१॥
 इन्द्रियाकुः प्रथमस्तेषामुच्छला लोकभूपणः ।
 ऋषिवशो द्विनावस्तु शशांककरनिर्मलः ॥५-२॥
 विद्याभृतां नृतीयमनु वंशोऽस्यनन्तमनोहरः ।
 हरिवंशो जगत्यातश्चनुर्थः परिकार्तितः ५-३॥
 अथमादिग्यवंशस्ते प्रथितः क्रमनो नूप ।
 उत्पत्तिः सोमवशस्य मात्रतं परिकार्त्यते ॥५-११॥
 एष ते सोमवशोऽपि कथितः पृथिवीपते ।
 वैद्याधरमत वंश कथितामि समाप्ततः ॥५-१५॥
 एव वैद्याधरोऽय ते राजन् वशः प्रकार्तनः ।
 अवतारो द्वितीयस्य युगम्यातः प्रचक्षयने ॥५-५६॥
 रक्षन्ति रक्षयां द्वापु पुण्येन परिहिताः ।
 राजसानामतो द्वापु प्रभिद्वि तनुपागनम् ॥५-३८॥
 एष राजसवंशस्य समझवः परिकार्तितः
 वंशप्रथानपुरुषान्कार्तिविष्याम्यतः परम् ॥५-३८॥

हे राजन् ! इस लोकमें चार महावश प्रभिद्वि हूए हैं । रहस्ययुक्त इनके अनेक भेद-प्रभेद कंगये हैं ॥१॥ उनमेंसे लोकमें भूपणरूप सर्वश्रेष्ठ पहला इन्द्रियाकुवश है । चन्द्रधार्का किरणके समान निर्मल दूसरा ऋषिवंश है ॥२॥ अत्यन्त मनोहर तीसरा विद्याधर वश है । आंर चांधा जगत्यसिद्ध हरिवश कहा गया है ॥३॥*** हे राजन् क्रमसे यह आदित्यवंश कहा है । अब सोमवंशकी उत्पत्तिका कथन करते हैं ॥१०॥*** हे पृथिवीपते ! यह सोमवंश कहा । अब सच्चेष्टमे विद्याधरवशका कथन करते हैं ॥१४॥ ***इस प्रकार हे राजन् ! यह विद्याधरवश कहा । अब दूसरे युगका कथन करते हैं ॥५६॥****पुण्यसे रक्षित होकर राज्ञोंके दीपकी रक्षा करते हैं, इसलिए इस दीपका नाम राज्ञसदीप प्रसिद्धिको प्राप्त

हुआ ॥२८॥ यह राज्ञसंशक्ति की उत्पत्ति कही। अब इस वंशमें उत्पन्न हुए प्रधान पुरुषोंका कथन करते हैं ॥५-८७॥

—पञ्चरित

कुक्कानामिति सर्वेषां आवकाणां कुलं स्तुतम् ।
आचारेण हि तत्पूतं सुगत्यज्जनतपत्रम् ॥२०-१४०॥

तथा वानरचिन्हेन क्षत्रादिविनिवेशिना ।
विद्याधरा गता क्षयाति वानरा इति विष्टपे ॥६-२१५॥

सब कुलोंमें आवकोंका कुल स्तुत्य होता है, क्योंकि वह अपने आचार के कारण पवित्र है और सुगतिका कारण है ॥२०-१४०॥

उसी प्रकार क्षत्रादिमें अङ्गिन वानरचिह्नके कारण विद्याधर लोक वानर इस क्षयातिको प्राप्त हुआ ॥६-२१५॥

—पञ्चरित

गङ्गासिन्धुमहानशोर्मध्ये दक्षिणभारते ।
चतुर्दश यथोत्पत्ताः क्रमेण कुलकारिणः ॥७-१२४॥

आदित्यवंशसंभूताः क्रमेण पृथुकीतंयः ।

सुते न्यस्तभराः प्राप्तस्तपत्पसा परिनिर्वृत्तिम् ॥१३-१२॥

योऽसौ बाहुबली तस्माज्ञातः सोमवशाः सुतः ।

सोमवंशस्य कर्त्तांसौ तस्य सूनुर्महाबलः ॥१३-१३॥

इष्वाकुः प्रथमप्रधानसुनुदगादादित्यवंशस्ततः ।

तस्मादेव च सोमवंश इति यस्त्वम्ये कुरुग्रादयः ॥

पश्चात् श्रीकृष्णमादभूतविगणः श्रीवंश उत्त्वैस्तराम् ।

इत्यं ते नृपत्तेचरान्वयसुता वंशास्तवोक्ता मया ॥१३-३३॥

हरिर्वं प्रनवः प्रथमोऽमवत्सुवशासो हरिवंशकुलोद्गतेः ।

अवत्ति चल्ल मुनामवरिग्रहाकरति भो हरिवंश इति श्रुतिः ॥१५-५८॥

उदिष्याय बहुस्तत्र हरिवंशोदयात्मे ।

पादवद्यभवो न्यायी भूमी भूपविभाकरः ॥१८-६॥

गण्याद कुरुताजावमनवाये महोदये ।

शान्तिकुन्भवनामानो यत्र सीर्थकरास्यः ॥४५-४॥

भार्गवाचार्यवंशोऽपि शून्य श्रेणिक ! वर्ष्यते ।

द्रोणाचार्यस्य विष्वासा शिष्याचार्यपरमपा ॥४६-४७॥

गङ्गा और सिन्धु नदीके मध्य दक्षिण भारतवर्षमें कमसे चौदह कुल-
कर उत्पन्न हुए ॥७-१२॥

भरतके पुत्र आदित्यवंशमें उत्पन्न हुए । ये सब विस्तृत कीर्तिको प्राप्त
कर और अपने अपने पुत्रपर राज्यका भार सोपकर तप करके मोक्षको प्राप्त
हुए ॥१३-१२॥

भृहुबलिका सोमवंश पुत्र हुआ । उसने सोमवंश चलाया । उसका
पुत्र महाबल हुआ ॥१३-१६॥

पहले प्रधान इच्छाकुवंश उत्पन्न हुआ । पुनः उससे आदित्यवंश
निकला और उससे सोमवंश तथा अन्य कुरुवंश और उग्रवंश आदि
निकले । अनन्तर श्री ऋषभदेवके निमित्तसे ही ऋषिगणोंका श्रीवंश चला ।
इस प्रकार मैंने (गौतमगणघरने) तुम्हें (श्रेणिक राजाके लिए) राजाओं
और विद्याधरोंके वंश कहे ॥१३-१३॥

यह हरि राजा हरिवंश कुलकी उत्पत्तिमें तथा उत्तम यश फैलानेमें
प्रथम कागण हुआ । जगतमें जिसके सुनाः को लेकर हरिवंश यह श्रुति
फैली ॥१५-५८॥

उस हरिवंश रूपी उदयाचलपर यदु उदित हुए । उस यदु राजारूपी
सूर्यने पृथिवीपर यादववंश फैलाया ॥१८-६॥

गणीने कहा ये पाण्डव विपुल वैभवशाली उस कुरुवंशमें हुए हैं
जिसमें शान्ति, कुन्धु और श्रर ये तीन तीर्थकुर उत्पन्न हुए ॥४५-५॥

हे श्रेणिक ! मैं भार्गव आचार्यके वशका कथन करता हूँ, सुनो ।
जो द्रोणाचार्य शिष्य आचार्योंकी परम्परा प्रसिद्ध है उसे भार्गववंश
कहते हैं ॥४५-४६॥

—हरिवंशपुराण

देसकुलजाहसुदो सोमंगो संगभंग उम्मुक्को ।

गयण रवि जिश्वलेबो आहरिया एरिसा होइ ॥

जो देश, कुल और जातिसे शुद्ध है, सीम्यमूर्ति है, अन्तरंग और बहिरंग परिग्रहसे रहित है और आकाशके समान निर्लेप है ऐसा आचार्य परमेष्ठी होता है ।

—धबला प्र० पुस्तक पृ० ४६ उद्घाट

बाहसविहं पुराणं जगदिट्ठं जिणवेरहिं सव्वेहिं ।

त सञ्च वर्णोदि दु जिणवसे रायवंसे य ॥

पढ़मो अरहंताण विदियो पुण चक्रवटिवसो हु ।

त्रिजाहराण तदियो चट्टथयो वासुदेवाण ॥

चारणवसो तह पञ्चमो दु कृट्ठो य पण्णसमणार्य ।

सत्तमओ कुरुवंसो अट्ठमओ तह य हरिवंसो ॥

णवमो य इकलयोण दसमो वि य कासियाण बोद्धवो ।

वाईष्णवकारसमो जारहमो णाहवसो दु ॥

जिनेन्द्रदेवने जगतमें बारह प्रकारके पुराणोंका उपदेश दिया है । वे सब पुराण जिनवंशों और राजवंशोंका वर्णन करते हैं । पहला अरिहतों-का, दूसरा चक्रवर्तियोंका, तीसरा विद्याधरोंका, चौथा वासुदेवोंका, पाँचवाँ चारणोंका और छठा प्रशान्तमणोंका वंश है । इसी प्रकार सातवाँ कुरुवरा, आठवाँ हरिवंश, नौवाँ इच्छाकुवश, दसवाँ काश्यपवंश, ग्यारहवाँ वादियोंका वंश और बारहवाँ नाथवंश है ।

—धबला प्र० पु० पृ० ११२ उद्घाट

तत्थ कुल पञ्चविह-पञ्चयूहकुलं गुहावासीकुलं सालमूलकुलं असोग-वाडकुलं खण्डकेसरकुल ।

कुल पाँच प्रकारका है—पञ्चतूं प कुल, गुफावासी कुल, शालमूल कुल, अशोकवाट कुल और खण्डकेशर कुल ।

—कम अनुयोगहार सूत्र १५५ पु० १५ धबला

नेच्चाकुकुलायुत्पत्ती, काल्पनिकानां तेषां परमार्थोऽसत्त्वात् ।

इच्छाकुकुल आदिकी उत्पत्तिमें भी उच्चगोत्रका व्यापार नहीं होता, क्योंकि वे काल्पनिक हैं, परमार्थसे वे हैं ही नहीं ।

—प्रकृति अनुयोगद्वार सूत्र १३६ पु० १३ धबला

तस्येष्टमूर्हलिङ्गं च सुधौतसितशादकम् ।

आहृतानां कुलं पूर्णं विशालं चेति मूर्चने ॥३८-११॥

वर्णलाभोऽयमुद्दिष्टः कुलचर्याऽयुक्तोभ्यते ।

आर्यपूर्णकर्मवृत्तिः स्थात् कुलचर्यास्य पुष्कला ॥३८-७२॥

पितुरन्वयशुद्धिर्यां तत्कुलं परिभाष्यते ॥३८-८५

कुलावधिः कुलाचाररचनां स्थात् द्विजन्मनः ।

तस्मिन्सत्यसौ नष्टकियोऽन्यकुलतां भजेत् ॥४०-१८॥

अत्यन्त धुली हुई सफेद धोती उसको जाँधका चिह्न है । वह धोती सूचित करती है कि अरिहन्त कुल पवित्र और विशाल है ॥३८, १११॥

वर्णलाभ किया कही । अब कुलचर्यां किया कहते हैं—आर्यपुरुषो द्वारा करने योग्य छह कर्मोंसे आपनी आजीविका करना इसकी कुलचर्यां किया है ॥३८, ७२॥

पिताकी वंशशुद्धिको कुल कहते हैं ॥३८-८५॥

अपने कुलके आचारकी रक्षा करना द्विजोंकी कुलावधि किया कहलाती है । इसकी रक्षा न होने पर उसकी समस्त कियाएँ नष्ट हो जाती हैं और वह अन्य कुलको प्राप्त हो जाता है ॥४०-८१॥

—महापुराण

कुलं गुरुसन्ततिः ।

गुरुकी सन्ततिको कुल कहते हैं ।

—मूलाचार अ० ५ गा० ८६ ४४ टीका

कुलक्रमागतकीर्यादिदोषवर्जितस्वाच्च कुलविशिष्टम् ॥२०३॥

कुल क्रमसे आये हुए कूरता आदि दोषोंसे रहित होनेके कारण कुल विशिष्ट हैं ॥२०३॥

—प्रबचनसार टीका

इच्छाकुलाथमोजोग्रवंशास्तीर्थकृता कृताः ।

आदेन कुर्वता राज्यं चत्वारि प्रथिता भुवि ॥१८-६५॥

अर्ककीर्तिरभूपुत्रो भरतस्य रथाङ्गिनः ।

सोमो बाहुबलेस्ताभ्यां वंशौ सोमाकर्णसंजिनौ ॥१८-६६॥

राज्य करते हुए प्रथम तीर्थकूर ऋषभदेवने लोकमें प्रसिद्ध इच्छाकु-
वंश, नाथवंश, भोजवंश और उप्रवश इन चार वंशोंका निर्माण
किया ॥१८-६५॥

भरतचक्रवर्तीका अर्ककीर्ति नामका पुत्र हुआ और बाहुबलीका सोम
नामका पुत्र हुआ । इन दोनोंने चन्द्रवश और सूर्यवंश चलाये ॥१८-६६॥

—धर्मपरीक्षा

कि कुर्वन् पश्यन् मनसा|लोकयन् । कम् ? स्वम् । क ? उपरिप्रक्रम-
वशास्तस्यमौगम् । कथा जात्या च कुलेन च । कथम् मृषा तद्रूपेनापि
स्वहृतितया, जाति-कुलोः परमार्थतः शुद्धेनिंशतेनुभवास्यावात् । तदुक्तम्—
अनादाविह संसारे दुर्बारे मकरध्वजे ।

कुले च कामिनोमूले का जातिपरिकल्पना ॥

जाति और कुलकी मूर्दिका निश्चय करना अशक्य है । साथ ही ये
दोनों काल्पनिक हैं, इसलिए जो इनका आलम्यन लेकर स्वयंको अन्य
साधमां पुरुषोंसे बड़ा मानता है वह ... । कहा भो ह—

इस अनादि समारम्भ कामदेव दुर्निवार है और कुन न्नांके अधीन है,
इसलिए इसमें जानिके माननेका कोई अर्थ नहीं है ।

—अनगारधर्मामृत अ० ३ श्लो० ८८ टीका

जाता जैनकुले पुरा जिनहृषाभ्यासानुभावादगुणैः ।

ये इवक्षोपवतैः स्फुरन्ति सुकृतामप्रेक्षरा केऽपि ते ।

बेऽनुत्पत्तं कुष्ठकुले विधिवशार्हाङ्गोचिते स्वं गुणः ।

विद्याशिल्पविमुक्तवृत्तिनि पुनन्त्यन्वारते तेऽपि तान् ॥२-२०॥

विद्याशिल्पविमुक्तवृत्तिनि विद्याआज्ञावनार्थं गीतादिशास्त्र, शिल्पं कारुकर्मं ताभ्यां विमुक्ता ततोऽन्या वृत्तिर्वार्ता कृम्यादिलक्षणो ज्ञावनोपायो चत्र तस्मिन् ।

जो पहले जैनकुलमें उत्पन्न होकर जिनधर्मके अभ्यासके माहात्म्यसे बिना प्रथलनके प्राप्त हुए गुणोंसे पुण्यवान् पुरुषोंके अग्रसर हो कर स्फुरायमान होते हैं ऐसे पुरुष विरले हैं। किन्तु जो भाग्यवश विद्या और शिल्प कर्मसे रहित दीक्षा योग्य मिथ्यादृष्टि कुलमें उत्पन्न होकर भी अपने गुणोंसे प्रकाशमान होते हैं वे भी उनका अनुसरण करने हैं ॥२०॥

गीतादिसे आजीविका करना विद्या है और बदईगिरी आदिका कर्म शिल्प कहलाता है। इन दोनोंसे रहित जो अपनी आजीविका कृपि आदि कर्मसे करते हैं वे विद्या और शिल्पसे रहित आजीविका करनेवाले कहलाते हैं।

—सागारधर्मामृत

कुल पूर्वपुरुषपरम्पराप्रभवो वंशः ।

पृथ्वे पुरुष परम्पराते उत्पन्नं तु आ वंश कहलाता है ।

—सागारधर्मामृत टीका २-२०

क्षत्रियाणां सुगोत्राजि अथापियत वेषमा ।

चतुर्वरि चतुरेणैव राजस्थितिसुभिद्ये ॥२-१६३॥

सुवागिच्छाकुराधस्तु द्वितीय कौरवो मतः ।

हरिवशस्त्रृतायस्तु चतुर्थो नाथनामभाक् २-१६४॥

चतुर आदि व्रद्धाने राज्योंकी परम्पराको व्यवस्थितरूपसे चलानेके लिए क्षत्रियोंके उत्तम चार गोत्रोंका निर्माण किया ॥२-१६३॥ प्रथम इच्छाकु गोत्र, दूसरा कौरव गोत्र, तीसरा हरिवंश और चौथा नाथगोत्र ॥ २-१६४॥

—पाण्डवपुराण

हरिवर्षाद्वतीर्णो यद्भवतां पूर्वजः पुरा तस्मात् ।

हरिवर्ष हृति ख्यातो वंशो यावाष्यिभ्योर्वः १-२८॥

क्योंकि तुम्हारा पूर्वज पहले हरिवर्ष पर्से आया था, इसलिए तुम्हारा वंश इस स्रोकर्मे हरिवर्ष नामसे विख्यात हुआ ॥१-२८॥

—पुराणसारसंग्रह

जातिमीमांसा

ज्ञानं पूर्वो कुलं जाति बलमृदि तपो चपुः ।

भट्टाचार्यित्वं मावित्वं स्मयमाकुर्यात्समयाः ॥२५॥

समय अथर्वा मानसे रहित बिनदेवने ज्ञान, पूर्वा, कुल, जाति, बल, अद्विदि, तप और शरीर इन आठके आभ्यसे मान करनेको समय कहा है ॥२५॥

जातिदेहाभिता दृष्टा देह एव आत्मनो भवः ।

न मुच्यन्ते भवात्समाचे ये जातिकृताग्रहाः ॥८८॥

जाति-लिङ्गविकल्पेन येषां च समयाग्रहः ।

तेऽपि च प्राप्नुवन्त्येव परमं पदमात्मनः ॥८९॥

जाति देहके आभ्यसे देखी गई है और आत्माका संसार शरीर ही है, इसलिए जो जातिकृत आग्रहसे युक्त हैं, वे संसारसे मुक्त नहीं होते ॥८८॥ ब्राह्मणादि जाति और बटाधारण आदि लिंगके विकल्परूपसे बिनका धर्ममें आग्रह है वे भी आत्माके परम पदको नहीं ही प्राप्त होते ॥८९॥

—समाधितन्त्र

न ब्राह्मणाभन्दमरीचिशुभ्रा न चत्रियाः किञ्चुकपुच्यगीराः ।

न चेह वैद्या हरिताक्षतुल्याः शूद्रान चाक्षरसमानवर्णाः ॥ १-१४॥

पादप्रकारेस्तनुवर्णंकेशः सुखेन दुःखेन च शोणितेन ।

त्वमामामसेदोऽस्थिरसैः समानाश्चतुःप्रभेदात्म कथं भवन्ति ॥८॥

विद्याकियाच्च। गुणैः प्रहीणो न जातिमात्रेण भवेत्स विप्रः ।

ज्ञानेन शीलेन गुणेन सुकृतं ब्रह्मण ब्रह्मविदो वदन्ति ॥२५-४४॥

व्यासो वशिष्ठः कमठश कण्ठः शक्त्युदगमी द्रोणपराशरौ च ।

आचारवन्तस्तपसाभियुक्ता ब्रह्मचर्मायुः प्रतिसम्पदाभिः ॥२५-४४॥

ब्राह्मण कुछ चन्द्रमाकी किरणोंके समान शुभ्र वर्णवाले नहीं होते, ज्ञानिय कुछ किशुकके गुणके समान गौरवर्णवाले नहीं होते, वैश्य कुछ हरतालके समान रंगवाले नहीं होते और शूद्र कुछ अङ्गारके समान कृष्णवर्णवाले नहीं होते ॥७॥ चलना फिरना, शरीरका रंग, केश, मुख-दुख, रक्त, त्वचा, मास, मेदा, आस्थि और रस इन सब बातोंमें ये एक समान होते हैं, इसलिए मनुष्योंके ब्राह्मण आदि चार भेद नहीं हो सकते ।

जो विद्या, किया और गुणोंसे हीन है वह जातिमात्रसे ब्राह्मण नहीं हो सकता, किन्तु जो ज्ञान, शील और गुणोंमें युक्त है उसे ही ब्रह्मके ज्ञानकार पुरुष ब्राह्मण कहते हैं ॥४४॥ व्यास, वशिष्ठ, कमठ, कण्ठ, शक्ति, उद्गम, द्रोण और पराशर ये सब आचार और तपरूप अपनी सम्पत्तिसे युक्त होकर ही ब्राह्मणत्वको प्राप्त हुए थे ॥४४॥

—ब्रह्मचरित

चतुर्विष्यं च यज्ञात्या तत्र युक्तमहेतुकम् ।

ज्ञानं देहविशेषस्य न च श्लोकाग्निसम्भवात् ॥११-१४॥

विना अन्य देतुके केवल वेदवाक्य और अग्निके सम्भारसे देहविशेष का ज्ञान होता है ऐसा कहकर चार प्रकारको जाति मानना उचित नहीं है ॥११-१४॥

इत्यते जातिभेदस्तु यत्र तत्रात्म सम्भवः ।

मनुष्यहस्तबालेयगोवाजिद्भूतौ यथा ॥११-१४॥

न च जातिस्थान्येन पुरुषेण क्षियां कवचित् ।
 क्षियते गर्भसम्भूतिविप्रादीनां तु जायते ॥११-१६३॥
 अस्यायां रासमेनास्ति सम्भवोऽस्येति लेख्यं सः ।
 नित्यान्तभन्धजातिस्थशकादितनुसाम्बतः ॥११-१६४॥
 यदि व तद्वदेव स्याद् द्वयोविंसदाः सुतः ।
 नात्र इष्टं तथा तस्माद्गुणैर्बन्धवस्थितिः ॥११-१६५॥

जातिमेद वहोपर देखा जाता है जहाँपर यह सम्भव है । जैसे मनुष्य हाथी, बालेय, गौ और घोड़ा आदि ये सब अलग अलग जातियाँ हैं ॥११-१६५॥ अन्य जातिका पुरुष अन्य जातिकी स्त्रीमें गर्भाभान नहीं कर सकता, परन्तु ब्राह्मण आदिमें यह किया देखी जाती है ॥११-१६६॥ यदि कोई कहे कि घोड़ी अन्य जातिकी होती है और गधा अन्य जातिका होता है, फिर भी गधा घोड़ीमें गर्भाभान करता है सो यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये सर्वथा भिन्न जातिके नहीं होते । कारण कि इनके पैरोंमें सुर आदि अवयवोंको अपेक्षा इनके शरीरमें समानता देखी जाती है ॥११-१६७॥ अथवा इनमें भेद मान लेनेपर जिस प्रकार इनसे उत्पन्न हुई सन्तान विलक्षण होती है उसी प्रकार तथाकथित भिन्न जातिके दो स्त्री-पुरुषोंकी सन्तान भी विलक्षण होनी चाहिए । परन्तु वहाँ वैसी कोई विलक्षणता नहीं दिखलाई देती, इसलिए गुणोंके आधारसे वर्गीकरणस्था सिद्ध होती है ॥११-१६८॥

मुखादिसम्भवापि ब्राह्मणो योऽभिधीयते ।
 निर्हनुः स्वगेहेऽसी शोभते भाष्यमाणकः ॥११-१६९॥
 करणिश्चादिकालां च मानवानां प्रकार्यते ।
 ब्राह्मणं गुणघोरेन न तु तथोनिसम्भवात् ॥११-२००॥

जो चिना हेतुके यह कहते हैं कि ब्राह्मण आदि ब्रह्माके मुख आदिसे उत्पन्न हुए हैं वे ऐसा कहनेवाले अपने घरमें ही शोभा पाते हैं ॥११-

१६६॥ कृपिष्ठङ्ग आदि मनुष्य ब्राह्मण है यह चाल गुणके सम्बन्धसे कही जाती है, ब्राह्मण योनिमें उत्पन्न होनेसे नहीं ॥११-२०॥

न जातिगहिता कल्पिद् गुणः कल्पाणकारणम् ।

ब्रतस्थमपि चार्षडालं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥११-२०३॥

विश्वाविनवसम्बन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

कुनि चैव इवाके च पचिताः समदशिनः ॥११-२०४॥

कोई जाति गहित नहीं होती । बास्तवमें गुण कल्पाणके कारण हैं, क्योंकि भगवान् बिनेन्द्रने वर्तोमें स्थित चार्षडालको ब्राह्मण माना है ॥११-२०३॥ विद्या और विनवसे सम्बन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता और चार्षडाल जो भी हो, परिडत जन उन सबमें समदर्शी होते हैं ॥११-२०४॥

—पशुधराम

विशुद्धुतिरेषेषां पट्टयांषां हित्तन्मनाम् ।

बोऽतिक्षेदिमां सोऽज्ञो नामनैव न गुणैद्विजः ॥३८-४२॥

तपः भुतं चा जातिक्षयं ब्राह्मणकारणम् ।

तपः- भुताभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः ॥३८-४३॥

अपापोहता वृत्तिः स्यादेषां जातिरुक्तमा ।

दक्षांज्यार्थातिमुख्यत्वाद् ब्रतशुद्ध्या सुसंस्कृता ॥३८-४४॥

तपः-भुताभ्यामेवातो जातिस्स्कार हृष्यते ।

असंस्कृतस्तु अस्ताभ्यां जातिमात्रेण स द्विजः ॥३८-४५॥

द्विजातो हि द्विजन्मेष्टः किषातो गर्भतव्य यः ।

किषामन्त्रविहीनस्तु केवलं नामधारकः ३८-४६॥

यह पूर्वांक छह प्रकारकी विशुद्ध वृत्ति इन द्विजोंके द्वारा करने योग्य है । जो इसका उल्लंघन करता है वह मूर्ख नाममात्रका द्विज है, गुणोंसे द्विज नहीं है ॥३८-४२॥ तप, भुत और जाति ये तीन ब्राह्मण होनेके कारण हैं । जो तप और भुतसे रहित है वह केवल जातिसे ही ब्राह्मण है ॥३८-४३॥

पापरहित वृत्ति ही इनकी उत्तम जाति है । जो दान, पूजा और अथवनकी मुख्यतासे तथा व्रतोंकी शुद्धिसे सुर्संकृत है ॥३२-४४॥……इसलिए तप और भ्रुत ही जातिसंस्कारका कारण कहा गया है । जो इन दोनों कियाओंसे असंकृत है वह जातिमात्रसे ही द्विज है ॥३८-४७॥ जो किया और गर्भ इन दोसे बन्मा है ऐसा द्विजन्मा हमें इष्ट है । परन्तु जो किया मन्त्रसे हीन है वह केवल नामधारी द्विज है ॥३८-४८॥

ज्ञानजः स तु संस्कारः सम्यग्ज्ञानमनुचरम् ।

वदाय लभते साहात् सर्वविन्मुखतः कृता ॥३९-४२॥

तदैष परमज्ञानगमीत् संस्कारजन्मना ।

जातो भवेद् हिजन्मेति व्रतैः शोलैऽभूषितः ॥३९-४३॥

व्रतचिह्नं भवेदस्य सूत्रं मन्त्रपुरस्सरम् ।

सर्वज्ञानाप्रधानस्य द्रव्यभावविकलिपतम् ॥३९-४४॥

यशोपवीतमस्य स्वाद् द्रव्यतच्छिगुणात्मकम् ।

सूत्रमौपासिक तु स्वाद् भावरूपैऽस्तिभिर्गुणैः ॥३९-४५॥

वह संस्कार ज्ञानसे उत्पन्न होता है और सबसे उत्कृष्ट ज्ञान सम्यग्ज्ञान है । जिस समय वह कृती सर्वज्ञके मुखसे उसे प्राप्त करता है ॥३९-४२॥ उस समय वह उत्तम ज्ञानरूपी गर्भसे संस्काररूपी जन्म लेकर उत्पन्न होता है तथा व्रतों और शीलोंसे विभूषित होकर द्विज होता है ॥३९-४३॥ सर्वज्ञकी आज्ञाको प्रधान माननेवाले उसके मन्त्रपूर्वक धारण किया गया सूत्र व्रतका चिन्ह है । वह सूत्र द्रव्य और भावके भेदसे दो प्रकारका है ॥३९-४४॥ तीन लरका यशोपवीत द्रव्य सूत्र है और भावरूप तीन गुणोंसे निर्मित उपासकका भावरूप है ॥३९-४५॥

—महापुराण

वर्णाहृत्यादिभेदानां देहेऽहिमस्त्वदशानात् ।

नाशूष्यादिषु शुद्धात्मैर्गम्भायानप्रदर्शनात् ॥३९-४६॥

नास्ति जातिकृतो मेदो मनुष्याणां गवाश्ववत् ।
 आकृतिप्राह्णातस्मादन्वया परिक्षम्यते ॥७४-४६२॥
 अज्ञेदो मुक्तियोग्याचायाः विदेहे जातिसन्ततेः ।
 तदेतु नामगोद्राकृतीवाचिक्षिक्षसम्भवात् ॥७४-४६३॥
 शोषयोस्तु चतुर्थं स्वालक्षणे तउजातिसन्ततिः ॥७४-४६४॥

इस शारीरमें वर्ण तथा आकृति आदिमें शूद्र आदिके द्वारा गर्भवारण किया जाना देखा जाता है ॥७४-४६१॥ तथा मनुष्योंमें गाय और अश्वके समान कुछ भी जातिकृत भेद नहीं है । यदि आकृतिमें भेद होता तो जातिकृत भेद माना जाता । परन्तु इनमें आकृति भेद नहीं हैं, अतः उनमें जातिकी कल्पना करना व्यर्थ है ॥७४-४६२॥ विदेह क्षेत्रमें मुक्तिके योग्य जाति-सन्ततिका विच्छेद नहीं होता, क्योंकि वहाँपर इसके योग्य नामकर्म और गोष्ठकर्मसे युक्त जीवोंकी कभी व्युचिति नहीं होती ॥७४-४६४॥ परन्तु भरत और ऐरावत क्षेत्रमें चतुर्थ कालमें ही मुक्तियोग्य जातिसन्तति पाई जाती है ॥७४-४६५॥

—उत्तरपुराण

हठं वह बंभणु बहसु हठं हठं खतिड हठं सेसु ।
 पुरिषु गडंसठ हृतिथ हठं मणह मृढ विसेसु ॥८॥
 अप्या बंभणु बहसु ज वि ज वि खतिड ज वि सेसु ।
 पुरिषु गडंसठ हृतिथ ज वि जाणिड भणह अलेसु ॥८२॥

मृढ पुरुष ऐना अलग अलग मानता है कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ और मैं शेष अर्थात् शूद्रादि हूँ । मैं पुरुष हूँ, मैं नपुंसक हूँ और मैं लौटी हूँ ॥८१॥ किन्तु आत्मा न ब्राह्मण है, न वैश्य है, न क्षत्रिय है और न शेष अर्थात् शूद्र आदि ही है । वह न पुरुष है, न नपुंसक है और न लौटी है । जानी आत्माको ऐसा मातता है ॥८२॥

—परमारम्भकाण्ड

क्रियाविलोपात् शूद्राभादेष्व जातिलोपः स्वयमेवाभ्युपगतः ।

क्रियाका लोप होनेसे और शूद्राजके भवण करने आदिसे जातिलोप आपने (मीमांसकोने) स्वय स्वीकार किया है । यथा—

शूद्राभास्त्वद्वसम्पर्काच्छूद्रेण सह भापणात् ।

इह जन्मनि शूद्रत्वं सृतः स्वा चाभिजापते ॥ उद्धृत ॥

शूद्रका अन्न खानेसे, शूद्रके साथ सम्पर्क स्थापित करनेसे और शूद्र के साथ बातचीत करनेसे इस जन्ममें शूद्र हो जाता है और मरकर अगले जन्ममें कुत्ता होता है ॥४० ४४३॥

ननु ब्राह्मण्यादिजातिविलोपे कथं वर्णाश्रमव्यवस्था तस्मिवन्धनो वा तपोदावादिव्यवहारो जैनानां घटेत ? इत्यप्यसमीक्षीनम्, क्रियाविशेष-व्यक्तिवीतादिचिह्नोपलक्षिते व्यक्तिविशेषे तद्व्यवस्थायास्तद्व्यवहारस्य चोपपत्तेः । कथमन्यथा परशुरामेण निःङ्ग्रीकृत्य ब्राह्मणदत्तायां पृथिव्यां ऋत्रियसम्भवः । यथा चानेत निःङ्ग्रीकृतासौ तथा केनचिज्जीवाङ्गर्णङ्गुतापि सम्भाव्येत । ततः क्रियाविशेषादिनिवन्धनं पूर्वायं ब्राह्मणादिव्यवहारः ।

शका—ब्राह्मणत्व आदि जातिका लोप कर देनेपर जैनोंके यहाँ वर्णाश्रमव्यवस्था और उसके निमित्तसे होनेवाला तप तथा दान आदि व्यवहार कैसे बनेगा ?

समाधान—मीमांसकोका यह कहना समीचीन नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति क्रियाविशेष करता है और यहोपवीत आदि चिन्हसे युक्त है उसमें वर्णाश्रमवर्म और तप-दान आदि व्यवहार बन जाता है । यदि ऐसा न माना जाय तो परशुरामके द्वारा समस्त पृथिवीको द्वित्रियोंसे शून्य करके उसे ब्राह्मणोंको दान कर देनेपर पुनः द्वित्रिय कहाँसे उत्पन्न हो गये । जिस प्रकार उसने समस्त पृथिवीको द्वित्रिय रहित कर दिया था उसी प्रकार आन्य कोई उसे ब्राह्मण रहित भी कर सकता है, इसलिए यह ब्राह्मण है इत्यादि व्यवहार क्रियाविशेषके निमित्तसे ही होता है ऐसा समझना चाहिए ।

प्रतेकाविग्राम तकौवर्णिकोपदेशोऽत्र बस्तुनि प्रमाणमिति प्रस्तुतम्, तद्याप्यस्यमित्यातिथ्याभावात् । इत्यन्ते हि बहुवचौवर्णिकैरविग्रामेन ब्राह्मणत्वेन व्यवहृयमाणा विषयंयमातः । तत्र परपरिकल्पतावां जाती प्रमाणमस्ति यतोऽस्याः सन्दातः स्वात् । सन्दाते च वेश्यापाठ्यादिप्रविष्टावां ब्राह्मणीनां ब्राह्मण्यमाताओ निन्दा च च स्वात्, जातियन्तः पवित्रताद्देतुः । सा च भवन्त्मसे तदवस्थैव । अन्यथा गोत्रादिप्रियं ब्राह्मणं विकृतं स्वात् । गवादीनां हि चार्णदालादिगृहे चिदोचितामामपीर्णं रिष्टे-दादात्म, च तु ब्राह्मण्यादीनाम् । अथ किंवाचंशाचत्र ब्राह्मण्यादीनां निन्दाता, च, तद्यात्मुपराम्भे तद्विशिष्टत्वस्यवसाये च पूर्वविक्षिप्ताभ्यं-स्याप्यसम्भवात् । ब्राह्मणत्वजातिविशिष्टत्वकिंव्यवसायो चाप्रवृत्ताचावा अपि किंवाचाः प्रवृत्तेभिर्मितम् । स च तदवस्थं पूर्वं भवद्यनुपगमेन । किंवाचंये उत्तरातिनिष्ठौ च ब्राह्मेऽप्यस्यां निन्दिः स्वात्, तद्वंका-विरोधात् ।

बहुतसे लोक ऐसा कहते हैं कि विवाद रहित होनेसे तीन वर्षांक उपदेश प्रकृतमें प्रमाण है, परन्तु उनका ऐसा कहना भी यूँके कथनसे ही स्पष्टित हो जाता है, क्योंकि यह उपदेश भी निर्दोष नहीं है । अक्सर जो वैवर्णिक हैं उनका भी निर्विवादरूपसे ब्राह्मणके समान व्यवहार होता हुआ देखा जाता है । इसकिए मीमांसक आदिके द्वारा मानी गई जाति प्रमाण-सिद्ध न होनेसे उसका सन्दात्व नहीं माना जा सकता । फिर भी यदि उसका सन्दात्व माना जाता है तो ब्राह्मण लियोंके वेश्याके एह आदिमें प्रवेश करने पर न तो उनका ब्राह्मणत्व ही समात होना चाहिए और न निन्दा ही होनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ कर्मके विना केवल जाति ही पवित्रता का कारण माना गया है और वह पवित्रता उन लियोंकी उस अवस्था में भी बनी रहती है । यदि ऐसा न माना जाय तो ब्राह्मणजाति गोत्रातिसे भी निकृष्ट ठहरती है । यह तो जगप्रसिद्ध बात है कि गाय आदि बहुत काल तक चार्णदाल-आदिके घरमें रही जाती है फिर भी शिष्ट पुरुष उसे

स्वीकार कर लेते हैं पर यह बात ब्राह्मणी आदि के विषयमें नहीं है। यदि कहा जाव कि वेश्या के घरमें प्रवेश करनेपर कियाका लोप होनेसे ब्राह्मण स्त्रियाँ निन्दनीय हो जाती हैं सो यह कहना भी युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि तब भी वह ब्राह्मणी ही बनी रहती है, इसलिए वेश्या के घरमें प्रवेश करनेके पूर्व जैसे उसकी कियाका लोप नहीं होता वैसे उसके घरमें प्रवेश करनेके बाट भी उसका लोप होना असम्भव है। आप तो ऐसा मानते हैं कि जो भी व्यक्ति ब्राह्मण है वह किया न भी करे तो भी उसके कियाकी प्रवृत्तिका निमित्त बना रहता है और आपके मतसे वह वेश्या के घरमें प्रवेश करनेवालों स्त्रीके हैं ही। यदि कियाका लोप होनेसे उसकी जातिका लोप आप मानते हैं तो वात्य पुरुषकी जातिका भी लोप हो जाना चाहिए, क्योंकि कियालोप होनेकी अपेक्षा उससे कोई अन्तर नहीं है।

किञ्च कियानृदृशी तउजातेनिरुचिः स्वाद् यदि किया तस्याः
कारणं व्यापिका वा स्याद्, नान्यथातिप्रसङ्गाद्। न चास्थाः कारणं
व्यापकं वा किञ्चिदिष्टम्। न च कियाभ्यरो जातेविकारोऽस्ति, ‘भिन्नेष्व-
भिन्ना वित्या निरवयवा च जातिः’ इत्याभिधानाद्। न चाविकृतावा
निरुचिः सम्भवति, अतिप्रसङ्गाद्।

दूसरे किया न करनेपर जातिका अभाव तो तब होवे जब कियाको जातिका कारण माना जावे या कियाको व्यापक माना जावे। अन्यथा अतिप्रसङ्ग दोष आता है। परन्तु आपको न तो जातिका कोई कारण ही इष्ट है और न किसीको इसका व्यापक मानना ही इष्ट है। यदि आप कहें कि कियासे भ्रष्ट होनेपर जातिमें विकार आ जाता है सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपके मतमें ‘अनेक पटायोंमें रहनेवाली जाति एक है, नित्य है और अवयवरहित है’ ऐसा स्वीकार किया गया है। और जो विकाररहित होती है उसका अभाव नहीं ढो सकता, क्योंकि फिर भी उसका सङ्गाव मानने पर अतिप्रसङ्ग दोष आता है।

किंतु ब्राह्मणत्वं जीवस्य शरीरस्य उभयस्य वा स्वात्, संस्कारस्य वा वेदाध्यनस्य वा, गत्यन्तरासम्भवात् । न तावल्लीबस्य, चत्रिवचिद्-
शूद्रादीनामपि ब्राह्मणस्य प्रसङ्गात्, तेषामपि जीवस्य विज्ञानस्वात् ।

हम पूछते हैं कि ब्राह्मण जीव, शरीर, उभय, संस्कार और वेदाध्ययन इनमें से किसका है, इनमें से किसी एकका मानना ही पड़ेगा, अन्य कोई चारा नहीं है । जीवका तो हो नहीं सकता, क्योंकि जीवका मानने पर चत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि भी ब्राह्मण हो जावेंगे, क्योंकि उनके भी तो जीवका सन्दाव है ।

नापि शरीरस्य, अस्य पञ्चमूलात्मकस्यापि घटादिवत् ब्राह्मणासम्भवात् । न चलु भूतानां अस्तानां समस्तानां वा तत्सम्भवति । अस्तानां तत्सम्भवे हितिजलपवनहुताशानाकाशानामपि प्रत्येकं ब्राह्मणप्रसङ्गः । समस्तानां च तेषां तत्सम्भवे घटादीनामपि तत्सम्भवः स्वात्, तत्र तेषां सामस्यसम्भवात् । नापुभयस्य, उभयद्वैचनुषङ्गात् ।

शरीरका भी नहीं हो सकता, क्यों शरीर पाँच भूतों से बना है, इसलिए पाँच भूतों से बने हुए घटादिका जैसे ब्राह्मणत्व नहीं होता वैसे ही वह शरीर का भी नहीं हो सकता । हम देखते हैं कि वह न तो अलग अलग भूतों में उपलब्ध होता है और न मिले हुए भूतों में ही । अलग अलग भूतों में उसका सन्दाव मानने पर पृथिवी, जल, वायु, अग्नि और आकाश इनमें से प्रत्येक को ब्राह्मण मानना पड़ेगा । यदि मिले हुए भूतों में वह माना जाता है तो घटादिकमें भी उसका सन्दाव सिद्ध हो जायगा, क्योंकि घटादिकमें सभी भूत मिलकर रहते हैं । यदि ब्राह्मणत्वको जीव और शरीर दोनों का माना जाता है तो अलग अलग जीव और शरीरका मानने पर जो दोष दे आए हैं वे दोनों का मानने पर भी प्राप्त होते हैं ।

नापि संस्कारस्य, अस्य शूद्रवालके कर्तुं यक्षितस्तत्रापि तत्वसंगात् । किं य संस्कारात्प्राप्तब्राह्मणवास्त्वं तदृष्टि वा वा ? यद्यस्ति, संस्कार-

करणं वृथा । अथ नास्ति, तथापि तद् वृथा । अब्राह्मणहयाप्यतो ब्राह्मण-
सम्बवे शूद्रबालकस्यापि तत्सम्भवः केन वार्येत ।

ब्राह्मणत्वको संस्कारका कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि संस्कार शूद्र
बालकका भी किया जा सकता है, इसलिए शूद्र बालकको भी ब्राह्मण होने
का प्रसङ्ग आता है। दूसरे संस्कार करनेके पहले ब्राह्मण बालकमें ब्राह्मणत्व
है या नहीं! यदि है तो संस्कार करना व्यर्थ है। यदि नहीं है तो भी संस्कार
करना व्यर्थ है, क्योंकि इस प्रकार तो आब्राह्मण भी संस्कारके बलसे ब्राह्मण
हो जायगा, इसलिए शूद्र बालकके भी ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति सम्भव है। भला
इस अपरिहार्य दोषको कौन रोक सकता है।

नापि वेदाभ्यवनस्य, शूद्रोऽपि तत्सम्भवात् । शूद्रोऽपि हि करिच-
देशान्तरं गत्वा वेदं पठति पाठयति वा । अ तावतास्य ब्राह्मणत्वं भवद्वि-
रभ्युपगम्यत इति । ततः सदृशक्रियापरिणामादिनिवन्धनैवेयं ब्राह्मण-
क्षत्रियादिव्यवस्था

ब्राह्मणत्वको वेदाभ्यवनस्यका मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह बात
तो शूद्रके भी सम्भव है। कोड़े शूद्र दूसरे देशमें जाकर वेदको पढ़ता है
और पढ़ता भी है। परन्तु इतने मात्रसे आप लोग इसे ब्राह्मण माननेके
लिए तैयार नहीं। इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि वर्णोंकी व्यवस्था
सदृश क्रियाके कारण ही मानी गई है ऐसा समझना चाहिए। अर्थात्
जो भी दया दान आदि क्रियामें तप्तर है वह ब्राह्मण है, जो देशरक्षा आदि
कार्य करता है वह क्षत्रिय है, जो व्यापार गोपालन और खेतीबाड़ी करता
है वह वैश्य है और जो स्वतन्त्र आजीविका न करके सेवा द्वारा आजीविका
करता है वह शूद्र है।

—ग्रन्थेषु मलमार्त्तिषु ४० ४८६-४८७

...न स्तु बहवायां गर्द्माश्वप्रभवापत्येविव ब्राह्मणां ब्राह्मणशूद्र-
प्रभवापत्येवपि वैलक्षण्यं स्वप्नेऽपि प्रतीयते ।

ब्राह्मण पृथक् जाति है इस बातका नियन्त्रण—

१. घोड़ीमें गधेके निमित्तसे उत्पन्न हुए बच्चोंसे घोड़ेके निमित्तसे उत्पन्न हुए बच्चोंमें जैसी विलक्षणता होती है वैसी विलक्षणता ब्राह्मणीके ब्राह्मणके निमित्तसे उत्पन्न हुए बच्चोंसे ब्राह्मणीमें शूद्रके निमित्तसे उत्पन्न हुए बच्चोंमें स्वप्नमें भी प्रतीत नहीं होती, इसलिए ब्राह्मण आदि पृथक् पृथक् जातियाँ नहीं हैं।

एतेन अनादिकाले तयोस्तत्प्रतिपत्तिः प्रत्याक्षराता, चरोर्हि तत्त्वम्भ-
म्भविष्यत्पुत्तत्वं प्रत्येतुं न शक्यते तयोः अनादिकाले तद् प्रतीक्षते इति
महाचित्तत्वः ? एतेन अनादिकालप्रतिप्रत्याहापेक्षा अविष्यत्पुत्तत्वप्रतिपत्ता
प्रतिक्षूद्गु ।

२. इस कथनसे मात्र पिताकी अनादि काल पूर्व तक निर्दोषताकी प्रतीति होती है यह बात भी नहीं रहती, क्योंकि बिनकी उसी जन्ममें निर्दोषताकी प्रतीति करना शक्य नहीं है उनकी निर्दोषताकी प्रतीति अनादि काल पूर्व तक होगी ऐसा सोचना महान् आश्चर्यकी बात है। इस प्रकार इस कथनसे अनादि कालीन पितृ-प्रवाहकी अपेक्षा बातिकी जो निर्दोषताकी प्रतिक्षा की थी वह स्थिरित हो जाती है।

किञ्च सरैव अबलानां कामातुरतया इह अभ्यन्वयि व्यभिचारोऽ-
स्तम्भात् अनादी कर्ते तः कदा किं कुर्वन्तीति ब्रह्मणापि शास्त्रव्याख्ययः ।
तथा च व्यभिचारो हि प्रवादेन व्याप्तः इत्याद्यनुकर्म, अस्तम्भप्रदृशकासु-
कानो प्रवादाभावेऽपि व्यभिचारसम्भवतः तस्य तेज व्याप्त्यनुत्पत्तेः । अतः
पित्रोरविष्करतात्त्वस्य कुरुशिचदप्रसिद्धेः न तदुपदेष्ठो ब्राह्मणप्रत्यक्षता-
प्रादुभावे चक्षुषः सद्विकारित्वं प्रतिपद्यते ।

३. अबलाये सदा ही कामातुर होती हैं। इस जन्ममें ही उनका व्यभिचार देखा जाता है, इसलिए अनादि कालके भीतर वे कब क्या करती हैं यह जानना ब्रह्माके लिए भी अशक्य है। यदि कहो कि व्यभिचारिणीकी

व्याप्ति प्रवादके साथ है, अर्थात् जो व्यभिचार करेगी उसका प्रवाद अवश्य होगा सो यह सब कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुतसे कामुक ऐसे होते हैं जो अत्यन्त प्रचलित होकर व्यभिचार करते हैं फिर भी उनका प्रवाद नहीं होता, इसलिए व्यभिचारकी प्रवादके साथ व्याप्ति मानना उचित नहीं है। परिणामस्वरूप माता-पिताकी निर्दोषता किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होती, इसलिए ब्राह्मण जातिके प्रत्यक्षीकरणमें इसका उपदेश अंखके लिए रक्षमात्र भी सहायक नहीं है।

नापि आचारविशेषः, स हि ब्राह्मणस्यासाधारणो याजनाप्याप्यन-
प्रतिग्रहादिः । स च तत्प्रत्यक्षतानिमित्तं न भवति, अव्याप्तेरतिव्याप्ते
श्रानुपङ्गात्, याजनादिरहितेतु हि ब्राह्मणेष्वपि तदूच्चवहाराभावप्रसङ्गाद-
व्याप्तिः शूद्रेष्वपि अल्किलस्य याजनाद्याचारस्योपलिंघितो ब्राह्मणानुषङ्गा-
रच्चतिव्याप्तिः । अथ मिष्यात्वा आचारविशेषस्तत्र, अन्यत्र कुरुः सत्यः ?
ब्राह्मणसिद्धेष्वचेत्; अन्योन्याधयः—सिद्धे हि आचारसत्यत्वे ब्राह्मणसिद्धिः
तस्मद्दौ च आचारसत्यत्वसिद्धिरिति । किञ्च आचाराद् ब्राह्मणसिद्धय-
भ्युपगमे व्रतवन्धात् पूर्वमब्राह्मणप्रसङ्गः । सत्र आचारोऽपि सत्यत्वसत्त्वं
प्रत्यक्षम् ।

४. आचार विशेष भी ब्राह्मण आदि जातिका शान करानेमें सहायक नहीं होता। आपके यहाँ ब्राह्मण जातिका असाधारण आचार विशेष याजन, अव्याप्त और प्रतिग्रह माना गया है, परन्तु वह ब्राह्मण जातिका प्रत्यक्ष शान करानेमें सहायक नहीं है, क्योंकि उसे ब्राह्मण जातिका प्रत्यक्ष शान करानेमें सहायक माननेपर अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष आते हैं। यथा—जो ब्राह्मण याजन आदि कार्य नहीं करते उनमें ब्राह्मण जातिके व्यवहारका अभाव प्राप्त होनेसे अव्याप्ति दोष आता है और शूद्रोंमें याजन आदि समस्त आचार धर्मकी उपलब्धि होती है, इसलिए उनके भी ब्राह्मण होनेका प्रसङ्ग प्राप्त होनेसे अतिव्याप्ति दोष आता है। यदि कहो कि शूद्रोंमें जो याजन आदि आचार विशेष उपलब्ध होता है वह मिष्या है तो हम

पूछते हैं कि ब्राह्मणोंमें वह आचार विशेष समीचीन है यह कैसे समझा जाय। यदि उनमें ब्राह्मणत्वकी सिद्धि होती है, इसलिए उनका आचार विशेष भी समीचीन सिद्ध होता है यह कहे तो ऐसा माननेसे अन्योन्याभय दोष आता है। यथा—आचारकी सत्यता सिद्ध होनेपर ब्राह्मणत्वकी सिद्ध होवे और ब्राह्मणत्वकी सिद्धि होनेपर उसके आचारकी सत्यता सिद्ध होवे। कदाचित् आचारके आलम्बनसे ब्राह्मणत्वकी सिद्धि मान भी ली जाय तो भी बत स्वीकार करनेके पूर्व उसके अब्राह्मण होनेका प्रसङ्ग आता है, इसलिए आचार भी ब्राह्मणजातिके प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होनेका अङ्ग नहीं माना जा सकता।

एतेन संस्कारविशेषस्यापि तदङ्गता प्रथाख्याताः अव्याप्त्यतिष्ठा-
प्योरत्रायविशेषात् । तत्र अव्यासिः संस्कारविशेषात् पूर्वं ब्राह्मणस्यापि
अब्राह्मणप्रसङ्गके: स्यात् । अविष्यासिः पुनः अब्राह्मणस्यापि तथाविध-
संस्कृतस्य ब्राह्मणत्वापत्तेः स्यादिति । एतेन वेदाध्ययनस्य यहोपवीतादेव
तदङ्गता प्रतिष्ठृदा ।

५. इस पूर्वोक्त कथनसे जो लोग संस्कारविशेषको ब्राह्मण जातिका अङ्ग मानते हैं उनके उस मतका भी निराकरण हो जाता है, क्योंकि इस विचारके स्वीकार करने पर भी अव्यासि और अविष्यासि दोष आता है। यथा—संस्कार होनेके पूर्व ब्राह्मणको भी अब्राह्मण होनेका प्रसङ्ग आता है, इसलिए तो अव्यासि दोष आता है। तथा जो अब्राह्मण है उसका ब्राह्मण के समान संस्कार करनेपर उसके भी ब्राह्मण होनेका प्रसङ्ग प्राप्त होता है, इसलिए अविष्यासि दोष आता है। इस कथनसे जो वेदके अध्ययन और यहोपवीत आदिको ब्राह्मण जातिका अङ्ग मानते हैं उनके उस मतका भी निराकरण हो जाता है।

ब्रह्मप्रभवत्वस्य च तदङ्गत्वे अतिप्रसङ्गं पूर्व, सकलप्राणिनां सर्वप्रभवत्वया
ब्राह्मणप्रसङ्गात् । किञ्च ब्रह्मणो ब्राह्मणमस्ति न वा ? यदि नास्ति;
न च मतो ब्राह्मणोत्पत्तिः । व हि अमनुष्यात् मनुष्योत्पत्तिः प्रतीता । अथ

अस्ति, किं सर्वं न मुखप्रदेशे पूर्व वा ? यदि सर्वं, स एव प्राणिनां भेदाभावानुषङ्गः । अथ मुखप्रदेश पूर्व, तदान्वयत्रास्य शूद्रत्वानुषङ्गात् न विप्राणां तत्पादयो वन्ध्याः स्युः ।

६. ब्रह्मासे उत्पत्ति होना ब्राह्मण होनेका कारण है ऐसा मानने पर भी अतिप्रसङ्ग दोष आता है, क्योंकि ब्राह्मणोंके समान अन्य सब प्राणियोंकी भी ब्रह्मासे उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस आधारसे उन मवको ब्राह्मण मानना पड़ेगा । जिस ब्रह्मासे तुम ब्राह्मण आतिकी उत्पत्ति मानते हो वह स्वयं ब्राह्मण है या नहीं । यदि कहो कि वह ब्राह्मण नहीं है तो फिर उससे ब्राह्मण आतिकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है अर्थात् नहीं हो सकती, क्योंकि जो मनुष्य नहीं है उससे मनुष्यकी उत्पत्ति होती हुई दिल्लाई नहीं देती । यदि कहो कि ब्रह्म भी ब्राह्मण है तो हम पूछते हैं कि वह सर्वाङ्गसे ब्राह्मण है या केवल मुखके प्रदेशमें ही ब्राह्मण है । यदि कहो कि वह सर्वाङ्गसे ब्राह्मण है तो पहलेके समान ही सब प्राणियोंके ब्राह्मण होनेका प्रमङ्ग आता है । यदि कहो कि मुख वह प्रदेशमें ही ब्राह्मण है तो मुखके सिवा अन्य प्रदेशमें उसके शूद्र होनेका प्रसङ्ग आत है और ऐसी अवस्थामें विप्रोंको उसके पैरोंकी बन्दना नहीं करनी चाहिए ।

किञ्च ब्राह्मण एव तन्मुखाऽज्ञायते, तन्मुखादेव वासी जायते, विकल्प-द्वयेऽपि अन्योन्याश्रयः—सिद्धे हि ब्राह्मणस्ये तस्यैव तन्मुखाऽज्ञामसिद्धिः । तस्मिद्द्वौ च ब्राह्मणस्वसिद्धिरिति । न च ब्रह्मप्रभवत्वं विशेषणं ब्राह्मण-प्रत्यक्षताकाले केनचित् प्रतीयते । न च अप्रतिपक्षं विशेषणं विशेष्ये प्रति-पतिमायातुं समर्थम्, अतिप्रसङ्गात् । यद् विशेषणं तत् प्रतिपक्षमेव विशेष्ये प्रतिपत्तिमायते यथा दण्डादि, विशेषणम् ब्राह्मणप्रतिपक्षी ब्रह्मप्रभवत्वमिति ।

७. एक विचार यह भी है कि ब्राह्मण ही उसके मुखसे उत्पन्न होता है या उसके मुखसे ही ब्राह्मण उत्पन्न होता है इन दो विकल्पोंमेंसे कौन विकल्प ठीक माना जाय । वास्तवमें इन दोनों ही विकल्पोंके मानने पर

अन्योन्याभ्य दोष आता है। यथा—ब्राह्मण जातिकी सिद्धि होने पर उसीकी ब्रह्माके मुखसे उत्पत्ति सिद्ध होवे और ब्रह्माके मुखसे ही ब्राह्मण जातिकी उत्पत्ति सिद्ध होने पर ब्राह्मण जातिकी सिद्ध होवे। इस प्रकार ये दोनों बातें अन्योन्याभित हैं। दूसरे ब्रह्मासे उत्पत्तिरूप विशेषणका ज्ञान ब्राह्मण जातिका साक्षात्कार होते समय किसे होता है अर्थात् किसीको नहीं होता और जब विशेषणका ज्ञान नहीं होता ऐसी अस्त्वयमें विशेषण निष्पत्ति करानेमें वह कैसे समर्थ हो सकता है। अर्थात् नहीं हो सकता, क्योंकि विशेषणका ज्ञान हुए विना उससे विशेषणका निश्चय भाननेपर अतिप्रसङ्ग दोष आता है। नियम यह है कि विशेषणका ज्ञान हो जानेपर ही वह अपने विशेषणका ज्ञान करा सकता है। जैसे दशड आदि विशेषणका ज्ञान हो जानेपर ही वह दशडी पुरुष आदिका ज्ञान करानेमें समर्थ होता है, अन्यथा नहीं। यहाँ ब्राह्मण जातिका ज्ञान करानेमें विशेषण उसकी ब्रह्मासे उत्पत्ति होना है। पर ब्राह्मण ब्रह्मासे उत्पत्ति हुआ है वह तो किसीको दिखलाई देता नहीं, इसलिए उससे ब्राह्मणजातिका बोध नहीं हो सकता।

—न्यायकुमुदचन्द्र

जातिलिङ्गमितिहृष्टमङ्गमाभित्व वर्तते ।

अङ्गात्मकम् संसारस्तस्मात् दृष्टिवं स्वेष्टत् ॥३३—८६॥

जाति और लिंग ये दोनों शरीरके आभ्यसे रहते हैं और संसार शरीरस्वरूप है, इसलिए इन दोनोंका स्वाग कर देना चाहिए॥३२—८६॥

—ङ्गामार्णव

उच्चासु नीचासु इन्त अन्तोर्लघ्यासु नो योनिषु दृढिः द्वारी ।

उच्चो न नीचोऽहमपास्तवुद्दिः स मन्यते मानपिशाचवश्यः ६ ३६॥

उच्चोऽपि नीचं स्वमपेषमायो नीचस्य तुःसं न किमेति बोद्धम् ।

नीचोऽपि पश्यति यः स्वमुच्चं स सौक्ष्ममुच्चस्य न किं प्रवाति ६-३६

उच्चत्व-वीचत्वविकल्प एव विकल्पमानः सुख-दुःखकारो ।
उच्चत्व-नीचत्वमधी न योनिदंदाति दुःखानि सुखानि जातु ॥१०-३८॥
हिनस्ति धर्मं कर्मते न सौख्यं कुमुदिरुच्चत्वविदानकारो ।
उच्चति इहं सिक्षानिषेदी फलं न किञ्चुत्तजननिन्दनीयः ॥१०-३९॥

उच्च जाति प्राप्त होने पर शीघ्रको तृष्णि नहीं होती और नीच जाति मिलने पर हानि नहीं होती । किन्तु मानवी पिशाचके बशीभूत हुआ यह अशानी जीव 'मैं उच्च हूँ नीच नहीं हूँ' ऐसा मानता है ॥७-३६॥ जो पुरुष उच्च है वह भी अपनेको नीच मानता हुआ क्या नीच पुरुषके घोर दुःखको नहीं प्राप्त होता है और जो नीच पुरुष है वह भी अपनेको उच्च मानता हुआ क्या उच्च पुरुषके सुखको नहीं प्राप्त होता ॥७-३७॥ बास्तवमें यह उच्च और नीचपनेका विकल्प ही सुख और दुःखका करनेवाला है । कोई उच्च और नीच जाति है और वह सुख और दुःख देती है यह कदाचित् भी नहीं है ॥७-३८॥ अपने उच्चपनेका निदान करनेवाला कुमुदि पुरुष धर्मका नाश करता है और सुखको नहीं प्राप्त होता । जैसे बालुको पेखनेवाला खोकनिन्य पुरुष कष्ट भोगकर भी कुछ भी फलका भागी नहीं होता ऐसे ही प्रकृतमें जानना चाहिए ॥७-३९॥

—अभितिगतिभाष्यकाचार

न जातिमात्रतो धर्मो रूप्यते देहधारिनिः ।
सत्यशीक्षणःशीलज्ञानस्वाध्यायवर्जितैः ॥१८-२५॥
आचारमात्रमेदेन जातीनां भेदक्षणम् ।
न जातिमात्राणीयास्ति निषता कापि तारिकी १८-२६॥
आकाशप्रियादीनां चतुर्णामपि तत्त्वतः ।
पूर्वैव मातुणी जातिराचारेण विभृयते ॥१८-२७॥
भेदे जायेत विप्राणां चत्रियो न कथञ्चन ।
शालिकातौ भवा इदः कोद्वस्य न सम्भवः ॥१८-२८॥

ब्राह्मणोऽवाचि विप्रेण पवित्राचारधारिणा ।
 विप्राचारो शुद्धशीलाचारो जविता नेदमुत्तम् ॥१८-२७॥
 न विप्राविप्रबोरस्ति सर्वदा शुद्धशीलता ।
 कालेनादित्या गोपे स्वलग्नं क न जावते ॥१८-२८॥
 संयमो निष्ठमः शीलं तपो दानं दद्वो दद्या ।
 विद्यम्ने तात्त्विकाः बस्तो सा जातिमहस्ती सताम् ॥१८-२९॥
 इहा चोमवगन्धादिप्रसूताचारो तपस्त्विकाम् ।
 अ्यासादीचारो महापूजा तपसि किञ्चतां गतिः ॥१८-३०॥
 शीलवस्त्वो गताः स्वर्गं नीचकालिभवा विषि ।
 कुर्कीना नरकं प्राप्ताः शीलसंयमनाशिकः ॥१८-३१॥
 गुणैः सम्पूर्णसे जातिगुणज्ञं संविष्टपासे ।
 यतस्ततो तुष्टैः कार्यो गुणेष्वेवादरः परः ॥१८-३२॥
 जातिमात्रमदः कार्यो न नीचत्वप्रवेशकः ।
 उत्पत्तवदायकः सदिभः कार्यः शीलसमादृः ॥१८-३३॥

जो प्राचीनी सत्य, शौच, तप, शील, ध्यान और स्वाध्यायसे रहित हैं वे केवल जातिमात्रसे धर्मको नहीं प्राप्त करते ॥१८-२३॥ आचारके भेदसे ही जातिभेद कल्पित किया गया है। तात्त्विक दृष्टिसे देखा जाय तो ब्राह्मण नामकी कोई नियत जाति नहीं है ॥१८-२४॥ ब्राह्मण और द्वित्रिय आदि चारोंकी वास्तवमें एक मनुष्य जाति ही है। आचार मात्रसे ही ये विभाग किये जाते हैं ॥१८-२५॥ क्योंकि जिस प्रकार चावलोंको जातिमें मुक्ते कोटों उत्पन्न होते हुए नहीं दिखाई देते उसी प्रकार यदि इनमें सर्वथा भेद होता तो ब्राह्मण जातिमें द्वित्रिय किसी प्रकार भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए ॥१८-२६॥ इसपर कोई ब्राह्मण कहता है कि तुम पवित्र आचारके भारकों तो ब्राह्मण कहते हो, परन्तु उससे शुद्ध शीलको धारण करनेवाली ब्राह्मणीकी कुदिसे उत्पन्न हुएको ब्राह्मण क्यों नहीं कहते हो । परन्तु उसका ऐसा कहना ठोक नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणी सर्वदा शीलसे ही रहे, अनादि

कालसे उनके कुटुम्बमें कभी भी स्वल्पन न हो यह सम्भव नहीं है ॥१८-२७, २८॥ वास्तवमें संयम, नियम, शील, तप, दान, दम और दया ये गुण जात्त्विक रूपसे जिस किसी भी जातिमें विद्यमान हो, सज्जन पुरुष उसी जातिको पूजनीय मानते हैं ॥१८-२९॥ क्योंकि योजनगन्धा (धीरवी) आदिकी कुद्दिसे उत्पन्न हुए व्यास आदि तपस्त्रियोंकी महापूजा होती हुई देखी गई है, इसलिए सबको तपश्चरणमें अपना उपयोग लगाना चाहिए ॥१८-३०॥ नीचजातिमें उत्पन्न होकर भी शीलवान् पुरुष स्वर्ग गये हैं तथा शोल और संयमका नाश करनेवाले कुलीन पुरुष नरकको प्राप्त हुए हैं ॥१८-३१॥ यतः गुणोंसे अच्छी जाति प्राप्त होती है और गुणोंका नाश होनेसे वह भी नष्ट हो जाती है, इसलिए बुद्धिमान् पुरुषोंको गुणोंमें अत्यन्त आदर करना चाहिए ॥१८-३२॥ सज्जन पुरुषोंको अपनेको नीच बनानेवाला जातिमट कभी नहीं करना चाहिए और जिससे अपनेमें उच्चपना प्रगट हो ऐसे शीलका आदर करना चाहिए ॥१८-३३॥

—धर्मपरीक्षा

जातयोऽनादद्यः सर्वास्तक्रियापि तथाविधा ।

श्रुतिः शास्त्रान्तरं वास्तु प्रमाणं काथ नः चतिः ॥

स्वजात्यैव विशुद्धानां वर्णानामिह रन्नवत् ।

तक्तियाविनियोगाय जैनागमविधिः परम् ॥

सब जातियाँ और उनका आचार-व्यवहार अनादि है। इसमें वेद और मनुस्मृति आदि दूसरे शास्त्रोंको प्रमाण माननेमें हमारी (जैनोंकी) कोई हानि नहीं है। रत्नोंके समान वर्ण अपनी अपनी जातिके आधारसे ही शुद्ध हैं। उनका आचार-व्यवहार उसी प्रकार चले इसमें जैनागमविधि उच्चम साधन है ॥४० ४७३॥

सा जातिः परलोकात् यस्याः सद्मंसम्भवः ।

न हि सस्यात् जातेत् शुद्धा भूर्जिवजिता ॥

विसमें सभीचीन चर्मको प्राप्ति सम्भव है वह जाति परज्ञोक्ता हेतु है, क्योंकि वीज रहित शुद्ध भूमि शस्त्रको उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं होती ॥

—शतसतकुक्कुक्कुल्लु जात्यात्म ८ पृ० ८१३

पुंसोऽपि चतुसत्त्वमाकुक्कुति प्राप्तः कुल्लुः कडी ।

सद्गृह्यत्वदान्वताकमुक्कुल्लासीकृष्णदीर्घितिः ।

क्षीकुसैः प्रचितैः सुग्रत्यमित्यने जापोऽपि चेहैवतः ।

तत्त्वात्मा च कुलेन चोपरि शूचा चरणस्त्राप्तः स्वं विदेः ॥२—८३॥

हे अपनी जाति और कुलको उच्च माननेवाले ! यदि तू स्त्री-पुरुषोंमें प्रसिद्ध सम्मक्कर्णन, सम्यक्क्वारिति, बदान्यता, चन, कला, सुन्दरता और शूरवीरता आदि गुणोंके साथ इस कलिक्करमें दैववत् अभिजात कुलमें उत्पन्न हुआ है । किन्तु निन्दा योग्य कथों द्वारा अन्य स्त्री-पुरुषोंको हीन-कह समझकर जाकुशित करता है तो तू अपने इस कलिपत जाति और कुलके अभिमानवश स्वर्णको नरकमें बकेवता है ॥२—८३॥

—अवगारधर्मान्वयत

जातिरुक्तुक्तैर्वर्णहीकक्षान्तपोवलैः ।

कुलोऽहंकृतिं नीचं गोप्तं वज्जापि नात्मवः॥

जो मनुष्य जाति, रूप, कुल, ऐश्वर्य, शील, शान, तप और वज्जापि अहंकर करता है वह नीचगोपका कन्व करता है ।

—अवगारधर्मान्वयत २—८३ टीका

वेऽपि वर्णानां वज्जापि शुद्धतः स पृथ परमपदबोग्य हृति वदन्ति ते ३ वि न शुक्लियोग्या इत्याह—जातिर्वाक्यादिदेहाभिसेवादि शुद्धमं वदन्त् । तर्हि वाक्यादिजातिविशिष्टो विवीक्यादिदीक्षया दीक्षितो शुक्ल प्राप्तोतीति वदन्तं प्रत्याह—जातिलिङ्गरूपविकल्पो वेदस्तेव वेदां शैवा-वीरो समवायाहः ज्ञानमानुक्त्यः उत्तमजातिविशिष्टं हि लिङ्गं शुक्लिहेतु-रित्यागमे प्रतिपादितमत्स्तावन्माकर्णेव शुक्लिरित्येवंकृपो वेदामागमाभिविदेषः लेऽपि न प्राप्तुवम्बवेद परमं पदमारम्भः ॥८३॥

वर्णोंमें ब्राह्मण गुरु है इसलिए वही परम पदके योग्य है ऐसा जो लोग कहते हैं वे भी मुकिके योग्य नहीं हैं उनको ध्यानमें रखकर पूज्यपाद आचार्यने 'आतिदेहभिता दृष्टा' इत्यादि श्लोक कहा है। इस श्लोकमें जातिसे ब्राह्मण आदि जाति ली गई है। वह देहके आभयसे होती है इत्यादि श्लोकका अर्थ सुगम है ॥८८॥ ब्राह्मण आदि जातिसे विशिष्ट मनुष्य निर्वाण आदिकी दीक्षासे दीक्षित होकर मुकिको प्राप्त करता है ऐसा कहनेवालेको उद्देश्यकर आचार्य पूज्यपादने 'आतिलङ्घविकल्पेन' इत्यादि श्लोक कहा है। जिन शैवमत आदिके माननेवालोंको ऐसा आगमका आग्रह है कि जाति और लिङ्गका भेद अर्थात् उत्तम जातिविशिष्ट लिङ्ग मुकिका हेतु है ऐसा आगममें कहा है, अतः उतने मात्रसे मुकि होगी इस प्रकारका जिन्हें आगमाभिनिवेश है वे भी आत्माके परम पदको नहीं प्राप्त होते ॥८९॥

—समाधितमन्त्र संस्कृत टीका

असीचारबतायेतु प्रायश्चित्तं गुरुदित्यम् ।

आचरेऽजातिलोपज्ञ न कुर्यांदतियत्यन्तः ॥६३॥

सर्वं एव विधिज्ञेनः प्रमाणं लौकिकः सत्ताम् ।

यत्र न व्रतहानिः स्यात् सम्यक्त्वस्य च स्वप्ननम् ॥६४॥

ब्रत आदिमें अतीचार लगानेपर गुरुके द्वारा बतलाये गये प्रायश्चित्तसे उन्हें शुद्ध कर लेना चाहिए। तथा जातिलोप न हो इसमें प्रयत्नशील रहना चाहिए ॥६३॥

सज्जनोंको सभी लौकिक विधि जैनविधि रूपसे प्रमाण है। मात्र वह ऐसी होनो चाहिए जिसमें ब्रतोंकी हानि न हो और सम्यक्त्वका नाश न हो ॥६४॥

वर्णमीमांसा

प्रजापतिःः प्रजमं जिजीवितुः शशास कुम्ह्यादितु कर्मसु प्रजाः ।

प्रजुहत्तत्त्वः पुनरद्गुतोदयो ममत्वतो निर्विवदे विद्वावरः ॥१॥

प्रजाके जीनेकी इच्छा रसनेवाले प्रजापति आदिनाथने सर्व प्रथम प्रजाको कृषि आदि कर्मका उपदेश दिया । उसके बाद तत्वके जानकार और अन्द्रुत उदयवाले विद्वानोंमें ऐष्ट उन्होंने ममताका त्यागकर वैराग्य धारण किया ॥२॥

—कृहस्त्वयंभूस्तोत्र आविनायस्तुति

अथावनीन्दः स महासमाव॑ प्रकाशवन् धर्मकथापुराणम् ।

मिष्वामहामोहमलीमसानां चित्प्रसादार्थमिठं जगाद् ॥३॥

अहैक एवात्र चदि प्रजानां कथं पुनर्जीतिष्ठतुध्यमेदः

प्रमाणाद्वान्तनवप्रवादैः परीक्षयमाणो विघटामुपैति ॥२॥

कस्वार एकत्वं पितुः सुतारचेतेषां सुतानां खलु जातिरेका ।

एवं प्रजानां च पितैक एव विजैकमावाच्च न जातिमेदाः ॥३॥

फलान्वयोतुम्भरदृष्ट्वात्मेयंचाग्रमध्यान्तमवानि यानि ।

रूपाक्षतिस्पर्शसमानि तानि सर्यैकतो जातिरपि प्रविम्बया ॥४॥

ये कौशिकाः काशयगोत्समाश्च कौडिन्यमाण्डव्यवरिहुगोत्राः ।

आत्रेयकौसाङ्गिसाः सगम्यां मोदगक्षयकास्यायनभाग्यवाश्च ॥५॥

गोदाणि नानाविजजातयम् मातृस्तुवामैयुनपुत्रमाव॑ः ।

ैवा हिंकं कर्म च वर्णमेदः सर्वाणि ैवस्यानि भवन्ति तेषाम् ॥६॥

न ब्राह्मणाऽन्द्रमरीचित्युज्ञा न चत्रिताः किञ्चुकपुष्पगीराः ।

न चेह वैर्या द्वितालक्तुस्याः शूद्रा न चाङ्गारसमानवर्णाः ॥७॥

पादप्रसारैस्तनुवर्णक्षेत्रैः सुखेन दुःखेन च शोणितेन ।

त्वम्मासमेदोस्थिरसैः समानाङ्गतुःप्रमेदाच्च कर्मं भवन्ति ॥८॥

कृतं युगे नास्ति च वर्णमेदस्त्रेताप्रदृक्षावथवाय भृत्यम् ।

आम्यो युगाभ्यां च निरुद्धमावाच्यद्वापरं वर्णकुलाकुलं तत् ॥९॥

इतिप्रवादैरतिलोभमोहैद्येयः पुनर्बर्णविषयं वैश्च ।

विश्वमध्यात्मैः स्थितिसत्यमेद्युपुङ्कः कलिस्तत्र भविष्यतीति ॥१०॥

क्रियाविदोषाहृत्यवहारमात्राद् दयानिरचाहृयितिश्वभेदात् ।

शिष्टाच्च वर्णांश्चतुरो वदन्मित न चान्वधा वर्णवतुष्यं स्थाप्त ॥११॥

अनन्तर सप्ताट् वराङ्गने राज्यसभामें धर्मकथा और पुराणका व्याख्यान करते हुए मिथ्यात्व महामोहसे मलिन चित्तवाले सभासदों चित्तको प्रसन्न करनेके लिए इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया ॥१॥ यदि सब प्रजा एक है तो वह चार जातियोंमें कैसे विभक्त हो गई, क्योंकि प्रमाण, दृष्टान्त और नयविधिसे परीक्षा करनेपर जातिव्यवस्था खण्ड-खण्ड हो जाती है ॥२॥ उदाहरणार्थ एक पिताके यदि चार पुत्र हैं तो उन सबकी एक ही जाति होगी । इसी प्रकार सब मनुष्योंका पिता (मनुष्यजाति नाम-कर्म या ब्रह्म) एक ही है, अतएव पिताके एक होनेसे जातिभेद बन नहीं सकता ॥३॥ जिस प्रकार सभी उदुम्बर वृद्धोंके ऊपर, नीचे और मध्यमांग में लगे हुए फल, रूप और स्पर्श आदिकी अपेक्षा समान होते हैं उसी प्रकार एकसे उत्पन्न होनेके कारण उनकी जाति भी एक ही जाननी चाहिए ॥४॥ लोकमें यद्यपि जो कौशिक, काश्यप, गौतम, कौडिन्य, माण्डव्य, वशिष्ठ, आत्रेय, कौत्स, आङ्ग्रिरस, गार्व्य, मोदगल्य, कात्यायन और भार्गव आदि अनेक गोत्र, नाना जातियों तथा माता, बहू, साला, पुत्र और रुदी आदि नाना सम्बन्ध, इनके अलग अलग वैयाहिक कर्म और नाना वर्ण प्रसिद्ध हैं, परन्तु उनके बीच सब वास्तवमें एक ही है ॥५-६॥ ब्राह्मण कुछ चन्द्रमाकी किरणोंके समान शुभ्र वर्णवाले नहीं होते, वृत्रिय कुछ किशुकें पुष्पके समान गोर वर्णवाले नहीं होते, वैश्य कुछ हरिताल के समान रंगवाले नहीं होते और शूद्र कुछ कोयलेके समान कृष्ण वर्ण-वाले नहीं होते ॥७॥ चलना-फिरना, शरीरका रंग, केश, सुख-नुख, रक्त, त्वचा, मास, मेदा, हड्डी और रस इन सब जातियों बीच समान होते हैं, इसलिए चार भेद कैसे हो सकते हैं ॥८॥ कृतयुगमें तो वर्णभेद था ही

नहीं। वैतायुगमें अवश्य ही स्वामी सेवकभाव दिखलाई देने लगा। इन युगोंमें मनुष्योंके बो भाव ये वे द्वापर युगमें न रहे। मनुष्य निकृष्ट विचार के होने लगे, इसलिए द्वापर युगमें समस्त मानव समुदाय अवश्य ही नाना प्रकारके वर्णोंमें विभक्त हो गया ॥६॥ आगे चलकर तो कलियुगमें नाना प्रकारके अपवाद, अत्यन्त लोभ, मोह, द्वेष, वर्णोंका विपर्यास, विश्वासधात, मर्यादाका उल्लंघन और सत्यका अपलाप आदि वातें भी होंगी ॥१०॥ यिष्ठ पुरुषोंने जो चार वर्ण कहे हैं वे केवल कियाविशेषका स्वाक्षर करके अवहारको चलानेके लिए ही कहे हैं। ब्राह्मण वर्णका मुख्य कर्म दया है, क्षत्रियवर्णका मुख्य कर्म अभिरक्षा है, वैश्यवर्णका मुख्य कर्म कृषि है और शूद्रकर्णका मुख्य कर्म शिल्प है। चार वर्ण होनेका वही कारण है। अन्य किसी भी प्रकार चार वर्ण नहीं हो सकते ॥११॥

—वराहवरित सर्ग २५

उत्तः कृपासमासकहृदयो नाभिनन्दनः ।
काशास चरणप्राप्ता बद्धाङ्गिषुटाः प्रजाः ३-२५४॥

शिष्पाणां शतसुहिं नगराणां च कृपनम् ।
प्रामादिसिद्धिकेशाम तथा वेस्मादिकारणम् ॥३-२५५॥

क्षतिग्राने नियुक्ता ये तेन मायेन मानवाः ।
क्षत्रिया इति ते कोके प्रसिद्धि गुणतो गताः ॥३-२५६॥

वाणिज्यहृषिगोरक्षाप्रभृतौ ये निवेशिताः ।
व्यापारे वैश्यवर्णदेव ते कीके परिकीर्तिंताः ॥३-२५७॥

ये तु भुवा हस्ति प्राप्ता नीचकर्मविद्याविद्यः ।
शूद्रसज्जामवापुस्ते भेदैः प्रेष्यादिभिस्तथा ॥३-२५८॥

युगं तेन हृतं वस्मादित्थमेतत्सुखावहम् ।
तस्मात्कृतयुग ग्रोकं प्रजाभिः प्राप्तसमदम् ॥३-२५९॥

अनन्तर चित्तसे परम कृपालु ऋषभदेवने हाथ जोड़कर चरणोंमें
बैठी हुई प्रजाको सैकड़ों प्रकारकी शिल्पकला, नगरों और आमोंकी रचना
तथा मकान आदि बनानेकी सब विधि बतलाई ॥३-२५४, २५५॥ उन्होंने
जिन्हें आपसिसे रक्षा करनेमें नियुक्त किया वे अपने इस गुणके कारण
इस लोकमें द्वित्रिय इस नामसे प्रसिद्ध हुए ॥३-२५६॥ जो वाणिज्य,
कृषि और गोरक्षा आदि व्यापारमें नियुक्त किये गये वे लोकमें वैश्य इस
नामसे सम्बोधित किये गये ॥३-२५७॥ तथा जो इन सब वातोंको सुनकर
लम्जित हुए और नीच कर्म करने लगे, वे श्रद्ध कहे गये। उनके प्रेष्य
आदि नाना भेद हुए ॥३-२५८॥ यतः आदिनाथने अपने राज्य-
कालमें सुखकर मुग्धकी रचना की, इसलिए प्रजाने हर्षित होकर उसे
कृतयुग कहा ॥३-२५९॥

यदा तदा समुत्पन्नो भासेवो जिमुद्गवः ।

राजन् तेन कृतः पूर्वः कारुः कृतमुगामिवः ॥५-१६३॥

कर्षितात्म त्रयो वर्णाः किवामेदविधानतः ।

शस्यानां च समुत्पत्तिजायते कर्षतो वरः ॥५-१६४॥

जब भोगभूमिका अन्त हुआ तब नाभिराजाके पुत्र तीर्थकुर ऋषभदेव
उत्पन्न हुए। हे राजन्! उन्होंने कृतयुग कालकी रचना की ॥५-१६३॥
तथा कियाके भेदसे तीन वर्ण बनाये, क्योंकि उस समयसे चान्य आदि
उत्पन्न होने लगे ॥५-१६४॥

कृत्यान्नगवान् ग्रहा नाभेवस्तस्य ये जनाः ।

अस्तः सम्तस्तु पश्यन्ति आह्लास्ते प्रकोर्त्सताः ॥११-२०१॥

कृत्रियास्तु चतुर्ग्रामाद्वैश्वयः विश्वप्रवेशनात् ।

शुतासदामाये तु मुतास्ते शून्यसंक्षिताः ॥११-२०२॥

चातुर्वर्ण्य वद्यान्मरण चातुरालादिविशेषजग्द् ।

सर्वमाचारभेदेन प्रसिद्धि शुतने गतम् ॥११-२०३॥

बडे होनेसे भगवान् आदिनाथ ब्रह्मा माने गये हैं और उनके बो
भक्तबन रहे हैं वेलोकमें ब्राह्मण इस नामसे प्रख्यात हुए हैं। ११-२०१॥

आपत्तिसे रक्षा करनेके कारण ज्ञानिय और शिष्यमें प्रवेश पानेके
कारण वैश्य कहे गये हैं। तथा अत अर्थात् सदागमसे जो दूर माग सहे
हुए वे शूद्र इस नामको प्राप्त हुए। ११-२०२॥ चातुर्वर्ण तथा चाषडाळ
आदि अन्य वितने भी विशेषण हैं वे सब आचार भेदके कारण लोकमें
प्रसिद्धिको प्राप्त हुए हैं। ११-२०५॥

—पञ्चचरित

ततो वीक्ष्म मुखादीनाः प्रजाः सर्वाः प्रजापतिः ।
कृत्यातिहरणं तत्सौ दिव्याहरैः कृपामित्ततः ॥५-३३॥
सर्वानुपदिवेशासीं प्रजानां कृत्यसिद्धये ।
उपायान् चर्मकामादीन् सावनानपि पार्वितः ॥५-३४॥
असिम्बिः कृत्यर्थिका वाभिज्ञं शिष्यमित्यपि ।
पद्मनं शर्मसिद्धवर्णं सोपायमुपदिव्यान् ॥५-३५॥
पशुपालनं ततः शोकं गोमहित्यादिसंप्रहः ।
वर्जनं शूरसत्त्वानां सिंहादीनां चक्रावर्णम् ॥५-३६॥
ततः पुत्रशत्रेत्वापि प्रजदा च कक्षागमः ।
गृहीतः कुरुदीतं च कृतं शिविष्टातं जनैः ॥५-३७॥
पुरामनिवेशात् ततः शिविष्टनैः कृताः ।
सलेटकवटास्त्वात् सर्वत्र भरतहिती ॥५-३८॥
चक्रियाः चक्रसत्त्वानांकृत्या वाभिज्ञवोत्तमः ।
शम्भाः शिवादिसम्बन्धात्ताता वर्णविद्योऽन्यतः ॥५-३९॥
पद्मिः कर्ममित्तासात् मुखितामवर्णत्वा ।
प्रजामित्तस्तुषुद्धामिः शोकं कृत्युगं कुरुत् ॥५-४०॥

अनन्तर दयालु प्रबापति कथमदेवने समस्त प्रबाको छुबासे पीडित देखकर दिव्य आहारो द्वारा उसके कष्टको दूर किया ॥६-३३॥ राजा कथमदेवने प्रबाकी आबीविकाको सिदिके लिए धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थके साधनरूप सब उपाय चलाये ॥६-३४॥ सर्व प्रथम उसे मुखी करनेके लिए उपाय सहित आसि, मणि, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प हन छह कमोंका उपदेश दिया ॥६-३५॥ अनन्तर पशुपालन और गाय, मैस आदिके संग्रहकी तथा सिंह आदि कूर जीवोंके निवारण करनेकी यथायोग्य शिक्षा दी ॥६-३६॥ उनके सौ पुत्रोंने और प्रजावर्गने फला शास्त्रका ज्ञान प्राप्त कर लैकड़ों शिल्पियोंका निर्माण किया ॥६-३७॥ फल-स्वरूप उन शिल्पियोंने भारतभूमिमें खेट और कर्वटके साथ आम और सनिवेशोंकी रचना की ॥६-३८॥ आपचिसे रक्षा करनेके कारण द्वित्रिय, व्यापारके निमित्से वैश्य और शिल्पकर्म आदिके सम्बन्धसे शुद्ध ये तीन वर्ण उत्पन्न हुए ॥६-३९॥ इन छह कमोंके ज्ञान्यसे प्रबा यथार्थरूपमें सुखी हो गई, अतः सन्तुष्ट हो उसने उस युगको कृतयुग इस नामसे अभिहित किया ॥६-४०॥

—इतिंश्चपुराण

वसिमैषः कृषिविद्या वाणिज्यं विहृपमेव च ।

कर्माणीमानि षोडा स्तुः प्रजातीवनाहेतवः ॥१६-१०३॥

तत्र तृतीं प्रजावान् स भगवान् भवित्कौशलाद् ।

उपादिष्ठत् सरागो हि स तदासीज्जदगुरुः ॥१६-१०४॥

तत्रासिकर्मं सेवाचां मयिकिंपिविद्यौ स्मृता ।

कृषिसूक्ष्मेण ग्रोका विद्या शास्त्रोपजीवने ॥१६-१०५॥

वाणिज्यं विजारं कर्मं विश्वं स्वात् करकौशलाद् ।

उत्तरादितात्मको वर्णस्तद् । तेनादिवेषसा ।

विद्या विजितः शूद्राः चत्रामादिमिश्रैः ॥१६-१०६॥

शक्तिवाः जगद्गीविक्षमनुभूत्वं तदाभ्यवद् ।
 वेदवाचम् कृषिवाचिक्षयत्प्राप्तोपजीवितः ॥ १६-१८३॥
 सेवा शुद्धप्रणाल्युद्गते हिता कार्यकरवः ।
 कारवो रजकाराः स्तुः ततोऽन्ये स्वरकारवः ॥ १६-१८५॥
 कारवोऽपि मता द्वेषा स्वरकारविकल्पतः ।
 तत्रास्पृश्याः प्रजापाताः स्पृश्याः स्तु कर्त्तकावद्यः ॥ १६-१८६॥
 अथात्वं स्वोचितं कर्म प्रजा दुरस्तद्वरम् ।
 विवाहवातिसम्बन्धवहस्त तन्मत्तव ॥ १६-१८७॥
 चावती चगती कृतिः अपापोपहता च च ।
 सा सर्वात्म्य मतेनासीद् स हि चाता सवात्मवः ॥ १६-१८८॥
 शुगादिव्राहा सेव वित्तं स हृतो तुगः ।
 ततः हृतहुनं चाम्ना तं पुराणविदो चितुः ॥ १६-१८९॥

आसि, मणि, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प ये छह कर्म प्रजाओं की आबीविक्षके कारण हैं ॥ १६-१८६॥ भगवान् ऋषभदेवने अपनी मतिकी कुशलतासे इन्हीं छह कर्मों द्वारा आपनी आबीविका करनेका उपदेश दिया सो ठीक ही है क्योंकि उस समय बगदगुरु भगवान् सरगी थे, बीतराग नहीं थे । मावार्य—सांसारिक कार्योंका उपदेश सरग आवस्थामें ही दिया चा सकता है ॥ १६-१८०॥ शास्त्र लेकर सेवा करना असिकर्म है, लिखकर सेवा करना मणिकर्म है, सेती-बाढ़ी करना कृषिकर्म है, शास्त्रसे आबीविका करना विद्याकर्म है, व्यापार करना वाणिज्यकर्म है और हाथोंकी कुशलतासे आबीविका करना शिल्पकर्म है । वह शिल्पकर्म विक्रक्षा और पञ्चलेन आदिके भेदसे अनेक प्रकारका माना गया है ॥ १६-१८१, १८२॥ उसी समय आदि ब्रह्मा भगवान्ने तीन वर्ण उत्पन्न किए । आपसिसे रक्षा करना आदि गुणोंके कारण वे लौकिक, वैश्य और शूद्र कहलाये ॥ १६-१८३॥ जो शख्स से आबीविका करने लगे वे लौकिक हुए, जो कृषि, व्यापार और पशुपालनसे आबीविका करने लगे वे वैश्य हुए और जो उनकी शुभता

करके आजीविका करने लगे वे शूद्र हुए। शूद्रोंके दो भेद हैं—कारु और अकारु। घोत्री आदि कारु शूद्र हैं और शेष अकारु शूद्र हैं ॥१६-१८४, १८५॥ कारु शूद्रोंके दो भेद हैं—स्युश्य और अस्युश्य। जो प्रबा से बाहर रहते हैं वे अस्युश्य शूद्र हैं और नाई आदि स्युश्य शूद्र हैं १६-१८६॥ सब प्रबा यथायोग्य अपने अपने कर्मको सांकर्यके बिना करने लगी। विवाह, जाति सम्बन्ध और व्यवहार नियमानुसार चलने लगे ॥१६-१८७॥ संसारमें जितनी पापरहित आजीविका थी वह सब भगवान् ऋषभदेवको सम्मतिसे प्रवृत्त हुई। सो ठीक ही है, क्योंकि वे सनातन ब्रह्मा थे ॥१६-१८८॥ युगके आठि ब्रह्मा भगवान् ऋषभदेवने इस प्रकार युगका निर्माण किया, इसलिए पुराणके जानकर उसे कृतयुग इस नामसे जानते हैं ॥१६-१८९॥

अथाधिहात्यमासाद्य नाभिराजस्य सक्षिधौ ।

प्रजानां पालने यज्ञमकरोदिति विश्वस्त् ॥१६-२४१॥

कृत्यादितः प्रजासर्गं तद् तृत्यनियमं पुनः ।

स्वधर्मान्तिनृत्येव नियरुक्तान्वशात् प्रजाः ॥१६-२४२॥

स्वदोऽर्थां धारवन् शस्त्रं चत्रियानसुजट्टिमुः ।

चतुत्राणे नियुक्ता हि चत्रियाः शस्त्रपाणयः ॥१६-२४३॥

उरुम्यां दर्शयन् याक्रां अस्त्रार्दृद् वणिजः प्रसुः ।

जलस्थलादिवान्नामिः तदृत्यनिर्वाच्या यतः ॥१६-२४४॥

न्यग्रृत्यनियतान् शूद्रान् पद्म्यामेवास्त्रजत् सुधीः ।

वर्णोत्तमेषु शुभ्रूषा तदृत्यनिर्वाच्या स्मृता ॥१६-२४५॥

मुख्यतोऽन्यापवन् शास्त्रं भरतः सृक्षयति दिजान् ।

अर्धात्यध्यापने दानं प्रतीक्ष्येति तत्किवाः ॥१६-२४६॥

शूद्रा शूद्रेण बोद्धन्या नान्या तां स्वां च नैगमः :

वहेत् स्वां ते च राजन्यः स्वां हिजन्मा कविष्वता: १६-२४७

७.अनन्तर राज्यके अधिपति हो विश्वसुष्ठा भगवान् ऋषभदेवने अपने पिता नाभिराजके समीप ही प्रजा पालनकी ओर ध्यान दिया ॥१६-२४१॥ उन्होंने सर्व प्रथम प्रजाका निर्भाग कर उसकी आजीविकाके नियम बनाये तथा वह अपने-अपने धर्मका उल्लंघन न कर सके इस प्रकारके नियन्त्रण की व्यवस्था कर शासन करने लगे ॥१६-२४२॥ विमुने अपनी दोनों शुचाओंसे शुच चारण कर द्वितीयोंकी रचना की। तात्पर्य यह है कि उन्होंने शुचपाणि द्वितीयोंको आपत्तिसे रक्षा करनेरूप कर्ममें नियुक्त किया ॥१६-२४३॥ अनन्तर अपने दोनों ऊर्जाओंसे यात्रा दिखला कर वैश्योंकी रचना की, क्योंकि जलयात्रा और स्थलयात्रा आदिसे आजीविका करना वैश्योंका मुख्य कर्म है ॥१६-२४४॥ निम्न श्रेणीकी आजीविका करनेवाले शूद्रोंकी रचना बुद्धिमान् ऋषभदेवने अपने दोनों पैरोंसे की, क्योंकि उत्तम वर्णवालोंकी शुभ्रधा आदिके भेदसे उनकी आजीविका अनेक प्रकारकी मानी गई है ॥१६-२४५॥ इस प्रकार तीन वर्णोंकी रचना भगवान् ऋषभदेवने की। तथा मुखसे शार्कोंको पढ़ाते हुए भरत-चक्रवर्ती आगे ब्राह्मणोंकी रचना करेगे, क्योंकि अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना और पूजा करना कराना ये ब्राह्मणोंके कर्म हैं ॥१६-२४६॥ उन्होंने यह भी जताया कि शूद्र शूद्रके साथ विवाह करे। वैश्य वैश्या और शूद्राके साथ विवाह कर सकता है। द्वितीय उक्त दो और द्वितीय कन्याके साथ विवाह कर सकता है तथा ब्राह्मण मुख्य रूपसे ब्राह्मण और कदाचित् अन्य वर्णोंकी कन्याओंके साथ विवाह कर सकता है । १६-२४७॥

स्वामिमां वृत्तिमुक्त्य यस्त्वन्वां वृत्तिमावरेत् ।

स पार्थिवैनिवन्तस्यो वर्णसङ्कीर्णिरन्यथा ॥१६-२४८॥

कृष्णादिकर्मवट्कं च ज्ञाता प्रापोव सृष्टवान् ।

कर्मभूमिरियं तस्मात् तदासीत्तद्भवस्थथा ॥१६-२४९॥

जो अपनी इस वृत्तिका त्याग कर अन्य वृत्तिको स्वीकार करता है उस पर राजाओंको नियन्त्रण स्थापित करना चाहिए, अन्यथा वर्णसंकर हो

जायगा अर्थात् वर्णव्यवस्थाका लोप हो जायगा १६-२४॥ युगनिर्माता
भगवान् ऋषभदेवने कृषि आदि छह कर्मोंको व्यवस्था राज्यप्राप्ति के पूर्व
ही कर दी थी, इसलिए उस व्यवस्थाके कारण उस समय वह कर्मभूमि
कहलाने लगी ॥१६-२४॥

मनुष्यजातिरेकैव जातिनामोदयोऽन्नवा ।

कृत्स्तिभेदाहितञ्चेदाशातुर्विष्यमिहाश्चुते ॥३८-४५॥

ब्राह्मणा ब्रतसंस्कारात् चत्रियाः शश्चाचाश्चात् ॥

वणिजोऽर्थार्जिनान्म्याचात् शूद्रा न्यमृतिसंश्चात् ॥३८-४६॥

जाति नामकर्मके उठायसे उत्पन्न हुई मनुष्य जाति एक ही है । पिर
भी आजीविकाके भेदसे होनेवाले भेदोंके कारण वह इस लोकमें चार
प्रकारकी हो गई है ॥३८-४५॥ ब्रतोंके संस्कारसे ब्राह्मण, शस्त्रोंके चारण
करनेसे चत्रिय, न्यायपूर्वक अर्थका अर्जन करनेसे वैश्य और निम्न श्रेणी
को आजीविकाका आश्रय लेनेसे शूद्र कहलाते हैं ३८-४६॥

गुरोरनुज्ञया लक्ष्यधनधान्यादिसम्पदः ।

पृथक्कृतालक्ष्यस्यास्य कृतिर्वर्णास्त्रिरिष्यते ॥३८-१३॥

धन-धान्य आदि सम्पदा और मकान मिल जाने पर पिताकी आजासे
अलगासे आजीविका करने लगनेको वर्णलाभ कहते हैं ॥३८-१३॥

सृष्ट्यन्तरमतो दूरं अपास्य नयतस्त्वचित् ।

अनादिचत्रियैः सृष्टां धर्मसृष्टि प्रभावयेत् ॥४०-१८॥

तीर्थंकृतिरियं सृष्टा धर्मसृष्टिः सनातनी ।

तां संवितान्नपानेव सृष्टिहेतुन् प्रकाशयेत् ॥४०-१९॥

नय और तत्त्वको जानेवाला द्विज दूसरोंके द्वारा रची हुई सुष्टिको
दूरसे ही त्यागकर अनादि चत्रियोंके द्वारा रची गई धर्मसृष्टि की प्रभावना
करे ॥४०-१८॥ तथा इस सुष्टिका आश्रय लेनेवाले राजाओंको यह
कहकर सुष्टिके हेतु टिकलाते कि तीर्थंकरोंके द्वारा रची गई यह धर्मसृष्टि
ही सनातन है ॥४०-१९॥

लेवामिन् भासते वर्षे धर्मतीयं प्रवर्तते ।
 सत्तः कृतावतारेण चात्र सर्वाः प्रवर्तितः ॥४२-६॥
 सत्कर्थं कर्मभूमित्वादश्यत्वे द्वितीया प्रजा
 कर्तव्या इच्छीयैका प्रजान्वया इच्छणोदत्ता ॥४२-१०
 रुपणाम्युद्यता येऽन्न द्वितीयाः स्युस्तदन्वयाः ।
 सोऽन्वयोऽनादिसन्तत्वा वीजनृष्टविद्यते ॥४२-११॥
 विशेषतत्त्वं तत्सर्वाः क्षेत्रकालम्बपेचदा ।
 तेषां समुचिताचारः प्रजायेऽन्यायवृत्तिता ॥४२-१२॥

धर्मतीयकी प्रवृत्तिके लिए इस भारतवर्षमें जन्म लेकर भगवान् अ॒ष्टमदेवने द्वितीयोंकी यह सुष्ठि चलाई ॥४१-६॥ क्योंकि कर्मभूमित्व होनेसे वर्तमानमें दो प्रकारकी प्रजा पाई जाती है । एक वह जो रक्षा करने योग्य होती है और दूसरी वह जो रक्षा करनेमें उद्यत होती है ॥४२-१०॥ जो रक्षा करनेमें उद्यत होते हैं उनको परम्पराको द्वितीय कहते हैं । वीजनृष्टके समान उनकी वह परम्परा अनादिकालसे चली आ रही है ॥४२-११॥ विशेषता इतनी है कि देश और कालकी अपेक्षा उनको सुष्ठि होती है । प्रजाके लिए न्यायवृत्तिका आळम्बन लेना ही उनका समुचित आचार है ॥४२-१२॥

—महापुराण

वर्णाकृत्यादिमेदानां देहेऽस्मिन्नप्यदर्शनात् ।
 जागृत्यादिषु शूद्रस्त्वैर्भायानन्दर्शनात् ॥७४-४६१॥
 जाह्नित जातिकृतो भेदो मनुष्याणां गत्वादवत् ।
 जाकृतिग्रहणात्तस्मादन्वयथा परिकल्पते ॥७४-४६२॥
 जातिगोत्रादिकर्माणि शुक्लध्यानस्य हेतवः ।
 येषु ते स्युष्टयो दण्डाः शोषाः शूद्राः प्रकीर्तिसाः ॥७४-४६३॥
 अच्छेदो मुक्तियोग्यायाः विदेहे जातिसन्ततेः ।
 तदेतुनीमयोत्राक्षवीवादिच्छासम्भवात् ॥७४-४६४॥

लेखोस्तु चतुर्ये स्वाक्षाले तज्जातिसन्ततिः

एवं वर्णविभागः स्वान्मनुष्येषु जिनागमे ॥७४-४६५॥

इस शरीरमें वर्ण तथा आकृतिकी अपेक्षा कुछ भी मेद देखनेमें नहीं आता । और ब्राह्मणी आदिमें शूद्रके द्वारा गर्भधारण किया जाना देखा जाता है ॥७४-४६३॥ तथा मनुष्योंमें गाय और अश्वके समान जातिकृत कुछ भी मेद नहीं है । यदि आकृतिमें मेद होता तो जातिकृत मेद माना जाता । परन्तु ब्राह्मण, द्विषय, वैश्य और शूद्रमें आकृति मेद नहीं है, अतः उनमें जातिकी कल्पना करना जन्मया है ॥७४-४६२॥ जिनके जातिनामकर्म और गोत्रकर्म शुक्लपाणके कारण हैं वे त्रिवर्ण हैं और शैव शूद्र कहे गये हैं ॥७४-४६३॥ विदेह द्वेषमें मुक्तिके योग्य जातिसन्ततिका विच्छेद नहीं होता, क्योंकि वहाँपर मुक्तियोग्य जातिसन्ततिके योग्य नामकर्म और गोत्रकर्मसे युक्त जीवोंकी निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है ॥७४-४६४॥ परन्तु भगवत् और ऐश्वर्य द्वेषमें चतुर्थ कालमें ही मुक्तियोग्य जातिसन्तति पाई जाती है । जिनागममें मनुष्योंमें वर्ण विभाग इसप्रकार बतलाया गया है ॥७४-४६५॥

—दलपुराण

लोकः आज्ञानक्तिवैश्वर्यशूद्रास्तस्मिन् भवो लौकिकः आचार इति सम्बन्धः । *** राहुनवाति । *** तस्मात्तन्मूढत्वं सर्वशक्त्वा न कर्तव्यम् ।

ब्राह्मण, द्विषय, वैश्य और शूद्र इनकी लोक संज्ञा है और उसमें होनेवाले आचारको लौकिक आचार कहते हैं ऐसा यहाँ सम्बन्ध है ।

—मूलाचार अ० ५ इको० ५३ टीका

जिनः कल्पद्रुमायावे कोकानामाकुलात्मनाम् ।

दिदेश वहूक्तिः पृष्ठो जीवनस्थितिकारिणीः ॥१८-२६॥

कल्पद्रुदोंके नष्ट हो जानेपर जनताको आकुल देखकर जड़म जिनने (राज्यकालके समय) जनताके पूछनेपर जीविकाके उपायत्वरूप घट्कर्मका उपदेश दिया ॥१८-२६॥

वतिनो आहुणः प्रोक्तः चत्रियः चतुर्द्विः ।

चाप्तिक्षेत्राहुला वैश्याः शूद्राः प्रेषणकारिणः ॥१८—६६॥

ब्रह्मोक्त पालन करनेवाले ब्राह्मण कहलाये, आपचिसे रक्षा करनेवाले
चत्रिय कहलाये, व्यापारमें कुशल वैश्य कहलाये और सेवकका कर्म करने-
वाले शूद्र कहलाये ॥१८—६६॥

—धर्मपरीक्षा

इसे हि धर्मो गृहस्थानां लौकिकः पारखौकिकः ।

लोकाभ्यो भवेदातः परः स्वादागमभ्यः ॥

आत्मोऽनाद्यः सर्वस्तत्त्विकापि तथाविषा ।

श्रुतिः तात्त्वान्तरं वास्तु प्रमाणं कात्र चः चातिः ॥

स्वज्ञात्यैव विशुद्धानां वर्णनामिह रस्तवद् ।

तत्त्विकाविनिवोगाय जैनागमविधिः परम् ॥

यज्ञवल्लान्तिनिर्मुक्तेतुष्मिस्तत्र तुर्लभा ।

संसारम्बवहारे तु स्वतःसिद्धे तृष्णागमः ॥

सर्वं पूज हि जैनानां प्रमाणं लौकिको विधिः ।

यत्र सम्बवस्वद्वानिन्द्रं यत्र न वत्तदूषकम् ॥

गृहस्थोक्त धर्म दो प्रकारका है—लौकिक और पारखौकिक । लौकिक
धर्मका आधार लोक है और पारखौकिक धर्मका आधार आगम है । सब
बातियों (ब्राह्मणादि) और उनका आचार-व्यवहार आनादि है । इसमें
वेद और मनुस्मृति आदि दूसरे शाखोंको प्रमाण माननेमें हमारी
(जैनोंको) कोई हानि नहीं है । रत्नोंके समान वर्ण अपनी अपनी जातिके
आधारसे ही शुद्ध हैं । उनके आचार-व्यवहारके लिए जैन आगमकी
विधि सर्वोच्चम है, क्योंकि संसार भ्रमणसे मुकिका कारण वर्णाभ्यधर्मको
मानना उचित नहीं है और संसारका व्यवहार स्वतःसिद्ध होते
हुए उसमें आगमकी दुहाई देना भी जर्य है । ऐसी सब लौकिक विधि

विसमें सम्प्रस्तुतकी हानि नहीं और बतोंमें दूषण नहीं आता, जैनोंको प्रमाण है।

—वशस्तिलकवद्य आशवास द ४० ३०३

कल्पारो वेदाः शिद्वा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिरिति चहङ्गानीतिहासपुराणमीमांसान्यायधर्मशास्त्रमिति चतुर्दशविद्यास्वानानि त्रयी ॥१॥ त्रयीतः खलु वर्णाश्रमाणां धर्माधर्मस्ववस्था ॥२॥ स्वपद्मानुरागाप्रभूत्या सर्वे समवाचिनो छोकम्बवहृतेभविक्षिवन्ते ॥३॥ धर्मशास्त्राणि स्मृतयो वेदार्थसंप्रहारेद्वा एव ॥४॥ अध्ययनं वज्रं दानं च विष्वक्रियवैद्यतानां समानो धर्मः ॥५॥ त्रयो वर्णं द्विजात्मवः ॥६॥ अध्ययनं वाजनं प्रतिग्रहो ब्राह्मणानमेव ॥७॥ भूतसंरक्षणं वाचार्जीवनं सत्तुरूपोपकारो दीनोद्धरणं रणेऽप्लायनं चेति चक्रियाणाम् ॥८॥ वातार्जीवनमावेशिकपूजनं सत्त्रप्रपापुष्यारामदयादानादिनिर्मापणं च विशाम् ॥९॥ त्रिवर्णोपवीक्षणं काश्चुर्णीलकर्कर्म पुष्पपुटवाहनं च शूद्राणाम् ॥१०॥ सहूतपरिणयनस्यवहाराः सच्छूद्राः ॥११॥ आचारानवश्चत्वं शुचिश्चपस्कारः शारीरी च विशुद्धिः करोति शूद्रमपि देवद्विजतपस्विपरिकर्मसु योग्यम् ॥१२॥ आनुशास्त्रमसृष्टाभावित्वं परस्त्विवृत्तिरिच्छानिवमः प्रतिक्रोमा-विवाहो विसिद्धासु च चारु ब्रह्मवर्यमिति सर्वेषां समानो धर्मः ॥१३॥ आदित्यावक्षोक्तनवश्च धर्मः खलु सर्वासाधारणो । विशेषानुहाने तु निवमः ॥१४॥ निजामामोक्तमनुष्ठानं यतीनां स्वो धर्मः ॥१५॥ स्वधर्मस्ववित्तिक्लेश वसीनां स्वागमोक्तं प्रायविच्छाम् ॥१६॥ यो वस्त्व वेवस्त्व भवेष्वद्वावान् स तं देवं प्रतिहापयेत् ॥१७॥ अभक्षया पूजोपचारः सद्यः शापाम् ॥१८॥ वर्णाश्रमाणां स्वाचारप्रस्तवने त्रयीतो विशुद्धिः ॥१९॥

चार वेद हैं । शिद्वा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छुदस् और ज्योतिष ये छह उनके अङ्ग हैं । ये दस तथा इतिहास, पुराण, मीमांसा, न्याय और धर्मशास्त्र ये त्रौदह विद्यास्थान त्रयी कहलाते हैं ॥१॥ त्रयीके अनुसार

वर्ण और आधमोंके वर्म और अवर्मकी व्यवस्था होती है ॥२॥ आपने आपने पद्मके अनुरागके अनुकूल प्रहृति करते हुए समस्त खोकम्बवहारमें सभी वर्मवाले मिलकर आधिकारी होते हैं ॥३॥ स्मृतियाँ वर्मयात्र हैं । वे वेदाश्रका संग्रह करके बनी हैं, इसलिए वेद ही है ॥४॥ अप्यन, यजन और दान ये ब्राह्मण, लक्ष्मिय और वैश्यवर्णके समान वर्म हैं ॥५॥ तीन वर्ण द्विभाति हैं ॥६॥ पड़ाना, पूजा करना और दान लेना ये ब्राह्मणोंके मुख्य कर्म हैं ॥७॥ प्राणियोंकी रक्षा करना, शरद्वारा आबीविका करना, संज्ञनोंका उपकार करना, दीनोंका उद्धार करना और रणसे विमुख नहीं होना ये लक्ष्मियोंके कर्म हैं ॥८॥ कृषि आदिसे आबीविका करना, निष्ठपट भावसे यज्ञ आदि करना, अजशाला खोलना, प्यायुक्त प्रबन्ध करना, वर्म करना और वाटिका आदिका निर्माण करना ये वैश्योंके कर्म हैं ॥९॥ तीन वर्णोंके आधयसे आबीविका करना, वहाँ आदिका कार्य करना, नृत्य-गान और भिन्नुओंकी सेवा सुभूषा करना ये शूद्रोंके कर्म हैं ॥१०॥ जो (कन्याका) एक विवाह करते हैं वे सच्छूद्र हैं ॥११॥ बिनका आचार निर्दोष है, जो यह, पात्र और वस्त्र आदिकी सफाई रखते हैं तथा शरीरको शुद्ध रखते हैं वे शूद्र होकर भी देव, दिव और तपत्वियोंकी परिचयी करनेके आधिकारी हैं ॥१२॥ कूर भावका त्याग अर्थात् अहिंसा, सत्यवादिता, पर धनका त्याग अर्थात् अचौर्य, इच्छापरिमाण, प्रतिलोभ विवाह नहीं करना और निषिद्ध लियोंमें ब्रह्मचर्य रखना यह चारों वर्णोंका समान वर्म है ॥१३॥ बिस प्रकार सूर्यका दर्शन सबको समानरूपसे होता है उसी प्रकार अहिंसा आदि वर्म सबके लिए साधारण है । मात्र विशेष वर्म (आलग आलग वर्णके कर्म) आलग आलग है ॥१४॥ आपने आगमके अनुसार प्रहृति करना यतियोंका स्ववर्म है ॥१५॥ आपने वर्मसे विशद् चलने पर यतियोंको आपने आपने आगमके अनुसार प्रायमित होता है ॥१६॥ जो पुरुष बिस देवका अदालु हो वह उस देव की प्रतिष्ठा करे ॥१७॥ मकिके विना की गई पूजाविधि तत्काल शापक ऋण्य होती है ॥१८॥ वर्म

और आश्रमवालोंके अपने अपने आचारसे च्युत होने पर त्रयीके अनुसार शुद्धि होती है ॥१६॥

—नीतिवाक्यामृत त्र्यासमुद्देश

आह्वाणवैश्यवैश्यशूद्राश्च वर्णः ॥६॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण हैं ॥६॥

—नीतिवाक्यामृत विद्यावृद्धसमुद्देश

स देशोऽनुसर्तन्यो यथा नास्ति वर्णशंकरः ॥५५॥

जिस देशमें एक वर्णका मनुष्य दूसरे वर्णका कर्म नहीं करता है उस देशमें रहना चाहिए ।

—नीतिवाक्यामृत सदाचारसमुद्देश

षट्कर्मजीवनोपायैः सक्षिपुज्याकुलाः प्रजाः ।

येन कल्पद्रुमापाये कल्पवृक्षाचितं पुनः ॥३-५५॥

आदिनाथ बिनेन्द्र कल्पवृक्षोंका अभाव होने पर आजीविकासे आकुल हुई प्रजाको आजीविकाके उपायरूप छुट कर्मोंमें लगाकर स्वयं कल्पवृक्षके समान सुशोभित होने लगे ॥३-५५॥

—वर्धमानचरित

'हठं वरु वंभणु वहसु हठ स्तिति हठ सेसु' अहं वरो विशिष्टो ब्राह्मणः
अहं वैश्यो वर्णिक् अहं चत्रियोऽहं शोः शूद्रादिः । पुनश्च कथंभूतः ?
'पुरिसु णठंसठ हृत्यि हठं मण्ड मूढु विसेसु' पुरुषो नपुसकः छोलिङ्गोऽहं
मन्यते मूढो विशेषं ब्राह्मणादिविशेषमिति । हृदमत्र तापर्यम्—
विश्वधनयेन परमात्मनो भिक्षानांप कर्मजनिसान् ब्राह्मणादिभेदान्
सर्वप्रकारेण हेतुभूतानपि निश्चयनयेनोपादेयभूते वीतरागसदान्दैकस्वभावे
स्वशुद्धास्त्रमनि योजयति सम्बद्धान् करोति । कोऽस्ती कथंभूतः ? अङ्गान-
परिणतः स्वशुद्धास्त्रमावनाइहितो मूढाभ्येति ॥८॥

आशय यह है कि यद्यपि ये ब्राह्मण आदि भेद कर्मके निमित्से उत्पन्न हुए हैं फिर भी जो आत्मा अशानी अर्थात् अपने शुद्ध आत्म-

तत्त्वकी भावनासे रहित है वह इन सब मेदोंको उपादेयस्य सदा आनन्द स्वभाव बीतराग आत्मतत्त्वके साथ सम्बद्ध करता है। अर्थात् इन ब्राह्मणादि मेदोंको आत्मा मानता है ॥८१॥

‘अप्या वंभणु बहसु ण वि ण वि लक्ष्मिं ण वि सेसु । पुरिसु जदंसर इत्यि ण वि’ आत्मा ब्राह्मणो न भवति, वैश्वोऽपि नैव, नायि लक्ष्मिः, नायि शेषः शूद्रादिः, पुरुषमपुंसकसीलिङ्गरूपोऽपि नैव । तर्हि किंशिष्टः? ‘आग्निं भुजाह असेसु’ ज्ञानी ज्ञानस्वरूप आत्मा ज्ञानी सद् किं करोति? मनुसे ज्ञानाति । कम्? अशेषं वस्तुआतं वस्तुसमूहमिति । तत्त्वाः— यानेव ब्राह्मणादिवर्णमेदान् पुरिङ्गादिलिङ्गमेदान् व्यवहारेण परमात्म-पदार्थादिनिकान् शुद्धनिश्चयेन निकान् साक्षादेवभूतान् बीतरागनिर्विकल्प-समाधिच्छुलो बहिरात्मा स्वात्मनि बोजयति तानेव तद्विपरीक्षावाचना-रतोऽन्तरात्मा स्वशुद्धात्मस्वरूपेण बोजयतीति तात्पर्यायः ॥८२॥

तात्पर्य यह है कि ये ब्राह्मण आदि वितने वर्णमेद हैं और पुरिङ्ग आदि लिङ्गमेद हैं वे उपचरित असद्भूत व्यवहारनयकी अपेक्षा जीवसे अभिन्न होकर भी निश्चयनयसे जीवसे भिन्न और हेय हैं । किन्तु बीतराग निर्विकल्प समाधिसे च्युत हुआ यह बहिरात्मा उन सब मेदोंको आत्मामें घटित करता है । यह इस मिष्याहषि जीवका महान् अशान है ॥८३॥

—परमात्मप्रकाश ब्रह्मदेव टीका

ब्राह्मणवर्णमीमांसा

द्विजातयो मुख्यतया नृलोके तद्वाक्यतो लोकतातिः स्थितिः ।

देवाऽप्य तेषां हृवनकियाभिस्तृष्णिं प्रथाम्तातिः च लोकवादः ॥२८॥

संसारमें यह किंवदन्ती चली आ रही है कि मनुष्योंमें ब्राह्मण सर्वं श्रेष्ठ हैं । उनके उपदेशसे ही लोकव्यवहार चलता है, मर्यादा निश्चित होती है और उनकी हृवनकियासे देवगण तुतिको प्राप्त होते हैं ॥२८॥

पत्राणि गुष्ठाणि कलानि गन्धान्वस्त्राणि नानाविधभोजनानि ।
संगृहा सम्बन्धुभिः समेताः स्वयं द्विजा राजागृहं प्रथान्ति ॥२६॥
प्रवेष्टुकामाः चितिपश्य वेशमद्वास्थैर्निरुद्धाः लग्नमीषमाणाः ।
तिष्ठन्त्यभद्राः करुणं द्रुचाणा नालं किमेतपरिभूतिमूलम् ॥२०॥

किन्तु जब ये द्विज पत्र, फूल, फल, गन्ध, चख और नाना प्रकार के भोजनों को संग्रह कर इन्हें लेकर स्वयं राजमहलमें प्रवेश करते हैं तो द्वारपालके द्वारा ये दीन बाहर ही रोक दिये जानेपर प्रतीक्षा करते हुए वहीं खड़े रहते हैं और भीतर प्रवेश करनेके लिए गिर्जाने लगते हैं। क्या उनका यह पराभव उसके मूल कारणोंको बतलानेके लिए पर्याप्त नहीं है ॥२६-२०॥

यदीश्वरं प्राप्तिमुखं त्वपश्यस्ते भन्यते भूतलराज्यलाभम् ।
पराह्नमुखद्वेष्टुपतित्यैव राज्याद्विनष्टा हव से भवन्ति ॥३१॥

किसी प्रकार भीतर प्रवेश करके यदि राजा को प्रसन्न देखते हैं तो अपनेको ऐसा मानने लगते हैं कि पृथिवीका राज्य ही मिल गया है आर कदाचित् राजा को अपनेसे प्रतिकूल पाते हैं तो समझते हैं कि मानो पृथिवीका राज्य ही चला गया है ॥३१॥

भवन्ति रोपान्नुपतेद्विजानां दिशो दश प्रज्वलिता हवात्र ।

द्विजातिरोपान्नुपतेः पुनः स्याद्वातकस्त्वेह हवाशमृष्टे ॥३२॥

राजा के रोधवश वे ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि मानो उनके चारों ओर दशों दिशाएँ ही प्रज्वलित हो उठी हैं और यदि सब ब्राह्मण मिलकर रुष्ट हो जाते हैं तो राजा के लिए उसका उतना ही प्रभाव होता है जितना कि भिलवेके तेलको पत्थरके ऊपर बहानेका होता है ॥३२॥

ये निश्चालुप्रह्योरशक्ता द्विजा वराकाः परपोष्यर्जीवाः ।

मायाविनो दीनतमा नुपेत्यः कथं भवन्त्युत्समजातयस्ते ॥३३॥

जो द्विज दूसरों का निग्रह और अनुग्रह करनेमें असमर्थ है, गरीब हैं,

जिनकी आजीविका पराधीन है, मायावी हैं और अत्यन्त दीन हैं वे राजाओंसे बढ़कर उच्चम जातिवाले कैसे हो सकते हैं ॥३३॥

तेषां द्विजानां मुख्यनिर्गंतानि वचांस्यमोषान्यथनाशकानि ।

इहापि कामान्यमनःप्रकल्पान् लभन्त इत्येव सूक्ष्मावचस्तत् ॥३४॥

उन द्विजोंके मुखसे निकले हुए वचन अमोघ और पापका नाश करनेवाले हैं । उनकी सेवा करनेसे इस लोकमें ही अपने मनोवाञ्छिकृत फलकी प्राप्ति होती है इत्यादि जो कुछ कहा जाता है वह सब असत्य है ॥३४॥

रसस्तु गौदो विषमिश्रितश्च द्विजोक्तिमात्रावकृतिं स गच्छेत् ।

सर्वत्र तदाक्षयमुपैति वृद्धिमतोऽन्यथा आद्वजनप्रवादः ॥३५॥

विषमिश्रित गुडका रस द्विजके आशीर्वाद देने मात्रसे अपने प्राकृतिक रूपको प्राप्त कर लेता है इस प्रकार उनमें अद्वा रखनेवाले मनुष्य उनके वचनोंको सर्वत्र अन्यथा रूपसे प्रचारित करते रहते हैं ॥३५॥

इह प्रकुर्वन्ति नरेश्वराणां दिने दिने स्वस्त्ययनकिष्यतः ।

शान्तिं प्रधोवदन्ति धनाशयैव शान्तिहय तेऽन्यनवाप्यकामाः ॥३६॥

वे ब्राह्मण प्रतिदिन राजाओंकी ज्ञेयके लिए स्वतिवाचन, अयन तथा अनुष्ठान करते हैं और एकमात्र धनकी आशासे शान्तिकी घोषणा करते हैं । परन्तु वे मनोवाञ्छिकृत फलकी प्राप्ति न होनेसे दुखी होते हैं ॥३६॥

कर्माणि वान्यत्र हि वैदिकानि रिपुप्रणाशाय सुखप्रदानि ।

भायुवर्णलोग्यवपुःकराणि इषानि वैयम्यमुपागतानि ॥३७॥

शत्रुओंका नाश करनेवाले, सुख देनेवाले तथा आयु, बल और शरीरको निरोग रखनेवाले इस लोकमें जितने भी वैदिक कर्म हैं वे सब निष्फल होते हुए देखे गये हैं ॥३७॥

सुमन्त्रपूतामुहुताग्निसाप्तः परम्पो नियम्ते च परैविष्यम्ते ।

कम्याभितम्याविविहीर्णदेहा वैयम्यमिच्छाम्यथवाविरेण ॥३८॥

उत्तम मन्त्रोंसे पवित्र जल और आग्निकी साढ़ीमें जो पत्नियाँ प्राप्त होती हैं वे या शीघ्र मर जाती हैं या दूसरे लोग ले भागते हैं, उनकी कन्धाएँ भी व्याख्यिसे बर्बर शरीर हो जाती हैं या अति शीघ्र विषवा हो जाती हैं ॥३८॥

विपत्तिसुच्छन्ति च गर्भं एव केचित्प्रसूतावपि बालभावे ।

दाहिद्रयमन्ये विकलेन्द्रियत्वं द्विजात्मजाश्चेदिह को विशेषः ॥३९॥

उन ब्राह्मणोंके कितने ही बालक गर्भमें ही सकृद ग्रस्त हो जाते हैं, कितने ही उत्पन्न होनेके बाद बाल्यकालमें ही रोगप्रस्त हो जाते हैं कितने ही दग्धिद्वारा हो जाते हैं और कितने ही विकलाङ्ग होते हैं, तब सोचिए कि अन्य जनोंसे ब्राह्मणोंमें क्या विशेषता रही ॥३९॥

यथा नटा रङ्गमुपेत्य चित्रं दृशानुरूपानुपयाति वेषान् ।

जीवस्तथा ससृतिरङ्गमध्ये कर्मानुरूपानुपयाति भावान् ॥४०॥

जिस प्रकार कोई नट रङ्गस्थलीको प्राप्त होकर नृत्यके अनुरूप नाना वैष्य धारण करता है उसी प्रकार यह जीव भी संसाररूपी रङ्गस्थलीमें कर्मों के अनुरूप नाना पर्यायोंको स्वीकार करता है ॥४०॥

न ब्रह्मजातिस्त्वह काचिद्दस्ति न त्रियो नापि च वैश्य-शूद्रे ।

ततस्तु कर्मानुवशार्हतात्मा यसारचके परिवर्भमाति ॥४१॥

इस लोकमें न कोई ब्राह्मण जाति है, न त्रिय जाति है और न वैश्य या शूद्र जाति ही है, किन्तु यह जीव कर्मोंके वश हुआ संसारचकमें परिवर्भमण्य करता है ॥४१॥

अपातकत्वात्वं शरीरद्वाहे देहं न हि ब्रह्म बद्धन्ति तज्ज्ञाः ।

ज्ञानं च न ब्रह्म यतो निकृष्टः शुद्धोऽपि वेदाभ्ययनं करोति ॥४२॥

शरीरके दाढ़में कोई पातक न होनेसे ब्रह्मके जानकार पुरुष शरीरको ब्रह्म नहीं कहते । तथा ज्ञान भी ब्रह्म नहीं है, क्योंकि निकृष्ट शूद्र भी वेदका अध्ययन करता है ॥४२॥

विद्याकिवाचारकुण्डः प्रहीणो व जातिमात्रेण अवेष्ट्य विग्रहः ।

ज्ञानेन हीक्षेन गुणेन युक्तं तं ब्राह्मणं ब्रह्मविदो वदन्ति ॥४३॥

जो विद्या, किया और गुणोंसे हीन है व जातिमात्रसे ब्राह्मण नहीं हो सकता । किन्तु जो ज्ञान, शील और गुणोंसे युक्त है, ब्रह्मके ज्ञानकर पुरुष उसे ही ब्राह्मण कहते हैं ॥४३॥

व्यासो वसिष्ठः कमठरथ कमठः वास्तुदूगमी द्रोणपराहरौ च ।

आचारवन्तस्तपसाभिषुका ब्रह्मत्वमातुः प्रतिसम्पदभिः ॥४४॥

व्यास, वशिष्ठ, कमठ, कण्ठ, शक्ति, उद्गम, द्रोण और पाराशर ये सब आचार और तपरूप आपनी सम्पत्तिसे युक्त होकर ही ब्राह्मणत्वको प्राप्त हुए थे ॥४४॥

—वराणसिरित् सर्गं २५

वर्णत्रयस्य भगवान् सम्भवो मे त्वयोदितः ।

उत्पत्तिं सूक्ष्मकछानां ज्ञातुमिष्ट्यामि साम्प्रतम् ॥४-८६॥

प्राणिवातादिकं कृत्वा कर्म सातु शुगुप्तितम् ।

परं ब्रह्मत्वमी गर्वं धर्मप्राप्तिनिमित्तकम् ॥४-८७॥

तदेषां विपरीतानां उत्पत्तिं ब्रह्माद्दृष्टिः ।

कथं ऐसो गृहस्वानां भक्तो लोकः प्रवर्तते ॥४-८८॥

एवं शुद्धो गवेशोऽसाधिविद् वचनमग्रवीत् ।

कृष्णानापरिष्वक्तुद्वयोऽनुतमस्तरः ॥४-८९॥

हे भगवन्, आपने मुझे तीन बयों को उत्पत्ति कही । इस समय मैं सब कष्टोंकी उत्पत्ति कैसे हुई वह सुनना चाहता हूँ ॥४-८६॥ क्योंकि ये धर्म प्राप्तिका निमित्त बतला कर साधुओंके द्वारा निन्दनीय कहे गये प्राणिवात आदि कर्म करके भी गर्विष्ठ हो रहे हैं ॥४-८७॥ इसलिए विपरीत आचरण करनेवाले इनकी उत्पत्तिका कारण ज्ञानना चाहता हूँ । गृहस्थ होते हुए भी ज्ञानना इनकी भक्ति क्यों करती है यह भी ज्ञानना चाहता हूँ ॥४-८८॥

राजा अश्विकके इस प्रकार पूछने पर कृपारूपी अङ्गनासे आश्लिष्ट चित्त होनेसे मात्सर्य रहित गौतम गणधर इस प्रकार कहने लगे ॥८६॥

अश्विक श्रूयतामेषां यथा जातः समुद्भवः ।
 विपरीतप्रवृत्तीनां मोहावष्टव्यचेतसाम् ॥४-४०॥
 साकेतनगरासन्ने प्रदेशे प्रथमो जिनः ।
 आसांचक्रेऽन्यदा देवतिर्यग्मानवेष्टिः ॥४-४१॥
 ज्ञात्वा तं भरतस्तुष्टे ग्राहयित्वा सुमस्कृतम् ।
 अन्नं जगाम यथार्थं बहुभेदप्रकल्पितम् ॥४-४२॥
 प्रणम्य च जिनं भक्त्या समस्तांश्च दिग्मवरान् ।
 भ्रमी करदृशं कृत्वा बाणीमेतां प्रभापत ॥४-४३॥
 प्रसादं भगवन्तो मे करुमहंथं याचिताः ।
 प्रतीच्छ्रृतं यथा भिष्णु शोभनामुपपादिताम् ॥४-४४॥
 इयुक्तं भगवानाह भरतेयं न कल्पते ।
 सात्त्वामाहशी भिष्णु यं तदुद्देशस्कृता ॥४-४५॥
 प्रते हि तृष्णया सुन्तु निजितेनद्वयशब्दः ।
 विवायापि बहुमायानुपवास महागुणाः ॥४-४६॥
 भिष्णु परिग्रहे लक्ष्मीं निर्दोषां र्मानमास्थिताः ।
 भुजन्ते द्वाणधृष्ट्यर्थं प्राण धर्मस्य हेतवः ॥४-४७॥
 धर्मं चरन्ति योहार्थं यथा पांडा न विद्यते ।
 कथम्बिदपि सखानां सर्वेषां सुखमिष्ठुताम् ॥४-४८॥

हे अश्विक ! विपरीत प्रवृत्ति करनेवाले और मोहसे आश्लिष्ट चित्तवाले इनकी उत्पत्ति जिस प्रकार दुर्द कहता हूँ, सुनो ॥४०॥ किनी दिन देव, तिर्यक्ष और मनुष्यांसे वेष्टित प्रथम जिन ऋषमदेव अयोध्या नगरीके समीपवर्ती प्रदेशमें विराजमान थे ॥४१॥ उस समय इस वृत्तको जानकर भरत चक्रवर्ती सन्तुष्ट हो यतियोके लिए उत्तम प्रधारसे तैयार किया गया

आनेक प्रकारका भोजन लेकर वहाँ गये ॥६२॥ तथा जिनेन्द्रदेवको और समस्त दिगम्बर साधुओंको दोनों हाथोंसे तीन आवर्त व भक्तिपूर्वक नमस्कार कर यह बचन बोले ॥६३॥ हे भगवन्, हमारे ऊपर कृपा कर तैयार की गई उत्तम भिक्षाको ग्रहण कीजिए ॥६४॥ भरतके द्वारा ऐसी प्रार्थना करने पर भगवान् ने कहा है भरत ! साधुओंके उद्देश्यसे बनाई गई भिक्षा वे ग्रहण नहीं करते ॥६५॥ महागुणवाले वे आनेक महीनों तक उपवास करके भी तुष्णा रहित और इन्द्रियविजयी बने रहते हैं ॥६६॥ केवल नववधा भक्तिपूर्वक प्राप्त हुई निर्दोष भिक्षाको ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्राण धर्म प्राप्तिमें हेतु हैं ॥६७॥ मोक्षकी इच्छासे वे उस धर्मका पालन करते हैं जिसमें सुखके इच्छुक प्राणियोंको किसी प्रकारकी पीड़ा नहीं होती ॥६८॥

मुखा तदूचनं सज्जाहचिन्तयदिदं चिरम् ।
अहो वत महाकृष्ण जैनेश्वरमिदं ब्रतम् ॥४-६९॥

तिष्ठन्ति मुनयो यत्र स्वस्मिन् देहेऽपि विश्वाहाः ।
जातसूपधराः धीराः शान्तप्रशाममूर्तयः ॥४-१००॥

इदानीं भोजवास्येताम्पागारावतमाग्निताम् ।
सक्षणं हेमसूक्षेण कृच्छ्रेन महाक्षसा ॥४-१०१॥

प्रकाममन्वयदप्येम्यो दानं यज्ञामि भक्तिः ।
कर्तीवाम् मुक्तिभर्त्य धर्मोऽमीभिः समाग्निः ॥४-१०२॥

सम्बन्धितमं सर्वं ततोऽस्ते धरणीतले ।
स्वमन्त्रवाम्भावेगौः पुरुषैः स्वस्व सम्मतैः ॥४-१०३॥

ये बचन सुनकर भरत चक्रवर्ती विचार करने लगे, अहो यह जैन दीक्षा बही कठिन है ॥६९॥ इसे पालन करनेवाले धीर, शान्त और प्रशाममूर्ति दिगम्बर साधु अपने शरीरमें भी निस्फूर होते हैं ॥१००॥ आब मैं यांत्र्य भक्त-को धारण करनेवालोंको हेमसूक्षसे चिह्नित कर भोजन कराऊँगा ॥१०१॥

और इन्हें भक्तिपूर्वक यशेच्छा दान भी दूँगा, क्योंकि इन्होंने मुनिशर्मसे क्षोटे धर्मको स्वीकार किया है ॥१०२॥ तदनुसार इसने अपने अत्यन्त कियाशील पुरुषोंके द्वारा सब प्रदेशोंके सम्बन्धियोंको आमन्त्रित करनेका आदेश दिया है ॥१०३॥

महान् कलकलो जातः सर्वस्यामवनी ततः ।
 मो भो नरा महादानं भरतः करुंमुचतः ॥४-१०४॥
 उचिष्ठाशु गच्छामो वस्त्ररक्षादिकं धनम् ।
 आनवामो नरा छोते प्रेषितास्तेन सादराः ॥४-१०५॥
 उक्तमन्यैरिदं तत्र पूजयत्येष सम्मतान् ।
 सम्बन्धिजनान् राजा गमनं तत्र नो वृथा ॥४-१०६॥

भरत महाराजका इस प्रकार निमन्त्रण मिलनेपर समस्त भूमण्डलमें महान् कलकल शब्द होने लगा । जनता एक दूसरेसे कहने लगी अहो भरत महाराज महादान करनेके लिए उद्यत हुए हैं ॥१०४॥ उठो, शीघ्रता करो, चलकर दानमें मिली हुई वस्त्र रत्नादिक सम्पदा ले आवें । देखो न उन्होंने अपने आदमियोंको आदरपूर्वक आमन्त्रित करनेके लिए मेजा है ॥१०५॥ कुछ भनुव्य यह भी कहने लगे कि राजा अपने मन्दिरमें आये हुए माननीय सम्बन्धियोंका ही आदर सत्कार करता है, इसलिए वहाँ अपना जाना व्यर्थ है ॥१०६॥

ततः सम्बन्धशो याता हर्ष परममागताः ।
 समं पुत्रैः कलब्रैश्च पुरुषा विनयस्थिताः ॥४-१०७॥
 मिष्वादशोऽपि सम्प्राप्ता मायवा वसुनृष्ट्या ।
 भवनं राजदावस्थ शाक्यासादसज्जिभम् ॥४-१०८
 अङ्गानोप्रवासीहिमुद्गमापाक्कुरादिभिः ।
 उचिष्ठस्यक्षम्यैः सर्वां लम्बन्दुर्दर्शनस्फुतान् ॥४-१०९॥

बलहृष्टसरत्नेन सूत्रचिह्नेन चाक्षणा ।

चार्मीकरमयेनासौ प्रवेशावदपो शुहम् ॥४-११०॥

मिथ्यादशोऽपि लृणासारिचन्तया च्याकुलीकृताः ।

जरूरम्भो दीनवाक्यानि प्रविष्टाः तुःसागरम् ॥४-१११॥

इस तृतीको मुनकर खींपुत्रसहित परम विनयी सम्यग्दृष्टि पुरुष वरे
प्रसन्न हुए ॥१०७॥ वे तो राब्दमन्दिर गये ही । उनके साथ घनकी तुष्णा-
वश मायाबी मिथ्यादृष्टि भी गये ॥१०८॥ किन्तु राजाने आँगनमें बोए गये
जौ, घान्य, मूग और उड्ड आदिके उगे हुए सचित अंकुरों द्वारा सब
सम्यग्दृष्टियोंको पहिचानकर उन्हें ही सुन्दर स्वर्णसूत्रसे विभूषितकर महलमें
प्रवेश कराया ॥१०९, ११०॥ इससे अत्यन्त लोभी मिथ्यादृष्टि मनुष्य
आकुलतासे पीड़ित चित्त और खेदखिल हो दीन वचन बोलने
लगे ॥१११॥

ततो चयेन्सितं दानं आवकेस्यो ददी नृपः ।

पूजितानां च निन्तेयं तेषां जाता दुरात्मवाम् ॥४-११२॥

वर्यं केऽपि महादूता जगते हितकारिणः ।

पूजिता यश नरेन्द्रेण अद्वयात्मन्तुमुक्त्या ॥४-११३॥

ततस्ते सेन गर्वेण समस्ते चरणीतले ।

प्रवृत्तायाचित्तुं लोकं दृष्टा द्रष्ट्यसमन्वितम् ॥४-११४॥

ततो मतिसमुद्रेण भरताय निवेदतम् ।

वयाचेति भया जैने वचनं सदसि अुतम् ॥४-११५॥

वर्द्धमानजिनस्यान्ते भविष्यन्ति कलौ युगे ।

पृते ये भवता सृहाः पालविड्मो महोदूताः ॥४-११६॥

प्राणिनो मारविष्यन्ति चर्मुदूता विमोहिताः ।

महाकथायसंयुक्ताः सदपापकियोद्धताः ॥४-११७॥

कुग्रन्यं वेदसंज्ञं च हिंसाभावणत्परम् ।

वध्यन्ति कर्तृनिर्मुकं मोहवन्सोऽधिकालाः प्रजाः ॥४-११८॥

महारम्भेषु संसक्ताः प्रतिश्रृङ्खपराचणाः ।
 करिष्यन्ति सदा निन्द्रा जिनभापितशासने ॥४-११६॥
 निर्ग्रन्थमग्रतो इद्वा कोषं वास्त्वन्ति पापिनः ।
 उपद्रवाय लोकस्य विषवृक्षाह्कुरा हव ॥४-१२०॥
 तद्वृत्वा भरतः कुद्धः तान्सवर्णं हनुमुच्यतः ।
 आसितास्ते ततस्तेन नामेषं शरणं गताः ॥४-१२१॥
 यस्मान्मा हननं मुत्र ! कार्यीरिति निवारितः ।
 अथमेष ततो आता माहना इति ते श्रुतिम् ॥४-१२२॥

अनन्तर राजाने भावकोको दानमें इच्छानुसार धन दिया । किन्तु अपना इस प्रकार आदर-सत्कार देखकर उन दुरात्माओंके मनमें यह विचार आने लगा कि राजाने बड़ी अद्वासे हमारा आदर-सत्कार किया है, इससे जान पड़ता है कि लोकमें बड़े पवित्र और सबका हित करनेवाले हम ही हैं ॥११२-११३॥ फलस्वरूप वे गर्वित हो समस्त भूमध्यालयमें जिसे धनो देखते थे उसीसे धनकी याचना करने लगे ॥११४॥ यह सब देखकर मतिसागरने भरत महाराजसे निवेदन किया कि मैंने आज समवसरणमें यह वाणी सुनी है कि वर्दमान जिनके बाद कलिकालमें आपके द्वारा बनाये गये सब पाखरणी और अहङ्कारी हो जायेंगे ॥११५, ११६॥ मोह और कषाय संयुक्त होकर पाप कियामें उन्मत्त हो धर्मबुद्धिसे प्राणियोंका घात करने लगेंगे ॥११७॥ समस्त प्रजाको मोहित करते हुए हिंसाका व्याख्यान करनेवाले खोटे ग्रन्थ वेदको अकर्तृक चतुर्लाखेंगे ॥११८॥ आरम्भ प्रधान कायोंमें तत्पर रहेंगे, सबसे दान लेंगे, जिनशासनकी सदा निन्दा करेंगे ॥११९॥ और निर्ग्रन्थको अपने सामने आता हुआ देखकर कोष करेंगे । तात्पर्य यह है कि विषवृक्षके अंकुरके समान ये पापी भी सब जनताका अहित करनेवाले होंगे ॥१२०॥ यह सुनकर कोषित हो भरत महाराज उन्हें मारनेके लिए उद्यत हुए । फलस्वरूप पीड़ित हुए वे सब भगवान् ऋषभदेवकी शरणमें गये ॥१२१॥ भगवान्ने भरत महाराज

से यह कहकर कि हे पुत्र ! इन्हें मत मार उसे इस कर्मसे निवृत्त किया ।
इसीसे वे उस समयसे 'माहन' कहे जाने लगे ॥१२२॥

—पश्चात्तरित पर्व ४

चतुर्दशमहारत्नैनिधिभिन्नवभिर्युतः ।
निःसप्तरं सततस्तद्वा बुभोज वसुधां कृती ॥११-१०३॥
अदाद् द्वादशावर्षीणि दानं चासौ यथेष्टितम् ।
लोकाय कृपया युक्तः परीक्षापरिवर्जितम् ॥११-१०४॥
जिनशासनवात्सल्यभक्तिभारवशीकृतः ।
पर्वात्य आवकान् पश्चाद् यववीश्वाङ्कुरादिमिः ॥११-१०५॥
काकिण्या लक्षणं कृत्वा सुरक्षयसूत्रकम् ।
संपूर्ज्य स ददौ तेभ्यो भक्तिदानं कृते युगे ॥११-१०६॥
ततस्ते ब्राह्मणाः प्रोक्ता व्रतिनो भरतादृताः ।
वर्णव्रयेण पूर्वेण जाता वर्णचतुर्थी ॥११-१०७॥

चौठ रक्ष और नौ निधियोंसे युक्त भरत चक्रवर्ती राज्यादि कायोंमें
सफलता प्राप्त कर शांति रहित पृथिवीका भोग करने लगा ॥११-१०३॥
उस समय उसने सब कृपासे प्रेरित होकर परीक्षा किये बिना लोगोंको
बारह वर्ष तक यथेच्छु दान दिया ॥११-१०४॥ इसके बाद जिनशासनमें
प्रगाढ वात्सल्य और भक्तिवश कृतयुगमें उसने यज्ञ और धान्य आदिके
अंकुरों द्वारा आवकोंकी परीक्षा करके तथा काकिनी रक्षके द्वारा उन्हें रत्न-
त्रयसूत्रसे चिह्नित करके आदर-सत्कार पूर्वक भक्तिदान दिया ॥११-१०५,
१०६॥ इस प्रकार भरत चक्रवर्तीसे आदर पाकर वे सब व्रती आवक
ब्राह्मण कहलाये । तात्पर्य यह है कि पहलेके तीन वर्णोंसे उस समय चार
वर्ण उत्पन्न हो गये ॥११-१०७॥

—इतिवंशपुराण

कृतकृत्यस्य तस्यान्तरिक्षन्तेयमुदपयत् ।

परार्थे सम्पदास्माकी सोपयोगा कथं भवेत् ॥३८-५॥

शास्त्रवर्णवस्था सम्बन्धी सब कार्य कर चुकनेपर उनके चित्तमें यह चिन्ता उत्पन्न हुई कि दूसरोंके उपकारमें अपनी सम्पत्तिका किस प्रकार उपयोग करें ॥३८-५॥

महामहमहं कृत्वा जिनेन्द्रस्य महोदयम् ।

प्रीणयामि जगद्विश्वं विष्वकू विष्वाणयन् धनम् ॥३८-६॥

मैं जिनेन्द्रदेवका लौवन निर्माणमें परम सहायक महामह यश करके धन वितरण करता हुआ समस्त विश्वको प्रसन्न करना चाहता हूँ ॥३८-६॥

नानागारा वस्त्र्यस्मत् प्रतिगृह्णन्ति निस्पृहाः ।

सामारः कतमः पूजयो धनवान्यसमृद्धिभिः ॥३८-७॥

परम निस्पृह मुनिजन तो हमारा धन स्वीकार करते नहीं । परन्तु यहस्थोंमें वे कौन यहस्थ हैं जो सब धान्य आदि समृद्धिके द्वारा आदरणीय हो सकते हैं ॥३८-७॥

येऽप्युच्चतधराधीरा धौरेया गृहमेधिनाम् ।

तर्पणीया हि तेऽस्माभिः इप्सतैर्वसुवाहनैः ॥३८-८॥

जो अगुवतोंको धारण करनेवाले हैं, धौर है और यहस्थोंमें मुख्य हैं वे ही हमारे द्वारा इच्छित धन और सवारी आदि देकर प्रसन्न करने योग्य हैं ॥३८-८॥

इति निश्चित्य राजेन्द्रः सत्कृत्यमुचितानिमान् ।

परंचिह्निषुराहास्त तदा सर्वान् महोभुजः ॥३८-९॥

इस प्रकार निश्चय कर सत्कार करने योग्य व्यक्तियोंकी परीक्षा करने की इच्छासे भरत महाराजने इस समय सब राजाओंको आमन्त्रित किया ॥३८-९॥

सदाचारैर्विजैरिष्टैः अनुजीविभिरन्विताः ।

अचास्मदुत्सवे यूयं आवातेति पृथक्-पृथक् ॥३८-१०॥

और सबके पास लवर मेज दी कि आप सब अलग-अलग अपने अपने सदाचारी इष्ट अनजीवी जनोंके साथ आब हमारे उत्सवमें सम्मिलित हों ॥३८-१०॥

हरितैरकृकुरैः पुर्वैः फलैश्चाकीर्णमङ्गणम् ।

सक्रांत्वाकरत्येषां परीक्षायै स्ववेशमनि ॥३८-११॥

इधर चक्रवर्तीने उन सबकी परीक्षा करनेके लिए अपने महलके प्राङ्गणको हरे अंकुर पुष्प और फलोंसे व्याप कर दिया ॥३८-११॥

तेष्ववत्ता विना सक्रांत् प्राविष्टव् नृपमन्दिरम् ।

ताननेकतः समुख्यायै शेषानाहृष्टव् प्रभुः ॥३८-१२॥

उनमें जो आवती थे वे विना किसी प्रतिबन्धके राजमन्दिरमें घुस आये । राजा भरतने उन्हें एक और करके शेष लोगोंको भीतर बुलाया ॥३८-१२॥

ते तु श्ववतसिद्धयर्थं इहमाना महान्वयाः ।

नैषुः प्रवेशनं तावद् यावदाद्वाकृकृराः पथि ॥३८-१३॥

परन्तु ऊँची परम्पराको माननेवाले और अपने-अपने ब्रतोंकी सफलता को चाहनेवाले उन लोगोंने जब तक मार्गमें अंकुर हैं तब तक राजमन्दिर में प्रवेश करनेकी इच्छा नहीं की ॥३८-१३॥

सधान्वयैर्हितैः कीर्णमनाक्षयं नृपङ्गणम् ।

निश्चक्षुः कृपाकृत्वात् केचिद् सावधभीरवः ॥३८-१४॥

पापसे ढरनेवाले कितने ही लोग दयालु होनेके कारण हरे धान्योंसे व्याप राजप्राङ्गणको उल्लंघन किये विना बाहर चले गये ॥३८-१४॥

कृतानुवर्णना भूयश्चक्षिणः किञ्च तेऽन्तिकम् ।

प्रापुकेन पथान्वये भेदुः कान्त्वा नृपङ्गणम् ॥३८-१५॥

परन्तु चक्रवर्तीं के पुनः आग्रह करनेपर वे अन्य प्रामुक मार्गसे राज-
प्राकृत्यको उल्लंघन कर उनके पास पहुँचाये गये ॥३८-१५॥

प्राक् केन हेतुना यूर्यं नायाताः पुनरागताः ।

केन ब्रूतेति पृष्ठास्ते प्रत्यभाष्ट्वा चक्रिणम् ॥३८-१६॥

पहले किस कारणसे नहीं आये थे और अब किस कारणसे आये
हो इस प्रकार चक्रवर्तीं द्वारा पूछे जानेपर उन्होंने प्रत्युत्तरमें कहा ॥३८-१६॥

प्रवालपञ्चपुष्पादेः पर्वणि व्यथरोपणम् ।

न कल्पतेऽथ तज्जानां जन्मनां नोडभिद्वाम् ॥३८-१७॥

आज पर्वके दिन प्रबाल, पत्र, और पुष्प आदिका तथा उनमें उत्पन्न
हुए निर्दोष जीवोंका विधात करना उचित नहीं है ॥३८-१७॥

सन्ध्येवानन्तशो जीवा हरितेष्वकृकुरादिषु ।

निरोता हृति सर्वज्ञं देवास्माभिः श्रुतं वचः ॥३८-१८॥

हे देव हमने सर्वज्ञदेवकी वाणीमें सुना है कि इन हरे अंकुर आदिमें
अनन्त निर्गोदिया जीव वास करते हैं ॥३८-१८॥

तस्माचास्माभिराकान्तं अथत्वे त्वत्शृहङ्गम् ।

कृतोपहारमाद्रीदैः फलपुष्पाकृकुरादिभिः ॥३८-१९॥

इसलिए हरित फल, पुष्प और अंकुरोंसे सुशोभित राजप्राकृत्यमेंसे
हम लोग नहीं आये हैं ॥३८-१९॥

हृति तद्वचनात् सर्वान् सोऽभिनन्द्य इदवतान् ।

पूजयामास लक्ष्मीवान् दानमानादिसकृतैः ॥३८-२०॥

इस प्रकार उनके वचनोंसे सन्तुष्ट हुए सम्पत्तिशाली भरतने प्रतोंमें
दड़ रहनेवाले उन सबकी प्रशसा कर उन्हें दान मान आदि सत्कारसे
सन्मानित किया ॥३८-२०॥

तेषां कृतमिव चिह्नानि सूत्रैः पश्चाद्याक्षिणेः :

उपात्तैऽहंसूत्राहौः पृकाशेकादशान्तकैः ॥३८-२१॥

तथा पश्च नामकी निखिसे प्राप्त हुए किन्हींको एक ब्रह्मसूत्रसे, किन्हीं को दो ब्रह्मसूत्रोंसे और किन्हींको तीन चार आदि ग्यारह ब्रह्मसूत्रोंसे चिह्नित किया ॥३८-२१॥

गुणमूलमिकृताद् भेदात् क्लृपयज्ञोपवीतिनाम् ।

सत्कारः किवते स्मैषां अवतात् बहिःकृताः ॥३८-२२॥

जिनकी वितनी प्रतिमा थीं उनके अनुसार यजोपवीत धारण करने-वाले उन आवकोष सत्कार किया और अप्रतियोंको बाहर कर दिया ॥३८-२२॥

अथ से कृतसम्मानाः चक्षिणा व्रतधारिणः ।

मवन्ति स्म परं दार्ढं लोकरचैनामपूजयत् ॥३८-२३॥

इस प्रकार चक्रवर्तींके द्वारा सन्मानको प्राप्त हुए वे सब ब्रती अपने अपने ग्रन्थोंमें और भी दृढ़ हो गये तथा अन्य लोग भी उनका आदर करने लगे ॥३८-२३॥

इत्यां वर्तां च दत्ति च स्वाध्यायं संबन्धं तपः ।

भुतोपासकसूत्रत्वात् स तेष्यः समुपादिशत् ॥३८-२४॥

कुलधर्मोऽयमित्येषां अर्हत्पूजादिवर्णनम् ।

ततः भरतराजर्णिः अन्वयोचदनुक्रमात् ॥३८-२५॥

उपासकाध्ययन सूत्रका विषय होनेसे भरतने उन्हें इन्या, वार्ता, दत्ति, स्वाध्याय, संयम और तपका उपदेश दिया ॥३८-२४॥ यह इनका कुल धर्म है ऐसा विचार कर राजर्णि भरतने उस समय उनके समवृ अनुक्रमसे अर्हत्पूजा आदिका व्याख्यान किया ॥३८-२५॥

वर्णोचमत्यं वर्णेषु सर्वेष्वाधिक्यमस्य चै ।

तेवायं शुक्रावतामेति स्वपरोद्वारणक्षमः ॥४०-१८२॥

वर्णोत्तमत्वं वद्यस्य न स्याद्द स्यात्प्रकृष्टता ।

अप्रकृष्टता नात्मानं शोथयेत् परानपि ॥४०-१८३॥

सब वर्णोंमें श्रेष्ठ होना ही इसकी वर्णोत्तम किया है । इससे यह प्रशंसा को प्राप्त होता हुआ स्व और पर दोनोंका उपकार करनेमें समर्थ होता है ॥४०-१८२॥ यदि इसके वर्णोत्तम किया नहीं है तो यह अन्यसे उत्कृष्ट नहीं हो सकता और जो उत्कृष्ट नहीं है वह न तो अपनेको शुद्ध कर सकता है और न दूसरेको ही शुद्ध कर सकता है ॥४०-१८३॥

स्यादवध्याधिकारेऽपि स्थिराग्रामा द्विजसत्तमः ।

ब्राह्मणो हि गुणोत्कर्षपात्रान्यतो वधमहैति ॥४०-१८४॥

सर्वः प्राणीं न हन्तत्यो ब्राह्मणस्तु विशेषतः ।

गुणोत्कर्षपात्रकर्णीन्वा वधेऽपि द्वयात्मता मता ॥४०-१८५॥

तस्मादवध्यतामेये पोषयेत् धार्मिके जने ।

धर्मस्य तद्विभावात्म्यं तस्यो यज्ञाभिभूयते ॥४०-१८६॥

तदभावे च वध्यवध्यमयमृच्छति सर्वतः ।

पूर्वं च सति धर्मस्य नशयेत् प्रामाण्यमहैताम् ॥४०-१८७॥

ततः सर्वप्रयत्नेन रक्षयो धर्मः सनातनः ।

स हि संरक्षितो रक्षा करोति सच्चराचरे ॥४०-१८८॥

अपने आत्मामें स्थिर हुआ उत्तम द्विज आवध्य पदका आधिकारी है, क्योंकि उसमें गुणोंका उत्कृष्ट होनेके कारण ब्राह्मण वधके योग्य नहीं होता ॥४०-१८४॥ सब प्राणियोंको नहीं मारना चाहिए और विशेष कर ब्राह्मणोंको नहीं मारना चाहिए इस प्रकार गुणोंके उत्कृष्ट और अपकर्षके कारण वध भी दो प्रकारका माना गया है ॥४०-१८५॥ इसलिए धार्मिक मनुष्योंमें यह अपनी आवध्यताको पुष्ट करे । वह धर्मका ही माहात्म्य है जो इस धर्ममें स्थित रहकर किसीसे तिरस्कृत नहीं होता ॥४०-१८६॥ यदि वह अपनी आवध्यताको पुष्ट नहीं करेगा तो सब तरहसे यह वध्य हो जायगा

और ऐसा होने पर अरिहन्तदेवके धर्मकी प्रमाणता नह हो जायगी ॥४०-१६७॥ इसलिए सब प्रकारके प्रयत्न करके सनातन धर्मकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उसकी अच्छी तरहसे रक्षा करने पर वह चराचर की रक्षा कर सकता है ॥४०-१६८॥

स्वाददृष्टवत्तमप्येवमस्य धर्मे स्थिराभ्यः ।
 धर्मस्थो हि जनोऽन्यस्य दृष्टप्रस्थापने प्रभुः ॥४०-१६९॥
 तद्धर्मस्थीयमामनायं भावयन् धर्मवृत्तिभिः ।
 अधर्मस्थेतु दृष्टस्य प्रजेता धार्मिको नृपः ॥४०-२००॥
 परिहास्यं यथा देवगुरुद्रव्यं हितार्थभिः ।
 ब्रह्मात्मं च तथाभूतं न दण्डाहंस्तसो द्विजः ॥४०-२०१॥
 युक्त्यानया गुणाधिकवत्तमन्यारोपयन् वक्षी ।
 अदृष्टवत्पद्धे स्वात्मानं स्थापयेदृष्टपरिणामः ॥४०-२०२॥

इसी प्रकार धर्ममें स्थिर हुआ यह द्विज अदशक्य पदका भी अधिकारी है, क्योंकि धर्ममें स्थित हुआ मनुष्य ही दूसरेको दण्ड देनेमें समर्थ होता है ॥४०-६६॥ नियम यह है कि धर्म तत्को आनेवाले पुरुषोंने जो धार्मिक परम्परा स्थापित की है उसका विचार करता हुआ ही धार्मिक राजा अधार्मिक पुरुषोंको दण्ड देता है ४०-२००॥ जिस प्रकार अपना हित चाहनेवाले पुरुषोंके द्वारा देव द्रव्य और गुरुद्रव्य त्यागने योग्य है उसी प्रकार ब्राह्मणका द्रव्य भी त्यागने योग्य है, इसलिए द्विज दण्ड देने योग्य नहीं है ॥४०-२०१॥ इस युक्तिसे अपनेमें अधिक गुणोंका आरोप करता हुआ वह जितेन्द्रिय दण्ड देनेवाले राजा आदिके समझ अपने आपको दण्ड न देने योग्य स्थापित करता है ॥४०-२०२॥

यथा सुष्ठा द्विजस्मानः आवकाचारसुखवः ।
 स्वद्वीतोपासकाध्यायस्त्रमाणांतुगामिनः ॥४१-३०॥

एकाशेकादशाम्तानि दत्तान्वेष्यो मवा विभो ।
वरयिष्ठानि सूक्राणि गुणमूर्मिविभागतः ॥ ४१-३१॥
विश्वस्य चर्मसंसर्व त्वयि साकाशभेतरि ।
स्थिते मवातिकालित्यादिवाचरितुं विभो ॥ ४१-३२॥
दोषः कोऽत्र गुणः कोऽत्र किमेतत् साम्प्रतं न वा ।
दोलायमानमिति मे मनः स्थापय निश्चिती ॥ ४१-३३॥

हे भगवन् ! मैंने आपके द्वारा कहे हुए उपासकाध्याय सूत्रके मार्गपर
चलनेवाले तथा भ्रावकाचारमें निपुण द्विज निर्माण किए हैं ॥ ४१-३०॥
हे विभो ! उन्हें ग्यारह प्रतिमाओंके विभागकमसे ब्रतोंके चिह्नस्वरूप एक
सूत्र, दो सूत्र इत्यादि रूप ग्यारह सूत्र दिए हैं ॥ ४१-३१॥ हे विभो समस्त
चर्मसूष्टिको साक्षात् उत्पन्न करनेवाले आपके विद्यमान रहते हुए भी मैंने
अपनी मूर्खतावश यह आचरण किया है ॥ ४१-३२॥ इसमें दोष क्या है
और गुण क्या है तथा यह कार्य उचित हुआ या नहीं इस प्रकार
दोलायमान मेरे चित्तको किसी निश्चयमें स्थिर कीजिए ॥ ४१-३३॥

सातु वस्तु कृतं सातु धार्मिकद्विजपूजनम् ।
किञ्चु दोषानुसङ्गोऽत्र कोऽप्यस्ति स निश्चयताम् ॥ ४१-४५॥
आतुष्यन् भवता सृष्टा य पृते गृहमेविनः ।
ते तावदुचिताचारा यावक्रूतयुगस्थितिः ॥ ४१-४६॥
ततः कलियुगोऽप्यनें जातिकादावलेपतः ।
अष्टावाराः प्रपत्त्वन्ते सम्मार्गप्रत्यनीकताम् ॥ ४१-४७॥
तेऽमी जातिमदाविष्टा दद्यं लोकाधिका इति ।
पुरा दुरागमैलोकं मोहयन्ति घनाशयः ॥ ४१-४८॥
सरकारलाभसंकृदगदां मिथ्यामदोद्धतः ।
जवान् प्रतादपिष्यन्ति स्वयमुत्पाद तुःशुतीः ॥ ४१-४९॥

त हमे कालयर्थन्ते विकियो प्राप्य दुर्दशः ।
 धर्मद्वाहो भविष्यन्ति पापोपहतयेतनाः ॥४१-५०॥
 सर्वोपधातनिरता भजुमोसाशानप्रियाः ।
 प्रभूसिलकर्णं धर्मं दोषयिष्यन्त्यथामिंकाः ॥४१-५१॥
 अहिंसालकर्णं धर्मं दूषयित्वा तुराशयाः ।
 चोदनालकर्णं धर्मं पोषयिष्यन्त्यथामिंकाः ॥४१-५२॥
 पापसूत्रधरा धूर्ताः प्राणिमारणतत्पराः ।
 वस्त्वयद्गुरे प्रवस्त्वन्ति सन्मार्गं परिष्पन्नाः ॥४१-५३॥
 द्विजातिसर्वजनं तस्माकाशं यद्यपि दोषकृत् ।
 स्यादोपर्वाजमायत्यो तुपालणप्रवर्तनात् ॥४१-५४॥
 हिति कालान्तरे दोषवाक्यमन्वेदज्ञसा ।
 नाशुना परिहर्त्यं धर्मसूक्ष्मनसिकमात् ॥४१-५५॥
 यथाक्षमुपयुक्तं सत् कचित्कस्यापि दोषकृत् ।
 तथाप्यपरिहार्यं तद् कुर्वेद्बुद्धगुणात्पर्या ॥४१-५६॥
 तथेदमपि मन्त्रात्मवस्त्वे गुणवत्तया ।
 पुंसामाशयवैषम्यात् पश्चात् यद्यपि दोषकृत् ॥४१-५७॥

इस प्रकार प्रश्न करनेपर भगवान् अख्यभदेवने उत्तर दिया कि हे वत्स ! धर्मात्मा द्विजोंकी पूजा कर बहुत ही उत्तम कार्य किया है । किन्तु उसमें कुछ दोष है उसे तु सुन ॥४१-४५॥ हे आशुभन् ! तुने जो इन गृहस्थोंकी रचना की है सो ये कृतयुगके अन्त तक ही उचित आचारका पालन करेंगे ॥४१-४६॥ उसके बाद कलियुगके निकट आनेपर ये जाति-वादके अभिमानवश भ्रष्ट आचारको धारण कर सन्मार्गके विरोधी बन जावेंगे ॥४१-४७॥ इस समय ये लोग इस सबमें श्रेष्ठ हैं इस प्रकार जातिमदके वशीभूत होकर घनकी इच्छासे दूसरोंको मिथ्या आगमोंसे मोहित करने लगेंगे ॥४१-४८॥ सत्कार लाभसे गर्विष्ट और मिथ्यामदसे

उद्धत हुए ये स्वयं भिष्याशालोको रचकर दूसरे मनुष्योंको ठगने लावेंगे ॥४१-४६॥ जिनकी चेतना पापसे उपहत हो गई है ऐसे ये भिष्यादहि लोग कृतयुगके अन्तमें विकारभावको प्राप्त होकर धर्मके द्वाही बन जावेंगे ॥४१-५० प्राणियोंके मारनेमें निरत और मधु तथा मांसके भोजन को प्रिय माननेवाले ये अधमों लोग प्रवृत्तिलङ्घण धर्मकी विषयणा करेंगे ॥४१-५१॥ स्वेद है कि दुष्ट आशयवाले ये लोग अहिंसालङ्घण धर्मको दूषितकर बेदोक्त धर्मको पुष्ट करेंगे ॥४१-५२॥ पापदूषको धारण करनेवाले, धूर्त और प्राणियोंकी हिंसा करनेमें तत्पर ये लोग आगामी मुगमें सन्मार्गसे विरह प्रवृत्ति करने लावेंगे ॥४१-५३॥ इसलिए वर्तमानमें यद्यपि द्विद्वातिकी उत्पत्ति दोषकारक नहीं है तो भी आगामी कालमें खोटे मतोंकी प्रवृत्ति करनेवाली होनेसे दोषका बीज है ॥४१-५४॥ इस प्रकार यद्यपि कालान्तरमें यह नियमसे दोषका बीज है तो भी धर्मसुष्टिका उल्लंघन न हो, इसलिए इस समय उसका त्याग नहीं करना चाहिए ॥४१-५५॥ जिस प्रकार उपयोगमें लाया गया अन्न कहींपर किसीके लिए दोषकारक होता है तो भी बुद्धिमान् मनुष्य उसमें सम्भव बहुत गुणोंकी आस्थासे उसका त्याग नहीं कर सकते ॥४१-५६॥ उसी प्रकार पुरुषोंका भिन्न भिन्न आशय होनेसे यद्यपि ये आगे चलकर दोषकारक हो जावेंगे तथापि इस समय गुणबान् ही मानना चाहिए ॥४१-५७॥

—महापुराण

भावकाः पूजिताः पूर्वं भक्तिसो भरतेन ये ।

चक्रिपूजनसो जाता ब्राह्मणास्ते मदोदृताः ॥१८-६४॥

पहले जिन भावकोंकी भरत महाराजने भक्तिपूर्वक पूजा की थी, चक्रवर्तीके द्वारा पूजे जानेके कारण वे ब्राह्मण मदोदृत हो गये १८-६४॥

—धर्मपरीक्षा

अहिंसासदूक्षतो ज्ञानी विरीहो निष्परिग्रहः ।

वः स्वात्म ब्रह्मातः सर्वं न तु ज्ञातिमदात्मतः ।

जो सभीचीन अहिंसाक्रतका पालन करता है, ज्ञानवान् है, सांसारिक भोगाकांक्षासे रहित है और परिग्रह रहित है, वास्तवमें वही ब्राह्मण है। किन्तु जो ज्ञातिमदसे अन्धा हो रहा है वह ब्राह्मण नहीं है।

—ब्रह्मस्तिष्ठकचन्द्र भास्त्रास ८ पृ० ४१२

विवाह मीमांसा

कन्यादानं विवाहः । परस्य विवाहः परविवाहः । परविवाहस्य कर्त्तव्यविवाहकरणम् । परपुरुषलेति गच्छतीत्येवंशीला इत्वरी । कुलिता इत्वरी कुलसाधां क इत्वरिका । या एकपुरुषमर्युंका सा परिशुद्धीता । या गणिकात्मेन पुंश्चलात्मेन वा परपुरुषगमनशीला अस्वामिका सा अपरिशुद्धीता । परिशुद्धीता च अपरिशुद्धीता च परिशुद्धीतापरिशुद्धीते । इत्वरिके च ते परिशुद्धीतापरिशुद्धीते च इत्वरिकापरिशुद्धीतापरिशुद्धीते । तचोगमने इत्वरिकापरिशुद्धीतापरिशुद्धीतागमने ।

कन्याका ग्रहण करना विवाह है। किसी अन्यका विवाह परविवाह है और इसका करना परविवाहकरण है। जिसका स्वभाव पर पुरुषके पास जाना आना है वह इत्वरी कहलाती है। इत्वरी अभिसारिका। इसमें भी जो आत्मन्त आचरण होती है वह इत्वरिका कहलाती है। यहाँ कुलित अर्थमें 'क' प्रत्यय होकर इत्वरिका शब्द बना है। जिसका एक पुरुष भर्ता है वह परिशुद्धीता कहलाती है। तथा जो वेश्या या व्यभिचारिणी होनेसे पर पुरुषके पास जाती आती रहती है और जिसका कोई स्वामी नहीं है वह अपरिशुद्धीता कहलाती है। परिशुद्धीता इत्वरिकामें गमन करना परिशुद्धीतापरिशुद्धीता कहलाती है। अपरिशुद्धीता इत्वरिकामें गमन करना अपरिशुद्धीतापरिशुद्धीता कहलाती है। —त० स० ३-२८, सर्वार्थसिद्धि

सदेष्वचारित्रमोहोद्याहिवहनं विवाहः । १ । सदेष्वस्य चारित्रमोहस्य
चोदयाद् विवहनं कन्यावरणं विवाह इत्याक्षयात्मे । परस्य विवाहः पर-
विवाहः, परविवाहस्य करणं परविवाहकरणम् ।

ज्ञानावरणाङ्गोपशमाणादितकलागुणज्ञतवा
चारित्रमोहस्यावेदोद्यप्रकर्त्ताद्वापोपाङ्गनामावहम्भावच परपुरुषानेति गच्छ-
तीत्येवंशीका इत्वरी । ततः कुत्साथ्या कः इत्वरिका ।

सातावेदनीय और चारित्रमोहनीयके उदयसे विशेषरूपसे वहन करना
विवाह है ॥१॥ सातावेदनीय और चारित्रमोहनीयके उदयसे विवहन
अर्थात् कन्याका वरण करना विवाह कहा जाता है । परका विवाह पर-
विवाह है तथा परविवाहका करना परविवाहकरण है ।

बोगमनशील है वह इत्वरी है ॥२॥ ज्ञानावरणकर्मके द्वयोपशमसे
प्राप्त हुई कलागुणज्ञताके कारण तथा चारित्रमोहनीयसम्बन्धी खीवेदके
उदयकी प्रकृतता और आङ्गोपाङ्ग नामकर्मके आलम्बनसे जिसका स्वभाव
पर पुरुषके पास जानेका है वह इत्वरी है । यहाँ कुत्सा अर्थमें क प्रत्यय
करके इत्वरिका शब्द बना है । (शेष कथन सर्वार्थसिद्धिके समान है ।)

—त० सू० अ० ३ सू० २८ तत्त्वार्थराजवार्तिक
स्वयंवरगता कन्या दृश्याते इच्छिरं वरं ।

कुलीनमकुलीनं वा न कमोऽस्ति स्वयंवरे ॥५३॥

अचान्तिस्तत्र नो युक्ता पितुभ्रातुनिजस्य चा ।

स्वयंवरगतिज्ञस्य परस्येह च कस्यचित् ॥५४॥

कश्चिच्चम्भाकुलीनोऽपि दुर्भगः शुभगोऽपरः ।

कुलसौभाग्ययोनेह प्रतिबन्धोऽस्ति कश्चन ॥५५॥

स्वयंवरको प्राप्त हुई कन्या अपने लिए प्रिय लगनेवाले वरका वरण
करती है । यहाँ यह कुलीन है या अकुलीन है ऐसा कोई नियम नहीं है
॥५३॥ इसलिए स्वयंवरविधिके जानकार चाहे निजी माता-पिता हों या अन्य
कोई उन्हें स्वयंवरमें कोध करना उचित नहीं है ॥५४॥ कोई महाकुलीन

होकर भी दुर्भग होता है और कोई अकुलीन होकर भी सुभग होता है । स्वयंवरमें कुलका और सौभाग्यका किसी प्रकारका प्रतिबन्ध नहीं है ॥५५॥
—इतिवशपुराण सर्ग ३।

सद्गुरुचारित्रमोहोदधाद्विवहनं विवाहः । परस्य विवाहः परविवाहः ।
तस्य कर्णं परविवाहकरणम् । अयनशीला इत्वरी । सैव कुत्सिता
इत्वरिका । तस्यां परिगृहीतायामपरिगृहीतायां च गमनमित्वरिका-
परिगृहीतापरिगृहीतायगमनम् ।

सातावेदनीय और चारित्रमोहनीयके उदयसे विवहन अर्थात् स्वीकार
करना विवाह है, परका विवाह परविवाह है तथा उसका करना परविवाह-
करण है । इत्वरी शब्दका व्युत्पत्ति लम्ब अर्थ है—अयनशीला अर्थात्
गमन करनेरूप स्वभाववाली । वह यदि अत्यन्त गलत मार्गसे गमन करे तो
इत्वरिका कहाती है । वह टो प्रकारकी होती है—परिगृहीता और अपरि-
गृहीता । इन दोनों प्रकारकी लियोंमें गमन करना इत्वरिकापरिगृहीता-
गमन और इत्वरिकाअपरिगृहीतागमन है । (ये आतीचार स्वदारसन्तोष
या परम्परात्याग ब्रतके बाने चाहिए) ।

—स० स०, अ० ० स० २८ श्लोकवार्तिक

विवाहपूर्वे व्यवहारकानुवर्ण्य कुलानयति ॥२॥

विवाहपूर्वक व्यवहार चार वर्णके मनुष्योंको कुलीन रखता है ॥२॥

एतदुक्तं भवति—अनुवर्ण्य ब्राह्मणश्चित्यवैश्यश्चूद्धाणां वर्णतया
योऽसौ विवाहस्तत्र तसन्तानं भवति तस्यकुलवर्णमेण वर्णत हृति न
कदाचिद्वधमिकरति ।

तात्पर्य यह है अनुवर्ण्य अर्थात् ब्राह्मण, द्वित्रि, वैश्य और शूद्राँका
बो अपने-अपने वर्णके अनुसार विवाह होकर सन्तान होती है वह अपने
अपने कुलवर्मनके अनुसार चलती है, उसका कदापि उल्लंघन नहीं करती ।

—टीका सूत्र ३

युक्तिः वरणविधानमग्निदेवद्विजसांशिकं च पाणिग्रहणं विवाहः ॥३॥

युक्तिसे जो वरणविधि होती है अर्थात् अग्नि, देव और द्विजकी साद्वीपूर्वक जो पाणिग्रहण होता है उसका नाम विवाह है ॥३॥

समविभवाभिजनयोरसमग्नोप्रयोश्च विवाहसम्बन्धः ॥२०॥

जो समानविभवाले होकर कुलीन हो और दोनोंका अलग-अलग गोत्र हो उनमें विवाह सम्बन्ध होता है ॥२०॥

विकृतप्रत्यूढापि पुनर्विवाहमहंतोति स्मृतिकाराः ॥२०॥ अनुलोम्बेद
चतुर्चिद्विवर्णाः कन्याभाजनाः ग्राहणचत्रिविशः ॥२८॥

विकृतप्रत्यूढा होने पर भी कन्या पुनर्विवाह कर सकती है ऐसा स्मृति-
कारोंका कथन है ॥२७॥ अनुलोम विधिसे चार वर्णकी कन्याको स्वीकार
करनेवाले ग्राहण, तीन वर्णकी कन्याको स्त्रीकार करनेवाले चत्रिय और
दो वर्णकी कन्याको स्वीकार करनेवाले वैश्य होते हैं ॥२८॥

—नीतिवाक्यामृत विवाहसमुद्देश

तत्र परिगृहीताः सस्वामिकाः । अपरिगृहीता स्वैरिणी प्रोचितभृत्का
कुलाङ्गना वा अनाथा ।

जिसका स्वामी है उसे परिगृहीता कहते हैं और जो स्वैरिणी, पतित्यक्ता
या अनाथ कुलाङ्गना है उसे अपरिगृहीता कहते हैं ।

—सागारधर्मामृत अ० ४ रुलो० ५२ टीका

मैथुनं न कार्यं न च कारणीयमिति वतं यदा गृहीतं भवति तदान्य-
विवाहकरणं मैथुनकरणमित्यर्थतः प्रलिपिद्वद्मेरव च भवति ।

मैथुन न करना चाहिए और न कराना चाहिए ऐसा व्रत जब ग्रहण
किया जाता है तब आन्यका विवाह करना मैथुन करना ही है, इसलिए वह
निषिद्ध ही है ।

—सागारधर्मामृत अ० ४, रुलो० ५८ टीका

चरित्रग्रहण मीमांसा

अथो सत्तमाद् पुढ़वीप् गेरहया गिरयादो गेरहया उभ्यहितसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति ॥२०३॥ एकक हि चेव तिरिक्षणगदिमागच्छंति सि ॥२०४॥ तिरिक्षेसु उवदण्णलहया तिरिक्षा छणो उप्यादंति—आभिनिबोहित्याणं जो उप्यादंति सुदण्णाणं जो उप्यादंति ओहित्याणं जो उप्यादंति सम्मानिच्छंति जो उप्यादंति सम्मतं जो उप्यादंति संज-मासंबं जो उप्यादंति ॥२०५॥

नीचेकी सातवी पृथिवीके नारकी नरकसे निकल कर कितनी गतियोंको प्राप्त होते हैं ॥२०३॥ एक मात्र तिर्यङ्गगतिको प्राप्त होते हैं ॥२०४॥ तिर्यङ्गोंमें उत्पन्न हो कर वे इन छहको नहीं उत्पन्न करते हैं—आभिनिबोधिकशानको नहीं उत्पन्न करते हैं, भुतशानको नहीं उत्पन्न करते हैं, आवधिशानको नहीं उत्पन्न करते हैं, सम्यग्मित्यात्वको नहीं उत्पन्न करते हैं, सम्यकत्वको नहीं उत्पन्न करते हैं और संयमासंयमको नहीं उत्पन्न करते हैं ॥२०५॥

छठीप् पुढ़वीप् गेरहया गिरयादो गेरहया उभ्यहितसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति ॥२०६॥ दुबे गदीओ आगच्छंति—तिरिक्षमणुस्सेसु उवदण्णहया तिरिक्षा मणुसा केहं छ उप्यादंति—केहं आभिनिबोहित्याणमुप्यादंति केहं सुदण्णाख-मुप्यादंति केहमोहित्याणमुप्यादंति केहं सम्मानिच्छलमुप्यादंति केहं सम्मतमुप्यादंति केहं संजमासंजममुप्यादंति ॥२०८॥

छठी पृथिवीके नारकी नरकसे निकल कर कितनी गतियोंको प्राप्त होते हैं ॥२०६॥ तिर्यङ्गगति और मनव्यगति इन दो गतियोंको प्राप्त होते हैं ॥२०७॥ नरकसे आकर तिर्यङ्गगति और मनव्यगतिमें उत्पन्न हुए कोई तिर्यङ्ग और मनव्य (छहको उत्पन्न) करते हैं—कोई आभिनिबोधिकशानको उत्पन्न करते हैं, कोई भुतशानको उत्पन्न करते हैं, कोई आवधिशानको

उत्पन्न करते हैं, कोई सम्बिमित्यात्वको उत्पन्न करते हैं, कोई सम्बन्धको उत्पन्न करते हैं और कोई संयमासंयमको उत्पन्न करते हैं ॥२०८॥

पञ्चमीषु पुढ़वीषु जेरह्या णिरयादो जेरह्या उवद्विदसमाजा कदि गर्दीओ आगच्छंति ॥२०९॥ दुवे गर्दीओ आगच्छंति—तिरिक्षणगदि चेव मणुसंगदि चेव ॥२१०॥ तिरिक्षेसु उववण्णह्या तिरिक्षा केहं च उप्पाएंति ॥२११॥ मणुसेसु उववण्णह्या मणुसा केहमद्भुप्पाएंति—केहमाभिगिदोहियणाणमुप्पाएंति केहं सुदणाणमुप्पाएंति केहमोहिणाण-मुप्पाएंति केहं मणपञ्चवणाणमुप्पाएंति केहं सम्माभिच्छत्तमुप्पाएंति केहं सम्मतमुप्पाएंति केहं संज्ञमासंजममुप्पाएंति केहं संज्ञममुप्पा-एंति ॥२१२॥

‘पञ्चवी प्रथिवीके जारकी नरकसे निकल कर कितनी गतियोंको प्राप्त होते हैं ॥२०६॥ तिर्यङ्गति और मनुप्पगति इन दो गतियोंको प्राप्त होते हैं ॥२१०॥ नरकसे आकर तिर्यङ्गतिमें उत्पन्न हुए तिर्यङ्ग कोई पूर्वोक्त छृङ्को उत्पन्न करते हैं ॥२११॥ तथा नरकसे आकर मनुप्पगतिमें उत्पन्न हुए मनुप्प कोई आठको उत्पन्न करते हैं—कोई 6 आभिनिवोधिक्षानको उत्पन्न करते हैं, कोई श्रुत्क्षानको उत्पन्न करते हैं, + कोई अवधिज्ञानको उत्पन्न करने हैं, कोई मनःपर्ययक्षानको उत्पन्न करते हैं, ² कोई सम्बिमित्यात्वको उत्पन्न करते हैं, कोई सम्बन्धको उत्पन्न करते हैं, कोई संयमासंयमको उत्पन्न करते हैं और कोई संयमको उत्पन्न करते हैं ॥२१२॥

चउत्थीषु पुढ़वीषु जेरह्या णिरयादो जेरह्या उवद्विदसमाजा कदि गर्दीओ आगच्छंति ॥२१३॥ दुवे गर्दीओ आगच्छंति—तिरिक्षणगहं चेव मणुसंगहं चेव ॥२१४॥ तिरिक्षेसु उववण्णह्या तिरिक्षा केहं च उप्पाएंति ॥२१५॥ मणुसेसु उववण्णह्या मणुमा केहं दस उप्पाएंति—केहमाभिगिदोहियणाणमुप्पाएंति केहं सुदणाणमुप्पाएंति केहं भोहिणाण-मुप्पाएंति केहं मणपञ्चवणाणमुप्पाएंति केहं केवलणाणमुप्पाएंति केहं

सम्मानिष्ठ सुप्ताए॑ति के॒ह सम्मतमुप्याए॑ति के॒ह संज्ञमासंज्ञम-
मुप्याए॑ति के॒ह संज्ञममुप्याए॑ति । जो बलदेवतं जो वासुदेवतं जो
चक्रवहितं जो तित्वयरतं । के॒हमंतयदा होवृण सित्तमंति बुजमंति मुष्टि
परिष्ठाण्यरंति सम्बुद्धसाक्षमंतं परिविकाणंति ॥२१६॥

चौथी पृथिवीके नरकसे निकल कर किंतनी गतियोंको प्राप्त
होते हैं ॥२१३॥ तिर्यङ्गगति और मनुष्यगति इन दो गतियोंको ही प्राप्त
होते हैं ॥२१४॥ नरकसे आकर तिर्यङ्गगतिमें उत्पन्न हुए कोई तिर्यङ्ग
पूर्वोक्त छहको उत्पन्न करते हैं ॥२१५॥ मनुष्यगतिमें उत्पन्न हुए कोई
मनुष्य दसको उत्पन्न करते हैं—कोई आभिनिवोधिकशानको उत्पन्न करते
हैं, कोई भृत्यशानको उत्पन्न करते हैं, कोई अविश्वानको उत्पन्न करते हैं,
कोई मनःपर्यायशानको उत्पन्न करते हैं कोई केवलशानको उत्पन्न करते
हैं, कोई सम्यग्मिष्यात्यको उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यक्त्वको उत्पन्न करते
हैं, कोई संयमासंयमको उत्पन्न करते हैं और कोई संयमको उत्पन्न करते
हैं । ये भलदेवु वासुदेवु चक्रवती और तीर्थङ्कर नहीं होते । मात्र किंतने
ही अन्तःकृत होकर सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, निर्जालंको
प्राप्त होते हैं और सब दुखोंका अन्त कर अनन्त सुखका अनुभव करते
हैं ॥२१६॥

सिसु उवरिमासु पुढीवीसु जेरह्या जिरयादो जेरह्या उच्चहिदसमाणा ।
कदि गदीओ आगच्छंति ॥२१७॥ दुवे गदीओ आगच्छंति—तिरिक्षणदिं
मणुसगदिं चेव ॥२१८॥ तिरिक्षेसु उववण्णह्या तिरिक्षा के॒ह छ
उप्याए॑ति ॥२१९॥ मणुसेसु उववण्णह्या मणुस्सा के॒हमेकारस उप्या-
ए॑ति—के॒हमामिणबोहिणाणमुप्याए॑ति के॒ह सुदणाणमुप्याए॑ति के॒ह मण-
पजवणाणमुप्याए॑ति के॒हमोहिणाणमुप्याए॑ति के॒ह केवलणाणमुप्याए॑ति
के॒ह सम्मानिष्ठसुप्याए॑ति के॒ह सम्मतमुप्याए॑ति के॒ह संज्ञमासंज्ञम-
मुप्याए॑ति के॒ह संज्ञममुप्याए॑ति । जो बलदेवतं जो वासुदेवतंमुप्याए॑ति
जो चक्रवहितमुप्याए॑ति । के॒ह तिर्यङ्गयरतमुप्याए॑ति के॒हमंतयदा

होत्यन् लिङ्गंति तु उक्तंति मुख्यंति परिगिम्बालंति सम्भवान्वर्तं परिगिवालंति ॥२२०॥

प्रथमादि तीन प्रथिवियोंके नारकी जगत्से निकल कर कितनी गतियों को प्राप्त होते हैं ॥२१७॥ तिर्यङ्गगति और मनुष्यगति इन दो गतियोंको ही प्राप्त होते हैं ॥२१८॥ नरकगतिसे आकर तिर्यङ्गगतिमें उत्पन्न हुए तिर्यङ्ग कोई एवंक छाहको उत्पन्न करते हैं ॥२१९॥ मनुष्यगतिमें उत्पन्न हुए मनुष्य कोई स्वातन्त्र्यको उत्पन्न करते हैं—कोई आभिनिवेषिकज्ञानको उत्पन्न करते हैं, कोई अतशानको उत्पन्न करते हैं, कोई मनःपर्ययशानको उत्पन्न करते हैं, कोई अविशानको उत्पन्न करते हैं, कोई केवलशानको उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यग्मित्यात्मको उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यकत्वको उत्पन्न करते हैं, कोई संयमासंयमको उत्पन्न करते हैं और कोई संयमको उत्पन्न करते हैं । ये बलदेव, बासुदेव और चक्रवर्तीं नहीं होते । कोई तीर्थकुरुपदको उत्पन्न करते हैं और कोई अन्तकृत होकर सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, निर्वाणको प्राप्त होते हैं और सब दुखोंका अन्तकर अनन्त सुखका अनुभव करते हैं ॥२२०॥

तिरिक्षा मणुसा तिरिक्षा-मणुसेहि काळमादसमाजा कदि गर्दाओ गच्छंति ॥२२१॥ चक्षारि गर्दीओ गच्छंति—गिरधगर्दि तिरिक्षगर्दि मणुस-गर्दि देवगर्दि देवि ॥२२२॥ गिरध-देवेसु डववण्णालया गिरध-देवा केहुं पंचमुप्यादंति—केहमामिजिकोहिज्ञानमुप्यादंति केहुं सुवज्ञानमुप्यादंति केहमोहिज्ञानमुप्यादंति केहुं सम्मामिच्छात्ममुप्यादंति केहुं सम्मतमुप्यादंति ॥२२३॥ तिरिक्षेसु डववण्णालया तिरिक्षमणुसा केहुं छडप्पा-दंति ॥२२४॥ मणुसेसु डववण्णालया तिरिक्षा-मणुससा जहा चरध-पुढ़ीए मंसो ॥२२५॥

(तिर्यङ्ग और मनुष्य) तिर्यङ्ग और मनुष्यगतिसे च्युत होकर कितनी गतियोंको प्राप्त होते हैं ॥२२६॥ नरकगति, तिर्यङ्गगति, मनुष्यगति और देवगति इन चारों गतियोंको प्राप्त होते हैं ॥२२७॥ नरकगति और देवगति

में उत्पन्न हुए शारकी और देवे कोई पाँचको उत्पन्न करते हैं—कोई आभिनिबोधिकशानको उत्पन्न करते हैं, कोई अंतशानको उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिशानको उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यग्मिष्यात्वको उत्पन्न करते हैं और कोई सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं ॥२२३॥ तिर्यङ्गमें उत्पन्न हुए मनुष्य और तिर्यङ्ग कोई लहको उत्पन्न करते हैं ॥२२४॥ तथा मनुष्योंमें उत्पन्न हुए तिर्यङ्ग और मनुष्योंका भज्ञ चौथी पुणिवीके समान है ॥२२५॥

देवगर्वाएं देवा देवेहि उव्वहिद्युदसमाजा कदि गदीओ आगच्छुति ॥२२६॥ दुवे गदाओ आगच्छुति—तिरिक्तगर्वि मणुसगर्वि चेदि ॥२२७॥ तिरक्लेसु उवबण्णस्तया सिरिक्ता केहूङ् उप्पाएंति ॥२२८॥ मणुसेसु उवबण्णस्तया मणुसा केहूङ् सम्बं उप्पाएंति केहूङ् हेमाभिनिबोहिबणाणमुप्पा-एंति केहूङ् सुदणाणमुप्पाएंति केहूङ् मोहिणाणमुप्पाएंति केहूङ् माजपञ्चव-णाणमुप्पाएंति केहूङ् केवलणाणमुप्पाएंति केहूङ् सम्मानिष्ठुतमुप्पाएंति केहूङ् सम्मतमुप्पाएंति केहूङ् संज्ञासंज्ञममुप्पाएंति केहूङ् संज्ञमं उप्पाएंति केहूङ् वददेवतमुप्पाएंति केहूङ् वासुदेवतमुप्पाएंति केहूङ् चक्रवर्हितमुप्पा-एंति केहूङ् तिरथयत्तमुप्पाएंति केहूङ्मत्तवडा होतूऽ सिर्वक्ति तुजम्भति मुम्भति परिणिष्वाणवंति सम्बद्धःक्षाणमंतं परिविजाणति ॥२२९॥

देवगतिमें देव देवगतिसे च्युत हो कर कितनी गतियोंको प्राप्त होते हैं ॥२२६॥ तिर्यङ्गगति और मनुष्यगति इन दो गतियोंको प्राप्त होते हैं ॥२२७॥ देवगतिसे आकर तिर्यङ्गमें उत्पन्न हुए कितने ही तिर्यङ्ग पूर्वोक्त लहको उत्पन्न करते हैं ॥२२८॥ तथा मनुष्योंमें उत्पन्न हुए कितने ही मनुष्य कोई सत्क्रको उत्पन्न करते हैं—कोई आभिनिबोधिकशानको उत्पन्न करते हैं, कोई अंतशानको उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिशानको उत्पन्न करते हैं, कोई मनःपर्यवक्षानको उत्पन्न करते हैं, कोई केवलक्षानको उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यग्मिष्यात्वको उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं, कोई संयमासंयमको उत्पन्न करते हैं, कोई संयमको उत्पन्न करते

हैं, कोई बलदेव होते हैं, कोई वामुदेव होते हैं, कोई चक्रवर्ती होते हैं और कोई अन्तकृत होकर सिद्ध होते हैं, तुद होते हैं, मुक्त होते हैं, निर्बाणको प्राप्त होते हैं और सब दुर्लभोंका अन्तकर अनन्त सुखका अनुभव करते हैं ॥२२६॥

‘भवयवासिष्ठ-वागवंतर-ओदिसिय देवादेवीओ सोधम्मीसागरकप्यवासिष्ठ-देवीओ च देवा देवेहि उव्वहित्तुदसमाणा कदि गर्दीओ आगच्छंति ॥२३०॥ दुवे गर्दीओ आगच्छंति—तिरिक्तगादिं मणुसगादिं चेदि ॥२३१॥ तिरिक्तेसु उववण्णहलया तिरिक्ता केहूङ उप्याएंति ॥२३२॥ मणुसेसु उववण्णहलया मणुसा केहूङ दस उप्याएंति—केहमोहिणाणमुप्याएंति केहूङ मणवज्ञव-काणमुप्याएंति केहूङ केवलगाणमुप्याएंति केहूङ सम्भामित्तुमुप्याएंति केहूङ सम्भामित्तुमुप्याएंति केहूङ संज्ञमासंज्ञममुप्याएंति केहूङ संज्ञममुप्याएंति जो बलदेवसमुप्याएंति जो वामुदेवसमुप्याएंति जो चक्रवहिसमुप्याएंति जो तिरिक्तसमुप्याएंति केहमंतवदा होदूज सिजकंति तुदकंति मुक्तकंति परिज्ञाणयंति सम्बद्धसागरमंत सप्तिजाणंति ॥२३३॥

भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देव, उनकी देवाङ्गनाएं तथा सौधर्म और ऐशान कल्पवासिनी देवाङ्गनाएं वहाँसे मरकर कितनी मतियोंको प्राप्त होते हैं ॥२३०॥ तिर्यक्त्वगति और मनुष्यगति इन दो गतियोंको प्राप्त होते हैं ॥२३१॥ उक्त स्थानोंसे आकर तिर्यक्त्वमें उत्पन्न हुए किलने ही तिर्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं ॥२३२॥ तथा मनुष्यगतिमें उत्पन्न हुए किलने ही मनुष्य कोई दसको उत्पन्न करते हैं—कोई आभिन्न-बोधिक ज्ञानको उत्पन्न करते हैं, कोई श्रुतज्ञानको उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिज्ञानको उत्पन्न करते हैं, कोई मनःपर्यवशानको उत्पन्न करते हैं, कोई केवलज्ञानको उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यग्मित्यात्मको उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं, कोई संयमासवमको उत्पन्न करते हैं, कोई संख्यको उत्पन्न करते हैं, वहाँसे मरकर आए हये बीव /

बलदेव नहीं होते, धारुदेव नहीं होते, चक्रवर्ती नहीं होते और तीर्थिकर नहीं होते, तथा कितने ही मनुष्य अन्तकर होकर सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होने हैं, परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं तथा सब दुखोंका अन्तकर अनन्त सुखका अनुभव करते हैं ॥२३३॥

सोहम्मीशाण जाव सदर-सहस्राकप्यवासियदेवा जथा देवगदिभंगो
 ॥२३४॥ चा अग्नादादि जाव अवगेवज्ञिमाणवासियदेवा देवेहि चुदसमाण
 कदि गदीओ आगच्छंति ॥२३५॥ पृष्ठकं हि चेव मणुसगदिमाणच्छंति
 ॥२३६॥ मणुसेसु उवचक्षल्लया मणुस्सा केहैं सच्चे उप्पाप॑ति ॥२३७॥
 अग्नुविल जाव अवहाइद्विमाणवासियदेवा देवेहि चुदसमाण कदि गदीओ
 आगच्छंति ॥२३८॥ पृष्ठकं हि चेव मणुसगदिमाणच्छंति ॥२३९॥
 मणुसेसु उवचक्षल्लया मणुस्सा तेसिमाभिजिबोहियणाणं सुदणाणं गियमा
 अरिथ । ओहिणाणं गिया अरिथ सिया णरिथ । केहैं मणपञ्च-
 णाणमुप्पाप॑ति केहैं केवलणाणमुप्पाप॑ति । सम्मामिच्छृतं गरिथ । सम्मां
 णियमा अरिथ । केहैं सज्जमासंज्जममुप्पाप॑ति । संज्जमं णियमा उप्पा-
 प॑ति । केहैं बलदेवतमुप्पाप॑ति जो बासुदेवतमुप्पाप॑ति । केहैं चक्र-
 वटितमुप्पाप॑ति केहैं तिथयरतमुप्पाप॑ति केहैंमंतवडा होदूण सिउकंति
 खुउकंति मुर्खंति परिणिष्वाणयंति सद्वदुःखाणमंतं परिविजाणंति ॥२४०॥
 सव्वहुसिद्धिविमाणवासियदेवा देवेहि चुदसमाण । कदि गदीओ आगच्छंति
 ॥२४१॥ पृष्ठकं हि मणुसगदिमाणच्छंति ॥२४२॥ मणुसेसु उवचक्षल्लया
 मणुमा तेसिमाभिजिबोहियणाणं सुदणाणं ओहिणाणं च गियमा अरिथ ।
 केहैं मणपञ्चवणाणमुप्पाप॑ति केवलणाणं णियमा उप्पाप॑ति । सम्मा-
 मिच्छृतं णरिथ सम्मां णियमा अरिथ । केहैं संज्जमासंज्जममुप्पाप॑ति
 संज्जम णियमा उप्पाप॑ति । केहैं बलदेवतमुप्पाप॑ति जो बासुदेवत-
 मुप्पाप॑ति केहैं चक्रवटितमुप्पाप॑ति केहैं तिथयरतमुप्पाप॑ति । सच्चे ते
 णियमा अतवडा होदूण सिउकंति खुउकंति मुर्खंति परिणिष्वाणयंति
 सद्वदुःखाणमंतं परिविजाणंति ॥२४३॥

सौधर्म और ईशान कल्पसे लेकर सनार-महस्यार कल्प तकके देवोंका भज्ज सामान्य देवोंके समान है। आनत कल्पसे लेकर नौ ग्रैवेयक तकके विमानवासी देव वहाँसे च्युत होकर कितनी गतियोंको प्राप्त होते हैं ॥२३५॥ एक मात्र मनुष्यगतिको प्राप्त होते हैं ॥२३६॥ मनुष्योंमें उत्पन्न हो कर कितने ही मनुष्य मयको उत्पन्न करते हैं ॥२३७॥ मनुष्योंसे लेकर अपराजित तकके विमानवासी देव वहाँसे च्युत हो कर कितनी गतियोंको प्राप्त होते हैं ॥२३८॥ एक मात्र मनुष्यगतिको प्राप्त होते हैं ॥२३९॥ मनुष्योंमें उत्पन्न होकर उनके आभिनिवाधिकज्ञान और श्रुतज्ञान नियमसे होता है। अवधिज्ञान स्यात् होता है और स्यात् नहीं होता। कितने ही मनःपर्ययज्ञानको उत्पन्न करते हैं और कितने ही केवलज्ञानको उत्पन्न करते हैं। इनके सम्बन्धित्यात्म नहीं होता। सम्यक्त्व नियमसे होता है। कितने ही संयमासंयमको उत्पन्न करते हैं, संयमको नियमसे उत्पन्न करते हैं। कितने ही बलदेव होते हैं। वासुदेव कोई नहीं होता। कितने ही चक्रवर्ती होते हैं, कितने ही तीर्थङ्कर होते हैं तथा कितने ही अन्तकृत हो कर सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिर्वाणिको प्राप्त होते हैं तथा सब दुखोंका अन्त कर अनन्त सुखका अनुभव करते हैं ॥२४०॥ सर्वार्थसिद्धि विमानवासी देव वहाँमें च्युत होकर कितनी गतियोंको प्राप्त होते हैं ॥२४१॥ एक मात्र मनुष्यगतिको प्राप्त होते हैं ॥२४२॥ मनुष्योंमें उत्पन्न हुए उनके आभिनिवाधिकज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान नियमसे होता है। कितने ही मनःपर्ययज्ञानको उत्पन्न करते हैं। केवलज्ञानको नियमसे उत्पन्न करते हैं। सम्बन्धित्यात्म नहीं होता। सम्यक्त्व नियमसे होता है। कितने ही संयमासंयमको उत्पन्न करते हैं। संयमको नियमसे उत्पन्न करते हैं। कितने ही बलदेव होते हैं। वासुदेव नहीं होते हैं। कितने ही चक्रवर्ती होते हैं और कितने ही तीर्थङ्कर होते हैं। वे सब नियमसे अन्तकृत होकर सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिर्वाणिको

प्रात होते हैं तथा सब दुखोंका अन्त कर अनन्त सुखका अनुभव करते हैं ॥२४३॥

—जीवस्थान चूलिका

आपिच्छ बंधुवर्गम् विमोचिदो गुरुकलत्तुचेहि ।

आसिञ्ज जाणदंसणचरित्ततववीरियावारं ॥१॥

बन्धुवर्गसे पूँछकर तथा माता, पिता, लड़ी और पुत्र इनका त्याग कर यह प्राणी ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचारको स्वीकार कर संसारमें विरक्त होता है ॥१॥

—प्रबचनसार चारित्राधिकार

जं जाणइ तं जाणं जं विच्छिइ तं च दंसणं भणियं ।

जाणस्स पिच्छियस्स य समवण्णा होइ चारित्स ॥४॥

जो जानता है वह जान और जो देखता है वह दशने कहा गया है।
तथा जान और दशनके प्रात होने पर चारित्र होता है ॥४॥

दुविहं संज्ञमधरणं साचारं तह हवे जिरावारं ।

साचारं समग्रथे परिमाहा। रहिय खलु जिरावारं ॥२०॥

संयमचरण दो प्रकारका है—सागार और अनगार। जो परिग्रहसे युक्त है उसके सागार संयमचरण होता है और जो परिग्रह रहित है उसके अनगार संयमचरण होता है ॥२०॥

—चरित्रप्राभूत

पंचमहव्यजुक्तो तिदि गुच्छिदि जो संजदो होइ ।

गुमाथमोक्षमम्बो म्बो होदि हु वंशगिजो य ॥२०॥

जो पाँच महाब्रह्मों और तीन गुस्तियोंसे युक्त है वह संयत है। वह निर्ग्रन्थ मोक्षमार्ग है और बन्दनीय है ॥२०॥

दुहयं च युक्त लिंगं उविकहुं अवर साचयाणं च ।

भिक्षं भमेह पचो समिदीभावेज भोगेण ॥२१॥

उससे भिन्न दूसरा आवकोका उल्कुष लिङ्ग कहा गया है। वह समिति पूर्वक मौनसे पात्र सहित भिन्नाके लिए भ्रमण करता है ॥२१॥

लिंगं दूर्धीण हवदि भुंजेह पिंडं सुषुप्तकालमिम् ।

अजिय वि एववत्था वस्थावरणेण भुंजेह ॥२२॥

तीसरा लिङ्ग आर्या लियोका है। वह एक समय भोजन करती है, एक बछर रखती है और बछर सहित ही भोजन करती है ॥२२॥

ण वि सिञ्जह वस्थधरो जिणसासगे जह वि होह लित्थधरो ।

णगो विमोक्षमगो सेसा उन्मग्नादा सम्ये ॥२३॥

जिन शासनमें कहा है कि बछरधारी यदि तीर्थकुर भी है तो वह सिद्ध नहीं होता। एक नग्न लिङ्ग ही मोक्षमार्ग है, शेष सब उन्मार्ग हैं ॥२३॥

जह दंसणेण सुदा उत्ता भग्नोण सा वि संजुत्ता ।

घोरं चरिय चरितं दूर्धीसु ण पावया भणिवा ॥२४॥

खी यदि सम्पदर्शनसे शुद्ध है तो वह भी मोक्षमार्गसे युक्त कही गई है। वह घोर चारित्रका आचरण करती है। परन्तु लियोमें दीक्षा नहीं कही गई है ॥२५॥

—सूत्रप्राभृत

भावेण होह लिगी ण हु लिगी होह दव्यमित्तेण ।

तम्हा कुणिज भावं किं कारह दव्यलिंगेण ॥२६॥

कोई भी मुनि भावसे लिङ्गी होता है, द्रव्यमात्रसे जिनलिङ्गी नहीं होता, इसलिये तूं भाव कर, द्रव्यलिङ्गसे क्या करना है ॥२८॥

भावेण होह णगो बाहिरलिंगेण किं च णगोण ।

कम्मपयहीण णियरं णासह भावेण दव्येण ॥२९॥

मुनि भावसे नग्न होता है, नग्नस्य बाह्य लिङ्गसे क्या प्रयोजन, क्योंकि मुनि भावसहित द्रव्यलिङ्गके द्वारा ही कर्म प्रकृतियोंके समूहका नाश करता है ॥२९॥

पदिष्ठण कि कि कीरह किं वा सुणिष्ठण भावरहिष्ठण ।

भावो कारणभूदो मायारणयारभूदाणं ॥६६॥

भाव रहित पदनेसे अथवा भाव रहित सुननेसे क्या कार्य सिद्ध होता है ? वास्तवमें भाव ही एकम्यरने आँग मुनिपनेका कारण है ॥६६॥

दब्बेण मयलणग्ना जाय्य-तिश्या य सबलसधाया ।

परिणामेण असुद्धा ण भावसबणत्तणं पत्ता ॥६७॥

द्रव्यमें नारकी और तिर्यक्ष यह सब सकल सधात नग्न रहता है । परन्तु परिणामोंसे अशुद्ध होनेके कारण वे भाव अभ्यरणनेको नहीं प्राप्त होते ॥६७॥

जग्नो पावह दुक्खं जग्नो संमाद्यायरे भमद् ।

जग्नो ण लहह योहिं जिणभावणावजिओ सुहर ॥६८॥

जिन भावनासे रहित नग्न दुख पाता है, संसार सागरमें परिभ्रमण करता है और चिरकाल तक रत्नत्रयको नहीं प्राप्त करता ॥६८॥

अष्टसाण भावणेण य किं ते जग्नोण पावमलिणेण ।

ऐसुण्णाहासमच्छरमायावहुलेण सवणेण ॥६९॥

जो अपयशोंका पात्र है, पापसे मलिन है तथा पैशुन्य, हास्य, मात्सर्य और मायावहुल है ऐसे नग्न अभ्यरणसे तुके क्या मतलब ॥६९॥

पथहहि जिणवरलिंगं अविभतरभावदोसपरिसुद्धो ।

भावमलेण य जोबो बाहिरसंगम्म भयलियह ॥७०॥

तैं अन्तगङ्कके भावगत दोपसे शुद्ध होकर जिनवरके लिङ्गको प्रकट कर, क्योंकि वाह्य परिग्रहके सद्व्यायमें यह जीव भावमलसे स्वयंको मलिन कर लेता है ॥७०॥

धर्मे णिष्पवासो दासावासो य उच्चुकुञ्जसमो ।

णिष्पक्लणिम्बुण्यारो णडलवणो णग्नारुनेण ॥७१॥

जो धर्मसे दूर है, दोपाका घर है तथा इंत्वके फूलके समान निष्फल और निर्गुण है वह नग्नरूपसे नटथ्रमण है ॥७१॥

जे राष्ट्रसंगशुक्ता जिनभावणरहितदत्तिमांथा ।

ज लहूति ते समाहि बोहिं जिनसासने चिमले ॥०२॥

जो रागादि परिग्रहसे युक्त और जिन भावनासे रहित द्रव्य निर्गन्ध हैं
वे पवित्र जिनशासनमें समाधि और बोधिको नहीं प्राप्त होते ॥७२॥

भावेण होइ जग्मो मिछुताहूँ य दोस चहूल ।

पच्छा दत्तेण मुणी पवहृदि लिंगं जिनागाप् ॥०३॥

मुनि मिथ्यात्व आदि दोषोंका त्याग कर भावसे नग्न होता
है। पश्चात् उसके साथ जिनदेवकी आशानुसार द्रव्यसिङ्गको प्रकट
करत है ॥७३॥

—आदप्राभूत

भरहे दुस्समकाले धम्मउम्माणं हवेह साहुस्स ।

तं अप्पसहावठिदे ज हु मण्हृ सो वि अण्णावी ॥०४॥

भरत चेत्रमें दुष्मा कालमें साधुके धर्मध्यान होता है तथा वह
आत्मस्वभावमें स्थित होने पर होता है, जो ऐसा नहीं मानता वह अशानी
है ॥७४॥

अज्ञ वि तिरबणसुदा अप्पा काष्ठि लहूह हंदतं ।

कोर्यतियदेवतं तथ चुआ जिवुदि जंति ॥०५॥

इस कलिकालमें रसनत्रयसे शुद्ध हुए जीव आत्माका ध्यानकर हन्द्रपद
और लौकान्तिक देवपद प्राप्त करते हैं और वहांसे च्युत होकर मोह
बाते हैं ॥७५॥

—मोहप्राभूत

मोहतिमिरायपहरणे दर्शनलाभाद्वाप्तसञ्ज्ञानः ।

राग-द्वेषनिवृथै चरणं प्रतिपद्यते साधुः ॥०६॥

मोहसुपी अन्वकारका अभाव होनेपर सम्यग्दर्शनके लाभपूर्वक
सम्यक्वानको प्राप्त हुआ साधु हिंतादि के त्यागस्त्र चारित्रको प्राप्त
होता है ॥७६॥

गुहतो गुनिवरमित्या गुस्यपक्षे व्रतानि परिगृह ।

मैत्रादानसंतवस्याहुत्थारेकमण्डवरः ॥ १४३॥

जो आवक घरसे मुनिवनमें जाकर और गुरुके निकट ग्रहोंको ग्रहण कर तपस्या करता हुआ भिन्नाभृतिसे भोग्यन करता है और स्वरूपवत्ता रखता है वह उत्कृष्ट आवक होता है ॥ १४३ ॥

—सत्यकर्मवद्वाचकाचर

वर्णवाहंद्रूपात्मोम्बालाम् ॥ १४४॥

जो वर्णसे अहंद्रूप अर्थात् निर्ग्रन्थ लिङ्गके अयोग्य हैं उनका इन्द्र समासमें एकमन्दाव होता है ॥ १४४॥

—जीवेन्द्रम्बालभ

वाम्बाहुत्थानुंसकाम्बुद्धत्वधीत्यात्पञ्चविलिङ्गवदीपूर्वेशाम्बालवादि
॥ १४५॥

पाम्बराद्र, अनपुंसक अथयुक्तु, अर्धांत्यासम, विलिङ्ग नदी, विलिङ्ग पुर, विलिङ्ग देश और गवाश्वादि वाची शब्दोंका इन्द्र समासमें एकमन्दाव होता है ॥ १४५॥

—शाकटावनम्बालभ

तं चारित्रं तु विह—देशचारित्रं सवक्त्वारित्रं चेदि । तत्त्व देशचारित्रं पदिकम्बाला विलिङ्गाहुत्थियो तु विहा होंति—वेदगसम्मतेन सहिदृसंजमा-संजमाभिमुहा उपशमसम्मतेन सहिदृसंजमासंजमाभिमुहा चेदि । संजमं पदिकउंता वि पृथं चेव तु विहा होंति ।

वह चारित्र दो प्रकारका है—देशचारित्र और सकलचारित्र । उनमेंसे देशचारित्रको प्राप्त होनेवाले मिष्याद्विं जीव दो प्रकारके होते हैं—प्रथम वे जो वेदक सम्बन्धके साथ संयमासंयमके अभिमुख होते हैं और दूसरे वे जो उपशमसम्बन्धके साथ संयमासंयमके अभिमुख होते हैं । संयमको प्राप्त होनेवाले मिष्याद्विं भी इसी तरह दो प्रकारके होते हैं ।

—जीवस्थान शूलिका खबरा पृ० २६८

पदमसम्भवं संबंधं च तुग्रं पदिवत्तमाणो तिष्णि वि करणाग्नि
काक्षम पदिवत्तदिः । तेसि करणां करक्षमं जावा सम्भवुपर्तीए भणिदं
तथा बक्षमं । अदि तु यहार्वाससंतकमिमभो मिष्टाहृष्टी असंबद्ध-
सम्भाहृष्टी संबद्धसंबद्धो वा संबंधं पदिवत्तदिः तो दो चेद करणाग्नि,
अविष्टाहृष्टकरणस्त अमावादो ।

प्रथम सम्भवत्व और संमयको एक साथ प्राप्त करनेवाला मनुष्य तीनों
ही करण करके उन्हें प्राप्त करता है । उन करणोंके लक्षण सम्भवत्वकी
उत्पत्तिके समय विस्त प्रकार कहे हैं उस प्रकार यहाँ भी कहने चाहिए ।
यदि अहार्विष्ट प्रकृतियोंकी सत्तावाला मिष्टाहृष्टि, असंयत सम्भवहृष्टि या
संयतासंयत मनुष्य संबंधको प्राप्त करता है तो वह दो ही करण करता है,
क्योंकि उसके अनिवृत्तिकरण नहीं होता ।

—जीवस्थान चूल्हिका खबरा पृ० २१८ ।

त्वक्षागात्मस्य सदृह्देः प्रशास्तस्य गृहीशनः ।

प्राग्दीपोपविकात् काकात् एकव्याटकधारिणः ॥३८-१५७॥

वस्तुनवरण दीक्षाहृष्टं प्रति धावते ।

दीक्षाय नाम रज्जवं कियाजातं ह्रिजम्भवः ॥३८-१५८॥

विसने घर छोड़ दिया है, जो सम्भवहृष्टि है, प्रशास्त है, यहस्थोका
स्वामी है और दीक्षा लेनेके पूर्व एक बलवत्तको स्वीकार कर चुका है वह
दीक्षा लेनेके लिए जो भी आचरण करता है उस क्रियासमूहको दिजकी
दीक्षाय नामकी क्रिया जाननी चाहिए ॥३८-१५७, १५८॥

—महापुराण

तस्मिष्टहृष्टके पश्चैैने वास्थानमण्डले ।

विधिना लिप्सते तज्जैर्विष्टमिवरचिताच्चने ॥३९-४०॥

जिनार्चीभिमुखं सृरिः विधिनैनं निवेशयेत् ।

तथोपासकदीपोऽवमिति मूर्च्छं मुहः सृषान् ॥३९-४१॥

उस विषयके जानकार विद्वानोंके द्वारा लिखे हुए उस अहंदल कमल
अथवा जिनेन्द्र भगवानके समवशरण मरणदलकी बब सम्पूर्ण पूजा हो तुके
तब आचार्य उस भव्य पुरुषको जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाके समूख बैठावे और
चार-चार उसके मस्तकको स्पर्श करता हुआ कहे कि यह तेरी आवककी
दीक्षा है ॥३६-४०, ४१॥

शुक्लवस्त्रोपवीतादिघारणं वेष उच्चते ।

आर्यवट्कर्मजाविवं वृत्तमस्य प्रचक्षते ॥३६-४२॥

जैनोपासकदोषाः स्थात् समयः समयोचितम् ।

दधतो गोत्रजात्यादि नामान्तरमतः पदम् ॥३६-४३॥

सफेद वस्त्र और यजोपवीत आदि धारण करना वेष कहलाता है,
आयों द्वारा करने योग्य छुट कर्मोंको वृत्त कहते हैं और इसके बाद
ममयोचित गोत्र तथा जाति आदिके दूसरे नाम धारण करनेवाले पुरुषके
जो जैन आवककी दीक्षा है उसे समय कहते हैं ॥३६-४५, ४६॥

स्वकागारस्य तस्यानः तपोवनमुपेयुपः ।

पृक्षाटकधारिण्व प्राप्तवर्हीषाद्यमिष्यते ॥३६-४७॥

तटनन्तर जो घर छोड़ कर तपोवनमें चला गया है ऐसे द्विजके जो
एक वस्त्रका स्वीकार होता है वह पहलेके समान दीक्षाद्य नामको किया
कही जाती है ॥३८-४७॥

विशुद्धकुलगोत्रस्य सदृशृतस्य वशुभ्रतः ।

दाङायोग्यव्याप्तमानात् सुमुखस्य सुमेधसः ॥३६-४८॥

जिसका कुल और गोत्र विशुद्ध है, चारित्र उत्तम है, मुख मुन्दर है
और बुद्धि सन्मार्गकी ओर है ऐसा पुरुष ही दीक्षा प्रदण करनेके योग्य
माना गया है ॥३६-४८॥

अथातोऽस्य प्रवक्ष्यामि वत्तव्यामिनुक्रमात् ।

स्पाद्यत्रोपासकाभ्याः समासेनानुसंहृतः ॥४०-१६॥

शिरोलिङ्गमुरोलिङ्गं लिङ्गकव्युहसत्रितम् ।
 लिङ्गमस्योपनीतस्य प्रामिनीति चतुर्विधम् ॥४०-१६५॥
 तत्तु स्यादसिवृथ्या वा मध्या कृथ्या वर्णितया ।
 यथास्वं वर्तमानानां सदृष्टीनां द्विजन्मनाम् ॥४०-१६६॥
 कुतश्चित् कारणाद् यस्य कुल साम्प्रतदूपणम् ।
 सोऽपि राजादिसम्मत्या शोधयेत् स्व यदा कुलम् ॥४०-१६७॥
 तस्योपनयनाहृत्वं पुत्रपौत्रादिसन्तती ।
 न निषिद्धं हि दीक्षाहैं कुले चेदस्य पूर्वजाः ॥४०-१६८॥
 अदीक्षाहैं कुले जाता विद्याशिल्पोपजीवितः ।
 एतेषामुपनीत्यादिसस्कारो नाभिसम्मतः ॥४०-१६९॥
 तेषां स्यादुचितं लिङ्गं स्वयोग्यवृत्थारिणाम् ।
 पृकशाटकधारित्वं सन्यासमरणावृत्थि ॥४०-१७०॥
 स्याद्विरामिषमोजित्वं कुलखासेवनवृतम् ।
 अनारम्भवधोत्सर्गो द्वाभव्यापेयवर्जनम् ॥४०-१७१॥
 इति शुद्धतरां वृत्तिं व्रतपूनामुपेयिवान् ।
 यो द्विजस्तस्य सम्पूर्णो वत्तचर्याविधिः स्मृतः ॥४०-१७२॥

अब जिसमें उपासकाध्यायका संक्षेपमें संग्रह किया है ऐसी इस द्विजकी व्रतचर्योंको अनुक्रमसे कहता है ॥४०-१६५॥ यहोपवीत संस्कार सम्बन्ध वालके शिरका चिह्न मुण्डन, वक्षस्थलका चिह्न यज्ञापर्वान, कमरका चिह्न मूजकी ढोरी और जाँघका चिह्न मफेद धोती इन चार चिह्नोंका पहले निर्णय कर आये हैं ॥४०-१६६॥ किन्तु इस प्रकारका चिन्ह असि, मषि, कृषि और व्यापारसे यथायोग्य आजीविका करनेवाले सम्यग्दृष्टि द्विजोंका होता है ॥४०-१६७॥ जिसका कुल इस समय किसी कारणसे दूषित हो जाय वह राजा आदिकी सम्मतिसे जब अपने कुलको शुद्ध कर लेता है ॥४०-१६८॥ तब यदि उसके पूर्वज दीक्षा योग्य कुलमें उत्पन्न हुए हों तो उसके पुत्र पौत्र आदि सन्ततिमें उपनयन आदि सत्कारका निषेव नहीं है ॥४०-

१६६॥ जो दीक्षा योग्य कुलमें नहीं उत्पन्न हुए हैं और विद्या तथा शिल्प कर्म द्वारा आजीविका करते हैं वे उपनयन आदि संस्कारके योग्य नहीं माने गये हैं ॥४०-१७०॥ अपने योग्य ब्रतोंको धारण करनेवाले उनके लिये सन्यास पर्यन्त एक घोटी धारण करना यह योग्य चिन्ह हो सकता है ॥४०-१७१॥ इन्हें निरामिष भोजन करना चाहिए, कुलखोके सेवनका बत लेना चाहिए, अनारम्भ वधका त्याग करना चाहिए और अभक्ष्य तथा अपेय पदार्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए ॥४०-१७२॥ इस प्रकार ब्रतोंसे पवित्र हुई अत्यन्त शुद्ध वृत्तिको जो द्विज धारण करता है उसके सम्पूर्ण ब्रतचार्यों विधि समझनी चाहिए ॥४०-१७३॥

—महापुराण

येषां भुक्तं पात्रं संस्कारेण शुद्धयति ते पात्रमहन्त्वाति पश्याः
तस्मृदावयवाः ॥२।१।१०४॥

भोजनके कार्यमें आया हुआ जिनका पात्र संस्कार करनेसे शुद्ध हो जाता है वे पात्रशूद्ध हैं जो शूद्रोंके अन्तर्गत हैं ।

—अमोघवृत्ति

वर्णनाहंद्रूपस्यायोग्यास्तेषां द्वन्द्व एकवद्वति । येन रूपेणाहंत्य-
मवाप्यते तदिह नैर्ग्रन्थ्यमहंद्रूपमभिप्रेतम् । अतिशयोपेतस्याहंद्रूपस्य
प्रातिहार्यसमन्वितस्य बहुतरमयोग्यमिति नेह तद् गृह्णते । तद्वायस्कारं
कुलालवरुणं रजकतन्तुवायम् । नन्वेतेष्वप्येकवद्भावः प्राप्नोति ।
चण्डालमृतपाः । न दिव्यिषयभादिष्वन्तभूतो द्वन्द्वो द्रष्टव्यः । वर्णनेति किम् ।
मूकवधिरा । एते करणदोपेणायोग्याः । अहंद्रूपायोग्यानामिति किम् ।
ब्राह्मणचत्रियो ।

वर्णसे जो अहंद्रूपके अयोग्य हैं उनके बाची शब्दोंका द्वन्द्वसमाप्तमें
एकवद्वाव होता है । जिस रूपमें आहंत्यपद प्राप्त होता है वह निर्ग्रन्थ
अवस्था यहाँपर अहंद्रूपपदसे अभिप्रेत है । अनेक अतिशयसम्पन्न और

प्रतिहायोंसे युक्त जो अरिहन्त अवस्था है वह इनके बहुत ही अयोग्य है, अर्थात् ऐसे वर्णवाले उस अवस्थाको कथमपि नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए यहाँपर उस अवस्थाका प्रहण नहीं किया है। उदाहरण—
तद्वायस्कारं कुलालवरुदं रबकतनुवायम् ।

शंका—इन शब्दोंमें भी एकवद्वाव प्राप्त होता है, अतः ‘चरण्डाल-
मृतपाः’के स्थानमें ‘चरण्डालमृतपम्’ होना चाहिए ।

समाधान—नहीं, क्योंकि इन शब्दोंका ‘दधि-पथ’ आदिमें अन्तर्भाव
होकर द्वन्द्वसमाप्त बानना चाहिए ।

शंका—सूत्रमें ‘वर्णेन’ पद क्यों दिया है ?

समाधान—‘मूकवधिराः’ इत्यादि स्थलमें एकवद्वाव न हो इसके
लिए ‘वर्णेन’ पद दिया है ।

—महाबृति पृ० ५८

वर्णेनाहं द्रूपावोभ्यानाम् ॥११४॥१७॥

जो वर्णसे निर्गत्वं होनेके अयोग्य हैं उनके बाची शब्दोंका द्वन्द्व
समाप्तिमें एकवद्वाव होता है ।

—शब्दाण्डवचनित्रका

वर्णेन्सु तोसु पक्षो कल्पाण्गो तवोसहो वयसा ।

सुमुहो कुच्छारहिदो लिंगमयाणे हवदिजोग्यो ॥३-२५ उद्धृता॥

..... यथायोग्यं सञ्चूद्धायपि ।

जो निरोग है, जो उम्रसे तपको सहन करनेमें समर्थ है, जो सोम्य-
मुख है और जो दुराचार आदि लोक अपवादसे रहित है ऐसा तीन
वर्णोंमेंसे कोई एक वर्णका मनुष्य जिनदीद्वा लेनेके योग्य है ।

यथायोग्य सञ्चूद्ध आदि भी जिनदीद्वाके योग्य है ।

—प्रबचनसार अ० ३, गा० २५ अप्सेनटीका

वर्णेन जातिविशेषेणाहंद्रूपस्य निर्ग्रन्थस्यायोग्यानां दृन्दृष्ट एकवद् भवति । तत्त्वायस्कार कुलालवरुट रजकतन्तुवायम् । वर्णेनेति किम् ? मूकवधिरौ अर्हद्रूपायोग्यानामिति किम् ! ब्राह्मणाद्विर्यो । ११४।३७ ।

वर्णसे अर्थात् जातिविशेषसे जो अर्हद्रूप अर्थात् निर्ग्रन्थपदके अयोग्य है उनका दृन्दृसमाम करनेपर एकवद्वाव होता है यथा—तत्त्वायस्कार कुलालवरुट रजकतन्तुवायम् । गूढमें ‘वर्णेन’ पद क्यों दिया है ? ‘मूक-वधिरो’ इसमें एकवद्वाव न हो इसके लिए दिया है । ‘अर्हद्रूपायोग्यानाम’ पद क्यों दिया है ? ‘ब्राह्मणाद्विर्यो’ इसमें एकवद्वाव न हो इसके लिए दिया है ।

—शब्दार्थवचनिद्वका वृत्ति

येषां भुक्तं पात्रं संस्कारेण शुद्धयति ते पात्रमहंनित इति । पञ्चाः तत्त्वद्वावयवः । तत्त्वायस्कारं कुलालवरुद्धम् । पाञ्चयग्रहणं किम् ? चण्डालमृतपाः ।

जिनके भोजनका पात्र संस्कारसे शुद्ध हो जाना है वे पात्र हो सकते हैं । यहाँपर पञ्च शब्दसे ऐसे प्रत्येक शब्दका प्रग्रहण किया है । तत्त्वायस्कार कुलालवरुद्धम् । सूखमें ‘पाञ्च’ पद क्यों दिया है ? ‘चण्डालमृतपाः’ इसमें एकवद्वाव न हो इसके लिए दिया है ।

—चिन्तामणि लघुवृत्ति

ज्ञानकाण्डे कियाकाण्डे चातुर्वर्णपुरःमरः ।

सूरिङ्गव इवाराध्यः संसारादिवतरण्डकः ॥

उत्त्वायचज्जनप्रायः समयोऽयं जिनेशिनाम् ।

नैकस्मिन्पुरुषे तिष्ठेदेकम्तम्भ इवालयः ।

संसारसमुद्रमें नारनेवाले और चातुर्वर्णपुरम् आचार्यकी ज्ञानकाण्ड और क्रियाकाण्डम् देवके समान आराधना करनी चाहिए ।

बिनेन्द्रवेषके इस शासनमें ऊँच और नीच सभी जन पाये जाने हैं, क्योंकि विस प्रकार एक खम्भेके आश्रयसे महल नहीं टिक सकता उसी प्रकार एक पुरुषके आश्रयसे जैन शासन भी नहीं टिक सकता ।

—यशस्तिलकचरण् भाश्वास द पृ० ४०७

दोषाद्योग्यात्मको वर्णाभवारच विधोचितः ।
मनोवाक्षाथधर्माय मताः सर्वेऽपि जन्तवः ॥
अद्वेषः सर्वसत्त्वेषु यज्ञो यस्य दिने दिने ।
स पुमान् दोचितात्मा स्वतत्त्वजादियमाश्रयः ॥

दीक्षा ग्रहण करने योग्य तीन वर्ण होते हैं । तथा आहारके योग्य चार वर्ण हैं, क्योंकि सभी जन्म मन, वचन और कायपूर्वक धर्ममें अधिकारी माने गये हैं ।

विसका सब जीवोंमें द्वौहभाव नहीं है और जो प्रतिदिन बिनपूजा आदि यजकर्ममें निरत है वह मनुष्य दीक्षाके योग्य है । किन्तु जो जातिमदसे लिस है वह दीक्षा योग्य नहीं है (?) ।

—यशस्तिलकचरण् भाश्वास द पृ० ४१३

वायजीवमिति त्यक्त्वा महापापानि शुद्धधार्षः ।
जिनधर्मशुद्धेयोग्यः स्यात्कृतोपवयो हिजः ॥२-१६॥

सम्यदर्शनसे निर्मल बुद्धिका धारी हिज जीवन पर्यन्तके लिए महापापोंका त्यागकर उपर्यातिसंकारपूर्वक बिनधर्मके सुननेका अधिकारी होता है ॥२-१६॥

अथ शुद्धस्वाप्याहारादिशुद्धिमतो ब्राह्मणादिवद्दर्शकियाकारित्वं यथो चितमनुमन्यमानः प्राह—

अब आहार आदिकी शुद्धिको करनेवाला गृह भी ब्राह्मणादिके समान यथायोग्य धर्मकिया करनेका अधिकारी है इस बातका समर्थन करते हुए आगेका श्लोक कहते हैं—

दीक्षा व्रताविष्करणं व्रतोन्मुखस्य वृत्तिरिति यावत् । सा चात्रोपासक-
दीक्षा जिनमुद्रा वा उपनीत्यादिसंस्कारो वा ॥२-२०॥

व्रतोंको प्रकट करना दीक्षा कहलाती है । व्रतोंके सम्मुख हुए जीवकी जो वृत्ति होती है उसे दीक्षा कहते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है । वह यहाँपर उपासकदीक्षा, जिनमुद्रा या उपनीत्यादिसंस्कार यह तीनों प्रकारकी दीक्षा ली गई है ॥२-२०॥

शूद्रोऽप्युपस्कराचारवपुः शुद्रयास्तु तादृशः ।

जात्या हीनोऽपि कालादिलक्ष्मी धारमास्ति धर्ममात् ॥२-२२॥

उपस्कर, आचार और शरीरको शुद्धिसे युक्त शूद्र भी ब्राह्मणादिके समान जिनधर्मके सुननेका अधिकारी है, क्योंकि जातिसे हीन आत्मा भी कालादिलक्ष्मिके प्राप्त होनेपर धर्मसेवन करनेवाला होता है ॥२-२२॥

अस्तु भवतु । कोऽसौ शूद्रोऽपि । किंविषिष्टस्ताद्दो जिनधर्मभूतेवर्णमः ।
किंविषिष्टः सन् उपस्करः आसनाण्युपकरणं आचारः मत्तादिविष्टिः वपुः
शरीरं तेषां त्रयाणां शुद्धया पवित्रतया विषिष्टः । कुत इत्याह जात्येत्यादि ।
हि यस्मादस्ति भवति । कोऽसौ आत्मा जीवः । किंविषिष्टो धर्ममात् आचक-
धर्मराधकः । कस्यां सत्यां कालादिलक्ष्मी कालदेवादीनां कालदेवादीनां लक्ष्मी
धर्माराधनयोग्यतायां सत्याम् । किंविषिष्टोऽपि हीनो रिक्तोऽप्यो वा कि
पुनरुक्तो मध्यमो वेत्यपिशब्दार्थः । कथा जाया वर्णसमूख्या वर्णलक्षण-
मार्घे यथा—

जातिगोत्रादिकर्माणि शुद्धयानस्य हेतवः ।

येषु ते स्युस्त्रयो वर्णाः शेषाः शूद्राः प्रकारिताः ॥

जो शूद्र उपस्कर अर्थात् आसन आदि उपकरण, आचार अर्थात् मव आदिका स्वाग और वपु अर्थात् शरीर इन तीनोंकी पवित्रतासे युक्त है वह बिनधर्मके मुनने अर्थात् प्रहण करनेका अधिकारी है, क्योंकि जो आत्मा जाति अर्थात् वर्णसे हीन अर्थात् रहित है या जघन्य वर्णका है वह भी धर्मभाक् अर्थात् आवक्षर्मका आराधक होता है। उक्षष और मध्यम वर्णका मनुष्य तो बिनधर्मके प्रहण करनेका अधिकारी होता ही है यह मूल श्लोकोंमें आये हुए 'अपि' शब्दका अर्थ है। आर्थमें वर्णका लक्षण इस प्रकार कहा है—

बिन बीवोंमें जाति और गोत्र आदि कर्म शुक्रज्ञानके कारण होते हैं वे तीन वर्णवाले हैं और इनके सिवा शेष सब शूद्र कहे गये हैं।

स्फुरद्बोधो गलद्वृत्तमोहो विषवनिस्पृहः ।

हिंसादेविर्दतः कास्त्वन्मार्यतः स्याष्ट्रावकोऽशासः ॥१-२१॥

जिसे सम्यग्ज्ञान हो गया है, जिसका चारित्रमोहनीयकर्म गल गया है और जो पाँच इन्द्रियोंके विषयोंसे निस्पृह है वह यदि हिंसादि पापोंसे पूरी तरह विरत होता है तो यति होता है और एकदेश विरत होता है तो आवक्ष होता है ॥१-२१॥

—सामरथमासृत

विप्रचत्रिविद्यशूद्रः प्रोक्ताः कियाविशेषतः ।

वैनधर्मे पराः शकास्त्वे सर्वे बान्धवोपमाः ॥१-१४२॥

क्रियामेदसे ब्राह्मण, द्वित्रिय, वैश्य और शूद्र ये मेद कहे गये हैं। वैनधर्ममें अत्यन्त आसक्त हुए वे सब भाई-भाईके समान हैं ॥१-१४२॥

—त्रैवर्णिकाचार

आहवाम्बुद्धुदासेरगविभिन्नोसंडकारुगादीणं ।

पद्मजा दित्स्स तु बगुरुमासा हवदि वैदो ॥२-१३॥

विंति परे एवेतु च कारुगामिभांथदिक्षुणे गुरुणो ।

गुरुमासो दायम्बो तस्स च जिग्नादीं तह च ॥२-२०॥

जाविष्यकुलालसेलिवसालियकहाल्लोहयाहाणं ।
 मालारप्पहुदीणं तवदागे विभिन्न गुरुमासा ॥२२१॥
 चम्मारवहुहिंषियत्तिवरज्ञादिगाम चलारि ।
 कोसहृष्ट्यपरनिद्यपासियसावजिवकोलयादिसु अट्ठं ॥२२२॥
 चंडालादिसु सोलस गुरुमासा वाहचोववाडर्हिया ।
 पहुदीणं चत्तीसर्स गुरुमासा होति तवदागे ॥२२३॥
 चउसहु गुरुमासा गोकल्यमायंगस्तिकादीणं ।
 गिरांथदिविशदागे पायचिक्षं समुहिदु ॥२२४॥

अतिबालक, बृद्ध, दास, गर्भिणी स्त्री, नपुंसक और कारु शूद्रोंको दीक्षा देनेवाले आचार्यको छह गुरुमास नामक प्रायश्चित्त कहा गया है ॥२१६॥

दूसरे आचार्य कहते हैं कि जो इन सबको और कारु शूद्रोंको दीक्षा देता है उसे एक गुरुमास नामक प्रायश्चित्त देना चाहिए और उसे संघसे अलग कर देना चाहिए ॥२२०॥

जो नाई, कुम्हार, तेली, शालिक, कलार, लुहार और मालीको दीक्षा देता है उसके लिए दो गुरुमास नामक प्रायश्चित्त कहा गया है ॥२२१॥

जो चम्हार, वरुड, छिपी, कारीगिर और धोबी आदिको जिनदीक्षा देता है उसे चार गुरुमासनामक प्रायश्चित्त कहा गया है । तथा जो कोशरक, पारधी, नकली साधु, आवणिक और कोलको दीक्षा देता है उसे आठ गुरुमास नामक प्रायश्चित्त कहा गया है ॥२२२॥

चारडाल आदिको जिनदीक्षा देनेपर सोलह गुरुमास तथा गाड़ीबान, डौब और व्याघ आदिको जिनदीक्षा देनेपर चत्तीस गुरुमासनामक प्रायश्चित्त कहा गया है ॥२२३॥

गायको मारनेवाले, मातझ और खटीकको निर्गम्य दीक्षा देनेपर चौसठ गुरुमासनामक प्रायश्चित्त कहा गया है ॥२२४॥

ग्राहणः चत्रिया वैश्यः योग्याः सर्वज्ञदोषणे ।
 कुलहीने न दीक्षास्ति जिनेन्द्रोदिहवासने ॥१०६॥
 अवशुलानामचेलैकदीक्षादायी दिग्मवरः ।
 विनाक्षाकोपसोऽनन्तसंसाहः समुद्राहतः ॥१०७॥
 दीक्षां नीचकुलं जानन् गौरवाच्छब्द्यमोहतः ।
 यो ददात्यथ गृहाति धर्मोद्धाहो द्वयोरपि ॥१०८॥
 अजानाने न दोषोस्ति ज्ञाते सति विवर्जयेत् ।
 शाचार्योऽपि स मोक्षब्दः साधुवर्गेरतोऽन्यथा ॥१०९॥
 कुलीनकुलकेष्वेव सदा देयं महावतम् ।
 सहकेष्वानोपरुदेषु गणेन्द्रेण गुणेष्वना ॥११०॥
 कारिणो हितिथाः सिद्धा भोउवाभोउवप्रभेदतः ।
 भोउवेष्वेव प्रदातात्म्यं सर्वदा चुहकवतम् ॥१५४॥

सर्वज्ञपदके योग्य दीक्षामें ब्राह्मण, चत्रिय और वैश्य ये तीन वर्ण ही योग्य माने गये हैं। जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा उपदिष्ट शासनमें कुलहीनको दीक्षा नहीं है ॥१०६॥

यो दिग्मवर नीच कुलवालेको दिग्मवरपदकी दीक्षा देता है वह विनाशका लोप करनेवाला होनेसे अनन्त संसारका पात्र होता है ॥१०७॥

यो गुरुतावत शिष्योके मोहसे यह नीचकुली है ऐसा जानकर भी उसे दीक्षा देता है या लेता है उन दोनोंके धर्मका लोप हो जाता है ॥१०८॥

निन्तु अशात अवस्थामें नीचकुलीको दीक्षा देनेमें दोष नहीं है। परन्तु शात होनेपर उसका निवारण कर देना चाहिए। अन्यथा साधुसमुदायका कर्तव्य है कि वह ऐसे आचार्यका त्याग कर दे ॥१०९॥

गुणोके इच्छुक आचार्य सल्लेखनमें लगे हुए कुलीन छुल्लकोंको ही महावत स्वीकार करावे ॥११०॥

भोज्य और अभोज्यके मेदसे कारुशद्व दो प्रकारके प्रसिद्ध हैं। उनमेंसे भोज्य शुद्धोंको ही सर्वदा छुक्काकृत देना चाहिए ॥१५४॥

—प्रायविषयकृति

पिण्डशुद्धेरभावत्वान्मध्यमांसनियेवतात् ।
सेवादिनीचकृत्तिवात् शुद्धाणां संस्कारो न हि ॥
पीतपुण्डिविवाहत्वात् पिण्डशुद्धेरभावतः ।
कृत्वाचिष्ठु कियाभावात् तेजु न भोजमार्गता ॥
संस्कृते देह पूजासौ दीक्षाविधिरभिस्मृतः ।
शौचाचारविधिप्राप्तो देहः संस्कृतुमहंति ॥
विशिष्टान्वयजो शुद्धो जातिकुलविशुद्धिभाव् ।
न्वसतेऽसौ सुसंस्कारैस्ततो हि परमं तपः ॥

शुद्धोंकी पिण्डशुद्धि नहीं देखी जाती, वे मध्य-मांसका सेवन करते हैं और सेवा आदि नीच वृत्तिसे अपनी आचीविका करते हैं, इसलिए उनका संस्कार नहीं होता।

शुद्धोंमें बार-बार पुनर्विवाह होता है, उनकी पिण्डशुद्धि नहीं होती तथा उनमें ऋतुधर्म आदिके समय कियाका अमाव है, इसलिए उनमें भोज्यमार्गता नहीं बनती।

संस्कारसम्पन्न देहमें ही यह दीक्षाविधि कही गई है तथा शौचाचार-विधिको प्राप्त हुआ देह ही संस्कारके योग्य है।

जो विशिष्ट अन्वयमें उत्पन्न हुआ है, शुद्ध है तथा जाति और कुलके आधरसे विशुद्धियुक्त है वही सुसंस्कारोंका अधिकारी है और उसीसे परम तप होता है।

—स्वृतिसार

आहारग्रहणमीमांसा

उत्तम-मजिमगोहे दारिद्रे हँसरे जिवेकवा ।

सब्बरथ गिहिदपिदा पद्धत्ता पूरिसा भणिया ॥४८॥

उत्तम, मध्यम या जघन्य घरमें तथा दरिद्र या समर्थ व्यक्तिके यहाँ
सर्वत्र बिसमें आहार स्वीकार किया जाता है, जिनदीद्वा इस प्रकारकी
होती है ॥४८॥

—बोधप्राभृत

जाडी कुलं च सिप्पं तवकम्मं हँसरक आजीवं ।

तेहि पुण उप्पादो आजीव दोसो हवदि पूसो ॥४९॥

आति, कुल, शिल्पकर्म, तपःकर्म और ऐश्वर्य ये आजीव हैं ।
इनसे अपने लिए आहारको प्राप्त करना आजीव नामका
दोष है ॥४९॥

सुंदी सुंदी रोगी मदय णकुंसय पिसाय फगो य ।

उच्चारपद्धिवंतरहिरवेसी समर्णी अंगमक्षीया ॥५०॥

अतिवाला अतिनुहु धासंती गद्धिमणी य अंथलिया ।

अंतरिदा व णिसण्णा उच्चात्ता अह व णीकथा ॥५०॥

पूयण पञ्जलणं वा सारण पञ्जादणं च विजमवणं ।

किछा तहामिगकजं णिवादं घट्टणं चावि ॥५१॥

लेखणमज्जकम्मं पियमाणं दारयं च णिक्खमियं ।

एवंविहादिवा पुण दाणं जदि दिति दायगा दोसा ॥५२॥

जिसने बालकको जन्म दिया है, जो मद्यपान करनेमें आसक्त रहता
है, जो रोगी है, जो मृतकको शमशानमें छोड़कर आया है, जो नपुसक
है, जो पिशाचरोगसे पीड़ित है, जो नग्न है, जो लघुराङ्गा आदि करके
आया है, जो मूर्च्छित है, जो वमन करके आया है, जिसे रक्त लगा

हुआ है, जो वेश्या है, जो आर्थिका या वैरागिनी है, जो शरीरका उबटन या तैलमर्दन कर रही है, जो अतिचाला है, जो अतिवृद्धा है, जो भोजन कर रही है, जो गर्भिणी है अर्थात् जिसे गर्भ धारण किये पाँच माहसे ऊपर हो गये हैं, जो अन्धी है, जो भीत आदिके अन्तरसे खड़ी है, जो बैठी है, जो साधुसे ऊचे स्थान पर खड़ी है, जो साधुसे नीचे स्थानपर खड़ी है, जो फूँक रही है, जो अग्निको जला रही है, जो लकड़ी आदिको सरका रही है, जो राख आदिसे अग्निको भक्त रही है, जो जलादिसे अग्निको बुझा रही है, जो वायुको रोक रही है या लकड़ी आदिको छोड़ रही है, जो घर्षण कर रही है, जो गोवर आदिसे लीप रही है, जो मार्जन कर रही है तथा जो दूध पीते बालकको छुड़ाकर आई है। इसी प्रकार और भी कार्य करनेवाली ज्ञी या पुरुष यदि दान करता है तो दायक दोष होता है ॥४६-५०॥

उच्चारं पस्सवणं अभोजग्निहपवेसणं तदा पद्धणं ।

उववेसणं सदांसं भूमासंकास जिह्वण ॥५६॥

आहारके समय अपने मल-मूत्रके निर्गत होनेपर, अभोजग्निहमें प्रवेश होने पर, स्वयं गिर पड़ने, बैठ जाने या भूमिका स्पर्श होने पर और थूक खलार आदिके नाहर निकल पड़ने पर मुनि आहारका त्याग कर देते हैं ॥५६॥

—मूलाचारपिण्डशुद्धयिकार

अणादमणुणादं भिस्तं गित्तुष्टमिकमकुलेसु ।

घरपंतिहि हिंडंति य मोणेण मुणी समादिति ॥५७॥

नीच, उच्च और मध्यम कुलोमें गृहोंकी पक्किके अनुसार चारिका करते हुए मुनि अशात और अनुशात भिद्वाको मौनपूर्वक स्वीकार करते हैं ॥५७॥

—मूलाचार अनगारभावनायिकार

परिहारो दुष्कृतो—अजबद्वयो पारंचिभो चेदि । तथ्य अजबद्वयो अद्यन्नेत्र
क्षम्मासकालो उक्तस्तेज बारसवासपेरंतो । काव्यमूर्मोदो परदो चेत्
कथविहारो पठिक्वंश्चिरहिदो गुरुवदिरत्तासेसकणेतु कथमोलाभिमाहो
सावनार्थविलक्षुरिमहु यद्यामणित्वयदीहि सोसियदसहिरमासो होदि ।
जो सो पारंचिभो सो एवविहो चेत् होदि । किन्तु साधमिम्मयवज्ञिवसेते
समाचरेयत्वो । एव उक्तस्तेज क्षम्मासस्तवणं वि उवहडं । एवाणि दो
वि पावचिक्षाणि गरिवदिक्षाचरिदे आइरियाणं यत्-दसपुष्टवहराणं
होदि ।

परिहार दो प्रकारका है—अनवस्थाप्य और पारञ्चिक । उनमें से
अनवस्थाप्य परिहारप्रायश्चित्तका बघन्य काल छुह महीना और उत्कृष्ट
काल बारह वर्ष है । वह कथमूर्मिसे दूर रहकर ही विहार करता है, प्रति-
वन्दनासे रहित होता है, गुरुके सिवा अन्य सब साधुओंके साथ मौनका
नियम रखता है तथा उपवास, आचाम्ल, दिनके पूर्वार्धमें एकासन और
निर्विकृति आदि तपों द्वारा शरीरके रस, रुधिर और मांसको शोषित करने-
वाला होता है । पारञ्चिक तप भी इसी प्रकारका होता है । किन्तु इसे
साधमों पुरुषोंसे रहित ज्ञेत्रमें आचरण करना चाहिए । इसमें उत्कृष्ट
रूपसे छुह मासके उपवासका भी उपदेश दिया गया है । ये दोनों ही
प्रकारके प्रायश्चित्त राजाके विशद् आचरण करने पर नौ और दस
पूर्वोंको बारण करनेवाले आचार्य करते हैं ।

—धबला कर्मभनुयोगद्वार पृ० ६२

.....तथा पर्यटतोऽभोजनगृहप्रवेशो यदि भवेत् चाण्डालादिगृह-
प्रवेशो यदि स्थात् ॥०६॥

तथा चारिका करते हुए साधुका अभोजन घरमें प्रवेश हो जावे अर्थात्
चाण्डाल आदिके घरमें प्रवेश हो जावेतो साधु अन्तराय मानकर आहारका
त्याग कर देते हैं ॥७६॥

—मूलाचार पिण्डशुद्धि अधिकार टीका

.....तथाव्ये च वहवशष्टालादिस्पर्शकहेष्टमरणसाधिंक-
सन्यासपतनप्रधानमरणाद्योऽशानपरित्यागहेतवः ॥८१॥

चारडाल आदिका स्पर्श होना, भगवान्-फिसाद होना, इष्ट व्यक्तिका मरण होना, साधमां बन्धुका सन्यास पूर्वक मरण होना और रात्रा आदि प्रधान व्यक्तिका मरण होना इत्यादिक और भी चहुतसे भोजनके त्यागके हेतु हैं ॥८१॥

—मूलाचार पिण्डशुद्धि अधिकार टीका

.....नीचोऽमध्यमकुलेषु दरिद्रेश्वरसमानगृहिषु गृहपंक्त्या हिंडति पर्यटन्ति मौनेन मुनयः समाददते मिहां गृहन्ति ॥८२॥

नीच, उच्च और मध्यम कुलोंमें अर्थात् दरिद्र व्यक्तियोंके घरमें, ऐश्वर्य-सम्पन्न व्यक्तियोंके घरमें और साधारण स्थितिवाले व्यक्तियोंके घरमें गृहपंक्तिके अनुसार चारिका करते मुनि हुए मौनपूर्वक भिन्नाको ग्रहण करते हैं ॥८२॥

—मूलाचार अनगारभावना अधिकार टीका

उच्छिष्ट नीचलोकाहंमन्योहिष्टं विगहितम् ।

न देय दुर्जनस्पृष्टं देवयज्ञादिकल्पितम् ॥

अभकानां कदर्याणामवतानां च सधसु ।

न भुज्जीत तथा साखुदेन्यकारप्यकारिणाम् ॥

शिल्पिकारुकवाक्यपर्यसम्भलीपतिलादिषु ।

देहस्थिति न कुर्वीत लिङ्गलिङ्गोपज्ञाविषु ॥

जो उच्छिष्ट हो, नीच लोगोंके योग्य हो दूसरेके उद्देश्यसे बनाया गया हो, ग्लानिकर हो, दुर्जनोंके द्वारा छुआ गया हो तथा देव और यज्ञादिके निमित्तसे बनाया गया हो ऐसे भोजनका आहार साधुको नहीं देना चाहिए।

जो भक्त न हो, कर्द्य हो, अबती हो, दीन हो और करणाके पात्र हो उनके घर साधु आहार न ले ।

शिल्पी, कारु, भाट, कुडनी, और पतित आदि तथा पालयडी और साधुवेषसे आबीविका करनेवालेके यहाँ मुनि देहस्थिति न करे अर्थात् आहार न से ।

—वास्तिरकल्प

**अन्यैर्ब्राह्मणचत्रियैश्यसम्भूद्दैः स्वदाकृगृहम् वामतिष्ठु गुहेत्
दृष्टिणसत्त्वं त्रिषु चर्त्तमानैः चह्यः स्वप्रतिग्राहिणा च सन्तमेव** ॥४३॥

दान देनेका अधिकारी ब्राह्मण, त्रिय, चैश्य और सन्द्रहन्द है । दाताके घरके साथ बाईं ओरके तीन घर और दाईं ओरके तीन घर इस प्रकार कुल सात घरके दिये गये आहारको साधु स्वीकार करता है ।

—अनगारधर्मासृत अ० ४ श्लो० १६०

दातुः पुण्यं श्वादिदानादस्त्वेवेत्यनुकृतिवाक् ।

वर्नीपकोक्तिदाजीवो कृतिः शिष्यकुलादिता ॥५-२२॥

कुत्ता आदिको आहार आदि करानेसे दाताको पुण्य लाभ होता है इस प्रकार दाताके अनुकूल बचन बोलना वनीपक नामका दोष है । तथा शिल्प और कुल आदिका विशापन कर आबीविका करना आजीव नामका दोष है ॥५-२२॥

आबीवास्तप ऐश्वर्यं शिल्पं आतिस्तथा कुरुम् ।

तैस्त्वपादनमाजीव एव दोषः प्रकृप्यते ॥

तप, ऐश्वर्य, शिल्प, जाति और कुल इनका प्रस्तापन कर आबीविका उत्पन्न करना आजीव नामका दोष कहा जाता है ।

—उत्तर ५-२२

मलिनीगर्भिर्णालिङ्गिन्यादिनार्थं नरेण च ।

शवादिवापि वर्णावेन दत्तं दायकदोषभाक् ॥५-३८॥

जो मलिन है, जो गर्भ धारण किये है तथा आर्यिका आदि लिङ्गको धारण किये है इस प्रकारकी नारी या पुरुषके द्वारा, तथा शवको समशान

में छोड़ कर आये हुए पुरुषके द्वारा इसी प्रकार नयुंसकके द्वारा साधुको आहार दिये जाने पर दायक दोष होता है ॥५-३४॥

सूर्ती शौण्डी तथा रोगी चावः कष्ठः पिण्डाच्चान् ।
पतितोऽनामनवाच रक्षा वेश्या च लिङ्गिनी ॥
बान्ताऽभ्यक्ताङ्किका चातिकाळा बृद्धा च गर्भिनी ।
अद्वन्द्वन्द्वा विसर्णा च नीचोऽस्था च सान्तरा ॥
फूलकार ज्वालनं ऐव सारनं ब्रादनं तथा ।
विभ्याप्तनग्निकार्यं च कृत्वा निरस्त्वावबहुने ॥
लेपनं मार्जनं त्वक्स्त्रा स्तनकमनं विशुं तथा ।
दीयमानेऽपि दानेऽस्ति दोषो दावकगोचरः ॥

(उद्धृत)

(ये श्लोल मूलाचारकी गाथाओंका अनुसरण करते हैं, जिनका अर्थ पूर्वमें दे आये हैं ।)

मृत्रशुक्रो मृत्रशुक्रदेरचाण्डालादिनिकेतने ।
प्रवेशो भ्रमतो भिषोरभोज्यगृहवेशनम् ॥५-५३॥

आहारके समय साधुको पेशाव और वीर्यका आ जाना मूत्र नामका अन्तराय है । तथा आहारके लिए चारिका करते समय साधुका चण्डाल आदिके घरमें प्रवेश करना अभोज्यगृहप्रवेश नामका अन्तराय है ॥५-५३॥

...चाण्डालादिनिकेतने चाण्डालश्चपचवस्तादीनामसृश्यानां गृहे ।

यहाँ 'चाण्डालादिनिकेतन' पदसे चाण्डाल, श्वपन्च और वशट आदि अपूर्णोंके घरका ग्रहण किया है । तात्पर्य यह है कि आहारके समय चारिका करते हुए यदि साधु अपूर्ण शद्धोंके घरमें प्रवेश करता है तो अभोज्यगृहप्रवेश नामका अन्तराय होता है ।

तद्वच्छण्डालादिस्पदाः कलहः प्रियप्रधानसूर्ती ।
भोतिर्णोक्तुगुप्ता सधर्मसंन्यासपतनं च ॥५-५४॥

उसी प्रकार चाण्डाल आदिका स्पर्श होना, कलाह होना, इह पुरुषका मरण होना, प्रधान पुरुषका मरण होना, भय होना, सोकसुगुप्ता होना तथा सावधीं पुरुषका संन्यासपूर्वक मरण होना…… इत्यादि आहारत्यागके और भी कारण जानने चाहिए ॥५-५६॥

***चाण्डालादिस्पर्शचाण्डालश्वपचादिसुहिः । टीका ।

इस श्लोकमें ‘चाण्डालादिस्पर्श’ पदसे चाण्डाल और श्वपच आदिका स्पर्श लिया गया है ॥५-६ ठोका ॥

—अवगारथमाद्युत

उत्तमजिमगेहे उत्तमगृहे उत्तुङ्गतोरणादिसहिते राजसदनादी मध्यमगेहे नीचैगृहे तृणपर्णादिनिर्मिते निरपेचा उत्तैगृहं भिषाथ् गच्छमि नीचैगृहं अहं न व्रतामि न प्रविशामीत्यपेचारहिता प्रव्रत्या भवति । दारिद्र्ये ईसरे गिरावेक्षा दारिद्र्यस्य निर्धनस्य गृहं न प्रविशामि ईरवरस्य धनवतो गृहे प्रविशाम्यहं निवेशे ईच्यपेचारहिता प्रव्रत्या भवति । सत्यवर्त्य गिहिदपिण्डा सबेच योग्यगृहे गृहीतपिण्डा स्वीकृताहारा प्रव्रत्या ईद्धरी भवति । कि तद्योग्यं गृहं यत्र भिषा न गृहते इत्याह —

उत्तुङ्ग तोरण आदिसे युक्त राजप्रासाद आदि उत्तम घर है । इसकी तथा मध्यम घर और तृण-मण्डादिसे निर्मित नीच घरकी आपेक्षासे रहित दीक्षा होती है । तात्पर्य यह है कि जिनदीक्षामें दीक्षित हुआ साधु ऐसा कभी विचार नहीं करता कि मैं भिषा के लिए उत्तम घरमें ही जाऊँगा, नीच घरमें नहीं जाऊँगा । इसी प्रकार दारिद्र और धनसम्पदताकी आपेक्षा से रहित दीक्षा होती है । मैं दरिद्र के घरमें प्रवेश नहीं करूँगा, केवल धनवान् के घरमें प्रवेश करूँगा इस प्रकारकी आपेक्षासे रहित दीक्षा होती है । किन्तु जिसमें सब योग्य घरोंमें आहारको स्वीकार किया जाता है दीक्षा इस प्रकारकी होती है । वह अयोग्य घर कौन-सा है जिस घरमें भिषा नहीं प्रवण की जाती, आगे इसी बातको बतलाते हैं—

गायकस्य तलारस्य नीचकमोपजीविनः ।

मालिकस्य विलङ्घस्य वेश्यायास्तैलिकस्य च ॥१॥

नीच कर्मसे आजीविका करनेवाले गायक, कोतवाल, माली, भरट,
वेश्या और तेलीके घर जाकर साधु आहार नहीं लेते ॥१॥

(नीतिसार श्लो० ३५)

अस्यायमर्थः—गायकस्य गन्धवर्षस्य गृहे न भुजते । तलारस्य कोट-
पालस्य नीचकमोपजीविनः चर्मजलवाकटादेवाहकादेः विलङ्घस्य भरटस्य
वेश्याया गणिकायाः तैलिकस्य घाञ्छिकस्य ।

दीनस्य सूतिकायाऽपि क्षिप्रकस्य विशेषतः ।

मध्यविकल्पिणो मध्यपायिसंसर्गिणश्च न ॥२॥

तथा दीन, बालको जनेवाली, दर्जाँ, मदिराका विक्रय करनेवाले
और मध्यपायीके घर जाकर भी साधु भिन्ना नहीं लेते ॥२॥

(नीतिसार श्लो० ३८)

दीनस्य आवकोऽपि सन् यो दीनं भाषते । सूतिकाया या बालकानां
अनन्तं कारयति । अन्यसुगमम् ।

इस श्लोकमें दीन शब्द आया है । उसका यह तात्पर्य है कि जो
आवक होकर भी दीन बचन बोलता है उसके यहाँ भी साधु भिन्ना
नहीं लेते ।

शालिको मालिकबैव कुम्भकारस्तिळतुदः ।

नापितवेति विशेषा पञ्च ते पञ्च कारवः ॥३॥

रथकस्तक्षकबैव भयःसुवर्णकारकः ।

इष्टकाराद्यवेति कारवो बहवः समृद्धाः ॥४॥

क्षिपते भोजनं गृहे वतिना भोक्तुमिष्टुना ।

पूर्वमादिकमध्यस्थितिनीयं स्वचेतसा ॥५॥

(नीतिसार श्लो० ४०)

वर्त स्वहस्तेन कुत्तः याके बान्धन दुर्लकाश ।

मन्दिरे भोजनं बस्मात्सर्वसाधासङ्गमः ॥३॥

(नालिसार० इडो० ४६)

शाढी, माडी, कुम्हार, तेळी और नाई ये पाँच कानुष शूद्र जानने चाहिए । घोबो, तद्वक, छुहार, सुनार और कारोगिर इस्यादि बहुत प्रकारके कानुष शूद्र जानने चाहिए ॥३, ४॥ मोजकी इच्छा रखनेवाले साषु इनके घरमें भोजन कर लेते हैं । इसी प्रकार और भी अपने मनसे जान लेनी चाहिए ॥५॥ अपने हाथसे भोजन बना लेना उत्तम है, परन्तु मिथ्यादृष्टियोंके घरमें भोजन करना उत्तम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सब प्रकारके सावधान समागम देखा जाता है ॥६॥

—बोधप्राप्तूत टीका

“चारणाक्षयोऽक्षयारथ्युनकादिस्वर्णदहितं यतिथोमयं भोजयत् ।

चारणाल, नीचलोक, चिल्ली और कुत्ता आदिके स्वर्णसे रहित भोजन साषुके योग्य होता है ।

—स्वामिकार्तिकेशानुप्रेषा टीका

चंद्राक्षयाणां भुजे सोऽस इवंति उपवासा ।

चंद्राक्षयाणं यसे भुजे अहुवे उ उपवासा ॥३३॥

चारणालका शर्व-पानके भोजन करने पर सोऽसह उपवास करने चाहिए । तथा चारणालके पात्रमें भोजन करने पर आठ ही उपवास करने चाहिए ॥३३॥

—छेदपिण्ड

काशयपत्तमिं पुणो भुजे पीदे वि तथ भलहरणं ।

पंचववासा गियमा गिहिदा छेदकुसलेहि ॥४५॥

काशशूद्रके पात्रमें भोजन करने पर और उससे पानी पीने पर भी छेदशालमें कुशल पुरुषोंने पाँच उपवास उसका प्रायवित्त कहा है ॥४५॥

—छेदशाल

जातिवर्गकुलोनेतु मुक्तेऽग्रामन् प्रमादतः ।
सोपस्थानं चतुर्व स्थान्मासोऽग्रामोगतो मुहुः ॥५३॥

जो जाति, वर्ण और कुलसे हीन पुरुषके घर जानकारीके बिना भोजन करता है उसे प्रतिक्रमणपूर्वक उपवास करना चाहिए । तथा जो बार-बार भोजन करता है उसे आनाभोगके साथ एक माहका प्रायश्चित्त कहा है ॥५३॥

जातिवर्गकुलोनेतु भुजानोऽपि मुहुसुद्धुः ।
सामोगेन मुनिन्दून् भूलभूमि समरनुते ॥५४॥

किन्तु जो साधु जाति, वर्ण और कुलसे हीन पुरुषके यहाँ बार-बार भोजन करता है वह आभोगपूर्वक मूलस्थानको प्राप्त होता है ॥५४॥

चण्डालसकरे स्पृष्टे पृष्ठे वेहेऽपि मासिकम् ।
तदेव हिंगुणं भुक्ते सोपस्थानं निगच्छते ॥१०१॥

चाण्डालके साथ मिश्रण होने पर या उसका स्वर्ण होने पर पञ्च-कल्पण नामक प्रायश्चित्त करना चाहिए । तथा उसका भोजन करने पर प्रतिक्रमण सहित उससे दूना प्रायश्चित्त करना चाहिए ॥१०१॥

—प्रायश्चित्तचूल्किका

किरातचर्मकारा द्रिकपालानां च मन्त्रिरे ।
समाचरति यो भुक्ति स्तप्रायश्चित्तमीदग्राम् ॥६॥

जो किरात, चमार आदि और कापालिकके घरमें भोजन करता है उसे आगे कहे अनुसार प्रायश्चित्त करना चाहिए ॥६॥

हहादृशजातीनां यो भुक्ति सद्वे पुनः ।
समाचरति चैतस्य प्रायश्चित्तमिदं भवेत् ॥०॥

जो अठारह जातियोंके घर भोजन करता है उसे इस प्रकार प्रायश्चित्त करना चाहिए ॥७॥

ब्राह्मणक्षित्रवैद्यनां शूद्रादिगृहसङ्करः ।
अप्यपानं भवेत्मिमां वदि शुद्धिरितं भवेत् ॥११॥

विन ब्राह्मण, चत्रिय और वैश्योंके भोजन-पानका शूद्रादिके घरके भोजन-पान संसर्गसे हो जाता है उन्हें इस प्रकार शुद्धि करनी चाहिए ॥११॥

मिष्यादगृह(शूद्र) मिष्यादपानादि च भवेत्प्रदि ।
प्रायस्तिं भवेद्वामिषेक्षितयं षट्टः ॥१२॥

विनके भोजन-पानका मिष्यादहियोंके भोजन-पानके साथ मिश्रण हो जाता है उन्हें यह प्रायश्चित्त करना चाहिए ॥१२॥

उद्गृहे भोजनं चाष्टौ उपवासाः प्रकातिंताः ॥१५॥

जो पाँच प्रकारके काढ शूद्रोंके घर भोजन करते हैं उन्हें प्रायश्चित्त-स्वरूप आठ उपवास करना चाहिए ॥१५॥

—प्रायश्चित्तप्रम्य

समवसृतिप्रवेशमीमांसा

मिष्याद्विष्ट अभव्या तेषुमसर्णी ऊ होति कह्याहं ।
तह च अनुष्ठानसाधा संदिक्षा विविहविवरीदा ॥६३२॥

समवसरणके इन बारह कोठीमें मिष्याद्विष्ट, अभव्य तथा अनुष्ठव-साधसे तुक्त, सन्देह तुक्त और विविध प्रकारको विपरीत वृत्तिवाले जीव कदार्पि नहीं होते ॥६३२॥

—त्रिलोकप्रहस्ति

तत्र बाह्ये परिष्वज्य बाहनादिपरिच्छदम् ।
 विशिष्टकाङ्क्षेयुंका मानपीठं परीत्य ते ॥५७-१०१॥
 प्रादृष्टिष्येन वन्दित्वा मानस्तम्भमनादितः ।
 उत्तमाः प्रविशन्यन्तहत्तमाहितभक्षयः ॥५७-१०२॥
 पापशोला विकुमांजाः शूद्राः पास्त्रण्डपाण्डवाः ।
 विकलाङ्गेन्द्रियोत्तमान्ता परिष्वन्ति वहस्ततः ॥५७-१०३॥

समवसरण के प्राप्त होने पर बाहन आदि सामग्री को वहीं बाहर ही छोड़कर तथा विशिष्ट चिह्नों से युक्त होकर वे सब उत्तम पुरुष मानपीठ को धेर कर तथा अनादिसे आये हुए मानस्तम्भ की प्रदक्षिणा पूर्वक बन्दना करके उत्तम भक्षयुक्त होकर भीतर प्रवेश करते हैं । और जो पापशोल विकार युक्त शूद्रतुल्य पास्त्रण्डमें पढ़ रहे हैं वे तथा विकलाङ्ग, विकलेन्द्रिय और भ्रमिष्ठ जीव बाहर ही घूमने रहते हैं ॥५७-१०१-१०३॥

—इतिवंशपुराण

देवोऽहंन्नाहम्मुखो नियतिमनुपरन्तु तराशामुखो वा ।
 यामध्यास्ते स्म पुण्यां समवस्तुमहीं तां पर्याप्यवान्सुः ।
 प्रादृष्टिष्येन धीम्द्रा शुयुचतिगणिनानृक्षियस्त्रिय देव्यो
 देवाः सेन्द्राऽप्यमत्याः पश्य हति गणा द्वादशार्थी क्रमेण ॥२३-१०३॥

अरिहन्त देव नियमानुसार पूर्व आथवा उत्तरदिशाकी ओर मुख कर जिस समवसरण भूमिमें त्रिग्रामान होते हैं उसके चारों ओर प्रटक्षिणा क्रमसे १ त्रुदिके इंश्वर गणघर आदि मुनिबन, २ कल्पवासिनी देवियाँ, ३ आर्यिकाएँ व मनुष्य स्त्रियाँ, ४ भवनवासिनी देवियाँ, ५ व्यन्तरोंकी देवियाँ, ६ ज्योतिषियोंकी देवियाँ, ७ भवनवासी देव, ८ व्यन्तर देव, ९ व्योतिष्कदेव, १० कल्पवासी देव, ११ मनुष्य और १२ पशु हन वारह गणोंके बैठने योग्य चारह सभाएँ होती हैं ॥२३-१०३॥

सप्तापश्चम्मुनीनिद्वाषोधान् देवीऽस्म कल्पजाः ।
 सार्थिका नृपकान्ताज्ञ ज्योतिर्बन्धोरगामरीः ॥३३-१०७॥
 भावनव्यन्तरउत्तोसिःकल्पेन्द्राज्ञ्यार्थिकान्मृगान् ।
 भगवत्प्रादसंप्रेक्षाप्रीतिप्रोक्तुहृष्टोक्त्वान् ॥३३-१०८॥

समवसरणके उसी श्रीमण्डपके मध्यमें उन्होंने खिलेन्द्रभगवान्के चरणोंके दर्शन करनेसे उत्पन्न हुई ग्रीतिसे जिनके नेत्र प्रफुल्लित हो रहे हैं ऐसे क्रमसे बैठे हुए उज्ज्वल ज्ञानके धारी मुनि, कल्पवासिनी देवियाँ, आर्यिकाओंसे युक्त रानी आदि लियाँ, ज्योतिष, व्यन्तर और भवनवासी देवोंकी लियाँ, भवनवासी व्यन्तर, ज्योतिषी और कल्पवासी देव, राजा आदि मनुष्य और मृग आदि पशु ये बारह गण देखे ॥३३-१०७, १०८॥

—महापुराण

बीतप्रस्थाः कल्पनार्थोऽथार्था ज्योतिभीमा हि लियो भावनात् ।
 भौमउत्तोतिःकल्पदेवा मनुष्यास्तिर्बन्धान्मैषु तस्युः क्रमेण॥२०-६०॥

उस सभाके बारह कोठोंमें क्रमसे मुनि, कल्पवासिनी देवियाँ, आर्यिका, ज्योतिष्क देवाङ्गना, व्यन्तर देवाङ्गना, भवनवासिनी देवाङ्गना, भवनवासी देव, व्यन्तरदेव, कल्पवासी देव, मनुष्य और पशुओंके यूथ बैठे॥२०-६०॥

—धर्मशास्त्राभ्युदय

दक्षाया मुनिभिः समं गणधराः कल्पलियः सज्जिता

ज्योतिर्बन्तरभावनामरवधुसंवास्ततो भावनाः ।

वन्या उयंतिष्कल्पजात्म विद्युधाः स्वस्वोदयाऽप्तिष्णः

तस्युद्दादशसु प्रदक्षिणममी कोष्ठेषु मर्त्या मृगाः ॥१८-५१॥

समवसरणके बारह कोठोंमें अपने उटणकी आकांक्षा रखनेवाले मुनियोंके साथ दस आदि गणधर, कल्पवासिनी लियाँ, आर्यिका, ज्योतिष्क देवियाँ, व्यन्तर देवियाँ, भवनवासिनी देवियाँ, भवनवासी देव, व्यन्तर

देव, ज्योतिषी देव, कल्पवासी देव, मनुष्य और पशु प्रदक्षिणाके कपसे बैठे ॥१८-६१॥

—चन्द्रप्रभचरित

मिथ्यादेशः सदसि तत्र न सन्ति मिथ्याः सासादनाः पुनरसंज्ञिवदप्यभव्याः ।
भव्याः परं विरचिताऽलयः सुचित्सास्तिष्ठन्ति देवबन्दनाभिमुखं गणोऽप्याय् ।

उस समवसरणकी गणभूमियें बिस प्रकार असंखी ओव नहीं थे उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और अभव्य ओव भी नहीं थे । केवल जिनेन्द्रदेवके सम्मुख हाथ ओढ़े हुए सुन्दर चित्तवाले भव्य ओव बैठे हुए थे ॥१०-४६॥

तस्थुर्यंतीन्द्रदिविजप्रमदार्थिंकाश ज्योतिष्कवन्यभवनामरवामनेत्राः ।
तं भावना वनसुरा ग्रहकल्पजाश मर्याः प्रदक्षिणमुपेत्य सूर्याः क्लेषण ॥

उस समवसरणसभामें प्रदक्षिणा कपसे मुनीश्वर, स्वर्गवासिनी देवाङ्गना, आर्यिका, ज्योतिष्क देवाङ्गना, व्यन्तर देवाङ्गना, भवनवासी देवाङ्गना, भवनवासी देव, व्यन्तर देव, ज्योतिष्क देव, कल्पवासी देव, मनुष्य और पशु बैठे ॥१८-३५॥

— वर्धमानचरित

गृहस्थोंके आवश्यककर्मोंकी मीमांसा

दाणं पूजा सीलं उववासं बहुविहं पि खवणं पि ।

सम्मुद्रं मोक्षसुह सम्म विणा दीहसमारं ॥१०॥

सम्यक्त्व सहित दान, पूजा, शील, उपवास और अनेक प्रकारक
क्षपण यह सब मोक्षसुखको देनेवाला है और सम्यक्त्वके बिना दोष
संसारका कारण है ॥१०॥

दानं पूजा सुक्षमं सावधयमेण सावधा तेण विणा ।

भाणउम्भयण मुक्षमं जहृषमेतं विणा तदा सो वि ॥११॥

आवकधर्ममें दान और पूजा ये दो कार्य मुख्य हैं । इनके विना कोई आवक नहीं हो सकता । तथा यति धर्ममें ध्यान और अध्ययन ये दो कार्य मुख्य हैं । इनके विना कोई यति नहीं हो सकता ॥११॥

—रघुसार

मध्यमांसमधुत्यागैः सहाणुब्रतपञ्चकम् ।

अहौ मूलगुणानाहुर्गुहिणां अमणोत्तमाः ॥६६॥

अी जिनेन्द्रदेवने मध्यत्याग, मासत्याग और मधुत्यागके साथ पाँच अणुब्रतोंको गृहस्थोंके आठ मूलगुण कहा है ॥६६॥

—रघुकरण्ड

अत्रान्तरे जगादैवं कुण्डलकास्तमानसः ।

नाथाणुब्रतयुक्तानां का गतिर्दृश्यते वद ॥२६-६६॥

गुहरूचे न यो मांसं खाद्यतिरुद्धरतः ।

तस्य वस्त्रामि यत्पुण्यं सम्बन्धेऽविशेषतः ॥२६-६७॥

दपदासादिर्हीनस्य दरिद्रस्वापि धीमतः ।

मांसुभुक्तेऽविकृतस्य सुगतिर्हस्तवतिनी ॥२६-६८॥

यः पुनः शीलसम्पदो जिनशासनभावितः ।

सोऽणुब्रतधरः प्राणों सौधर्मादिषु जायते ॥२६-६९॥

अहिंसा प्रवरं मूलं धर्मस्य परिकीर्तिंतम् ।

सा च मांसाद्विवृतस्य जायतेऽयन्तनिमला ॥२६-१००॥

दयावान् सङ्क्रान् योऽपि म्लेच्छव्याघाल एव वा ।

मधुमांसाद्विवृतः सन् सोऽपि पापेन मुख्यते ॥२६-१०१॥

मुक्षमात्रः स पापेन पुण्यं गृह्णाति मानवः ।

जायते पुण्यवन्धेन सुरः सन्मनुजो यथा ॥२६-१०२॥

सम्यग्दृष्टिः पुनर्जन्मः कृत्वा एव ब्रह्मारणम् ।

कल्पते परमान् भोगान् विभुः स्वर्गनिवासिनाम् ॥३६-१०२॥

इसी बीच त्रस्तमन होकर कुण्डलने पूछा है नाथ ! अणुवत्तयुक्त मनुष्योंकी क्या गति होती है, बतलाइए ॥२६-६६॥ भगवान् ने कहा— जो ब्रतोंमें अत्यन्त दृढ़ होकर मांस नहीं खाता है उसका जो पुण्य है उसे कहते हैं । तथा सम्यग्दृष्टिके पुण्यको विशेषरूपसे कहते हैं ॥२६-६७॥ जो बुद्धिमान् दर्शि पुरुष उपवास आदि नहीं करता किन्तु मांसभुकिका त्यागी है उसकी सुगति उसके हाथमें है ॥२६-६८॥ किन्तु जो शीलसम्पन्न, बिनशासनभावित अणुवत्तधारी प्राणी है वह मरकर सौधर्म आदि स्वर्गोंमें उत्पन्न होता है ॥२६-६९॥ अहिंसाको धर्मका सर्वोत्कृष्ट मूल कहा गया है और वह मांस आदिका त्याग करनेवाले मनुष्यके अत्यन्त निर्मल होती है ॥२६-१००॥ म्लेच्छा या चाण्डाल जो भी दयासे और सत्सङ्घतिसे युक्त है वह यदि मधु और मांसका त्याग कर देता है तो वह पापसे मुक्त हो जाता है ॥२६-१०१॥ तथा वह पापसे मुक्त होकर उत्तम पुण्यका बन्ध करता है और पुण्यबन्धके प्रभावसे वह वैसे ही देव होता है जैसे उत्तम मनुष्य ॥२६-१०२॥ परन्तु सम्यग्दृष्टि जीव अणुवत्तोंका धारणकर उत्तम भोगोंको प्राप्त करता है और देवोंका अधिपति होता है ॥२६-१०३॥

—पञ्चरित

इज्यां वार्ता च दत्ति च स्वाध्याय संयमं तपः ।

श्रुतोपासकसूत्रत्वात् स तेऽन्यः समुपादिशत् ॥३८-२४॥

भरतने उन ब्राह्मणोंको उपासकाध्ययनसूत्रसे इज्या, वार्ता, दत्ति, स्वाध्याय, संयम आदि तपका उपदेश दिया ॥३८-२४॥

कुक्लधर्मोऽस्यमित्येवा महात्पूजा दिवण्ठनम् ।

तदा भरतराजर्षिः भन्द्वोचदनुकमात् ॥३८-२५॥

यह इनका कुक्लधर्म है ऐसा विचार कर राजर्षि भरतने उस समय अनुकमसे अहंत्पूजा आदिका वर्णन किया ॥३८-२५॥

मधुमांसपरित्यागः पञ्चोदुम्बरवर्णनम् ।

हिंसादिविरतिक्रास्य व्रतं स्वात्साधकालिकम् ॥३८-१२२॥

उसके मधुत्याग, मांगत्याग, पाँच उदुम्बर फलोंका त्याग और हिंसा आदि पाँच स्थूल पापोंका त्याग ये सदा काल रहनेवाले व्रत होते हैं ॥३८-१२२॥

दानं पूजा च शीलं च दिने पर्वण्मुण्डितम् ।

धर्ममतुर्विषः सोऽयं भावातो गृहमेघिनाम् ॥४१-१०४॥

दान देना, पूजा करना, शील पालना और पर्व दिनोंमें उपवास करना यह गृहस्थोंका चार प्रकारका धर्म माना गया है ॥४१-१०४॥

—महापुराण

गृहस्थस्येज्या वार्ता दत्तिः स्वाध्यायः संब्रमः तप इत्यावृच्छृक्माणि
भवन्ति ।

... वार्ताऽसि-मषि - कृषि - वाणिज्यादिशिल्पकर्मनिविषुद्धारुपावार्ता-
पार्जनमिति ।

गृहस्थके हज्या, वार्ता, दत्ति, स्वाध्याय, संब्रम और तप ये छह आर्य
षट्कर्म होते हैं । आसि, मषि, कृषि और वाणिज्यादि तथा
शिल्प कर्म द्वारा विशुद्धि आजीविका करके अर्थका उपार्जन करना
वार्ता है ।

—शारिक्रसार

देवपूजा गुरुपास्ति: स्वाध्यायः संब्रमस्तपः

दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने ॥६-०॥

देवपूजा, गुरुकी उपासना, स्वाध्याय, संब्रम, तप और दान ये गृहस्थों
के प्रतिदिन करने योग्य छह कर्म हैं ॥७॥

—प्राननिदिपत्तिविशालिका

सामायिकं सतवः प्राज्ञेन्द्रना सप्रतिक्षिप्ता ।

प्रत्याक्षयानं सनूत्सर्गः चोहावश्वकमीरितम् ॥८-२६॥

प्राज्ञ पुरुषोने सामायिक, स्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याक्षयान और कायोत्सर्ग ये स्थान आवश्यक कर्म कहे हैं ॥८-२६॥

उल्कुहावकेणैते विधातव्याः प्रथमतः ।

अन्यैरेते वयाशक्ति संसारान्तं विदासुभिः ॥८-२७॥

यहाँ पर इनके करनेकी विधि बतलाई है उसके अनुसार उल्कुह आवकोको ये प्रयत्नपूर्वक करने चाहिए तथा संसारका अन्त चाहनेवाले अन्य गृहस्थोंको ये यथाशक्ति करने चाहिए ॥८-२७॥

दानं पूजा विनैः शीलमुपवासरक्तुर्विधिः ।

आवकाणां भूते धर्मः संसारारम्भपावकः ॥८-१॥

दान, पूजा, शील और उपवास यह संसाररूपी वनको भस्म करने-वाला चार प्रकारका आवकधर्म बिनदेवने कहा है ॥८-१॥

जिनस्तवं जिनस्नानं जिनपूजां जिनोत्सवम् ।

कुर्वाणो भक्तिं लक्ष्मीं कृत्वे याचितां वनः ॥१२-४०॥

जिनस्तुति, जिनस्नान, जिनपूजा और जिनोत्सवको भक्तिपूर्वक करने-वाला मनुष्य वांछित लक्ष्मीको प्राप्त करता है ॥१२-४०॥

—अमितिगतिशावकाचार

मध्यमांसमधुस्थागाः सहोदुम्बरपञ्चकाः ।

अहावेते गृहस्थानामुक्ता मूलगुणाः भूतेः ॥

अुतिके अनुसार पाँच उदुम्बर फलोंके साथ मद्य, मांस और मधुका त्याग करना गृहस्थोंके ये आठ मूलगुण कहे गये हैं ।

—यशस्तिरकचम्पू भास्वास ० पू० ३२६

देवसेवा गुरुपास्तिः स्वाप्नायः संब्रहस्तपः ।

दानं चेति गृहस्थानो चट कर्माणि दिने दिने ॥

ब्रह्मन् पूजनं स्तोत्रं जपो ध्यानं शुद्धतस्तपः ।
चोहा किमोदिता सञ्चिदेवसेवासु गोहिनाम् ॥

देवसेवा, गुरुकी उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान ये गृहस्थों के प्रतिदिन करने योग्य छाह कर्म हैं ।

सच्चनोने देवसेवाके समय स्नपन, पूजन, स्तोत्र, जप, ध्यान और भूतकी स्तुति ये छाह कियाएँ गृहस्थोंको कही गई हैं ।

—मारवास द २० ४१४

नित्याहानिदक्षसात्तुसुंखमहः कल्पदुन्मैद्वज्ञाः—
विज्ञाः पात्रसमकियान्वयद्वादर्चीस्तपःसंवभाव् ।
स्वाध्यायं च विष्णातुमादत्तुर्विसेवाविज्ञादिकः ।
शुद्धथापोदितवा गृही मललवं पक्षादिभिरच लिपेत् ॥१-१८॥

नित्यमह, आष्टाहिकमह, चतुर्मुखमह, कल्पदुमपूजा और इन्द्रध्वज-पूजा इन पाँच प्रकारकी पूजाओंको तथा पात्रदति, समकियादति, आन्वयदति और दयादति इन चार प्रकारकी दत्तियोंको तथा तप, संयम और स्वाध्यायको करनेके लिए जिसने कृषि, सेवा और व्यापार आदि कर्म स्वीकार किये हैं ऐसा गृहस्थ आसके द्वारा कही गई शुद्धिके द्वारा तथा पक्षादि रूप चर्याके द्वारा अपने पापलेशका नाश करता है ॥१-१८॥

तत्रादी आहृथैर्जीमाज्ञां हिंसामपासितुम् ।
मध्यमासमधुन्मुज्जेत्पत्तुर्पत्तुरफलानि च ॥२-१॥

सर्व प्रथम जिनेन्द्रदेवकी आज्ञाका अदान करनेवाला यह गृहस्थ हिंसाका त्याग करनेके लिए मद्य, मांस, मधु और पाँच छीर फलोंका त्याग करे ॥२-१॥

प्लेन्तुर्हुक्तं भवति तात्पित्रिनाम्नाभद्रानेतैव मध्यादिवित्तिं कुर्वन्
देवतामती स्पात् न कुरुत्वमार्गितुदया ॥२-२ टीका॥

इसके द्वारा यह कहा गया है कि इस प्रकारकी बिनाका है ऐसा अद्वान करनेसे ही मद्यादिका त्याग करनेवाला देशब्रती होता है, यह कुल-धर्म है इत्यादि प्रकारकी बुद्धिसे त्याग करनेवाला नहीं ॥२-२ टीका ।

—सामाजिकमान्यमूर्त

तत्र मूलगुणादचाही गृहिणां ब्रतधारिणाम् ।
कवित्वस्तिनां यस्मात्सर्वसाधारणा इमे ॥
मध्यमासमधुत्यागी त्यक्तोदुम्बरपञ्चकः ।
नामतः आवकः खातो नान्यथापि तथा गृही ॥

तत्त्वारी यहस्योंके आठ मूलगुण होते हैं । तथा कहीं आवतियोंके भी ये ही आठ मूलगुण होते हैं, क्योंकि ये सर्वसाधारण धर्म हैं ।

जिसने मद; मांस और मधुके त्यागके साथ पाँच उदुम्बर फलोंका त्याग कर दिया है वह नामसे आवक माना गया है, अन्य प्रकार कोई आवक नहीं हो सकता ।

—उटीसंहिता

देवपूजा गुरुसेवा दक्षिः स्वाध्यायः संयमम् ।
दैत्यतानि सुकर्माणि गृहिणां सूत्रधारिणाम् ॥
मूलगुणसमोपेतः कृतसंस्कारो दरक्षिः ।
इत्यादिष्टकर्मकरो गृही सोऽत्र ससूक्षकः ॥

देवपूजा, गुरुकी सेवा, दान, स्वाध्याय, संयम और दया ये यशोपवीत-वारी यहस्योंके सुरक्ष हैं ।

बो मूलगुणोंसे युक्त है, जिसका संस्कार हो गया है और जो सम्प्रदर्शनसम्पन्न है ऐसा यशोपवीतसे युक्त यहस्य यहाँ पर इत्या आदि छह कर्मका करनेवाला होता है ।

—दामडालण

वक्षमांसमधुत्यामासंतुक्तामुक्तावि तुः ।

अही शूक्रगुणः पश्चात्तुम्बरे देवाभंकेष्यपि ॥१६॥

मथ, मांस और मधुके त्यागके साथ पाँच अग्रगत ये आठ मूलगुण हैं। पाँच उद्गुम्बर फलोंके साथ तीन मक्कारोक्त त्याग तो बालकोंमें भी होता है ॥१६॥

—रत्नमाछा

जिनदर्शन-पूजाधिकारमीमांसा

तिरिक्षा मिष्टाहटी कदिहि कारणेहि पठमसम्भत्त उप्यादेति ।
॥२१॥ तीहि कारणेहि पठमसम्भत्त उप्यादेति—केह जाहस्सरा, केह सोदम केह विषविंय दद्दूष ॥२२॥

तिर्यक्त मिष्टाहटि कितने कारणोंके आभयसे प्रथम (प्रथमोपशम) सम्बन्धको उत्पन्न करते हैं ॥२१॥ तीन कारणोंके आभयसे प्रथम सम्बन्धको उत्पन्न करते हैं—कितने ही जातिस्मरणके आभयसे, कितने ही घर्मोपदेश सुनकर और कितने ही विषविंयका दर्शनकर प्रथम सम्बन्ध को उत्पन्न करते हैं ॥२२॥

मणुस्सा मिष्टाहटी कदिहि कारणेहि पठमसम्भत्त उप्यादेति ॥२३॥ तीहि कारणेहि पठमसम्भत्त उप्यादेति—केह जाहस्सरा, केह सोदम, केह विषविंय दद्दूष ॥२४॥

मनुष्य मिष्टाहटि कितने कारणोंके आभयसे प्रथम सम्बन्धको उत्पन्न करते हैं ॥२५॥ तीन कारणोंके आभयसे उत्पन्न करते हैं—कितने जातिस्मरणके आभयसे, कितने ही घर्मोपदेश सुनकर और कितने ही विषविंयका दर्शनकर प्रथम सम्बन्ध को उत्पन्न करते हैं ॥२६॥

[यहाँपर इतना समझना चाहिए कि प्रथम सम्बन्धको अन्य के समान स्पृश्य व अस्पृश्य शूद्र मनुष्य भी उत्पन्न करते हैं। ऐसी अवस्थामें उनका जातिस्मरणके समान वर्मोंपदेशाङ्का सुनना और जिन-विम्बका दर्शन करना आगमसे सिद्ध होता है।]

—जीवस्थान सम्बन्धबोधति चूकिका

सिरश्चों केषाञ्जिज्ञातिस्मरण केषाञ्जिद्गुर्मञ्चवर्णं केषाञ्जिज्ञिनिम्ब-
दर्शनम् । मनुष्याणामपि तथैव ।

तिर्यङ्कोंमें किन्होंके जातिस्मरणसे, किन्होंके वर्मञ्चवर्णसे और किन्होंके जिनविम्बदर्शनसे प्रथम सम्बन्धकी उत्पत्ति होती है। मनुष्योंके भी इसी प्रकार प्रथम सम्बन्धकी उत्पत्ति जाननी चाहिए।

—८० स०, अ० १ स० ० सर्वार्थसिद्धि

अमी विद्याधरा द्वार्याः समासेन समीरिताः ।

मातङ्गानामपि स्वामिन् निकावान् ग्रन्थं वस्त्रिं ते ॥२६—१४॥
नीलाम्बुद्धव्यश्यामा नीलाम्बवरवरद्वजः ।

अमी नातङ्गानामानो मातङ्गस्तन्मलङ्गताः ॥२६—१५॥

इमशानास्थिकुत्तोत्तसा भस्मरेणुविघृसराः ।

इमशाननिलयास्त्वेते इमशानस्तम्भसंजिताः ॥२६—१६॥

नीलवैद्युर्घर्वज्ञानिं धारयन्स्यम्बराणि ये ।

पाण्डुरस्तम्भमेत्यामी स्थिताः पाण्डुरसेचदाः ॥२६—१७॥

कूण्डाजिनवरास्त्वेते कूण्डचर्मान्मरवरद्वजः ।

कालस्तन्मं समव्येत्य स्थिताः कालस्वपाकिनः ॥२६—१८॥

पिङ्गलैमूर्धवैद्युक्तास्तसकालवभूताः ।

श्वपाकानां च विद्यानां विताः स्तम्भं श्वपाकिनः ॥२६—१९॥

पर्णपत्रांगुकच्छविचिन्नमुकुटद्वजः ।

पार्वतेषा इति रथाताः पार्वतं स्तम्भमाविताः ॥२६—२०॥

वंशीपत्रकुतोचंसाः सर्वतुक्तुमसादः ।

वंशस्तम्भाग्नितारैते लेटा वंशाक्षया गताः ॥२६-२१॥

महामुखगणोभाकृसंदहवरभूषणः ।

शृङ्गमूलमहास्तम्भाग्निता वार्षमूलिकाः ॥२६-२२॥

ये आर्य विद्याधर हैं । इनका संक्षेपमें कथन किया । हे स्वामिन् ! अब मैं मातंग (चाण्डाल) निकायोंका भी कथन करती हूँ, सुनो ॥२६-१४॥ जो नीले मेघोंके समान नीलवर्ण हैं तथा नीले बल और माला पहने हुए हैं वे मातंग निकायके विद्याधर (सिद्धकृत वैत्यालयमें) मातंग स्तम्भके आध्यसे बैठे हैं ॥२६-१५॥ बिन्होने शमशानकी इड़ी और चमडेके आभूषण पहन रखे हैं तथा जो शरीरमें भस्म लपेटे हुए हैं वे शमशान निलय नामके मातंग शमशानस्तम्भके आध्यसे बैठे हैं ॥२६-१६॥ जो नील वैद्यर्य वर्णके बल पहिने हुए हैं वे पाण्डुर नामके मातंग पाण्डु स्तम्भके आध्यसे बैठे हैं ॥२६-१७॥ जो काले हिरण्यके चर्मके बल और माला पहने हुए हैं वे कालस्तपाकी नामके मातंग कालस्तम्भके आध्यसे बैठे हैं ॥२६-१८॥ बिनके सिरके केश पिङ्गल हैं तथा जो तपाये हुए सोनेके आभूषण पहिने हुए हैं वे शवपाकी नामके मातंग शवपाकी स्तम्भके आध्यसे बैठे हैं ॥२६-१९॥ बिनके मुकुटमें लगी हुई नाना प्रकारकी मालाएँ पर्णपत्रके बस्त्रसे अन्धादित हैं वे पावर्तीय नामके मातक पार्वत स्तम्भके आध्यसे बैठे हैं ॥२६-२०॥ बिन्होने बाँसके पतोंके आभूषण तथा सब शत्रुओंके फूलोंकी मालाएँ पहिन रखी हैं वे बंशालय नामके मातंग बंशस्तम्भके आध्यसे बैठे हैं ॥२६-२१॥ जो महामुखकी शोभासे चिनित उत्तम आभूषणोंसे युक्त हैं वे शत्रुमूलक नामके मातंग शत्रुमूलमहास्तम्भके आध्यसे बैठे हैं ॥२६-२२॥

आचारानवदायं शुचिलपस्कारः शरीरशुद्धिं करोति शूद्रानपि देव-
हितातितपस्त्वपरिकर्मसु योग्यान् ।

आचारको निरोषता, गृह-पात्रादिकी शुद्धि और शरीर शुद्धि ये
शूद्रोंको भी देव, हिताति और तपस्त्वयोंकी उपासनाके योग्य करते हैं ।

—जीतिवाक्यामृत

कवं जिनविवदंसंणं पठमसम्मतुप्यसीए कारणं ? जिनविवदंसणेण
विवक्ष-जिकाचित्तस्य वि भित्त्वादिकम्मकलावस्त सवदंत्वादो ।

शंका—जिनविवदंशर्णं प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण कैसे है ?

समाधान—जिनविवदका दर्शन करनेसे निष्ठति और निकाचितरूप
भित्त्वात् आदि कर्मकलापका ज्ञय देखा जाता है, इसलिए उसे प्रथम
सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण कहा है ।

—जीवस्थान सम्यक्त्वोत्पत्तिचूलिका सूत्र २२ ध्वक्षा

जिनमहिमं दहूण वि केहं पठमसम्मतं पठिवजंता भव्य तेण चतुर्हि
कारणेहि पठमसम्मतं पठिवजंति ति वसन्वं ? य पृथ दोसो, पृथस्स
जिनविवदंसणे अंतर्मावादो । अधवा मणुसमिष्टाद्वाणं गयणगमण-
विरहियाणं चठम्बिवदेवणिकापुहि अंदीसरजिनवरपठिमाणं कीरमाणमहा-
महिमालोबणे संभवाभावा । मेदजिनवरमहिमाओ विजावरमिष्टादित्तिं
पेच्छांति ति पृथ अत्थो य वसन्वयो ति केहं भणंति तेण पुच्छुतो देव
अत्थो देवात्थो । चक्षिसपञ्चरित्युदायं पठमसम्मतुप्यसीए कारणं
इत्येवं समेव पुष्ट किञ्च भवदे ? य, पृथस्स वि जिनविवदंसणे
अंतर्मावादो । उज्जंत-चंदा-पावाजयरादिवदंसणं पि पृथेव देवात्थं ।
कुदो ? लत्वसणजिनविवदंसणजिनजिष्टुइगमणकहनेहि विजा पठमसम्मत-
गहणाभावा । अहसमिवदमवि पठमसम्मतं तक्षडे उत्तं तं हि पृथ दहूणं,
जाहूससदणजिनविवदंसणेहि विजा उपजामाणजहूसमिवदपठमसम्मतस्स
जासंभवादो ।

शंका—बिनमहिमाको देखकर भी किसे ही मनुष्य प्रथम सम्बत्त्व को प्राप्त होते हैं, इसलिए चार कारणोंके आधारसे प्रथम सम्बत्त्वको प्राप्त होते हैं ऐसा यहाँ कहना चाहिए !

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस कारणका बिनविष्वदर्शनमें अन्तर्भाव हो जाता है। अथवा आकाशमें गमन करनेकी शक्तिसे रहित मनुष्य मिथ्याहृष्टियोंके चार निकायके देवों द्वारा नन्दीश्वर द्वीपमें बिनप्रतिमाओंकी की जानेवाली महिमाका देखना सम्भव नहीं है, इसलिए मनुष्योंमें बिनमहिमादर्शन नामक चौथा कारण नहीं कहा जा सकता है। मेघपर्वतपर की जानेवाली बिनवरकी महिमा विद्याभर मिथ्याहृष्टि देखते हैं, इसलिए यह बादमें जो बिनमहिमादर्शनरूप कारणका अभावरूप अर्थ कहा है वह नहीं कहना चाहिए ऐसा किसे ही आचार्य कहते हैं, इसलिए पूर्वोक्त अर्थ ही ग्रहण करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि मनुष्य मिथ्याहृष्टियोंमें बिनमहिमादर्शनरूप कारण होता अवश्य है, इसलिए उसका जो बिनविष्वदर्शनमें अन्तर्भाव कर आये हैं वह ठीक है।

शंका—हृषिक्षसम्बन्ध क्षमिदर्शन भी प्रथम सम्बत्त्वकी उत्पत्तिका एक कारण है उसे यहाँ क्यों नहीं कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि इस कारणका भी बिनविष्वदर्शनमें अन्तर्भाव हो जाता है।

ऊर्ज्यन्तपर्वत, चम्पानगर और पावानगर आदिका ग्रहण भी इसीसे यह क्षेत्र जो नहीं कहा जाए, क्योंकि यहाँके बिनविष्वदर्शन तथा बिननिष्टिक्षयन के बिना प्रथम सम्बत्त्वका ग्रहण नहीं होता।

तत्त्वार्थस्त्रमें नैसर्गिक प्रथम सम्बत्त्वका भी कथन किया गया है उसे

भी यहाँ जान लेना चाहिए, क्योंकि जातिस्मरण और जिनविष्वदर्शनके बिना उत्पन्न होनेवाला प्रथम सम्यक्त्व असम्भव है।

—अधिकारित्वात्मकविष्वदर्शका सूत्र ३० छवडा

वित्याहान्विकसवत्तुमुंखमहः कल्पद्रुमैष्वद्वजा-

विज्ञाः पात्रसमविद्याम्बवद्यावत्तोस्तपःसंयमान् ।

स्वाध्यायं च विद्यातुमाहत्कृषीसेवावगिज्यादिकः ।

शुद्धासोदितया गृही भल्लवं पश्चादिभित्ति शिष्येत् ॥१-१८॥

*** कि विशिष्टः सन् आदत्कृषीसेवावगिज्यादिकः आदतानि यथास्वं प्रवतितानि कृषीसेवावगिज्या आदिशब्दान्मर्णविद्याशिल्पानि च चहाँ ओवनकर्माणि येन सः आदत्कृषीसेवावगिज्यादिकः ॥१-१८ टीका ॥

नित्यमह, आषाढ़िकमह, चतुर्मुखमह, कल्पद्रुमपूजा और इन्द्र-ध्वजपूजा इन पाँच प्रकारकी पूजाओंको तथा पात्रदत्ति, समदत्ति, अन्वयदत्ति और दयादत्ति इन चार प्रकारकी दत्तियोंको तथा तप, संयम और स्वाध्यायको करनेके लिए जिसने कृषि, सेवा और व्यापार आदि कर्म स्वीकार किए हैं ऐसा गृहस्थ भासके द्वारा कही गई शुद्धिके द्वारा तथा पश्चादिरूप चर्याके द्वारा अपने पापलेशका नाश करता है ॥१-१८॥

यहाँ श्लोकमें कृषि, सेवा और वाणिज्यके बाद आये हुए व्यादि पद द्वारा मणि, विद्या और शिल्प ये कर्म लिए गये हैं। तात्पर्य यह है कि छहों कर्मोंसे आजीविका करनेवाला गृहस्थ उक्त पूजाओं, दत्तियों, स्वाध्याय और संयमका अधिकारी है।

—सामारथ्यमासूत्र

पूजकः पूजकाचार्यं हति हृषा स पूजकः ।

आशो नित्याचर्यकोऽन्वस्तु प्रतिष्ठादिविधाचकः ॥१६॥

आहृणः चत्रियो वैद्यः शत्रो वायः सुर्खीरुद्यान् ।

दद्यवतो ददाचारः सत्यसौचसमन्वितः ॥१७॥

कुलेन जात्या संशुद्धो मित्रवस्त्रादिभिः शुचिः ।
गुरुपदिष्टमन्त्रादिः प्राणिवायादितूरुगः ॥१८॥
द्वितीयस्वोच्छतेऽस्माभिर्लङ्घनं सर्वसम्पदः ।
कषितं विजगायायवचोमुकुरमण्डले ॥१९॥
कुर्खीनो कषणोज्ञासी जिनागमविशारदः ।
सम्बन्धदर्शनसम्पदो देशसंयमभूचितः ॥२०॥

पूजक और पूजकाचार्य इस प्रकार पूजक दो प्रकारके होते हैं। उनमेंसे जो प्रतिदिन पूजा करनेवाला है वह आद्य अर्थात् पूजक कहलाता है। और जो प्रतिष्ठा आदि करता है वह अन्य अर्थात् पूजकाचार्य कहलाता है। है जो अपने ब्रतोंमें दृढ़ है, आचारका दृढ़तासे पालन करता है, सत्य और शौच युक्त है, जिसको कुल और जाति शुद्ध है, मित्र और बन्धु आदि परिकर मी जिसका उत्तम है, जो गुरुके द्वारा दिये गये मन्त्रसे युक्त है और जो प्राणिवधसे विरत है ऐसा ब्राह्मण, लक्ष्मी, वैश्य और शूद्र इनमेंसे कोई भी वर्णवाला शील पुरुष पूजक होता है। अब पूजकाचार्यका लक्षण कहते हैं जो कुर्खीन है, अच्छे लक्षणोवाला है, जिनागममें विशारद है, सम्बन्धदर्शनसे युक्त है और देशसंयमसे भूचित है इत्यादि गुणवाला पूजकाचार्य होता है ऐसा केवली भगवानने अपना दिव्यध्वनिमें कहा है। जिस दिव्यध्वनिमें दर्पणके समान सब प्रतिमाषित होता है ॥१६-२०॥

—पूजासार

जातिकुलविशुद्धो हि देशसंस्कारसंयुतः ।
पूजासंस्कारभावेन पूजायोग्यो भवेत्तरः ॥

जाति और कुलसे जो विशुद्धियुक्त है तथा जिसके देहका संस्कार हुआ है वह मनुष्य ही पूजासंस्कारभावसे पूजाके योग्य होता है।

—स्मृतिसार

